अनुक्रमणिका/Index

01. अनुक्रमणिका /Index 01

02. क्षेत्रीय सम्पादक मण्डल/सम्पादकीय सलाहकार मण्डल 06/07

03. निर्णायक मण्डल 08

04. प्रवक्ता साथी 10/11

(Science / विज्ञान)

05. Phytochemical Estimation In Seed Extract Of *Psoralea Corylifolia* Linn. 12
(Dr. Mukta Shrivastava, Nelofar Gulam Nabi)

06. Microbiological and Physico- Chemical Aspects of Betwa River of District Vidisha (M.P.) 16
(Shobha Shrivastava)

07. Study On Trophic Status Of An Abandoned Stone Quarry Of Rewa Town, ... 20
Distt. Rewa (M.P.) For Sustainable Usage (Suman Singh)

08. Physico—Chemical Study Of Under Ground Water Of District Rajgarh M.P. (Dr. G. D. Agrawal) 23

09. A Preliminary Survey Of Tree Flora At Tendukheda, District Narsinghpur, Madhya Pradesh 25
(Shail Bala Sanghi)

10. भारत देश पर आधारित गणित में नया शोध (एम.पी. से ही गणित के प्रमुख चिन्हों व सूत्रविधि का शोध) 27
(शिवराम मेहता)

(Home Science / गृह विज्ञान)

11. Effect Of Communication Sources On The Awareness Of Pulse Polio Programme Among 33
Married Women In Rural Areas Of Mainpuri District In Uttar Pradesh, India
(Dr. Nidhi Awashti, Dr. Manju Dubey)

12. Knowledge About Heart Disease Risk Factors Among The Diabetic Population Of Jodhpur 36
(Lata Seeyol, Dr. Meenakshi Mathur)

13. Awareness about Maternal Health Care Services among Beneficiary Mothers 39
(Aditi Vijay, Dr. Meenakshi Mathur)

14. To Find Out Bone Mineral Density And Other Associated Disorders Among The 42
Postmenopausal Women Jodhpur (Rajasthan) (Madhu Kagat, Dr. Raka Srivastava)

15. महिला उद्यमिता से समुदाय का विकास – 'जिम्मेदारी संग नारी भर रही है उड़ान ना कोई शिकायत ना 44
कोई थकान' (खुशबू असोपा, प्रो. मीनाक्षी माथुर)

(Commerce & Management / वाणिज्य एवं प्रबंध)

16. Demonetization And Its Impact On Various Sectors Of The Indian Economy 46
(Prof. Shuchi Gupta, Dr. Jyoti Chawla)

17. Micro Small And Medium Enterprises Development Act (Msmed Act)-Need,Impact And Benefit To MSME Sector (Dr. Shashikant Magar) 50

18. A Study Of Consumer Satisfaction Among Popular Brandsof FMCG In Retail Sector (Dr. Neha Mathur) 53

19. Globalisation On Economies - Its Challenges (Ankur Bansal, Dr. Seema Baldua) 56

20. Liquidity analysis for performance evaluation : A study of Pharmaceutical Company in India (Smita Sukhwal) 59

21. Basel III Norms And Indian Banking Sector - Emerging Challenges And Way Forward (Dr. Pravin Mantri) 62

22. Growth And Challenge Of Online Marketing In India (Roshni Siddiqui) 64

23. Education And Health Development Of India (In Special Reference To BRICS) (Dr. Abdul Hakim, Roshani Siddiqui) 66

24. भारतीय जीवन बीमा निगम की सेवाओं से प्रेरित होकर बीमाधारियों की बचत एवं विनियोग वृद्धि का अध्ययन (डॉ. शिवाली शाक्या) 68

25. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रतलाम द्वारा प्रदत्त अल्पकालीन ऋणों का विश्लेषण (वर्ष 2005-06 से 2009-10) (डॉ. लक्ष्मण परवाल, डॉ. विमलेश कुमार सोनी) 73

26. मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं मुख्य प्रावधान (संदीप सिद्ध, डॉ. शैला सिद्ध) 76

27. ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की भूमिका (डॉ. शैला सिद्ध) 79

28. सहकारी समितियों का कृषि विकास से संबंधित अन्य गतिविधियों में योगदान (डॉ. निर्मला कुशवाह) 82

29. भारत में जीवन बीमा व्यवसाय का विकास चुनौतियाँ एवं सम्भावनाऍं (डॉ. सुरेश कटारिया, मनीष जैन) 85

30. राजस्थान के शैक्षिक क्षेत्र में एनजीओ की कार्यप्रणाली में अभिप्रेरणा की भूमिका (सकीला बानो) 88

31. रीवा नगर के बरा कोठार स्थित- 'शिवादित्य ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का वैयक्तिक अध्ययन' (क्रितिका सिंह) 90

32. देवास जिले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का योगदान (डॉ. राकेश महाजन, विनोद कुमार अकोतिया) 92

33. शक्ति चलित करघा उद्योग की चुनौतियाँ एवं विकास योजनाएँ (डॉ. मीनल वानवट) 94

(Economics / अर्थशास्त्र)

34. Digital Transaction Move In India - Statistical Perspective (Dr. Leena Sharma) 96

35. Demonetisation In Black Money & Effect On Economy (Dr. Archana Singhal) 101

36. Tribal Development Programmes And Policies During The Plan Period In India (Dr. Komal Sharma) 104

37. बड़वानी जिले में आधुनिक कृषि तकनीकों की प्रगति का उत्पादन एवं उत्पादकता पर प्रभाव (सुनिता सोलंकी, डॉ. संग्राम भूषण) 107

38. वस्तु और सेवा कर - साझा राष्ट्रीय बजार की ओर एक महत्वपूर्ण कदम (डॉ. अनामिका कौशिवा) 112

39. मध्यप्रदेश में औषधीय कृषि – अश्वगंधा के संदर्भ सहित (डॉ. शशि किरण नायक, डॉ. रोहिणी त्रिपाठी) 116

40. धार जिले में मनरेगा से गांवों में रोजगार सृजन – एक अध्ययन (डॉ. संग्राम भूषण, कृष्णा इस्के) 20

41. म.प्र. में पंचायती राज एवं ग्रामीण आर्थिक विकास (बड़वानी जिले के विशेष संदर्भ में) 123
(डॉ. मनोहर जैन, बसंता सोलंकी)

42. सिंचाई से फसलों तथा कृषि उत्पादन में परिवर्तन का तुलनात्मक अध्ययन– बैतूल जिले के सन्दर्भ में 126
(नरेन्द्र कुमार, रीमा नागवंशी)

43. भोपाल संभाग में कृषि क्षेत्र की आर्थिक समस्याएँ एवं चुनौती (वन्दना सोनी) 129

44. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का स्थान (डॉ. शशिकिरण नायक, डॉ. रोहिणी त्रिपाठी) 131

(Political Seience / राजनीति विज्ञान)

45. BREXIT : Impact On The European Union And The United Kingdom (Dr. Swati Thakur) 132

46. Legislative Control over Administration through Committee on Estimates 135
(Dr. Anvita Massand)

47. राजनीतिक कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व (भोपाल जिले के विशेष संदर्भ में) (संतोषी कैथल) 137

48. भारतीय जनजातीय परंपरा और भारतीय दर्शन (झाबुआ जिले की भील जनजाति के संदर्भ में) 140
(डॉ. शकुन शुक्ला, कीर्ति सिंगोरिया)

49. भारत में संविद सरकारें – एक समीक्षात्मक अध्ययन (लीला बिष्ट) 143

50. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की चुनौतियाँ एवं समाधान (लीला बिष्ट) 146

(History / इतिहास) **(Sociology / समाजशास्त्र)**

51. 1857 के महान विप्लव में सतपुड़ांचल की भूमिका (डॉ. संकेत कुमार चौकसे) 149

52. सालट जैन मूर्ति लेखों में उल्लिखित लम्बकंचुकान्वय (मनोज रिछारिया) 151

53. ब्रिटिशकाल में नरसिंहपुर जिले का नगरीय विकास (डॉ. भूषण कुमार कुरोठे) 154

54. ग्रामीण संरचना के विकास में स्व:सहायता समूहों का योगदान (विजयादित्य प्रधान) 156

55. शहडोल जिले के बैगा जनजाति की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन (अमरनाथ सिंह कमल) 159

56. वृद्धावस्था एवं संवैधानिक परिप्रेक्ष्य (सरोज वर्मा) 162

(Hindi Literature / हिन्दी साहित्य)

57. बुंदेली की दशा और दिशा (डॉ. अमित शुक्ल) 164

58. उज्जयिनी की साहित्यिक परम्परा में शैलेन्द्र पाराशर की रचनाओं का मूल्यांकन... 166
(डॉ. गणेशलाल जैन, सुरेश कुमार बैरागी)

58. कबीर के दोहो की वर्तमान उपदेयता (प्रीति बबेले) 169

60. साहित्यिक सांस्कृतिक परिदृश्य में बुन्देलखण्ड (डॉ. अमित शुक्ल) 171

61. नागार्जुन के कथा साहित्य में सर्वहारा के प्रति संवेदना (डॉ. विजयता पंडित) 173

(English Literature / अंग्रेजी साहित्य)

62. Theme Of Feminine Concern In Amitav Ghosh's Novels With Special Reference To 'In An Antique Land' And 'Sea Of Poppies' (Dr. Ritu Mittal) 175

(Sanskrit / संस्कृत)

63. तैत्तिरीयोपनिषद में ब्रह्मविद्या का अध्ययन (डॉ. बालकृष्ण प्रजापति) 178

64. जगद्गुरु आदि शंकराचार्य प्रणीत हठयोग–साधना (डॉ. पुनीत कुमार मिश्र) 181

65. भावदेव सूरि के काव्यगुण के स्वरूप का अध्ययन (रश्मि गुप्ता) 184

66. शतपथ ब्राह्मण में ब्रह्म का महत्व (विष्णु उपाध्याय) 186

67. शिशुपालवध महाकाव्य का महाकाव्यत्त्व (अनिल मुवेल) 188

68. ब्राह्मण ग्रन्थों में वैदिक मन्त्रों की व्याख्या (डॉ. बीना कुमारी यादव) 191

69. बालिका सशक्तिकरण एवं महिला मानवाधिकार एक सामान्य परिचय (डॉ. सरिता यादव) 193

(Drawing & Design / चित्रकला)

70. अवन्तिका(उज्जयिनी) की साहित्यिक और शैक्षणिक परम्परा (खुशबू जांगलवा, डॉ. रंजना वानखड़े) 195

71. आनंद के रंग– कोलाज कला के संग 'एक कलात्मक अध्ययन' (डॉ. यतीन्द्र महोबे) 198

72. मौर्यकालीन स्तूप का परिचय (सोनाली टोके) 200

73. प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला (नम्रता उपाध्याय, डॉ. अल्पना उपाध्याय) 202

74. होली दरवाजा का अलंकारिक सौन्दर्य – एक दृश्यात्मक समालोचन (रेखा गुप्ता) 204

(Education / शिक्षा)

75. कोटा संभाग के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों की दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रति जागरूकता व उपयोगिता का अध्ययन (डॉ. महावीर प्रसाद गुप्ता, शीला तिवारी) 206

76. बी.,चस प्रशिक्षार्णियों की जनसंचार माध्यमों के प्रति जागरूकता एवं शिक्षा पर प्रभाव (महेश चन्द्र शर्मा, डॉ. भंवर लाल नागदा) 209

77. उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की चिन्तन योग्यता एवं आत्मविश्वास में सम्बन्ध ज्ञात करना (डॉ. स्मिता भवालकर, रेखा चौर्डिया) 212

78. मानवाधिकार और महिलाएँ (आरती खंडेलवाल, अश्विनी कुमार गौड़) 215

79. शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त विद्यार्थियों के समायोजन का अध्ययन (डॉ. निरूपमा शर्मा, सीमा पालीवाल) 218

80. शिक्षाविद् श्री बालगोविन्द तिवारी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व (दीपेश कुमार भट्ट, डॉ. भँवरलाल नागदा) 220

(Law/ विधि)

81. Fair trial guarantee, limitation and judicial approach in India - a study (Lok Narayan Mishra) 222

82. Absolute Liability In India Necessity And Reforms (Aprajita Bhargava) 225

83. Doctrine Of Priority (Chirag Banthhiya) 227

84. Police Atrocities and Torture: A brief (Dr. Rajiv Jain) 230

85. Retention Or Abolition Of Death Penalty In India - A Study (Dr. Neelesh Sharma) 232

86. Unconstitutionality of 'Third degree" methods and use of fatal force by police (Dr. Rajiv Jain) 235

87. Consumer Protection Act 1986 - A Step Towards Upholding The Rights Of Consumers (Dr. Neelesh Sharma) 237

88. मानव अधिकार के सन्दर्भ में बाल श्रमिको का विश्नेषणात्मक अध्ययन (निशा कंथालिया) 240

(Physical Education / शारीरिक शिक्षा)

89. Relationship Between Playing Ability And Motor Fitness Components Of Volleyball Players (Dr. Ramneek Jain) 242

(Others / अन्य)

90. An Analytical Study of Status of Automation & Networking in Medical College Libraries of Madhya Pradesh (Ashish Dwivedi, Dr. Raj Boria) 244

91. Television Men's are not "Us': Pleasure, Oppositional Reading and men's lives in Anand Nagar (Deepika) 249

92. The Logic Of Annotated Portfolio - An Overview (Rajeev Kumar) 253

93. भारतीय भाषा-चिन्तन की रूपरेखा (डॉ. अर्चना कुमारी) 256

94. व्यक्तित्व निर्माण में आचार्य चाणक्य नीति की विवेचना (देवदास साकेत) 260

95. पुस्तकालय विज्ञान की व्यवहारिक उपयोगिता की सार्थकता (विपिन बिहारी मिश्र) 263

96. मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की वेशभूषा (शिवाँगी गुप्ता, डॉ. मीनाक्षी गुप्ता) 265

97. योग का अर्थ, इतिहास एवं परंपरा (डॉ. प्रतिभा नामदेव) 267

****

क्षेत्रीय सम्पादक मण्डल अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय (Regional Editor Board- International & National) मानद्

(01) डॉ. मनीषा ठाकुर .... फुल्टन कॉलेज, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी, अमेरिका
(02) श्री अशोककुमार .... एम्प्लॉयब्लिटी ऑपरेशन्स मैनेजर, एक्शन ट्रेनिंग सेन्टर लि. लन्दन, यूनाईटेड किंगडम
(03) प्रो. डॉ. सिलव्यू बिस्यू .... वाईस डीन (वाणिज्य एवं प्रबन्ध) कृषि एवं ग्रामीण विकास महाविद्यालय, बूचारेस्ट, रोमानिया
(04) श्री खगेन्द्रप्रसाद सुबेदी .... सीनियर सॉयकोलॉजिस्ट, पब्लिक सर्विस कमीशन, सेन्ट्रल ऑफिस, अनामनगर, काठमाँडू, नेपाल
(05) प्रो. डॉ. ज्ञानचंद खिमेसरा .... पूर्व प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.) भारत
(06) प्रो. डॉ. प्रमोद कुमार राघव .... शोध निदेशक, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्व विद्यालय, जयपुर (राज.) भारत
(07) प्रो. डॉ. एन.एस.राव. .... संचालक, जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत
(08) प्रो. डॉ. अनूप व्यास. .... (पूर्व) संकायाध्यक्ष, वाणिज्य, देवी अहिल्या विश्व विद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत
(09) प्रो. डॉ. पी.पी. पाण्डे .... संकायाध्यक्ष, वाणिज्य (डीन), अवधेश प्रतापसिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत
(10) प्रो. डॉ. संजय भयानी. .... अध्यक्ष, व्यवसाय प्रबंध विभाग, सौराष्ट्र विश्व विद्यालय, राजकोट (गुजरात) भारत
(11) प्रो. डॉ. प्रताप राव कदम .... अध्यक्ष, वाणिज्य, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र.) भारत
(12) प्रो. डॉ. बी.एस. झरे . ... प्राध्यापक वाणिज्य विभाग, श्री शिवाजी महाविद्यालय, आकोला (महाराष्ट्र) भारत
(13) प्रो. डॉ. राकेश शर्मा .... अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गुड़गांव (हरियाणा) भारत
(14) प्रो. डॉ. संजय खरे .... प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, शास. स्वशासी कन्या स्नात. उत्कृष्टता महा., सागर (म.प्र.) भारत
(15) प्रो. डॉ. आर.पी. उपाध्याय .... परीक्षा नियंत्रक, शासकीय कमलाराजे कन्या स्वशासी स्नातकोत्तर महा., ग्वालियर (म.प्र.) भारत
(16) प्रो. डॉ. प्रदीप कुमार शर्मा .... प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य महा., भोपाल (म.प्र.) भारत
(17) प्रो. अखिलेश जाधव .... प्राध्यापक, भौतिकी, शासकीय जे. योगानन्दम् छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) भारत
(18) प्रो. डॉ. कमल जैन .... प्राध्यापक, वाणिज्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.) भारत
(19) प्रो. डॉ.डी.एन. खड़से .... प्राध्यापक, वाणिज्य, धनवते नेशनल कॉलेज, नागपुर (महाराष्ट्र) भारत
(20) प्रो.डॉ. वन्दना जैन .... प्राध्यापक, हिन्दी, शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
(21) प्रो. डॉ. हरदयाल अहिरवार .... प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शहडोल (म.प्र.) भारत
(22) प्रो. डॉ. शारदा त्रिवेदी .... सेवानिवृत्त प्राध्यापक, गृहविज्ञान, इंदौर (म.प्र.) भारत
(23) प्रो. डॉ. उषा श्रीवास्तव .... अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेच्यूट स्टडी. सोलदेवानली, बैंगलुरू (कर्ना.) भारत
(24) प्रो. डॉ. गणेशप्रसाद दावरे .... प्राध्यापक, वाणिज्य, शासकीय महाविद्यालय, बड़वाह (म.प्र.) भारत
(25) प्रो. डॉ. एच.के. चौरसिया .... प्राध्यापक, वनस्पति, टी.एन.वी. महाविद्यालय, भागलपुर (बिहार) भारत
(26) प्रो. डॉ. विवेक पटेल .... प्राध्यापक, वाणिज्य, शासकीय महाविद्यालय, कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.) भारत
(27) प्रो. डॉ. दिनेशकुमार चौधरी .... प्राध्यापक, वाणिज्य, राजमाता सिन्धिया शासकीय कन्या महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत
(28) प्रो. डॉ. आर.के. गौतम .... प्राध्यापक ,वाणिज्य, शासकीय मानकुंवर बाई कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत
(29) प्रो. डॉ. जितेन्द्र के. शर्मा .... प्राध्यापक, वाणिज्य एवं प्रबंध, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय केन्द्र, पालवाल (हरियाणा) भारत
(30) प्रो. डॉ. गायत्री वाजपेयी .... प्राध्यापक, हिन्दी, शासकीय महाराजा स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) भारत
(31) प्रो. डॉ. अविनाश शेन्द्रे .... विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र, प्रगति कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, डोम्बीवली, मुम्बई (महाराष्ट्र) भारत
(32) प्रो. डॉ. जी.सी. मेहता .... पूर्व अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल वाणिज्य, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत
(33) प्रो.डॉ. बी.एस. मक्कड़ .... अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल वाणिज्य, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
(34) प्रो.डॉ. पी.पी. मिश्रा .... विभागाध्यक्ष, गणित, छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पन्ना, (म.प्र.) भारत
(35) प्रो.डॉ. सुनील कुमार सिकरवार.... प्राध्यापक, रसायन, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झाबुआ (म.प्र.) भारत
(36) प्रो.डॉ. के.एल. साहू .... प्राध्यापक, इतिहास, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.) भारत
(37) प्रो.डॉ. मालिनी जॉनसन .... प्राध्यापक, वनस्पति, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महू (म.प्र.) भारत
(38) प्रो.डॉ. विशाल पुरोहित .... एम.एल.बी. शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किला मैदान, इन्दौर (म.प्र.) भारत

सम्पादकीय सलाहकार मण्डल (Editorial Advisory Board, INDIA) मानद्

(01) प्रो. डॉ. नरेन्द्र श्रीवास्तव .... प्रसिद्ध वैज्ञानिक 'इसरो' बैंगलुरू (कर्नाटक) भारत

(02) प्रो. डॉ. आदित्य लूनावत .... निदेशक, स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल (म.प्र.) भारत

(03) प्रो. डॉ. संजय जैन .... पूर्व सहायक नियंत्रक, म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल (म.प्र.) भारत

(04) प्रो. डॉ.एस.के. जोशी .... पूर्व प्राचार्य, शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत

(05) प्रो. डॉ. जे.पी.एन. पाण्डेय .... पूर्व प्राचार्य, शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.) भारत

(06) प्रो. डॉ. सुमित्रा वास्केल .... प्राचार्य, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर(म.प्र.) भारत

(07) प्रो. डॉ. पी.आर. चन्देलकर ...... प्राचार्य, शासकीय कन्या महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत

(08) प्रो. डॉ. मंगल मिश्र .... प्राचार्य, श्री क्लॉथ मार्केट, कन्या वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

(09) प्रो. डॉ.आर.के. भट्ट .... पूर्व प्राचार्य, शासकीय महिला महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.) भारत

(10) प्रो. डॉ. अशोक वर्मा .... पूर्व संकायाध्यक्ष, वाणिज्य (डीन) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत

(11) प्रो. डॉ. टी.एम. खान .... प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, धामनोद, जिला-धार (म.प्र.) भारत

(12) प्रो. डॉ. राकेश ढण्ड .... संकायाध्यक्ष, विद्यार्थी कल्याण विभाग विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

(13) प्रो. डॉ. अनिल शिवानी .... अध्यक्ष, वाणिज्य एवं प्रबंध विभाग श्री अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

(14) प्रो. डॉ. पद्मसिंह पटेल .... अध्यक्ष, वाणिज्य विभाग शासकीय महाविद्यालय, महिदपुर (म.प्र.) भारत

(15) प्रो. डॉ. मंजु दुबे .... संकायाध्यक्ष (डीन), गृह विज्ञान संकाय, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

(16) प्रो. डॉ.ए.के. चौधरी .... प्राध्यापक, मनोविज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

(17) प्रो. डॉ. प्रदीप सिंह राव .... प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, सैलाना, जिला-रतलाम (म.प्र.) भारत

(18) प्रो. डॉ. पी.के. मिश्रा .... प्राध्यापक ,प्राणी शास्त्र, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैतूल (म.प्र.) भारत

(19) प्रो. डॉ. के. के. श्रीवास्तव .... प्राध्यापक ,अर्थशास्त्र, विजया राजे शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

(20) प्रो.डॉ. कान्ता अलावा .... प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान, शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

(21) प्रो. डॉ. एस. के. जैन .... प्राध्यापक ,वाणिज्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झाबुआ (म.प्र.) भारत

(22) प्रो. डॉ. किशन यादव .... एसोसिएट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान) शोध केन्द्र, बुन्देलखण्ड कॉलेज, झांसी (उ.प्र.) भारत

(23) प्रो. डॉ. बी.आर.नलवाया .... प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.) भारत

(24) प्रो. डॉ. नटवरलाल गुप्ता .... अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल वाणिज्य, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत

(25) प्रो.डॉ. पुरुषोत्तम गौतम .... संकायाध्यक्ष, वाणिज्य (डीन) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,इन्दौर (म.प्र.) भारत

(26) प्रो. डॉ. एस. सी. मेहता .... प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, शासकीय भगत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जावरा (म.प्र.) भारत

(27) प्रो.डॉ. तपन चौरे.................... अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, अर्थशास्त्र, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

****

निर्णायक मण्डल (Referee Board) मानद्

****** विज्ञान संकाय ******

गणित:- .... **(1) प्रो. डॉ.वी.के. गुप्ता**, संचालक वैदिक गणित एवं शोध संस्थान, उज्जैन (म.प्र.)

भौतिकी:- .... **(1) प्रो. डॉ. आर.सी. दीक्षित**, शासकीय होल्कर विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(2) प्रो.डॉ. नीरज दुबे, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

कम्प्यूटर विज्ञान:- .... **(1) प्रो. डॉ. उमेश कुमार सिंह**, अध्यक्ष कम्प्यूटर अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

रसायन:- .... **(1) प्रो. डॉ. मनमीत कौर मक्कड़**, शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्ज़ैन (म.प्र.)

वनस्पति:- .... **(1) प्रो. डॉ. सुचिता जैन**, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटा (राज.)
(2) प्रो.डॉ. अखिलेश आयाची, शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

प्राणिकी:- .... **(1) प्रो.डॉ. मंजुलता शर्मा**, एम.एस.जे., राजकीय महाविद्यालय, भरतपुर (राज.)
(2) प्रो. डॉ. अमृता खत्री, माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.)

सांख्यिकी:- .... **(1) प्रो. डॉ. रमेश पण्ड्या**, शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)

सैन्य विज्ञान:- .... **(1) प्रो. डॉ. कैलाश त्यागी**, शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)

जीव रसायन:- .... **(1) डॉ. कंचन डींगरा**, शासकीय एम.एच. गृह विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

भूगर्भ शास्त्र:- .... **(1) प्रो. डॉ. आर.एस. रघुवंशी**, शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. सुयश कुमार, शासकीय आदर्श महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

चिकित्सा विज्ञान:- .... **(1) डॉ. एच.जी. वरूधकर**, आर.डी. गारड़ी मेडिकल महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

सूक्ष्म जीव विज्ञान:- .... **(1) अनुराग झँवेरी**, बायो केयर रिसर्च (आई) प्रा.लि., अहमदाबाद (गुजरात)

****** वाणिज्य संकाय ******

वाणिज्य :- .... **(1) प्रो. डॉ. पी.के. जैन**, शासकीय हमीदिया महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. शैलेन्द्र भारल, शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(3) प्रो. डॉ. लक्ष्मण परवाल, शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)

****** प्रबंध एवं व्यवसाय प्रशासन संकाय ******

प्रबंध :- .... **(1) प्रो. डॉ. रामेश्वर सोनी**, अध्यक्ष अध्ययन शाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. आनन्द तिवारी, शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर कन्या उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

मानव संसाधन:- .... **(1) प्रो. डॉ. हरविन्दर सोनी**, पैसेफिक बिजनेस स्कूल, उदयपुर (राज.)

व्यवसाय प्रशासन:- .... **(1) प्रो. डॉ. कपिलदेव शर्मा**, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटा (राज.)

****** विधि संकाय ******

विधि:- .... **(1) प्रो. डॉ. एस.एन. शर्मा**, प्राचार्य, शासकीय माधव विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. नरेन्द्र कुमार जैन, प्राचार्य श्री जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर विधि महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)

****** कला संकाय ******

अर्थशास्त्र:- .... **(1) प्रो. डॉ. पी.सी. रांका**, श्री सीताराम जाजू शासकीय कन्या महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. जे.पी. मिश्रा, शासकीय महाराजा स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)
(3) प्रो. डॉ. अंजना जैन, एम.एल.बी. शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किला मैदान, इन्दौर (म.प्र.)

राजनीति:- .... **(1) प्रो. डॉ. रवींद्र सोहोनी**, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. अनिल जैन, शासकीय कन्या महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)
(3) प्रो. डॉ. सुलेखा मिश्रा, मानकुंवर बाई शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

दर्शनशास्त्र:- .... **(1) प्रो. डॉ. हेमन्त नामदेव**, शासकीय माधव कला-वाणिज्य-विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

समाजशास्त्र:- .... **(1) प्रो. डॉ. एच.एल. फुलवरे,** शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. इन्दिरा बर्मन, शासकीय गृह विज्ञान महाविद्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.)
(3) प्रो. डॉ. उमा लवानिया, शासकीय कन्या महाविद्यालय, बीना, जिला-सागर (म.प्र.)

हिन्दी:- .... **(1) प्रो. डॉ. चन्दा तलेरा जैन,** अध्यक्ष अध्ययन मण्डल, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र)
(2) प्रो. डॉ. जया प्रियदर्शनी शुक्ला, वनस्थली विद्यापीठ (राज.)
(3) प्रो. डॉ. कला जोशी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)

अंग्रेजी:- .... **(1) प्रो. डॉ. अजय भार्गव,** शासकीय महाविद्यालय, बड़नगर (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. मंजरी अग्निहोत्री, शासकीय कन्या महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.)

संस्कृत:- .... **(1) प्रो. डॉ. भावना श्रीवास्तव,** शासकीय स्वशासी महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. बालकृष्ण प्रजापति, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गंजबासौदा जिला विदिशा (म.प्र.)

इतिहास:- .... **(1) प्रो. डॉ. नवीन गिडियन,** शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

भूगोल:- .... **(1) प्रो. डॉ. राजेन्द्र श्रीवास्तव** शासकीय महाविद्यालय, पिपलियामण्डी, जिला मंदसौर (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. काजल मोइत्रा , डॉ. सी वी रामन् विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

मनोविज्ञान:- .... **(1) प्रो. डॉ. कामना वर्मा,** प्राचार्य, शासकीय राजमाता सिंधिया कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. सरोज कोठारी, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)

चित्रकला:- .... **(1) प्रो. डॉ. अल्पना उपाध्याय,** शासकीय माधव कला-वाणिज्य-विधि महाविद्यालय उज्जैन (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. रेखा श्रीवास्तव, महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)

संगीत:- .... **(1) प्रो. डॉ. भावना ग्रोवर (कथक),** स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ (उ.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. श्रीपाद अरोणकर, राजमाता सिन्धिया शासकीय कन्या महाविद्यालय, छिन्दवाडा (म.प्र.)

****** गृह विज्ञान संकाय ******

आहार एवं पोषण विज्ञान:- .... **(1) प्रो.डॉ. प्रगति देसाई,** शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. मधु गोयल, स्वामी केशवानन्द गृह विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर (राज.)
(3) प्रो. डॉ. संध्या वर्मा, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

मानव विकास:- .... **(1) प्रो. डॉ. मीनाक्षी माथुर,** अध्यक्ष, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (राज.)
(2) प्रो. डॉ. आभा तिवारी, अध्यक्ष अध्ययन मण्डल रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

पारिवारिक संसाधन प्रबंध:- ... **(1) प्रो. डॉ. मंजु शर्मा,** माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोती तबेला, इंदौर (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. नम्रता अरोरा, वनस्थली विद्यापीठ (राज.)

****** शिक्षा संकाय ******

शिक्षा .... **(1) प्रो. डॉ. मनोरमा माथुर,** मर्हीद्रा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बैंगलुरू (कर्नाटक)
(2) प्रो. डॉ. एन.एम.जी. माथुर, प्राचार्य एवं डीन पेसेफिक शिक्षा महाविद्यालय, उदयपुर (राज.)
(3) प्रो. डॉ. नीना अनेजा, प्राचार्य, ए.एस. कॉलेज ऑफ एजुकेशन,खन्ना (पंजाब)
(4) प्रो. डॉ. सतीश गिल, शिव कॉलेज ऑफ एजुकेशन, तिगाँव, फरीदाबाद (हरियाणा)

****** आर्किटेक्चर संकाय ******

आर्किटेक्चर .... **(1) प्रो. किरण पी. शिंदे ,** प्राचार्य, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, आई.पी.एस. एकडेमी, इंदौर (म.प्र.)

****** शारीरिक शिक्षा संकाय ******

शारीरिक शिक्षा .... **(1) प्रो. डॉ. जोगिंदर सिंह,** पेसेफिक विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.)

****** ग्रन्थालय विज्ञान संकाय ******

ग्रन्थालय विज्ञान .... **(1) डॉ. अनिल सिरौठिया,** शासकीय महाराजा महाविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

प्रवक्ता साथी (मानद्)

(01) प्रो. डॉ. देवेन्द्र सिंह राठौड़ .... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)
(02) प्रो. श्रीमती विजया वधवा .... शासकीय कन्या महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)
(03) डॉ. सुरेंद्र शक्तावत .... ज्ञानोदय इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, नीमच (म.प्र.)
(04) प्रो. डॉ. देवीलाल अहीर .... शासकीय महाविद्यालय, जावद, जिला नीमच (म.प्र.)
(05) श्री आशीष द्विवेदी .... शासकीय महाविद्यालय, मनासा, जिला नीमच (म.प्र.)
(06) प्रो. डॉ. मनोज महाजन .... शासकीय महाविद्यालय, सोनकच्छ, जिला देवास (म.प्र.)
(07) श्री उमेश शर्मा .... कृष्णा शिक्षा महाविद्यालय, जावी, जिला- नीमच (म.प्र.)
(08) प्रो. डॉ. एस.पी. पंवार .... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)
(09) प्रो. डॉ. पूरालाल पाटीदार .... शासकीय कन्या महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)
(10) प्रो. डॉ. क्षितिज पुरोहित .... जैन कला-वाणिज्य-विज्ञान महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)
(11) प्रो. डॉ.एन.के. पाटीदार .... शासकीय महाविद्यालय, पिपलियामंडी, जिला मन्दसौर (म.प्र.)
(12) प्रो. डॉ. वाय.के. मिश्रा .... शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)
(13) प्रो. डॉ. सुरेश कटारिया .... शासकीय कन्या महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)
(14) प्रो. डॉ. अभय पाठक .... शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)
(15) प्रो. डॉ. मालसिंह चौहान .... शासकीय महाविद्यालय, सैलाना, जिला रतलाम (म.प्र.)
(16) प्रो. डॉ. गेंदालाल चौहान .... शासकीय विक्रम महाविद्यालय, खाचरौद, जिला उज्जैन (म.प्र.)
(17) प्रो. डॉ. प्रभाकर मिश्र .... शासकीय महाविद्यालय, महिदपुर, जिला उज्जैन (म.प्र.)
(18) प्रो. डॉ. प्रकाश कुमार जैन .... शासकीय माधव कला वाणिज्य विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(19) प्रो. डॉ. कमला चौहान .... शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(20) प्रो. डॉ.आभा दीक्षित .... शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(21) प्रो. डॉ. पंकज माहेश्वरी .... शासकीय महाविद्यालय, तराना, जिला उज्जैन (म.प्र.)
(22) प्रो. डॉ. डी.सी. राठी .... स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, इंदौर
(23) प्रो. डॉ. अनिता गगराड़े .... शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(24) प्रो. डॉ. संजय पंडित .... शासकीय एम.जे.बी. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.)
(25) प्रो. डॉ. रामबाबू गुप्ता .... शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(26) प्रो. डॉ. अंजना सक्सैना .... शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)
(27) प्रो. डॉ. सोनाली नरगुन्दे .... पत्रकारिता एवं जनसंचार अध्ययनशाला देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)
(28) प्रो. डॉ. भारती जोशी .... आजीवन शिक्षण विभाग देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(29) प्रो. डॉ. एम.डी. सोमानी .... शासकीय एम.जे.बी. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.)
(30) प्रो. डॉ. प्रीति भट्ट .... शासकीय एन.एस.पी. विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(31) प्रो. डॉ. संजय प्रसाद .... शासकीय महाविद्यालय, सांवेर, जिला इन्दौर (म.प्र.)
(32) प्रो. डॉ. मीना मटकर .... सुगनीदेवी कन्या महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(33) प्रो. मोहन वास्केल .... शासकीय महाविद्यालय, थांदला, जिला – झाबुआ (म.प्र.)
(34) प्रो. डॉ. नितिन सहारिया .... शासकीय महाविद्यालय, कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.)
(35) प्रो. डॉ. मंजु राजोरिया .... शासकीय कन्या महाविद्यालय, देवास (म.प्र.)
(36) प्रो. डॉ. शहजाद कुरैशी .... शासकीय नवीन कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, मूंदी, जिला खण्डवा (म.प्र.)
(37) प्रो. डॉ. शैल बाला सांधी .... महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
(38) प्रो. डॉ. प्रवीण ओझा .... श्री भगवत सहाय शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)
(39) प्रो. डॉ.ओमप्रकाश शर्मा .... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, श्योपुर (म.प्र.)
(40) प्रो. डॉ. एस.के. श्रीवास्तव .... शासकीय विजया राजे कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)
(41) प्रो. डॉ. अनूप मोघे .... शासकीय कमलाराजे कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)
(42) प्रो. डॉ. हेमलता चौहान .... शासकीय महाविद्यालय, बड़नगर (म.प्र.)
(43) प्रो. डॉ. महेशचन्द्र गुप्ता .... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.)
(44) प्रो. डॉ. मंगला ठाकुर .... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वाह, जिला खरगोन (म.प्र.)
(45) प्रो. डॉ. के.आर. कुम्हेकर .... शासकीय महाविद्यालय, सनावद, जिला खरगोन (म.प्र.)
(46) प्रो. डॉ. आर.के. यादव .... शासकीय कन्या महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.)
(47) प्रो. डॉ. आशा साखी गुप्ता .... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.)

(48) प्रो. डॉ. बी. एस. सिसोदिया .... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.)
(49) प्रो. डॉ. प्रभा पाण्डेय .... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मैहर, जिला- सतना (म.प्र.)
(50) डॉ. राजेश कुमार .... शासकीय महाविद्यालय अमरपाटन, जिला-सतना (म.प्र.)
(51) प्रो. डॉ. रावेन्द्रसिंह पटेल .... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.)
(52) प्रो. डॉ. मनोहरलाल गुप्ता .... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजगढ़ ब्यावरा (म.प्र.)
(53) प्रो. डॉ. मधुसुदन प्रकाश .... शासकीय महाविद्यालय, गंजबासोदा, जिला-विदिशा (म.प्र.)
(54) प्रो. युवराज श्रीवास्तव .... सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, कोटा-बिलासपुर (छ.ग.)
(55) प्रो. डॉ. सुनील वाजपेयी .... शासकीय तिलक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कटनी (म.प्र.)
(56) प्रो. डॉ. ए.के. पाण्डे .... शासकीय कन्या महाविद्यालय, सतना (म.प्र.)
(57) प्रो. डॉ. यतीन्द्र महोबे .... शासकीय महिला महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.)
(58) प्रो. डॉ. शशि प्रभा जैन .... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आगर-मालवा (म.प्र.)
(59) प्रो. डॉ. नियाज अंसारी .... शासकीय महाविद्यालय,सिंहावल, जिला सीधी (म.प्र.)
(60) प्रो. डॉ. अर्जुनसिंह बघेल .... शासकीय महाविद्यालय, हरदा (म.प्र.)
(61) डॉ. सुरेश कुमार विमल .... शासकीय महाविद्यालय, भैंसादेही, जिला बैतूल (म.प्र.)
(62) प्रो. डॉ. अमरचन्द्र जैन .... शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)
(63) प्रो. डॉ. रश्मि दुबे .... शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)
(64) प्रो. डॉ. ए.के. जैन .... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बीना, जिला- सागर (म.प्र.)
(65) प्रो. डॉ. संध्या टिकेकर .... शासकीय कन्या महाविद्यालय, बीना, जिला- सागर (म.प्र.)
(66) प्रो. डॉ. राजीव शर्मा .... शासकीय नर्मदा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.)
(67) प्रो. डॉ. रश्मि श्रीवास्तव .... शासकीय गृह विज्ञान महाविद्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.)
(68) प्रो. डॉ. लक्ष्मीकांत चंदेला .... शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छिंदवाड़ा (म.प्र.)
(69) प्रो. डॉ. बलराम सिंगोतिया .... शासकीय महाविद्यालय सौंसर, जिला-छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
(70) प्रो.डॉ. विम्मी बहल .... शासकीय महाविद्यालय, काला पीपल, जिला - शाजापुर (म.प्र.)
(71) प्रो. डॉ. अमित शुक्ल .... शासकीय ठाकुर रणमतसिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
(72) प्रो. डॉ. मीनू गजाला खान .... शासकीय महाविद्यालय, मक्सी, जिला-शाजापुर (म.प्र.)
(73) प्रो. डॉ. पल्लवी मिश्रा.................................. शासकीय महाविद्यालय, नई गढ़ी, जिला- रीवा (म.प्र.)
(74) प्रो. डॉ. एम.पी. शर्मा .... शासकीय महाविद्यालय, दतिया (म.प्र.)
(75) प्रो. डॉ. जया शर्मा....................................... शासकीय कन्या महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.)
(76) प्रो. डॉ. सुशील सोमवंशी .... शासकीय महाविद्यालय, नेपानगर, जिला बुरहानपुर (म.प्र.)
(77) प्रो. डॉ. इशरत खान .... शासकीय महाविद्यालय, रायसेन (म.प्र.)
(78) प्रो. डॉ. कमलेशसिंह नेगी .... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.)
(79) प्रो. डॉ. भावना ठाकुर.................................. शासकीय महाविद्यालय रेहटी, जिला सीहोर (म.प्र.)
(80) प्रो. डॉ. केशवमणि शर्मा .... पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शाजापुर (म.प्र.)
(81) प्रो. डॉ. रेणु राजेश .... शासकीय नेहरू अग्रणी महाविद्यालय, अशोक नगर (म.प्र.)
(82) प्रो. डॉ. अविनाश दुबे .... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र.)
(83) प्रो. डॉ. वी.के. दीक्षित .... छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पन्ना (म.प्र.)
(84) प्रो. डॉ. राम अवेधश शर्मा .... एम.जे.एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिण्ड (म.प्र.)
(85) प्रो. डॉ. मनोज कुमार अग्निहोत्री .... सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
(86) प्रो. डॉ. समीर कुमार शुक्ला .... शासकीय चन्द्र विजय महाविद्यालय, डिण्डोरी (म.प्र.)
(87) प्रो. अपराजीता भार्गव .... अध्यापक ,आर. डी. पब्लिक स्कूल, बैतूल (म.प्र.) भारत
(88) प्रो. डॉ. अनूप परसाई .... शासकीय जे. योगानन्दन छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)
(89) प्रो. डॉ. अनिलकुमार जैन .... वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (राज.)
(90) प्रो. डॉ. अर्चना वशिष्ठ .... राजकीय राजऋषि महाविद्यालय अलवर (राज.)
(91) प्रो. डॉ. कल्पना पारीख .... एस.एस.जी. पारीख स्नातकोत्तर कॉलेज, जयपुर (राज.)
(92) प्रो. डॉ. गजेन्द्र सिरोहा................................ पेसिफिक विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.)
(93) प्रो. डॉ. कृष्णा पैन्सिया .... हरिश आंजना महाविद्यालय, छोटीसादड़ी, जिला- प्रतापगढ़ (राज.)
(94) प्रो. डॉ. प्रदीप सिंह .... केंद्रीय विश्व विद्यालय हरियाणा, महेंद्रगढ़ (हरियाणा)
(95) प्रो. डॉ. स्मृति अग्रवाल .... शोध सलाहकार, नई दिल्ली
(96) प्रो. डॉ. कविता भदौरिया .... शासकीय कन्या महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

Phytochemical Estimation In Seed Extract Of *Psoralea Corylifolia* Linn.

Dr. Mukta Shrivastava * Nelofar Gulam Nabi **

Abstract - Seeds of *Psoralea corylifolia* Linn.. are quite evident from the literatures surveyed that the plant possess antibacterial, and antioxidant activity and therefore the extracts of the herb alone or in combination may have the potential to treat many disease in an effective manner without exhibiting side effect or toxicity as indicated by synthetic molecules. The aim of our study is to provide scientific evidence concerned to the medicinal values of this herb. In this study, the ethanolic extract of Seeds from *Psoralea corylifolia* a traditional Chinese medicine, was evaluated for. phytochemical analysis revealed the presence of phenols, flavonoids, alkaloids, and proteins in the extract; Ethanolic extracts showed higher contents of both total phenolics and flavonoids.
Key Words - *Psoralea corylifolia,* Phytochemical analysis, antioxidant and antimicrobial properties. Phenols, flavonoids, alkaloids, and proteins.

Introduction - Medicinal plants have been source of wide variety of biologically active compounds for many centuries and used extensively as crude material or as pure compounds for treating various disease conditions **(Arif *et al.,* 2009).**The use of herbal medicines becoming popular due to toxicity and side-effects of allopathic medicines. Medicinal plants play an important role in the development of potent therapeutic agents. There are over 1.5 million practitioners of traditional medicinal system using medicinal plants in preventive, promotional and curative applications **(Dasilva 1999).** India with its biggest repository of medicinal plants in the world may maintain an important position in the production of raw materials either directly for crude drugs or as the bioactive compounds in the formulation of pharmaceuticals and cosmetics etc **(Tiwari 2008).**

Psoralea corylifolia Linn. Is medicinally important plant found in tropical and subtropical regions of the world Its medicinal usage is reported in Indian pharmaceutical codex, the Chinese, British and the American pharmacopoeias and in different traditional system of medicines such as Ayurveda, Unani and Siddha. From its traditional uses in health care and food, extensive phytochemical studies have been reported .The studies reveals that wide ranges of phytochemical constituents have been isolated from the plant and it possesses important activities like antimicrobial, antibacterial, antifungal anti-inflammatory and antitumor. Hepatoprotective, antioxidant, anti psoriasis, anthelminitic, antidiabetic, immunomodulatory activities anti AIDS etc. Considering data from the literature, it could be demonstrated that *psoralea corylifolia* possesses diverse bioactive properties and immense utilization in medicine, health care, cosmetics and as health supplements. As a health food, it is enriched with high therapeutic value with high potential for further development. The major active constituents of *Psoralea.corylifolia* are corylifols a-c (prenylfoavanoids) that are present in the seeds **(Yin s et al 2004).** A number of chemical constituents, including flavonoids and coumarins, have been isolated from this plant.

Some of these compounds exhibit antioxidant **(GUO et al 2005),** antiplatelet (**Tsai et al 1996**) estrogenic **(Lim et al 2011)**, immunomodulatory, and antitumor properties **.(Latha et al 2000)** Antibacterial effects of several constituents on *Staphylococcus aureus* and *S. epidermidis* **(Yin et al 2004)** have been reported. A previous report showed that bakuchiol, the main constituent, was also effective on methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA) (**Chopra ,B etbal 2013**). *Staphylococcus aureus* causes a variety of human diseases, ranging from minor skin infections to severe sepsis, and MRSA has become one of the most frequently encountered antibiotic-resistant bacteria (**Agnalett et al 2014).** Several prenylated phenolics obtained from licorice have shown noticeable antibacterial effects on MRSA (**Hatano et al 2000**). Since a number of prenylflavonoids and related compounds were isolated from *Psoralea. corylifolia* **(Yin et al 2004)(Chang et al 2007)(wang et al 2004)** this plant species is expected to be a resource of lead compounds for new anti-MRSA drugs. Previous studies reported the presence of several new and known compounds like, furanocoumarins (**Rajput S.J et al 2008)**, prenyl flavonoids(**Yins et al 2004**), aromatic

*Govt. M.L.B. P. G. Girls College, Bhopal (M.P.) INDIA
** Govt. M.L.B. P. G. Girls College, Bhopal (M.P.) INDIA

terpenoids and chromenes**(Amit ,T et al 2010).**Several chemical compounds were identified and documented from the *Psoralea corylifolia* including flavonoids (bavachalcone, bavachinin, bavachin, corylin, and 6-prenylnaringenin etc.), coumarins (psoralidin, psoralen, isopsoralen and angelicin) and meroterpenes (bakuchiol and 3-hydroxybakuchiol) (**Kaufman et al 1997)** Medicinal value of plants lies in the presence of chemical substances that produce a definite physiological action on the human body. The most important bioactive compounds include alkaloids, flavonoids, tannins and phenolic compounds. Thus plants extracts and plant compounds could serve as alternatives in anti-infective therapy of diseases caused by multidrug resistant organisms.

Material and method -

Collection of Plant material - Seeds of *Psoralea corylifolia*. were collected from ruler Sanjeevni nursery Bhopal (M.P), India .in the month of octuber 2016.

Extraction procedure (Mukharjee, 2007) - Following procedure was adopted for the preparation of methanol extracts from the shade dried and powdered seeds*:*

Defatting of Plant Material - Powdered seed material of. *Psoralea corylifolia*. were shade dried at room temperature. The shade dried plant material was coarsely powdered and subjected to extraction with petroleum ether in a soxhlet apparatus. The extraction was continued till the defatting of the material had taken place.

Extraction by hot continuous percolation process - Fifty grams. (50gms)of *Psoralea corylifolia* L. dried seeds were exhaustively extracted with various solvent Chloroform, Ethyl Acetate, Ethanol and water and using different drug: solvent ratios using hot continuous percolation for different time. The extracts were evaporated above their boiling points finally the percentage yields were calculated of the dried extracts

Determination of Percentage yield - Calculation of percentage yield

The percentage yield of yield of each extract was calculated by using formula:

$$\text{Percentage yield} = \frac{\text{Weight of extract x 100}}{\text{Weight of powdered drug take}}$$

4.5 Qualitative Phytochemical Tests (Khandelwal, 2005, Kokate, 1994 and Tiwari *et al.,* 2008) - The extracts were subjected to various qualitative tests to detect the presence of plant constituents. The results have been shown in table.

4.5.1 Preparation of Test Solution - The test solution was prepared by taking one gram of the extract in 25 ml of methanol.

Test for Carbohydrates - Following tests were carried out for carbohydrates.

Molisch's test - In a test tube containing extract of drug, added two drop of freshly prepared 20% alcoholic solution of a- napthol and mixed concentrated sulphuric acid along the sides of the test tube. If carbohydrate present purple color or reddish violet color produce at the junction between two liquids.

Benedict's test - In a test tube containing extract of drug add Benedict's solution, mix well, boiled the mixture vigorously for two minutes and then cooled. Formation of red precipitate due to presence of carbohydrates.

Barfoed's test - The barfoed's solution added to 0.5 ml of solution under examination, heated to boil. Formation of red precipitate of copper oxide was indicated the presence of carbohydrates.

Anthrone test - To the two ml of anthrone test solution, add the extract of drug. A green or blue colour indicated the presence of carbohydrate.

Test for Alkaloids -

Dragendorff's Test - Few mg of extract of the drug dissolved in 5 ml of water added 2 M hydrochloric acid until an acid reaction occurred; 1 ml of Dragendorff's reagent (potassium bismuth iodide solution) was added an orange red precipitate indicated the presence of alkaloids.

Wagner's test - Acidify the extract of drug with 1.5 % v/v of hydrochloric acid and added a few drop of Wagner's reagent (iodine potassium iodide solution). Formations of reddish brown precipitate indicated the presence of alkaloids.

Mayer's Test - Two ml of extract solution was treated with 2 - 3 drops of Mayer's reagent was added (potassium mercuric iodide solution) formation of dull white precipitate indicated the presence of alkaloid.

Hager's Test - Extract of the drug solution was treated with 3 ml of Hager's reagent (saturated solution of picric acid) formation of yellow precipitate confirmed the presence of alkaloids.

Test for Steroids and Sterols -

Liebermann's Burchard reaction -The test extract solution was dissolved in 2 ml of chloroform in a dry test tube. Now 10 drops of acetic anhydride and 2 drops of concentrated sulphuric acid were added. The solution became red, then blue and finally bluish green in color.

Salkowsky test - The extract of test solution dissolved in chloroform and equal volume of conc. sulphuric acid was added. Bluish red cherry, red and purple color was noted in chloroform layer, whereas acid assumes marked green fluorescence.

Test for Glycosides -

Legal's test - Extract solution dissolved in pyridine then sodium nitroprusside solution was added to it and made alkaline. Pink red colour indicated the presence of glycosides.

Baljet's test - To the drug extract, sodium picrate solution was added, yellow to orange colour was indicated the presence of glycosides.

Borntrager's test - Few ml of dilute sulphuric acid solution, the test solution of extract was added. It was filtered and the filtrate was boiled with ether or chloroform. Then organic layer was separated to which ammonia was added, pink, red or violet colour was produced in orange layer confirmed the presence of glycosides.

Keller Kiliani test - Methanolic extract was dissolved in glacial acetic acid containing trace of ferric chloride one ml concentrated sulphuric acid was added carefully by the side of the test tube. A blue colour in the acetic acid layer and red colour at the junction of the two liquid indicated the presence of glycosides.

Test of Saponins -

- 1 ml of alcoholic extract was diluted with 20 ml distilled water and shaken in graduated cylinder for 15 minutes. One cm layer of foam indicated the presence of saponins.

Test for Flavanoids -

Shinoda test - In the test tube containing alcoholic extract of the drug added 5 - 10 drops of dil. hydrochloric acid followed by the small piece of magnesium. In presence of flavonoids a pink, reddish pink or brown color was produced.

Test for Tannins -

- To the sample of the extract, ferric chloride solution was added appearance of dark blue or greenish black colour indicated the presence of tannins.
- To the sample of extract, potassium cyanide was added, deep red colour was confirmed the presence of tannins.
- To the sample of extract, potassium dichromate solution was added, yellow precipitate was produced.

Test for Triterpenoids -

- In the test tube, 2 or 3 granules of tin was added, and dissolved in 2 ml of thionyl chloride solution and test solution was added. Pink colour was produced which indicates the presence of triterpenoids.
- Two ml of acetic anhydride solution was added to 1 ml of extract of drug in chloroform followed by one ml of conc. sulphuric acid, a violet colored ring was formed indicating presence of triterpinoid.

Test for Protein and Amino acid -

Biuret's test - To 2 - 3 ml of the extract of drug added in 1 ml of 40 % sodium hydroxide solutions and 2 drops of 1 % copper sulphate solution mix thoroughly, a purplish - violet or pinkish - violet colour produced that indicates the presence of proteins.

Ninhydrin's test - Two drops of freshly prepared 0.2 % ninhydrin reagent was added to the extract and heated to boiling for 1 - 2 min. and allow cooling. A blue colour developed that indicating the presence of proteins, peptides or amino acids.

Xanthoprotein test - To the extract in a test tube, add conc. nitric acid. A white precipitate was obtained and upon heating turns to yellow and cool the solution carefully. Added 20 % of sodium hydroxide solution in excess orange colour indicated presence of aromatic amino acid.

Millon's test - The small quantity of extract of the drug dissolved in distilled water added 5 - 6 drop of millon's reagent. A white precipitate was formed which turned red on heating, indicated the presence of proteins.

Lead Acetate test -The extract was taken and two ml of 40 % sodium hydroxide solution was added and boiled, glacial acetic acid was added and cooled than added 1 ml of lead acetate solution, gray black precipitate was formed which indicated presence of sulphur containing amino acid.

Test of Resins - Dissolved the extract in the acetone and pore the solution in the distilled water. Turbidity indicated the presence of resin.

Test of Fats or Fixed oils -

- **Using sodium hydroxide -** The extract was mixed in one ml 1 % of copper sulphate solution then added 10 % sodium hydroxide solution a clear blue solution was obtain which showed glycerin present in sample.
- **Using sodium hydrogen sulphate -** The extract was taken in test tube added a pinch of sodium hydrogen sulphate pungent odour was formed which showed glycerin present in sample.

Saponification - Four ml of 2 % sodium carbonate solution was taken and the extract was added. Shaked vigorously and boiled. A clean soapy solution was formed cooled and added few drops of conc. HCl and observed that fatty separate out and float up.

Table 1. (See in the next page)

References :-

1. **Arif T, Bhosale JD, Kumar N, Mandal TK, Bendre RS, Lavekar GS and Dabur R**. Natural Products-antifungal agents derived from plants. Journal of Asian Natural Products Research. 2009;7:621-638.
2. **Agnoletti, F.; Mazzolini, E.; Bacchin, C.; Bano, L.; Berto, G.; Rigoli, R.; Muffato, G.; Coato, P.; Tonon, E.; Drigo, I.** First reporting of methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA) ST398 in an industrial rabbit holding and in farm-related people. *Vet. Microbiol.* **2014**, *170*, 172–177
3. **Amit T,Bhakuni R.S.,**New Constiuents from *Psoralea corylifolia*,Ind.J.Chem 49B(2),256-259 (2010)
4. **Chopra, B.; Dhingra, A.K.; Dhar, K.L.** Antimicrobial activity of *Psoralea corylifolia* Linn. (Baguchi) seeds extracts by organic solvents and supercritical fluids. *Int. J. Pharm. Clin. Res.***2013**, *5*, 13–16.
5. **Cheng, Z.W.; Cai, X.F.; Dat, N.T.; Hong, S.S.; Han, A.R.; Seo, E.K.; Hwang, B.Y.; Nan, J.X.; Lee, D.; Lee, J.J.** Bisbakuchiols A and B, novel dimeric meroterpenoids from *Psoralea corylifolia*. *Tetrahedron Lett.* **2007**, *48*, 8861–8864.
6. **Dasilva EJ.** Medicinal plants: a reemerging health aid, Electronic Journal of Biotechnology. 1999;2:57-70.
7. **Guo, J.N.; Weng, X.C.; Wu, H.; Li, Q.H.; Bi, K.S.** Antioxidants from a Chinese medicinal herb—*Psoralea corylifolia* L. *Food Chem.* **2005**, *91*, 287–292.
8. **Hatano, T.; Shintani, Y.; Aga, Y.; Shiota, S.; Tsuchiya, T.; Yoshida, T.** Phenolic constituents of licorice. VIII. Structures of glicophenone and glicoisoflavanone, and effects of licorice phenolics on methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*. *Chem. Pharm. Bull.* **2000**, *48*, 1286–1292.
9. **Kaufman, PB; Duke, JA; Brielmann, H; Boik, J; Hoyt, JE** ("A comparative survey of leguminous plants

as sources of the isoflavones, genistein and daidzein: Implications for human nutrition and health". Journal of alternative and complementary *medicine :* 1997 **3** (1): 7–12.

10. **Latha, PG, Evans DA, Panikkar KR and Jayavardhanan KK.** Immunomodulatory and antitumor properties of *Psoralea corylifolia* seeds. Fitoterapia. 2000;71:223-231.
11. **Lim, S.H.; Ha, T.Y.; Ahn, J.; Kim, S.** Estrogenic activities of *Psoralea corylifolia* L. seed extracts and main constituents. *Phytomedicine* **2011**, *18*, 425–430.. .
12. **Khandelwal, K.R. (2005)** Practical Pharmacognosy, Technique and Experiments, 23rd Edn: 15, 29, 149, 56, (2005).
13. **Kokate, C.K. (1994).** Practical Pharmacognosy, 4th Edn., Vallabh Prakashan: 112-120.
14. **Mukherjee, P. K., (2007).** "Quality Control of Herbal Drugs", 2nd Edition, Business Horizons, 2-14.
15. **Tiwari S.** Plants: a rich source of herbal medicines. Journal of Natural Products. 2008;1:27-35.
16. **Rajput S,J,Vijaya z and Pallavi R,**Studies on extraction ,isolation and estimation of *Psoralea corylifolia* ,pharmcog.Magazine,4(1),13-18(2008)
17. **Wang, X.; Wang, Y.; Yuan, J.; Sun, Q.; Liu, J.; Zheng, C.** An efficient new method for extraction, separation and purification of psoralen and isopsoralen from Fructus Psoraleae by supercritical fluid extraction and high-speed counter-current chromatography. *J. Chromatogr.* ***A*** **2004,** ***1055***, 135–140.
18. **Yins,fan C.Q-Wang y,Dong L, Yue J.M,**Antibacterial Prenylflavone derivatives from *Psoralea corylifolia* and their structure activity relationship study,Bioorg Med,Chem,12(16) 4387-4392 (2004).

Table 1. Results of Phytochemical Screening

S.No.	Constituents	Pet.Ether	Chloroform	Ethylacetate	Ethanol	Aqueous
1	Alkaloids	-	-	-	+	+
2	Glycosides	-	-	-	+	-
3	Flavonoids	-	-	-	+	+
4	Phenolics	-	-	+	+	+
5	Carbohydrate	-	-	-	-	-
6	Proteins	+	-	-	+	-
7	Saponins	-	-	-	-	+

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) July to September 2017, Vol. II

Microbiological and Physico- Chemical Aspects of Betwa River of District Vidisha (M.P.)

Shobha Shrivastava *

Abstract - The main object of this Research work is to study the pollution load on Betwa River, in Vidisha region. The object of this work includes the preliminary survey to find out the extent of pollution being caused by Industrial and domestic wastes, drinking water quality and possible sources of contamination.

The need of water for irrigation, industrial and other purpose is met from Betwa River which also caters the drinking water need of Vidisha city. An attempt has been made in the present study to evaluate the water quality of Betwa River flowing through Vidisha district.

To asses our aim samples were collected from three sampling stations after analysis we found that sample (S_3) shows very high pollution load therefore, water should be treated before consumption to minimize the pollution load.

Introduction - Vidisha is a historically famous city situated on the bank of Betwa River, at a distance of about 65 Km. from the Bhopal Township. Betwa river is the third largest river of Malwa region , originating at small village Jhim Balod (Tehsil Gohargang),Distt. Raisen ,about 20 km from Mandideep .Its origin is locate at ltitude 23.2^0 N and longitude 77.24^0 E ., after flowing about 513 Km it meets with Yamuma river at the Ghatampur, Distt. Hamirpur (U.P.). The river Betwa is one of the most important and sacred river of Madhya Pradesh. It is also known as "Vaitravati". River water is used for domestic, Industrial, Agricultural and recreational purpose. Unfortunately it is being polluted through a number of polluting sources[1]. Pollution brings about undesirable changes in biological ,physical and chemical characteristics of water. The health critically depends upon the availability and quality of drinking water. Due to increasing industrialization and other developmental activities most of our water bodies such as ponds, lakes, strains and rivers have become polluted. The river is also getting polluted due to disposal of burnt and unburned human and animal carcasses and run-off from agricultural field`s containing pesticides and other agrochemicals[2]. Due to several incidence have been continued happened in last few years, related to Betwa pollution like the color of water was changed in to brown and thousands of fishes, crabs and other aquatic fauna were died in and around the river bed. The purpose of present investigation was to assess the extent of the physico-chemical and microbiological pollution of Betwa river.

Material and Methods - For this study, 3 sampling stations were taken at different points on the water flow. The sampling points were chosen considering the location of nearby villages, bathing zone areas, domestic and agricultural wastes, which join the river and are responsible for pollution load in the river water. They are station S1, which is situated upstream of the city, where river water is somewhat pure. Station S2 burnt and unburnt dead bodies disposal site, and water is polluted ,StationS3 a distance of 1km down stream from the site S2,where river bank is highly polluted ,covering a total distance of near by 6km,along with the river bank .Station S1 considered as control site while other two stations S2&S3 were polluted site . The water samples were collected in the second week of each month for a period of one year from November 2015 to October2016.

The samples were collected in Borosilicate bottles and were totally preserved during its transportation and were analyzed in laboratory within the stipulated time as per APHA 1986. The methods were followed as standard methods prescribed in APHA, BIS and WPCF.

Microbiological characteristics of water - The total microbial count procedure provides a standardized means of determining the density of aerobic facultative anaerobic and heterotrophic bacteria in water. Mahanta (1984) showed that the presence of Coliform organism in water is an indicative of the water being contaminated with fecal matter. Coliform count performed by the potable number (MPN) method is the commonly used indicator of pot ability of water[3].

Results and Discussion - Table shows the results of Betwa river water for the three seasons of the year 2015-2016.The data reveals that the temperature of water ranges from a minimum of 20.5 ^{0}C in winter season at site S1 to a maximum of 32.8 ^{0}c in summer season at site S1.Temperature influences the biological reactions in water .Its rise accelerates the chemical reactions in water & also increases solubility of gases &dissolved Oxygen .The findings are similar to study of Upadhyay & Ray (1982),

* S.N.G.G.P.G. (Auto) College, Bhopal (M.P.) INDIA

and Shukla et.al(1989)[4].Temperature of river water showed positive relationship with Ph, TURBIDITY, and total alkalinity .Highly alkality of water is not fit for drinking water. Dissolved oxygen is one of the most important parameter in water quality studies. It influences the distribution and abundance of algae population and is bringing about various bio-chemical changes. The dissolved oxygen value of water showed a variation from a minimum of 3.5 mg/L. During summer season at site S_2 to a maximum of 7.9 mg/L during winter season. The lower D.O. values observed during summer season may be attributed to the higher temperature coupled with the enhanced activities of micro-organisms.[5]

The levels of B.O.D. and C.O.D. indicate the magnitude of pollution. Maximum B.O.D and C.O.D. values were observed (39.2 mg/L and 102 mg/L respectively) during summer season site to whereas minimum values (2.5 mg/L and 7.5 mg/L respectively), during rainy season at site S_1. Much difference was observed at different sites at different seasons (Table-1). In summer season at all the sites is possibly due to higher organic load associated with reduced river flow.[6]

C hloride content of the water ranged from a lowest of 32.2 mg/L in rainy season at site 2 to highest of 62.8 mg/L at site 1 in summer season. The lower values of chloride at all the site in rainy season are because of the dilution of water by precipitation. The acidity values of chloride at all the site in rainy season area because of the dilution of water by precipitation. The acidity values ranged from 8.6 mg/L. in winter season at site S to 19.5 mg/L at site S2 in summer season. At all the sites the maximum values observed during summer season may be related to the high temperature accomplished with high microbial activity. Variation in total alkalinity was recorded between 45.5 mg/L at site S_1 in rainy season and 208.2 mg/L during summer at site 2 Philipose(1960 on the basis of alkalinity values, has classified water of India in three broad categories, viz(a) A0-50 ppm alkalinity[1] as "low", (b) 50-100 ppm alkalinity as "moderate" and (c) 100-600 ppm alkalinity as "high" . Accordingly the present river with its alkalinity ranging form 45.5 mg/L-208.2mg/L could be placed in high category of alkalinity types. The mineral components of the water is directly related to agricultural utility and it's parametrically values decide the suitability for irrigation purpose. It is well known that electric conduct meter is good measure of dissolved solids and excessive presence of sodium in water not only unsafe for irrigation but also makes soil uncultivable.[7]

Nitrate represents the end product of oxidation of nitrogenous matter and concentration is a product of the nitrification and denitrification activities undergoing in water. Nitrate concentration ranger from 0.36 mg/L in summer at site S1 to maximum value of 0.39 mg/L in rainy season at station 2. Maximum value of nitrate was recorded during rainy season .Phosphate is essential for the growth of algae but is usually limited in natural unpolluted freshwater. Palmer (1980) recorded mostly trace amounts in the river water.[8] It ranges from a minimum 0.11 at station S in winter season to maximum of 0.72 mg/1 during winter season at site 2.

The seasonal variation in all the values of river water has been studied by many workers.[9] From the present investigation it is concluded that the water at station S_2 and S_3 is polluted according to different standards (ISI, 1968', WHO, 1971)[10] due to disposal of unburnt human and animal car cases along with the huge quantities of ash and domestic sewage in river water.[11] The agricultural run off also add to it's significantly. Based on these studies it is also concluded that heavy pollution load and effluents are harmful and are vehicles of many diseases as cholera, dysentery, typhoid etc. it is essential to devise suitable strategies so as to protect of river.

References :-

1. Thomas DR, Sunil B, Latha C (2011) ,Assessment of Seasonal Variation on Physicochemical and Microbiological Quality of Drinking Water at Mannuthy, Kerala. International Journal of Chemical, Environ Pharma Res, 2(2-3):135-140.
2. Nayar NM, Suja KR, Suma PA (2000) Assessment of the sanitation and drinking water problems in a gram panchayat using a participatory methodology, Kerala Science Congress, Trivendrum. Proceedings, pp 179-83.
3. World Health Organization, (1984) Guidelines for Drinking Water Quality. Vol.1. Geneva.WHO.
4. Elizabeth WKM, Augustine MN (2007) Quality of water the slum Dwellers Use: The case of a Kenyan slum, J. Urban Health, 84(6); 829-838.
5. APHA, (1991).Standard methods for analysis of water and waste water, 17th edition. American public health association, Washington D.C.
6. ICMR, (1996). Manual of standards of quality for the drinking water supplies. 2nd edition .INSIAN COUNCIL OF Medical Research .New Delhi.
7. BIS. (1992), Drinking water Specification .IS:10500.Bureau of Indian standards, New Delhi.
8. Joshi VA, Manivel V, Ravindra RR, Kelkar PS (2002) Water quality assessment in Ramnathapuram district . Ind J Environ Protec, 22(9), 970-977.
9. Ramteke,D.S.and C..Moghe (1996).Manual of water and waste water analysis, published by NEERI,Nagpur.
10. Kalbermatten JM (1990) Appropriate technology for water supply and sanitation; a planner's guide. World Bank.
11. Lamba D (1994) The forgotten half; environmental health in Nairobi's poverty areas. Environ urban.6:164-168.

Table 1: Seasonal Variaion in Physico-Chemical Properties of Betwa River of Vidisha City (Mean±SD).Site-01

S.	Site/Season Properties	Station S1		
		Summer	Rainy	Winter
1	Water Temp (^{0}C)	29.8 ± 2.1	28.5 ±1.2	20.5±2.0
2	Transparancy(cm)	25.9 ± 2.7	14.9 ± 2.6	31.8±3.5
3	PH	7.5 ± 0.2	7.4 ± 0.2	7.6± 0.2
4	D.O.(mg/L)	7.0 ± 0.2	6.4 ± 0.2	7.5± 0.1
5	D.O.D. (mg)	2.8 ± 3.6	2.5 ± 2.8	2.8 ±1.9
6	C.O.D. (mg/L)	7.2 ± 0.8	7.5± 0.9	8.4 ± 2.6
7	Hardness (mg/L)	151.2 ± 3.5	138.5 ± 4.0	128.5± 3.9
8	Chloride (mg/L)	64.8 ± 4.5	54.5 ± 3.4	62.8 ± 3.0
9	Acidity (mg/L)	13.8 ± 2.2	10.9 ± 1.1	8.6 ± 1.6
10	Total Alkalinity (mg/L)	78.5 ±3.0	45.5 ± 4.0	70.5± 3.0
11	Nitrate(N) (mg/L)	0.036±0.0	140.08 ± 0.01	0.05± 0.03
12	Phosphate(P)(mg/L)	0.15 ±0.1	0.14 ± 0.10	0.11 ± 0.06

Table 2: Seasonal Variaion in Physico-Chemical Properties of Betwa River of Vidisha City (Mean±SD).SIte-02

S.	Site/Season Properties	Station S2		
		Summer	Rainy	Winter
1	Water Temp (^{0}C)	31.5 ± 1.8	27.8 ±1.5	25.5±1.9
2	Transparency(cm)	26.1 ± 3,3	12.2± 5.1	35.2±2.8
3	PH	7.5 ± 0.1	7.9 ± 0.2	7.9±0.2
4	D.O.(mg/L)	5.0 ± 0.1	5.2 ± 0.2	6.8±0.2
5	D.O.D. (mg)	31.5 ± 2.5	22.6 ± 2.8	13.5±1.9
6	C.O.D. (mg/L)	80.6 ± 2.2	54.5±2.5	34.0 ±3.0
7	Hardness (mg/L)	112.0 ± 4.5	185.5±3.8	145.0 ± 3.0
8	Chloride (mg/L)	38.2 ± 1.8	33.9±1.4	50.4 ± 1.9
9	Acidity (mg/L)	19.1 ± 1.5	13.5±1.3	13.4 ± 1.6
10	Total Alkalinity (mg/L)	102.5 ±3.7	68.4 ±2.8	90.4± 1.5
11	Nitrate(N) (mg/L)	0.18±0.13	0.27 ± 0.12	0.24± 0.06
12	Phosphate(P)(mg/L)	0.33±0.20	0.27 ± 0.17	0.23± 0.16

Table 3: Seasonal Variaion in Physico-Chemical Properties of Betwa River of Vidisha City (Mean±SD).Site-03

S.	Site/Season Properties	Station S1		
		Summer	Rainy	Winter
1	Water Temp (^{0}C)	32.8.± 1.8	27.8±2.1	21.5±2.2
2	Transparancy(cm)	29.9 ± 4.1	6.08 ± 02	27.0±05
3	PH	7.7 ± 0.1	7.1 ± 0.2	7.9± 0.2
4	D.O.(mg/L)	3.2 ± 0.2	3.6 ± 0.2	7.9± 0.2
5	D.O.D. (mg)	35.2 ± 2.7	28. 1 ± 2.8	20..8 ±1.9
6	C.O.D. (mg/L)	10.3 ± 2.8	82.2± 4.2	8.4 ± 2.6
7	Hardness (mg/L)	151.2 ± 3.5	138.5 ± 4.0	128.5± 3.9
8	Chloride (mg/L)	64.8 ± 4.5	54.5 ± 3.4	62.8 ± 3.0
9	Acidity (mg/L)	13.8 ± 2.2	10.9 ± 1.1	8.6 ± 1.6
10	Total Alkalinity (mg/L)	78.5 ±3.0	55.5 ± 4.0	70.5± 3.0
11	Nitrate(N) (mg/L)	0.036±0.14	0.27 ± 0.12	0.05± 0.03
12	Phosphate(P)(mg/L)	0.15 ±0.1	0.14 ± 0.10	0.11 ± 0.06

Note: Summer season March-June
Rainy Season July-October
Winter Season November-February

Tablel-4. Comparison of chemical parameters with BIS (1992)

	S1	S2	S3	BIS,1992
Temp.(^{o}C)	28.7	31.6	28.4	—
pH	6.5	7.5	7.0	6.5-8.5
TDS mg/l	1415.0	512.0	362.0	500-2000*
T.Alkalinity ,mg/l as CaCO3	525.0	210.0	275.0	200-600*
T. Hardness, mg/l as CaCO3	473.0	188.0	92.0	300-600*
Ca, mg/l	425	145.0	65.0	75-200*
Mg, mg/l	82.0	67.0	30.0	30-70*
Chlorides, mg/l	195.0	58.0	75.0	250-1000*
Nitrate ,mg/l	72.0	38.0	28.0	1-45*
Iron, mg/l	1.3	1 .35	1 .09	0.3-1.0*

*Permissible limit in the absence of Alternate source.

Table-5. Classification of water quality on the basis of Hardness

Water quality	Total hardness in mg/l as CaCO3
Soft water	0-75 mg/l as CaCO3
Moderately hard water	75-150 mg/l as CaCO3
Hard water	150-300 mg/l as CaCO3
Very hard water	Above 300 mg/l as CaCO3

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) July to September 2017, Vol. II

Study On Trophic Status Of An Abandoned Stone Quarry Of Rewa Town, Distt. Rewa (M.P.) For Sustainable Usage

Suman Singh *

Abstract - The abandoned stone quarries in which water accumulates during rains can be used for aquaculture through proper management. So this study was for duration of 2014-2016 to find out trophic status and fisheries in an abandoned stone quarry. It was a waste water resource which is utilised for fish culture adopting semi intensive, intensive and integrated techniques by fish farmer. Significant findings were that the total loss of aquatic fish biomass and change in trophic status of water body was recorded for 2014-16.
Key Words - Abandoned Stone Quarry, Physico-chemical parameters, Fish culture, Trophic Status.

Introduction - A quarry is an area from which resources such as marble, limestone, sand and granite are extracted for industrial use. Once depleted of their desired resources, quarries are frequently abandoned. The majority of quarries are located fairly close to urban environments due to the expense of transporting raw materials into the city for industrial use in buildings and roads (Lintukangas et al, 2010). As a result, inhabitants of neighbourhoods near quarries are subjected to air pollution from dust, noise pollution from trucks and machinery and the destruction of what may have once been a beautiful landscape. Not only do quarries often negatively impact those who live nearby, but they often leave residual negative impacts on the environment. Runoff of chemical pollutants into bodies of water, loss of natural habitats, farmland, and vegetation, and natural resource exhaustion are among the most harmful environmental impacts. A quarry's lifespan can range from under a decade to over 50 years' worth of resource supplying. In the United States alone, there are approximately 100 metal mines, 900 mines and quarries producing industrial minerals, and 3,320 quarries producing crushed rock such as sand and gravel. Study in the United States and abroad under the projects for quarries (Lintukangas, 2012; Martin and Berlin, 2012) suggest approximately 25,000 mines in the world producing industrial minerals and 100,000 quarries producing aggregates for construction purposes. This is a difficult number to fathom. Global mining and quarrying is characterized by a small number of international enterprise groups that operate across continents in conjunction with smaller companies With quarries reaching as deep as 200 feet below the surface, the number of gaping craters left after quarries are depleted of resources worldwide is shocking (Damigos, and Kalimpakos, 2003).

1. Why are these gaping holes left with no intention of reclaimation?
2. Why are not quarries excavated with a post-depletion plan in mind?
3. Why is the adaptive re-use of these spaces such a seemingly rare practice?
4. When these quarries filled with surface run -off water act as an local ecosystem.These water bodies canwe utilize for different puroposes by finding energy transfer through trophic status and ecosystem models.

An enormous number of biotic and abiotic factors interact in any ecosystem in a complicated way. Ecosystem models simplify the understanding of natural resource and are helpful for monitoring. Bansagar colony pond (24°32' N 81°18' E / 24.53°N 81.3°E) is an abandoned stone quarry having 1.5 ha waterspread area within municipal limits of Rewa town being used for composite fish culture since 1975 by utilizing rain water from catchment area of nearby agricultural fields and drainage discharge from Bansagar colony through marginal littoral vegetation which acts as a natural bioremediation (Fig.1a,1b,) . Here fish seeds of indigenous major carps (*Catla catla, Labeo rohita, Cirrhina mrigala*) and exotic carps (*Cyprinus carpio and Hypopthalmichthys molitrix Ctenopharyngodon idella*) were used.

Objective - The goal of my research findings are to encourage the rehabilitation of depleted quarries into commercial and residential communities, and will discuss how further to improve future redevelopment of quarries with greater consideration to environmental impact and biodiversity. Study was performed to find trophic level of the pond for loss of fish and fisheries of the water body

Material and Method - The pond is located within municipal limits of Rewa city (24°32' N and 18°15' E) and is a manmade pond which was earlier a stone quarry. The pond is an abandoned stone quarry which is used by fish farmer for fish culture and it is rain fed perennial water body. The pond (1.5 hectare) was being used for fish culture since

* Professor (Zoology) Govt. Science College, Rewa (M.P.) INDIA

1975, 3-4 feet depth is available for fish culture (Fig, 1a-1b). Methodology was adopted according to APHA (2005),Trivedi and Goel (1985) for Physico-chemical parameters of water and fish productivity according toAdoni(1985), Alikunhi (1972), Jhingran (1985) for duration of 2014-2016.

Result and Discussion - Physico- Chemical status of water has shown suitable range of water quality for fish culture till 2013(Singh, 2015). Higher value of Nitrate, Phosphate, Chloride and Alkalinity was probably due to fertilizer used in agricultural fields nearby and entry of water from Bansagar Colony in to the quarry. Gradual changes in value of Dissolved Oxygen (DO), Total Solids, Total Alkalinity, Nitrate, Phosphate, Chloride and dissolved oxygen was observed for 2014 and 2016 (Table-2).

But higher concentration were recorded for phosphate, nitrate, BOD, COD (Table-2). Trophic status of the water body has been changed. It becomes super trophic in 2016 (Table - 3, Fig.4&5).Total loss of fish and fisheries was recorded (Table-1)

Conclusion - This study indicates successful utilisation of Abandoned stone quarry for fisheries, as it has given good result in reference to fish yield till 2013-2014 (Table) but administrative negligence and government policy for checking and monitoring of waste water drainage into water resource lost the potential of fisheries of a quarry by effort of a fish farmer

Suggestion - The necessity of quarrying is undeniable for human civilization to continue as it has since the industrial revolution, we need the retrieval of resources from quarries in order to create our homes' foundations, transportation structures with cement, concrete, asphalt, and crushed stone, and other industrial uses such as abrasives, binders, additives, and roofing. Millions of people worldwide are employed by quarrying practices, and therefore a removal of the quarrying industry would result in the loss of jobs for countless families. Therefore, in order to remedy the negative effects of quarrying, we must use the resource depleted spaces for other practices once the quarries cease being operational (Wardrop et al,2001). The potential transformation of quarry sites into a variety of sustainable uses would not only remedy the negative effects of quarrying, but could create sites of greater social, environmental usage (Neri, and Sanchez, 2010; Kirk,2013)

According to Madan Mohan Director, ICAR coded by Sujata (2012) in a technocrat fisheries forum, a third of the 4,000 billian cubic meter of rain water in the country is received in just four months and most of it is lost as we do not judiciously save it. So in order to remedy the negative effects of quarrying, we must use the resource depleted spaces for other practices once the quarries cease being operational

The government could evolve a policy to develop such type water bodies to store rain water with use for fisheries then recycled for other purposes as agriculture horticulture even for recreational gardens .

References :-

1. Adoni, A.D. (1985) Work book on Limnology. Indian Mab Committee, Department of Environment, Govt. of India, 216.
2. Alikunhi, K.H.; Sukumarn, K.K. and Parameswaran, S.(1971). Studies on composite fish culture production by completive combination of Indian and Chinese carp. J. Indian. Fish. Assoc. **1(1)**: 26-57.666p.
3. APHA, (2005). Standard methods for examination of water and waste water. 21st Edn., American Public Health Association Inc., New York
4. Clemente,A.S.,Werner,C.C.,Magus,C.C.,Cabral, M.S., artins-Loucao,M.a. & Correia, O.O.(2004). Restoration of a Limestone Quarry: Effect of Soil Amendments on the Establishment of Native Mediterranean Sclerophyllous Shrubs. Restoration Ecology,12(1), 20-28
5. Damigos, D.and Kalimpakos, D. (2003). Assesing the benefits of reclaiming urban quarries: a CVM analysis.Landscape and Urban Planning, 64: 249-258.
6. Kirk, P.(2013). Civita: San Diego's New City With in the City. Urban Land Magazine, April 2013
7. Lintukangas, M.M., Suihkonen, A.A., Salomaki, P. P., & Selonen, O.O. (2012). Post- mining solutions for natural stone quaries. Journal Of Mining Science, 48(1), 123-134
8. Martin, D.,& Berlin, H. (2012). Quarries Next Quest. Planning, 78(2), 40-42
9. Neri, A., & Sanchez, L. (2010) A procedure to evaluate environmental rehabilitation In limestone quarries. Journal of Environmental Management, 91(11), 2225-2237.
10. Singh ,S.2015 Study On Invasion of Pistia stratiotes In An Abandoned Stone Quarry- Used For Fish Culture In Distt Rewa(M.P.) J.nss , March 2016, Vol.IIpp15-19
11. Sujata, R .(2012) Quarries can be converted into fish farms In Seminar Technocrates Forum., Methods to develop Fisheries in Water deficient regions, Conclusion & Recommendations.
12. R.K. and P.K. Goel. (1986) Chemical and biological methods for water pollution studies, Environmental Publications, Karad, India, 250p.
13. Wardrop, D.R., Leake, C.C., & Abra ,J.J.(2001). Practical techniques that minimize the impact of quarries on the water environment. Applied Earth Science : Transactions Of The Institution Of Mining & Metallurgy, Section B,110(1),5.

Table : 1 Stocking And Fish landings Bansagar Pond(2013-2016)

Year	Total catch (kg)	Stocking of fingerl -ings(No./ha)
2012-2013	5463	35000
2013-2014	Nil	35000
2014-15	Nil	Nil
2015-16	Nil	Nil

Resource-Data from Fish farmer and Site Survey

Table: 2 Water Quality of Stone Quarry

Physico-chemical Parameters				
Parameters		Year		
		2014	2015	2016
1	AirTemp.^{0}C	35.9	34.5.2	35.8
2	Water temp.0C	31.2	31.8	34
3	Depth m	8.4	8.8	8.9
4	Transparency cm	43.12	38.52	34.53
5	pH	7.91	7.98	7.56
6	DO	7.24	7.81	4.79
7	Co2	2.21	8.21	16.18
8	TDS	231.4	398.8	491.6
9	TotalAlkalin	156.4	183.4	212.4
10	Nitrate	12.31	13.87	24.81
11	phosphate	2.1	3.23	4.32
12	Chloride	31.21	34.5	48.3
13	Silicate	21.2	28.4	33.2
14	Sp. Con.uohm	286.8	291.4	338.9
15	BOD	7.4	5.7	29.6
16	COD	24.32	34.71	48.21

Units in mg/l except Temp. ,P^{H,} Sp.Cond.

Table: 3 Range of Parameters For Trophic Status of Abandoned Stone Quarry(2013-16)

Year	Status of Water Body	Trophic(Range)	Chla(mgm^{-3})	Sechhi Depth(m)	TP(mgPm^{-3})	TN (mg N m^{-3})
2012-13	Mesotrophic	3-4	2.0-5.0	7.8-3.6	9.0-14	132-312
2013-14	Eutrophic	4-5	5.0-12	3.6-1.6	19-38	327-695
2014-15	Supertrophic	5-6	12-31	1.6-1.2	43-89	712-1243
2015-16	Hypertophic	6-7	32.2	1.2-0.7	94-98	1453-1569

Fig.1(a)Study Site

Fig.1(b)Abandoned Stone Quarry

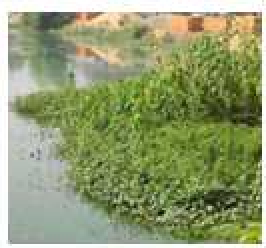

Fig.2 Mesotrophic(2013)

Fig.3 Eutrophic(2014)

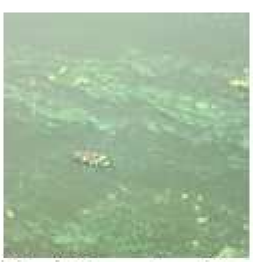

Fig.4 Super trophic (2015)

Fig.5 Hypertrophic (2016),

Mohd. Wadood Ansari, Fish farmer of Abandoned Stone Quarry, Rewa Town(2013-314)

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) July to September 2017, Vol. II

Physico Chemical Study Of Under Ground Water Of District Rajgarh M.P

Dr. G. D. Agrawal *

Abstract - Underground water samples of district Rajgarh were analyzed and values of Total hardness TDS Calcium hardness Mg-Hardness and Fluoride were observed more than permissible limit.

Introduction - Water is the most precious gift of nature to mankind and terrestrial ecosystem cannot function without it. Water usually makes up 55-75% of human body and it is a important element among five essential element for life. In India pure water is still luxury for the common man in villages peoples are not getting pure water despite Government sincere efforts.

Requirement of fresh water in India.-Agriculture sector is major consumer of water. It is followed by domestic needs, thermal power generation and industries. By 2025 the total requirement is expected to thrice as much as we had in 1974.

Estimates of water requirement in (cubic kms)

Water Needed for	1974	2000	2025
Irrigation	350.	630	770
Thermal power generation	11.0	60.0	160.0
Industries	5.5	30.0	120.0
Domestics Needs	8.8	26.0	39.0
Livestock management	4.7	7.4	11.0
Total	380	754	1110

People 0f Rajgarh District is mainly dependent on underground water for their drinking and irrigation purpose. 8500 Hand pump are working in various villages of Rajgarh District for drinking purpose under the supervision of PHE department Rajgarh. Underground water is generally polluted by inorganic salts and fluorides. Water level in the study area was observed 350—400 ft below from the surface. Scarcity of water was also observed in summer season.

Description of sampling stations - Nine samples were collected from various places of Rajgarh districts in summer season (Mar, Apr, May 2017).Details of sampling is given below - **(See in the next page)**

Methadology - pH, TDS, Turbidity, were determined by Instrumental method and chloride .fluoride, nitrate, alkalinity, calcium magnesium hardness, Iron were determined by chemical method. **(Table see in the next page)**

Result And Discussion - Normal range for underground water is 06—8.0 .pH was observed in between 7.0—7.9 .Alkalinity of sample Raj 04 and Raj 08 was observed more than permissible limit. Total Hardness of all the samples were observed more than 200mg/l.Hard water is not suitable for washing and cooking.Ca- hardness is also higher than drinking water limit. Higher values of Ca contribute to kidney and gall bladder stones.TDS in all samples was observed higher than 300mg/l indicates presence of inorganic salts and heavy metals. All the studied samples except sample Raj 05 have very high value of Fluoride

Conclusion - Higher values of Tds Ca and Mg hardness makes water unsuitable for drinking purpose and responsible for stone in kidney and gall bladder. Higher values of fluoride responsible for decay of teeth and fluorosis.All the hand pumps having hard water and fluoride should be equipped with hand pump attach unit and electrolyte defluoridation unit

References :-

1. S S Dash, A. Textbook of Environmental chemistry and pollution control. S Chand and company Ltd .RamNager New Delhi p.210 (1993) .
2. Verma N.K ,Jain O.P, Shrivastava P.K “Preliminary studies on heavy metals in ground water of mandideep”by ASS.Proc. Environ.Biol, 04 (1) 123-126(1995)
3. who guideline for drinking water quality vol. 1 World Health organization 1984.
4. JayKumar.R.Siraz M. Siraz L.ground water quality of velar Basin South India. Eco .Env. Conserve.(1-4) 65-70(1995).
5. Todd D.K.Grpoundwater hydrology 22nd Edn.John Wilky and sons New York 525 (1980)
6. Gupta K. C .and Jagmohan ‘’Study on water quality and occurrence of fluoride in villages of District Ambala Oriental Journal of Chem. 26(1) 215-221, 2010.

*Associate Professor (Chemistry) Govt. Girls P. G. College, Ujjain (M.P.) INDIA

S.No	Block	Village	Sample code
01	Rajgarh	Fathpur,Near middle school	Raj-01
02	Rajgarh	Rojada khurda, Near primary school	Raj-02
03	Sarangpur	Aranya,Near Hanuman mandir	Raj-03
04	Khilchipur	Mirajpura, Near middle school	Raj-04
05	Biaora	Jirkiakhedi	Raj-05
06	Biaora	Tajiapura. Serve Siksha mission	Raj-06
07	Biaora	Ziri	Raj-07
08	Biaora	Nivara	Raj-08
09	Biaora	Bajajpura	Raj-09

Observation Table—Average values of physic-chemical parameter (Apr-to May 2017) in ppm.

S.N0	Parameter	Raj-01	Raj-02	Raj-03	Raj-04	Raj-05	Raj-06	Raj-07	Raj-08	Raj-09
01	Temperature	28^{O}C	27^{0}C	24^{0}C	28^{O}C	28^{O}C	31^{0}C	31^{0}C	31^{0}C	31^{0}C
02	Turbidity	1.0	1.2	1.9	1.6	1.8	1.8	1.8	1.5	1.4
03	Ph	7.9	7.6	7.5	7.5	7.8	7.9	7.9	7.2	7.0
04	Conductivity	785	528	590	830	833	568	1228	634	1202
05	Alkalinity	260	310	200	240	210	120	290	318	200
06	Chloride	155	100	125	125	150	210	225	250	310
07	Nitrate	10	25	15	115	40	25	45	10	15
08	Total hardness	280	320	310	410	200	300	240	210	360
09	Calcium Hardness	236	270	270	382	174	200	208	184	314
09	Magnesium Hardness	44	50	40	28	26	80	32	26	46
10	Total Hardness	570	343	383	539	541	367	798	412	781
11	Fluoride	2.85	0.99	1.38	1.10	2.70	3.30	3.25	2.90	3.40

****

A Preliminary Survey Of Tree Flora At Tendukheda, District Narsinghpur, Madhya Pradesh

Shail Bala Sanghi *

Abstract - A preliminary survey of Tendukheda tehsil was carried out to get the information about its tree flora in the year 2013-14. The Survey revealed that 37 angiospermic plant species are present there which are growing as naturally occurring species or cultivated trees in the town area.
Key Words - Tree flora, angispermic plants,Tendukheda.

Introduction - Trees are the basic lifelines of the terrestrial ecosystem as they are the primary producers, air purifiersand also support varied varieties of birds, insects and animals.Trees are not only important for greenery but also have economic,social and aesthetic values.

Narsinghpur is an old district of Madhya Pradesh.The total geographic area is 5125.55 square km and the total population is about 1,091,854. In this district, 26.55% area is covered by the forest which is of mixed kind. Tendukheda is a tehsil of this district. A field survey was conducted at different sites of Tendukheda tehsil, scattered in villages Bilhara, Chowerpatha, Dobhi, Deori, Imjhira and Kaneheri. The climate of this region is pleasant and the area is free from pollution.

Specimens of trees were collected and identified using various flora and books by Brandis (1978), Mukherjee (2008), Mudgal et. al. (1997), Oommachan and Shrivastava (1996), Singh N.P., et. al. (2001). Herbariums of all the tree species were prepared.

Result and Discussion - During investigation, 37 trees were recorded in Tendukheda tehsil; some of which were naturally occurring while some of them were cultivated in village areas. These plants are economically and medicinally significant. In this total of 37 trees, the family fabaceae is recorded in the most dominating species (12 species). Certain plants like *Bauhinia variegata* (kachnar), *Delonix regia* (gulmohar), *Cassia fistula* (amaltas), *Cassia siamea* (siyami), *Butea monosperma* (palash) bloom with beautiful colors during their seasons. On the other hand, some trees like *Acacia arabica* (babool), *Azadirachta indica* (neem), *Terminalia arjuna* (arjun), *T. chebula* (harr), *T. bellerica* (bahera), *Aegle marmelos* (bael), *Syzygium cumuni* (jamun), *Emblica officinalis* (amla) have high medicinal value. *Ficus religiosa* (peepal), *F. benghalensis* (bargad), *Madhuca latifolia* (mahua), *Mangifera indica* (aam), *Emblica officinalis* (amla) are socio-economic and have sacred value. *Dalbergia sissoo* (sheesham), *Tectona grandis* (sagon), *Pongamia pinnata* (karanj), *Terminalia tomentosa* (saja), Mahogani have rich economic value. (Seth M.K. 2004).

Conclusion - Trees not only preserve the physical features of the earth but also prevent soil erosion, migrate floods, minimize noise and air pollution. Besides, trees meet the need for timber, fuel,fodder, medicines and other commercial products which are indispensable requirements of human beings. Tendukheda region is very rich in medicinally and economically useful plants. People should be aware about local biodiversityand should be helpful in the conservation of plant diversity.

Observation - In the enumeration, the trees have been arranged alphabetically with local name,family, and flowering period

Table 1 – **(See in the next page)**

References :-

1. Brandis D., Indian trees, Bishen Singh Mahendra Pal Singh, 1978, Dehradun.
2. Mukherjee P., Trees of India, Oxford University Press, 2008, ISBN 0-19-568791-1.
3. Mudgal V.,Khanna K.K and Hajra P. K., Flora of Madhya Pradesh Vol II ,Botanical survey of India, Kolkatta, 1997.
4. Oommachan M. and Shrivastava J. L., Flora of Jabalpur, Sc.Pub, Jodhpur, India, 70-93, 1997.
5. *Singh*, *N.P.*, *Khanna*, *K.K.*, *Mudgal, V*. and *Dixit*, *R.D.*, *Flora* of M*.P.*, *Vol*. *III*, *Angiosperms* & *Gymnosperms*, *Calcutta*, *BSI*, *XIV*, *590pp*, 2001.
6. Seth M.K., Trees and their Economic Importance, Botanical review, NYBG Press, New York, 2004.

* Department Of Botany, Govt. M. L. B. P. G. Girls College, Bhopal (M.P.) INDIA

Table 1 –Diversity of tree flora at Tendukheda, district Narsinghpur (M.P.)

S.No.	Scientific name of plant	Local name	Family	Flowering period
1	Acacia Arabica willd.	Babool	Fabaceae	July- August
2	Aegle marmelos corr.	Bel	Rutaceae	March-May
3	Ailanthus excela Roxb.	Mahaneem	Simaroubaceae	January-February
5	Azadirachta indica A .Juss	Neem	Meliaceae	March-May
4	Albizzia lebbeck (L.)Benth.	Siris	Fabaceae	February-April
6	Bauhinia variegata (L.)	Kachnar	Fabaceae	September-November
7	Bombax ceiba Linn.	Semal	Bombacaceae	March-April
8	Butea monosperma (Lamk.) Taub.	Palash, Teshu	Fabaceae	February-April
9	Cassia fistula(L.)	Amaltas	Fabaceae	April-June
10	Cassia siamea (L.)	Siyami	Fabaceae	January-April
11	Cordia dichotoma Forst.	Lasora	Ehretiaceae	February-April
12	Dalbergia sissoo Roxb.	Shisham	Fabaceae	April- June
13	Delonix regia(Boj.)Rafin	Gulmohar	Fabaceae	April- June
14	Diospyros montana Roxb.	Tendu	Ebanaceae	March-June
15	Emblica officinalis Gaertn.	Amla	Euphorbiaceae	March-May
16	Eucalyptus maculate Hook.	Safeda	Myrtaceae	Whole year
17	Ficus religiosa (L.)	Peepal	Moraceae	April-May
18	Ficus benghalensis (L.)	Bargad	Moraceae	May
19	Ficus glomerata Roxb.	Gular	Moraceae	Whole year
20	Holoptellia integrifolia Roxb. Planch.	Chiroul	Ulmaceae	February- March
21	Leucaena leucocephala (Lam.)	Subabool	Fabaceae	Whole year
22	Limonia acidissima(L.)	Kaith,Kabit	Rutaceae	February-March
23	Madhuca latifolia	Mahua	Sapotaceae	February-April
24	Mangifera indica (L.)	Aam	Anacardiaceae	February- April
25	Melia azedarach(L.)	Bakan	Meliaceae	March-May
26	Moring aoleifera Lamk.	Sahjan	Moringaceae	January-March
27	Pithecolobium dulce (Roxb.) Benth.	Janglizalebi	Fabaceae	March-April
28	Pongamia pinnata(L.) Pierre	Karanj	Fabaceae	March-May
29	Sweetania mahogani Jacq.	Mahogani	Meliaceae	April-May
30	Syzygium cumini (L.) Skeels	Jamun	Myrtaceae	April-June
31	Tectona grandis (Linn)	Sagon	Verbenaceae	August-September
32	Terminalia tomentosa Roth.	Saja	Combretaceae	April-June
33	Terminalia chebula Retz.	Harr	Combretaceae	April-May
34	Terminalia bellerica (Gaertn.) Roxb.	Bahera	Combretaceae	February- May
35	Terminalia arjuna (Roxb.)De	Arjun	Combretaceae	February-May
36	Tamarindus indica (L.)	Imli	Fabaceae	March-May
37	Zizyphus jujuba Lam.	Ber	Rhamnaceae	September-November

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) July to September 2017, Vol. II

भारत देश पर आधारित गणित में नया शोध (एम.पी. से ही गणित के प्रमुख चिन्हों व सूत्रविधि का शोध)

शिवराम मेहता *

i:Lrkouk & गणित में भारत देश पर आधारित BMPD नियम। यह गणित के क्षैत्रमिति में BMPD नियम पहला शोध है। आज गणित विभाग में देश पर आधारित पहला शोध है। जिसका नाम BMPD नियम एक नया नाम मेरे द्वारा दिया गया है। आज हमारा भारत एक गणित का देश है।

- मध्यप्रदेश ही भारत का एक महत्वपूर्ण अंग है।
- एम.पी.क्या है ?

एम.पी.का अर्थ है ''MAIN POINT'' (मुख्य बिन्दु) अर्थात मध्यप्रदेश।

यह एम.पी. ''भारत का मुख्य बिन्दु'' है किन्तु एक गणित के क्षैत्रमिति की सबसे छोटी इकाई है। गणित के क्षैत्रमिति में एक बिन्दु से ही संरचनाएॅ की गई। बिन्दु की क्षैत्रमिति की एक जान है। उसी प्रकार एम.पी. भारत की जान है।

1. हमारा मध्यप्रदेश एक बिन्दु का प्रदेश है। यह मध्यप्रदेश भारत का एक बिन्दु है। बिन्दु ही भारत का अंग है। बिन्दु क्या है ? बिन्दु एक बीज का रूप है।
2. उसी प्रकार से हमारा मध्यप्रदेश एक बीज है, तो भारत उस बीज का पेड़ है। बीज है, तो पेड़ है। बीज नही तो पेड़ नही। एक बीज ही संसारिक है।
3. हमारा मध्यप्रदेश केन्द्र बिन्दु है यह भारत का केन्द्र है। बिन्दु रेखा गणित की सबसे छोटी इकाई है। और बिन्दु से ही रेखा गणित की संरचनाऐ की गई है। बिन्दु रेखा गणित की एक जान है।
4. उसी प्रकार से मध्यप्रदेश, भारत की एक जान और दिल की धडकन है। मध्यप्रदेश की जान है, तो भारत की शान है। यह ही हमारा मध्यप्रदेश है।
5. मध्यप्रदेश को रेखा गणित का बिन्दु मानकर उस बिन्दु को काटते हुए, आडी रेखा तथा खडी रेखा खिचने पर 90 डिग्रीयों का कोण बनता है। इन कोणो से एक त्रिभुजाकार की आकृति पैदा होती है। यह त्रिभुजाकार की आकृति भारत देश की है। इसलिये हमारा भारत देश एक त्रिभुजाकार देश है।
6. भारत का नाम केवल तीन अक्षर का नाम है। तीन का अर्थ है – त्रिभुज गणित में भारत का नया जन्म एक त्रिभुज से है। इसलिये भारत रेखा गणित में जन्म लेकर क्षैत्रमिति में विकास भारत के पुरे अक्षरो से गणित के चिन्ह प्रतिपादित है। जैसे –

भारत भा = B से ब्रेकेट, ( )
र = R से रेक्टऐगंल ▭
त = M से ट्राईएगंल △

उक्त भारत के तीन अक्षरो के राशियों से गणित के चिन्ह् विकसित है।

- भारत का मध्यप्रदेश एक दिल है।
  मध्य – प्रदेश – दिल
- उक्त नामों के शब्दों के पहले अक्षरों की राशियो से (केपीटल लेटर में) ।

जैसे – मध्य = M से मल्टीप्लाई या माईनस X या —
प्रदेश = P से प्लस +
दिल = D से डिवाईड या डेसीमल ÷ या ''.''

मध्यप्रदेश के उक्त राशियों से गणित के प्रमुख चिन्हो से विकसित प्रदेश। मध्यप्रदेश, भारत देश का पहला प्रदेश है, जो कि गणित के प्रमुख चिन्हो में जन्म लिया। उक्त गणित के चिन्हों का प्रतिपादित है। जैसे – गुणा, भाग, जोड़, घटाव, और दशमलव चिन्हो से विकसित हुआ। आज हमारा मध्यप्रेदश गणित के महत्वपूर्ण चिन्हो का अंग है।

यह पूरे विश्व में भारत का पहला प्रदेश है। जो कि गणित का प्रदेश है आज तक कई महान गणितज्ञों द्वारा विश्व के प्रमुख देशों में से किसी देश पर आधारित सूत्र विधि व चिन्हों का शोध नही रहा है। जो कि आज मेरे द्वारा गणित में पहली बार भारत देश पर आधारित BMPD नियम सूत्र विधि व प्रमुख चिन्हो का शोध किया। यह पूरे विश्व के प्रमुख देशो में से भारत गणित विभाग का एक पहला इतिहास होगा।

हमारे भारतीय गणितज्ञो ने जो भी शोध किये गये वह वर्तमान में प्रचलित है। आर्यभट्ट द्वारा क्षैत्रमिति की खोज की गई, जिसका प्रयोग आर्यभट्ट के पश्चात बौधायन द्वारा क्षैत्रफल एवं परिधि सूत्र ज्ञात करने में किया गया। उसी प्रकार मेरे द्वारा शोध कार्य किया गया है, जो कि हमारे भारत देश पर आधारित है एवं जिसका नाम बी.एम.पी.डी.सूत्र रखा गया है। यदि वर्तमान में प्रचलित,समकोण त्रिभुज का क्षैत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षैत्रफल एवं त्रिभुज का क्षैत्रफल ज्ञात करने का सूत्र विधि एवं वर्णित बी. एम.पी.डी. सूत्र विधि से हल करने पर किसी भी प्रश्न का उत्तर या हल दोंनो एक समान उत्तर पाया जाता है ।

सूत्र निम्नानुसार वर्णित है ।

वर्तमान प्रचलित सूत्र

(1) त्रिभुज का क्षै. = $\frac{1}{2}$ x आ. x ऊ

(2) समकोण त्रिभुज का क्षैत्र. = $\frac{1}{2}$ x आ. x ऊ

(3) समद्विबाहु त्रिभुज का क्षैत्र = $\frac{1}{2}$ x आ. x ऊ

शोध किया गया सूत्र – बी.एम.पी.डी.

क्षैत्र. = $\frac{(4Lh + Lh)}{10}$

उक्त अनुसार यथावत गणित में भागफल में ज्ञात करने की विधि जो

* सेन्ट्रल जेल, बड़वानी (म.प्र.) भारत

वर्तमान में प्रचलित है। उसे मेरे द्वारा किये गये शोध सूत्र बी.एम.पी.डी के तहत किसी भी संख्याओं का आधा भाग करने पर प्रचलित विधि एंव वर्णित बी.एम.पी.डी सूत्र दोनो का उत्तर एक समान पाया जाता है,

वर्तमान प्रचलित विधि	शोध किया गया सूत्र – बी.एम.पी.डी.
(1) 50 ÷ 2 2]50[	$D = \frac{(4a+a)}{10}$

BMPD की परिभाषा – सूत्र विधि में पहले कोश्ठक, गुणा,जोड़, एवं भाग को हम बी.एम.पी.डी. कहते है। या

बी.एम.पी.डी एक राज्य, देश एवं गणित के सूत्रों और चिन्हों के नाम को हम बी.एम.पी.डी कहते है।

1. BMPD का पूरा नाम (BHARAT, MADHYA, PRADESH, OF Dil) है।
2. BMPD का दूसरा पूरा नाम (BRACKET, MULTIPLYE, PLUSE, OF DIVID) है।

" भारत एक त्रिभुजाकार देश है। ओर भारत का मध्य प्रदेश एक दिल है, ओर भारत के मध्य बिन्दु भाग में स्थित है। यह मध्यप्रदेश भारत का महत्वपूर्ण अंग है। "

उक्त पेराग्राफ वाक्यों से केवल भारत, मध्य, प्रदेश एवं दिल के नामों को छाटकर उनके पहले अक्षरों कि राषियों से खोज कर गणितिय शब्द और चिन्हों का प्रदर्शित किया। निम्नलिखित को देखे –

1. उक्त माना देश के नाम व राज्य के नामो के पहले अक्षरों की राशियों से गणितिय शब्द।

1. भारत (BHARAT), B से ब्रेकेट।
2. मध्य, (Madhya) M से मल्टीप्लाई या माईनस भी होता है ।
3. प्रदेश, (Pradesh) P से प्लस।
4. दिल, (Dil) D से डिवाईड या डेसिमल भी होता है।

2. माना उक्त शब्दों एव नामों के पहले अक्षरों की राशियों से गणितिय चिन्ह निम्नलिखित है।

शब्द	चिन्ह
1. B से ब्रेकेट (Bracket)	( )
2. M से मल्टीप्लाई (Multipliy) या माइनस (Minuse)	x या -
3. P से प्लस (pluse)	+
4. D से डिवाइड (Divid) या डेसिमल (Decimal)	÷ या ". "

1. ऊपर चार राषिया के – कोश्ठक, गुणा, जोड, ओर भाग चिन्ह को माना अंक में (4) इन चार राशिया BMPD सूत्रो का आविष्कार हुआ ।
2. पेराग्राफ वाक्य में दिल एक केन्द्र बिन्दु है जो कि दशमलव का रूप है। इसलिये माना अंक में (10) दस।

BMPD सूत्र विधि के नियम – पहले कोश्ठक, गुणा, फिर जोड़ आखरी में भाग होता है। यह मेरे द्वारा शोध किया गया BMPDसूत्रविधि निम्नलिखित है –

BMPD

भाग का सूत्र $D = \frac{(4N+N)}{10}$ | त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र $A = \frac{(4lh+lH)}{10}$

1. गणित में BMPD की महत्वपूर्ण विशेषताऐं :–

1. BMPD यह गणित के प्रमूख चिन्ह गुणा, घटाव, जोड़, ओर भाग, दषलमव का नाम है।
2. BMPD गणित मे त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र का नाम है।
3. BMPD यह गणित का भाग सूत्र का नाम है।
4. BMPD यह भारत ओर मध्य प्रदेश का नाम है।

(1) समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का निम्न BMPD नियम कासूत्रविधि है।

सूत्र – क्षेत्रफल $= \frac{(4Lh+LH)}{10}$

यहाँ L = लम्बाई
h = उचाई

उदा. (1) समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल BMPD सूत्र विधि ज्ञात करें। जिसकी 5 सेंटीमीटर लम्बाई ओर 10 सेंटीमीटर उचाई है ।

शोध किया गया BMPD सूत्र

हलः– दिया है, लम्बाई, L = 5 सेंटीमीटर
ऊँचाई h = 10 सेंटीमीटर उचाई
क्षैत्रफल A = ? (ज्ञात करना है।)

सूत्र – क्षेत्रफल $= \frac{(4Lh+LH)}{10}$

$= \frac{(4\times5\times10\times5\times10)}{10}$

$= \frac{(200+50)}{10}$

$= \frac{250}{10}$

= 25 सेंटीमीटर उत्तर

वर्तमान प्रचलित सूत्र विधि

हलः –दिया है, लम्बाई, L = 5 सेंटीमीटर
ऊँचाई h = 10 सेंटीमीटर
क्षैत्रफल A = ? (ज्ञात करना है।)

क्षैत्रफल $= \frac{1}{2}$ x ल. x ऊ.

$= \frac{1}{2}\times5\times10$

= 25 सेटी. उत्तर

उदा. (2) समकोण त्रिभुज का क्षैत्रफल BMPD सूत्र विधि ज्ञात करें। जिसकी 8 सेंटीमीटर लम्बाई ओर 6 सेंटीमीटर उचाई है ।

हल–दिया है, लम्बाई, L = 8 सेंटीमीटर
ऊँचाई h = 6 सेंटीमीटर
क्षैत्रफल A = ? (ज्ञात करना है।)

सूत्रः – क्षैत्रफल $= \frac{(4Lh+LH)}{10}$

$= \frac{(4\times8\times6\times8\times6)}{10}$

$$= \frac{(192+48)}{10}$$

$$= \frac{240}{10}$$

= 24 सेंटीमीटर उत्तर

हल– दिया है, लम्बाई, L = 8 सेंटीमीटर
ऊँचाई h = 6 सेंटीमीटर
क्षेत्रफल A = ? (ज्ञात करना है।)

क्षेत्रफल $= \frac{1}{2}$ x ल. x ऊ.

$$= \frac{1}{2} \times 8 \times 6$$

= 24 सेटी. उत्तर

उदा. (3) एक त्रिभुज का क्षेत्रफल BMPD सूत्र विधि ज्ञात करें। जिसकी 10 सेंटीमीटर लम्बाई ओर 7 सेंटीमीटर उचाई है ।

हल: –दिया है, लम्बाई, L = 10 सेंटीमीटर
ऊँचाई h = 7 सेंटीमीटर
क्षेत्रफल A = ? (ज्ञात करना है।)

सूत्र – क्षेत्रफल $= \frac{(4Lh+LH)}{10}$

$$= \frac{(4\times 10\times 7+10\times 7)}{10}$$

$$= \frac{(280+70)}{10}$$

$$= \frac{(350)}{10}$$

हल–दिया है, लम्बाई, L = 10 सेंटीमीटर
ऊँचाई h = 7 सेंटीमीटर
क्षेत्रफल A = ? (ज्ञात करना है।)

क्षेत्रफल $= \frac{1}{2}$ x ल. x ऊ.

$$= \frac{1}{2} \times 10 \times 7$$

= 35 सेटी. उत्तर

उदा. (4) एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेटीमीटर तथा आधार 8 सेंटीमीटर है तो ऊचाई ज्ञात करें।

हल: –दिया है, लम्बाई, A = 48 सेंटीमीटर
ऊँचाई b = 8 सेंटीमीटर
क्षेत्रफल h = ? (ज्ञात करना है।)

सूत्र – क्षेत्रफल $= \frac{(4Lh+Lh)}{10}$

$$48 = \frac{(4\times 8\times h+8\times h)}{10}$$

$$48 = \frac{(32h+8h)}{10}$$

$$48 = \frac{40h}{10}$$

$$40h = 48 \times 10$$

$$40h = 480$$

$$h = \frac{480}{40}$$

h = 12 सेटी उत्तर

हल–दिया है, क्षेत्रफल A = 48 सेंटीमीटर
आधार b = 8 सेंटीमीटर
ऊँचाई h = ? (ज्ञात करना है।)

क्षेत्रफल $= \frac{1}{2}$ x ल. x ऊ.

$$48 = \frac{1}{2} \times 8 \times h$$

8 h = 48 x 2
8 h = 96

$$h = \frac{96}{8}$$

h = 12 सेंटी उत्तर

उदा. (5) एक समकोण त्रिभुज का क्षैत्रफल 35 सेटीमीटर तथा आधार 7 सेटीमीटर है तो ऊचाई ज्ञात करें।

हल :– दिया है, क्षैत्रफल, A = 35 सेंटीमीटर
आधार b = 7 सेंटीमीटर
आधार b = 7 सेंटीमीटर

क्षैत्रफल $= \frac{(4Lh+Lh)}{10}$

$$35 = \frac{(4\times 7\times h+7\times h)}{10}$$

$$35 = \frac{(28h+7h)}{10}$$

$$35 = \frac{35h}{10}$$

$35h = 35 \times 10$

$35h = 350$

$h = \frac{350}{35}$

h = 10 सेंटी. उत्तर

हल– दिया है, क्षैत्रफल A = 35 सेंटीमीटर
आधार b = 7 सेंटीमीटर
ऊँचाई h = ? (ज्ञात करना है।)

क्षैत्रफल $= \frac{1}{2}$ x ल. x ऊ.

$35 = \frac{1}{2} \times 7 \times h$

$7h = 35 \times 2$

$7h = 70$

$h = \frac{70}{7}$

h = 10 सेंटी. उत्तर

<u>**परिभाषा**</u> – किसी भी वस्तुऍं या संख्याऍं के आधे हिस्से को भाग कहते है।

1. BMPD भाग सूत्र विधि का नियम :– पहले सूत्र विधि में कोश्ठक गुणा फिर जोड़ आखरी में भाग होता है।
2. BMPD सूत्र विधि मे किसी भी संख्याओ का भाग <u>एन</u> के स्थान पर रखकर हल करें।
3. यदि किसी मूल संख्याओ का आधा भाग दिया हो तो, BMPD सूत्र विधि से वापस मूल संख्याऍं भी ज्ञात कर सकते है।
4. D किसी मूल संख्याऍं का आधा भाग होता है।
5. N आधा भाग कि मूल संख्याऍं होती है।

भाग का सूत्र $D = \frac{(4N+N)}{10}$

D = आधा भाग होता है।
N = मूल संख्याऍं होती है।

उदाहरण 1. 300 का भाग BMPD सूत्र विधि से संख्या ज्ञात करें ?
<u>षोध किया गया BMPD सूत्र विधि वर्तमान प्रचलित विधि</u>

हल:– दिया है संख्या N =300
भाग N =?
का सूत्र

$D = \frac{(4N+N)}{10}$

$D = \frac{(4 \times 300 + 300)}{10}$

$= \frac{(1200 + 300)}{10}$

$= \frac{(1500)}{10}$

= 150 उत्तर

वर्तमान प्रचलित विधि

$300 \div 2$

हल $\frac{300}{2} = 150$ उत्तर

उदाहरण 2. 150 किस संख्या का आधा भाग है। BMPD सूत्र विधि से मूल संख्या ज्ञात करे ?
हल:– दिया है भाग D = 150
संख्या N = ?

भाग का सूत्र $D = \frac{(4N+N)}{10}$

$150 = \frac{(4N+N)}{10}$

$4N + N = 10 \times 150$

$5N = 1500$

$N = \frac{1500}{5}$

N = 300 उत्तर

हल – दिया है भाग D = 150
= 2 x 150
= 300 उत्तर

भाग – B

<u>भौतिक विज्ञान</u>

भौतिक विज्ञान प्राकतिक जगत की मूल विज्ञान है ।
मात्रक क्या है ? मात्रक किसी मापन के निर्देश को ही मानक मात्रक कहते है। मात्रक दो प्रकार होते है –

(1) मूल मात्रक – वे मात्रक जो एक दुसरे से स्वतंत्र होते है उसे मूल मात्रक कहते है।

(2) व्युत्पन्न मात्रक – वे मात्रक जो स्वंतत्र नही होते है जिसमें में कोई मूल मात्रक एक से अधिक बार सम्मिलित होते है। उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते है।

नियम – (1) बडी इकाई से छोटी इकाई ज्ञात के लिए गुणा करें।
(2) छोटी इकाई से बडी इकाई ज्ञात के लिए भाग करें।

उक्त प्रचलित विधि द्वारा एंव मेरे द्वारा शोध किये गये इन इकाइयों जैसे

– मिलीमिटर, सेंटीमिटर , इंच, फीट, मिटर, इन वर्तमान प्रचलित विधि एंव वर्णित सूत्र विधि से किसी भी प्रकार का प्रश्न का हल करने का प्रचलन विधि एंव वर्णित सूत्र विधि से हल करने पर दोनों का उत्तर एक समान पाया जाता है ।

सूत्र – सेंटीमीटर, मीटर, इंच, फीट,मीलीमीटर का निम्न सूत्र है ।

1. $\frac{E}{C} = (0.4)$ 2. $\frac{E}{M} = 40$ 3. $\frac{C}{M} = \frac{400}{4}$

4. $\frac{F}{C} = \frac{0.4}{12}$ 5. $\frac{E}{MM} = 0.04$

प्रश्न – निम्न इकाइयों को परिवर्तन उक्त सूत्र विधि से हल करें ।

(1) 10 सेमी. से इंच में बदले ।
(2) 5 मीटर को इंच में बदले।
(3) 8 मीटर को सेंटीमीटर में बदले।
(4) 10 फीट को सेंटीमीटर में बदले ।
(5) 6 इंच को मिलीमीटर में बदले।

शोध किया गया सूत्र विधि

उदा. (1) 10 सेटीमीटर को इंच में ।

सूत्र – $\frac{E}{C} = (0.4)$

$\frac{E}{10} = (0.4)$

$E = 0.4 \times 10$

= 4 इंच उत्तर

उदा. (2) 5 मीटर को इंच में ।

सूत्र – $\frac{E}{M} = 40$

$\frac{E}{5} = 40$

$E = 40 \times 5$

= 200 इंच

उदा. (3) 8 मीटर को सेंटीमीटर मे ।

सूत्र – $\frac{C}{M} = \frac{400}{4}$

$\frac{C}{8} = \frac{400}{4}$

$4C = 400 \times 8$

$4C = 3200$

$C = \frac{3200}{4}$

= 800 इंच उत्तर

उदा. (4) 10 फीट को सेंटीमीटर में ।

$\frac{F}{C} = \frac{0.4}{12}$

$\frac{10}{C} = \frac{0.4}{12}$

$0.4C = 12 \times 10$

$C = \frac{12 \times 100}{4}$

= 300 सेंटी उत्तर

उदा. (5) 6 इंच को मिलीमीटर में ।

सूत्र – $\frac{E}{MM} = 0.04$

$\frac{6}{MM} = 0.04$

$MM = \frac{600}{4}$

= 150 मिमी. उत्तर

वर्गमान प्रचलित विधि

हल – माना कि,

1 इंच = 2.5 सेंटी,

इंच $= \frac{10}{2.5}$

$= \frac{100}{25}$

= 4 इंच उत्तर

हल – माना कि,

1 मीटर = 40 इंच

इंच = 40 x 5

= 200 इंच उत्तर

हल – माना कि,

1 मीटर = 100 सेंटी

सेंटी = 800 x 8

= 800 सेंटी उत्तर

हल – माना कि,

1 फीट = 30 सेंटी

सेंटी = 30 x 10

= 300 सेंटी उत्तर

हल – माना कि,

1 इंच = 25 मिलीमीटर

मिली = 25 x 6

= 150 मिलीमीटर उत्तर

Hkkx & C

0 ¼'kU;½ l gh thou g

पूवार्थ विशेषज्ञों द्वारा जैसे महान गणितज्ञ स्वर्गीय श्री आर्य भट्टजी द्वारा षून्य को एक गणित का मान ही माना गया, लेकिन आज मेरे द्वारा विचार को व्यक्त कर एक शून्य को प्रकाशित करते हुए विस्तार से प्रस्तुत है।

1. गणित में शून्य को एक मान ही माना गया है, लेकिन आज शून्य को मेरे द्वारा विचार व्यक्त है। शून्य पूरे संसार के सम्पूर्ण प्राणियों के जीवन का एक महत्वपूर्ण सांकेतिक चिन्ह् है। किसी भी प्राणियो की उत्पत्ति और समाप्ति एक शून्य पर ही अन्त हैं।
2. मनुष्यों का जीवन एक शून्य पर आधारित जीवन है। उदाहरण स्वरूप मनुष्यों का जीवन शून्य से प्रारम्भ होकर अनेको उतार–चढाव, अनेको उन्नति, और अनन्त सफलताए प्राप्त करते हुए भी अन्त में वह शून्य को प्राप्त हो जाता है।
3. शून्य का महत्व हमारे जीवन में एक नव उदित बच्चे के जैसा है, जो बचपन से बडते हुए, उच्च शिक्षा प्राप्त कर वैज्ञानिक शोध करते हुए वध्द अवस्था में आते–आते वापस शून्य को ही प्राप्त हो जाते है। इस प्रकार शून्य का बहुत बडा महत्व हैं।
4. शून्य मनुष्यो के जीवन के साथ–साथ प्राकृतिक वन, सम्पदा, जलवायु, एवं सृष्टि का भी उत्पादन शून्य से होकर शून्य में अन्त होता है। यह मनुष्य का जीवन है।
5. जिस प्रकार अर्थशास्त्रियों ने ज्ञात किया था। कोई भी संख्या शून्य से बडकर अन्त में शून्य पर ही समाप्त होता है। जैसे – 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
6. उसी प्रकार मनुष्यों और जीव–जन्तु, पेड–पौधे आदि शून्य से ही अपना जीवन में विस्तारकर अन्त में शून्य की ओर समाप्त हो जाते है।
7. हमारी पृथ्वी भी एक शून्य के समान जिसमें सभी जीव–जन्तुओं की उत्पत्ति होकर फलते–फुलते हुए अन्त में शून्य की ओर अग्रसर हो जाते है।

   जैसे एक नन्हासा पौधा फल–फुलकर पेड बन जाता है, बाद में उसे काटकर जलाने के उपयोग में लिये जाने से वह जलकर कोयले का रूप लेते हुए, रॉख बनकर शून्य सम्मान समाप्त हो जाता है।
8. जिस प्रकार मनुष्यों शून्य में केन्द्रित होकर सोचते–सोचते वह उसके दिमाग से शून्य को प्राप्त कर नये–नये विचार एवं अविष्कार कर मनुष्यों के जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता का लक्ष्य प्राप्त होता है।
9. जिरो से हिरो, हिरो से जिरो यही जीवन का क्रम चक्र है।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) July to September 2017, Vol. II

Effect Of Communication Sources On The Awareness Of Pulse Polio Programme Among Married Women In Rural Areas Of Mainpuri District In Uttar Pradesh, India

Nidhi Awashti * Dr. Manju Dubey **

Introduction - Pulse Polio is an immunisation campaign established by the government of India to eliminate poliomyelitis (polio) in India by vaccinating all children under the age of five years against the polio virus. The project fights poliomyelitis through a large-scale pulse vaccination programme and monitoring for polio cases.

The Pulse Polio dates in 2017 are 29 January, 2 April, 2 July, and 17 September, on Sundays.

In India, vaccination against polio started in 1978 with Expanded Programme on Immunization (EPI). By 1984, it covered around 40% of infants, giving three doses of OPV to each.

In 1985, the Universal Immunisation Program (UIP) was launched to cover all the districts of the country. UIP became a part of child survival and safe motherhood program (CSSM) in 1992 and Reproductive and Child Health Program (RCH) in 1997. This program led to a significant increase in coverage, up to 95%. The number of reported cases of polio also declined from 28,757 during 1987 to 3,265 in 1995.

In 1995, following the Global Polio Eradication Initiative of the World Health Organization (1988), India launched Pulse Polio immunisation program with Universal Immunization Program which aimed at 100% coverage.

Elimination of polio in India - The last reported cases of wild polio in India were in West Bengal and Gujarat on 13 January 2011. On 27 March 2014, the World Health Organization (WHO) declared India a polio free country, since no cases of wild polio had been reported in for three years.

As of mid-2016, only Afghanistan, Nigeria and Pakistan have wild polio cases.

Role of communication- The campaign was supported by organisations including the Indian federal and state governments, international institutions, and non-governmental organisations. It is part of the Global Polio Eradication Initiative, spearheaded by Rotary International, the World Health Organization, UNICEF, and the U.S. Centers for Disease Control and Prevention.

Actor Amitabh Bachchan volunteered with the campaign, filming TV and radio spots urging against complacency and personally vaccinating children.

The Indian and Afghan cricket teams have supported their national and international polio eradication efforts.

Communication sources play an essential role in reversing the progression of pulse polio by raising awareness and promoting sustainable behaviour change to reduced vulnerability of the disease.

For the purpose of this study, communication sources are categorized into following three types:

1. Localite sources: Localite sources are those which originate within the social system of the receiver such as neighbours, relatives, friends, family etc.
2. Cosmopolite sources: Cosmopolite sources are those which originate outside the immediate social system such as extension workers, health workers, NGOs etc.
3. Mass Media Sources: Mass media sources are those through which a large body is addressed such as Televisions, Radio, print media etc.

- Setting up of booths in all parts of the country.
- Initialising walk-in cold rooms, freezer rooms, deep freezers, ice-lined refrigerators and cold boxes for a steady supply of vaccine to booths.
- Arranging employees, volunteers, and vaccines.
- Ensuring vaccine vial monitor on each vaccine vial.
- Immunising children with OPV on national immunisation days.
- Identifying missing children from immunisation process.
- Surveillance of efficacy.

Publicity was extensive and included replacing the national telecoms' authority ringtone with a vaccination day awareness message, posters, TV and cinema spots, parades, rallies, and one-to-one communication from volunteers. Vaccination booths were set up, with a house-to-house campaign for remote communities.

Review of literature - Chundi and Srivastava (1999) highlight strong positive correlation between media exposure and socio-economic development of rural people.

Cherian and Chandra (1989) and Khattri (2015) pointed

*Research Scholar (Home Science) Kamla Raja Girls Govt. P.G. College, Gwalior (M.P.) INDIA
** H.O.D. (Home Science) Kamla Raja Girls Govt. P.G. College, Gwalior (M.P.) INDIA

out that television is the most popular medium in acquiring and retention of knowledge and creating awareness among people.

Roden Janet (2003) the qualitative descriptive study explored parent's concept of health and examine the health and examine the health practices for pre school aged children. The study found that most families with preschool aged children were engaged in illness prevention rather than health promotion. This research validate the importance of care providing by mothers during early childhood.

An extensive survey conducted by Srivastava and Sinha (2005) in rural areas of Patna in Bihar a deplorable state of awareness about immunization. They noticed that 30% rural illiterates and 11% of rural literates were not aware about even a single vaccine preventable disease. Highest degree of awareness was about polio followed by tetanus. Except for a few educated parents, the fact that measles was a vaccine preventable disease was virtually unknown. Most of the rural parents were un concerned about the threat these preventable disease posed to their children; most of the women interviewed has a fataestic attitude about disease. A very small proportion of parents knew about the proper time, doe and route of administration of most of vaccines. Most widespread misconceptions were about the measles vaccination and majority of parents believed that this vaccine was given for prevention of chicken pox. Educational studies was closely correlated to the degree of awareness of respondents about various vaccine preventable diseases.

Key objectives - The Pulse Polio Initiative (PPI) aims at covering every individual in the country. It aspires to reach even children in remote communities through an improved social mobilisation plan.

- Not a single child should miss the immunisation, leaving no chance of polio occurrence.
- Cases of acute flaccid paralysis (AFP) to be reported in time and stool specimens of them to be collected within 14 days. Outbreak response immunisation (ORI) to be conducted as early as possible.
- Maintaining a high level of surveillance.
- Performance of good mop-up operations where polio has disappeared.

Study Area - Mainpuri district is one of the districts in agra division of Uttar Pradesh state of India. It is located between 26°53 to 27°31' North latitudes and 78°27 to 79°26 East longitudes. Mainpuri district is bounded by Etah district to the North, Farrukkhabad and Kannauj districts to the East, Eatwah district to the south and by Firozabad and Etah districts the West. Mainpuri spreads over a geographical area of 2745 sq. km. According to 2011 census, the population of Mainpuri district in 1,847,194 and the density of population is 670 persons per sq. km. The district has a sex ratio of 876 females per 1000 males and a literacy rate of 78.26%.

Data Based and Methodology -

Sample size and selection - The present study is based on a sample of 300 married women of age 18 years and older drawn randomly from the rural areas of Mainpuri district of Uttar Pradesh.

Methods of data collection and processing - The relevant data were collected through a primary survey by visiting the subjects with a pre-tested detailed interview schedule.

Research Methodology - The present study is based on Primary data which is collected by field survey. One-way ANOVA test is applied for the statistical analysis of the data. Post hoc comparisons using the Scheffe test is done for identifying the overall situation. The results of the study area have also been presented in the form of tables and figure.

Analysis - Analysis as stated earlier by analysis we mean the computation of certain indices or measure along with searching for patterns of relationship that exist among the data groups. Analysis, particularly in case of survey or experimental data, involves estimating the values of unknown parameters of the population and testing of hypothesis for drawing inferences.

Classification and analysis about the status of communication sources

Table No. 1 - **(See in the next page)**

Table No. 2 - **((See in the next page)**

Effects of different communication sources on the awareness of pulse polio programme - **(See Graph Next page)**

Results - This study included 300 married women aged 18 years and older of Mainpuri district. A one-way ANOVA was conducted to compare the effect of communication sources on the awareness of pulse polio programme in localite, cosmopolite and mass media categories. There was a significant effect of communication sources on the awareness of pulse polio programme. p value = 532.944 is significant at 0.05 level with DF=2/297. The mean score of awareness of pulse polio programme conducted by government through the source of media, localite and cosmopolite different significantly.

Mean of mass media is 9.61, standard deviation is 0.490, standard error is 0.047, for localite mean is 8.34, standard deviation is 0.497 and standard error is 0.050 similarly for cosmopolite mean is 7.36, standard deviation is 0.481 and standard error is 0.051.

These results suggest that among the different sources of communication, the effect of mass media sources is maximum.

Therefore, the present study reveals that mass media sourecs play a major role in creating awareness among the subjects about the pulse polio programme conducted by the government in the rural areas of Mainpuri district.

Conclusion and suggestions - The present study revealed that mass media source have an enormous influence in educating, empowering and creating awareness about pulse polio programme.

To increase the awareness about the pulse polio programme, future studies should investigate the role that

different communication sources play in influencing other health behaviours.

References :-

1. Polio Global Eradication Initiative.
2. WHO certifies India polio-free. The Hindu. 27 March 2014.
3. "Mumbai child becomes fourth Indian to get polio from vaccine". The Hindu. Retrieved 2 January 2015.
4. http://edition.cnn.com/2014/03/22/health/india-end-of-polio/index.html
5. http://timesofindia.indiatimes.com/entertainment/hindi/bollywood/news/Amitabh-Bachchan-happy-with-polio-eradication-from-India/articleshow/38745401.cms
6. http://unicef.in/PressReleases/69/Amitabh-Bachchan-launches-new-Polio-Communication-Campaign
7. http://www.unicef.org/infobycountry/india_53598.html

Table No. 1 - One-way Analysis of Variance of Different Communication Sources

Sources of Variable		Sum of square	DF	Mean of square	F	Remark
Awareness of Polio	Between groups	255.717	2	127.858	532.944	0.000
	With in groups	71.253	297	.240		
	Total	**326.970**	**299**			

Table No. 2 -Scheffe Comparisons of Different Communication Sources

Communication	Communication sources (J)	Mean difference(I-J)	Standard error	Remark
Media	Localite	1.269*	0.068	0.000
	Cosmopolite	2.254*	0.070	0.000
Localite	Media	1.269*	0.068	0.000
	Cosmopolite	0.984*	0.071	0.000
Cosmopolite	Media	2.254*	0.070	0.000
	Localite	0.984*	0.071	0.000

* The mean difference is significant of the 0.5 level.

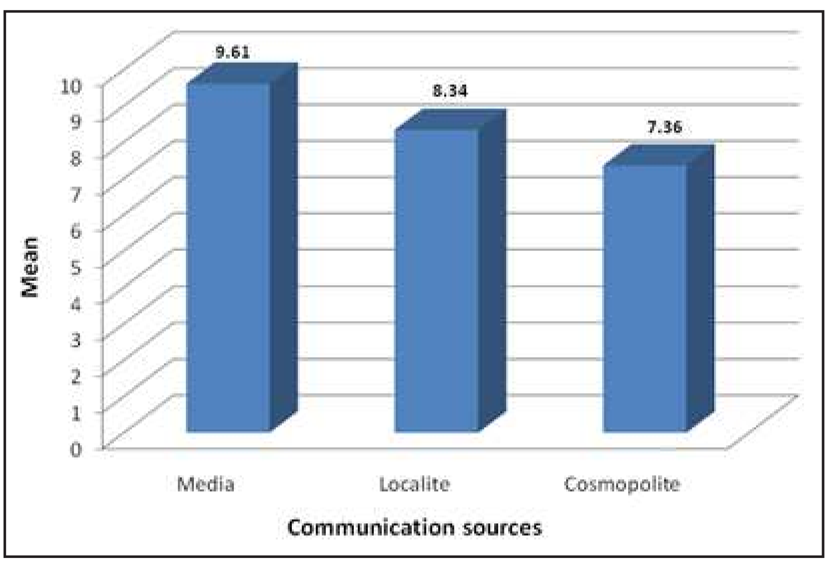

****

Knowledge About Heart Disease Risk Factors Among The Diabetic Population Of Jodhpur

Lata Seeyol * Dr. Meenakshi Mathur **

Abstract - Cardio vascular diseases are a major cause of death in today's world**.** The knowledge about heart disease risk factors is low in the developing countries as compared to the developed nations. Diabetes is considered as one of the major life style disease which in turn leads to heart disease. **Objective**: The present study was conducted to assess the knowledge of diabetic people about heart disease risk factors**. Methods and materials:** Heart Disease Fact Questionnaire **(**HDFQ) was the tool used to interview the participants who were 21 – 80 years of age. The participants were approached at the Ridhhi Sidhhi Diabetic Clinic, Jodhpur. The data was compared among age and gender. **Result:** There was no significant difference in the knowledge of people of the two genders and the advancing age also did not show any significant increase or decrease in the knowledge. **Conclusion:** The findings of the study suggest that there is a need to increase awareness among the population regarding CVD risk factors through community based education programs.
Keywords - Cardio Vascular Disease, Diabetes, HDFQ, Knowledge.

Introduction - Heart attacks and strokes are the most common cause of death over the world. According to WHO (2017) CVD is the number one cause of death globally. Till 2015, an estimated 17.7 million people died from CVD; that is 31% of all global deaths. Over three quarters of CVD deaths take place in low and middle-income countries. The cardiovascular disease or high cardiovascular risk can be attributed to certain lifestyle factors as family history, age, sex, smoking, alcohol consumption, higher levels of lipids present in blood, obesity, hypertension, diabetes and physical inactivity. It is estimated that 23.3 million people will die by 2030, because of heart diseases. This situation can be prevented by educating the people about the risk factors for heart disease.

Various studies have been conducted to check the knowledge of people from around the globe, one such study by Gladys et.al. (2015) concluded from their study that women in Zimbabwe, have not so good knowledge of the cardio vascular disease risk factors and that education programs need to be conducted to prevent such lifestyle diseases in future.

Another study by Tomar et.al. (2015) revealed in their study that teachers at King Fahd University of Petroleum and Minerals, (KFUPM), Saudi Arabia, had misconceptions about their health. They were not able to relate the risk factors with their knowledge and habits. On the contrary Angosta and Speck (2014) concluded that the Filipino Americans had a good knowledge of the risk factors but many were reported having the risk factors, but the study suggested that enhancing their knowledge would help preventing the disease. Jones and Sundresh (2017) from Tamil Nadu, India, conducted the study to assess the knowledge of the attender presenting with the patient at the time of Cardio Echography, most of the attender had sub optimal levels of knowledge that in turn emphasizes the need for educative programs. Keeping the before said statement in mind the present study was conducted to assess the knowledge of diabetic people regarding the risk factors for heart disease, for the purpose Heart Disease Fact Questionnaire (HDFQ) was used.

Objective Of The Study - To assess the knowledge about the heart disease risk factors of the diabetic people.

Methods And Materials - A prospective questionnaire based study was conducted at Ridhhi Sidhhi Diabetic Clinic, section seven, Jodhpur, Rajasthan, India. The patients, included in the study were already registered at the clinic and were consulting the doctor for diabetes. A written consent was obtained from the participants and there were no issues regarding communication. Pregnant women were excluded from the study. A total of 60 participants were randomly selected and interviewed face to face using Heart Disease Fact Questionnaire (HDFQ) over a period of one month. The demographic data included their age (21-50 and 51-80 years.), gender (male and female), occupation (employed and unemployed), education (school and beyond school) and locale(rural and urban). The scores of the participants were compared amongst the age group and gender.

* Research Scholar, Department of Home Science, Jai Narain Vyas University Jodhpur (Rajasthan) INDIA
** Professor and Head, Department of Home Science, Jai Narain Vyas University Jodhpur (Rajasthan) INDIA

Results And Discussions - The participants were 60 in number out of which 30(50%) were male and 30(50%) were female. The age range was 21 to 50 years and 51 to 80 years. Education was classified as school= 13(21.6%) and beyond school= 47(78.3%). 45(75%) participants were employed and 15(25%) were unemployed. 10(16.77%) were from rural Jodhpur and 50(83.33%) were from urban Jodhpur. The overall scores predict a poor knowledge of risk factors among the population. On calculating the results we find that there was no significant effect of age or gender on the knowledge. Almost 20(33%) participants were able to score 20 or above whereas rest 40(67%) scored less than 20, this gives us a picture of the poor knowledge about risk factors.

Table: 1 (see in next page)

Table- 1 depicts that the high cholesterol was considered as a major risk factor for heart disease by 55(91%) participants followed by high sugar putting strain on heart 53(88%), overweight 52(86%), diabetes was considered a risk factor by 51(85%) and 51(85%) participants accepted that walking & gardening will lower the risk of heart disease.

Out of the total participants14 (23%) were ignorant about the effect of diabetes on cholesterol, 15(25%) were not aware of the fact that quitting smoking could lower the risk of developing heart disease and 16(26%) were not able to find out the relation of diabetes with cholesterol.

This table concludes that the knowledge of the participants about cholesterol, diabetes, obesity and physical activity as a risk factor for heart disease was good but on the contrary knowledge about relation among diabetes and cholesterol and the effect of quitting smoking was poor.

The t- test was applied to find out the difference among Males and Females about knowledge regarding the heart disease risk factors. 't' came out to be 1.445, which is not significant at either 0.05 or 0.01 level.

Table - 2 : Differences among Gender about knowledge.

Gender	N	Mean	S.D.	't'
Male	30	19.8	2.82	1.445(ns)*
Female	30	18	3.74	

*ns= non significant.

Table-2 indicates that the participants lack knowledge about the heart disease risk factors irrespective of their gender, i.e., differences among the participants about the knowledge does not depend on gender; both the sexes are almost equally uninformed about the risk factors of heart disease.

The 't' was applied to find out the difference among people of two different age groups about knowledge regarding the heart disease risk factors, i.e., from 21-50 years and 51-80 years. 't' came out to be 0.572, which is not significant at either 0.05 or 0.01 level.

Table- 3 : **Differences among Age groups about knowledge**.

Age group	N	Mean	S.D.	't'
21-50 years	30	19.63	2.73	0.572(ns)*
51-80 years	30	18.94	3.50	

*ns= non significant.

Table-3 indicates that the participants lack knowledge about the heart disease risk factors irrespective of their age, i.e., the differences among the knowledge of the participants does not depend on age. Both the age groups are equally uninformed about the risk factors.

Conclusion - In this study quite many people had a fairly good knowledge about the cardio vascular disease risk factors like high cholesterol, high blood sugar, obesity and diabetes but they had poor score on the other part, i.e. their knowledge was incomplete or they were not confident about their answers. The findings of this study reveal that the diabetic people of Jodhpur lack knowledge regarding the heart disease risk factors, there is a need to improve the quality of life of the people through community based educational programs.

Acknowledgements - I would like to express my sincere gratitude to The Department of Home Science Jai Narain Vyas University, Jodhpur. I acknowledge the cooperation rendered by Ridhi Sidhi Diabetic Clinic, Jodhpur for allowing me to interact with their patients and above all I am thankful to The UGC for sponsoring my Ph.D.

References :-

1. Angosta AD. and Speck KE. Assessment of heart disease knowledge and risk factors among first-generation Filipino Americans residing in Southern Nevada: A cross-sectional survey. Clinical Nursing Studies. Vol. 2(2): March 2014: 123-132.
2. Chinju G,Andhuvan G.A Population based study on Awareness of Cardiovascular Disease Risk Factors. Indian Journal of Pharmacy Practice 2014;7(2):23-24.
3. Gladys S, Mathilda Z and Doreen M. Knowledge of Cardiovascular Disease Risk Factors in Women Aged 70-20 Years with Diabetes Mellitus at a Central Hospital in Zimbabwe. Nova J Med Biol Science. Vol. 4(4): Dec 2015:1-6.
4. Jones AC. And Sundresh NJ. A Study On Awareness Of Cardiovascular Risk Determinants In
Vol.6(7): July 2017: 418-419.
5. Mariya A, Siddiq A, Paul EM, Thomas J and DR Bharathi. Assessment of Knowledge and Awareness on Cardiovascular Risk Factors in a Teaching Hospital. International Journal of Pharma Research and Health Sciences. Vol.4(3): 2016: 1166-1170.
6. Mendis, Shanthi, Puska, Pekka, Norrving B. Global Atlas on Cardiovascular Disease Prevention and Control 2011; 1(1): 3-18.
7. Tomar R, Ameer AHA and Antony VC. Life Style Risk Factors and Cardiovascular Disease: Exploring the Knowledge of Cardiovascular Disease among University Teachers in Saudi Arabia. Indian Journal of Science and Technology. Vol. 8(33): Dec 2015:2-5.
8. Understand Your Risk of Heart Attack. American Heart Association, Available from: http://www.heart.org/HEARTORG/conditions/heartattack.Accessed on2017.
9. Wagner J, Lacey K, Chyun D, Abbott G. Development

of a questionnaire to measure heart disease risk knowledge in people with diabetes: the Heart Disease Fact Questionnaire. Patient Educ Couns. 2005:58:82-7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15950840

10. WHO: World Health Organization- global status report on non-communicable diseases [Internet] Available from; http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/en. Accessed on 2017.

Table: 1 Knowledge of heart disease risk factors: item analysis (N=60)

S.	Statements	Correct Response	Percentage
1.	A person always knows when they have heart disease.	**37**	**61.66**
2.	If you have a family history of heart disease you are at a risk for developing heart disease.	**41**	**68.33**
3.	The older a person is, the greater their risk of having heart disease.	**36**	**60**
4.	Smoking is a risk factor for heart disease.	**28**	**46**
5.	A person who stops smoking will lower their risk of developing heart disease.	**15**	**25**
6.	High Blood Pressure is a risk factor for heart disease.	**30**	**50**
7.	Keeping Blood Pressure under control will reduce a person's risk for developing heart disease.	**32**	**53.33**
8.	High cholesterol is a risk factor for developing heart disease.	**55**	**91.66**
9.	Eating fatty foods does not affect blood cholesterol levels.	**47**	**78.33**
10.	If your good cholesterol (HDL) is High you are at a risk for heart disease.	**26**	**43.33**
11.	If your bad cholesterol (LDL) is High you are at a risk for heart disease.	**30**	**50**
12.	Being Overweight increases a person's risk for heart disease.	**52**	**86.66**
13.	Regular Physical Activity will lower a person's chance of getting heart disease.	**20**	**33.33**
14.	Only exercising at a Gym or in an exercise class will help lower a person's chance of developing heart disease.	**23**	**38.33**
15.	Walking and gardening are considered exercise that will help lower a person's chance of developing heart disease.	**51**	**85**
16.	Diabetes is risk factor for developing heart disease.	**51**	**85**
17.	High blood sugar puts a strain on the heart.	**53**	**88.33**
18.	If your blood sugar is high over several months it can cause your cholesterol level to go up and increase your risk of heart disease.	**18**	**30**
19.	A person who has diabetes can reduce their risk of developing heart disease if they keep their blood sugar levels under control.	**17**	**28.33**
20.	People with Diabetes rarely have high cholesterol.	**14**	**23.33**
21.	If a person has diabetes, keeping their cholesterol under control will help to lower their chance of developing heart disease.	**16**	**26.66**
22.	People with Diabetes tend to have low HDL (good) cholesterol.	**32**	**53.33**
23.	A person who has diabetes can reduce their risk of developing heart disease if they keep their blood pressure under control.	**36**	**60**
24.	A person who has diabetes can reduce their risk of developing heart disease if they keep their weight under control.	**41**	**68.33**
25.	Men with diabetes have a higher risk of heart disease than women with diabetes.	**23**	**38.33**

****

Awareness about Maternal Health Care Services among Beneficiary Mothers

Aditi Vijay * Dr. Meenakshi Mathur **

Abstract - Maternal health refers to the health of women during pregnancy, childbirth and the postpartum period. While motherhood is often a positive and fulfilling experience, for too many women it is associated with suffering, health problems and even death.

High maternal morbidity and mortality rate is an enormous public health problem in the India. India has accounted for at least a quarter of maternal deaths reported globally. India's goal is to lower maternal mortality to less than 100 per 100,000 live births but that is still far away despite its programmatic efforts. Despite the existence of national programs for improving maternal and child health, maternal and mortality continue to be high and studies suggested that the majority of maternal deaths can be prevented or reduced if women had access to, or visited maternal health services during pregnancy, childbirth and the first month after delivery.

Most developed countries have made considerable progress in addressing maternal mortality, but it appears that countries with high maternal mortality burdens like India have made little progress in improving maternal health outcomes despite emphasis by the Millennium Development Goals (MDGs). Awareness about safe motherhood practices could help reduce pregnancy related health problems.

The study analyzes the status of maternal health including recent innovative maternal health care services. It identifies in the many studies that the awareness of the maternal services is significantly associated with education of mother, socio economic status of family, gestational age and parity index. Source of information are mainly ASHA and ANM. The utilization of maternal health services among rural women is far from acceptable. A few studies highlight improvement in the level of awareness about the maternal health services.
Key Words - Maternal Health, Mortality, Morbidity.

Introduction - Every minute of life every day, somewhere in the world and most often in developing countries, a woman dies from complication during pregnancy or childbirth. For every woman who dies, 30 to 50 percent women suffer from injury, infection, or disease. Pregnancy-related complications are among the leading causes of death and disability for women aged between 15-49 years in developing countries. More than a decade of researches has shown that small and affordable measures can significantly reduce the health risks that women face when they become pregnant. Majority of the maternal deaths could be prevented if women had access to proper health care during pregnancy, childbirth and immediately afterwards. Maternal and Child Health services are at the priority list of the government.

According to Safe Motherhood every minute of every day, in developing country, a woman dies from complications related to pregnancy or childbirth. That is 515,000 women, at a minimum, dying every year. Nearly all maternal deaths (99 percent) occur in the developing world-making maternal mortality the health statistic with the largest disparity between developed and developing countries. New Born babies are also under going this terrible fate, anencephalic babies that suffer from this die days or it not weeks after birth.

Status of Maternal Mortality in India - The report of National Institute of Public Cooperation and Child Development 2015 shows that the maternal mortality ratio is the number of women who die from any cause related to pregnancy or its management during pregnancy and childbirth or within 42 days of termination of pregnancy, irrespective of the duration and site of the pregnancy, per 100,000 live births. Such deaths are affected by various factors, including general health status, education and services during pregnancy and childbirth. Improving access to ante natal care in pregnancy, skilled care during childbirth, and care and support in the weeks after childbirth will reduce maternal deaths significantly.

In India, pregnancy related deaths of women have declined over the years. The number of maternal deaths per year has come down from approximately 1,00,000 deaths (1991-01) to 44,000 deaths in 2011-13**.** Though,

* Research Scholar (Home Science) Jai Narain Vyas University, Jodhpur (Rajasthan) INDIA
** Professor & Head (Home Science) Jai Narain Vyas University, Jodhpur (Rajasthan) INDIA

more than 50 per cent reduction has been registered in the approximate number of maternal deaths in the last two decades, the present status shows that, even now, 120 women die of causes associated with pregnancy, in a day, in India.

Services to promote Maternal Health - Recognizing the importance of health in the process of social and economic development of our country, increasing the maternal mortality rate, improving the quality of life of pregnant mothers and provide access to care; various maternal health care services are running in all over India, in which some maternal health care services are as follows:

1. **108 Ambulance Scheme -** 108 Ambulance Scheme was launched in September 2008 under the NRHM. To provide comprehensive Emergency Response Services to the people of Rajasthan.
2. **Janani Shishu Suraksha Karyakram -** It was launched on 1st June, 2011 under the NRHM scheme by Government of India. The new initiative of JSSK would provide completely free and cashless services to pregnant women including normal deliveries and caesarean operations and sick new born (up to 30 days after birth) in Government health institutions.
3. **Kalewa Yojana -** It is funded by NRHM and implemented by DWCD. Under this scheme free warm and nutritious food given at CHC level for 2 days to women who had delivered at CHC.
4. **Yasoda Yojana -** The main objectives of the scheme are provide special care and support to mother and newborn, provide counselling during antenatal and postnatal period, care of mother and newborn and immunization, breastfeeding and family welfare.
5. **Janani Express -** It was launched on 2 Oct, 2012 to promote the Janani Suraksha Yojana and institutional deliveries. Free transportation facility provide for pregnant women to health centres for delivery and available in emergencies in the pre and post delivery periods. The toll free number of Janani Express Service is 104.
6. **ICDS -** The Integrated Child Development Services (ICDS) Scheme by the Ministry of Women and Child Development which was launched in 1975 is having pregnant and lactating mothers as one of its target groups. The objectives of ICDS are achieved through a package of services, among which the services of supplementary nutrition, immunization, health check-up and referral services are available for pregnant and lactating mothers.
7. **Pradhan Mantri Surakshit Matritva Yojana -** It was launched on 9th June 2016 by Shree Narendra Modi for pregnant women to provide free medical check up.
8. **Janani Suraksha Yojana -** It was launched in April 2005. It is a centrally sponsored scheme under NRHM umbrella to benefit pregnant women & certified poor families. It played vital role in the reduction of MMR. So Govt. should try to launch more and more schemes like JSY to make the mother's life safe and fruitful (Neeraj Gour et al., 2012).

Awareness of Maternal Health Care Services among women - According to a study conducted by Olayinka et al. (2014), there is high awareness of maternal health services, but lack of in-depth knowledge of some services rendered such as preconception care and postnatal care. Kingori et al. (2016) assumed in his study that a client's characteristics like age, education, religion, marital status and employments have significant influence on the awareness and the level of education was the best predictor of awareness of maternal health systems initiatives, In the area of awareness of maternal health systems initiatives, emergency obstetric care (EmOC) and free maternity services (FMS) had the lowest awareness level with a median of 1 (that is slightly aware).

Johnson et al. (2015) has described that the awareness of the maternal health services was significantly associated with education of mother, socio economic status of family, gestational age and parity index.

According to Sharma et al. (2012) awareness about maternal health service Janani Suraksha Yojana was more among women belonging to rural areas. Age, educational status, occupation, socio-economic status and place of residence showed a significant statistical association with the level of awareness.

Chatterjee et al. (2015) reiterates through her study in a rural area of West Bengal, India that low awareness level of the pregnant mothers regarding the entitlements of JSSK. According to Dhingra and Ghani (2013) assumed that majority (79.1%) of the respondents were aware of the importance of medical consultation during pregnancy and about 48.6% were fully aware with appropriate time of consultation. Almost all respondents were aware about pre-natal care components.

Singh et al. (2014) assumed in his study that more than half of the women (52.7%) were aware about the JSY & only 17.24% of them were able to answer the correct name of the scheme. About 54.5% women had the knowledge about the components of JSY. Poor socioeconomic class, backward caste (SC/ST) & skilled/ unskilled type of occupation were found to be significantly associated with the presence of knowledge about JSY. Kaushik (2010) found that no one knew the name of the scheme i. e. Janani Suraksha Yojana, 76% of the study subjects were aware about the fact that there is provision of benefit by the Government for those females who deliver in a public health facility. Out of total study subjects about 50% were aware about the correct amount i. e. Rs. 1400/- are paid to the beneficiary under Janani Suraksha Yojana.

Conclusion - To conclude, the present study has documented that awareness of maternal health care services among beneficiary mothers is far from acceptable. The awareness of the services was significantly associated with education of mother, socio economic status of family, their work. Working women have awareness about the maternal health care services. Their husband's education level has a significant influence on the awareness level of

women regarding services. Influence of electronic and print media on awareness level of mothers clearly reflects in the studies.

Suggestions - It is recommended that specific intervention should be planned to increase the awareness. This can be done through simple effective measures like information education communication (IEC) strategies through street play, exhibition of posters etc. A major source of information as found in the studies was ANM; therefore they should be motivated to continue the same work. Government should subsidize maternal health services in order to make it affordable, acceptable and available to women. Also nurses should encourage women of reproductive age to utilize maternal health facilities.

References :-

1. Chandavari, V., and Badiger, G., National Rural Health Mission: Impact on Rural Mothers and Children, Karnataka J. Agric. Sci., 2013; Vol. 26(1), PP.133-137.
2. Chatterjee, S., Das, D., Singh, R., Basu, A., Chakraborty, A. and Ghosh, P., Awareness about Janani Shishu Suraksha Karyakram (JSSK) among pregnant mothers- a community based study in a rural area of West Bengal, India, Journal of Dental and Medical Sciences, 2013; Vol.14(9), PP.01-05.
3. Dhingra, R. and Ghani, I., Assessment of Knowledge of ICDS Women Beneficiaries in District Budgam of Kashmir Region Regarding Prenatal Care, Global Journal of Medical Research, 2013; Vol.13 (2), PP. 21-27.
4. Gour, N., Srivastava, D., Adhikari, P. and Shahi, A., A Desk Review to Assess the Impact of Janani Suraksha Yojna on Various MCH Indicators in District Gwalior, India, International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health, 2012; Vol.4(8), PP.1497-1506.
5. Johnson, A.R., Rock, B., Catherin, N., Berlin, Sr., Respini, R. and Kasthuri, A., Awareness of Government Maternity Benefit Schemes among Women attending Antenatal Clinic in a Rural Hospital in Karnataka, India, International Journal of Current Research and Academic Review, 2015; Vol. 3(1), PP.137-143.
6. Kaushik, A., Mishra, C.P., Kesharwani, P., Richa and Hussain, M.A., Awareness about Janani Suraksha Yojana among Reproductive Age Women in a Rural Area of Varanasi, Indian Journal Prev.Soc.Med, 2010; Vol.41 (3), PP.159-161.
7. Kingori, W.S., Okero, D.C. and Muthoni, E., Uptake of Maternal Health Systems initiatives among mothers in Nakuru County, Kenya, International Journal of Scientific and Research Publications, 2016; Vol. 6(1), PP. 28-35.
8. National Institute of Public Cooperation and Child Development., An Analysis of Levels and Trends in Maternal Health and Maternal Mortality Ratio in India, New Delhi, 2015.
9. Olayinka, O.A., Achi, O.T., Amos, A.O. and Chiedu, E.M., Awareness and Barriers to Utilization of Maternal Health Care Services among Reproductive women in Amassoma Community, Bayelsa State, International Journal of Nursing and Midwifery, 2014; Vol.6(1), PP.10-15.
10. Singh, P., Khobragade, M. and Kumar, A., A study on Awareness about Janani Suraksha Yojana among Rural married females, Journal of Health Science, 2014; Vol.2(1), PP.40-41.
11. Singh, P.K., Kumar, C., Rai, R.K. and Singh, L., Factors associated with maternal healthcare services utilization in nine high focus states in India: a multilevel analysis based on 14 385 communities in 292 districts, 2013.
12. Singh, P.K., Rai, R.K., Alagarajan, M. and Singh, L., Determinants of Maternity Care Services Utilization among Married Adolescents in Rural India, PLOS ONE 7(2): e31666. doi:10.1371/journal.pone.0031666, 2012.
13. Singh, V.S., Chavan, S.S., Giri, P.A. and Suryavanshi, S.R., Study on awareness and knowledge regarding Janani Suraksha Yojana (JSY) among ANC registered women in a primary health centre of tribal area of Thane District of Maharashtra, International Journal of Research in Medical Sciences, 2014; Vol.2(1), PP.122-126.
14. Vora, K.S., Mavalankar, D.V., Ramani, K.V., Upadhyaya, M., Sharma, B., Iyengar, S., Gupta, V. and Iyengar, K., Maternal Health Situation in India: A Case Study, Journal of Health, Population and Nutrition, 2009; Vol.27 (2), PP.184-201.

Webliography :-

1. Safe Motherhood URL: http://www.safemotherhood .org/
2. Ministry of health and family welfare.Government of India. URL: http://mohfm.nic.in/nrhm/rchgidelines
3. 108 Ambulance URL: http://nrhmrajasthan.nic.in/ DHANWANTRI%20AMBULANCE%20YOJNA-%91108%92.htm
4. Janani Shishu Suraksha Karyakrm URL: http://www. nrhmmeghalaya.nic.in/jssk.html
5. Janani Express URL: http://www.sihfwrajasthan.com/ ppts/full/Schemes%20of%20Government%2 0of%20Rajasthan%20in%20Health.pdf
6. Janani Suraksha Yojana URL: http://nrhmrajasthan .nic.in/Programmes.htm
7. ICDS URL: http://wcd.nic.in/icds.htm
8. Pradhan Mantri Surakshit Matritve Yojana URL: http:// pmjandhanyojana.co.in/pradhan-mantri-surakshit-matritva-yojana-details/

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) July to September 2017, Vol. II

To Find Out Bone Mineral Density And Other Associated Disorders Among The Postmenopausal Women Jodhpur (Rajasthan)

Madhu Kagat * Dr. Raka Srivastava **

Abstract - During present investigation three hundred postmenopausal women (45-55 years) residing in Jodhpur city belonging to MIG and HIG were selected on the basis of convenient sampling. Results of Bone Mineral Density revealed that majority of subjects were suffering from osteopenia and osteoporosis when compared with the values given by WHO, 1994. And the other associated disorders noted were Gout, Thyroid, Diabetes Mellitus, Anemia, Blood pressure, Arthritis and Cardiovascular disease is higher in number. Bone Mineral Density of the postmenopausal subjects under study was not found to be satisfactory and indicates the need for intervention program for the subjects.

Introduction - Menopause is a stage in life when a women stops having her monthly period. It is a normal part of aging and marks the end of a women's reproductive years. Menopause typically occurs in a women's late 40s to early 50s. Post menopause are the years after menopause. During this stage, menopausal symptoms, such as hot flashes, can ease for many women. But as a result of lower level of estrogen, post menopausal women are at increased risk for a number of health conditions, such as osteoporosis and heart diseases (Genazzani AR et.al., 2006)

Post menopausal women are generally affected by osteoporosis and fracture rates among them are approximately twice as high as men. The cause of osteoporosis is very complex but it is clear that hormonal changes after menopause increase the rate of bone resorption, leading to greater risk of osteoporosis. The silently progressive metabolic bone disease is widely prevalent in India and is a common cause of morbidity and mortality in women (Gupta, 1996). The Occurrence of osteoporosis in postmenopausal women is a very common problem especially in India, as Indian women are exposed to many risk factors like low calcium diet, lack of exercise, family history and in general, lack of health awareness.

A bone mineral density test uses X-rays to measure the amount of minerals - namely calcium in bones. This test is important for people who are at risk for osteoporosis, especially women and older adults. The bone loss that begins in mid adult life, that Is after age 40 in women and later in men, and continues into old age, is a normal process. Bone composition remains unchanged but both BMC and BMD decreases with age. When BMD falls sufficiently below healthy values (1 standard deviation (SD) according to WHO standards), osteopenia, or too little bone, exists. Osteoporosis occurs when the BMD becomes so low (greater than 2.5 SD below healthy values) that the skeleton is unable to sustain ordinary strains, a condition marked by the occurrence of fractures or the strong likelihood of a fracture.

Methodology -

1. **Selection of the subjects -** Subjects were taken from jodhpur city. Jodhpur is one of the prominent cities of Rajasthan, situated in the west of the state. Three hundred postmenopausal women of 45-55 year residing in Jodhpur city belonging to MIG and HIG were selected on the basic of convenient sampling technique. Willingness of the subjects to co-operate during the study was considered as an important criteria of their selection. After getting their informed consent subjects were apprised of the nature of investigation. The confidentiality of the information so gathered was ensured. The subjects selected for the study were than interviewed to collect all the relevant information with the help of pretested structural interview schedule.
2. **Collection of Data -** An interview schedule was developed to collect detailed information from selected subjects regarding background information (age, religion, type of family, educational status, occupation, food habits), biochemical parameters, orthopedic symptoms, dietary survey, food frequency questionnaire.
3. **Bio chemical parameters -** Subjects were asked about the previous history of many diseases like Diabetes mellitus, Anemia, Thyroid, Gout, Celiac disease, Blood pressure, Cardiovascular disease, Arthritis, Heredity etc.
4. **Bone mineral density -** Bone mineral density (BMD) is a two - dimensional projection measurement defined as the average concentration of mineral per unit area

*Research Scholar (Home Science) JNVU, Jodhpur (Raj.) INDIA
**Asst. Professor (Home Science) JNVU, Jodhpur (Raj.) INDIA

expressed in grams per square centimeter (Gourlay et. al., 2004). With the help of Orthopedic doctor 300 subjects were undergone through BMD test, to find out their bone health conditions. The tested values was compared with the BMD -T- Values given by WHO(1994).

T- score are used for the densitometric diagnosis of osteoporosis

Diagnosis	T-score criteria
Normal	$\geq$ -1
Osteopenia (low bone mass)	< -1 and > -2.5
OsteoporosisSevere (established	$\leq$ - 2.5
fracture osteoporosis)	$\leq$ - 2.5 + presence of one or more fragility fracture

Source - WHO (1994)

5. Statistical Analysis of Data - Observations collected on the various aspects of the study have been statistically analyzed as suggested by Gupta (1997). Frequency and percentage was calculated for each set of observations.

Results and discussion -

Table -1. Prevalence of Various diseases among the subject N=300

Diseases	Frequency (N)	Percentage %
Diabetes Mellitus	107	35.7
Thyroid	142	47.3
Anemia	108	36.0
Gout	164	54.7
Celiac	00	00
Blood Pressure	103	34.3
Cardio-vascular diseases	75	25.0
Arthritis	74	24.7
Heredity	00	00

As indicated in Table 1. The prevalence of Gout in postmenopausal women was about 54.7 percent. Thyroid was the second most common disease (47.3 percent) prevalent in the subjects. Diabetes Mellitus, Anemia and Blood pressure was reported to be as 35.7 percent, 36.0 percent and 34.3 percent respectively. Now a day's all the three Diabetes mellitus, Anemia and Blood Pressure are most commonly found in society. The prevalence of Cardio vascular disease and Arthritis was 25.0 percent and 24.7 percent respectively. Arthritis is most commonly found in postmenopausal women because of hormonal imbalance. None of the subjects were suffering celiac disease. It was also observed that the disease was not carried through hereditary factors.

Table - 2 Bone Mineral Density Categorization (N = 300)

BMD	Frequency	Percentage
Normal	35	11.7
Osteopenia	139	46.3
Osteoporosis	126	42.0

According to the Table -2. Out of 300 subjects only 35 subjects found to be in normal category. 139 subjects was in Osteopenia category means proceeding towards osteoporosis. And 126 subjects lie in the osteoporosis category. Accordingly it had been concluded that majority of subjects were suffering from Osteopenia and Osteoporosis at the age of postmenopausal phase which required extra supplementation.

Conclusion - The result of present study revealed that in the age of post menopause the subjects suffered from Gout, Thyroid are more in percentage. Diabetes Mellitus, Anemia and Blood pressure was the second most common disease found in them. Arthritis and Cardio- vascular disease was also found but less in percentage compared with others. The result clearly shows that majority of postmenopausal subjects was suffering form osteopenia and osteoporosis. It has been concluded that at the age of post menopause all the subjects require extra supplementation other then the normal diet. So that they avoid osteoporosis and associated disorders.

References :-

1. A Gupta-National Medical Journal of India, 1996 researchgate.net
2. Andrea R. Genazzani, Hermann P.G. Schneider, Nick Panay & Esme A. Nijland pp. 369-375, (2006)
3. Gupta, S.P. (1997). Statistical methods, Sultan Chand and sons publishes, New Delhi.
4. M. Gourlay, F.Richy, P.D. Ross, S.S. Sen, L. Radican, F. De Ceulaer, W. Ben Sedrine, O. Ethgen, O. Bruyere, J.-Y. Reginster *QJM: An International Journal of Medicine,* Volume 97, Issue 1, pp 39-46 (2004)
5. WHO (1994) https://www.nof.org

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) July to September 2017, Vol. II

महिला उद्यमिता से समुदाय का विकास - 'जिम्मेदारी संग नारी भर रही है उड़ान ना कोई शिकायत ना कोई थकान'

खुशबू असोपा * प्रो. मीनाक्षी माथुर **

शोध सारांश । महिला सशक्तिकरण की सर्वप्रथम पहल सन् 1985 (केन्या) में सम्पन्न हुए अन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में की गयी थी महिला उद्यमी को आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण स्त्रोत माना है। एक स्वस्थ व शिक्षित महिला राष्ट्र के लिए सम्पदा होती है। क्या महिला उद्योग से पूरे समाज/समुदाय का विकास हो रहा है और उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है या नहीं ?

शब्द कुंजी - महिला सशक्तिकरण, महिला उद्यमी और उनकी अर्थव्यवस्था।

प्रस्तावना - महिला सशक्तिकरण का अर्थ है कि अपनी निजी स्वतंत्रता और स्वयं के फैसले का अधिकार देने से है। एक स्वस्थ व शिक्षित महिला राष्ट्र के लिए सम्पदा होती है। यदि कोई महिला अपने अधिकारों के सम्बन्ध में सजग व आत्मनिर्भर है, तो उसके आत्मसम्मान में अवश्य वृद्धि हुई है। एक समय ऐसा था जब महिलाओं को किसी भी प्रकार का अधिकार देना गलत माना जाता था, उन्हे पुरूष के पांव की जूती तक समझा जाता था, जो बस आते जाते पैरो तले रौंद दी जाती थी। लेकिन आज का भारत एक आधुनिक भारत है, जहॉ धीरे-धीरे महिलाएं अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रही है। वर्तमान में महिलाएं जिन पदो पर कार्य कर रही है, उनमे वे पुरूषों की अपेक्षा कम सक्षम नहीं है। जहॉ सेवा भाव इनकी मूल धरोहर है वही शिक्षा, व्यवसाय, प्रशासन व सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में कार्यरत है। राज्य महिला सशक्तिकरण सूचकांक के अनुसार महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में केरल राज्य का सर्वप्रथम स्थान है। एक महिला पूरी तरह से सशक्त तब हो सकती है, जब वो आर्थिक रूप से स्वलम्बी और मजबूत होगी।

महिला उद्यमी अपने लिए और अन्य लोगों के लिए नये कार्य सृजित करती है और समाज को प्रबंध, संगठन व व्यवसाय समस्याओ के समाधान उपलब्ध कराती है। यद्यपि सदियों से महिलाएं आर्थिक प्रवृति में किसी न किसी रूप में अपना योगदान देती रही है। स्वतंत्रता के बाद से महिलाये बहुत ही सजग हो गयी है और महिलाओं ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ बनाने के लिए स्वयं उद्योग करना प्रारम्भ कर दिया। इसी के आधार पर महिलएं अपने फैसले स्वयं लेने लगी है और उनका जीवन बेहतरीन हो गया है,वे अब घर में न रह कर घर के बाहर जाकर पुरूषों के साथ काम करने लगी है व इससे पुरूषों को भी कोई आपति नहीं है। लेकिन महिला उद्यमी किन्ही विशेष संदर्भो को छोड़कर उतनी सफल नहीं हो पा रही है जितने कि पुरूष उद्यमी होते है। सम्भवतया महिला उद्यमियों को कई घरेलू व बाहरी समस्याओ से जूझना पड़ता है। लेकिन फिर भी महिलायें पुरूषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है।

राजस्थान में तिलोनिया गॉव ऐसा ही है, जहॉ प्रत्येक घर में महिला उद्यमी है और वहां की महिलाओं की स्थिति बहुत ही तीव्र गति से सुधर रही है। तिलोनिया गॉव महिला सशक्तिकरण का जीवंत उदाहरण है, तिलोनिया गॉव में कुल 800 से 1000 घर है। यहा पर 80 प्रतिशत महिलाएं कामकाजी है।

तिलोनिया गॉव की महिला उद्यमी।

यहाँ पर 70 प्रतिशत महिलाएं शिक्षित है, कुछ मेट्रिक पास है,तो कुछ महिलाओं ने पांचवी व आठवीं तक पढ़ाई करके छोड़ी है,कुछ ने कॉलेज तक पढ़ाई कर रखी है। लेकिन यहा की सभी महिलाओं को कम्प्यूटर का ज्ञान है चाहे वो शिक्षित हो या अशिक्षित हो और ये अन्य महिलाओं को भी कम्प्यूटर सिखाती भी है।

अशिक्षित महिलाओं को कम्प्यूटर का ज्ञान

ये महिलाएं अपने बच्चों को पढा लिखा कर डॉक्टर, इंजीनियर बना रही है तथा कुछ बच्चे इनके साथ उद्योग भी करते है। यहॉ पर महिलाएं अपने बच्चों का विवाह सही उम्र में करती है तथा यहॉ पर बाल विवाह नहीं होते है। यहॉ पर SWRC(Social Work and Research Centre) नाम का एक सेन्टर है, जो महिलाओं के लिए नयी -नयी चीजे बनाने व सिखाने का अवसर प्रदान करता है व महिलाओं को उन्नति की दिशा देता है। इस सेंटर में महिलाएं कपडे के खिलौने, बंदनमाला, कपडे की चिड़िया, हैंडीक्राफ्ट आईटम, पेंटिग व सोलर लेम्प आदि तैयार करती है। यहा ब्राहमण व सुनार जाति की महिलाएं ही घर में रहती है बाकि सभी महिलाएं कामकाजी है।

* शोधार्थी (गृह विज्ञान) जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (राज.) भारत
** प्रोफेसर (गृह विज्ञान) जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (राज.) भारत

जाति के अनुसार कार्य करने वाली महिलाएं

जाति	हॉ	नही	कुल
सामान्य	✔		100
(ब्राहमण)		x	50
ओबीसी	✔		120
(सुनार)		x	40
अनुसुचित जाति	✔		100
अनुसुचित जन जाति	✔		100

तिलोनिया गॉव का नाम पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विदेशो में भी प्रसिद्ध है। इस सेंटर में एक स्कूल भी है वही पर इनके बच्चे भी पढते है और शौकरूपी कभी कभी अपनी मॉ के साथ खिलौने बनाने में मदद भी करते है। कुछ महिलाएं यहॉ आकर काम करती है व कुछ महिलाएं अपने घर पर ही कच्चा माल लाकर कपडे के खिलौने बनाती है। ये महिलाएं SWRC से व शहर से माल लाती है। इस गॉव में 80 प्रतिशत घरेलू उद्योग है कपड़े से बनने वाले खिलौनों का उद्योग घर-घर में मिल जाता है। इन खिलौनों का व्यापार भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है, यहा से माल मुम्बई, कलकता, मद्रास, दिल्ली ही नहीं जाता है बल्कि विदेशों में भी जाता है। इस गॉव का अवलोकन करने के लिए कई अभिनेता खिलाड़ी आते है व कई आईटम खरीदते है। उपभोक्ता व होलसेलर स्वयं आकर इनसे माल खरीदते है। ये महिलाएं मेलों में भी दुकाने लगाती है इन महिलाओं की मासिक आय 15,000 से 20,000 रूपये तक है। इनका स्वयं का बैंक में खाता भी है तथा इनकी कमाई इनके खाते में जमा होती है, ये महिलाएं स्वयं अपनी आय का हिसाब-किताब रखती है। यहॉ पर महिलाओ ने घर व उद्योग का बहुत ही अच्छा तालमेल बना रखा है। यहा पर एक "BAREFOOT" कॉलेज है। जिसमे महिलाओं को सोलर लैम्प, सोलर लालटेन,सोलर कुकर व गर्म पानी के लिए हीटर बनाना सिखाया जाता है। इस कॉलेज में अफ्रीकन महिलाएं तथा इस गॉव की महिलायें यहॉ आकर सीखती है यहॉ पर हर उम्र की महिलाएं आती है, इसलिए इन महिलाओं को सोलर ममाज ऑफ तिलोनिया भी कहते है। इसका अवलोकन नरेन्द्र मोदी के द्धारा किया गया इन महिलाओं को पुरस्कृत किया तथा उन्होंने इनके काम की बहुत ही प्रशंसा की तथा उन्होंने कहा भारत की सभी महिलाओं के लिए ये प्रेरणा स्त्रोत है, इनसे प्रेरणा लेकर महिलाओं को अपने पैरो पर खडे होना चाहिए तथा अपने आपको सशक्त बनाना चाहिए।

यहॉ से अफ्रीकन महिलाएं 6 माह में इंजीनीयर बनकर अफ्रीका जाती है तथा वहॉ जाकर इन चीजों को बनाती है व इन्हें ठीक करती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस गॉव का स्तर बहुत ही अच्छा है और प्रत्येक महिला जागरूक है,तथा सभी महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी है, वे किसी पर भी निर्भर या बोझ नहीं है, वे आत्मनिर्भर है। जिससे कि घर,समाज व पूरे देश का विकास हो रहा है। इनसे सभी महिलाओं को सीख लेनी चाहिए तथा अपने आप को सशक्त बनाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. https://www.google.co.in/amp/www.hindikiduniya.com/essay/women-empowerment-essay-in-hindi/amp
2. https://smallb.sidbi.in/node/2712
3. https://www.tiloniya.co.in
4. महिला सशक्तिकरण नवीन शोध संसार, जुलाई 2014 Volume II, Issue VII पृ. 127
5. व्यक्तिगत अवलोकन के आधार पर।

****

Demonetization And Its Impact On Various Sectors Of The Indian Economy

Prof. Shuchi Gupta * Dr. Jyoti Chawla **

Abstract - This is one of the most unique demonetization move in the history of international economy, as it combined secrecy and suddenness and more importantly at the time when the country is not suffering from any crisis or chaos on economic and political fronts but are in a state of absolute normalcy. Demonetization will help the E-commerce industry and encourage the people to use more cashless transaction in day to day life so that the people need not carry the money in currency form for any purchases like hair-oil to shoe from head to legs of human needs. The banking sector will expand the business to rural area quickly and do the more business to reach the general public. Gradually, it is expected that the small businesses viz vegetable vendors and small shopkeepers will also return to normalcy once the cash circulation is revived.

The long term positive macroeconomic effects of the move can be estimated as lower inflation, lower interest rates and lower budget deficits.

Key Words - Demonetization, Counterfeit currency, Black-money, Corruption.

Introduction - A misty light of a new economy was brewing over the country on 8th Nov. 2016, when the sun had descended below the horizon and the light of day had completely faded, when people were retrurning back home from the long day at work,. The term demonetization has become much more than a household name since the old Rs. 500 and Rs.1000 notes were pulled out of circulatiuon that means these are no longer the legal tender of the country.' Demonetization refers to withdraw from use as currency from circulation. It is not new to India and to the outer world. Here, it has happened thrice.

Firstly On the12th Jan 1946 (Saturday) - Government of India decided on Demonetization of High denomination notes in January 1946. According to an Editorial on the tasks before the new finance member, Sir Archibald Rowlands, the Indian Finance referred to the action of the Bank of England in calling in notes of $ 10 and higher denomination and suggested similar actions in India to fight against Black-market money and Tax evasion.

In Jan. 1946, notes of denomination of Rs.1000 and Rs.10000 were withdrawn from circulation and new notes of denomination of Rs.1000, Rs.5000 and Rs.10000 were introduced in 1954.

Secondly on 16th Jan.1978 (Monday) - With the notion of curbing counterfeit currency and Black money, the Janta Party coalition Govt. again demonetized Bank notes of denomination Rs.1000, Rs.5000 and Rs.10000 on the date.

Thirdly on 8th Nov.2016 (Tuesday) - PM Narendra Modi has taken a perfect step towards the interest of India. All Rs. 500 and Rs.1000 bank notes of the Mahatma Gandhi series ceased to be legal tender in India from 9th Nov.2016. The Govt. claimed that the Demonetization was an effort to stop counterfeiting of the current banknotes used for funding terrorism, as well as a crackdown on black money in the country. The move is described as an effort to reduce corruption, the use of drugs and smuggling.

Objectives - The main objectives of this paper are:

To study the impact of Demonetization declared on 8th Nov. 2016 by the present Govt. on various sectors of the Indian Economy till 31st March 2017.

To study the things are getting balanced and equal for each part of the economy after 31st March 2017.

Methodology - The paper is based on secondary data. The data has been collected from internet.

Review of Literature -

- On Nov. 8th Indian PM Narendra Modi took a historic decision by announcing that high denomination notes (Rs.500 and Rs.1000) then in circulation would cease to be a legal tender with demonetization effort 86% of India's currency was nullified that aimed to wash the stock of 'Black market's cash supply' and counterfeit notes out of the economy and convert it into the licit banked and taxable part of the economy.
  (Jayanti Kumari, 15th feb. 2017; Demonetization and its impact on Indian Economy)
- The Reserve Bank of India (RBI) annual report for 2015-16 said that nearly 90.3 billion bank notes worth Rs.16.4 trillion were in circulation in the economy at

*Asst. Professor (Commerce) Shri Arihant College of Professional Education, Ratlam (M.P.) INDIA
**Asst. Professor (Commerce) Shri Arihant College of Professional Education, Ratlam (M.P.) INDIA

the end of March this year. Out of the total value higher denomination notes accounted for a significant share of 86.4%, while remaining share of 13.6% was held by smaller currency notes. (Preety Bhogal, 19th Nov.2016; Demonetization and its effect on Economy)

Impact - Declaration of Demonetization made by PM Modi proved to be shocking for all of us. It becomes very important to take some steps for the welfare of country which have both positive and negative aspects because black money in India has crossed its limits. Observing the sudden changes It is realised that the decision of demonetization has touched the lives of all the people right from a maid to a Rich diamond jeweler. Everyone has got pissed off due to cash deficit. But of course, it is a positive initiative for us to take out the black money from the Indian economy. Demonetization may have positive or negative effects depend on the industry and that the consequences of this decision can be far more complex and difficult to predict.

The varied sectors got affected by this step but ultimately, the things will get balanced and equal for each part of the society. The Impact of Demonetization can be studied better in following segmentation:-

During first 50 days (11th Nov. 2016 to 30th Dec.2016) - First 50 days of Demonetization was proved crisis time for the whole country and it effected the economy adversely. In the days following the demonetization **banks and ATM's** across the country faced severe cash shortages. Till 16th Nov. 2016 most ATM's had run out of cash . SBI had collected Rs.1,14,139 crore in deposits. Deposits in Jan Dhan Accounts soared sharply by around Rs.27,200 crore to 72,834.72 crores in just 14 days after the announcement of note ban.

The tax collection by local bodies have surged over 260% and more than Rs. 15000 crore made after 14 days of demonetization. The total indirect tax collection rose to 14.2% only in the month of December.(acc. To Finance Minister Arun Jaitley)

After 3 weeks banks got about Rs. 8.45 lakh crore worth of **scrapped notes**. This had increased to Rs.11.55 lakh crore till the first week of Dec. 2016.

After a month of demonetization, the country was still reeling under the cash shortage as banks branches and ATM's were struggling to meet the cash demand from common people. The demonetization resulted cash shortage had hit the economy hard especially in the rural areas.

Following Modi's announcements the **BSE sensex and NIFTY** fifty stock indices crashed for the next two days.

The Narendra Modi Govt. and opposition parties were fighting in parliament over the merits and demerits of the notebandi. The stated long-term gains are still unclear, while the immediate challenge for the govt. was to ensure cash shortage eases in the minimum time.

Small businesses, retail traders and unorganized workers (Road-side vendors, house maids, rag pickers and drivers) had been severely affected. There was a loss of jobs due to demonetization. As per estimates by the National Commission of Enterprises in the Unorganized Sector (NCEUS 2008), the unorganized sector in India contributes about 50% of the GDP.

Cash transactions play a very important role in the life of small business and service industry. So they had to face various problems in their day to day transaction. Their sales have been slow down due to lack of currency in the market because the middle class families are still not familiar to operate cards or payment gateways for meeting their daily needs.

Cash-intensive sectors like manufacturing and real estate has seem a contraction in the October-December quarter of 2016. Purchasing power of consumers has been negatively affected due to cash not being readily available.

During this period the GDP growth rate declined by 0.3-0.5% according to CARE Ratings.

After 50 days (from 1st Jan. 2017 to 31st March, 2017)

Various studies have been done and ongoing to find out the immediate and long-term impact of Demonetization on Indian economy and society. However, the things got affected for few months and will take time to get stable. The Economic survey pointed out that demonetization will have both short term costs and long term benefits. "Briefly, the cost includes a contraction in Cash money supply and subsequent, levied temporary, slow down in GDP growth and benefits include increased digitalization, greater tax compliance and reduction in real estate prices which could increase long run tax revenue collection and GDP growth." The implementation of demonetization of Rs.500 and Rs.1000 currency notes has crippled the following sectors of the Indian economy.

Black Money - The argument in favor of demonetization is that the cash that would be eliminated would be 'Black Money" and hence should be rightfully eliminated to set right the prevailing incentive structure in the economy. While the facts are not available to anybody it would be a little early to argue that this is the only possibility. Therefore, it is imperative to evaluate the short run and the medium term impacts that such a shock is expected to have on the economy.

Terrorism and Hawala activities - Fake currency is a common tool used for Terror financing and Hawala activities. A large extent of the fake bank notes are in Rs. 500 and Rs.1000 denominations and are used to fund insurgents and terrorists.

ET published an article about a study by security agencies and Indian statistical institute. The study revealed that INR 400 crore of fake Indian currency notes (FICN) were in circulation from 2011 to 2015. It was further highlighted that attempts are being made to push about Rs. 70 crore every year into the Indian economy out of which only one-third is seized.

Real Estate - Real Estate is an important pillar for growth for an emerging market like India. Till date the Real estate

was a safe haven for the corrupt to abolish their black money. The corrupt paid more than the expected value to buy real estate as they always had that extra hard cash to stash. For example, a plot of land which was expected to cost Rs.10 lakh was eventually sold at a much higher price owing to the demand by a large number of black money holders who were ready to pay an amount much larger than the expected value of the plot. This process artificially inflated the Real estate prices. Most of the transactions in the real estate sector were done by hard cash. With demonetization, the number of people holding black money who were willing to pay inflated prices will reduce, lowering the demand for real estate in the market. As such, with an estimated decrease in demand and an existing strong supply, combined with elimination of artificial inflation of prices, the real estate prices are expected to reduce and become more affordable for the common man.

Startup Companies - Demonetization comes up with a great opportunity for startup organizations to get excellent funds for the further growth of the organization. It withdraws investors to invest in real estate and they will rather invest in funding startup companies to earn good amount of profits. In recent years, there are number of talented manpower who lack enough capital but has ample talent with new ideas to start their own business. They might be able to arrange appropriate funds from banks and be entrepreneurs in coming years and thus contribute to the economy.

Few positive results of demonetization noticed till the end of financial year such as 100% fake currency eliminated in one stroke. More than 5 lakh crore cash already deposited in banks. Cash provided to extremists prior to demonetization to create chaos and terror went waste. Hence, Hawala source dried up for terrorists, Maoists, Jihadis etc. As a result, Kashmir back to normal. Fiscal deficit of India set to reduce. Demonetization cash deficit will result in GDP growth crashing to 0.5% in the second half of the financial year 2016-17. This means the GDP growth for six months from Oct.2016 to March 2017 could decelerate to 0.5% down from 6.4% in the previous six months.

Present Scenario (After 31st March, 2017) - Like all good things take time, It is expected that the long-term effects are going to fast track India to E**conomic growth**. The Economic survey 2016-17 presented in parliament projected the economy to grow in the range of 6.75% to 7.5% in fiscal year 2017-18 post demonetizations. Researches revealed that a strong formalization of the informal economy will ensure through 2017 until 2019 and this disruption could also decelerate an earlier estimate of 7.3%.

The banks have estimated the largest gain as more and more money gets deposited in bank accounts. It is estimated that nearly 15 to 20 lakh crore INR has got deposited in banks. This **increased in deposits** is going to have an enormous impact on the interest rates at which the banks lend their housing, automobile, personal etc. loans. As banks will have more money to lend in their accounts than they had before, it is expected that they will **lower the interest rates** at which they lend. This decrease in interest rate will encourage people to take such cheap loans ultimately contributing to growth.

The government tax revenues are going to **increase** due to the tax deductions from this deposited money. If these tax revenues wisely used, may lead to an increased government spending on infrastructure, education, agriculture etc. The increased tax revenues may also direct the government to decrease income tax rates. **Lowered income tax rates** imply an increase in people's disposable income, and this may eventually increase the consumption. This in turn will benefit all the businesses which are currently seeing a sudden decrease in demand due to decreased consumption. The increased public spending by government (owing to the increased tax revenues) may even lead to an increase in jobs as more people will be needed to work in those fields where government spending increases.

The government aims at moving towards a **cashless economy**. Though this vision is not easily attainable but the initiative has begun. A survey conducted by Innoviti payment solutions over a period of five days after demonetization indicated a 65% increase in card transactions in the country. Interestingly, the overall increase in transactions is skewed towards debit card usage (~70%) suggesting that the jump is mainly due to the first time users of plastic money.

As a long term effect, **Real estate prices have gone down** which is beneficial for Indian economy. The rate of property may be more rational in future that will help **small housing sectors to buy property for residential purposes** and long-term investments can be made for satisfactory profits. But the investors are not able to invest for appreciation for short duration purposes due to steadiness in the real estate industry.

People have realized the importance of **opening bank accounts** and paying taxes and the **economy** is set to become **more structured** now. Banks have started **mobile ATM** for hospitals. Small vendors have started using **Apps and card machines**. All business men are depositing cash lying with them as current yr income. All jewellers are being issued forms to declare their gold on day to day basis.

The exact amount of the old Rs.500 and Rs.1000 notes deposited in the Indian banking system after demonetization is likely to be known only after June 30, 2017. There are two deadlines one March 31st and June 30 (for specific categories) to deposits old notes. Resident Indian Citizens who were abroad from Nov. 9th to Dec. 30th can avail this facility upto March 31st, 2017. And NRI citizen who were abroad during this period can exchange their defunct notes upto June 30, 2017. Only after calculating the money from all these sources, we would be able to tell the exact amount of deposits in old currency notes.

Conclusion - It is perhaps too early to come to conclusions

but over a longer period it seems that by and large the effect will be positive for the economy. Perhaps the biggest thing which is felt, the government has achieved with its move is instilling a sense of fear in the minds of the wrongdoers. The general Indian attitude of 'Yeh India hai, Yaha par sab chalta hai' has received a major setback. People in general, and wrongdoers in particular have become apprehensive that one fine evening they switch on their TV only to hear Modi say "Bhaiyon aur behenon, aaj raat Madhya raatri se…."

The timeline given by the government to deposit the 500 & 1000 currency notes was 50 days. In a matter of just 5 days the deposits in banks had raised by a whopping 3 lakh crore INR. Jan Dhan accounts are getting filled. Defaulters of all kind of govt taxes are clearing their dues. A lot of black money has already poured in the banking channels made it easier for the government to monitor the economy as a whole. This has surely helped the government to design better reforms directing the Indian economy towards growth. The topic of whether the big fish will find a way around demonetization is debatable but they have received a shock for sure. One also does not know about the actions taken by the government to bring back the black money stashed in offshore accounts but It is visible that the work is in progress.

References :-

1. PTI. (2016, Nov. 9). Demonetisation will benefit economy in long run: Jaitley. The Hindu Business Line.
2. Internet desk. (2016, Nov. 12). Recalibration of ATMs will take up to three weeks, says Jaitley. The Hindu
3. Special correspondent. (2016, Nov. 13). As ATMs run out of cash, RBI 'encourages' public to go digital. The Hindu.
4. Dr. Ganiger, S., & B, Rangantha (2107). Demonetization and its impact on Social Development. Indian Journal of Applied Research, 7(1), 770-771.
5. Rani, G. (2106). Effects of Demonetization on Retail Outlets. International Journal of Applied Research, 2(12), 400-401.
6. Sherline. T. I. (2016). Demonetization As a Prelude to Complete Financial Inclusion. International Education & Research Journal, 2(12), 17-19.
7. Lahiri, K., A. (2016). Demonetization, the Cash Shortage and the Black Money. National Institute of Public Finance and Policy, New Delhi.

****

Micro Small And Medium Enterprises Development Act (Msmed Act)-Need,Impact And Benefit To MSME Sector

Dr. Shashikant Magar *

Abstract - The contribution of the Micro, small and medium enterprises (MSME) sector's to the economic development of many countries (including India's) have been very significant. It is considered one of the largest sources of employment, thereby contributing to economic growth and helping to reduce the poverty. The emerging unified world (Vasudhaive Kutumbakam) has unleashed challenges where, more than comparative advantages, equal emphasis has to be laid on competitive advantages. In the current global business scenario of the swift exchange of information and availability of dynamic networking offer several opportunities to enhance the competitiveness and the productivity of MSMEs. The MSME's in India are a dynamic and versatile set of enterprises forming a major segment of the Economy. These enterprises have the ability to make cost-effective, low volume products and services with a high degree of flexibility. MSMEs in India contribute more than 45% of industrial manufacturing and generate around 32% of the nation's total exports. This sector is also the second largest source of employment, employing over 597 lakh people across 261 lakh enterprises, manufacturing over 8000 products, thereby contributing to economic growth and equitable development. The Indian MSMEs also enjoy comparative advantage over some of their larger counterparts in terms of higher capital productivity, greater resilience, adaptability and more importantly, a greater spirit of entrepreneurship. If one looks beyond the political boundary, Indian MSMEs have been marching strongly over their counterparts in other countries on many fronts, if not all. In view of the contribution by MSME to the development of the country the need of separate act to govern the sector was felt and it was ultimately taken place in 2006 with lots of efforts by the government, industrial associations and officials of the ministry. In the paper we have discussed on the need, objectives, its impact and benefits to the sector.
Key Words - MSME, Act., Impact, Strength, Opportunities.

Introduction - The MSMED Act was framed with the following objects -

1. Development and promotion of micro, small and medium scale enterprises (MSM enterprises);
2. Increases the competitiveness of MSM enterprises;
3. Concentrate on the related matters of MSM enterprises;
4. Enhance the scope of benefits from SSI undertaking and ancillary industries to MSM enterprises.

MSMED ACT 2006 and its Impact (See in the last Page)

Benefit to MSMEs under the Act. -

1. Protection against delayed payments by buyers of goods/services. This benefit shall be available to the micro/small enterprise subject to they have filed memorandum u/s 8 of the act. It ensures that the working capital of MSME is not blocked for want of payment.
2. Central Government's measures for promotion and development. It ensures the constant efforts of government for smooth functioning of the sector.
3. RBI's progressive credit policies for ensuring timely and smooth flow of credit. But as per RBI's master circular, dated 2-7-2007 lending by banks to medium enterprises is not considered as "priority sector credit". Finance is the major constraint for any industry whether for MSME or large.
4. Reservation of items for manufacture and production u/s 29B of the 1951 Act. This benefit is available only to enterprises engaged in manufacturing or production of goods in any scheduled industry. There is no provision under any law which permits the government to reserve any services for exclusively being rendered only by micro and small enterprises. The reservation policy helps MSME sector to be competitive to the large enterprises.
5. Preference policies (preference to micro enterprises in respect of goods and services procured by Government Departments/ aided institutions/ PSEs) notified by Central/ state government. This scheme shall not apply to companies.
6. Simplified exit scheme (winding up the business).Need not complying many formalities while winding up of business or while naturally exiting from sector.

Advantage/ benefit of registering a micro or small enterprise with the state government -

***Financial Consultant, Sukari Industries Ltd, INDIA**

1. Once memorandum is filed with DIC of its area then it stands to gain as to timely payment in respect of supply of goods or rendering of services to any buyer.
2. With the enactment of MSMED Act, 2006, the Interest on delayed payments to small scale and ancillary industrial undertakings act, 1993 is repealed wef. 2nd October 2006.
3. As per this act, if the buyer has purchased goods or availed services from micro or small enterprise, which has filed a memorandum with the authority, then the buyer shall make the payment on or before the date agreed upon between him and the supplier in writing. If no agreement is there in writing, then within a period of 15 days from the day the goods are delivered or services are rendered.

The act further stipulates that even if the buyer and supplier is agreed in writing, such period shall not exceed 45 days from the day of delivery of goods or rendering of services. in brief, any credit term from a micro or small enterprise stipulating payment terms beyond 45 days, shall be in violation of the MSMED Act, 2006.

The Strengths of Indian MSMEs -

1. Globally recognized skilled labour in service industry
2. Support from a Stronger Financial System
3. Higher Ratio of Earning per Dollar Invested
4. Transparent Reporting
5. Lesser dependence on exports
6. Social Justice allows Freedom of Expression and Religion
7. Stricter Pollution Norms
8. A facilitative pro-change democratic political setup
9. India's lower pollution level
10. Transparent & strong financial system
11. International quality control measures
12. Efficient use of energy and capital

The Opportunities for Indian MSMEs -

1. Large unexplored domestic market and expanding foreign markets
2. Higher productivity gives an edge for outsourcing business
3. "Made in India" has high brand equity
4. Creation of more SEZs

(Source: India and China:Comparing the Incomparables – by Vishnu Saraf, 2008)

Conclusion *- There are lots of opportunities available to MSME sector. And sector also has a very remarkable contribution to the economy. Definitely act was made with the objective of promotion, development ,motivation, protecting and supporting to the MSME sector.The blend objective of act and sector will definitely lead the ultimate development of the country.*

MSMED ACT 2006 and its Impact

Clause	Salient Features	Impact
1. Establishment of National Small and Medium enterprises Board	1. Specific representation for Women Maximum No. of members 47 2. Mandatory Quarterly Meeting	Statutory Status, compactboard and quarterlymeetings will address problems of SME simmediately to takecorrective action
2. Concept of Enterprises	Clear-cut demarcation ofmanufacturing /productionand rendering services	Facilitates SMEs to enterinto service enterprises aggressively
3.Definition of Enterprises	Specific ceiling limit formanufacturing /productionand service enterprise definition for Medium enterprises	Existing small units cangraduate into Medium unitsand avail facilities under the act.
4. Filing of memoranda optional forMicro and Small enterprises inmanufacturing and service sectorMedium enterprises in ServiceSector but mandatory for Medium enterprises inmanufacturing sector	Replacement of registrationwith memorandum	Facilitates SMEs to avail thebenefits of the actimmediately after setting upof the unit.
5. Procurement Policies	Notification of preferencepolicies by central or StateGovernments for goods andservices provided by Micro& Small enterprises	Facilitates opportunity forsupply of goods/services without any hassles.
6. Delayed Payment Penalty & dispute resolution	Period of payment by theprocuring organizations –45 daysPenal interest 200% of PLR	SMEs can plan their cashflow/ financial requirement
7. Dispute Resolution	Establishment of MSEfacilitation Council; 90 daysframework for dispute resolution	Easy financial planning andno waste of humanresources for chasing/follow up.
8. Delayed Payment – allowablededuction under IT Act 1961	Deduction disallowed u/s 23of MSMED Act. [Clause 17Aof tax audit]	This will encourageprocurement agencies toensure timely
9. Closure of Business	Statutory notification ofscheme for closure	payment to SMEs. Facilitates expedition of liquidation
10. Notification of guidelines orinstructions for promotion ofSMEs – wrt. Fundsappropriation and release	Statutory	Mandatory on all facilitating development of SMEsensuring fast growth
11. Facilitating Credit	Statutory	Mandatory on all providingcredit. Guidelines for creditfor 20% year on year growth

Source - http://www.dcmsme.gov.in –MSME Act. in India.

✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲

A Study Of Consumer Satisfaction Among Popular Brandsof FMCG In Retail Sector

Dr. Neha Mathur *

Abstract - The study throws on the attitudes, values, beliefs and perception of the consumers with regards to the consumption of fast moving consumer goods. To study the brand preference of fast moving consumer goods, the preference and opinion of consumer towards popular brands have been taken into. A five point scale was used to analyze the consumer satisfaction. The respondents have been classified into three categories namely those holding high level, medium level and low level of opinion. The relationship variables have been analyzed by means of Chi-square test. The study found the quality is the major driver to prefer a particular brand of FMCGs. If the marketers target the consumer with high quality goods at affordable price, certainty they will succeed in their business.
Keywords - Consumer Satisfaction, Fast Moving Consumer Goods, Brand Preference.

Introduction - Consumers at present are well informed and they have a wide knowledge of the products available, their price, quality and performance. They buy only the product, which satisfies their needs, tastes and preferences depending upon their income, expected price and product satisfaction. The buying decision of a consumer is highly influenced by the buyer's personal and psychological factors. The survival as well as growth of any business organization depends upon its ability to satisfy the present and potential consumers. Consumer's decision to select the brand is influenced by two individual characteristics, product characteristics and situational characteristics. The buyer's decision to select the brand varies from on individual to another and from region to region.Everybody is a consumer. Every consumer consumes different commodities and uses the services right from birth to death. Entire business activities revolve around the consumer. **In the words of Mahatma Gandhi, a consumer is the most important visitor of every business premises**.

Statement Of The Study - Now a day, many varieties fast moving consumable goods are available in the market. So the users are not in position to identify and select a particular brand. In the process of taking a decision to buy a product, depends on the nature of that particular product. Generally the consumer goods are classified into two categories as durable and non-durable goods are very short.

The consumers have to consider various aspects, which influence the decision before buying consumer goods. They have to consider the various factors such as quality, price, color, brand image, attractive package and the like. Hence the researcher has to make an attempt to study the brand preference of fast moving consumer goods. For the purpose of analysis of brandpreference of consumer, the opinion of the consumers towards popular brand has been taken into consideration.

Scope Of The Study - The present study has been undertaken from the point of view of consumers. An attempt is made to analyze the brand preference of fast moving consumer goods like talcum powder, shampoo, toilet powder, detergent soap and powder etc.

Objectives Of The Study - The objectives of the study are :

1. To study the level of satisfaction among the consumers about the various brands of fast moving consumer goods.
2. To study the factors those are influencing the consumer to buy the fast moving consumer goods.
3. To study the brand preference of fast moving consumer goods.
4. To offer suggestions to get more satisfaction on buying fast moving consumer goods.

Methodology - The data were collected from both primary and secondary sources. An interview schedule has been used for collection of primary data from consumers. The interview schedule was pre-tested with 20 consumers and then the interview schedule was modified. The secondary data were collected from books, journal, magazines, articles, newspaper and websites. The survey was conducted among 120 sample respondent in Ujjain city. The convenient sampling method was used to select the respondents.

Limitations Of The Study :

The study is constrained with certain limitations. They are

1. Size of the sample is small.
2. The study is limited to Ujjain city.
3. Convenient sampling method is followed.
4. The period of the study is 3 months

Consumer Satisfaction - Consumers are buying the particular brand of fast moving consumer goods that will give

* Lecturer, School of Studies in Commerce, Vikram University, Ujjain (M.P.) INDIA

maximum satisfaction. The researcher has identified seven attributes to study the consumer's satisfaction. They are quality, price, advertisement, healthcare, package, and quantity and brand image. The consumer's satisfaction has been analyzed by conducting a survey on their opinion by using a five-point scale. If a consumer gives opinion as highly satisfied, neutral, dissatisfied and highly dissatisfied, the score will be 5, 4, 3 and 1 respectively.

After allotting the scores for each attributes, the total scores of each consumer have been computed. The total score of all consumers have been obtained by adding the individual scores of all 120 respondents. Arithmetic mean and standard deviation have been calculated for finding out the level of satisfaction. Arithmetic mean of 120 respondents is 27.34 and the standard deviation is 2.98. The classified of consumer on the basis of their level of satisfaction is presented in table 1.

Table 1: Classification of consumers on the basis of level of satisfaction

S.	Level of Satisfaction	Number of Respondents	Percentage
1	Low Level	12	10.00
2	Medium Level	80	66.67
3	High Level	28	23.33
	Total	120	100.00

Source: primary data - From the Table 1, it is inferred that out of 120 sample respondents, 10 percent of the respondents have low level satisfaction, 66.67 percent of the respondents have medium level of satisfaction and 23.33 percent of the respondents have high level of satisfaction.

Chi-Square Test - The relationship between the level of satisfaction of the consumers and independent variable is studied by means of a chi-square test. Factors influencing the level of satisfaction of the consumers. The satisfaction of the consumers is analyzed with regard to the following factors.

1. Age
2. Educational Qualification
3. Occupation
4. Size of Family
5. Monthly Income

Age of the Respondents and their level of Satisfaction - In order to find out whether there is any significant relationship between the age of the respondents and their level of satisfaction, chi-square test is applied. Table 2 elucidates the age of the respondent and their satisfaction about the fast moving consumer goods.

Table 2: Age and Level of Satisfaction

Level of Satis -faction /Age	Low	Medium	High	Total
Below 40 years	8 (10%)	58 (67%)	20 (23%)	86 (100%)
Above 40 years	4 (12%)	22 (65%)	8 (23%)	34 (100%)
Total	12	80	28	120

Source: Primary data

Table 3: Educational Qualification and Level of Satisfaction

Level of Satisfact -ion /Educational qualification	Low	Medium	High	Total
Up to School Level	2 (8%)	16 (67%)	6 (25%)	24 (100%)
Under Graduate	6 (13%)	29 (60%)	13 (27%)	48 (100%)
Postgraduate, Technical and Professionals	4 (8%)	35 (73%)	9 (19%)	48 (100%)
Total	12	80	28	120

Source: Primary data

Inference: Since the calculated value is less than the table value, the null hypothesis is accepted and it is concluded that there is no significant relationship between the educational qualification of the respondent and their level of satisfaction about the brand preference of the consumer goods.

Occupation and Level of Satisfaction - Occupation has been identified as one of the variables that influence the level of satisfaction. Table 4 shows the occupational status and the level of the respondents.

Table 4: Occupational Status and Level of Satisfaction

Level of Satisfac -tion /Occupatio- nal status	Low	Medium	High	Total
Government and Private Employee	6 (11%)	34 (63%)	14 (26%)	54 (100%)
Businessman & Professionals	4 (12%)	21 (64%)	8 (24%)	33 (100%)
Porters and Unemployed	2 (6%)	25 (76%)	6 (18%)	33 (100%)
Total	12	80	28	120

Source: Primary data.77 - 8160

Inference: Since the calculated value is less than table value, the null hypothesis is accepted and it is concluded that occupation does not influence the level of satisfaction of the consumers.

Family Size of the Respondents and the Level of Satisfaction - Family size has been identified as one of the variable that influences the level of satisfaction. In order to find out whether or not there is any significant relationship between the family size and the level of satisfaction, a two-way table has been framed. Table 5 shows the family size and the level of satisfaction of the respondents.

Table 5: Family Size and Level of Satisfaction

Level of Satisfact -ion / Family size	Low	Medium	High	Total
Up to 4 members	5 (9%)	38 (64%)	16 (27%)	59 (100%)
Above 4 members	7 (11%)	42 (69%)	12 (20%)	61 (100%)
Total	12	80	28	120

Source: Primary data

Inference: Since the calculated value is less than the table value, the null hypothesis is accepted and it is concluded that family size does not influence the level of satisfaction of the consumers.

Monthly Income and Level of Satisfaction - Monthly income has been identified as one of the table value, the null hypothesis is accepted and it is that family income and level of satisfaction of the respondents.

Table 6: Monthly Income and Level of Satisfaction

Level of Satisfact -ion / Monthly Income	Low	Medium	High	Total
Up to Rs15000	8 (8%)	69 (70%)	22 (22%)	99 (100%)
Rs 15000 to Rs 30000	3 (25%)	5 (42%)	4 (33%)	12 (100%)
Above Rs 30000	1 (11%)	6 (67%)	2 (22%)	9 (100%)
Total	12	80	28	120

Source: Primary data.

Inference: Since the calculated value is less than the table value, the null hypothesis is accepted it is concluded that the monthly income does not influence the level of satisfaction of the consumers.

Findings :

1. The age of the respondents does not influence the level of the satisfaction of consumers.
2. Regarding educational qualification, it is clear that there is no significant relationship between the educational qualification and the level of satisfaction about brand preference of the consumer goods.
3. Regarding occupation, it is clear that there is no significant relationship between the occupation and the level of satisfaction about the brand preference of the consumer goods.
4. Regarding family size, it is clear that there is no significant relationship between the family size the level of satisfaction about the brand preference of the consumer goods
5. Regarding monthly income, it is clear that there is no significant relationship between themonthly income and level of satisfaction about the brand preference of the consumer goods.

Suggestions - The researchers have given the following suggestions on the basis of the findings of the research and their experience.

1. In all the age group, the respondent does not prefer the same brand of consumer goods. Hence, the can manufacture the consumer goods according to the different age group of consumers.
2. The preference of highly educated people is differ from low educated people. Hence, the companies can adopt customization of the product marketing strategies on the basis of education.
3. High income group of people are prefer the consumer goods differ from low income group of people. In this context, the companies can manufacture the consumer goods in different sizes with same quality.
4. Different types of consumer goods are necessary according to the occupation of the consumers. Hence, the companies can manufacture the consumer goods by considering the occupation with changing life style of the consumers.
5. Large family size consumers can buy different type of consumer goods. By keeping this point in mind, the companies can manufacture such type of consumer goods.

Conclusion - This study has been conducted to gauge the buying behavior and consumer satisfaction. Detailed analysis has made based on the data collected, with the help of the influences were drawn. And the findings and suggestions were given.

The level of competition is so strong in these days that all the big Fast Moving Consumer Goods manufactures are fighting to capture customer’s heart. This study found that the quality is the major driver to prefer a particular brand in FMCG I.e. Talcum powder, Shampoo, Toilet soap, Toothpaste and Detergent soap/powder etc. in the market. The workof researchers feel is successful if the present field study is useful to capture the hearts of the consumers through themarketing strategies of the manufactures of the fast moving consumer goods.

References :-

1. R.S.N. Pillar and Bagavathi, Modern Marketing (principles and practices), S.Chand& Company Ltd., 2001.
2. S.P. Gupta, Statistical Methods, New Delhi, Sultan Chand and Sons, 1993.
3. Philp Kolter, Marketing Management, The Millennium Edition.
4. C.R. Kothari, ResearchMethodology Methods and Techniques, Whiswa Prakashars, Jaipur, 1990.
5. N. Thanulingam, Research Methodology Theory and Practice, Himalaya Publishing House, Mumbai, 1998.
6. WillamJ.Stanton, Fundamentals of Marketing, Tata Mc. GRAW Hill International Edition. Journals
7. Indian Journal of marketing, October 2005, Page No: 19- An empirical study to determine the perceptual positioning of ten well known toothpaste brands in the minds of youths by P.Ganguly.
8. Indian Journal of marketing, July 2005 Page No: 3 – Brand equity of Toothpaste brands in India by Dr. R.K.Srinivastava.
9. Indian Journal of marketing, January 2007, Page No: 36 – An empirical study on shampoo consumption .by Dr. A Vinayagamoorthy
10. Indian Journal of marketing, May 2006, Page No: 23 consumer awareness (a case study of Jalna City, MH state) by Dr. M.A Lokhande
11. Global Journal for Research Analysis, August 2014, page No:30 consumer satisfaction on Fast moving consumer goods. By Dr.B.Rajasekaran

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) July to September 2017, Vol. II

Globalisation On Economies - Its Challenges

Ankur Bansal * Dr. Seema Baldua **

Abstract - Globalization played a very vital role in bringing nations together, enhancing economic prosperity, growth and development of economy and people. The pros and cons of globalization are discussed earlier by many authors but the challenges faced by developing and poorer countries are not much analyzed yet. This paper is an attempt to find out major challenges faced by these countries, role of international organization and trade agreements in globalization and what changes in policies and strategies we can use to make it more justifiable.

Introduction - "One day there will be no borders, no boundaries, no flags and no countries and the only passport will be the heart" **Carlos Santana** [1]

Today is the era of borderless world. Large volume of merchandise and services are exchanging at the international scale. Markets are full of imported goods; companies have their offices all over the world for economies of scale. According to WTO international trade statistic 2015[2], goods of 18494 Billion USD and services of USD 4940 billion are trading all over the world. This all in nutshell can be explained only by a single word GLOBALISATION.

This word discussed by many authors over a period. Globalization refers to all those processes by which the people of the world are incorporating into a single world society, global society (Albrow, 1990). Rothenberg defines Globalization as a process of integrating different world economies. Globalization is integration among the people, governments and companies of different countries (Rothenberg, 2003). Globalization of economies may be understood as the integration of economies of the different nation via inter-exchange of goods and services at international level [3].

Globalization played a very important role in bringing people of different culture together, it has ushered a new path in the economic prosperity and opened vast channel of growth and development. But many times it is evident that globalization is a very complicated phenomenon resulted in a fiercely-competitive world market, especially for developing and underdeveloped economies.

Review of Literature - Too many studies are already done in this field. But challenges faced by developing and underdeveloped economies are not discussed a lot. One of the renowned advocate of globalization, Jeffery Sachs, point out the above average drop in poverty rates in countries, such as China, where globalization has taken a strong foothold, compared to areas less affected by globalization, such as Sub-Saharan Africa.

Some critics (anti-globalist) said, globalization increase the poverty, inequality and injustice among different nation and spoil cultural and traditional values. They blame pro-globalist countries for the deterioration of environment and health of anti-globalist nations.

In a report published by ILO [4] globalization has increased awareness of global disparity and improves the quality of democracy. It improves the quality of lives of the educated and the rich. But the benefits had not yet reached the majority, and new risks had cropped up for the socially deprived and the rural poor. It increases multinational crime syndicates and illicit cross- border activities. People, who had worked hard to escape poverty, were finding their gains reversed. Power was shifting from politically elected people or institutions to unaccountable trans-national bodies. Western perceptions, which dominated the globe, were not aligned with local perspectives; they encouraged consumerism in the midst of extreme poverty and posed a threat to cultural and traditional values.

Objectives - Apart from above many more studies are carried out in support and against of globalization, however, our main focus is on-

- The challenges faced by developing economies due to globalization.
- To find out alternatives which can be developed to mitigate those challenges.

Methodology And Findings - We use different economic indicators and statistics to describe the challenges pose to economies like quantity of trade, GDP, distribution of income, flow of labor etc.

The critics of globalization always lay stress that policies under globalization is framed according to the need

*Research Scholars (Commerce) University Of Rajasthan, Jaipur (Raj.) INDIA
**Associate Professor (Commerce) University Of Rajasthan, Jaipur (Raj.) INDIA

and interest of corporate investors, and typically in favor of rich and developed nations, which they believe address the moral claims and betterment of socially deprived, poor and labor classes throughout the globe, as1 well as environmental concerns in a more fair way. **(Graph See in the last page)**

Widening gaps between rich and poor countries account for much of the increase in worldwide income inequality across individuals over the past 40 years'

Globalization has increased the interdependence and competition between economies in the world market. This is evinced in interdependence for trading of merchandise and services and in the movement of capital. As a result, national economic developments are not determined entirely by domestic policies and market conditions. Rather, they are biased by both domestic and international policies and economic conditions. It is thus clear that a globalizing economy, while framing and evaluating its domestic policy cannot afford to ignore the possible actions and reactions of rest of the world. This restricted the policy option available to the government which implies loss of policy autonomy to some extent, in decision-making at the national level.

Further poorer countries are many a time at disadvantages as globalization is very dangerous for their domestic production and markets. The rich countries have capital and other infrastructure which offer cheap, subsidized and qualitative production of goods which is not possible for poor countries and they merely served as raw material provider and finished goods importer for big nations.

Borderless economies exploited labor forces of the weaker nation to become cheap labor at international level. The powerful industrialized nations offer a good salary to these labors to entice them to work for long hours in very unsafe working conditions.

Many economies are shifting from producer to service sectors due to globalization, which makes them more and more dependent on other nations even for their basic needs. This increases the likelihood of economic disruptions in one nation affecting all nations. **(Graph See in the last page)**

Change in sectoral share in GDP of India - Another challenge posed by globalization is the destruction of culture and traditional values of nations. As economies are exposed at world level, globalization affects not only economies but also social and political aspects. It is promoting monoculture form means undermining of economic, cultural and ecological diversity and the acceptance of a technological culture developed in the West and the adoption of its inherent values As the professional and business elites are connecting globally, this new culture is developing mitigating old values and cultures.

Globalization comes as a challenge for those nations whose environment degraded and polluted a lot due to globalization. As a result of globalization, a large number of industries were setup all over the world. For this settlement many forest, grassland, trees are cut down. Rapid destruction of these caused serious threat to both plants and animals

One of the critic points out a recent finding on inequality of income, both between and within nations, as a result of globalization. A chart that show the inequality in a crystal clear form, was contained in the 1992 United Nations Development Program Report, which showed the distribution of global income to be very uneven, with the richest 20% of the world's population controlling 82.7% of the world's income.

+ Distribution of world GDP, 1989

Quintile of Population	Income
Richest 20%	82.7%
Second 20%	11.7%
Third 20%	2.3%
Fourth 20%	1.4%
Poorest 20%	1.2%

This clearly indicates that globalization is a boon for rich nations only. Rich countries want to open world markets to their goods and take advantage of abundance of raw material and cheap labor in the poor countries, policies often supported by the elites in these poor countries. They use international financial institutions like IMF, WTO, ILO, WB etc and regional trade agreements like NAFTA, CAFTA, FTAA etc, to compel poor countries to "integrate" by reducing (or eliminate) tariffs, quotas, other trade restriction , and relaxing environmental and labor standards. The results have increased profits for capital investors but offered pittances to laborers, provoking a strong backlash from civil society.

Conclusion - During the last two decade, the volume of world trade has increased and rich countries have managed to increase their share in the world trade and it has brought down the price of goods and services in overseas market. Many a times people protested via anti globalization movement like J18 (London, 1999), Seattle/N30 (Seattle, 1999), Genoa (Italy, 2001). But globalization is an unstoppable phenomenon. In contrast with this, the income of poor and developing countries has marginally increased. Globalization has not checked the decline of wages in the middle and poor class and will not offset the loss of many wage jobs. The economic inequality has widened between nations. Globalization is not solely responsible for this disparity. The internal problems like high population, lack of infrastructure, weak financial market etc is also responsible for this difference. However, following plans and strategies can be used to make it more justifiable.

- To make inclusive growth, it is necessary for the leader, apart from economical factors, to work with cultural, social or ethnical factors of countries and drafting country specific policies
- More investment in education, health and other basic necessities to overcome the constraints in development and growth.
- Global rules should be reviewed to provide space for

national policy.

- More participation of poor and developing nation in world level organization like UN, WTO and ILO so that they can reveal their problems and get the solution.

The major challenge is to use globalization for economic prosperity and development all over the globe. And for this, collective and cooperative actions must be taken by all, including rich countries.

'Globalization is like being overwhelmed by a snow avalanche. You can't stop it – you can only swim in the snow and hope to stay on top.'-Mike Collins

References :-

1. http://www.goodreads.com/quotes/tag/globalization
2. https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2015_e/its2015_e.pdf
3. http://www.beerkens.info/files/globalisation.pdf
4. http://www.ilo.org/public/english/wcsdg/docs/rep2.pdf
5. www.quora.comWhy-did-India-shift-from-agriculture-to-services-and-not-manufacturing
6. World Bank (2000) (b) Box 3.3 p 51

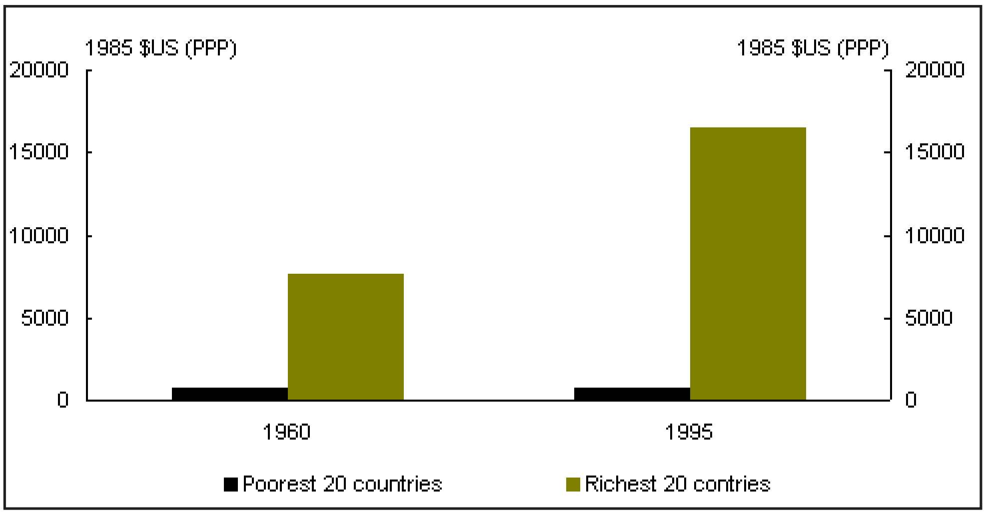

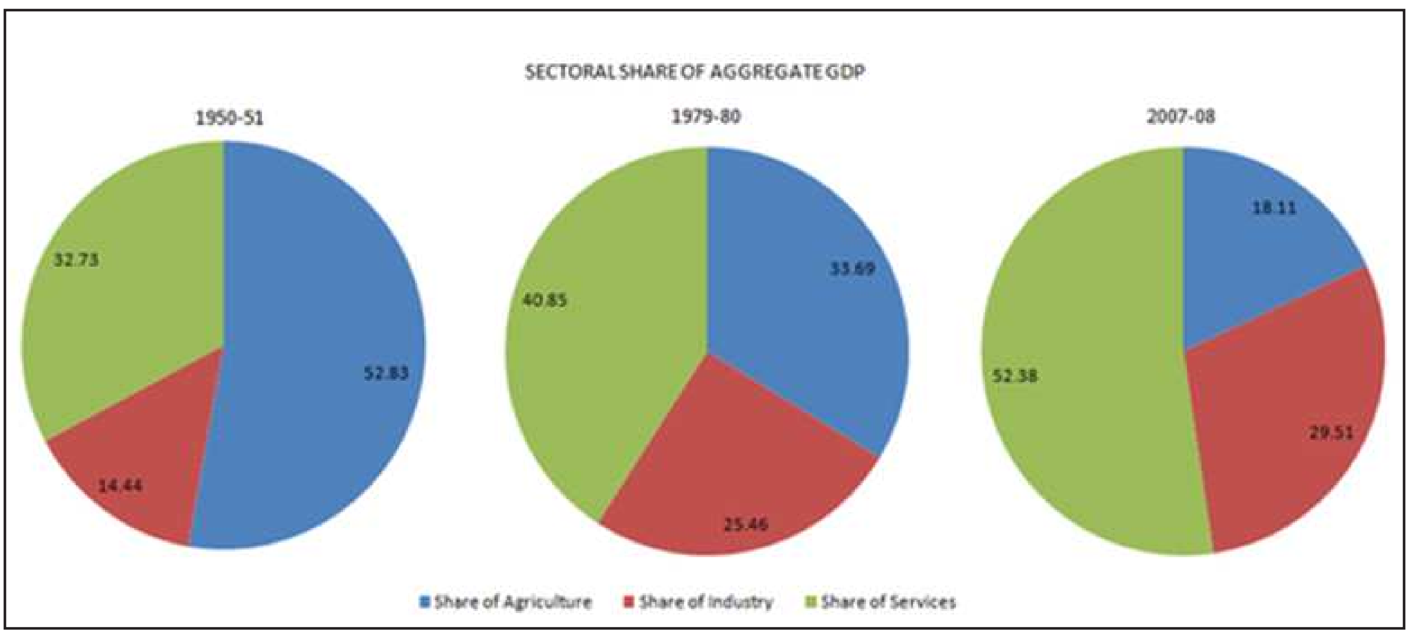

****

Liquidity analysis for performance evaluation : A study of Pharmaceutical Company in India

Smita Sukhwal *

Abstract - Ratio analysis has been a primary tool of conducting financial evaluation of any company.Different ratio highlight overall financial position of a company. This research paper aims at analyzing the liquidity position of IPCA lab.ltd. across the year of the study using the framework of ratio analysis. The basic objective of this paper is to evaluate and judge the liquidity changes of IPCA Lab.Ltd. during the research period. The reference period for the study is 5 year s beginning from year 2008-09 to 2012-13. Data for the study has been taken from the annual report of IPCA Lab. Ltd.The study reveals that liquidity position of a company has a fluctuating trend during the study period. The study also reveal that the current ratio of the company was near to the standard ratio. Quick ratio of the IPCA Lab.Ltd. is almost equal to the standard and cash ratio of the company was very low ,it shows that the company carries a small amount of cash to meet its short-term financial obligation.
Key words - liquidity,financial,ratio,analysis,evolution.

Introduction - The pharmaceutical industry discovers, develops,produces and markets drugs or pharmaceutical drugs for use as medications. Pharmaceutical companies may deal in generic or brand medications and medical devices. They are subject to a variety of laws and regulations that govern the patenting,testing, safety, efficacy and marketing of drugs. Pharmaceutical companies have been top performers in the health care sector in an era of aging population, rising health care costs, and the ongoing development of new and extremely profitable medicines . the Indian pharmaceuticals market increased at a CAGR of 17.46 % during 2015-16 with the market increasing from US $ 6 billion in 2005 to US $36.7 billion in 2016 and is expected to expand at a CAGR of 15.92% to US $ 55 billion by 2020. It gives a competitive edge to India over others.

The basic aim of this study is to analyze the liquidity position of IPCA Lab. Ltd. across the year through the liquidity ratios.

The present paper is divided into five sections. The first section gives the background of IPCA Lab. Ltd. and second part related with review of previous studies. The third section consists design of the study including objectives ,hypothesis and methodology. The fourth part of the study related to analysis and interpretation. The last section of the study gives the concluding remarks.

Profile of the IPCA Lab.Ltd . - IPCA Lab .Ltd. ,incorporated in 19 October ,1949 under the name of "the Indian pharmaceutical combine association limited, operates as a pharmaceuticals company .IPCA manufactures, supplies and exports APIs. The company has its registered office located in Mumbai.

For more than 65 year ,IPCA has been partnering healthcare globally in over 110 country and in markets as diverse as Africa, asia, Australia, Europe, and the US. IPCA is a fully –intergrated. Indian pharmaceutical company manufacturing over 350 formulations and 80APIs for various therapeutic segments. IPCA is a therapy leader in indiafor anti-malarias with a market share of over 34% with a fast expanding presence in the international market as well .

IPCA was one of the worlds largest manufactures of APIs the company has emerged as one of India's top exporters of APIs with nearly 25% of the turnover coming from APIs . for over 20 year ,IPCA has been playing a lead role in the Indian APIs market, both in the anti–malarial and anti-hypertensive therapeutic segments.

Review of Literature - Yadav (2014), In his paper titled "Liquidity Analysis of selected pharmaceutical companies - A comparative study" analyse the liquidity position of the selected pharmaceutical companies by making use of liquidity ratio. The result shows that among the three companies liquidity position of Cipla Ltd. is better and satisfactory.

Hosson and Habib (2010). They focused on performance evolution and ratio analysis of pharmaceutical company in Bangladesh. For this purpose they calculated various ratio and analysis the perform once of reference companies. Finally measure the best performance between two reference companies on the basis of ratios.

Shaji (2011) In his paper titled "Financial performance of Indian Pharmaceutical Industry" examined the liquidity and profitability position of the company. This study based on various accounting ratios and also apply the statistics measures i.e., linear multiple regression analysis and test of hypothesis t-test.

Research design - Principally research refers to collecting

*Research Scholar (Commerce) Vikram University, Ujjain (M.P.) INDIA

and analyzing existing data to draw conclusion, make suggestions and suggest further research areas. The research problem of this research is to analyse company's liquidity position during the research period. This section includes the objectives of the study ,research methodology and making a hypothesis of the study .

Objectives of the study - The study has the following objectives :

1. To measure the liquidity position of the company's under study by using some important ratios.
2. To analyze the liquidity changes over a period of research .
3. To evaluate the performance of liquidity management of the company .
4. To ascertain the strength and weakness of the company in term of liquidity analysis.

Hypothesis of the study - The main hypothesis of the study are :

H_0 : There is no significant difference in liquidity position of IPCA Lab.Ltd. across the year of the study.

H_1 : There is significant difference in liquidity position of IPCA Lab.Ltd .across the year of study .

Methodology of the Study - The methodology is the general research strategy that outlines the way in which research is to be undertaken and among other things, identifies the methods to be used in it.

Present study focuses only one of the important pharmaceutical company i.e. IPCA Lab. Ltd. Which is engaged in the manufacturing formulations and APIs for various therapeutic segments. The study is primarily based on the secondary data taken from the annual reports and other relevant publications of IPCA Lab. Ltd. A moderate period of five year from 2008-09 to 2012-13 is adopted to draw the meaningful interences. Data of five years are sufficient to have an idea about the liquidity analysis of IPCA Lab Ltd. Liquidity position of IPCA Lab Ltd.analyzed through various liquidity ratios. And graphical presentation done with the help of MS-Excel .

Accounting Tools - To analysis of liquidity position of the company tool used as liquidity ratios. The mainly three type of liquidity ratio

1. Current ratio = $\dfrac{Current\ \ Assets}{Current\ \ Liabilities}$

. Quick ratio = $\dfrac{Quick\ \ Assets}{Current\ \ Liabilities}$

3. Cash ratio = $\dfrac{Cash}{Current\ \ Liabilities}$

Analysis and interpretation Liquidity ratio of IPCA Lab. Ltd.

Table-1 **(in times)**

Year	CR	QR	CPR
2008-09	1.66	0.93	0.03
2009-10	1.99	1.12	0.03
2010-11	1.79	0.97	0.02
2011-12	1.89	0.83	0.02
2012-13	2.21	1.02	0.09

Source: annual report of IPCA Lab.Ltd.

Where CR =current ratio ,QR=quick ratio, CPR= cash position ratio

The table 1 shows the current ratio quick ratio and cash ratio of the company across the years of the study. It was observed that the current ratio of the company has a fluctuating trends during the study period. The current ratio of the company was less then standard but near to the standard ratio except in the year 2012-13, which higher than the standard ratio 2:1. In the year 2008-09 ,the current ratio was 1.66 times. In year 2009-10 the ratio increased to 1.99 times , in 2010-11 the ratio fell down to 1.79 times. Further in the year 2011-12 ,the ratio improved to 1.89 times . finally ,in the year 2012-13 ,the current ratio of this company was highest during the study period. It was 2.21 times ,which was more than the standard ratio.

Quick ratio of the company also showed fluctuating trends. But the ratio of the company almost equal to the ideal ratio 1:1 in the year 2008-09 ,the quick ratio of company was 0.93 times,in 2009-10 the ratio increased to 1.12 times.Further in the year 2010-11, ratio was decreased to 0.97.Again in the 2011-12, the ratio was decreased to 0.83 times. In the year 2012-13, quick ratio of the company improved to 1.02, which was near to ideal ratio .

Cash ratio of the company was very low during the period of study. In the year 2008-09 , the cash ratio of the company was only 0.03 times. Again in the year 2009-10 the ratio was same.Further in the year 2010-11 and 2011-12, the ratio was same 0.02 times i.e.. only 2% which shows the consistency of the ratio. But in the year 2012-13,the company's cash ratio increased to 0.09 times it has been observed that all the three ratio across the year are different which shows fluctuating trend of liquidity position of the company durig the study period .

Figure-1 displays the graph of the liquidity ratio of IPCALab.Ltd. from 2008-09 to 2012-13. The values of ratio are plotted on the X axis and the numbers of years are plotted on the Y axis. The figure shows exhibit the actual position of current ratio ,liquid ratio and cash position ratio of IPCA Lab. Ltd .

Conclusion - The present study has been conducted with a view to assessing the liquidity position of IPCA Lab .Ltd .during the period of study offive year from 2008-09 to 2012-13. The available data of IPCA Lab. Ltd.has been analyzed and interpreted through various liquidity ratio and graphical presentation of total activities as well as applied statistical tool. It can be summed up that the liquidity position of the company is sound in terms of short term solvency but the cash position of the company was very low .

After analysis and interpretation of the data we find some indications regarding the performance of IPCA Lab.Ltd. which are as follows:

1. The study reveals the fluctuating trends of liquidity position of the company .
2. The growth in liquidity ratio of the company is significant

Suggestions - There are some suggestions for the company is as follows:

1. The company's ability to meet its currents obligation is satisfactory. This company maintains current assets more than the current liabilities and it should be advised to increase the value of currents assets to achieve the optimum level .
2. Liquidity position of the company is quite satisfactory and it should be maintained to meet short term obligations.
3. Cash position of the company was very low. The company should slightly improve the cash balance so the company able to meet its short term financial obligations, if they fall due for payments on that date .

References :-

1. Pandey ,I .M.(2002). Financial management, New Delhi,Vikas publishing house pvt.ltd. pg.108-167
2. Grewal ,T.S (2016). Analysis of financial statements, New Delhi, Sultan Chand and sons (p) Ltd. Pg.4.1-4.22
3. V. Vijayalakshmi and M. Srividya (2014) "A Study on financial performance of pharmaceutical industry in India" Journal of Management and Science, Vol. 4 No. 3.
4. S. Bijendra and S. Deepika (2017) "Liquidity and Profitability Analysis of the Pharmaceuical companies of India, International Journal of Scientific Research and Management, Vol. 5 Issue 8.
5. S. Neetu and B. Sanjeev (2017), Liquidity Analysis of Selected Pharmaceutical Companies in India, Vol. 4, Pg. No. 405-412, KAAV International Journal of Economics, Commerce and Business Management.
6. Sheela, C.S. and Karthikeyan, K. (2012), Financial Performance of Pharmaceutical Industry in India, Journal of Business and Management Vol. 4, No. 14.
7. Annual report of IPCA Lab.Ltd. from 2008-09 to 2012-13

****

Basel III Norms And Indian Banking Sector - Emerging Challenges And Way Forward

Dr. Pravin Mantri *

Abstract - Basel III is important global norms that set a common standard for banks across countries. The RBI is a member of Basel committee based in Basel, Switzerland. Basel III norms are the guidelines which are framed by this committee. The major thrust area of Basel III is improvement of quality and quantity of banks, with strong supervision, risk management, and disclosure standards. Basel III, is likely to be implemented in India from 2019.The component of Basel III are capital ratio targets, Risk weighted assets requirements and liquidity Standards.
Key Words - BCBS- The Basel committee on banking supervision, LCR- Liquidity Coverage Ratio,SLR- Statutory Liquidity Ratio, CRR- Cash Reserve Ratio, ROE- Return on Equity.

Introduction - Basel III is a set of standards and practice created to ensure that international banks maintain adequate capital to sustain themselves during economic crisis. After the 2008 financial crisis, there was a need to update the BASEL norms to reduce the risk in the banking system further. Basel III adds further controls to those required by Basel II, which in turn was refinement of Basel I.

Basel III Norms Framed by Bank for International Settlements (BIS). It primarily aims at:

1. To strengthen global capital and liquidity regulations with the goal of promoting a more resilient banking sector.
2. To improve the banking sectors stability to absorb shocks arising from financial and economic stress, this, in turn would reduced the risk of a spill over from financial sector to the real economy.
3. Enhancing the quantum of common equity.
4. Improving the quality of capital base.
5. Creation of Capital buffers to absorb shocks.
6. Improving liquidity of capital base.
7. Optimising leverage through leverage ratio.
8. Creating more space for banking supervision by regulators under Pillar-II.
9. Bringing future transparency and market discipline under Pillar-III.

Important Features Of Basel III Norms :

Enhanced capital requirement: - Banks require to hold more reserves by January 2015, with common equity requirements raised to 4.5% from 2% at present.

Capital conservation buffer: - This buffer is newly introduced to meet the crises in the time of stress. It's an additional reserve of 2.5% which brings the total Tier I Capital reserve to 7%.

Counter cycle buffer: - At any point of time if a nation's economy credit is expanding faster in comparisons to GDP then capital requirement can be increased with the help of countercyclical Buffer which varies between 0%-2.5percent.

Leverage Ratio: - Basel III proposes that Tier I capital has to be at least 3% of the total assets even where there is no risk weighting. It agrees to test a minimum Tier I leverage ratio of 3% by year 2017.

Liquidity risk measurement:- Liquidity coverage ratio is newly introduced it is designed to ensure that a bank maintains an adequate level of un encumbered, High quality assets that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 day's time frame under acute liquidity stress. The standard requires ratio to be 100%.

Net funding stability ratio: - It is the ratio, for a bank of its 'available amount stable funding 'divide by its 'required amount of stable funding.' The standard requires the ratio be no lower than 100%.

Basel III Capital Norms For Banks In India :

Regulatory capital	Minimum Requirement (As % of risk-weighted assets)
Tier I Capital	7.0%
Tier II Capital	2.0%
Total Capital Ratio	9.0%
Capital Conservation Buffer	2.5%
Total Ratio	11.5%

The Basel III norms account for more risk in the system then earlier. As a result, it increases banks minimum capital requirements. Tier I capital – the main portion of the bank's capital, usually in the form of equity shares, should amount of 7% of the bank's risk, so if the bank has risky assets worth Rs. 200/- ,it needs to have Tier I capital worth Rs. 14/ -. This capital can be easily used to raise funds in times of troubles. Plus, banks also have to hold an additional buffer

* Ph.D., M.P. Set (Commerce),FCA, HOD,(MBA) Royal Institute Of Management And Advance Research, Ratlam (M.P.) INDIA

of 2.5% of risky assets.

Impact Of Basel III On Indian Banks:

Leverage risk - Bank can also pile on debt like other companies. This increases the risk in the system. The BASEL III norms limit the amount of debt a bank can owe even further. This is called the leverage ratio. This is especially applicable for banks that trade in high risk assets like derivatives.

Liquidity - Capital is money that is invested in assets like equity or government bonds. This money, therefore, is not readily available for day to day activities. Moreover during a crisis, the value of investments can fall suddenly like 2008 financial crises. This means, the capital a bank holds can fall during time of need.

Pressure on return on equity - To meet the new norms apart from government support a significant number of banks have to raise capital from market. This will push the interest rate up, and in turn, cost of capital will rise while return on equity (ROE) will come down. To compensate the ROE loss, banks may increase their landing rates. However, this will adversely affect the effective demand for loan and thereby, interest income.

Pressure on yield on assets - On account of higher deployment of funds in liquid assets that give comparatively lower returns, bank's yield on assets, and thereby their profit margins, may be under pressure.

Challanges For Indian Banks :

1. New regulatory requirements
2. Risk quantification
3. Data availability and quality
4. Availability of resources
5. Coordination –Inter & Intra Groups

Strategies Need To Be Adopted - To address these issues and to protect their profitability margins, bank need to look beyond regulatory compliance and take proactive actions – assessing their lines of business, level of risk profiles, economising capital and drawing up funding strategies.

Change In Business Mix - Since retail banking has a comparatively lower risk weight compared to corporate banking the impact on higher allocation of capital will be less on retail banking. Further ,in corporate banking ,as chances of a default in short term loans is less, on an average ,compared to chances of a default in long term loans , banks need to shift towards short term /retail loans. And to take a granular approach to protect their margins under the new BASEL III Norms.

Change In Customer Mix - Banks need to review their capital allocation to each client segment and price it in line with the profile to ensure that capital is allocated to segments that generate higher risk – adjusted returns.

Low Cost Funding - One of the most important factors to meet the new regulations is to have a stable low – cost deposit base. For this, banks need to focus more on having business correspondents / facilitators to reach customers as adding branches will increase costs and have an impact on the profit margin.

Improvement In Systems And Procedures - Refining the rating model/modernisation of systems and procedures may help banks economise their risk- weighted assets, which will help reduce capital requirements to some extent.

Conclusion - Complying with BASEL III norms is not an easy for India's banks, which have to increase capital, liquidity and also reduce leverage. This could affect profit margins for Indian banks. Plus, when banks keep aside more money as capital or liquidity, it reduces their capacity to lend money. Loans are the biggest source of profits from banks. Plus, Indian banks have to meet both LCR (Liquidity coverage ratio) as well as RBI's statutory liquidity ratio (SLR) and cash reserve ratio (CRR) norms. This means more money would have to be set aside, further stressing balance sheets.

References :-

1. BCBS (2009), Liquidity risk management , standards and monitoring ,Basel , December
2. The new Basel capital accord: Main features and implications , ECB monthly bulletin, Jan.2005
3. Efficiency of Indian banking industry in the post – reform era 2011, Amit Kumar Dwivedi, D. Kumar Charyulu.

E- Reference :

1. www.iba.org.in
2. www.rbi.org.in
3. www.moneycontrol.com

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) July to September 2017, Vol. II

Growth And Challenge Of Online Marketing In India

Roshni Siddiqui *

Abstract - Online marketing has developed now due to few year before practices . This business is fully depend on internet computer services .The development of this communication means was not in full form before some years. today E-marketing is one of the most emerging technologies in IT and E-commerce sector .without marketing organization cannot sell and without sales there is no revenue and without revenue people cannot able to run business. The www is very diverse marketing platform used by most business for marketing all types of product and services .online marketing includes social marketing, word advertisement, banner advertisement video advertisement etc. like other forms of market ,internet marketing has its benefits and pit fall. Online marketing has thus emerged to be the key to success for many companies and the online presence of organization has become inevitable in nature.

Introduction - Online marketing is recent type of business it has affected a large population of Indian society. With the education, awareness and development communication means this business has developed rapidly. Now due to the cash crises and short of time people use online marketing in this field. Internet services is giving speed to this business. now after declaration of digital India of P.M of India has given a sound line to this business. at first digital marketing was used in 1990s . the rapid evolution of digital media created new opportunities and avenues for advertising and marketing. Digital marketing is often reffered to as 'online marketing' 'internet marketing' or 'web marketing'. The term 'digital marketing' become popular over time , particularly in certain countries . In USA 'online marketing' is still prevalent. Modern electronic commerce typically uses the world wide web although it may also use the other technologies such as e-mail .E-marketing includes e-mail websites and micro sites , search engine advertising ,search engine optimization , co-registration ,mobile marketing and other technology driven tools.

In India this type of business is regularly progressing in every field of marketing system.

Research Methodology - The lecture and data collection from different lecture and communication means newspaper journal and T.V . programmes relating this business have provided different types of information and knowledge . the analysis has been done very carefully then result has come out of the research.

Hypothesis -

- Online marketing may not be substitutes of traditional marketing system.
- Online marketing can not be success due to the lack of education and lack of communication means Among the public all kind of commodities cannot be come into online marketing .
- The guarantee of goods is not secure sunder online marketing .

Objectives-

- To get knowledge about online marketing in india to find out the growth of this marketing.
- To find out the challenges in online marketing.
- To give suggestion to improve difficulties and complexity of online marketing to make popular this marketing.

Description - E-marketing has universal applicability. It permits all kinds of business namely ,agriculture, industrial ,medical, tourism, governance, education, and so on . some of the common application of e-marketing are :document automation, payment system, content management, group buying ,online banking , shopping and order tracking .teleconferencing, electronic tickets which have become common with large and small business alike.

1971 or 1972 the ARPANET is used to arrange a sale between students at the Stanford artificial intelligence laboratory and the Massachusetts institute of technology, the earliest example of e-commerce .

The online shopping system in India started since 1979. In 1979 Michel Aldrich demonstrates the first online shopping system. In 1981 Thomson Holiday UK is first business –to- business online shopping system to be installed. In 1996 India MART B2B market place established in India and in 2007Flipkart was established in India.

India is one of the world's fastest growing market. This growth story is the result of increase in the number of internet users . internet users in India were estimated to be 300 millions in 2014 . India has an internet user base of

* **Research Scholar (Commerce) A.P.S.University, Rewa (M.P.) INDIA**

about 250.2 million as of june 2014. The penetration of e-commerce is low compared to market like the united state and the united kingdom.India e-commerce market was worth about ´ 3.8 billion in 2009 ,it went up to $ 12.6 billion in 2013.

Types of Internet marketing - There are several types of internet marketing some which work alone and other which work in conjunction with others . here are some types of internet marketing -

- Search engine optimizer
- Social media marketing
- Blog marketing
- Payper click advertising
- E-mail marketing
- Net work

Cost effective - IM(internet marketing) is one of the best cost effective ways of advertising because marketing products on the internet are less expensive in comparison to physical marketing store.

Convenient - Internet marketing enables to provide 247 services without worrying about the opening and closing hours of a physical store. it's also convenient for the customers because they can browse online store at any time and from any place world wide and place their orders at their own convenient time.

Increase website traffic - the use of article or social media as marketing strategy will help to increase traffic to a business website.

One–to-one marketing - barrier of distance is overcome by internet marketing because the seller can sell goods in any parts of the world without setting up a local outlet over there thus the scope of target market become very wide .

Improve customers seller relation - better platform to built relationship with cutomers to increase customers relation level is provided by internet. The sweet relation create between customers and sellers.

Personalization - by building a profile of their purchasing history and preferences , internet m arketing will help a business to personalize offers for customers.

Increases sales - internet marketing will increase the sales. It provide the consumer opportunity to purchase the product online rather than physically going to a place or sending an order from by mail.

Always available to consumers - using internet marketing techniques business can give their consumers a 24 hour outlet for finding the product they want in physical outlet shopping is done in only normal working hour which impact the work schedule and life style of the customers .

Unique challenges of E-marketing and the ways to overcome them.

Since late 1990s there is a boom in the use of internet hence so many web-based companies have been starting up every day. In this article we have taken a look at those and their possible solution .

Marketing integration - the problem faced with these is that they are supposed to serve a concrete and measurable goal as part of an integrated compaign even though they are often handled as different parts of the work . so to coordinate all marketing efforts must be a priority.

Security and privacy - most people do not completely trust web companies and thus they besitate about offering information about themselves on the cyberspace when companies that collect data are exposed to scammers and spammers , this is especially true .

Customer expectations - never before customers had expected too much. managing customer expectation is vital to marketers, because if businessman does not know his competitors will ,you are not able to survive in long run in the market .

Bad marketing - any one can call themselves a web designer , marketer , consultant , SEO expert and so on. Poorly created and executed marketing programs degraded our profession and also create mistrust among clients , marketer amd other related parties .

Dealing with the IT department - there is a circle of IT vs . marketing for a long time . but it's a time to understand that we need to be partner with our IT friends to implement our marketing programs more efficient . in simple sense , we need them they need us or we can say that both complement each other.

Suggestion - Though online marketing is being very popular business system . there are some difficulties on this business the first suggestion which can be given to awareness consumers and persons involves in business there should be full knowledge and operating method of online business. The educated person's and social working should do this work very well about. The commodities of all sector should be brought under online marketing consumer do not be worry on his marketing process.

Conclusion - This paper discussed the growth and the challenges in the ever expanding area of e-marketing . this field needs constant learning . one cannot overlook the fact that it is a technology driven approach . there is a dire need to keep abreast of the latest in the field of computer science and information technology . poorly created and executed programs create mistrust between clients and marketers marketing also offer business the opportunities to garner data about their consumers base to an extent that has till now been very difficult to achieve via traditional marketing and method. The development of internet marketing and social media advertising has led to example of business in recent years that appear to little more than categories and filter information relating to products and services on the internet , taking a small cut from any transaction that may occur as a result .

References:-

1. Devi.C.S and Anita.M (2013):''E-marketing challenges and opportunities'' page 96-105.
2. Economic survey 2016.
3. India annual book 2016 .
4. W.W.W. Google.com.

Education And Health Development Of India (In Special Reference To BRICS)

Dr. Abdul Hakim * Roshani Siddiqui **

Abstract - Education and health are basic and fundamental needs of human beings. Any country may develop only with developing best education and effective healthcare.

During BRICS conference, held in China, it is seen that the condition of education and health of India is not satisfactory. About all other BRICS countries are in better position in both sectors, the several positive efforts have been done but after 68 years of independent the problems of education and health could not remove Increasing populatino, unemployment, curruption are the barriers in way of education and health. These problems should be removed, then we will be in better position.

Introduction - Education and health are most fundamental needs of Human beings. Education developmental power and health develops body power encluding mind. To develop these important need Govt. of each country continue try and expenses a lot of amount of its Budget. Unfortunatily developing both sector in India, no sufficient result could be obtained.

After independence passing 58 years, we can not be satisfied about our education and health. Inspite of lakhs efforts, the education and health could not be improved as desired.

In recent time the BRICS conference was organised in China, There were debates and talks about different subjects encluding Education and health. The result came out after conference, it is found that our country is in back line in development of both sectors. This research performed to know, what are the condition of Education and health and in what place our country runs.

Research Methodology - Whole data of Research taken by secondary source. T.V. news, Reports published in news papers and periodics became helpful to collect the data. Historical facts also collected of BRICS Countries. According the data tablation and analysis work done and found out result.

Hypothesis :

1. India do not su fficient centraeise it's consideration on education and health.
2. A low part of Budget expense of our country upon both fundamental sectors.
3. Indian Govt. do not give priority to both sectors.
4. The Public of India also unaware about Education and health.
5. Govt. Parliament of India never comment on prescribed budget on both sectors.

Objectives :

1. To know the real position of Education and health of BRICS countries encluding India.
2. To Compare education and health status of India with BRICS Countries.
3. To knw the problems and difficulties of Education and Halth of India.
4. To suggest measures to improve better education and health of India Citizens.

Subject Analysis - Our India is an important member of BRICS (Brajil, Russia, India, China and South Africa). In this organisatin Asian Countries (Russia, China and India) are three in number while South America (Brajil) and Africa Continents have one-one country. So we can compare our educational and health position between Russia and China (Asian Countries) and with Brazil (South America) and South Africa (Africa Continent). Betwen only five countries we get our country is not satisfactory situation.

Table No. 1 : Statement of Expenditure of GDP of BRICS Countries

S.	Name of BRICS Country	Expenditure of GDP on Education (in Percentage)	Expenditure of GDP on health (in Percentage)
1.	Brazil	5.2%	4.9%
2.	Russia	3.8%	3.6%
3.	India	02%	1.3%
4.	China	4.2%	5.5%
5.	South Africa	6.9%	4.1%

Source : BRICS Joint Statistical Publication - A Report

As per above table we know that the highest expenditure on education is of South Africa, which is 6.9% of its budget, Brazil is in Second number in expenditure of

* Retired Professor of Commerce, Govt. Girls P.G. College, Rewa (M.P.) INDIA
** Guest Faculty and Research Scholar (Commerce) A.P.S. University, Rewa (M.P.) INDIA

this sector and it is 5.2%, China 4.8%, Russia 3.8% and the lowest expenditure is of India. It is only 03% of its budget. Similarly China is in top of health expenditure it is 5.5% then Brazil 4.5%, South Africa 4.1%, Russia 3.6% and at last India expenses only 1.3% on health of its budget. Therefore India is on back row of Budget expeditures on education and health. This figure do not show the satisfactory position of our country.

According to table 2, India is in very same position because more than one-Thrid population of India is oblised to live in below poverty line. It is 39.4% of total India population, India resist in a large difference of BRICS'S below poverty line population. South Africa is in second position in this mater (7.4%) Brazil contains third position of such population (3.8%) China (1.3%) and Russia has no population below poverty line. Therefore Russia is the most developed and prospurous, country while India is in burst position in development.

Problems And Difficulties - There are several problems and difficulties in India, which are the barriers in the way of development of education and health.

1. The population problem is the first cause to draw back India in development.
2. Unemployment problem also affects to increase economic problems.
3. Foreign debt of India draws a lot amount of budget to pay interest and penality.
4. Indian Defence is very expensive. External security and internal position of law and order force to increase budget for defence and security.
5. Curruption spread on top to bottom level of Govt. Machinery, which expenses a lot of budget on misusing and unnecessary works.
6. Govt. of India failed to control curruption problem, is such cases executive body also involves in Currupt behaviours, toiled mind from education and health.
7. Privatisation of education and health has its efforts on more money earning without thinking quality of education and health.
8. Awareness of India public has made to make healpful better and quality education and health.
9. Demonetorisation and GST promote to arrive Economic growth rate down.

Suggestions :

1. The Annual budget should be frames after well consideration and making view centralised on best skilled education and health.
2. Before forming budget, Govt. should take advices and suggestions of learned and geneous persons.
3. The education and health should be kept in top priority and should think from different directions and purposes because education and health are basic needs and tools for development of country and society.
4. Public should also be aware about these Fundamental Instrument and hint to Govt. time to time.

Sum Up - India is in very low position of education and health be neath BRICS countris. The poverty position is very dangerous. Inspite of a lot effort the poverty could not be derived several plans and schemes prepared to increase level of education and health and remove povery of India, but they became unsuccessful and about failed to eradicate poverty and increase education and health.

The purpose of International conferences are to look their development position and compare with other countries and learn to turn direction development patterns perhaps we participate in such conferences and nevetry to change ourselves. Till now we remained failure to change directions of grow and development and unable to know our priority, whcih are necessary to adopt.

We expect that our aware Govt. will learn with BRICS report which is mainly based on education and health.

References :-

1. INDIA - 2017
2. Economic Survey 2016-17
3. Joint Statistical Publication and Report of BRICS
4. Internet, T.V., Newspapers etc.
a. Communication means.

Table No. 2 : Stateent of population below poverty line of BRICS Countries

S.	Name of BRICS Countries	No. of Countries in BRICS	World Population in BRICS Countries (in%)	Place of BRICS in International organi -sation in world	Population below poverty line
1.	Brazil	05	40%	03rd	3.8%
2.	Russia				00%
3.	India				39.4%
4.	China				1.3%
5.	South Africa				7.4%

Source : Joint Statistical Publication of BRICS - A Report

****

भारतीय जीवन बीमा निगम की सेवाओं से प्रेरित होकर बीमाधारियों की बचत एवं विनियोग वृद्धि का अध्ययन

डॉ. शिवाली शाक्या *

शोध सारांश– मानव जीवन बहुत महत्वपूर्ण संपत्ति है और जीवन बीमा, बीमों के विभिन्न प्रकारों में से बहुत महत्वपूर्ण प्रकार है, जो कि अनिश्चित जोखिम या हानि के समय बीमाधारी एवं उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। जीवन बीमा न केवल बीमाधारियों को सुरक्षा व सहायता प्रदान करता है अपितु उन्हें अधिक से अधिक बचत व विनियोग हेतु भी प्रोत्साहित करता है। भारतीय जीवन बीमा निगम भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है, यह सैकड़ों व्यक्तियों को उनकी अनिश्चित मृत्यु एवं दुर्घटना के विरूद्ध आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। भारतीय जीवन बीमा निगम बीमाधारियों को अधिक से अधिक सुविधा व सुरक्षा प्रदान करके सामाजिक कल्याण हेतु अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। भारतीय जीवन बीमा निगम उन अग्रणी संगठनों में से एक है, जिसने सेवा और व्यापार मे सूचना प्रौद्योगिकी को शामिल किया है। 10 करोड़ पॉलिसियों से संबंधित आंकड़े भारतीय जीवन बीमा निगम के कम्प्यूटर में दर्ज हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 में भारतीय जीवन बीमा निगम ने 1,80,117 करोड़ रूपए की विनियोग आय अर्जित की है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने 2016-17 में 99.92 प्रतिशत मृत्यु दावों का निपटारा किया। उद्योग संगठन बीमा परिषद के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम समेत कुल 24 कंपनी जीवन बीमा क्षेत्र में सक्रिय हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 में इक्विटी निवेश से मुनाफा 72 प्रतिशत बढ़ोत्तरी के साथ 19000 करोड़ रूपए हो गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने आधार कार्ड वाले व्यक्तियों के लिए दो प्रकार की बंदोबस्ती आश्वासन योजना भी प्रदान की है। इस शोध पत्र में भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसियों से प्रेरित होकर बीमाधारियों की बचत एवं विनियोग वृद्धि का अध्ययन किया गया है। इस शोध पत्र के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हुई कि अधिकांश बीमाधारियों को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली पॉलिसियाँ सुरक्षात्मक व सुविधाजनक लगी हैं। इस हेतु वे अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पॉलिसी के क्रय हेतु विनियोग व बचत के लिए प्रोत्साहित हुए है। वे अपनी आय में से जो भी राशि बचा रहें हैं, उन्हें वे अधिकांशत: भारतीय जीवन बीमा निगम में ही विनियोग कर रहें हैं अत: भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी उनकी बचत व विनियोग को प्रोत्साहित कर रही है।

प्रस्तावना – जीवन अनिश्चित है और अनिश्चितता जोखिम का ही दूसरा नाम है। अत: व्यक्ति भविष्य में आने वाली जोखिमों को जीवन बीमा के माध्यम से ही दूर कर सकता है। इसलिए जीवन बीमा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अनिवार्य अंग बनता रहा है। वर्तमान समय में जीवन बीमा हेतु कई बीमा कंपनियाँ कार्यरत है लेकिन भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रारंभ हुए कई वर्ष हो चुके है इसलिए व्यक्तियों को इस पर विश्वास भी है, साथ ही यह एक सार्वजनिक निकाय भी है। इस कारण अधिकांश बीमाधारियों के द्वारा जीवन बीमा में विनियोग करने हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम का ही चुनाव किया जाता है। बीमाधारी, बीमा व्यवसाय का महत्वपूर्ण स्तंभ होता है इसलिए सभी बीमा कंपनियों के द्वारा बीमाधारियों को प्रोत्साहित करने हेतु अधिक से अधिक लाभ प्रदान करने की चेष्टा की जाती है। बीमा कंपनी के द्वारा विभिन्न प्रकार की लुभावनी योजनाएँ भी प्रदान की जाती है, जिससे कि बीमाधारी, बीमा कंपनी की ओर आकर्षित होता है। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बीमाधारियों को अधिकतम संतुष्टि एवं जागरूकता हेतु प्रोत्साहित करने वाले उत्पाद व कम प्रीमियम वाले प्लान लाए जाते है, जिससे कि बीमाधारी उसे खरीद सके एवं उसका लाभ उठा सके। साथ ही अधिक से अधिक जोखिम कवर करने का गुण भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली पॉलिसियों में होता है जिसका क्रय बीमाधारी के विनियोग व बचत में भी वृद्धि करता है इसलिए अधिक से अधिक उपभोक्ता द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी में ही विनियोग किया जाता है।

वर्तमान समय में बीमे का स्वरूप दिन-प्रतिदिन बदलता ही जा रहा है। दैनिक जीवन में बीमा के प्रकारों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। आज मनुष्य के सामने कई प्रकार की बीमा सेवाएँ मौजूद है, वे अपनी सुविधानुसार किसी भी बीमा पॉलिसी को ले सकते हैं। बीमा कंपनियाँ आज हर प्रकार के बीमे की सुविधा प्रदान कर रही है। जिससे व्यक्ति अपनी जोखिम को कवर कर सकता है, बीमा ही एक ऐसा साधन है जो मनुष्य को अपनी एवं अपने परिवार वालो की मदद करने में सहायता प्रदान करता है। बीमा कंपनियों के द्वारा आजकल ऑनलाईन भुगतान की सुविधा भी प्रदान की जाती है एवं ऐसे सॉफ्टवेयर लोड किए है। जिससे हम अपनी पॉलिसी संबंधी जानकारी आसानी से इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। जिससे हमारे समय की भी बचत होती है। इस प्रकार बीमा, हमारे जीवन को जोखिम से बचाने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बीमा के बिना हमारा जीवन जोखिम भरा है। बीमा के द्वारा ही हम अपने जीवन को जोखिम से बचा सकते हैं। बीमा का प्रयोग करके हम अपना व अपने परिवार का भविष्य संवार करते हैं। इस प्रकार बीमा आज के युग की महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य आवश्यकता है।

भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना संसदीय अधिनियम के द्वारा की गयी, जिसे महामहिम राष्ट्रपति ने 18 जून 1956 को अपनी स्वीकृति प्रदान की। यह अधिनियम 01 जुलाई 1956 से लागू किया गया और निगम ने 01 सितम्बर 1956 से कार्य करना प्रारंभ किया। भारतीय जीवन बीमा

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय, बेनज़ीर, भोपाल (म.प्र.) भारत

निगम के राष्ट्रीयकरण से पूर्व हमारे देश में 245 बीमा कंपनियाँ निजी व्यवसाय के रूप में बीमा का कारोबार करती थी जिनके द्वारा कमाया गया लाभ निजी व्यवसाय स्वयं ही उपयोग में लेते थे। अत: आम जनता तथा देश के विकास में उनका हित बहुत कम था। सरकार ने 245 छोटी-बड़ी कंपनियों की बचत एवं लाभ का देश की जनता के हितार्थ प्रयोग करने के लिए 19 जनवरी 1956 को जीवन बीमा का राष्ट्रीकरण किया और उस समय चल रही 245 बीमा कंपनियों का अधिग्रहण किया।

भारतीय जीवन बीमा निगम का केंद्रीय कार्यालय मुबंई में है। इसके अलावा 8 क्षेत्रीय कार्यालय भी है, जो क्रमश: दिल्ली, कानपुर, भोपाल, हैदराबाद, चेन्नई, पटना, कलकत्ता एवं मुंबई में स्थित है एवं भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय के 8 मंडल कार्यालय हैं, जो क्रमश: भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, रायपुर, बिलासपुर, जबलपुर, शहडोल एवं सतना में स्थित हैं। भोपाल मंडल की 30 शाखाएँ हैं, जो भोपाल में 9 एवं शेष 21 शाखाएँ क्रमश: बैरागढ़, बरैली, बैतूल, आमला, इटारसी, पिपरिया, रायसेन, सीहोर, आष्टा, शाजापुर एवं विदिशा में स्थित है। भारतीय जीवन बीमा निगम पूरी तरह से एक नियोजित संगठन है, जो लगातार चलने वाली सुधारात्मक प्रक्रियाओं पर आधारित है। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्य उद्देश्य मुनष्य के धन को सुरक्षा प्रदान करना एवं उनकी बचतों का विनियोग करना है।

भारतीय जीवन बीमा निगम पर सरकारी संरक्षण होने के कारण सुरक्षा अधिकतम है। इसलिए सामान्य जनता के द्वारा बीमा कराने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम का ही चयन किया जाता है। भारतीय जीवन बीमा का व्यवसाय विस्तृत रूप से फैला हुआ है। भारत के अलावा अन्य 17 देशों में भी इसकी शाखाएँ फैली हुई हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम में लगभग 1.25 लाख लोग रोजगार के रूप में लगे हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम में लगभग 1,14,773 कर्मचारी एवं 10,61,560 एजेंट पूरे देश में कार्य कर रहे हैं। अत: यह कर्मचारियों एवं उपभात्क्ताओं को अच्छी सुविधा प्रदान कर रहा है। आज भारतीय जीवन बीमा निगम का कामकाज पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत 2,048 शाखा ऑफिस, 113 डिविजनल ऑफिस, 1401 सैटेलाईट ऑफिस, 1240 मिनी ऑफिस तथा 8 जोनल ऑफिस और 1 कॉर्पोरेट ऑफिस से होता है। भारतीय जीवन बीमा निगम का वाईड एरिया नेटवर्क 100 डिविजनल ऑफिसों को और मेट्रो एरिया नेटवर्क सभी शाखा ऑफिसों को आपस में जोड़ता है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने कुछ बैंकों और सर्विस प्रोवायडर्स से भी गठबंधन किया है, जिससे कि चुने हुए शहरों में ऑनलाईन प्रीमियम भुगतान की सुविधा दी जा सके। उपभोक्ता को अधिक से अधिक सुविधा देने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम ने ए.टी.एम. सेवा भी शुरू की है। मुंबई, अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कलकत्ता, पुणे, नई दिल्ली और दूसरे शहरों में भी ऑनलाईन सुविधाओं के छोटे दफ्तर और कई पूछताछ केंद्र भी बनाएँ गए हैं। बीमाधारकों को सुविधाजनक जानकारी प्राप्त होने की दृष्टि से भारतीय जीवन बीमा निगम ने सेटेलाईट संपर्क सेवा शुरू की है। ये सेटेलाईट ऑफिस छोटे होते हैं और उपभोक्ता यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। इन सेटेलाईट ऑफिसों के डिजिटलीकृत रिकॉर्ड को कहीं भी देखा जा सकता है साथ ही जीवन बीमा निगम ने राष्ट्रीय निर्माण की गतिविधियों जैसे सड़कों, आवास, बिजली, सिंचाई, जल आपूर्ति एवं अन्य सीवेज आदि के निर्माण में भी बहुमूल्य योगदान दिया है।

शोध के उद्धेश्य – भारतीय जीवन बीमा निगम की पलिसियों से प्रेरित होकर बीमाधारियों की बचत एवं विनियोग वृद्धि का अध्ययन करना (भोपाल शहर में स्थित शाखाओं के विशेष संदर्भ में)

शोध प्रविधि –

1. **शोध संरचना –** यह एक वर्णनात्मक शोध है। इस शोध में भारतीय जीवन बीमा निगम के भोपाल शहर में स्थित शाखाओं के विभिन्न बीमाधारियों से मिलकर उनकी विभिन्न विशेषताओं जैसे आयु वर्ग, योग्यता का स्तर, ज्ञान, पॉलिसी संबंधी जानकारी एवं पॉलिसी लेने वाले बीमाधारियों का संतुष्टि स्तर आदि का पता लगाकर आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। इसमें केवल भारतीय जीवन बीमा निगम के बीमाधारियों का ही चयन किया गया है।
2. **न्यादर्श संरचना –** इस शोध में केवल भारतीय जीवन बीमा निगम की भोपाल शहर में स्थित शाखाओं को ही न्यादर्श हेतु लिया गया है एवं उन्हीं बीमाधारियों का चयन किया गया है जो कि भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी से पहले से बीमित हैं।
3. **शोध का क्षेत्र –** शोध अध्ययन का क्षेत्र केवल भारतीय जीवन बीमा निगम की भोपाल शहर में स्थित शाखाओं तक ही सीमित है।
4. **न्यादर्श आकार –** शोध अध्ययन हेतु न्यादर्श आकार के लिए भोपाल शहर में स्थित शाखाओं के 150 बीमाधारियों का चयन किया गया है।

आंकड़ों का संग्रहण – आंकड़ों का संग्रहण करने हेतु संकलन की प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों विधियों का चयन किया गया है। प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण हेतु विभिन्न विधियाँ जैसे: प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार आदि का प्रयोग शोधकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया गया है तथा द्वितीयक समंकों का संग्रहण जर्नल्स, शोध पत्रिकाएँ, समाचार पत्र, वेबसाईट्स और भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा समय-समय पर प्रकाशित की जाने वाली पुस्तकों से किया गया है।

आंकड़ों का निर्वचन एवं विश्लेषण – भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बीमाधारियों को जो भी सेवाएँ व सुविधाएँ प्रदान की जा रही है, उनसे बीमाधारियों की बचत एवं विनियोग में वृद्धि हुई है। इस बात का अध्ययन करने के लिए शोधार्थी द्वारा 20 प्रश्नों की प्रश्नावली-सूची तैयार की गई है एवं उस प्रश्नावली के आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम के 150 बीमाधारियों का सर्वेक्षण कर जानकारी एकत्रित की गई। भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसियों से प्रेरित होकर ही बीमाधारियों ने बचत एवं विनियोग किया। इसके संबंध में जिन आंकड़ों को एकत्रित किया गया है उनका विश्लेषण निम्नानुसार है-

तालिका क्रमांक 1 – बीमाधारियों के लिंग की स्थिति

क्र.	लिंग	संख्या	प्रतिशत
01.	पुरूष	90	60
02.	महिला	60	40
	योग	**150**	**100**

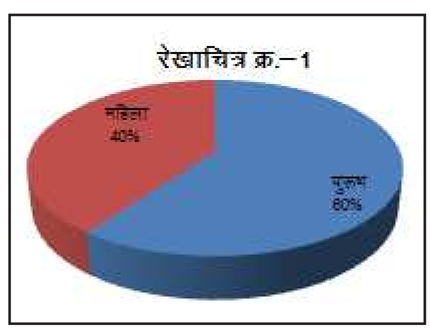

तालिका क्रमांक 2 – बीमाधारियों की आयु की स्थिति

क्र.	आयु–वर्ग	संख्या	प्रतिशत
01.	0 – 25	22	14.67
02.	25 – 40	90	60
03.	40 – 55	30	20
04.	55 से अधिक	08	5.33
	योग	**150**	**100**

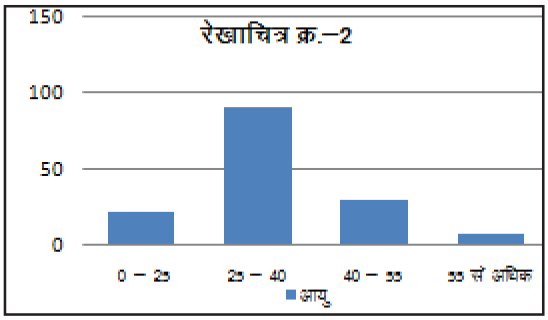

रेखाचित्र क्र.–2

तालिका क्रमांक 3 – बीमाधारियों की वार्षिक आय

क्र.	वार्षिक आय	संख्या	प्रतिशत
01	0–1,00,000	25	17
02	1,00,000–3,00,000	55	37
03	3,00,000–5,00,000	48	32
04	5,00,000 से अधिक	22	14
	योग	**150**	**100**

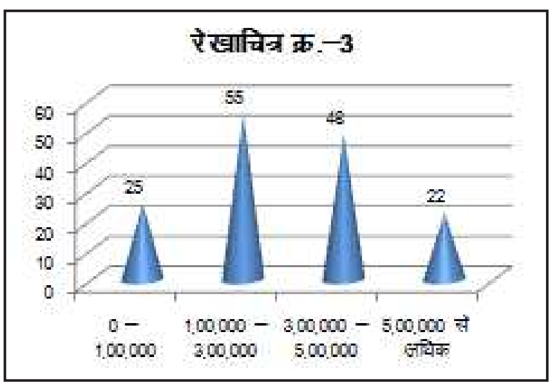

रेखाचित्र क्र.–3

तालिका क्रमांक 4 –वार्षिक आय में से की गई बचत

क्र.	बचत	बीमाधारियों की संख्या	प्रतिशत
01.	0 – 10%	42	28
02.	10 –20%	60	40
03.	20 –30%	30	20
04.	30 –40%	18	12
	कुल योग	**150**	**100**

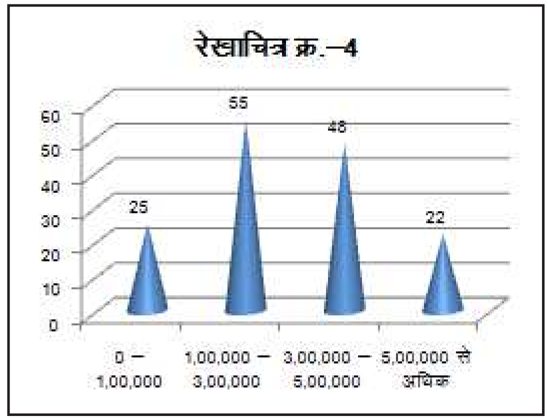

रेखाचित्र क्र.–4

तालिका क्रमांक 5– बीमाधारियों द्वारा ली गई पॉलिसियाँ

क्र.	पॉलिसी का नाम	संख्या	प्रतिशत
01.	बंदोबस्ती पॉलिसी	46	31
02.	मनीबेक पॉलिसी	75	50
03.	टर्म प्लान	19	13
04.	यू – लिप प्लान	10	6
	योग	**150**	**100**

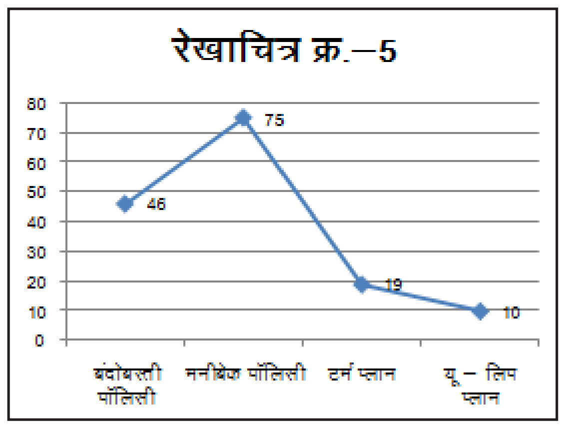

रेखाचित्र क्र.–5

तालिका क्रमांक 6– बीमा प्रीमियम की प्रतिवर्ष भुगतान की गई राशि

क्र.	प्रतिवर्ष भुगतान राशि	संख्या	प्रतिशत
01.	0 – 10,000	23	15.4
02.	10,000 – 25,000	65	43.3
03.	25,000 – 50,000	48	32
04.	50,000–1,00,000	8	5.3
05.	1,00,000 से अधिक	6	4
	योग	150	100

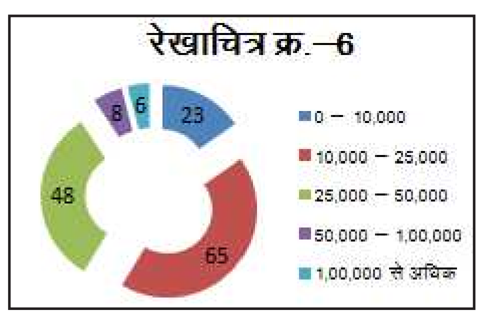

रेखाचित्र क्र.–6

तालिका क्रमांक 7- बीमाधारियों को प्रोत्साहित करने वाले कारण

क्र.	विनियोग प्रोत्साहन का कारण	संख्या	प्रतिशत
01.	धन को जमा करना	40	26.67
02.	जोखिम से सुरक्षा	60	40
03.	विनियोग की दृष्टि से	46	30.67
04.	अन्य कारणों से	40	2.66
	योग	**150**	**100**

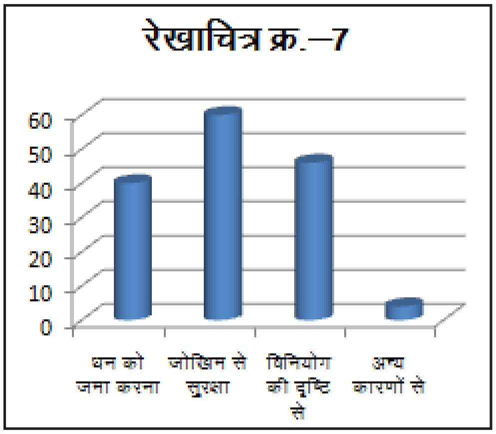

तालिका क्र. 8- बीमा कराने हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम को ही चुने जाने का उद्देश्य

क्र.	LIC **चयन उद्देश्य**	संख्या	प्रतिशत
01.	कर लाभ	24	16
02.	सुरक्षा	51	34
03.	विनियोग पर प्रत्याय	43	28.67
04.	सार्वजनिक कंपनी होना	32	21.33
	योग	150	100

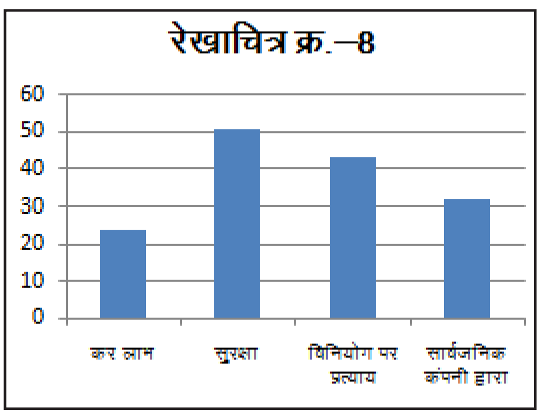

तालिका क्रमांक 9- भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी लेने से उनकी बचत के प्रोत्साहन का विश्लेषण

क्र.	बचत को प्रोत्साहन	संख्या	प्रतिशत
01	हाँ	90	60
02	नहीं	45	30
03	ज्ञात नहीं	15	10
	योग	**150**	**100**

ततालिका क्रमांक 10- भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी लेने से प्रेरित होकर भारतीय जीवन बीमा निगम में ही विनियोग करने के निर्णय का विश्लेषण

क्र.	पॉलिसी से संतुष्टि	संख्या	प्रतिशत
01	हाँ	135	90
02	नहीं	15	10
	योग	**150**	**100**

शोधार्थी द्वारा शोध अध्ययन के उपरांत प्राप्त निष्कर्ष निम्नानुसार है-

1. अधिकांश बीमाधारियों द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम की ही पॉलिसी क्रय करने का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा है अर्थात् 34% बीमाधारी सुरक्षा की दृष्टि से भारतीय जीवन बीमा निगम में विनियोग करने हेतु प्रोत्साहित हुए है। 28.67% बीमाधारियों ने विनियोग किए गए धन पर अधिक प्रत्याय प्राप्त करने के उद्देश्य से भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी क्रय की थी।
2. भारतीय जीवन बीमा निगम में विनियोग करने हेतु बीमाधारियों को प्रोत्साहित करने वाला प्रमुख कारण जोखिम से सुरक्षा है, जिसकी प्रतिशत 40% है चूंकि अधिकांश बीमाधारी मध्यम श्रेणी के है इसलिए वे अपने विनियोग किए गए धन की सुरक्षा चाहते हैं।
3. भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी को क्रय करने में 25-40 वर्ष की आयु वर्ग वाले बीमाधारियों में अधिक सक्रियता नजर आ रही है अर्थात् वे अपने धन को विनियोग कर बचत हेतु प्रोत्साहित हो रहे है ऐसे आयु वर्ग वाले व्यक्तियों का प्रतिशत 60: है, जबकि 45-55 आयु वर्ग का 20% एवं 55 % से अधिक आयु वर्ग वाले बीमाधारी मात्र 5.33% ही है अर्थात् युवा- वर्ग भारतीय जीवन बीमा निगम में विनियोग हेतु अग्रसर हैं।
4. 50% बीमाधारियों के द्वारा मनी बेक पॉलिसी का अधिक चुनाव किया जा रहा है क्योंकि मध्यमवर्गीय होने के साथ ही वे अपनी बचत को संग्रह कर विनियोग करते हैं एवं आवश्यकता पड़ने पर उसे बीच में भी निकाल सकते है।
5. बीमा पॉलिसी क्रय करने में पुरूष अधिक सक्रिय है। इनका प्रतिशत 60 है, जबकि महिलाएँ पुरूषों की अपेक्षा कम सक्रिय है। साथ ही पॉलिसी का क्रय एक लाख से तीन लाख तक वार्षिक आय कमाने वाले व्यक्तियों द्वारा अधिक किया जाता है, जिनका प्रतिशत 37 एवं 5,00,000 से अधिक आय कमाने वाले बीमाधारियों का प्रतिशत मात्र 6 है।
6. भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसियाँ सुरक्षा एवं विनियोग की दृष्टि से तो उपयुक्त हैं और वह बीमाधारियों की बचतों को भी प्रोत्साहित कर रही है इस बात को 90 प्रतिशत बीमाधारियों ने अपना समर्थन दिया है। साथ ही 90 प्रतिशत ही बीमाधारी उनके द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम में विनियोग करने के बाद संतुष्ट हैं।
7. 43.33 प्रतिशत बीमाधारियों के द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम में प्रतिवर्ष 10000-25000 रू. तक प्रीमियम भुगतान किया जाता है, जो कि सर्वाधिक प्रतिशत है अत: स्पष्ट हो रहा है कि वे बचत हेतु प्रोत्साहित हो रहे हैं एवं भारतीय जीवन बीमा निगम में ही विनियोग कर रहें हैं।

समस्याएँ एवं सुझाव –

1. भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी का क्रय अधिकांशत: 60 प्रतिशत पुरूष वर्ग द्वारा ही किया जाता है चूंकि महिला वर्ग पूरे घर की बाग–डोर को संभालती है एवं बचत भी करती है। अत: भारतीय जीवन बीमा निगम को महिला विशेष हेतु भी पॉलिसियाँ बनानी चाहिए जो कि महिलाओं को भी आकर्षित एवं भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी को क्रय करने हेतु प्रोत्साहित कर सके।
2. व्यवसायी, पेशेवर एवं शासकीय कर्मचारी, जिनका वार्षिक वेतन 1,00,000 से 3,00,000 रू है, केवल वे ही भारतीय जीवन बीमा निगम पॉलिसी में अपना धन विनियोग करने हेतु अधिक प्रोत्साहित हुए हैं और गैर शासकीय कर्मचारी या किसी निजी व्यवसाय से संबंधित बीमाधारी जिनका वेतन 3,00,000 या 5,00,000 से अधिक है, वे भारतीय जीवन बीमा निगम की बजाय कहीं ओर विनियोग कर रहें हैं। अत: भारतीय जीवन बीमा निगम को इनके लिए भी ऐसी योजनाएँ लानी चाहिए जो कि इन्हें भारतीय जीवन बीमा निगम में विनियोग करने हेतु प्रोत्साहित कर सके साथ ही ऐसे बीमाधारी जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक उनके लिए पेंशन जैसा कोई प्रावधान रखना चाहिए जिससे कि वे भी भारतीय जीवन बीमा निगम में अपना धन विनियोग करें।
3. भारतीय जीवन बीमा निगम की यू–लिप पॉलिसी का चुनाव मात्र 6 प्रतिशत बीमाधारियों के द्वारा किया जा रहा है। इस हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम को चाहिए कि वह इस पॉलिसी में कुछ परिवर्तन करें जिससे कि बीमाधारी इसे भी क्रय करने हेतु प्रोत्साहित हो सके।
4. अधिकांश बीमाधारी भारतीय जीवन बीमा निगम से बहुत अच्छी सेवाएँ, अधिक लाभ प्राप्त करने, जोखिम से सुरक्षा एवं कर लाभ के उद्देश्य से विनियोग करते है। 34 प्रतिशत बीमाधारी जोखिम से सुरक्षा तथा 28.67 प्रतिशत बीमाधारी विनियोग पर प्रत्याय प्राप्त करने हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम में विनियोग करते हैं। इसलिए भारतीय जीवन बीमा निगम को अपने बीमाधारियों को लंबे समय तक अच्छी से अच्छी सेवाएँ एवं अधिकतम लाभ प्रदान करने की कोशिश करना चाहिए साथ ही कर लाभ की दृष्टि से अधिकतम सुविधा प्रदान करना चाहिए।
5. 43 प्रतिशत बीमाधारी द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम में 10000–25000 रू. प्रतिवर्ष जमा किये जा रहे है अर्थात् उनकी बचत में तो वृद्धि हो रही है, ऐसे बीमाधारियों का प्रतिशत सबसे अधिक है। किंतु कुछ बीमाधारी ऐसे भी है जिनका विनियोग भारतीय जीवन बीमा निगम में कम नजर आ रहा है। अत: भारतीय जीवन बीमा निगम को सभी प्रकार के बीमाधारियों के लिए अच्छी पॉलिसियाँ लानी चाहिए जिससे कि भारतीय जीवन बीमा निगम में विनियोग करने का प्रतिशत अधिक हो सके।
6. भारतीय जीवन बीमा निगम में विनियोग करने के पश्चात् 90 बीमाधारी अर्थात् 60 प्रतिशत ने माना है कि उनमें बचत की प्रवृति बढ़ी है क्योंकि वे भारतीय जीवन बीमा निगम की और अन्य पॉलिसियॉ भी लेना चाहते है, जबकि 30 प्रतिशत बीमाधारी को ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं होता नजर आ रहा है। अत: भारतीय जीवन बीमा निगम को इन 30 प्रतिशत एवं शेष 10 प्रतिशत के लिए भी ऐसी प्रोत्साहन पॉलिसियाँ लाना चाहिए जो कि भारतीय जीवन बीमा निगम में विनियोग के पश्चात् उनकी बचत को भी प्रोत्साहित कर सके।
7. चूंकि बीमाधारी मध्यमवर्गीय हैं, जिनमें से 40 प्रतिशत ऐसे बीमाधारी है, जो कि अपनी आय का 10–20 प्रतिशत बचा रहें है, जिसे कि भारतीय जीवन बीमा निगम में अपने भविष्य हेतु विनियोग कर सकें। सर्वेक्षित आंकड़ों के अनुसार 32 प्रतिशत ऐसे बीमाधारी है जो कि अपनी आय का 20–40 प्रतिशत भी बचा रहे हैं लेकिन वे अन्य विकल्पों में विनियोग कर रहे हैं। अत: भारतीय जीवन बीमा निगम को ऐसे अधिक बचत करने वाले बीमाधारियों के लिए भी उपयुक्त पॉलिसी लाना चाहिए। ये अधिक बचत वाले सामान्यत: वे व्यक्ति है जिनकी आय अधिक है अर्थात् मध्यमवर्गीय आय वाले बीमाधारी उच्च आय वाले बीमाधारी की अपेक्षा भारतीय जीवन बीमा निगम में अधिक विनियोग करने हेतु प्रोत्साहित होते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. Jain S.C. (2009), Principal of Insurance Business, Kailash Pustak Sadan, Bhopal
2. Life Insurance Guide, 2007, Mumbai: Insurance Institute of India (R.c.25)
3. Marketing Research by C.R.Kothri.
4. Mckinsey and Company. (2008) Report on Indian Life Insurance. Journal of Yogashema, 52(1)
5. P.Sheela and G.Arti, (2007) A study on the awareness of Life insurance policies in Vishakha patnam. Journal of Insurance Chronicle, 7(9) 25.
6. Singh S.K. & shrivastav balchand (2010), Applied Economics Sahitya Bhawan Publication, Agra
7. Tryst with Trust – The LIC Story – Life Insurance corporation of India. New Delhi.

Important magazines

1. IRDA Jounal
2. Jeewan Shikha, Bhopal Zone
3. Yogakshem –LIC of India, Mumbai Zone
4. Times of India

Important Websites

1. wwww.licindian.com
2. www.irda.org

****

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रतलाम द्वारा प्रदत्त अल्पकालीन ऋणों का विश्लेषण (वर्ष 2005-06 से 2009-10)

डॉ. लक्ष्मण परवाल * डॉ. विमलेश कुमार सोनी **

प्रस्तावना - अल्पकालीन ऋण से आशय ऐसे कृषि ऋण से है, जो कृषकों को उत्पादन कार्य हेतु वितरित किया जाता है। यह ऋण रबी व खरीफ फसल हेतु नगद व वस्तु ऋण के रूप में अलग-अलग वर्ष में दो बार प्रदान किया जाता है। नगद ऋण खेतों की हकाई-जुताई, मजदूरों को मजदूरी देने, कृषि औजार क्रय करने, पशुओं के लिए चारा एवं भूसा खरीदने, घरेलू खर्च हेतु, अन्य कृषि खर्च हेतु प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार वस्तु ऋण उन्नत किस्म के बीज, खाद तथा कीटनाशक दवाईयों हेतु प्रदान किया जाता है। यदि कृषक चाहें तो एक साथ दोनों फसलों हेतु ऋण प्राप्त कर सकता है परंतु यह ऋण उसे तभी प्राप्त हो सकेगा। जब उसका पुराना रिकार्ड ठीक रहा हो अर्थात् कृषक द्वारा रबी एवं खरीफ फसल हेतु लिए गए अलग-अलग ऋणों का निश्चित समय पर ब्याज सहित भुगतान कर दिया हो।

नगद ऋण वस्तु ऋण के रूप में परिवर्तित हो सकता है परंतु वस्तु ऋण कभी भी नगद ऋण में परिवर्तित नहीं होता है। अल्पकालीन ऋण की अधिकतम समयावधि 12 माह की होती है। इस समयावधि में कृषकों को यह ऋण वापस बैंक/समितियों को मय ब्याज के जमा करना होता है। इनकी वसूली प्राय: फसल कटने के समय की जाती है। इस प्रकार के ऋण से कृषकों की मौसमी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है।

पात्रता - अल्पकालीन ऋण जिला बैंक द्वारा प्रत्येक कृषक के लिए उसकी फसल उत्पादन क्षमता के आधार पर बनाए गए नार्मल क्रेडिट लिमिट (एन.सी.एल.) के अनुसार तकनीकी समूह की अनुशंसा पर उनकी पात्रतानुसार स्वीकृत किया जाता है। अल्पकालीन ऋण लेने वाले कृषक के पास कम से कम 01 हेक्टेयर भूमि होना आवश्यक है।

अल्पकालीन ऋण स्वीकृत करने की प्रक्रिया - यदि कोई सदस्य बैंक से सीधे अल्पकालीन ऋण लेने का प्रयास करता है, तो उसे यह ऋण सीधे प्राप्त नहीं होता है। इसके लिए उसे उसके गाँव की या उस गाँव से जुडी सोसायटी का सदस्य बनना होता है। यदि कोई कृषक समिति का सदस्य नहीं है और ऋण लेना चाहता है, तो उसे सर्वप्रथम आवेदन के समय 05 रूपये का सदस्यता शुल्क तथा 100 रूपए के अंश (10 रूपए प्रति अंश x 10 अंश) लेने पडते है। जिसके पश्चात् समिति के संचालक मंडल की बैठक में उसको सदस्यता प्रदान की जाती है। तत्पश्चात् वह समिति से ऋण प्राप्त कर सकता है। जिस कृषक को ऋण लेना है, वह ऋण प्रार्थना पत्र के साथ घोषणा फार्म (जिसमें कृषि भूमि-सिंचित और असिंचित, लगान आदि का स्पष्ट रूप से उल्लेख होता है) देता है, इनके आधार पर समिति सामान्य साख सीमा पत्रक (N.C.L.) तैयार करती है। ये पत्रक अध्यक्ष को प्रस्तुत किए जाते है तत्पश्चात् अध्यक्ष समस्त ऋण पत्रों को स्वीकृति देने के लिए प्रबंध समिति के सामने रखता है। प्रबंध समिति की बैठक में ऋण स्वीकृत होने के बाद अध्यक्ष आवेदन पत्र समस्त प्रपत्रों सहित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के संबंधित शाखा प्रबंधक को भेजता है।

शाखा प्रबंधक ऋण प्रकरण को जाँच के लिए बैंक में पदस्थ सुपरवाईजर को सौंपता है। सुपर- वाईजर सदस्य की मांग की पूरी जाँच कर ऋण की अनुशंसा हेतु अपनी रिपोर्ट शाखा प्रबंधक के समक्ष प्रस्तुत करता है। शाखा प्रबंधक प्रतिवेदन पर अपनी टीप लगाकर प्रधान कार्यालय को प्रेषित करता है। प्रधान कार्यालय से ऋण उप-समिति की बैठक में अल्पकालीन ऋण साख सीमा स्वीकृत कर शाखा में भेजे जाते है। प्रधान कार्यालय से प्राप्त स्वीकृत साख सीमा पत्रक की एक प्रति संबंधित समिति को ऋण वितरण हेतु दी जाती है। तत्पश्चात् समिति प्रबंधक द्वारा समिति के सदस्य के नाम से चेक जारी किया जाता है एवं संबंधित शाखा से चेक का नगद भुगतान किया जाता है। ऋण की राशि स्वीकृत होने पर लघु कृषक को ऋण राशि के 05 प्रतिशत के बराबर तथा वृहद कृषक को 10 प्रतिशत के बराबर समिति के अंश खरीदना आवश्यक होता है, जो ऋण अदा होने पर वापसी योग्य है।

अध्ययन का उद्देश्य - प्रस्तुत शोध पत्र निम्न उद्देश्यों पर आधारित है -

- लाभान्वित ग्रामीण हितग्राहियों की संख्या का पता लगाना।
- बैंक द्वारा प्रदत्त वस्तु ऋण एवं नगद ऋण की राशि का विश्लेषण करना।
- बैंक द्वारा प्रदत्त कुल अल्पकालीन ऋण राशि का विश्लेषण करना।
- बैंक द्वारा प्रदत्त अल्पकालीन ऋणों का प्रतिशत व निर्देशांक के आधार पर वृद्धि अथवा कमी का विश्लेषण करना।

अध्ययन प्रणाली - यह अध्ययन म.प्र. के रतलाम जिले में स्थित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा ग्रामीण हितग्राहियों को प्रदाय किए गए अल्पकालीन ऋणों के विश्लेषण के आधार पर किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन द्वितीयक समंकों पर आधारित है जिन्हें जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, रतलाम से संग्रहित किया गया है। अध्ययन की अवधि 05 वर्ष (2005-06 से 2009-10) की ली गई है। इस अध्ययन में लाभान्वित ग्रामीण हितग्राहियों की संख्या एवं उन्हें बैंक द्वारा प्रदाय किए गए वस्तु ऋण एवं नगद ऋण के आधार पर विश्लेषण किया गया है। अध्ययन अवधि में 05 वर्षो के समंकों के आधार पर औसत, प्रतिशत, निर्देशांक, अनुपात जैसे सांख्यिकीय एवं गणितीय विधियों का प्रयोग कर अपेक्षित परिणाम ज्ञात किए गए है।

विश्लेषण एवं परिणाम - जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, रतलाम द्वारा हितग्राहियों को प्रदाय किये गये अल्पकालीन ऋणों का विश्लेषण गत 05 वर्षो (वर्ष 2005-06 से 2009-10) के आधार पर शोधार्थी द्वारा निम्न

* प्राध्यापक (वाणिज्य) स्वामी विवेकानंद शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत
** अतिथि सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय महाविद्यालय, आलोट, जिला-रतलाम (म.प्र.) भारत

तालिका में दर्शाया गया है। तालिका में बैंक द्वारा वितरित अल्पकालीन ऋणों की राशि की जानकारी (वस्तु ऋण एवं नगद ऋण के रूप में) प्रतिशत, औसत तथा निर्देशांक के आधार पर दर्शायी गयी है –

तालिका क्रं.01 व ग्राफ (देखे आगे पृष्ठ पर)

तालिका से स्पष्ट है कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, रतलाम द्वारा गत 05 वर्षों में (वर्ष 2005–06 से 2009–10) कुल 4,71,343 हितग्राहियों को लगभग 06 अरब, 41 करोड़, 75 लाख, 19 हजार रूपये वस्तु एवं नगद ऋण के रूप में वितरित किए गए है। इसमें वस्तु ऋण (खाद, बीज आदि) के रूप में कुल 88 करोड़, 11 लाख, 84 हजार रूपये बैंक द्वारा प्रदाय किये गये है, जो कि कुल प्रदाय किए गए अल्पकालीन ऋणों का लगभग 14 प्रतिशत भाग है। इसी प्रकार नगद ऋण एवं खेती खर्च के रूप में कुल 05 अरब, 53 करोड़, 63 लाख, 35 हजार रूपये बैंक द्वारा प्रदाय किए गए है, जो कि कुल प्रदाय किए गए अल्पकालीन ऋणों का लगभग 86 प्रतिशत भाग है।

वर्ष 2005–06 में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, रतलाम द्वारा अल्पकालीन ऋण के रूप में कुल 85,828 हितग्राहियों को 71 करोड़, 64 लाख, 74 हजार रूपए का ऋण प्रदाय किया गया है, जो कुल हितग्राहियों की संख्या का 18.21 प्रतिशत एवं कुल प्रदाय की गई ऋण राशि का 11.16 प्रतिशत के बराबर है। इसमें वस्तु ऋण (खाद, बीज आदि) के रूप में कुल 13 करोड़, 24 लाख, 90 हजार रूपये बैंक द्वारा प्रदाय किए गए है, जो कुल प्रदाय किए गए अल्पकालीन ऋणों का लगभग 18 प्रतिशत भाग है। इसी प्रकार नगद ऋण एवं खेती खर्च के रूप में कुल 58 करोड़, 39 लाख, 84 हजार रूपये बैंक द्वारा प्रदाय किए गए है, जो कि कुल प्रदाय किए गए अल्पकालीन ऋणों का लगभग 82 प्रतिशत भाग है।

इसी प्रकार वर्ष 2006–07 में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, रतलाम द्वारा अल्पकालीन ऋण के रूप में कुल 91,308 हितग्राहियों को 01 अरब, 08 करोड़, 31 लाख, 54 हजार रूपए का ऋण प्रदाय किया गया है, जो कि आधार वर्ष 2005–06 की तुलना में 51.18 प्रतिशत अधिक है। यह कुल हितग्राहियों की संख्या का 19.37 प्रतिशत एवं कुल प्रदाय की गई ऋण राशि का 16.88 प्रतिशत के बराबर है। इसमें वस्तु ऋण (खाद, बीज आदि) के रूप में कुल 15 करोड़, 90 लाख, 85 हजार रूपये बैंक द्वारा प्रदाय किए गये है, जो कुल प्रदाय किए गए अल्पकालीन ऋणों का लगभग 15 प्रतिशत भाग है। इसी प्रकार नगद ऋण एवं खेती खर्च के रूप में कुल 92 करोड़, 40 लाख, 69 हजार रूपये बैंक द्वारा प्रदाय किये गये है, जो कि कुल प्रदाय किए गए अल्पकालीन ऋणों का लगभग 85 प्रतिशत भाग है।

इसी प्रकार वर्ष 2007–08 में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, रतलाम द्वारा अल्पकालीन ऋण के रूप में कुल 94,457 हितग्राहियों को 01 अरब, 39 करोड़, 50 लाख, 26 हजार रूपए का ऋण प्रदाय किया गया है, जो कि आधार वर्ष 2005–06 की तुलना में 94.71 प्रतिशत अधिक है। यह कुल हितग्राहियों की संख्या का 20.04 प्रतिशत एवं कुल प्रदाय की गई ऋण राशि का 21.74 प्रतिशत के बराबर है। इसमें वस्तु ऋण (खाद, बीज आदि) के रूप में कुल 20 करोड़, 68 लाख, 55 हजार रूपए बैंक द्वारा प्रदाय किए गये है, जो कुल प्रदाय किए गए अल्पकालीन ऋणों का लगभग 15 प्रतिशत भाग है। इसी प्रकार नगद ऋण एवं खेती खर्च के रूप में कुल 01 अरब, 18 करोड़, 81 लाख, 71 हजार रूपए बैंक द्वारा प्रदाय किये गये है, जो कि कुल प्रदाय किए गए अल्पकालीन ऋणों का लगभग 85 प्रतिशत भाग है।

इसी प्रकार वर्ष 2008–09 में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, रतलाम द्वारा अल्पकालीन ऋण के रूप में कुल 98,312 हितग्राहियों को 01 अरब, 22 करोड़, 18 लाख, 37 हजार रूपए का ऋण प्रदाय किया गया है, जो कि आधार वर्ष 2005–06 की तुलना में 70.53 प्रतिशत अधिक है। यह कुल हितग्राहियों की संख्या का 20.86 प्रतिशत एवं कुल प्रदाय की गई ऋण राशि का 19.04 प्रतिशत के बराबर है। इसमें वस्तु ऋण (खाद, बीज आदि) के रूप में कुल 14 करोड़, 44 लाख, 66 हजार रूपए बैंक द्वारा प्रदाय किये गए है, जो कुल प्रदाय किये गये अल्पकालीन ऋणों का लगभग 12 प्रतिशत भाग है। इसी प्रकार नगद ऋण एवं खेती खर्च के रूप में कुल 01 अरब, 07 करोड़, 73 लाख, 71 हजार रूपए बैंक द्वारा प्रदाय किए गए है, जो कि कुल प्रदाय किए गए अल्पकालीन ऋणों का लगभग 88 प्रतिशत भाग है।

इसी प्रकार अंतिम वर्ष 2009–10 में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, रतलाम द्वारा अल्पकालीन ऋण के रूप में कुल 1,01,438 हितग्राहियों को 02 अरब, 10 लाख, 28 हजार रूपए का ऋण प्रदाय किया गया है, जो कि आधार वर्ष 2005–06 की तुलना में 179.29 प्रतिशत अधिक है। यह कुल हितग्राहियों की संख्या का 21.52 प्रतिशत एवं कुल प्रदाय की गई ऋण राशि का 31.18 प्रतिशत के बराबर है। इसमें वस्तु ऋण (खाद, बीज आदि) के रूप में कुल 23 करोड़, 82 लाख, 88 हजार रूपये बैंक द्वारा प्रदाय किये ग है, जो कुल प्रदाय किए गए अल्पकालीन ऋणों का लगभग 12 प्रतिशत भाग है। इसी प्रकार नगद ऋण एवं खेती खर्च के रूप में कुल 01 अरब, 76 करोड़, 27 लाख, 40 हजार रूपए बैंक द्वारा प्रदाय किए गए है, जो कि कुल प्रदाय किए गए अल्पकालीन ऋणों का लगभग 88 प्रतिशत भाग है।

निष्कर्ष – प्रस्तुत शोध कार्य के अंत में निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि गत 05 वर्षों में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, रतलाम द्वारा प्रदाय किये गये अल्पकालीन ऋणों में लगभग दो गुना वृद्धि हुई है। वस्तु ऋण, नगद ऋण दोनों में भी वर्ष 2008–09 को छोड़कर प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। वस्तु ऋण एवं नगद ऋण प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की संख्या में भी प्रतिवर्ष वृद्धि दर्ज की गई है।

औसत रूप से अल्पकालीन ऋणों में वस्तु ऋण पर प्रतिवर्ष 17 करोड़, 62 लाख, 37 हजार रूपए बैंक द्वारा ऋण के रूप में प्रदाय किए गए है, जबकि नगद ऋण व खेती खर्च हेतु 01 अरब, 10 करोड़, 72 लाख, 67 हजार रूपए प्रतिवर्ष औसत रूप से ऋण के रूप में प्रदाय किए गए है। अल्पकालीन ऋण प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की संख्या भी औसत रूप से प्रतिवर्ष 94,269 रही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. शोध पत्र की सम्पूर्ण सामग्री शोधार्थी डॉ. विमलेश कुमार सोनी अतिथि सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, शासकीय महाविद्यालय, आलोट जिला–रतलाम के शोध प्रबंध 'रतलाम जिले में ग्रामीण हितग्राहियों के विकास में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, रतलाम का योगदान' (वर्ष 2005–06 से 2009–10) विषय से ली गई है।
2. यह शोध प्रबंध डॉ. लक्ष्मण परवाल, प्राध्यापक वाणिज्य संकाय, शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय रतलाम के निर्देशन एवं डॉ. आर. के. विजय (उप–सचिव), उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन भोपाल के सह– निर्देशन में पूर्ण किया गया है। जिस पर विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन ने शोधार्थी को जुलाई 2014 में पीएच.डी. की उपाधि प्रदान की है।

तालिका क्रं.01.

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, रतलाम द्वारा हितग्राहियों को प्रदाय किए गए अल्पकालीन ऋणों का विश्लेषण(वर्ष 2005-06 से 2009-10)

(राशि लाख रूपये में)

वर्ष	हितग्राहियों की संख्या	कुल योग से प्रतिशत	वस्तु ऋण	प्रतिशत	नगद ऋण खेती खर्च हेतु	प्रतिशत	ऋणों का योग (वस्तु एव नगद ऋण)	कुल प्रतिशत	कुल प्रदाय की गई ऋण राशि से प्रतिशत	निर्देशांक	प्रतिशत वृद्धि
2005-06	85,828	18.21	1,324.90	18.49	5,839.84	81.51	7,164.74	100.00	11.16	100.00	-
2006-07	91,308	19.37	1,590.85	14.69	9,240.69	85.31	10,831.54	100.00	16.88	151.18	51.18
2007-08	94,457	20.04	2,068.55	14.83	11,881.71	85.17	13,950.26	100.00	21.74	194.71	94.71
2008-09	98,312	20.86	1,444.66	11.82	10,773.71	88.18	12,218.37	100.00	19.04	170.53	70.53
2009-10	1,01,438	21.52	2,382.88	11.91	17,627.40	88.09	20,010.28	100.00	31.18	279.29	179.29
योग	**4,71,343**	**100.00**	**8,811.84**	**13.73**	**55,363.35**	**86.27**	**64,175.19**	**100.00**	**100.00**	-	-
औसत	**94,269**	-	**1,762.37**	-	**11,072.67**	-	**12,835.04**		-	-	-

स्त्रोत - जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, रतलाम।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, रतलाम द्वारा लक्ष्य की तुलना में वितरित अल्पकालीन ऋणों का विश्लेषण (वर्ष 2005-06 से 2009-10)

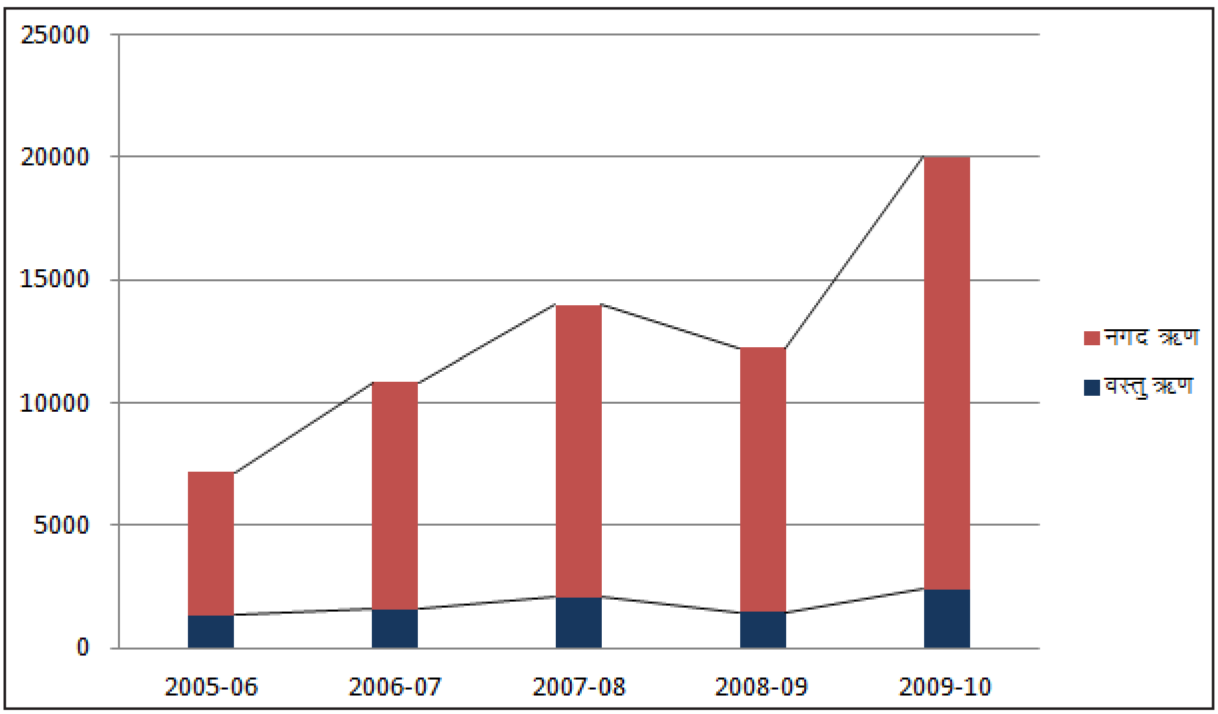

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) July to September 2017, Vol. II

मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं मुख्य प्रावधान

संदीप सिद्ध * डॉ. शैला सिद्ध **

शोध सारांश – राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सामाजिक सुरक्षा, आजीविका सुरक्षा और लोकतांत्रिक अधिकारिता पर अपने प्रभाव के जरिए ग्रामीण भारत में समावेशी विकास सुनिश्चित करने का एक सशक्त माध्यम है। गाँवों में निवास करने वाले पंजीयक परिवार का वयस्क सदस्य, जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गयी हो और वह अकुशल शारीरिक काम करने के लिए तैयार हो। जॉबकार्ड प्राप्त कर रोजगार हेतु ग्राम पंचायत को रोजगार हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया हो। प्रत्येक पंजीयत परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिया जावेगा। योजना में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों के संदर्भ में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 2 में उल्लेखित परिभाषाए यथा स्थान प्रभावशाली होगी। योजना में प्रयुक्त शब्द 'परिवार' से तात्पर्य अधिनियम के अध्याय-1 की धारा 2 (एक) के अंतर्गत 'House Hold' से है। प्रदेश सरकार के शासकीय विभाग पंचायती राज संस्थाऐं, स्व सहायता समूह, अशासकीय संगठन केन्द्र एवं राज्य शासन के उपक्रम योजना के क्रियान्वयन हेतु क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में चयनित किए जा सकते है। इस हेतु क्रियान्वयन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। तदअनुसार योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करना स्थानीय भाषा में आसानी से पठनीय सामग्री बनाना मल्टीमिडिया संचार से व्यापाक अभियान चलाना स्थानीय विभिन्न सांस्कृतिक एवं लोक कला के माध्यम से प्रचार प्रसार करना साथ ही स्थानीय स्तर पर संवाद तथा गोष्ठियों के माध्यम से इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

प्रस्तावना – ग्रामीण समुदाय को सुविधा उपलब्ध कराने एवं आजीविका के अवसरों को सुनिश्चित करने की दिशा में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से प्रयास किए जाते रहे हैं। विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आजीविका बढाने के लिए रोजगार मूलक योजनाऐं लागू की गई। इन योजनाओं के परिणाम स्वरूप जहाँ एक ओर ग्रामीण लोगों को रोजगार मिला वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र में मूलभूत अधोसंरचनाओं का विकास भी हुआ। इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में आवास करने वाली आबादी को अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए रोजगार और उनकी आमदनी में बढोत्तरी करना भी होता था। पूर्व में संचालित रोजगार मूलक योजनाओं के प्रभावों से गाँव के लोगों को रोजगार के अवसर तो मिल रहे थे किन्तु रोजगार चलाने वाले सभी परिवारों की आजीविका की सुनिश्चितता का अभाव बना ही रहा इन्हीं अभावों को दूर करने की दृष्टि से कारगर समाधान ढूंढने के लिए विगत वर्षों से विचार किया जा रहा था। आवश्यकता थी की इस संबंध में कानून बनाया जावें और उसे सम्पूर्ण देश में लागू किया जावे इसी समस्या के निदान के प्रयास में वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' (नरेगा), 2 सितम्बर 2005 अस्तित्व में लाया गया। 2 अक्टूबर 2009 को बापू की 140 वीं जयंती पर इसका नया नामकरण किया गया। अब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) को महात्मा गांधी के नाम पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के नाम से पुकारा जाने लगा।

मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – भारत सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत अकुशल मजदूरों को 100 दिनों का रोजगार देने की गारंटी दी गई है। इस योजना का आशय ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य को जो अकुशल श्रम (मजदूरी) करने का इच्छुक है, कि आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है। यह योजना 100 दिवस के रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी एक परिवार के लिए है न कि किसी परिवार के प्रत्येक वयस्क व्यक्ति के लिए। इसका मतलब यह है कि सरकार की तरफ से प्रयास यह किया जाएगा कि प्रत्येक परिवार को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। जैसे एक परिवार में चार सदस्य वयस्क है और वे योजना के काम करने को तैयार है, तो चारों सदस्यों को कुल मिलाकर कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जावेगा। वयस्क सदस्य का मतलब होगा कि वह 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो।

योजना के लाभार्थी – गाँवों में निवास करने वाले पंजीयक परिवार का वयस्क सदस्या, जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गयी हो और वह अकुशल शारीरिक काम करने के लिए तैयार हो। जॉबकार्ड प्राप्त कर रोजगार हेतु ग्राम पंचायत को रोजगार हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया हो। प्रत्येक पंजीयत परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिया जावेगा।

योजना का उद्देश्य – योजना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत ग्रामीण परिवार के व्यस्क व्यक्तियों को जो अकुशल मानव श्रम करने हेतु तत्पर है। एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार को कम से कम 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराकर अजीविका सुनिश्चित करना एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी सम्पत्तियों का सृजन करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई।

योजना के लक्ष्य –

- रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा कर ग्रामीण भारत में रहने वाले सर्वाधिक लाभ वंचित लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा।

* शोधार्थी (हिन्दी) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** अतिथि विद्वान (वाणिज्य) शासकीय महाविद्यालय, बदनावर, जिला - धार (म.प्र.) भारत

- टिकाऊ स्वरूप की परिसंपतियों के सृजन उन्नत जल सुरक्षा, मृदा संरक्षण और उच्च भूमि उत्पादकता के जरिए निर्धनों के लिए अजीविका सुरक्षा।
- ग्रामीण भारत में सूखा रोधन और बाढ़ नियंत्रण।
- अधिकार आधारित कानूनी प्रक्रिया के जरिए सामाजिक रूप से लाभ वंचित, विशेषकर महिलाओं, अनूसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अधिकार सम्पन्न बनाना।
- विभिन्न गरीबी उपशमन और आजीविका संबंधी पहलों में तालमेल के जरिए विकेन्द्रीकृत भागीदारी पूर्ण नियोजन को सुदृढ़ करना।
- पंचायती राज 'संस्थाओं' को सुदृढ़ करके जमीनी स्तरों पर लोकतंत्र को मजबूत करना।
- शासन में बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही लाना।

इस प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सामाजिक सुरक्षा, आजीविका सुरक्षा और लोकतांत्रिक अधिकारिता पर अपने प्रभाव के जरिए ग्रामीण भारत में समावेशी विकास सुनिश्चित करने का एक सशक्त माध्यम है।[3]

पात्रता – केन्द्र शासन द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में निवासरत समस्त ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्य इस योजना में लाभ लेने हेतु पात्र है। योजना के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्राप्त करने के लिए 'एक परिवार' पात्र होगा। 100 दिन के रोजगार की उपलब्धता को परिवार में निवासरत समस्त वयस्क व्यक्तियों के बीच विभाजित किया जा सकता है। अत: एक पंजीकृत परिवार के समस्त वयस्क व्यक्ति जो रोजगार प्राप्त करने के लिये आवेदन प्रस्तुत करते है। 100 दिवस की सीमा के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करने हेतु पात्र होगें इस हेतु –

- परिवार को ग्राम पंचायत क्षेत्र का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है।
- स्थानीय ग्राम पंचायत में परिवार को पंजीकृत कराया जाना आवश्यक होगा।
- ग्राम पंचायत से परिवार का जॉब कार्ड प्राप्त करना होगा।
- जाँब कार्ड के आधार पर अकुशल मानव श्रम करने हेतु आवेदन देना होगा।
- अकुशल मानव श्रम करने के लिए तत्पर।
- ऐसी महिलाए जो कि परिवार के अंतर्गत पंजीकृत है तथा रोजगार हेतु आवेदन करती है। उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दी जावेगी। यह भी सुनिश्चित किया जावेगा कि पंजीकृत एवं कार्य हेतु आवेदन करने वाले आवेदकों में से कम से कम एक तिहाई महिलायें लाभान्वित हो।
- यदि ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत अपने व्यक्ति आवेदन करता है, तो उसे उसकी योग्यता एवं क्षमता अनुसार कार्य दिया जावेगा।[4]

सामान्य प्रावधान – योजना में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों के संदर्भ में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 2 में उल्लेखित परिभाषाए यथा स्थान प्रभावशाली होगी। योजना में प्रयुक्त शब्द 'परिवार' से तात्पर्य अधिनियम के अध्याय–1 की धारा 2 (एक) के अंतर्गत 'House Hold' से है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की मुख्य विशेषताएँ –

- गांव में रहने वाले परिवार (न केवल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार) रोजगार की मांग के लिए पंजीकरण कराने के लिए पात्र है।
- सभी पात्र आवेदकों को आवेदन करने के बाद 15 दिनों के भीतर फोटो लगा जॉब कार्ड दिया जाना चाहिए।
- जॉब कार्ड धारकों द्वारा रोजगार की मांग की पावती दी जानी चाहिए तथा 15 दिनों के भीतर रोजगार दिया जाना चाहिए।
- रोजगार उपलब्ध कराने का जरिया अकुशल शारीरिक कार्य होगा।
- शुरू किए गए काम मुख्यत: जल तथा मृदा संरक्षण वन रोपण तथा भूमि विकास के लिए होने चाहिए।
- 50 प्रतिशत कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा क्रियान्वित किए जाने चाहिए।
- एक गांव के लिए परियोजनाओं की सूची ग्राम पंचायत द्वारा संस्तुत तथा जिला पंचायत द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए।
- किसी भी ठेकेदार तथा मशीनरी का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
- 60 प्रतिशत मजदूरी घटक वाले श्रम प्रधान कार्य किए जाने चाहिए।
- भुगतान 15 दिवस के भीतर कर दिया जाना चाहिए। राज्यों द्वारा कृषि श्रमिकों के लिए अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी दर लागू होगी।[5]

योजना का क्रियान्वयन – 5 सितम्बर 2005 को अधिनियम पारित किया गया, अधिनियम के अंतर्गत योजना उन क्षेत्रों में लागू होगी जिसे केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। योजना देश के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है (जम्मू कश्मीर को छोड़कर) मध्यप्रदेश के सभी जिलों में यह योजना क्रियान्वित की जा रही है। योजना का संचालन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। जिला स्तर पर कार्यक्रम समन्वयक कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक मुख्य कार्य पालन अधिकारी जिला पंचायत को बनाया गया है। जनपद स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत है। इनके सहयोग के लिये अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी की नियुक्ति की गई। ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच और सचिव को जिम्मेदारी सौंपी गई।[7]

कार्यो के क्रियान्वयन हेतु एजेंसी – प्रदेश सरकार के शासकीय विभाग पंचायती राज संस्थाऐं, स्व सहायता समूह, अशासकीय संगठन केन्द्र एवं राज्य शासन के उपक्रम योजना के क्रियान्वयन हेतु क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में चयनित किए जा सकते है।

क्रियान्वयन प्रक्रिया –

- योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार।
- स्थानीय भाषा में आसानी से पठनीय सामग्री।
- मल्टीमिडिया संचार से व्यापक अभियान।
- स्थानीय विभिन्न सांस्कृतिक एवं लोक कला के माध्यम से प्रचार–प्रसार।
- स्थानीय स्तर पर संवाद तथा गोष्ठियाँ।

रोजगार की मांग का आंकलन – रोजगार की मांग का आंकलन के कार्यो का नियोजन करते हुए हितग्राहियों को लाभान्वित किया जावेगा।[8]

रोजगार उपलब्ध कराने की समय सीमा – आवेदन देने की तारीख के 15 दिन के भीतर अथवा उस तारीख से जबकि रोजगार मांगा गया है। इसमें से जो भी तिथि गिनती में बाद में पड़े आवेदक को रोजगार दिया जावेगा। आवेदक को यह बताते हुए लिखित में सूचित किया जाएगा कि उसे काम के लिये कहाँ और किससे सम्पर्क करना है। इसकी सार्वजनिक सूचना जिला जनपद एवं ग्राम पंचायत के कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर लगाई जावेगी।

निष्कर्ष – राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सामाजिक सुरक्षा, आजीविका, सुरक्षा और लोक तांत्रिक अधिकारिकता पर अपने प्रभाव के जरिए ग्रामीण भारत में समावेशी विकास सुनिश्चित करने का एक सशक्त

माध्यम है। गांव में निवास करने वाले पंजीयक परिवार का वयस्क सदस्य, जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गई हो और वह अकुशल शारीरिक काम करने के लिए तैयार हो। जॉब कार्ड प्राप्त कर रोजगार हेतु ग्राम पंचायत को रोजगार हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया हो। प्रत्येक पंजीयक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिया जावेगा। जिसके द्वारा ग्रामीण जनता को रोजगार उपलब्ध करवाकर आजीविका सुनिश्चित करना एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी सम्पत्तियों का सृजन करने के, व ग्रामीण लोगों की उन्नति एवं प्रगति के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. अध्ययन सामग्री, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मध्यप्रदेश, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, जबलपुर,वर्ष 2010
2. सुभाष सोतिया, नरेगा ने खोले गांवों में रोजगार के नए द्वार, कुरूक्षेत्र, वर्ष 56 अंक,2 दिसंबर 2009,
3. अधिनियम योजना दिशा निर्देश संकलन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्यप्रदेश भोपाल सन 2009
4. वार्षिक रिर्पोट, ग्रामीण विकास से भारत निर्माण, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, 2006–07
5. दिशा निर्देश, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार, नई दिल्ली, 2013, चौथा संस्करण।
6. पाठ्य सामग्री, ग्रामीण विकास की मुख्य योजनाएं एव कार्यक्रम, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, जबलपुर म.प्र. वर्ष 2010
7. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मध्यप्रदेश अन्तर्गत, ग्राम में विकास की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएँ, क्षेत्रिय ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र, उज्जैन, मध्यप्रदेश।
8. अल्का जैन, अर्चना शर्मा गांव में रोजगार का सुलभ साधन मनरेगा, कुरूक्षेत्र, वर्ष 59 अंक 4 फरवरी 2013

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) July to September 2017, Vol. II

ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की भूमिका

डॉ. शैला सिद्ध *

शोध सारांश – समाज रूपी रथ के दो पहियों में एक पहिया पुरूष है तो दूसरा नारी। अत: नारी को भी पुरूष जैसा सबल और सुयोग्य होना आवश्यक है। तभी समाज रूपी रथ सही चल सकता है, इसलिए स्त्री पुरूषों के बीच शक्ति के संतुलन में परिवर्तन करना ताकि समाज में शक्ति का अधिक साम्यिक वितरण किया जा सके। महिला सशक्तिकरण प्रयासों की एक शताब्दी बीतने के बाद वांछित परिणाम हासिल नहीं हो सके हैं। महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता तभी मिल सकती है। जब उन्हें समग्र सामाजिक परिदृश्य में अधिक भागीदारी प्राप्त हो। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर सरकार को किसी महिला आर्थिक कार्यक्रम को क्रियान्वित करने से पहले महिलाओं को जागरूक बनाना व आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु, गरीबी उन्मूलन, सूक्ष्म ऋण कृषि एवं महिलाऐं उद्योग एंव महिलाऐं समर्थन कार्य सेवाऐं आदि योजनाओं को महिलाओं हेतु विस्तारित करना अति आवश्यक है।

प्रस्तावना – भारत की सभ्यता और संस्कृति में महिलाओं ने कुछ विशेष कालों में अहम भूमिकाऐं निभाई है और ऐसे भी युग आए हैं, जिसमें इनको आर्थिक यातनाऐं सहनी पड़ी और इनका शोषण हुआ। स्त्रियों की सामाजिक स्थिति एवं भूमिका बहुत कुछ समाज के स्वरूप और विशेषताओं पर निर्भर करती है। उस समाज की परंपराएँ कैसी है, वह समाज आधुनिक है अथवा परंपरागत। यह सब सामाजिक परिस्थितियों के रूप को प्रभावित करती है साथ ही समाज का आकार और संरचना भी स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का निर्धारण करता है। किसी भी समाज की तस्वीर बदलने में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण होता है। सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाना एवं उन्हें राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा में लाना बहुत जरूरी है। महिला सशक्तिकरण की अवधारणा कोई नई नहीं है। यह सभी समाजों में सदा से रही है। लेकिन महिला सशक्तिकरण को एक विचारधारा के रूप में देखा जाना और इसे एक सामाजिक आंदोलन के रूप में इस्तेमाल किया जाना और जनसाधारण में इसका विस्तार इत्यादि तथ्यों को नया समझा जा सकता है। अब यह महिला कल्याण से महिला विकास और महिला विकास से सशक्तिकरण का रूप ले चुका है आज आवश्यकता है कि महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक एवं मानसिक रूप से सशक्त एवं स्वावलम्बी बनाया जाए जिससे वे स्वयं को देश की प्रगति में भागीदारी मानें।

महिला सशक्तिकरण से आशय – महिला सशक्तिकरण की अवधारणा कोई नई नहीं है। यह सभी समाजों में सदा से रही है लेकिन महिला सशक्तिकरण को एक विचारधारा के रूप में देखा जाना और इसे एकसामाजिक आन्दोलन के रूप में इस्तेमाल किया जाना और जनसाधारण में इसका विस्तार इत्यादि तथ्यों को नया समझा जा सकता है। अब यह महिला कल्याण से महिला विकास और महिला विकास से 'सशक्तिकरण' का रूप ले चुका है तथा इसकी चर्चा, रिपोर्टिंग और आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जा रहा है। और भी नयी बात है बालिकाओं और महिलाओं की 'विशेष समूह' के रूप में पहचान तथा महिला सशक्तिकरण से संबंधित प्रमुख बिन्दूओं पर विशेष ध्यान दिए जाने की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता का मिला। इससे भी बढ़कर नयी बात यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सामाजिक एवं पारिवारिक विकास तथा प्रगति के लिए महिला सशक्तिकरण के अपरिहार्य माने जाने की समझ आपैर अनुभूमि बढ़ी है। यह भी महसूस किया और माना जा रहा है कि महिला सशक्तिरण को स्थापित करने के लिए सरकारी, गैर सरकारी और वैयक्तिक स्तरों पर वास्तविक संकल्प और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

सशक्तिकरण की प्रक्रियाएं – सशक्तिकरण की प्रक्रिया का उद्देश्य है, महिलाओं के लिए शक्ति के एक साम्यिक और सक्रिय हिस्से की माँग करने के लिए प्रयास कराना। अपने इस प्रभाव में इस प्रक्रिया को उन विचारों और मूल्यों के बोझ को झेलना पड़ता है, जो महिलाओं पर बचपन से ही उनके समाजीकरण प्रक्रिया के एक भाग के रूप में उन्हें हस्तांतरित कर दी जाती है। यह सामाजिक अनुबंधन महिलाओं के व्यक्तित्व और मानसिकता का हिस्सा बन जाता है और उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। महिलाएं, समुदाय या समाज के एक हिस्से के रूप में रहती हैं जो बदले में अपने पितृसत्तात्मक मूल्यों और व्यवहार संबंधी अपेक्षित मानकों को उनके ऊपर थोप देता है। अत: सशक्तिकरण की प्रक्रिया की शुरूआत इस कार्य से करना चाहिए कि महिलाएं सबसे पहले वे खुद के सोचने, व्यवहार करने के तरीके में बदलाव ला कर आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें। कहने का तात्पर्य यह है कि सर्वप्रथम महिलाओं की चेतना को ही परिवर्तित करना चाहिए महिलाओं के अपने बारे जो विचार बने हुए हैं, उन्हें बदलाना होगा। उनके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि करनी चाहिए। उन्हें अपनी सोच और व्यवहार में विकास करना चाहिए, ताकि वे पूर्णतया: आत्मनिर्भर बन सशक्त हो।

महिलाएं एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – सरकार की ओर से तैयार की गई राष्ट्रीय रोजगार नीति में इस बात का जिक्र है कि आर्थिक एवं सामाजिक कारणों से महिलाओं को पुरूषों की तुलना में वेतन एवं अवसर मुकम्मल नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए इस बात को ध्यान रखा जाए कि महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक नुकसान और भेदभाव का सामना ना करना पड़े। महिलाओं की कार्य क्षमता विकसित करने श्रम

* अतिथि विद्वान (वाणिज्य) शासकीय महाविद्यालय, बदनावर, जिला – धार (म.प्र.) भारत

संभावना बढ़ाने प्रौद्योगिकी की शुरूआत करने और उत्पादकता बढ़ाने के भी उपाय किए जाने पर बल दिया गया है। इसके लिए सुझाव दिया गया है कि महिला कामगारों को शैक्षणिक और उनकी कार्यकुशलता बढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जाए। सरकार ने महिलाओं को केन्द्र में रखते हुए गरीबो के लिए रोजगार और आय के अवसर बढ़ाने के लिये अनेक कार्यक्रम शुरू किए है। जिनमें से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ग्रामीण इलाके में पुरूषों के बराबर ही महिलाएं हैं लेकिन पुरूषों की अपेक्षा कामकाजी महिलाऐं न के बराबर है। खेतिहर एवं घरेलू महिला मजदूर है भी तो उन्हें मेहनताना भुगतान में भी भेदभाव होता है। गांवों में पारंपरिक रूप से चल रहे कार्यो में पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं को कम मजदूरी दी जाती है। यही वजह है कि विभिन्न संगठनों की ओर से महिलाओं को समान मजदूरी देने के लिए मांग की जा रही थी। इस समस्या के निस्तारण के लिए केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में बहुत ही बेहतर तरकीब निकाल ली गई। इस योजना में यह प्रावधान किया गया कि किसी भी कार्य में कम से कम 30 फीसदी महिलाओं को जरूर लाभान्वित किया जाए। ऐसे में राज्य सरकारों और काम निर्धारण की जिम्मेदारी निभा रही पंचायतें अथवा अन्य ईकाइयां प्रत्येक घर का 100 दिन का काम प्रदान करने की स्थिति में 30 फीसदी काम महिलाओं को देने के लिए विवश हो गई हैं। इस प्रावधान का सबसे अधिक फायदा यह हुआ कि जो महिलाएं घर–गृहस्थी एवं बच्चों की सुरक्षा की वजह से काम नहीं कर पाती थीं, वे भी आसानी से मजदूरी कर स्वावलंबी बन गई है। योजना के अनुसार महिला कर्मचारियों के बच्चों के लिए पालने एवं छाया की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया गया। ऐसे में महिलाएं कार्यस्थल पर अपने बच्चों की देखरेख के साथ ही रोजगार भी हांसिल कर रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में यह व्यवस्था की गई है कि पुरूषों के बराबर ही महिलाओं को भी मजदूरी प्रदान की जाएगी। यदि कार्यस्थल पर महिलाएं अपने साथ छह वर्ष से कम उम्र के बच्चे लेकर आती हैं और उनकी संख्या पांच या उससे अधिक है तो एक महिला बच्चों की देखरेख में करेगी, लेकिन उसे मजदूरी पूरी मिलेगी। कार्यस्थल पर पेयजल का इंतजाम हो, काम करने वाले मजदूरों के नाम रजिस्टर में दर्ज होंगे और कार्यस्थल निरीक्षण के लिए खुले रहते हैं। श्रमिक को उसके मूल स्थान से अधिकतम पांच किलोमीटर के दायरे में काम दिया जाता है। इस योजना को लागू करने संबंधी नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि 30 प्रतिशत की बजाय कुल लाभान्वितों में करीब 50 फीसदी महिलाएं थीं।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उपाय –

- **गरीबी उन्मूलन –** ज्यादातर महिलाएं गरीबी रेखा से नीचे या उनमें से बहुत सी अत्यन्त गरीब की श्रेणी में आती हैं, इसके कारण घर के अन्दर तथा समाज में वह भेदभाव की शिकार होती है। ऐसी महिलाओं की आवश्यकताओं तथा समस्याओं को ध्यान में रखते हुए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है। वर्तमान गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो महिला लाभार्थी को प्रोत्साहित करते हैं, के क्रियान्वयन में सुधार लाया जाए।
- **सूक्ष्म ऋण (माईक्रोक्रेडिट) –** महिलाओं की पहुँच संस्थागत ऋण स्त्रोतों से उनके उपभोग तथा उत्पादन हेतु ऋण आवश्यकता की पूर्ति करना। सूक्ष्म ऋण संस्थाओं को सूक्ष्म ऋण प्रदान करने हेतु चुस्त एवं दुरूस्त करना ताकि वृहद स्तर से महिलाओं की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।
- **वृहद स्तर पर अर्थव्यवस्था –** आर्थिक विकास के सन्दर्भ में उच्च स्तर पर आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों को महिलाओं के हित सम्बंधी परिपेक्ष्य में जाना जाएंगा तथा आर्थिक प्रक्रिया में उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जाएंगी। सामाजिक और आर्थिक विकास के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका उत्पादक तथा कार्यकर्त्ता के रूप में (औपचारिक तथा अनौपचारिक) को उभारा जायेगा। साथ ही उनके रोजगार तथा कारखानों की विषम परिस्थितियों को सुविधाजनक बनाने हेतु आवश्यक नीतियों का निर्धारण किया जाएगा। आर्थिक क्षेत्र में बढ़ते हुए अन्तर्राष्ट्रीयकरण का असर महिलाओं के रोजगार तथा रोजगार के गुणात्मक पक्षों पर सीधा प्रभाव डालती है। इस परिपेक्ष्य में रोजगार सम्बन्धी नीतियों में आवश्यक सुधार लाने की आवश्यकता है। आर्थिक अन्तर्राष्ट्रीयकरण सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव से निपटने हेतु महिलाओं की क्षमता में विकास तथा सशक्तिकरण हेतु नीति बनाई जाएगी।
- **कृषि एवं महिलाएं –** कृषि के क्षेत्र में उत्पादक के रूप में महिला की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, अत: यह आवश्यक है कि वे प्रशिक्षण, कृषि विकास एवं अन्य कार्यक्रमों का समुचित लाभ उठा सकें। कृषि के क्षेत्र में जैसे भूमि संरक्षण, सामाजिक वनीकरण, दुग्ध विकास, मुर्गी पालन, मछली पालन इत्यादि में प्रशिक्षण तथा इसी क्षेत्र में जुड़ी योजनाओं को महिलाओं हेतु विस्तारित करना।
- **उद्योग एवं महिलाएँ –** उद्योग जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा तथा कृषि आधारित उद्योगों के विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। विभिन्न उद्योगों के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु सरकार समर्थनकारी सहयोग देने पर विचार कर रही है, जैसे सामाजिक संरक्षण, श्रमिक कानून इत्यादि।

निष्कर्ष – महिला सशक्तिकरण का अर्थ उन्हें आर्थिक रूप से सबल स्वावलम्बी, आत्मविश्वासी और अपनी अस्मिता के प्रति सकारात्क सोच वाला बनाना है, ताकि वे कठिन परिस्थितियों का मुकाबला करने में सक्षम हो और विकास कार्यो में भी उनकी भागीदारी हो सके। एक सशक्त महिला को निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए समर्थ होना चाहिए ताकि वे भयमुक्त होकर सम्मान खोए बगैर जिस लक्ष्य को पाना चाहती हो उसका प्रयास कर सकती और गंतव्य तक पहुंच सकती है। उसे संचार का हक हो, सुरक्षा मिले, आर्थिक निर्भरता समाप्त करने के पर्याप्त साधन उपलब्ध हो उसकी इच्छा अनिच्छा की कदर हो, योग्यता बढ़ाने का आधार मिले धन सम्पत्ति में हक हो इन प्रयासों के द्वारा महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाना एवं उन्हें राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा मे लाना बहुत जरूरी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. स्वप्निल सारस्वत, महिला विकास एक परिदृश्य, नमन प्रकाशन नई दिल्ली, 2007
2. वी.एम.सिंह, जनमेजय सिंह, आधुनिकता एवं महिला सशक्तिकरण, रावत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2010
3. राजबाला सिंह, मानवाधिकार एवं महिलाएँ, अविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, 2006
4. मानचन्द्र खंडेला, महिला सशक्तिकरण, सिद्धान्त एवं व्यवहार अविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, 2008
5. नदीम हसनैन, समकालीन भारतीय समाज, भारत बुक सेन्टर, लखनऊ, 2011

6. तेजस्कर पाण्डेय, संगीता पाण्डेय, भारत में सामाजिक समस्याएं टाटा मेग्रा हिल्स, नई दिल्ली
7. प्रेमनारायण शर्मा, वाणी विनायक, गरीबी उन्मूलन एवं महिला सशक्तिकरण, भारत बुक सेन्टर, लखनऊ, 2011
8. प्रेमनारायण शर्मा, संजीव कुमार झा, वाणी विनायक, स्वर्गीय सुषमा विनायक, महिला सशक्तिकरण एवं समग्र विकास, भारत बुक सेन्टर लखनऊ, 2008
9. जागृति, कल्याणकारी योजनाओं द्धारा महिला सशक्तिकरण कुरूक्षेत्र, नई दिल्ली, वर्ष 55, अंक 5 मार्च, 2009,
10. नीरज कुमार गौतम, ग्रामीण विकास में महिलाओं का योगदान, कुरूक्षेत्र, नई दिल्ली, वर्ष 55, अंक 5 मार्च 2009
11. धनजी चौरसिया, रोजगार एवं स्वास्थ्य रक्षा से सशक्त हुई महिलाएं, कुरूक्षेत्र, नई दिल्ली वर्ष 57, अंक 11, सितम्बर 2011

****

सहकारी समितियों का कृषि विकास से संबंधित अन्य गतिविधियों में योगदान

डॉ. निर्मला कुशवाह *

शोध सारांश – प्राथमिक सहकारी समितियां शासन की अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करती है। भूमि संरक्षण एवं भूमि सुधार, कृषकों को खाद व बीज का वितरण, पशुपालन, विपणन तथा भण्डारण जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सहकारी समितियों द्वारा किया जा रहा है। प्राथमिक सहकारी समितियों द्वारा उन्नत खाद तथा बीज वितरण का जो लक्ष्य निर्धारित किया जाता है उसे प्राप्त करने के लिए इनके द्वारा अथक प्रयास भी किए जाते है।

उज्जैन जिले की प्राथमिक साख समितियां फसलों, रासायनिक उर्वरकों, उन्नत बीज के भण्डारण तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उपभोक्ता सामग्रियों के भण्डारण हेतु गोदामों का निर्माण करती है। उज्जैन जिले की कुल 172 प्राथमिक सहकारी साख समितियों में से 170 समितियों के पास 234 गोदाम उपलब्ध है। जिनकी भण्डारण क्षमता 21,725 मैट्रिक टन है। जिले की केवल 2 सेवा सहकारी समितियां ऐसी है, जिनके पास अपने गोदाम नहीं है।

प्रस्तावना – अन्य वित्तीय संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य लाभार्जन होता है और अन्य उद्देश्य गौण होते है। जबकि प्राथमिक सहकारी समितियां शासन की अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करती है। भूमि संरक्षण एवं भूमि सुधार, कृषकों को खाद व बीज का वितरण, पशुपालन, विपणन तथा भण्डारण जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सहकारी समितियों द्वारा किया जा रहा है। इसी कारण सहकारी समितियां विकास के पथ पर निरन्तर अग्रसर होती जा रही है।

सहकारी समितियों द्वारा जिन गतिविधियों में योगदान दिया जा रहा है वे निम्नानुसार है –

1. भूमि संरक्षण एवं सुधार – भूमि सुधार का आशय भूमि के साथ किसान के सम्बन्धों में संस्थागत परिवर्तन लाए जाने से है अर्थात् भूमि सुधार का अर्थ ऐसे संस्थागत परिवर्तनों से है, जिनसे भूमिगत संसाधनों का वितरण किसानों या खेतिहरों के पक्ष में होता है और जिनसे जोत के आकार में वृद्धि से कृषि–इकाई अथवा खेत आर्थिक दृष्टि से सक्षम् बन जाते है। इस प्रकार भूमि सूधार में इन तीन बातों से सम्बन्धित संस्थागत परिवर्तनों का समावेश होता है–

- कृषि–भूमि सम्बन्ध अथवा भू–धारण प्रणाली
- भूमि की सीमाबन्दी और बेशी भूमि का वितरण
- जोत की चकबन्दी

कृषि–भूमि सम्बन्ध अथवा भू–धारण प्रणाली – इसका आशय उस व्यवस्था से है, जिसके अन्तर्गत भूमि का स्वामित्व तथा भूमि के प्रति अधिकार का दायित्व निर्धारित होते है अर्थात् इससे यह स्पष्ट होता है कि किसान का भूमि के साथ मालिक के नाते सम्बन्ध है या काश्तकार के नाते और इस संदर्भ में क्या शर्ते जुड़ी होती है।

भू–धारण प्रणाली के सम्बन्ध में दो प्रमुख सुधार प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से लाए गए है।

एक का सम्बन्ध जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से है, जो ब्रिटिश शासन की देन थी।

इस प्रणाली में स्वयं खेती न करने वाले जमींदार या बिचौलिए भरे पडे थे। ये सरकार को मालगुजारी चुकाते थे और अपने काश्तकारों से भारी लगान वसूलते थे। साधारणतया खेती में इनकी कोई रूचि नहीं थी। इनका मुख्य कार्य किसानों से अधिकाधिक लगान वसूलना और हर सम्भव ढंग से उनका शोषण करना था। इस प्रकार यह प्रणाली बहुत दूषित और शोषणकारी थी। यह प्रणाली खत्म कर दी गई है और बिचौलियों अथवा जमींदारों को हटा दिया गया है। निसंदेह यह एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। इसके फलस्वरूप दो करोड़ से अधिक किसानों का सरकार से सीधा सम्बन्ध हो गया है। इस प्रणाली के उन्मूलन के साथ यह कहा जा सकता है कि देश ने आधुनिक कृषि–ढांचे की ओर कदम उठाया है।

दूसरे प्रकार के सुधार का सम्बन्ध काश्तकारों की दिशा को बेहतर बनाने से है, जो दूसरों की भूमि पर काश्तकारी के अधीन खेती करते है। इस सम्बन्ध में अनेक कदम उठाए गए है। उदाहरण के लिए इनके लिए लगान की राशि निर्धारित और नियंत्रित की गई है। बेदखली के डर से इन्हें मुक्त कराया गया है। कुछ शर्तो के पूरा किए जाने पर इन्हें उन जमीनों के सम्बन्ध में स्वामित्व अधिकार भी प्रदान किए गए है, जिन पर वे काश्तकार के रूप में खेती कर रहे थे।

भूमि की सीमाबन्दी और बेशी भूमि का वितरण – इन उपायों का उद्देश्य भूमि–सम्पत्तियों के वितरण में असमानताओं को कम करना एवं ग्रामीण समाज के कमजोर वर्गो को आय–अर्जक परिसम्पत्तियाँ दिलाना है। सभी राज्यों में भूमि–स्वामित्व की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए कानून बनाए गए है। निर्धारित सीमा के ऊपर कोई भी परिवार अपने पास भूमि नहीं रख सकता। स्वामित्व की अधिकतम सीमा विभिन्न कोटि की जमीनों के लिए अलग–अलग निश्चित की गई है, जैसे कि सिंचित व बहुफसली क्षेत्रों के लिए सीमा कम रखी गई और पहाड़ी–रेगिस्तानी इलाकों के लिए अधिक भूमि के अधिग्रहण पर रोक लगा दी गई है।

* अतिथि विद्वान (वाणिज्य) शासकीय माधव कला एव वाणिज्य महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

सीमा के ऊपर वाली बेशी या अतिरेक भूमि सरकार अपने अधिकार में है। जिसे भूमिहीन खेतिहर मजदूरों तथा सीमान्त व बहुत छोटे किसानों के बीच बाँटा गया है। बड़ी मात्रा में बंजर भूमि, परती भूमि तथा अन्य किस्म की जमीनों का भी वितरण किया गया है। भूमि पाने वाले लोगों को वित्तीय सहायता भी दी जाती है, जिससे वे कुशल ढंग से खेती कर सकें।

जोत की चकबन्दी – इस उपाय का उद्देश्य किसानों को दूर-दूर बिखरी जोतों को एक चक के रूप में बदलना है। अनेक किसानों के पास भूमि कम ही नहीं है, बल्कि कई छोटे-छोटे टुकड़ों में बिखरी हुई भी है। यह कुशल खेती के रास्ते में बहुत बड़ी बाधा है। इससे सीमित साधनों की बर्बादी होती है और सही ढंग से खेती की देखभाल भी नहीं की जा सकती।

इस हेतु जिले में जोतों की चकबन्दी के लिए अधिनियम बना दिए गए है। इन अधिनियमों में ऐच्छिक आधार पर चकबन्दी की व्यवस्था है।

2. **खाद बीज वितरण –** जिले के कृषकों को अधिक फसल उत्पाद के लिए सहकारी समितियों द्वारा खरीफ तथा रबी की फसल हेतु रासायनिक खाद, स्फुरिक तथा पोटाश खाद का वितरण किया जाता है।

उन्नत कृषि के लिए नई किस्म के उन्नत बीजों का उपयोग किया जाना आवश्यक है ताकि प्रति एकड़ अधिक उपज प्राप्त की जा सकें। प्राथमिक सहकारी समितियों के द्वारा कृषकों को उन्नत बीजों का वितरण किया जाता है।

निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि प्राथमिक सहकारी समितियों द्वारा उन्नत खाद तथा बीज वितरण का जो लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, उसे प्राप्त करने के लिए इनके द्वारा अथक प्रयास भी किए जाते है।

3. **पशुपालन –** पशुपालन के क्षेत्र में प्राथमिक सहकारी समितियां निम्न प्रकार से अपने कार्य करती है –

- संचालक मंडल सुधार के लिए अच्छी नस्ल के सांड, मुर्गे – मुर्गियाँ, बकरे आदि प्राप्त करने अथवा खरीदने हेतु तथा उनको कुछ चुने हुए सदस्यों के संरक्षण में रखने हेतु अनुमति प्रदान करता है।
- यह देखना संचालक मंडल का कर्त्तव्य होता है कि ऐसे पशु तथा पक्षी उचित भोजन प्राप्त करें एवं उनका पूरा पोषण हो। उसका यह भी कर्त्तव्य होता है कि आवश्यकता पड़ने पर उनकी चराई एवं रोगग्रस्त होने की दशा में चिकित्सा सहायता का प्रबंध करें और यह देखें कि ऐसे नस्ल सुधार के पशु पक्षी स्वच्छ एवं स्वास्थ्यप्रद वातावरण में रखे जाते है।
- संचालक मण्डल ऐसे पशुओं को सुरक्षित रखने उनके द्वारा की गई सेवाओं के बदले लिए जाने वाले शुल्क आदि के संबंध में शर्तो सहित सामान्य नियम भी बनाते है।

4. **विपणन –** विपणन कार्य एक मिली-जुली क्रिया है और इसके अन्तर्गत उपज का एकत्रीकरण, श्रेणी विभाजन, संग्रहण, यातायात आदि क्रियाएँ सम्पन्न की जाती है। कृषि विपणन से आशय खेतों से फसल काट लेने के बाद से उसके उपभोक्ता तक पहुँचाने तक सम्पन्न किए जाने वाले कार्यो से है। ये कार्य निम्न है –

- **एकत्रीकरण –** सर्वप्रथम किसानों के विपणन आधिक्य को एकत्रित किया जाता है। यह कार्य मध्यस्थों द्वारा पूरा किया जाता है। मध्यस्थ मण्डियों, पैठों आदि में कृषि उपज एकत्रित कर बड़ी मण्डियों में पहुँचाते है।
- **श्रेणी विभाजन –** कृषि उपज औद्योगिक वस्तुओं की भाँति मानक नहीं होती। इसलिए उसे गुण के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटना होता है। यह कार्य मण्डियों में मध्यस्थों द्वारा किया जाता है।
- **विधायन (Processing) –** कृषि उपजों को बिक्री के लायक बनाने के लिए विधायन क्रिया आवश्यक होती है। धान से चावल निकालना, कपास से बिनौला आदि अलग करना विधायन क्रिया के अन्तर्गत आता है। कुछ कृषि वस्तुओं का विधायन तो स्वयं किसान कर लेते है और कुछ अन्य का विधायन मध्यस्थों द्वारा मिलों में कराया जाता है।
- **संग्रह –** कृषि वस्तुओं की मांग जहां वर्ष भर रहती है। वहां इनका उत्पादन यदि मौसमी है, तो इस स्थिति में कृषि वस्तुओं का संग्रह आवश्यक है। किसानों के पास संग्रह के लिए व्यवस्था नहीं होती और नकदी की आवश्यकता के कारण वे उपज को काटने के फौरन बाद ही बेच देते है। अत: मण्डियों में थोक व्यापारी ही कृषि उपज का संग्रह करते है।
- **परिवहन –** विपणन व्यवस्था में कुशल और सस्ती परिवहन व्यवस्था का विशेष महत्व है। गाँव से मण्डियों तक और फिर वहां से उपभोक्ताओं तक कृषि उपज को पहुँचाने के लिए परिवहन के साधन जितने अच्छे होंगें, किसान को अपनी उपज का मूल्य उतना ही अच्छा मिल सकेगा। अत: उचित परिवहन व्यवस्था भी प्राथमिक समितियों द्वारा की जाती है।
- **अर्थ प्रबन्धन –** कृषि उपज को खेतों से मण्डियों तक पहुँचाने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है, यह कार्य भी वर्तमान में प्राथमिक सहकारी समितियों द्वारा किया जाता है।

उपरोक्त सभी कार्यो के समुह से कृषि विपणन का निर्माण होता है।

विपणन के क्षेत्र में सहकारी समितियों का योगदान –

नियन्त्रित मण्डियों की स्थापना – उज्जैन जिले में विपणन व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए अनेक मण्डियों की स्थापना तहसीलानुसार की गई है। ऐसी मण्डियों का प्रबन्ध बाजार – समिति के हाथ में होता है जिसे एक विशेष समय के लिए सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसमें राज्य सरकार, स्थानीय संस्थाओं, व्यापारियों या दलालों, कमीशन एजेटों और किसानों आदि के प्रतिनिधि होते है।

इस समिति को मंडी के प्रबन्ध का सारा कार्य सौंप दिया जाता है। यह समिति मंडी में क्रय-विक्रय सम्बन्धी सभी बातों पर नियन्त्रण रखती है। यह मंडी में काम करने वाले लोगों को लाइसेंस जारी करती है और तुलाई, पल्लेदारी, दलाली आदि विभिन्न कार्यो के लिए दरें निर्धारित करती है। इस प्रकार अनाधिकृत कटौतियाँ समाप्त कर दी जाती है। विनियमित बाजारों में तोल के मानक बाटों का प्रयोग अनिवार्य होता है और तोल की जाँच भी होती है। सहकारी विपणन समितियां मंडी और विपणन के सिलसिले में उठने वाले झगड़ों का निपटारा करने के लिए व्यवस्था भी करती है और मंडी में निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वालों को उचित दण्ड देती है।

जिले में स्थापित कृषि उपज मंडी समितियों की जानकारी तालिका क्रमांक 1 के द्वारा स्पष्ट की गई है।

तालिका क्रमांक – 1 (देखे आगे पृष्ठ पर)

गोदाम निर्माण व उपज संग्रह की व्यवस्था – इस सुविधा की व्यवस्था के लिए पिछले कुछ वर्षो में सरकार और सहकारी समितियों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए है, जिनके फलस्वरूप गाँवों और मंडी के क्षेत्रों में काफी बड़ी संख्या में अच्छे किस्म के गोदामों का निर्माण हुआ है। गोदामों की संग्रह-क्षमता में तेजी से वृद्धि हुई है।

उज्जैन जिले की कुल 172 प्राथमिक साख समितियों में से 170 समितियों के पास 234 गोदाम उपलब्ध है, जिनकी भण्डारण क्षमता 21,725 मैट्रिक टन है।

ऋण की उपलब्धता – प्राथमिक सहकारी समितियां श्रेष्ठ विपणन व्यवस्था के निर्माण हेतु किसानों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है।

किसानों को ऋण देते समय ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वे सहकारी समितियों के माध्यम से ही अपनी उपज की बिक्री करे, इससे ऋण की वसूली में सुविधा होगी और ऋण का सदुपयोग भी सम्भव हो सकेगा।

बाजार सम्बन्धी सूचनाओं की समुचित व्यवस्था – सहकारी विपणन समितियां किसानों को बाजार सम्बन्धी परिस्थितियों, कीमतों, देश-विदेश की माँग आदि के विषय में ठीक और नवीनतम सूचनाएं शीघ्र एवं नियमित रूप से उपलब्ध कराने के लिए समुचित व्यवस्था भी करती है।

इस प्रकार सहकारी विपणन समितियां कृषि उपज की बिक्री के साथ किसानों को उर्वरक बीज तथा कृषि औजरों और उपयोग की विभिन्न वस्तुओं को उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था करती है। ये समितियां दलालों, कच्चे तथा पक्के आढ़तियों तथा फुटकर व्यापारियों द्वारा सम्पन्न किए जाने वाले कार्यो को स्वयं ही सम्पन्न करती है, और उपज को सीधे उपभोक्ताओं को विक्रय करने में मदद करती है।

प्राथमिक कृषि साख समितियां इस गतिविधि के अन्तर्गत इसके सदस्यों द्वारा उगाई जा रही मुख्य फसलों की जानकारी का संकलन करती है एवं इन फसलों को थोक में बेचने हेतु खरीददारों से संपर्क करती है। इस तरह से यह सुनिश्चित किया जाता है कि सदस्यों को उनकी फसलों के लिए लाभप्रद्र कीमत प्राप्त हो एवं उनके वाहन व्यय एवं विपणन व्यय में बचत हो तथा बेची गई फसल की पूरी राशि शीघ्र एवं बिना किसी परेशानी के सदस्यों को प्राप्त हो सकें। कुछ समितियां प्रसंस्करण गतिविधियाँ भी करती है, जिससे कि सदस्यों के उत्पादों में मूल्यवृद्धि हो सके और सदस्यों को अच्छी कीमत प्राप्त हो सके। इनके अतिरिक्त समिति द्वारा निम्न विपणन सबंधित गतिविधियाँ की जा सकती है।

- सदस्यों को उत्पादों और बीजों के भंडारण के लिए सुविधा उपलब्ध करवाना।
- सदस्यों को उनके उत्पादों की कीमत के 75% तक राशि का रहन ऋण उपलब्ध करवाना।
- सदस्यों के उत्पादों को समिति के संसाधनों से खरीदना एवं उपयुक्त समय पर बेचकर अच्छी कीमत प्राप्त करना।

प्रसंस्कृत उत्पादों का विपणन – इस गतिविधि के अन्तर्गत समिति सदस्यों से उनकी उत्पादित फसल लाभप्रद कीमत पर खरीदती है। इसे भण्डारगृह में रखती है, इसकी सुविधाओं का उपयोग कर इनका प्रसंस्करण करती है एवं प्रसंस्कृत उत्पाद का विपणन करती है एवं लाभ कमाती है। कई बार प्रसंस्कृत उत्पाद सदस्यों को बाजार की अपेक्षा कम कीमत में उपलब्ध करवाती है। इस तरह की गतिविधि में मूल्य संवर्धन होने से लाभ अधिक होता है।

खाद्यानों की प्राप्ति – भारतीय खाद्य निगम जैसी प्रापण संस्थानों जिसे सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है, के एजेण्ट के रूप में सदस्यों और गैर सदस्यों से उत्पाद खरीद सकती है। इससे उधारकर्ताओं से वसूली और समिति को आय होने के साथ गाँव को एक महत्वपूर्ण सेवा भी प्राप्त होती है।

5. भण्डारण – उज्जैन जिले की प्राथमिक साख समितियां फसलों, रासायनिक उर्वरकों, उन्नत बीज के भण्डारण तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उपभोक्ता सामग्रियों के भण्डारण हेतु गोदामों का निर्माण करती है। उज्जैन जिले की कुल 172 प्राथमिक सहकारी साख समितियों में से 170 समितियों के पास 234 गोदाम उपलब्ध है जिनकी भण्डारण क्षमता 21,725 मैट्रिक टन है। जिले की केवल 2 सेवा सहकारी समितियां ऐसी है, जिनके पास अपने गोदाम नहीं है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. श्रीवास्तव, सी.एल. – सहकारिता का अर्थशास्त्र सरस्वती सदन, नई दिल्ली।
2. सक्सेना, एम.पी. – मध्यप्रदेश में सहकारिता आभा प्रकाशन, शिवाजी नगर, भोपाल।
3. वेदी, रघुवंशदेव – सहकारिता के सिद्धान्त, इतिहास एवं व्यवहार लायत बुक बुक डिपो, मेरठ।
4. शर्मा शर्मा श्याम गोपाल, जैन रजैन रवि के. एवं पारिकपारीक गोविन्द- शोध प्रणाली तथा सांख्यिकीय तकनीकें रमेश बुकडिपो,जियपुर-नई दिल्ली।

पत्र-पत्रिकाऐं –

1. उज्जैन जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित के विभिन्न वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण।
2. प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित की आदर्श उपविधि।
3. जिला सांख्यिकी पुस्तिका, उज्जैन वर्ष 2004-2010
4. दैनिक भास्कर एवं नई दुनियां – दैनिक समाचार पत्र।

तालिका क्रमांक – 1

जिले में कृषि उपज मंडी समितियां

क्र.	तहसील	मंडी समिति का नाम	उप मंडी समितियाँ
1.	बड़नगर	बड़नगर	भाटपचनाला, रूनिजा, इंगोरिया, खरसोदकलां
2.	महिदपुर	महिदपुर	गोगापुर, जगोटी, घासेला, महिदपुर रोड, रीर झार्डा
3.	तरान	तराना	माकड़ोन, पाट कनासियां, रूपाखेड़ी
4.	उज्जैन	उज्जैन	बिछड़ोद, पानबिहार, घटिया
5.	नगदा	नागदा, उन्हेल	निरक
6.	खाचरौद	खाचरौद	चापाखेड़ा
7.	घटिया	घटिया मंडी समिति नहीं है।	घटिया

स्त्रोत – जिला सांख्यिकी पुस्तिका, जिला उज्जैन।

भारत में जीवन बीमा व्यवसाय का विकास चुनौतियाँ एवं सम्भावनाऍ

डॉ. सुरेश कटारिया * मनीष जैन **

शोध सारांश – प्रस्तुत शोधपत्र में भारत में जीवन बीमा व्यवसाय का विकास एवं जीवन बीमा व्यवसाय में आने वाली चुनौतियों तथा जीवन बीमा व्यवसाय की भविष्य की सम्भावनाओं के अवसरों पर विचार किया गया है। भारतीय बीमा बाजार को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी कहा जाता है। इस मुर्गी रूपी व्यवसाय को प्राप्त करने के लिए अनेक निजी कम्पनियों ने इस क्षेत्र में कदम रखे है। वर्तमान समय में भारत में 24 जीवन बीमा व्यवसाय करने वाली कम्पनियॉ पंजीकृत है। जीवन बीमा व्यवसाय का निजीकरण, राष्ट्रीयकरण और वैश्वीकरण के बाद ही जीवन बीमा क्षेत्र में निजी जीवन बीमा कम्पनियों का आगमन हुआ साथ ही जीवन बीमा क्षेत्र में निजी कम्पनियों के आगमन से प्रतिस्पद्धि माहोल बना हुआ है। इसके बावजूद भी भारतीय जनसंख्या का 40 प्रतिशत जनसंख्या का बीमित होना एक विचारणीय प्रश्न है?

प्रस्तावना – भारत में निजीकरण के पूर्व जीवन बीमा व्यवसाय पर भारतीय जीवन बीमा निगम का एकाधिकार था। विभिन्न समितियों के सुझावों एवं भारत सरकार के पहल से जीवन बीमा व्यवसाय का निजीकरण कर उसका कार्यभार बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को सौंप दिया गया। जीवन बीमा व्यवसाय के निजीकरण के पश्चात से यदि देखा जाए तो कुल 23 निजी जीवन बीमा कम्पनियॉ इस क्षेत्र में कार्य कर रही है। ज्यादातर विदेशी साझेदारी के साथ संयुक्त रूप से कार्यरत है। भारत में जीवन बीमा व्यवसाय में एक दशक में काफी उतार चढ़ाव देखे है। इन विषम परिस्थितियों में उत्पन्न प्रत्येक कठिन से कठिन समस्या का समाधान कर प्राधिकरण ने अपनी उपस्थिति का भरपूर एहसास भी समय-समय पर दिलाया है एवं छोटी बड़ी जरूरतों एवं नियमों को निर्धारित कर प्रचलन में लाकर और न केवल पॉलिसीधारकों में हितों का संरक्षण भी किया है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने जो कदम उठाए है, उससे बीमा उद्योग का विकास और बेहतर हो सकेगा। जीवन बीमा व्यवसाय के अव तक के सफर और भारत में जीवन बीमा क्षेत्र केा देखते हुए यह कहा जा सकता है की जीवन बीमा व्यवसाय में भारत में अपार सम्भावनाऍ विद्यमान है। जीवन बीमा के निजीकरण के पश्चात से लेकर उपलब्ध नवीनतम ऑकडों को देखा जाए तो यह ज्ञात होगा की 50.36 करोड़ नयी जीवन बीमा पॉलिसियॉं जारी की गई है। जीवन बीमा के निजीकरण के पश्चात 1.6 करोड़ नयी पॉलिसीयॉं से लेकर 5.32 करोड़ नयी पॉलिसीयॉं जारी की गई है। यदि निजीकरण के पश्चात अब तक जारी की गई कुल पॉलिसियॉं के आधार पर बात करे तो यह दर्शाता है की कुल आबादी के मात्र 40% लोगों के पास ही जीवन बीमा निजीकरण के पश्चात पहुँच पाया है। वास्तव में यह प्रतिशत 4 से 8 के मध्य है क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग है, जिन्होंने 1 से अधिक पॉलिसी ले रखी है कई लोगों ने तो स्वयं के नाम के लिये 10 से 20 पॉलिसियॉं ले रखी है। नीचे दी गई तालिका दर्शाती है की जीवन बीमा व्यापार की अपार सम्भावनाऍ भारत देश में विद्यमान है। भारत की जनसंख्या 121 करोड़ (2011 की जनगणना के अनुसार) यदि इस आधार पर जीवन बीमा की पहुँच को देखा जाए तो कितनी संभावना बीमा क्षेत्र में विद्यमान है वो इस तालिका के माध्यम से स्वत: ही स्पष्ट हो जाती है।

तालिका क्रमांक-1

वित्तीय वर्ष	2016-17
भारत की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार	1210193422
जीवन बीमा कम्पनियाँ	24
कुल एजेन्ट	2016565
प्रति एजेन्ट जनसंख्या	600
कुल शाखा कार्यालय	11071
प्रति शाखा जनसंख्या	109312
देय कमीशन (लाखों में)	2026669
कमीशन प्रति एजेन्ट (लाखों में)	1.00

स्त्रोत – www.irda.gov.in

उपर्युक्त तालिका क्रमांक-1से स्पष्ट होता है, की बीमा उद्योग के वर्तमान तुलना जनसंख्या 2011 के अधार पर करें तो यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रति बीमा अभिकर्ता तकरीबन 600 व्यक्ति आ रहें है और यदि ब्रांच के साथ तुलना करें तो ज्ञात होता है कि 1.09 लाख की आबादी पर एक ब्रांच आफिस मौजूद है। प्रत्येक व्यक्ति तक अगर बीमा सुरक्षा पहुॅचाना है तो निसंदेह बीमा बिक्री के माध्यमों में वृद्धि करनी होगी। वर्तमान समय में बीमा सलाहकार सबसे प्रभावी और सफल दिखे है।

भारत में जीवन बीमा व्यवसाय की चुनौतियाँ –

1. **बीमा की आवश्यकता को न समझा पाना –** जीवन बीमा लोगों को वित्तीय जोखिम से स्वतत्रंता प्रदान करती है जिससे उनके आश्रितों को बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर वित्तीय समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसके साथ ही अगर बीमित व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु न होने पर तथा बीमा अवधि पूर्ण होने पर सम्पूर्ण बीमा राशि बीमित व्यक्ति को भुगतान कर दी जाती है। दोनों ही परिस्थितियों में लाभ बीमित व्यक्ति को ही होता है। लेकिन लोग आज भी बीमा को मृत्यु के पश्चात होने वाला लाभ समझ रही

* प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत
* शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

है साथ लोग बीमा की तुलना निवेश के अन्य साधनों से करते है। इसलिए 'जीवन बीमा उपलब्ध विनियोग के समस्त साधनों से अलग ही नहीं बल्कि श्रेष्ठ है।'

2. जीवन बीमा उत्पादों जनसंख्या में उपस्थित लिंगवार और आयुवार को आधार बनाकर निर्मित एवं विक्रय का लक्ष्य केन्द्रित किया जाए – भारत की कुल आबादी में 48.46% हिससेदारी महिलाओं कि है पर अधिकांश बीमा कम्पनियॉ इस समूह को लक्ष्य बनाकर उत्पाद नहीं बनाती है और न ही इन तक बीमा सुरक्षा पहुँचाने में रूची लेती है। साक्षर महिलाओं अथवा रोजगार में लगी महिलाओं का बीमा करने में कम्पनियॉ प्राथमिकता देती है लेंकिन अन्य श्रेणी की महिलाओं का बीमा साधारणत: या तो स्वीकार नहीं किया जाता या स्वीकार किया जाता है तो अतिरिक्त शुल्क वसूल कि जाती है।

3. ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन बीमा की जागरूकता का अभाव – भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन बीमा के प्रति लोगों में जागरूकता का अभाव पाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों लोग जीवन बीमा के प्रति जागरूक नहीं है। इसलिए जीवन बीमा कम्पनियों को ग्रामीण क्षेत्रों में अपने शाखा कार्यालयों की स्थापना करके लोगों को जीवन बीमा के प्रति जागरूक करना चाहिए।

4. सुक्ष्म बीमा एवं सामाजिक बीमा – बीमाकर्ता ग्रामीण एवं सामाजिक क्षेत्र की पॉलिसी विक्रय कि अनिर्वायता के लक्ष्य को प्राप्त करने तक ही सीमित रहते है, जबकि भारत की कुल आबादी का 69% प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। बीमाकर्ता को ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आवश्यकता अनुरूप जीवन बीमा उत्पाद निर्मिक कर उन तक बीमा सेवा को पहुँचाना चाहिए। बीमाकर्ता शहरी क्षेत्र में ही व्यवसाय करने में रूची दिखाते है क्योंकि शहरी क्षेत्र के लोगों की अधिक प्रीमियम भुगतान करने की क्षमता होती है। लेकिन इसके विपरित कम प्रीमियम के द्धारा अधिक लोगों तक बीमा सुरक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में पॉलिसी विक्रय कर बीमाकर्ता अधिक प्रीमि आय अर्जित करने के साथ–साथ बीमा कि पहुँच को बढ़ा सकते है।

5. बढ़ती प्रतिस्पर्धा – भारत में बीमा व्यवसाय के उदारीकरण के बाद जीवन बीमा कम्पनियों में तीव्र गति से प्रतिस्पर्धा बढ़ गयी है क्योंकि बीमा कम्पनियॉ बहुत सारी है। इसलिए उनके उत्पाद भी अनेक होने के कारण उपभोक्ता को बीमा उत्पाद चुनने में परेशानी का सामना करना पडता है तथा भारतीय जीवन बीमा निगम की बाजाऱ हिस्सेदारी में कमी होती है।

6. जीवन बीमा कराने के प्रति उपभोक्ताओं को प्रेरित करना – जीवन बीमा एक लंबे समय का अनुबंध है। उपभोक्ताओं को जीवन बीमा उत्पादों की सही जानकारी प्रदान कर उनके लिए उचित जीवन बीमा उत्पाद लेने के लिए प्रेरित करना क्योंकि जीवन बीमा कम्पनियां अधिक है और उनके उत्पाद भी। इसलिए उपभोक्ता को जीवन बीमा उत्पाद की सही जानकारी देने व बीमा एजेन्ट के द्धारा उपभोक्ताओं को जीवन बीमा लेने के प्रति प्रेरित करना आवश्यक है।

भारत में जीवन बीमा व्यवसाय की सम्भावनाऍं –

1. बीमा वितरण के अनेक माध्यम – बीमा कम्पनियों की सफलता का प्रमुख कारक उनके वितरण माध्यम होते है। क्योंकि बीमा कम्पनियों के जितने अधिक वितरण माध्यम होगे उसकी बिक्री में वृद्धि होगी। भारत में बीमा वितरण के अनेक माध्यम है जैसे– व्यक्तिगत एजेन्ट, कॉर्पोरेट एजेन्ट, बैंक इंश्योरेन्स चैनल,दलाल, प्रत्यक्ष विपणन, ऑनलाईन विक्रय, आदि।

2. जागरूकता को बढ़वा देना – बीमा के प्रति जनता को जागरूक करना अति आवश्यक है क्योंकि आज भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग बीमा से अनजान है। भारत में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण बीमा के प्रति लोगों में जागरूक बनाने के लिए सार्थक प्रयास किये जा रहें है।

3. बीमा विपणन में व्यवसायिकता – बीमा पॉलिसी का विक्रय करने के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से लायसेंस प्राप्त करना होता है तथा उसके द्धारा आयोजित लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होना जरूरी है। कई शिक्षित युवा, सेवानिवृत अधिकारी बीमा एजेन्सी को लेकर बीमा व्यवसाय कर रहें है। वे उपभोक्ताओं का मार्गदर्शन करते है ताकि वे अपनी आवश्कता के अनुसार बीमा उत्पाद का चयन कर सकें।

4. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम–1999 – भारत में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण पॉलिसीधारकों के हितों संरक्षण, बीमा कम्पनियों के वित्तीय मानदंडो को निर्धारित करना, जीवन बीमा व्यवसाय की शर्तों की सामर्थ्य का अनुप्रवर्तन तथा सत्यापन करना, बीमा व्यवसाय के संचालन में कार्य कुशलता को विकसित करना।

5. बीमा क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाऍं – वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के वर्तमान समय में बीमा क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाऍं विद्यमान है। कुछ वर्षो पहले तक भारतीय बीमा क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र की जीवन बीमा कम्पनियों का एकाधिकार था पंरतु बीमा क्षेत्र में निजी जीवन बीमा कम्पनियों के आगमन के बाद बीमा क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ गए है।

7. ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन बीमा कम्पनियों के कार्यालयों की स्थापना– जहां तक बीमा व्यवसाय को ओर अधिक बढा़ने की बात करें तो बीमा कम्पनियों को शहरी क्षत्रों से निकलकर ग्रामीण क्षत्रों की ओर कदम बढा़ना बीमा के महत्व से अनभिज्ञ है, जबकी सचूना प्रौद्योगिकी ने मोबाईल सेवा को गांव–गांव तक पहुँचाकर यह सिद्ध कर दिया है कि भारत के ग्रामीण बाजार मेंअचूक सम्भावनाऍं विद्यमान है। ऐसी परिस्थिति में बीमा कम्पनियों को छोटी–छोटी पॉलिसी योजनाएँ बनाकर ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहें ग्रामीणों को बीमित किया जा सकता है। जिसे भारत देश में ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन बीमा कराने के प्रति लोगों में जागरूकता आएगी तथा जीवन बीमा व्यवसाय एवं विकास में वृद्धि होगी।

निष्कर्ष – भारत देश दुनिया के मानचित्र पर अपनी अनेक विशेषताओं के साथ एक अलग एवं महत्वपूर्ण पहचान बनाए हुए है। आज भारत में 28 राज्य एवं 7 संघ राज्यक्षेत्र शामिल है। भारत देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तथा क्षेत्रफल की द्दष्टि से देखा जाये तो यह विश्व का सातवॉ सबसे बड़ा देश तथा जनसंख्या की द्दष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। चाइना, नेपाल भूटान, बर्मा और बंगलादेश भारत के पड़ोसी देश के रूप में विद्यमान है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकडों के अनुसार वर्ष 2013 में भारतीय अर्थव्यवस्था का मुल्य 1.759 ट्रिलियन होने का अनुमान था। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि भारत में जीवन बीमा व्यवसाय के विकास की अपार सम्भावनाएं विद्यमान है और भविष्य में और भी सम्भावनाएं देखने को मिलेगी। जरूरत है, तो समुचित रूप से उपलब्ध संसाधनों का दोहन करने की जिससे न केवल अनुत्पादक धन का संग्रह होगा बल्कि देश कि अर्थव्यवस्था एवं विकास में भी वह धन सहायक होगा।अत: यह कहना उचित प्रतीत होता है कि उदारीकरण के 25 वर्षो बाद भी जीवन बीमा कम्पनियॉ ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर जीवन बीमा व्यवसाय की संभावनाओं पर गहराई से अध्ययन कर रही है, मगर जब मामला प्रायोगिक तौर पर

अपनाने का आता है, तो काफी लोगों को कमियाँ नजर आती है जैसे गाँव में लोगों के बीच जाकर पॉलिसियों के बारे में समझाने का सरल तरीका नहीं अपनाया जाता है तथा बीमा योजनाओं के बारे में प्रचार–प्रसार के माध्यम जितने शहरी क्षेत्रों में है,उनका 25 फीसदी भी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है।ग्रामीणों से रूबरू चर्चा में मालूम हुआ की बीमा कम्पनियों के अधिकारी कर्मचारी तथा एजेन्ट उनसे बीमा योजना को लेकर जितने दिनों के अन्तराल में मिलते है तब तक ग्रामीण अपना पैसा किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा कर देते है अथवा अन्य कोई उत्पाद खरीद लेते है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. श्रीवास्तव बालचंद 'बीमा के तत्व' साहित्य भवन आगरा।
2. उमेश चंद्र पाठक 'जीवन बीमा' आई.सी. 33 भारतीय बीमा संस्थान, मुम्बई।
3. Tripathi, S. & Kumar, A. (2012). Indian life insurance industry: The changing trends. *Journal of Arts, Science and Commerce, 2*(3), 93-98.
4. Challenges in Life Insurance Sector (IJCBM), ISSN: 2319–2828 Vol. 2, No.6, December 2013
5. Challenges in Life Insurance Sector (IJCBM), ISSN: 2319–2828 Vol. 2, No.6, December 2013
5. Impact of The New Regulations in the Indian Life Insurance- Challenges and Responses (The Joural of Insurance institute of india vol.no. xxxviv)
6. Development of Insurance Regulations in india (The Joural of Insurance institute of india vol.no. xxxviv.

****

राजस्थान के शैक्षिक क्षेत्र में एनजीओ की कार्यप्रणाली में अभिप्रेरणा की भूमिका

सकीला बानो *

शोध सारांश – किसी भी संगठन के विकास में अभिप्रेरणा की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। अभिप्रेरणा कर्मचारियों की मनोवैज्ञानिक ऊर्जा है जो उन्हें संगठन में योगदान के लिए प्रेरित करती है। राजस्थान में शैक्षिक क्षेत्र में काम कर रहे एनजीओ की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने में अभिप्रेरणा की महत्वपूर्ण भूमिका है।
शब्द कुंजी – एनजीओ, अभिप्रेरणा।

प्रस्तावना – अभिप्रेरणा एक चालक शक्ति है, जो सम्पूर्ण संगठन को गतिशील करती है। अभिप्रेरणा के द्वारा ही व्यक्ति की अन्त:सम्भावनाओं को साकार किया जा सकता है। एक प्रबन्धक के लिए व्यक्ति केवल धन अर्जन के लिए कार्य करने वाला कर्मचारी ही नहीं है, वरन अनेक संवेगों, उद्धेगो, भावनाओं, आकांक्षाओं, इच्छाओं व आवश्यकताओं से उत्प्रेरित प्राणी है। आज प्रत्येक संगठन में व्यक्ति से कार्य करवाना केवल भय अथवा पुरस्कार की विचारधारा द्वारा सम्भव नहीं है। अनेक इच्छाएं व भावनाएं व्यक्ति को कार्य के लिए प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा का सम्बन्ध कर्मचारी के सम्पूर्ण व्यक्तित्व के विकास से है।

अभिप्रेरित व्यवहार के प्रकार – अभिप्रेरणा की अभिव्यक्ति कई प्रकार के व्यवहारों से होती है, जो किम्बल एवं गारमेजी ने अभिप्रेरित व्यवहार के निम्न प्रकार बताए हैं।

1. **परिपूर्णकारी व्यवहार –** यह अभिप्रेरित व्यवहार का अत्यन्त स्पष्ट स्वरूप है, क्योंकि इसमें आवश्यकता की प्रत्यक्ष रूप से सन्तुष्टि की जाती है। भूख, प्यास, मैत्री अथवा प्रतिष्ठा और सत्ता परिपूर्णकारी व्यवहार के उदाहरण हैं।
2. **सहायक व्यवहार –** यह प्रकार अभिप्रेरित व्यवहार की पूर्ति में सहायक होता है। यह व्यवहार प्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता को पूरा नहीं करता है, वरन सहायक होता है।
3. **स्थानापन्न व्यवहार –** इस प्रकार का स्थानापन्न व्यवहार अत्यधिक जटिल होता है तथा इसकी व्याख्या करना भी कठिन होता है। कारण की ऊपर से देखने पर इस व्यवहार की आवश्यकता संतुष्टि से अधिक संबंध दृष्टिगत नहीं होता है।

एनजीओ – एनजीओ एक ऐसा संगठन है, जो बिना किसी सरकारी भागीदारी या प्रतिनिधित्व के साथ प्राकृतिक या कानूनी व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए विधिवत संगठित एनजीओ को संदर्भित करने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है।

राष्ट्रीय एनजीओ की शुरूआत प्राचीन काल से हुई थी। अन्तरराष्ट्रीय एनजीओ के इतिहास का तिथि-निर्धारण कम से कम 1839 से है। अनुमान लगाया गया है कि 1914 तक 1083 एनजीओ स्थापित हो चुके थे उस समय अंतरराष्ट्रीय एनजीओ गुलामी-विरोध आंदोलन और महिला मताधिकार आंदोलन में महत्वपूर्ण थे, और विश्व निश्स्त्रीकरण सम्मेलन के समय यह चोटी पर पहुंच गए। हालांकि एनजीओ 1945 में संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना के साथ लोकप्रिय प्रयोग में आया।

अन्तर्राष्ट्रीय एनजीओ की परिभाषा पहली बार 27 फरवरी 1950 को ECOSOC के 288 के 288(ग) संकल्प में दी गई है इसके अन्तर्गत 'कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जो एक अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा स्थापित नहीं है' के रूप में परिभाषित किया गया है।

यह अनुमान लगाया है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय एनजीओ की संख्या 40,000 है और राष्ट्रीय संख्या और भी अधिक है। भारत में 1 मिलियन और 2 मिलियन के बीच एनजीओ होने का अनुमान है।

20वीं सदी के दौरान वैश्वीकरण ने एनजीओ के महत्व को बढ़ावा दिया। एनजीओ मानवीय मुद्दों, उन्नतिशील सहायता और वहनीय विकास पर जोर देने के लिए विकसित हो गए हैं।

एनजीओ समाज के विकास और लोगों के कल्याण के लिए अपनी गतिविधियों को मूर्त रूप देने के लिए कार्य विधि को विकसित करते हैं। गरीब देशों में एनजीओ के माध्यम से कार्य किए जाते हैं, जैसे पर्यावरण सुरक्षा, बच्चों के अधिकार और स्वास्थ्य सेवाए आदि।

उद्देश्य – इस शोध पत्र का उद्देश्य शैक्षिक क्षेत्र में काम कर रहे एनजीओ की कार्यप्रणाली में अभिप्रेरणा के योगदान को बताना और अभिप्रेरणा के माध्यम से अभिप्रेरित व्यवहार के प्रकारों का अध्ययन करना। एनजीओ को इस अध्ययन का लाभ बताना है।

परिकल्पना – शैक्षिक क्षेत्र के एनजीओ की कार्यप्रणाली में अभिप्रेरणा की भूमिका सन्तोषजनक है।

अध्ययन का महत्व – एनजीओ की कार्य प्रणाली में अभिप्रेरणा की आवश्यकता का अर्थ है, उसके संचालन से संबंधित विभिन्न पक्षों की वैयक्तिक आवश्यकताओं को पूरा करके ही संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। संगठन में कार्य करने की इच्छा, आदेशों की पालना, लक्ष्य प्राप्ति की भावना, कार्यक्षमताओं की वृद्धि आदि प्रेरणात्मक वातावरण में ही सम्भव है। कार्यो के कुशल निष्पादन के लिए अभिप्रेरणा द्वारा ही उचित वातावरण का निर्माण किया जा सकता है। एनजीओ में प्रबंधक अपने कार्यो को सफलतापूर्वक निष्पादन करने के लिए अपने कर्मचारियों को अभिप्रेरित

* शोधार्थी (व्यावसायिक प्रशासन) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.) भारत

करते रहते हैं जिससे वह संस्था के कार्यों को कुशलतापूर्वक कर सकें। एक अभिप्रेरित कर्मचारी अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की अपेक्षा संस्था के हितों को प्राथमिकता देता है। वह साधनों को संस्था के हित में प्रयोग करके उनकी प्राप्ति, विकास व अनुरक्षण की लागतों को न्यूनतम रखता है। कर्मचारियों को कार्य प्रेरणाएं प्रदान करके उनकी क्षमताओं व अन्य साधनों का सदुपयोग किया जा सकता है।

शोध प्रविधि एवं समंकों का संकलन – यह अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीय समंकों पर आधारित है। प्राथमिक समंक साक्षात्कार द्वारा लिए गए हैं एवं द्वितीय समंक प्रकाशित पुस्तकों, जर्नल एवं इंटरनेट के माध्यम से संग्रहण किए गए हैं।

निष्कर्ष – प्रस्तावित अध्ययन के माध्यम से कुछ निष्कर्ष सामने आए हैं, जो शैक्षिक क्षेत्र के एनजीओ की कार्यप्रणाली में अभिप्रेरणा की भूमिका के महत्व को बताते हैं, जो प्रबंधकों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। इस अध्ययन के माध्यम से कर्मचारियों को अभिप्रेरित करके परिवर्तनों के प्रति उनका सकारात्मक रूख बनाया जा सकता है तथा नकारात्मक दृष्टिकोण को बदला जा सकता है। अभिप्रेरित कर्मचारी संस्था में स्थायी बने रहते हैं और पूर्ण लगन, उत्साह एवं निष्ठा से अपने कार्यों का निष्पादन करते हैं। फलत: उत्पादन में वृद्धि होती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Barthwal, V.P., Good Governance in India, Deep & Deep Publications Pvt. Ltd., New Delhi, 2003.
2. Bartol, Kathryn M. and DAvid C. Martin. Management. Third edition. USA: Irwin McGraw-Hill, 1998.
3. Drucker, Peter F. The Practice of Management. New York: Harper Business, 1986.
4. Galbraith, Jay R. Designing the Global Corporation. San Francisco: Jossey-Bas Inc. 2000.
5. Griffin, Ricky W. Fundamentals of Management: Core Concepts and Applications. First Indian edition. Chennai: All India Publishers & Distributors Regd., 2000.
6. Hampton, David R. Management. Third edition. McGraw Hill, 1986.
7. John Foster with Anita Anand: Government and NGO Collaboration, Ottawa, United Nations Assocation of Canada, 1999.
8. Kanoke, David and Prinsky David, What Relevance do Organisational Theories have for Voluntary Associations? Social Science Quarterly, 1984.
9. Paul J. Nelson: The World Bank and NGOs: The Limites of Apolitical Development, New York, St. Martin’s Press, 1995.
10. Prasad, D.M.R. and Bhadru, G., Eradication of Caste and Birth of New Humanity, Deep & Deep Publications Pvt. Ltd., New Delhi, 2004.
11. Thomas Princen and Matthias Finger: Environmental NGOs in World Politics, London, Routledge, 1994.
12. Government of India (2000), Towards Equality: Report of the Committee on the Status of Women in India, New Delhi.
13. Institute of Development Studies (2006). Evidence against Women. The KIDF Perspective, Jaipur.
14. Commerce, Bombay, 2010.
15. Personnel Today, National Institute of Personnel Management, New Delhi, 2010.

****

रीवा नगर के बरा कोठार स्थित- 'शिवादित्य ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का वैयक्तिक अध्ययन'

क्रितिका सिंह *

प्रस्तावना – विद्युत जो हमारे जीवन को सरल बनाता है, का आविष्कार 1889 में 'थॉमस अलवा एडीशन' द्धारा किया गया था। उनका पहला आविष्कारक बल्ब तापदीप्त लैम्प था। एडीशन द्धारा विद्युत बल्ब के आविष्कार के बाद नए-नए आविष्कार एवं सुधार के प्रयास होते रहे है। प्रथम बल्ब पीले रंग का प्रकाश देता था। तत्पश्चात् दुधिया प्रकाश देने वाली ट्यूबलाइट का आविष्कार हुआ फिर सी.एफ.एल. बल्ब, जो कम विद्युत से अधिक प्रकाश देने वाले बल्बों का प्रचलन हुआ, और आज अत्याधुनिक तकनीकि में एल.ई.डी बल्ब बाजार में आए जो कई गुना प्रकाश देने वाले बल्बों के प्रचार प्रसार एवं प्रयोग के लिए वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने एल.ई.डी. बल्ब प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध की घोषणा की है। और घरेलू बिजली बचत योजना (डीईएलपी) के तहत दिल्ली के उपभोक्ताओं द्धारा एल.ई.डी. बल्ब प्राप्त करने के आवेदनों के पंजीकरण के लिए एक बेब-आधारित प्रणाली की शुरूआत की।

परिकल्पना –

1. यह विद्युत प्रकाश उपकरण बनाने वाली क्षेत्र में पहली इंडस्ट्री है, जिसका भविष्य उज्जवल नहीं है।
2. वितरण डोर टू डोर होने के कारण सभी लोगों को बल्ब उपलब्ध हो जाने पर मांग पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
3. कंपनी का अधिक विस्तार न होने के कारण रोजगार संभावनाएँ अनिश्चित है।
4. विपणन व्यवस्था बहुआयामी नहीं है।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत शोध में प्राथमिक एवं द्धितीयक समंको का संकलन किया जाएगा। समंको का वर्गीकरण, सारणीकरण एवं विश्लेषण कर वास्तविक परिणाम प्राप्त किया जाएगा। यदि परिणाम वास्तविक से मेल नहीं खाते तो पुन: सर्वेक्षण करके शोध कार्य को दोहराया जाएगाा।

उद्देश्य –

1. सनलाइट एल.ई.डी. विद्युत प्रकाश प्रदाय उद्योग का आर्थिक अध्ययन करना।
2. कम्पनी के आर्थिक विकास हेतु सुझाव देना।
3. औद्योगिक इकाई में अधिकाधिक रोजगार सम्भावनाओं का पता लगाना।
4. संस्था के पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन करना।
5. एल.ई.डी. बल्ब का अधिकाधिक उपयोग करने हेतु लोगों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना।

शोध विश्लेषण – एल.ई.डी. बल्बों के निर्माण में बरा कोठार स्थित 'शिवादित्य ग्रुफ ऑफ इंडस्ट्रीज के नाम से एकाधिकार उद्योग स्थापित किया गया है। जो कि 5000 वर्ग फिट में फैला है, इसकी स्थापना 23 मार्च 2015 को हुई, इस इंडस्ट्री की स्थापना में 20 लाख रूपये का शुरूआती व्यय किया गया है। इंडस्ट्री का रजिस्ट्रेशन क्रमांक ENTERPRENEURS MEMORANDUMN NO.& 23-014-11-02605 है। DATE OF ISSUE-18-11-2014 Gsa यह इंडस्ट्री 3 प्रकार के उत्पाद बाजार में विक्रय हेतु उतारते है, सनलाइट एल.ई.डी. बल्ब, सनलाइट ट्यूब लाइट, सनलाइट एल.ई.डी. पैनल लाइट, इस इंडस्ट्री के 3 प्रमुख विभाग है। उत्पादन विभाग, विपणन विभा, सेवा विभाग।

सेवा विभाग के अंतर्गत डोर टू डोर सप्लाई, हाउस डेकोरेशन डिपार्टमेंट, गार्डेन, मैरिज हाल डेकोरेशन डिपार्टमेंट आते है। यह उद्योग एम.एस.एस.आई. प्रमाण पत्र भारत सरकार द्धारा प्राप्त है।

इंडस्ट्री में उत्पादन क्षमता 60,000 यूनिट प्रति वर्ष है। इस इंडस्ट्री में श्रमिकों की संख्या 42 है, जिसमें 26 श्रमिक कंपनी में नियमित रूप से कार्यरत है, एवं 15 कर्मचारी टारगेट पर नौकरी पर है। मैन्यूफैक्टरिंग यूनिट में 16 मजदूर काम पर है, जो कि कंपनी की तरफ से है, बाकी हार्डवर्किंग में 10 कर्मचारी कंपनी की तरह से है।

कर्मचारियों का वेतन 7000 रू. में 20,000 रू. तक है, टारगेट में कर्मचारियों की पेमेन्ट कोई निश्चित नहीं होती है। इंडस्ट्री के प्रोडक्ट की सप्लाई रीवा संभाग के कई जिलों में होती है, एवं अन्य जिलों में भी होती है।

सनलाइट एल.ई.डी. बल्ब, पैनल लाइट, एल.ई.डी. स्ट्रीट लाइट की उत्पादन लागत, विक्रय मूल्य, व विक्रय कमीषन की जानकारी का वर्णन चार्ट द्धारा- **(देखे आगे पृष्ठ पर)**

सारणी विश्लेषण – उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि कंपनी की वास्तविक उत्पादन कुल उत्पादन से कम है एवं कंपनी डीलर्स को वास्तविक विक्रय मूल्य में से 30 प्रतिशत पर प्रोडक्ट पर छूट देती है।

समस्याएँ –

1. कच्चे माल की उपलब्धता की समस्या।
2. उत्पादन के द्धारा विद्युत अवरोध की समस्या।
3. श्रमिक समस्या
4. मशीनों की मरम्मत की समस्या।
5. उपभोक्ताओं को संतुष्ट करने की समस्या।
6. भविष्य की जोखिमों की समस्या।

सुझाव–

1. कच्चे माल की पर्याप्त व्यवस्था करना।
2. नए आपूर्तिकर्ता की खोज करना।
3. श्रमिकों एवं कर्मचारियों को पर्याप्त व्यवस्था देना एवं विकास।

* गेस्ट फैकल्टी (वाणिज्य) ए.पी.एस. विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) July to September 2017, Vol. II

4. मशीनों का सही रखरखाव।
5. व्यवसाय को भविष्य के जोखिमों से बचाना।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. LED कंपनी के मैनेजर से ली गई जानकारी।
2. शोध प्रविधि के द्धारा।
3. www.google.com
4. न्यूजपेपर।

क्र.	बल्ब के प्रकार	कुल उत्पादन	वास्तविक उत्पादन	लागत प्रति बल्ब	कुल लागत	वि.मूल्य प्रति बल्ब MRP	कुल विक्रय मूल्य	वास्तविक विक्रय मूल्य/ बल्ब 30% Less	कुल वास्तविक विक्रय मूल्य	प्रतिशत मूल्य
1.	**LED Bulb**									
	0.5 W	10,000	7,000	52	3,64,000	90	6,30,000	63	4,41,000	8
	3 W	8,000	6,000	88	5,28,000	149	8,94,000	104	6,24000	12
	5 W	7,000	5,000	142	7,10,000	229	11,45,000	160	8,00,000	14
	7 W	6,000	5,000	180	9,00,000	289	14,45,000	202	10,10,000	18
	9 W	6,000	4,600	220	10,12,000	349	16,05,400	244	11,22,400	20
	12 W	5,000	4,400	300	13,20,000	439	13,20000	349	15,35,600	28
Total		**42,000**	**32,000**		**48,34,000**		**70,39,400**		**55,33,000**	**100**
2.	**Panel Light**									
	3 W	7,000	5,200	195	10,14,000	329	17,10,800	230	11,96,000	28
	6 W	6,000	4,500	289	13,00.500	489	22,00,500	342	15,39,000	27
	12 W	4,000	3,000	430	12,90,000	699	20,97,000	489	14,67,000	35
Total		**17,000**	**12,700**		**36,04,500**		**60,08,300**		**42,02,200**	**100**
3.	**LED Street Light**									
	30 W	400	180	2,900	5,22,000	5,200	9,36,000	3,640	6,55,200	31
	50 W	400	150	3,700	5,55,000	7,200	10,80,000	5,040	7,56, 000	35
	80 W	200	130	4,500	5,65,000	8,000	10,40,000	5,600	7,28000	34
Total		**1,000**	**460**		**26,62,000**		**30,56,000**		**21,39,200**	
Grand Total		**6,000**	**45,160**		**10,10,0500**		**1,61,03,700**		**4,18,74,200**	

स्त्रोत– प्रत्यक्ष साक्षात्कार ।

****

देवास जिले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का योगदान

डॉ. राकेश महाजन * विनोद कुमार अकोतिया **

प्रस्तावना – भारत गॅावो का देश है। भारत में ग्रामीण विकास की अनेक योजनाऐं प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रारंभ कर दी गई थी किन्तु अनेक कमियों एवं समस्याओं के कारण ग्रामीण विकास को कभी गति नहीं मिल पाई। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952) राष्ट्रीय विस्तार सेवा (1953) व्यवहारिक आधार कार्यक्रम (1962), ग्रामीण जनशक्ति और जनसहयोग कार्यक्रम (1969), ग्राम स्वरोजगार योजना (1971), काम के बदले अनाज कार्यक्रम (1977), सम्पूर्ण ग्रामीण विकास कार्यक्रम (1979), राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम (1980), नया बीस सूत्रीय कार्यक्रम (1980), ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम (1983), जवाहर रोजगार योजना (1989), सुनिश्चित रोजगार योजना (1993), ग्रामीण केन्द्र योजना (1995), समन्वित ग्रामीण विकास योजना (1998) चलायी गई जिससे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नए आयाम मिले। गांवो के भूमिहीन मजदूरों, कृषकों एवं ग्रामीणों को इसका लाभ तो पहुंचा किन्तु इन योजनाओं की धीमी गति एवं कुछ कमजोरियां भी थी। इसके पश्चात भी ग्रामीण क्षेत्र में अब भी एक बड़ी चुनौती थी बेरोजगारी, गरीबी एवं महिलाओं का पिछड़ापन।

विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के पश्चात उनकी कमियों, अनुभवों व शोध संस्थानों द्वारा प्राप्त निष्कर्षों एवं विशेषज्ञों की टीमों तथा अनेक समितियों के सुझाव के पश्चात 'स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना' तैयार की गई। अनेको योजनाओं जिनमें 'समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम', 'स्वरोजगार के लिए ग्रामीण प्रशिक्षण', 'ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास' 'ग्रामीण कारीगरों को सुधरे औजारों की आपूर्ति' का विलय भी इसी योजना में कर दिया गया। 1 अप्रैल 1999 से यह योजना भारत देश में लागू की गई। वर्ष 2001 एवं वर्ष 2003 में कुछ मुख्य प्रावधानों में संशोधन भी किए गए। इस योजना में गरीब वर्ग के लिए स्वयं सहायता समूहों का गठन करना, प्रशिक्षण देना, ऋण उपलब्ध कराना, तकनीकी एवं व्यावसायिक आधार देना मुख्य उद्देश्य था। इस योजना में केन्द्र एवं राज्य शासन क्रमश: 75:25 प्रतिशत के आधार पर राशि उपलब्ध कराती है।

इस योजना में प्रक्रियागत दृष्टिकोण और गरीब ग्रामीणों की क्षमता निर्माण पर बल दिया जाता है, इसलिए इसमें स्वयंसेवी सहायता समूहों के विकास और पोषण, जिसमें कौशल विकास भी शामिल है, में गैर–सरकारी संगठनों/सीबीओज/व्यक्तियों/बैंकों को स्वयं सहायता संवर्द्धन संस्थान/सुविधा प्रदाता के रूप में शामिल किया जाता है। योजना में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार सामाजिक मध्यस्थता और कौशल विकास प्रशिक्षण पर आने वाली लागत उपलब्ध कराई जाती है। समूहों के विकास की अवस्था के आधार पर प्रशिक्षण, आवर्ती कोष से आवंटन और आर्थिक कार्यकलाप हेतु निधि के उपयोग में डी.आर.डी.ए. और राज्यों के लचीलेपन की गुंजाईश दी गई है।

इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर आय बढ़ाने के अधिक से अधिक अवसर पैदा करके गरीब व्यक्तियों की क्षमता और हर क्षेत्र की भूमि–आधारित और अन्य संभावनाओं के आधार पर बड़ी संख्या में लघु, उद्यमों की स्थापना पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इसमें गरीबों की क्षमता वृद्धि, कौशल विकास प्रशिक्षण, ऋण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, विपणन और ढांचागत सहायता पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाता है।

योजना के अंतर्गत सब्सिडी कुल परियोजना लागत के 30 प्रतिशत की दर से दी जाती है, लेकिन इसकी अधिकतम सीमा 7500 रूपये (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और विकलांगों के लिए यह सीमा 50 प्रतिशत रखी गई है जो अधिकतम 10000 रूपये है) तय की गई है। स्वयं सहायता समूहों को परियोजना लागत का 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है जिसकी अधिकतम सीमा 1.25 लाख या प्रति व्यक्ति 10000 रूपये, इनमें जो भी कम हो, तय की गई है। लघु सिंचाई परियोजनाओं, स्वयं सहायता समूहों और स्वरोजगारियों के लिए सब्सिडी की कोई सीमा तय नहीं की गई है।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में ग्रामीण गरीबों में कमजोर वर्गो पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तदनुरूप स्वरोजगारियों में से कम 50 प्रतिशत अनुसूचित जातियों/जनजातियों से, 40 प्रतिशत महिलाओं और 3 प्रतिशत दिव्यांगों को शामिल करना अनिवार्य बनाया गया है। योजना में एक बार ऋण देने के बजाय बहु ऋण सुविधा को प्राथमिकता दी जाती है।

स्थानीय संसाधनों ग्रामीणों की व्यावसायिक योग्यता और बाजार उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक ब्लाक में 10 मुख्य क्रियाकलापों तक का चयन किया जा सकता है ताकि स्वरोजगारी अपने पूंजी निवेश से समुचित आय प्राप्त कर सकें। योजना में सामूहिक प्रस्तावों पर अधिक जोर दिया जाता है अर्थात ब्लाक स्तर पर चार–पांच चुनी हुई गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए और उन गतिविधियों के सभी पहलूओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस योजना में चुनी हुई गतिविधियों पर आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और प्रत्येक स्वरोजगारी की आवश्यकताओं के अनुरूप उसके विकास पर जोर दिया जाता है। योजना पंचायती राज संस्थाओं, बैंकों और स्वयंसेवी संगठनों की सक्रीय भागीदारी के साथ, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के जरिए क्रियान्वित की जा रही है। योजना पर खर्च की जाने वाली राशि केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा 75:25 के अनुपात में

* प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (वाणिज्य) अमर शहीद राजाभाऊ महाकाल शासकीय महाविद्यालय, सोनकच्छ (म.प्र.) भारत
** शोद्यार्थी (वाणिज्य) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

वहन की जाती है।

स्वयं सहायता समूह की अवधारणा – 'स्वयं सहायता समूह' समान प्रकार के 15 से 20 लोगों विशेषकर महिलाओं का वह समूह है, जिसके सदस्य स्वेच्छा से इसकी सदस्यता प्राप्त कर पारस्परिक सहयोग व एकता जैसे सिद्धांतों के आधार पर बचत व साख जैसी आर्थिक गतिविधियों की शुरूआत करते हैं। इसमें समूह सदस्यों की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होती है।

समूह सतत् रूप से बैठक करता है एवं छोटी–छोटी बचत राशि एकत्र करता है। बैठक में बैठको, बचत, उपस्थिति आदि रजिस्टर रखे जाते हैं। समूह का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिवर्ष अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष का चयन किया जाता है। समूह बनाने का उद्देश्य साहूकारों से मुक्ति, बचत एकत्रित करना, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं में जागरूकता लाना, शासन की कल्याणकारी योजना से जुड़ना इत्यादि होता है। समूह की स्थापना उत्प्रेरक, बैंक या परियोजना अधिकारी या पुराना समूह करवा सकता है। वर्षभर समूह की बैठक, बचत व स्थिति को ध्यान रखकर बैंक अधिकारी अपने यहां समूह का खाता खोलकर, किसी कार्य को करने के लिए समूह को ऋण भी उपलब्ध करा देती है।

शोध के उद्देश्य –

1. ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में योजना का योगदान जानना।
2. समूहों के कार्यों की जानकारी एकत्र करना।
3. देवास जिले के समूह की स्थिति को जानना।
4. समूह के माध्यम से महिलाओं की स्थिति में आए सुधारों का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि – देवास जिले की 6 तहसीलों में से प्रत्येक तहसील से 10–10 गांवो में से 6–6 स्वयं सहायता समूहों का चयन कर सम्बन्धित जानकारी एकत्र करना। जो कि प्रत्यक्ष रूप से जाकर देखी गई, साक्षात्कार लिया गया।

निष्कर्ष – सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी का गहनता से अध्ययन एवं विश्लेषण करने के पश्चात पाया गया कि देवास जिले में प्रतिवर्ष समूहों की संख्या में 9 प्रतिशत वृद्धि हो रही है। वर्ष 2014–15 तक भारत में 30850 करोड़ रूपये म.प्र. में 2015 करोड़ रूपये एवं देवास जिले में 312 करोड़ रूपये ऋण के रूप में इस योजना में वितरित किए गए। जिसमें कि भारत में 15629 करोड़ रूपये म.प्र. में, 960 करोड़ रूपये एवं देवास जिले में 186 करोड़ रूपये सब्सिडी के रूप में वितरीत किए गए। देवास जिले में प्रतिव्यक्ति निवेश राशि (वर्ष 2014–15) 29032 रूपये थी। देवास जिले में वर्ष 2014–15 तक 103 समूह कार्य कर रहे थे। जिन्हें वर्ष 2010–11 से वर्ष 2014–15 तक बैंकों द्वारा 99 लाख रूपये ऋण वितरित किया जा चुका था।

जिले में 58 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 22 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति, 13 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग एवं 07 प्रतिशत सामान्य वर्ग के सदस्य पाये गये। 73 प्रतिशत समूह ऐसे हैं, जिनकी सदस्य संख्या 10 से 15 है। समूह सदस्यों में से 32 प्रतिशत ने तीन दिवसीय, 28 प्रतिशत ने पांच दिवसीय एवं 16 प्रतिशत ने 15 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त किया है। 70 प्रतिशत सदस्य विपणन तकनीक को समझते हैं। 88 प्रतिशत समूह सदस्य के ग्रामीण जीवन पर समूह से सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। 90 प्रतिशत सदस्यों का मानना है कि उनकी आर्थिक स्थिति समूह के कारण मजबूत हुई है। 91 प्रतिशत सदस्यों ने शिक्षा, टीकाकरण, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य तथा गर्भवती महिलाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम किए हैं। जिले में 88 प्रतिशत समूह सदस्यों का मानना है कि स्वरोजगार इकाईयों में वृद्धि हुई जबकि 72 प्रतिशत का मानना है कि अनुदान राशि से उन्होने स्वरोजगार संवर्द्धन किया गया है। जिले में अचार, पापड़, नमकीन, बेसन, अगरबत्ती, पशुपालन सम्बन्धी अनेक इकाईयां महिलाऐं समूह द्वारा चला रही है।

स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार आया है एवं देवास जिले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में स्वर्णजयंती स्वरोजगार योजना का योगदान महत्वपूर्ण एवं मील का पत्थर साबित हुआ है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. जोशी एन.सी., भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था
2. पंत डी.सी., भारत में ग्रामीण विकास
3. मदन जी. आर.,भारत में सामाजिक विकास की समस्याऐं
4. स्वयं सहायता समूह कैसे बनाएँ? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
5. महिला स्वयं सहायता समूह स्वशक्ति परियोजना म.प्र. महिला आर्थिक विकास निगम भोपाल म.प्र.

****

शक्ति चलित करघा उद्योग की चुनौतियाँ एवं विकास योजनाएँ

डॉ. मीनल वानवट *

शोध सारांश – पूर्व भारत के समग्र वस्त्र मुल्य श्रृखंला में शक्ति चलित करघो का प्रमुख स्थान है। 2013 में पावरलूम सर्वेक्षण के अनुसार विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में 24.86 लाख शक्ति चलित करघे है। देश के कुछ वस्त्र उत्पादन के 57 प्रतिशत से अधिक का योगदान इन करघो से उत्पादित वस्त्रों से है। साथ ही यह क्षेत्र लगभग 44.86 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है। शक्ति चलित करघा उद्योग में निर्मित वस्त्रों का लगभग 60 प्रतिशत निर्यात कर दिया जाता है।

कपड़ा मंत्रालय की और से जारी 2015 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार कृषि के बाद वस्त्र उद्योग भारत का दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है। कपड़ा उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पादन में 2 प्रतिशत का योगदान देता है। 1.1 मिलियन शक्ति चलित करघो के साथ महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा शक्ति चलित करघा केन्द्रो में से एक है।

शब्द कुंजी – शक्ति चलित करघा, पावरलूम, करघा, विद्युत करघा।

प्रस्तावना – चुनौतियाँ – लोग लैडलाईन फोन से मोबाईल फोन और चिट्ठी से ईमिल तक पहुच गऐ लेकिन शक्ति चलित करघा उद्योग के श्रमिकों के जीवन में खास बदलाव नहीं हुआ पहले से बीमार इस उद्योग में नोटबंदी और जी.एस.टी. ने से उद्योग को बंद होने की कगार तक पहुँचा दिया है। इस समय उद्यमियों और बुनकरों के सामने कई चुनौतियॉ खड़ी है जैसे –

1. **कच्चे माल की कमी –** इस उद्योग की सबसे बड़ी समस्या कच्चे माल की उपलब्धता है। कपास की उन्नत किस्म का अभाव, उच्च कीमतों को दबाव तथा अन्य राज्यों से माल मंगाने पर कपड़े की लागत का बढ़ जाना मुख्य समस्या है।

2. **करघों की क्षमता का न्यून उपयोग –** आधारभूत सुविधा जैसे – विद्यतु, जल आपूर्ति आवश्यकतानुसार नहीं होने के कारण शक्ति चलित करघों की कार्यक्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है। अधिकांश करघे पुराने हो चुके है तथा प्रशिक्षित बुनकरों द्धारा नहीं चलाए जा रहे है।

3. **विद्युत आपूर्ति की कमी –** शक्ति चलित करघा उद्योग के लिए जो विद्युत आपूर्ति उसकी प्राणवायु है किन्तु औद्योगिक क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति न होने के परिणामस्वरूप कार्यरत ईकाईयों की वित्तीय स्थिति पर विपरित प्रभाव पड़ता है। ऋण अदायगी क्षमता भी कम होती है।

4. **उन्न्त तकनीक व आधुनिकीकरण –** शक्ति चलित करघा उद्योग के अधिकांश करघे पुराने हो गए है। नये उन्नत तकनीक के करघों का प्रयोग नहीं हो रहा है, जो अधिक मात्रा में माल का उत्पादन करते है। बुनकर प्रशिक्षित नहीं है उन्हें अभी भी साप्ताहिक मजदूरी ही मिलती है, जिससे उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि नहीं हो पाती।

5. **अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा –** चीनी और बांग्लादेशी कपड़ों की तुलना में भारतीय कपड़ा प्रतिस्पर्धी नहीं है। इस कारण माँग कम और भारतीय वस्त्रों के लिए कम कीमतें है। अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, लागत के साथ, बढ़ रहा है इस उद्योग का संघर्ष।

6. **सरकारी नीतियाँ –** वर्तमान में इस उद्योग की कमर तोड़ने का काम सरकारी नीतियों ने किया है। 2016 में नोटबंदी व 2017 में जी.एस.टी. इन दोनों ने इस बीमार उद्योग को मृत्यु तक पहुंचा दिया है। श्रम कानून जैसे जरूरी मुद्दे पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया हें

नोटबंदी के बाद काम सप्ताह में 6 दिन की बजाय 3 दिन ही चल पा रहा है ऐसे में कमाई पहले की तुलना में आधी हो गई है केश से केशलेस होने में समय लगेगा। लूम मालिक इस सिखने, सिखाने की प्रक्रिया के दौरान ठहराव की आंशका से चिंतित है।

कपड़े पर 5 प्रतिशत जी.एस.टी. लगने से कपड़े की लागत 2 से 3 प्रतिशत बढ़ गई है। शक्ति चलित उद्यमी बताते है कि 5 से 8 प्रकार के अलग अलग कपड़े बनाते है। एक मीटर कपड़े की कीमत 15 से 40 मीटर तक होती है ऐसे में जी.एस.टी. से 40 रूपये प्रति मी. कपड़ा 42 रूपये प्रति मी. हो जाएगा। हालांकि उद्यमि बता रहे कि मंहगाई मुद्दा नहीं है, जो जी.एस.टी. चुकाने की प्रक्रिया है, वह काफी कठिन है। एक वर्ष में 27 विवरणियों को भरना होता है। उद्यमी कपड़ा उत्पादन पर ध्यान देगा या रिर्टन भरने व कागजी कार्यवाही करने पर।

विकास की योजनाएँ –

1. इस उद्योग के सामने आने वाली विभिन्न सामाजिक, आर्थिक समस्याओं को देखते हुए सरकार ने बहुआयामी योजनाओं के माध्यम से इस उद्योग के विकास पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है।
2. शक्ति चलित करघा उद्योग के विकास के लिए एकीकृत योजना 11 वी पंचवर्षीय योजना के दौरान जॉच की गई, जो अत्यन्त लाभकारी सिद्ध हुई और इसे यार्न बैंक, टेक्सवेचर फंड तथा सामान्य सुविधा केन्द्र जैसे अतिरिक्त घटको के साथ 12 वी पंचवर्षीय योजना में विस्तारित कर दिया गया, जिससे आर्थिक दृष्टि से कमजोरी बुनकरों तथा शक्ति चलिस करघा क्षेत्र के समग्र विकास ये सहायता की जा सके।
3. केन्द्रिय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने पावरलूम मजदूरों के पलायन को

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) लोकमान्य तिलक विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

रोकने और नोटबंदी से मजदूरों को हो रही परेशानी से निजात दिलाने के लिए मजदूरों को बैंक से जोड़ने की सलाह दी गई। मालिकों व मजदूरों की समस्या समझने हेतु शिविर लगाए जाए, बुनकरों के बैंक खातों को खोले जाए, एक भी मजदूर बैंक खाते से वंचित न रहें, मजदूर आधार कार्ड बनवाए, मोबाईल बैंकिंग व केशलेस व्यवस्था से जोड़ने का प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा।

पॉवर टेक्स इंडिया – सभी संशोधित योजना को शामिल करते हुए एक वृहत योजना 1 अप्रैल 2017 को केन्द्रिय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी द्धारा भिंवडी (महा.) में लागू की गई इस योजना को **पॉवरटेक्स इंडिया विद्युत करघा क्षेत्र में विकास की वृहत योजना** का नाम दिया गया जो 31 मार्च 2020 तक प्रभावी रहेगी इसके मुख्य घटक –

1. सादे विद्युत करघा का स्वउत्थान व उन्नयन।
2. समूह वर्क शेड योजना।
3. यार्न बैंक योजना।
4. सामान्य सुविधा केन्द्र।
5. विद्युत करघा बुनकरों के लिए प्रधानमंत्री ऋण योजना।
6. विद्युत करघा योजनाओं के लिए सरलीकरण आई.टी. जागरूकता विपणन विकास केन्द्र का प्रचार।
7. विद्युत करघा सेवा केन्द्रों का आधुनिकरण व उन्नयन और सहायता अनुदान।

पावर टेक्स इंडिया योजना छोटे विद्युत करघा बुनकरों को जीविकोपार्जन में सहायता प्रदान करेगा। विद्युत करघा क्षैत्र के आधुनिकरण एवं उन्नयन हेतू सरकार ने इस क्षेत्र के लिए 30 प्रतिशत सब्सिडी में वृद्धि की है। यार्न बैंक पर ध्यान देते हुए 11 बुनकरों द्धारा चलित इस बैंक हेतु 2 करोड़ रूपये तक की सहायता स्वीकृत की है। सौर उर्जा से चलने वाले करघो पर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जावेगी। प्रौद्योगिक उन्नयन पर आधारित सब्सिडी योजना (सी.एल.सी.एस.एस.) में पावर लूम क्षेत्र के लिए 20 प्रतिशत ऋण आधारित पूँजी सब्सिडी देगा।

निष्कर्ष – देश के कपड़ा उत्पादन में पावरलूम क्षेत्र का योगदान 60 प्रतिशत होने के बावजूद कई चुनौतियों से जूझ रहा है। पारंपरिक लूम, अच्छे क्वालिटी के सूत का अभाव, कम गुणवत्ता वाला उत्पादन, सीमित बाजार, मंहगे मजदूरी, मंहगी बिजली, जी.एस.टी., सरकारी नितियॉ इन सब समस्याओं के बावजूद सरकार द्धारा की गई पहल हमें आने वाले समय में सकारात्मक परिणाम देगें। कुछ सुझाव ऐसे भी हो सकते है।

राजस्थान का भीलवाड़ा, महाराष्ट्र का भिंवडी, उत्तरप्रदेश के बनारस को, मेगा क्लस्टर बनाया जाए। बुनकरों की जरूरतों को सरकार प्राथमिकता तय करके पूरा करें। कॉमन फेसेलिटी सेंटर, ट्रेनिंग फेसेलिटी, माकेटिंग काम्प्लेक्स की स्थापना की जाए, उद्यमियों की सुविधा का विस्तार किया जाए, थोक बाजार काम्प्लेक्स, दैनिक बाजार के साथ रविवार को विशेष बाजार का इंतजाम भी शामिल किया जाए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पत्रिकाएँ – समाचार पत्र Monthly, Current, Offaiss, May 2017 समसामायिक चक्र, मई 2017, पत्रिका, समाचार – पत्र ।
2. वेबसाईड www.jagran.com News 18 M.bhaskar.com

****

Digital Transaction Move In India - Statistical Perspective

Dr. Leena Sharma *

Abstract - In the 30th Radio address of "Man Ki Baat" of Mr.NarendraModi, the Prime Minister of India commented that Indians are against corruption and to discard the corruption from the country their support for the Digital transactions and related process is remarkable. A positive and exponential growthin the numberof the digital transactionwas observed and presented just after the demonetization, does it means that Indian are accepting the digital transaction system (Debit cards, Credit Cards, ATMs, POS etc.) over the conventional hard currency transaction system. This paper will present the statistical snapshot and authors' viewpoint for the digital transaction movement in India.
Key words: Digital, Transaction, Credit Card, Debit Card, ATMs

Introduction - With the fundamental objective of promoting the Cashless Economy into the Indian financial system present government of India under the concept of Digitization worked over several concept of Digital Money and Demonetization may be a strategic move for the realization ofCashless Economy. It is so because of demonetization exponential growth was observed in the digital payments particularly. One more addition was done by the government towards the digitization of transaction by launching the BHIM App – A Digital Payment Application. And the acceptance of the public for the application was claimed by the disclosure a count of 1.5 crore people download. People accepted the indigenous digital payments app BHIM as this application enables digital payments through means like mobile wallets, USSD and RuPay that witnessed massive uptake and rise in transactions post demonetisation. The use of digital payment system will help to restrain the corruption and black money in the nation was also tagged in all the possible advertisements of the government for promoting the cashless transaction. Some more schemes were also launched by the government to accept and to promote the uses of cashless payment system like Lucky GrahakYojana and DigidhanVyaparYojana. Overall handsome practices and strategies were followed to promote the cashless transaction among the users.

This research paper is a statistical snapshot of the digital transaction movement acceptance among the Indians by presenting statistical analysis over the uses of credit and debit cards transaction counts, amount of transactions performed during the period of last one year from July 2016 to April 2017.

Statistical Analysis Snapshot Of Debit And Credit Card Usage -

Table 1 & Graph 1 - (See in the last page)

Before demonetization and after demonetized months from July 2016 to Feb 17, good number of credit cards (Approx 0.25 millions) and debit cards (Approx 22.02 millions) were added in the Indian banking system. Highest numbers of credit card and debit cards were added in December 2016 and January 2017 months followed by demonetization of Rs. 500 and Rs. 1000. As in the months November, December 2016 and December 2017 banks were facing the shortage of cash, market was looking for new currency, so the only way to fulfil the day to day need of cash in form of expenses was to use the plastic cards. But just after the smooth availability of hard cash again the addition in the number of Debit and Credit card was tapered.

Table 2 (See in the last page)

Number of on-site (Where the Bank branch and ATM both are available) ATMs rose by 4.33% fromJuly 2016 to December 2016 and 1.84% rise in the number of onsite ATMs was observed till April 2017. Negative growth -0.48% and .0.03%was observed in the off-site (Standalone ATMs) ATMs from July 2016 to December 2016 and then April 2017 consecutively. Number of on-site POS rose by 22.37% and 48.01%. Offline POS rose by 311.84% from July 2016 to December 2016 but a negative change -100.00% was observed for December 2016 to April 2017 months.

Table 3 (See in the last page)

Above Table 3 presented the Debit and Credit cards transaction counts performed during the period of July 2016 to April 2017 through ATMs and POSs. Credit card transaction count from ATMs declined by -38.00% from July 2016 to December 2016 but parallel from POS Credit card transaction count rose by 46.13%. From December 2016 to April 2017 Credit card transaction count from ATMs rose by 28.13% and declined by -8.19% from POS. Debit card

*Asst. Professor (Economics) Pacific Academy of Higher Education and Research Uni., Udaipur (Raj.) INDIA

transaction count from ATMs declined by -16.18% from July 2016 to December 2016 but from POS Debit card transaction count rose by 221.89%. From December 2016 to April 2017 Debit card transaction count from ATMs rose by 4.74% and declined by -35.49% from POS.

Table 4 - Statistics of Credit Card - Amount of Transaction (Rs. Millions)

Year Wise	ATM	% Change	POS	% Change
Apr-17	2327.2	164.18%	331429	6.40%
Dec-16	880.9	-69.86%	311491.2	27.97%
Jul-16	2922.4	-	243414.15	-

Source - Reserve Bank of India

Graph 2 - (See in the last page(

Above Table 4 presented the Credit cards Amount of Transaction in Rs. Millions performed during the period of July 2016 to April 2017 through ATMs and POSs.Credit card Amount of Transaction in Rs. Millions from ATMs declined by -69.86% from July 2016 to December 2016 but from POS Amount of Transaction from Credit Card in Rs. Millions rose by 27.97%. From December 2016 to April 2017 Amount of Transaction from Credit Cards in Rs. Millions from ATMs rose by 164.18% and by 6.40% from POS.

Table 5 -Statistics of Debit Card - Amount of Transaction (Rs. Millions)

Year Wise	ATM	% Change	POS	% Change
Apr-17	2168595.8	155.33%	374818.8	-35.41%
Dec-16	849340.9	-61.25%	580312.5	239.52%
Jul-16	2191650.7	-	170919.23	-

Source - Reserve Bank of India

Graph 3 - (See in the last page)

Above Table 5 presented the Debit cards Amount of Transaction in Rs. Millions performed during the period of July 2016 to April 2017 through ATMs and POSs.Debit card Amount of Transaction in Rs. Millions from ATMs declined by -61.25% from July 2016 to December 2016 but from POS Amount of Transaction from Debit Card in Rs. Millions rose by 239.52%. From December 2016 to April 2017 Amount of Transaction from Debit Cards in Rs. Millions from ATMs rose by 155.13% and declined by -35.41% from POS.

According to the RBI, till February 2017, the total numbers of transactions performed through credit cards in India were 94.67 million and through debit cards were 251.75 million and amount transacted through debit cards increased by 177% and through credit cards by 38% during the same time.

Table 6 & **Graph 4 (See in the last page)**

Table 6 and Graph 2 presented the statistical snapshot of amount transacted through Debit and Credit Cards from July 2016 to February 2017. Continuous growth of 37.72%, 21.05%, 17.28% and 4.95% was observed in the amount transacted through Debit cards in successively in October, November, December and January months. The same trend of growth with 23.74%, 7.45% and 80.37% was observed for the amount transacted through credit cards in October, November and December months. Thus rate of using the cards were quite high in the months followed after demonetization and just after the smooth availability of the cash the amount transacted through Debit and Credit card went down. Total amount of Rs. 4,243 crorewas declined in February 2017 in the transactions performed through Credit Cardsand amount transacted through debit cards declined by Rs 13,161 crore.

Conclusions - The need of being digital is still far away from the understanding of general people till they did not find it convenient and beneficiary for them in the daily transaction. The statistical snapshotspresented above confirmed thatadopting the credit card and debit card by the general people was not a permanent trend, it was somehow pushed by demonetization and the shortage of the cash in the banks. So in the particular months till the problem of cash shortage solved, people started using their plastic cards for the payment but after that a good percent of decline was observed in the continuous months confirms that they are not ready to use Credit and Debit Card in all the form of payments generally day to day expenses. But it is not like that the promotion and schemes of GOI to promote the digital payment does not made any mark in the gross transactions performed, a significant percent of gross transaction in now days is performed by the electronic mediums and definitely in future a wide growth and success can be ensured in the field of digital payment due to several potential benefits of it which are still not tapped by general users of plastic cards yet.

References :-

1. http://www.medianama.com/2016/06/India-has-29.1M-credit-cards,-840M-debit-cards in-February-2017-MediaNama.html/
2. http://www.thehindubusinessline.com/money-and-banking/creditdebit-card-usage-surges-on-demonetisation/article9341080.ece
3. https://www.rbi.org.in/scripts/atmview.aspx
4. http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/note-ban-effect-debit-cards-preferred-over-credit-cards-account-for-60-of-card-spend/articleshow/57845483.cms

Table 1 - Total Number of Credit and Debit Card Added per month (in Millions)

Months	Credit Card added	% Change	Debit Card Added	% Change
July – 16	0.4	-	6.08	-
Aug – 16	0.44	10.00%	15.28	151.32%
Sept – 16	0.48	9.09%	15.7	2.75%
Oct – 16	0.49	2.08%	11.08	-29.43%
Nov – 16	0.44	-10.20%	5.29	-52.26%
Dec – 16	0.54	22.73%	16.55	212.85%
Jan – 17	0.52	-3.70%	56.86	243.56%
Feb – 17	0.25	-51.92%	22.02	-61.27%

Source - Reserve Bank of India

Graph 1 - Total Number of Credit and Debit Card Added per month (in Millions)

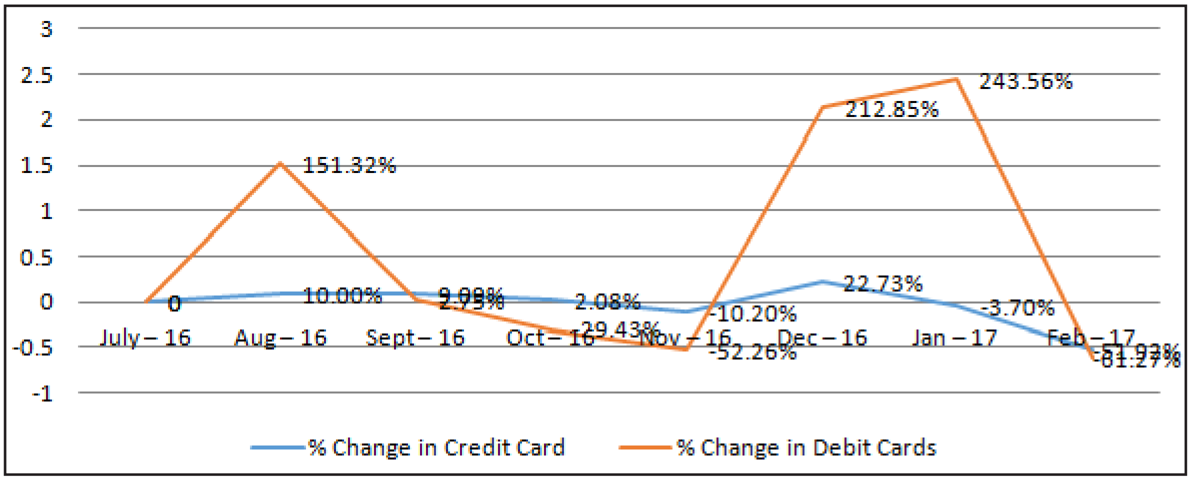

Source - Reserve Bank of India.

Table 2 Statistics of ATMs from July 2017 to April 2017

Year Wise	on-site ATMs	% Change in on-site ATM	off-site ATMs	% Change in Off-Site ATM	on-site POS	% Change in on-site POS	off-line POS	% Change in off-line POS
Apr-17	109740	1.84%	98073	-0.03%	2614584	48.01%	0	-100.00%
Dec-16	107758	4.33%	98102	-0.48%	1766481	22.37%	1252	311.84%
Jul-16	103282	-	98579	-	1443595	-	304	-

Source - Reserve Bank of India.

Table 3 - Statistics of Transaction counts of Debit and Credit Cards by ATMs & POSs

Year Wise	Credit Card Transaction Count				Debit Card Transaction Count			
	ATM	% Change	POS	% Change	ATM	% Change	POS	% Change
Apr-17	481711	28.13%	106578071	-8.19%	660321091	4.74%	267996949	-35.49%
Dec-16	375943	-38.00%	116082819	46.13%	630466234	-16.18%	415461956	221.89%
Jul-16	606314	-	79440734	-	752133454	-	129069978	-

Source - Reserve Bank of India

Graph 2 - Credit Card - Amount of Transaction (Rs. Millions)

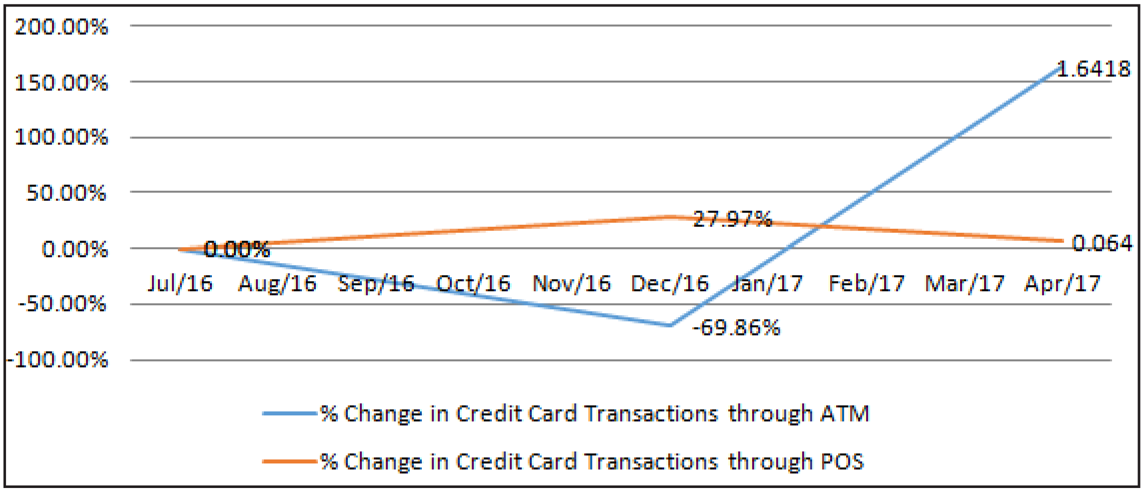

Source - Reserve Bank of India

Graph 3 - Debit Card - Amount of Transaction (Rs. Millions)

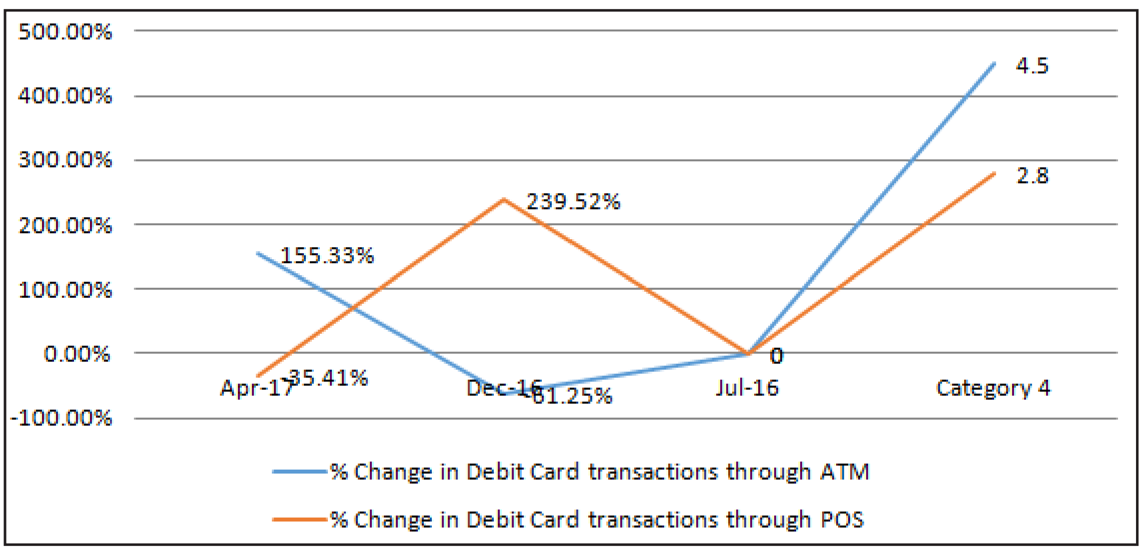

Source - Reserve Bank of India

Table 6 - Amount Transacted through Cards from July 2016 to February 2017

Months	Through Debit Cards	% Change	Through Credit Cards	% Change
July – 16	17092	-	24341	-
Aug – 16	18370	7.48%	25749	5.78%
Sept – 16	15932	-13.27%	24198	-6.02%
Oct – 16	21941	37.72%	29942	23.74%
Nov – 16	26559	21.05%	32174	7.45%
Dec – 16	31149	17.28%	58031	80.37%
Jan – 17	32691	4.95%	49004	-15.56%
Feb – 17	28448	-12.98%	35843	-26.86%

Source - Reserve Bank of India

Graph 4 - Amount Transacted through Cards from July 2016 to February 2017

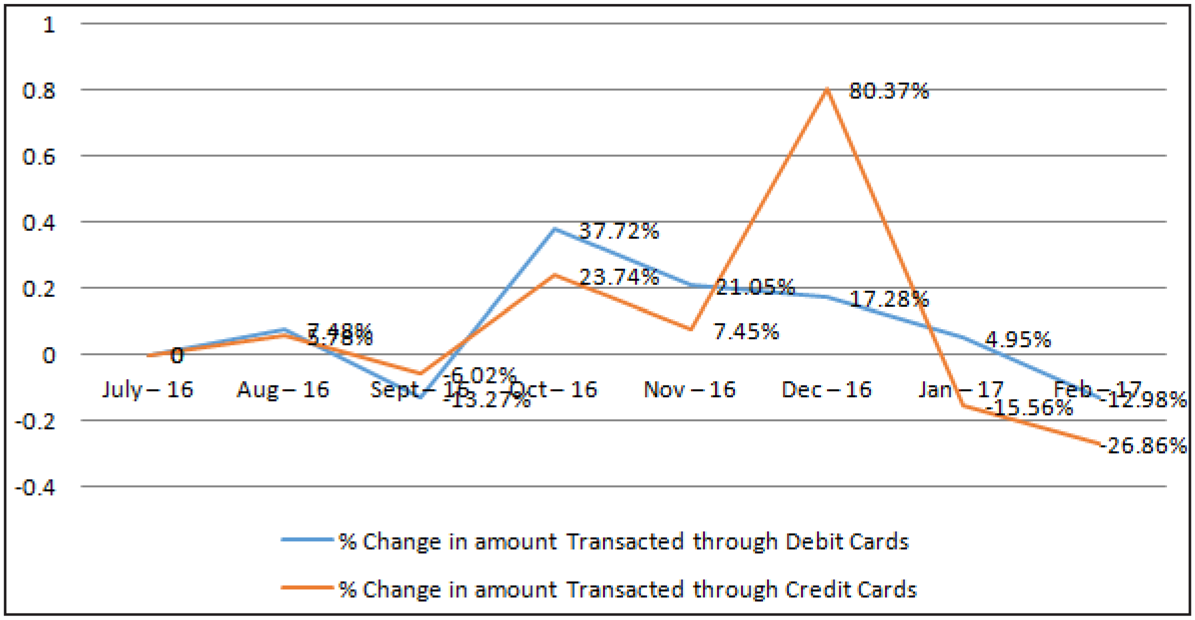

Source - Reserve Bank of India

****

Demonetisation In Black Money&Effect On Economy

Dr. Archana Singhal *

Abstract - Two highest denomination currency notes—the 500 rupee note and the 1,000 rupee note—won't remain legal tender. The notes were demonetized at midnight on November 8. The move aimed to curb black money in the financial system. Black money is one of the factors holding back the economy In an address to the nation on November 8, India's prime minister, Narendra Modi, declared that the. The demonetization was a surprise. Since the announcement, the media discussed the pros and cons for consumers and the banking system. The Indian Economy which was billed as the "fastest growing major economy" in the world and the "only bright spot" among Emerging Markets seems to have slowed down even before the latest "shock therapy" of "demonetization Having said that, one must keep in mind the fact that as per the recent estimates by some economists, nearly 90% of the total cash in circulation has come back into the banking system and hence, the stated purpose of the Demonetization exercise which was to "extinguish" black money and enable the RBI to lower its liabilities thereby providing the government with a huge dividend seems to have been belied. Of course, there are some who now argue that the Indian Banking System is now "flush with cash" and this has enabled the government to "nudge" the RBI to cut rates as well as to allow banks to pass on the benefit of ample liquidity to consumers by lowering lending rates.

Introduction - The demonetization of the 500 rupee note and the 1,000 rupee note—the two highest currency denominations available in India—will likely hit the economy hard in the short term. The surprise move is expected to grind the consumption activity in the Indian economy to a virtual halt. The service sector, which dominates economic activity and involves a sizable chunk of cash transactions, will likely be hit the hardest. According to the RBI's (Reserve Bank of India) Annual Report for April 2015 to March 2016, the value of the currency notes at the end of March 2016 was 16.42 trillion Indian rupees. The 500 rupee and 1,000 rupee currency notes formed 86.4% of the value. In one stroke, the government removed 86.4% of the currency in circulation by value. In terms of volume, the currency notes of these two denominations formed 24.4% of a total 90.27 billion pieces. Also, RBI data showed that as of March 2016, 632,926 currency notes were counterfeit—known as an FICN (Fake Indian Currency Note). As a proportion of NIC (Notes in Circulation), the 1,000 rupee and 500 rupee notes were the highest. Nullifying these FICNs was also part of the demonetization move.

The biggest mission of demonetization is described as fighting black money. India's economy historically holds a big parallel economy where unreported income is the norm. Demonetization is a currency side step. That itself will not fight black income. The most important policy should be tax administration where the tax authorities can monitor expenditure and matching it with income of the respective individuals. The effectiveness of demonetization against black money depends upon the follow-up and supportive measures were made by the government. For example, the enactment of the modified Benami Transactions Act from November 1, 2016 will be a big associated tool in the hand of the government to tackle black income. Thus, to assess the effectiveness of demonetisation, we should examine how these steps are complementing each other to fights black money.

Demonetisation and its effect on black money - The biggest mission of demonetization is described as fighting black money. India's economy historically holds a big parallel economy where unreported income is the norm.Demonetization is a currency side step. That itself will not fight black income. The most important policy should be tax administration where the tax authorities can monitor expenditure and matching it with income of the respective individuals.The effectiveness of demonetization against black money depends upon the follow-up and supportive measures were made by the government. For example, the enactment of the modified Benami Transactions Act from November 1, 2016 will be a big associated tool in the hand of the government to tackle black income. Thus, to assess the effectiveness of demonetisation, we should examine how these steps are complementing each other to fights black money.

Already, several analysis projects that demonetization will bring several long-term besides netting black money deposited in the form of banned notes. Hence, it is logical to classify the black money fighting effect of demonetisation

*Asst. Professor (Economics) D.A.V. (P.G.) College, Muzaffarnagar (U.P.) INDIA

as (a) direct or immediate and (b) long term.

(A) Direct or immediate effects - Immediate effect of demonetisation comes through the netting of black money deposited in the banking system in the form of banned Rs 500 and Rs 1000 notes from November 10 onwards.Around Rs 12 lakh crore of the Rs 15.44 lakh crore demonetized currency is with banks now and the extent of black money identified out of this will be the direct effect. Here, it is believed that an estimated Rs 1.5 to 2 lakh crore may be identified as black income. Out of this, around Rs 1.2 lakh crores may be collected as taxes at 50% to 85% tax rate. If Rs 2 lakh crore is revealed as black money out of demonetisation, it will amount to around 1.75% of India's GDP. According to National Institute of Public Finance and Policy (NIPFP), black income amounts to nearly 40% of the coutnry's GDP.

(**B) Long term effects -** The long-term effect will be much impactful and depends considerably upon how government deploys more measures to depress the shadow or black economy.

Effect on Banks Deposit and Interest Rates - The growth in Bank deposits, which was at a 53 year low at the end of March 2016, has seen a spike ever since the demonetization was announced in India. The total deposits collected by banks amounted to Rs 6 trillion by 23rd of November 2016. With this rate of money deposited, entire INR 15 trillion of currency demonetized is expected to be deposited by end of December 2016. If most of these deposits being made in the banks are emergency savings of households, most of these deposits will be withdrawn after government uplifts the withdrawal limit.

Given the huge surge in liquidity post demonetization, major banks in India like the ICICI (NYSE:IBN), HDFC (NYSE:HDB) and SBI have lowered their interest rates. For fixed deposit between 390 days to 2 years, ICICI bank has lowered interest rate to 7.10% from 7.25% while HDFC has made a reduction of interest rates up to deposits of 1 year to 6.75% from 7% and to 6.5% from 6.75% on maturities ranging from one year to years. Similarly, SBI has also announced reduction of interest rates on deposits for select tenors. With the reduction in fixed deposit rates, a reduction in lending rate was on the cards. However, on Saturday, 26th November Reserve Bank of India (the Central Bank of the country) released a circular that banks will have to deposit a 100% CRR with the RBI on any incremental deposits due to demonetization. Although banks are seeking further clarification from the central government, if applied this move will shatter expectations of a sharp decline in interest rates

Demonetization and Its Impact on the Indian Economy- The Major impact of this decision is on the economy because it gives highly positive impact on the economic Stability in near future. The coming six to seven months are expected to witness a considerable level of deflation. Sectors like real estate, construction material, Gold, unorganized trade and services will see significant pain in the near time.

The Indian Economy which was billed as the "fastest growing major economy" in the world and the "only bright spot" among Emerging Markets seems to have slowed down even before the latest "shock therapy" of "demonetization". Indeed, the recently released growth figures from the CSO or the Central Statistical Office considered to be the official department that releases projected, and actual growth figures (apart from the RBI or the Reserve Bank of India and the Finance Ministry) hints at a slowdown in the Indian economy even during the quarter before demonetization happened.

While this is indeed cause for concern with projected growth figures revised downwards from 7.6 % to 7.1% for the financial year ending March 2017, what is cause for greater worry and even alarm is the view among some economists including the former Prime Minister Dr. Manmohan Singh (who is a reputed economist in his own right) that the current and ongoing attempt to flush out black money would shave a good 2% of the GDP or the Gross Domestic Product.

Having said that, one must keep in mind the fact that as per the recent estimates by some economists,nearly 90% of the total cash in circulation has come back into the banking system and hence, the stated purpose of the Demonetization exercise which was to "extinguish" black money and enable the RBI to lower its liabilities thereby providing the government with a huge dividend seems to have been belied. Of course, there are some who now argue that the Indian Banking System is now "flush with cash" and this has enabled the government to "nudge" the RBI to cut rates as well as to allow banks to pass on the benefit of ample liquidity to consumers by lowering lending rates.

However, the flip side of this has been that banks have cut their deposit rates as well which is natural considering that any cuts to lending rates have to be accompanied by cuts to deposit rates. This has resulted in a situation where banks with enough deposits seem to be encouraging spending more than saving and this can indeed create demand in the system since more money with consumers means more spending thereby leading to an uptick in sales of goods and services and which has the "multiplier effect" of resulting in more growth.

Conclusion - This paper presents the different aspects of black money and its relationship with policy and administrative measures in our country. It also reflects the policy and strategies that the Government has been pursuing in the context of recent initiatives, or need to take up in the near future, in order to address the issue of black money and corruption in public life. There is no doubt that existence of black money has a significant impact on social, economic and political levels of our lives which has a significant effect on the institutions of governance and conduct of public policy in the country. GDP of Country slightly decreases as compare with the previous year but we cannot say it will be same in future also. This intervention

is a one-time draining of this current stock of black money but unless the root causes of corruption are removed, corruption will continue. It is sort of like a dialysis, more of a short term cleaning up than a solution of the problem. It needs to be repeated periodically.

References :-

1. Gulati, Singh, Gurbir, (Jan. 2017) Impact of Demonetization on Textile industry, www.indiaretailing.com
2. Das, Samantak, (Jan. 2017), impact of Demonetization on Real estate, Chief Economist and national director, Knight Frank, www.livemint.
3. Vijay Kumar Singh, (January 2009) “Controlling money laundering in India– problems & perspectives” To be presented at the 11th Annual Conference At the Indira Gandhi Institute of Development Research.
4. White paper/may 2012/ Black money/Ministry of finance, department of revenue. New Delhi.
5. The Times of India/Black money government Submits names, files & status report/html .
6. www.encyclopedia.com/wiki/corruption in india.html.
7. www.worldpress.com/my economist/ Black money in Swiss Bank.html.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) July to September 2017, Vol. II

Tribal Development Programmes And Policies During The Plan Period In India

Dr. Komal Sharma *

Introduction - We formulated the Five-year plans where the state makes long term plans for integrated development of the country. On the basis of these plans, India molded her tribal development programmes. A review of the tribal development programmes of the first six five year plans show that tribal development programmes in India had been marked by two broad approaches such as:- Community Approach at block level and The Integrated Tribal Development Approach under the Tribal Sub Plan. To meet the special needs of the tribals, tribal Development Blocks were set up on the lines in areas of high tribal concentration. The original idea for setting up of Tribal Development Blocks was to cater to the specific needs of the tribal areas most of which fall in geographically isolated and hilly terrain with no development infrastructure. The community approach to Tribal Development though conceptually sound met with little success. The strategy under the tribal sub- plan was to build their inner strength to enable tribes to meet new challenges. During the Seventh Five Year Plan period there were radical changes in the formulation of tribal plans. The strategy of Eighth Plan also specifically aimed at improving the living environment of the tribals by giving them better social and civic amenities and facilities.The main objectives of the Ninth Plan was to ensure food and nutritional security for all, particularly the vulnerable sections of society. The Tenth Plan continued the approach of Ninth Plan of Social Empowerment through promotion of new educational development schemes, Economic Empowerment through employment-cum-income generation activities and Social Justice through elimination of all types of discrimination. The Eleventh Plan provided an opportunity to restructure policies for faster, more broad-based and inclusive growth. The Twelfth Plan aimed to achieve overall improvement in the socio-economic conditions of the Scheduled Tribes. This paper discusses the various government strategies for development of tribes during the Plan period in India. The planning commission laid down the objectives and strategies for tribal development from time to time.

The following are the account of the tribal welfare programmes in India during the various plans.

The First Five Year Plan (1951-1956) - The First Five Year Plan outlined a positive policy for assisting the tribals as under:

Assisting them to develop their natural resources and to evoke a productive economic life wherein they will enjoy the fruits of their own labour and will not be exploited by more organized economic forces from outside;

It is not desirable to bring about changes in their religions and social life, except at the initiative of the tribal people themselves and with their willing consent;

It is accepted that there are many features in tribal life which should not only be retained but also developed; and The qualities of their dialects, and the rich content of their arts and crafts also need to be appreciated and preserved.

First Five Year Plan (1951 -1956) - Community Development Projects for all round development of rural areas especially the weaker sections were started.

Second Five Year plan (1956 -1961) - During this plan the Ministry of Home Affairs provided fund to the Ministry of Community Development to establish Special Multi-purpose Tribal Blocks (SMPT) in areas with prominent tribal population.

Third Five Year plan (1961 -1966) - Towards the end of the second plan, i.e., in 1959, the government of India appointed a committee under the chairmanship of Verrier Elwin to review the SMPT Blocks. According to the recommendations of this committee, during the Third Plan period, SMPT Blocks were renamed as Tribal Development Blocks (TDB) and suggested it to be opened in all areas where over 60% of the population were tribals. In addition to the normal allotment of Rs 12 lakhs to a community development block, a provision of Rs 10 lakhs for 1st stage, and RS 5 lakhs for 2 nd stage for TDB was also made.

Three Annual Plans (1966 -1969) - During this period no special funds were provided for tribal development. However in 1969-70 a decision was taken to extent the total life of TDBs to 15 Years by incorporating a new stage three. During the 3rd stage each TDB was given Rs 10 lakhs.

Fourth Five Year Plan (1969- 1974) - During the Fourth Five Year Plan, a series of programmes were conceived and addressed to specific target groups. The Small Farmers Development Agencies (SFDA) and Marginal Farmers and Agricultural Labourers Development Agencies (MFAL) were the first two in the series. In these cases, attention was

*Asst. Professor (Economics) Mahila P.G. Mahavidyalaya, Jodhpur (Raj.) INDIA

shifted from area development to development of identified individuals who qualified for special attention according to certain objective criteria.

The Drought Prone Area Programme (DPAP) was another measure in the same direction but with a difference. Tribal Development Agencies (TDA's) were established on the pattern of SFDA which addressed themselves to the problems of the tribal population. The level of investment in the new programme was much higher compared to TD Block. Six tribal development agencies were started during the Fourth Plan. Each Tribal Development Agency covered a group of TD Blocks. Tribal Development Agencies were expected to comprise elements of economic development, social services and prospective measures.

Fifth Five Year Plan (1974 - 79) - During the Fifth Five Year Plan, an altogether new approach was adopted towards tribal development. This was termed as Tribal Sub-plan. It envisaged the total development of the tribal areas and provided the mechanism for integrating the developmental activities of the government and the semi government organizations by financing through the Integrated Tribal Development Project (ITDP). The Sub-Plan aimed at narrowing the gap between the levels of development of tribal and other areas, and to improve the quality of life of the tribal communities in general.

Sixth Five Year Plan (1980 -85) - The strategy of development laid emphasis on consolidation of the gains of protective measures, programmes of full employment, education and health services.. The approach in the Sixth Plan for the development of backward areas in general was to rely, to a greater extent, on the development of agriculture, village and small-scale industries subsidiary occupations and related services and also the Minimum Need Programmes and Area Development Programmes. Improvement of economic status of the tribals should be the first concern and suitable programmes of horticulture, cattle development, poultry and piggery etc were carried out.

Seventh Five Year Plan (1985 -90) - The Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Limited (TRIFED) was set up by the Government of India in 1987, with the prime objective of providing marketing assistance and remunerative prices to ST communities for their minor forest produce and surplus agricultural produce and to wean them away from exploitative private traders and middlemen.

Eighth Five Year Plan (1992 -97) - The strategy of Eighth Plan also specifically aimed at improving the living environment of the tribals by giving them better social and civic amenities and facilities. The working group has recommended that the objective of the Seventh Plan would continue for the eighth plan period.

In the Eighth Five Year Plan, Tribal Sub-Plan (TSP) area, MADA (Modified Area Development Approach), Scattered Development Plans, and Primitive Tribe Development Plans for the tribal development approach have been stressed." Despite the effects to diversify economic activities in non-formal sectors, the predominant source of livelihood in TSP area continuous to be agriculture. During the Eighth Plan these areas would provide supplemental income and new avenues of employment to the tribals. Human resources development through education, vocational/craftsman training would be taken up to improve the skills of the tribals.

Vocational Training in Tribal Areas - The main aim of this scheme was to develop the skill of the tribal youth in order to enable them to gain employment/self employment opportunities.

Ninth Five Year Plan (1997-2002) - Based on pre-agricultural level of technology, low level of literacy, declining or stagnant populations, 75 tribal communities in 17 States and 1 Union Territory of Andaman & Nicobar Island, had been identified and categorized as Primitive Tribal Groups (PTGs).

The main objectives of the Ninth Plan were the generation of adequate productive employment, eradication of poverty, empowerment of women and socially disadvantaged groups. It aimed to ensure food and nutritional security for all, particularly the vulnerable sections of society.

The Tenth Five Year Plan(2002-07) - The plan approached to solve the persisting tribal problems through providing basic minimum services, viz. food, nutrition, safe drinking water, primary health care, education, safe environment, productive assets at least at the level of survival and sustenance with a special focus on women, children and Primitive Tribal Groups; promoting educational development among the tribals especially through reducing drop-outs rates and encouraging enrolment/retention with a special focus on women ant the girl children ; making education relevant and suitable to their milieu, local situations and functional needs besides vocationalisation of education to equip the tribal youth with the most wanted technical knowledge and upgradation of skills; developing Forest Villages, on priority basis, by ensuring basic infrastructure and with the basic minimum services for those tribals living therein; ensuring food and nutrition security so as to prevent deficiency diseases due to hunger, under nutrition, starvation and malnutrition.

Rajiv Gandhi National Fellowship Scheme (RGNF) - This Scheme was introduced in the year 2005-06. Under the Scheme, fellowship is provided to ST students for pursuing higher studies such as M.Phil. and Ph. D. The maximum duration of a fellowship was 5 years.

The Eleventh Five Year Plan(2007-2012) - The approach of the plan was to bring a paradigm shift in the overall empowerment of the tribes. During this plan the government approved the National Rehabilitation and Resettlement Policy 2007, with the objectives of minimizing displacement and promoting non-displacing or least-displacement alternatives , ensuring adequate and expeditious rehabilitation with participation of the Project Affected Families (PAFs)— through an independent

authority, providing a better standard of living with sustainable income , integrating rehabilitation concerns into development planning and implementation.

The Twelfth Five Year Plan(2012-2017) - The perpetuation of socio-economic backwardness among the STs, inspite of the efforts made so far, presents a formidable challenge demanding effective and result-oriented steps in every developmental sector in the Twelfth Plan. The approach of the Twelfth Five Year Plan like the Eleventh Plan is to achieve overall improvement in the socio-economic conditions of the Scheduled Tribes. But the Twelfth Plan has no specific policy or programme for tribal development.

Conclusion - The travails of tribal development need to be understood properly. A pragmatic and holistic approach to tribal development alone can produce good results. While some achievements are a matter of satisfaction as various development plans, policies and programmes have brought forth a perceptible improvement in the socio-economic status of the Scheduled Tribes, a lot more needs to be done with concerted focus on the issues crucial to improve their status on par with the rest of the population.

References :-

1. B.S. Vasudeva Rao, “Tribal Development Studies”, Associated Publishers, Delhi-2005.
2. Bhowmik, Sharit (1981) Class formation in the plantation system. People’s Publishing House New Delhi 1'-3- 13.
3. Chaudhary, Shyam Nandan, “Tribal Development Since Independence”, Concept publishing company, New Delhi, Pg-180.
4. Documents of 11th Five Year Plan, Planning Commission, Government of India.
5. Documents of 12th Five Year Plan, Planning Commission, Government of India.
6. Elwin Verier (1959) A Philosophy of NEPH 2"”dn. Sh~lose P. 8 136
7. Panda, Nishakar(2006) “ Policies, Programmes, and Strategies for Tribal Development” Kalpaz Publications, Delhi.
8. Report of the Steering Committee on Empowering the Scheduled Tribes, for The Tenth Five Year Plan (2002-2007), Planning Commission, Government of India, New Delhi October- 2001.
9. Singh K.S (1970) The Mahatma and the Adivasis. Man in India vol 50. No.1 January - March 1970.
10. Singh K.S. OP. cited P.1219
11. Singh OP. cited P. 1320
12. Singh.K.S. (1982) Transformation of Tribal Society: Integration Vs Assimilation Economic and Political Weekly Vol XVI No.33 Aug 14"' P. 13 12-20
13. http://pib.nic.in/feature/feyr2000/ffeb2000/f110220001.html.

****

बड़वानी जिले में आधुनिक कृषि तकनीकों की प्रगति का उत्पादन एवं उत्पादकता पर प्रभाव

सुनिता सोलंकी * डॉ. संग्राम भूषण **

शोध सारांश – मानव सभ्यता विकास के प्रारम्भ से ही कृषि, लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन रही हैं, जो कि आय एवं व्यवसाय का भी प्रमुख स्त्रोत है। भारत की जी.डी.पी. में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का 13.14 प्रतिशत योगदान है। वहीं बड़वानी जिले की कुल जनसंख्या का 49 प्रतिशत कृषि कार्य में लगी हुई, लेकिन फिर भी जिस अनुपात में उत्पादन होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। इसका प्रमुख कारण पारम्परिक कृषि पर विश्वसनीयता को आधार माना है। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए पारम्परिक कृषि के स्थान पर आधुनिक कृषि को प्रतिस्थापित करके ही उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकता है।

शब्द कुंजी – अर्थव्यवस्था, आधुनिक तकनीकी, पीलो प्रोजेक्ट, आई.ए.डी.पी. आदि।

प्रस्तावना – भारत की आधे से अधिक जनसंख्या गाँवों में निवासरत् है जिसकी जीविका का मुख्य साधन खेती एवं पशुपालन है। हमारे देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों का योगदान लगभग 13.14 प्रतिशत है। देश के आर्थिक विकास में कृषि का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। भारत की कुल जनसंख्या का 68 प्रतिशत भाग कृषि कार्य में लगा हुआ है। परन्तु फिर भी भारतीय कृषि स्तर में प्रगति नहीं हुई है।

विश्व की अन्य देशों से तुलना करने पर स्पष्ट होता है कि उनकी उत्पादकता विश्व के अन्य देशों की तुलना करने पर स्पष्ट होता है कि उनकी उत्पादकता भारत से काफी अधिक है। इसका मुख्य कारण यह है कि भारत में आज भी अधिकांश परम्परागत तरीकों से खेती की जाती है। इसी खाद्यान्न की दशा को देखते हुए प्रथम पंचवर्षीय योजना में सात आईएडीपी जिलों में एक मार्गदर्शी परियोजना के रूप में किया गया। इसके बाद अधिक उपजाऊ किस्म के बीज के प्रोग्राम को आईएडीपी के साथ जोड़ दिया गया और इस विकास विधि को पूरे देश में विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया। इसे हरित क्रांति कहने की बजाए यह कहना बेहतर है कि इसे भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण कहा जाए। पारम्परिक कृषि अधिकतर देशीय आदानों पर निर्भर करती है। इसमें कार्बनिक खाद, साधारण हलों एवं अन्य आदिकालीन कृषि औजारों का प्रयोग होता था। इसके विपरित आधुनिक तकनीक में रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाई, उन्नत किस्मों के बीज, विस्तृत सिंचाई, कृषि मशीनरी, डीजल और विद्युत शक्ति का प्रयोग सम्मिलित है।

इसी तरह मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले में आधुनिक कृषि तकनीक में उन्नत खाद, उन्नत किस्म के बीजों, रासायनिक कीटनाशक दवाई एवं कृषि यंत्रीकरण एवं सिंचाई का तेजी से विस्तार हो रहा है।

उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग 2002-03 में 521715 था जो बढ़कर 2006-07 में 648441 हो गया। इसी तरह उर्वरक खाद का उपयोग 2002-03 में 11090 था, जो बढ़कर 2007 में 12790 हो गया। वहीं यंत्रीकरण में ट्रेक्टरों की बिक्री 2002-03 में थी, जो 2006-07 में बढ़कर हो गई। परन्तु फिर भी भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ पूँजी का अभाव हैं एवं श्रम की प्रचुरता एवं भूमि का विखण्डन होने के कारण आंशिक मशीनीकरण ही हो सका है।

शोध के उद्देश्य एवं शोध प्रविधि –

1. बड़वानी जिले में आधुनिक कृषि तकनीक प्रगति का अध्ययन करना।
2. बड़वानी जिले में आधुनिक तकनीक के उपयोग से उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि का अध्ययन करना।

प्रस्तुत शोध द्वितीय समंकों पर आधारित है।

तालिका क्रमांक 1 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका क्रमांक 1 से स्पष्ट होता है कि बड़वानी जिले की आधुनिक कृषि तकनीकी प्रगति को तालिका द्वारा दर्शाया गया है। ( ) में कुल प्रतिशत को दर्शाया गया है।

तालिका क्रमांक – 2 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका क्रमांक 2 से स्पष्ट होता है कि कुल रबी फसलों में बीज उपचार क्विंटल में वर्ष 2008 में 22.05 प्रतिशत था, जो वर्ष 2014-15 में 0 प्रतिशत की वृद्धि आंकी गई। वहीं कीटनाशक दवाई में 2008-09 में 17.33 प्रतिशत था जो वर्ष 2014-15 में 50 प्रतिशत की वृद्धि पाई गई। कीटनाशक तरल लीटर में वर्ष 2008-09 में 49.32 प्रतिशत था जो 2014-15 में -38.96 प्रतिशत घट कर हो गया। कल्चर में अगर देखा जाएतो वर्ष 2008-09 में 47.26 प्रतिशत था, जो वर्ष 2014-15 में बढ़कर 96000 प्रतिशत वृद्धि पाई गई चूंकि इन 7 सालों में कई गुना वृद्धि देखी गई। कृषि ऋण को आगर देखा जाए तो वर्ष 2008-09 में 951 लाख रू. ऋण था जो वर्ष 14-15 में 10500 लाख रू. हो गई।

तालिका क्रमांक – 3 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका क्रमांक 3 से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2008-09 में बीज उपचार क्विंटल में 102.32 प्रतिशत थी, जो 2014-15 में घटकर 7.96 प्रतिशत हो गया वहीं कीटनाशक पावडर में वर्ष 2008-09 में 76.71 प्रतिशत था, जो वर्ष 2014-15 में घटकर 7.96 प्रतिशत हो गया वहीं कीटनाशक पावडर में वर्ष 2008-09 में 76.71 प्रतिशत था जो वर्ष 2014-15 में कटकर

* शोधार्थी (अर्थशास्त्र) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

25 प्रतिशत हो गया कीटनाशक तरल लीटर में देखा जाए तो वर्ष 2008-09 में 57.08 प्रतिशत था, जो बढ़कर 2014-15 में -32.90 प्रतिशत वृद्धि हुई हैं। वहीं कृषि ऋण को अगर देखा जाए तो 2008-09 में 1.87 प्रतिशत था, जो 2014-15 में घटकर -41.31 प्रतिशत हो गया समस्त तालिका के अध्ययन करने से हमें यह पता चलता है कि सबसे अधिक बढ़ोत्तरी बीज उपचार एवं कीटनाशक पावडर में वृद्धि हुई है। कृषि ऋण में -41.31 सबसे अधिक कमी पई गई।

तालिका क्रमांक - 4 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका क्र. 4 के आधार पर 13 वर्षो की अवधि में खरीफ फसलों के अन्तर्गत मक्का के क्षेत्रफल हेक्टेयर, उत्पादकता किलोग्राम कुल उत्पादन टन की वृद्धि दर का विश्लेषण किया जाए तो ज्ञात होता है कि मक्का के क्षेत्रफल हेक्टेयर में 26.69 व उत्पादकता कि.ग्राम (3.40) तथा कुल उत्पादन टन में (7.75) वृद्धि दर से परिवर्तन आया है। इसी प्रकार स्पष्ट है कि बड़वानी जिले मक्का में धनात्मक रूप से परिवर्तन आया है। इसी प्रकार उक्त 13 वर्षो में ज्वार में (-2.91) क्षेत्रफल हेक्टेयर में ऋणात्मक ढंग से परिवर्तन आया है। परंतु उत्पादकता किलोग्राम (4.19) एवं कुल उत्पादन टन में (1.15) धनात्मक रूप पविर्तन आया है।

बाजरा की स्थिति इन 13 सालों में तालिका देखने से स्पष्ट होता है कि बाजरा क्षेत्रफल हेक्टेयर में (-4.27) कमी की दर से ऋणात्मक परिवर्तन आए। जिससे उत्पादकता कि.ग्रा. में (0.70) की दर से वृद्धि तो हुई है लेकिन कुल उत्पादन में (-3.60) की दर से ऋणात्मक परिवर्तन देखा गया।

इसी प्रकार दलहनी फसलों में मूंग, उड़द, अरहर को शामिल किया गया है। 13 वर्षो की अवधि में मूंग दाल को देखा जाए तो मुंग क्षेत्रफल हेक्टेयर (-0.91) उत्पादकता कि.ग्रा. (1.97) एवं उत्पादन टन में (-2.86) में परिवर्तन आया है। क्षेत्रफल एवं कुल उत्पादन में ऋणात्मक रूप परिवर्तन देखा गया परन्तु उत्पादकता घनात्मक रूप से परिवर्तन आया है। 13 वर्षो की अवधि में देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि उड़द में क्षेत्रफल हेक्टेयर में (-1.19) ऋणात्मक रूप से परिवर्त आया, उत्पादकता कि.ग्रा. में (0.37) धनात्मक रूप से वृद्धि एवं कुल उत्पादन टन में (-0.82) ऋणात्मक रूप से परिवर्तन आया। इसी प्रकार अरहर में कमी आई। इसी प्रकार उत्पादकता कि.ग्राम में धनात्मक एवं कुल उत्पादन में (-) रूप में ऋणात्मक कमी आई है। विश्लेषणसे स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक समस्या दलहनी फसलों के ऋणात्मक वृद्धि दर अरहर में परिवर्तन देखा गया है। एवं सबसे कम उड़द में ऋणात्मक वृद्धि दर में परिवर्तन को देखा गया है।

तिलहनी फसलों को देखा जाए तो इन 13 वर्षो में सोयाबीन में क्षेत्रफल हेक्टेयर में (1.65) धनात्मक से वृद्धि हुई है। एवं उत्पादकता में (-3.23) तथा कुल उत्पादन में (-1.63) ऋणात्मक वृद्धि दर से परिवर्तन आया है। इससे यह स्पष्ट होता हे कि जिस प्रकार से क्षेत्रफल बढ़ा उस प्रकार से उत्पादकता कि.ग्राम एवं उत्पादन टन में कमी पाई गई है। मानसून अभाव के कारण दोनों में कमी पाई गई है। मूंगफली को देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि 13 वर्षो में क्षेत्र हेक्टेयर में (-3.42) उत्पादकता कि.ग्रा. (2.22) कुल उत्पादन में (-5.57) तीनों में ऋणात्मक दर से परिवर्तन आया।

विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि समस्त तिलहनी फसलों में ऋणात्मक रूप से सबसे अधिक मुंगफली में पाई गई एवं सबसे कम ऋणात्मक रूप से सबसे कम सोयाबीन में देखा गया। म.प्र. को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है।

रबी फसलों में गेहूँ को अगर देखा जाए तो 13 वर्षो तालिका देखने से स्पष्ट होता है कि गेहूँ क्षेत्र हेक्टेयर में (2.92) धनात्मक रूप से वृद्धि दर में परिवर्तन आया। उत्पादकता कि.ग्रा. (2.92) एवं कुल उत्पादन में (5.72) की दर से धनात्मक रूप से वृद्धि पाई गई है। इसी प्रकार तालिका विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि गेहूँ में 13 वर्षो में क्षेत्र हेक्टेयर उत्पादकता तथा कुल उत्पादन में धनात्मक रूप से वृद्धि पाई गई।

निष्कर्ष - अत: निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि बड़वानी जिले में 59 प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है, जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। कृषि ही उनका जीवन निर्वाह का साधन है। बड़वानी जिले में आधुनिक तकनीक का उपयोग प्रगति पर है, जैसे रासायनिक खाद, उन्नत बीज, कीटनाशक दवाई, मशीनीकरण, ऋण, सिंचाई सुविधा, फसल बीमा, विद्युत आदि के प्रयोग में बढ़ोत्तरी हुई है। जिसके कारण कृषि उत्पादक एवं उत्पादकता में तेजी से विस्तार हुआ है। किन्तु फिर भी बड़वानी जिले में पूंजी का अभाव, जोत की विखण्डता एवं श्रम की प्रचुरता के कारण आंशिक ही मशीनीकरण हो पाया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मौलिक जयपाल सिंह (जून 2013), बढ़ता कृषि उत्पादन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली - 110011 पृ. 7.
2. रामरतन शर्मा (2009), विकास का अर्थशास्त्र एवं नियोजन, म. प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, पृ. 517.
3. मौलिक जयपालसिंह (जून 2013), बढ़ता कृषि उत्पादन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली - 110011, पृ. 7.
4. रूद्र दत्त एवं के. पी. सुन्दरम (1995), भारतीय अर्थव्यवस्था, एस चन्द एण्ड कम्पनी लि. नई दिल्ली 613-14.
5. जिला सांख्यिकीय पुस्तिका जिला बड़वानी।
6. कार्यालय उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग जिला बड़वानी।
7. तदैव।

तालिका क्रमांक 1

कार्यालय उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा वितरित उर्वरक, बीज, खाद, कृषि यंत्र, बायोगैस, नलकूप, ताल एवं विद्युत पम्प की वर्षवार प्रगति का अध्ययन (2005–06 से 2014–15)

क	विवरण	इकाई	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07	वर्ष 2007-08	वर्ष 2008-09	वर्ष 2009-10	वर्ष 2010-11	वर्ष 2011-12	वर्ष 2012-13	वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15	वर्ष 2015.16	योग
1	प्रमाणित बीज वितरण	क्विं. टन में	20559 (3.97)	29824 (5.76	39199 (7.57)	30289 (5.85)	44420 (8.58)	48113 (1.29)	54285 (10.49)	54957 (10.62)	69.79 (13.35)	65785 (12.71)	60812 (11.78	51738 (100)
2	उर्वरक वितरण	संख्या	38445 (5.05)	45031 (5.92)	58133 (20.80)	59593 (7.83	68403 (8.19)	86742 (11.40)	105192 (13.83)	102099 (13.42)	121810 (16.02)	95870 (12.61)	84123 (11.06)	75584 (100)
3	कृषि यंत्र हस्त बैल चलित		2016 (7.85)	2198 (8.56)	5070 (19.74)	3246 (12.64)	1864 (7.26)	2345 (9.13)	1200 (4.67)	1950 (7.59)	1532 (5.96)	1650 (6.42)	2600 (10.12	25671 (100)
4	शक्ति चलित यंत्र		15 (4.34)	12 (2.20)	84 (24.34)	7 (2.02)	8 (2.31)	15 (4.34	65 (18.84)	18 (5.21)	75 (21.73)	10 (2.87)	36 (10.43	345 (100)
5	ट्रेक्टर		7 (5.73)	6 (4.91)	3 (2.45)	7 (5.73)	7 (5.73)	10 (8.19)	21 (17.21)	33 (27.04)	0 0	11 (9.01)	17 (13.93)	122 (100)
6	रोटावेटर		0	6 (1.17)	0	0	0	34 (6.65)	80 (15.65)	112 (21.91)	80 (15.65)	113 (22.11)	86 (76.82)	511 (100)
7	ड्रिप सिंचाई		200 (9.37)	205 (9.60)	16 (0.74)	182 (8.52)	173 (8.10)	21 (0.98)	250 (11.71)	210 (9.84)	120 (5.62)	194 (23.14)	263 (12.30)	2134 (100)
8	स्प्रिंकलर		58 (2.23)	60 (2.31)	10 (0.38)	299 (11.53)	159 (6.13)	253 (9.75)	355 (13.69)	245 (9.44)	683 (26.34)	371 (14.38)	100 (3.85)	511 (100)
9	पाइप लाईन		19 (0.52)	76 (2.09)	175 (4.82)	109 (3.00)	40 (1.10)	611 (16.85)	380 (9.02)	100 (30.30)	672 (17.15)	593 (10.83	101 (2.78)	2131 (100)
10	बायोगैस		171 (10.70)	156 (9.76)	114 (7.13)	223 (13.96)	201 (12.58)	150 (9.39)	131 (8.20)	136 (8.51)	125 (7.82)	125 (7.52)	90 (11.89)	2593 (100)
11	नलकूप खनन		56 (2.47)	107 (4.72)	85 (3.75)	146 (6.44)	291 (12.85)	284 (12.54)	223 (9.84)	374 (16.51)	196 (8.65)	247 (10.90)	255 (11.20)	3626 (100)
12	बलराम ताल		0	0	25 (15.62)	24 (15)	15 (9.37)	20 (12.5)	5 (3.12)	16 (10)	25 (15.62)	21 (13.12)	9 (5.62)	1622 (100)
13	विद्युत पम्प		0	0	0	98 (4.26)	0	667 (29)	780 (33.91)	470 (0.20)	40 (1.73)	205 (8.91)	40 (1.73)	2264 (100)

स्रोत – कार्यालय उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, बड़वानी (म.प्र.)

तालिका क्रमांक – 2

रबी फसलों के बीज उपचार (क्विंटल) कीटनाशक दवाई (लीटर में) कीटनाशक पावडर (क्विंटल में) कल्चर पैकेट एवं कृषि ऋण (लाख रू. में)

वर्ष	बीज उपचार क्विंटल में	प्रतिशत	कीटनाशक पावडर क्विंटल में	प्रतिशत	कीटनाशक तरल लीटर में	प्रतिशत	कल्चर पैकेट	प्रतिशत	कृषि ऋण
2008-09	68	-	17	-	1930	-	29200	-	951
2009-10	83	22.05	75	77.33	978	49.32	43000	47.26	1000
2010-11	105	26.50	2	-97.33	1000	2.24	48000	11.62	NA
2011-12	175	66.66	50	2400	1250	25	48200	0.41	6168
2012-13	190	8.57	1	-9.8	23480	17.78	36840	30.83	81085
2013-14	210	10.52	2	100	1540	-93.44	48500	31.65	16754
2014-15	210	0	3	50	1600	-38.96	38900	96000	10560

स्त्रोत- कृषि कल्याण विभाग बड़वानी (म.प्र.)

तालिका क्रमांक – 3

खरीफ फसलों में बीज उपचार क्विंटल में कीटनाशक दवाई लीटर में कल्चर पैकेट एवं कृषि ऋण लाख रू. में

वर्ष	बीज उपचार क्विंटल में	प्रतिशत	कीटनाशक पावडर क्विंटल में	प्रतिशत	कीटनाशक तरल लीटर में	प्रतिशत	कृषि ऋण	प्रतिशत
2008-09	116.15	-	146	-	54290	-	6348	-
2009-10	235	102.32	258	76.71	33378	57.08	6467	1.87
2010-11	265	12.76	122	52.71	13340	-14.72	8105	25.32
2011-12	191	-27.92	200	63.93	46250	128.57	18034	122.50
2012-13	440	130.36	26	68.87	73400	-5.66	25333	40.47
2013-14	565	28.40	12	-53.84	75932	-15.21	129979	413.08
2014-15	520	7.96	15	25	86600	-1532.90	76277	-41.31

स्त्रोत- कृषि कल्याण विभाग बड़वानी (म.प्र.)

तालिका क्रमांक – 4

विभिन्न फसलों का क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता की जानकारी

वर्ष	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-	GR 16
मक्का													
क्षेत्र (हेक्टेयर)	3227	33915	33836	33613	33945	33827	35680	39172	47145	47100	48008	55176	26.69
उत्पादकता (कि.ग्रा.)	2016	1804	1675	1780	1736	2017	2523	2679	4034	3413	3915	2889	
उत्पादन (टन)	65074	61183	56675	59831	58929	68299	90021	104942	190183	160752	187951	159403	7.75
ज्वार													
क्षेत्र (हेक्टेयर)	48135	48582	48407	46514	44736	42350	41250	44325	37135	37000	34493	33752	-2.91
उत्पादकता (कि.ग्रा.)	1466	1282	1583	1635	1385	1426	2249	3048	3182	2337	3150	2400	4.19
उत्पादन(टन)	70566	62282	76628	76050	61959	60391	92771	135103	118164	86469	108653	81005	1.15
बाजरा													
क्षेत्र (हेक्टेयर)	11478	10085	9752	9866	9308	7590	35680	7342	6434	6400	7480	6792	-4.27
उत्पादकता (कि.ग्रा.)	827	700	890	870	755	914	2523	1225	1269	1142	1654	900	0.70
उत्पादन(टन)	9492	7060	8679	8583	7028	6037	90021	8994	8165	7309	12372	6113	-3.60
मूंग													
क्षेत्र(हेक्टेयर)	7725	8020	8194	7991	7714	7125	7190	5647	5940	5900	6849	6921	-0.91
उत्पादकता (कि.ग्रा.)	498	437	525	659	570	515	541	851	751	686	521	392	-1.97
उत्पादन(टन)	3847	3505	4302	5266	4397	3669	3863	4727	4461	4047	3568	2713	-2.86
उड़द													
क्षेत्र(हेक्टेयर)	8750	9975	9508	9592	9935	8084	8175	7338	7210	7200	8009	7574	-1.19
उत्पादकता (कि.ग्रा.)	433	375	470	711	695	635	660	964	1062	962	1007	453	0.37
उत्पादन(टन)	3789	3741	4469	6820	6905	5133	5396	7074	7657	6926	8065	3431	-0.82
अरहर													
क्षेत्र(हेक्टेयर)	8750	8732	7835	6215	5867	5495	5560	4686	4265	4270	4325	4267	-5.80
उत्पादकता (कि.ग्रा.)	780	885	950	865	835	790	866	1003	860	666	900	800	
उत्पादन(टन)	6825	7728	7443	5376	4899	4341	4815	4700	3668	2844	3893	3591	
सोयाबीन													
क्षेत्र(हेक्टेयर)	27770	28207	27869	28791	31368	34998	31943	28355	34100	37500	27497	33804	1.65
उत्पादकता (कि.ग्रा.)	1365	1125	1272	1308	1138	1078	1447	1633	1739	1601	1515	920	-3.23
उत्पादन(टन)	37906	31733	35449	37659	35697	37728	46222	46304	59300	60038	41658	31100	-1.63
मूंगफली													
क्षेत्र (हेक्टेयर)	18497	17623	17020	17121	16538	14759	14998	10941	9915	9900	10129	12179	-3.42
उत्पादकता (कि.ग्रा.)	1166	918	1002	1018	815	868	904	1361	1390	1445	1473	890	-2.22
उत्पादन(टन)	21568	16178	17054	17429	13478	12811	13558	14891	13782	14306	14920	10839	-5.57
गेहूँ													
क्षेत्र(हेक्टेयर)	28361	15239	33843	32512	24077	35243	38100	36086	29000	43564	43175	39128	2.71
उत्पादकता (कि.ग्रा.)	2300	1788	2527	2628	1815	2530	2630	3515	3024	2867	3085	3252	2.92
उत्पादन(टन)	65230	27247	85521	85442	43700	89165	100203	126842	87696	124898	133195	127244	5.70

स्त्रोत – कार्यालय उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग जिला बड़वानी।

****

वस्तु और सेवा कर - साझा राष्ट्रीय बजार की ओर एक महत्वपूर्ण कदम

डॉ. अनामिका कौशिवा *

शोध सारांश – संविधान के 122 वें संशोधन से भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में वस्तु और सेवा कर (जी0एस0टी) लागू हुआ। जी0एस0टी0 एक एकीकृत, गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर है, जो बहुस्तरीय संग्रहण विधि पर आधारित है। भारतीय जी0एस0टी0 माडल में दोहरी कर प्रणाली अपनाई गई है और केन्द्रीय जी0एस0टी0 एवं राज्य जी0एस0टी0 1जुलाई 2017 से लागू करे गय है। जी0एस0टी0 में अभी तक लागू कई अप्रत्यक्ष कर समाहित करे गये– केन्द्रिय इक्साई, वैट सेवा कर, लक्सरी कर। इस कदम से दोहरे कराधान की समस्या का बढ़े पैमाने पर समाधान किया गया है। पूरे देश में एक समान कर लागू होने से 'साझा राष्ट्रीय बाजार' बनाने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अर्थशास्त्रियों और कर विश्लेशकों का विश्वास है की जी0एस0टी0 आर्थिक विकास की गति बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा।

कुजी शब्द – जी0एस0टी0, सी0सी0एस0टी0, गंतव्य आधरितकर, मूल्य बर्धित कर ।

प्रस्तावना – संविधान के 122 वें संशोधन से पूरे देश में लागू वस्तु एवं सेवा कर भारत में, आजादी के पश्चात्, सबसे महत्वपूर्ण कर सुधार है। अभी तक भारत में अनगनित अप्रत्यक्ष कर थे। जिन्हे केन्द्र और राज्य सरकार अलग – अलग लगाते थे एवं संग्रहित करते थे। जी0एस0टी0 एक एकीकृत कर है, जो अप्रत्यक्ष करों की दरो में समरूपता लाकर और आर्थिक बाधाओं को हटाकर भारत को एक साझा राष्ट्रीय बाजार बनाने का लक्ष्य पूरा करेगा। अब अधिकांश अप्रत्यक्ष कर – केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (excise) सेवा कर (service tax) वैट (VAT), मनोरंजन कर (entertainment tax) विलासता कर (Luxury tax) जी0एस0टी0 में समहित हो गए है। इस व्यवस्था से अप्रत्यक्ष कर के जटिल ढांचे से सम्बन्धित समस्याएं – कर पर कर (कैसकेडिंग) का दुष्प्रभाव, अन्तिम उपभोक्ता पर अत्याधिक कर भार– कम होंगी और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।

जी0एस0टी0 सर्वप्रथम, 1954 में फ्राँस में लागू हुआ था और आज 140 देशो में अपनाया जा चुका है। अधिकतर सभी देशों में एकल जी0एस0टी माडल है। भारत ने दौहरी जी0एस0टी0 प्रणाली अपनाई है जिसमें केन्द्रीय वस्तु सेवा कर (सी0जी0एस0टी0) एवं राज्य वस्तु सेवा कर (एस0जी0एस0टी0) लाग किये गये है।

वर्तमान शोध पत्र के उद्देश्य है –

1. जी0एस0टी0 की अवधारणा का विश्लेषण करना ।
2. जी0एस0टी0 के उदय एवं भारत में उसकी आवश्यकता का अध्ययन करना।
3. भारत में जी0एसटी0 माडल की विशेषताओं का अध्ययन करना।
4. जी0एस0टी0 के लाभ एवं आगे की चुनौतियों पर विचार करना।

यह शोध पत्र एक विश्लेषणात्मक अध्ययन है। इसमें प्रस्तुत विचार विभिन्न सरकारी रिर्पोटस, शोध पत्रों, सामाचार पत्र, पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखो आदि के गहन अध्ययन के आधार पर प्रस्तुत करे गए है।

A. भारत में वस्तु एवं सेवा कर का इतिहास – जी0एस0टी0 के लागू होने से पूर्व भारतीय अप्रत्यक्ष करों में एक बढ़ा सुधार सन् 2005 में किया गया था जिसके तहत बिक्री कर को वैट (value added tax) में बदल दिया गया। तत्पश्चात् देश में विनिर्मित वस्तुओं पर एक्साइज डयूटी देनी पडती थी एवं वस्तुओं की बिक्री पर वैट लगता था। सेवाओं पर सेवा कर लगाया जाता था। परन्तु वैट प्रणाली अपने मुख्या लक्ष्य–कर पर कर लगना– का अन्त करने में असफल रही।

जी0एस0टी0 की नीव सन 2000 में रखी गई। एन0डी0ए0 सरकार द्वारा असीम दास गुप्ता के निर्देश में एक सशक्त समिति का संगठन हुआ और उसे भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुरूप जी0एस0टी0 माडल विकसित करने का कार्य भार दिया गया।

2007 में यू0पी0ए0 सरकार के दौरान वित्तमंत्री पी0 चिदंमबरम ने अप्रैल 2010 के बजट में जी0एस0टी0 लागू करने का प्रस्ताव दिया। केन्द्र सरकार एंव मन्त्रियों के सशक्त समिति का गठन हुआ।

10 मई 2007 में जी0एस0टी0 पर प्रथम परिर्चचा प्रपत्र (एफ0डी0पी0) प्रस्तुत करा।

मार्च 2011 में संविधान के 115 वें संशोधन द्वारा जी0एस0टी0 लागू करने का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ परन्तु लोक सभा भंग होने के कारण यह पारित नहीं हो सका।

19 दिसम्बर 2014 को सरकार ने संशोधन कर के पुन: लोक सभा में संशोधित जी0एस0टी0 बिल प्रस्तुत करा और यह 6 मई 2015 को पारित हो गया। तत्पश्चात राज्य सभा में बहस के लिए प्रस्तुत हुआ।

अन्तत: 122वें संविधान संशोधन के रूप में जी0एस0टी0 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है।

B. भारतीय वस्तु और सेवा कर की विशेषताएँ – जी0एस0टी0 एक गंतव्य आधारित कर है। यह बहुस्तरीय संग्रहण विधि का अनुसरण करता है। इसमें प्रदाय (सप्लाई) के हर स्तर पर कर का भुगतान होगा एवं पिछले स्तर पर चुकाए गए कर का क्रेडिट प्रदाय के अगले स्तर पर सनंजन (set - off) के लिए उपलब्ध होगा।

- **बहुस्तरीय –** एक वस्तु निर्माण से लेकर अंतिम उपभोग तक कई

* एसोसियेट प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (अर्थशास्त्र) साहू राम स्वरूप महिला महाविद्यालय, बरेली (उ.प्र.) भारत

चरणों के माध्यम से गुजरती है। पहला चरण है, कच्चे माल को खरीदना। दूसरा चरण उत्पादन या निर्माण होता है। फिर, सामग्रियों के भण्डारण की व्यवस्था है। इसके बाद उत्पाद फुटकर विक्रेता के पास आता है और अंन्तिम चरण में विक्रेता उपभोक्ता को अंन्तिम माल बेचता है। इन सभी चरणों में जी0एस0टी0 लगाया जाएगा। अत: यह एक बहु–स्तरीय टैक्स है।

- **मूल्यसंवधर्न पर जी0एस0टी0 –** मान लें कि निर्माता एक शर्ट बनाना चाहता है। इसके लिए उसे धागा खरीदना होगा। यह धागा निर्माण के बाद एक शर्ट बन जाएगा तो धागे का मूल्य बढ़ जाता है फिर निर्माता इसे थोक विक्रेता को बेचता है, जो प्रत्येक शर्ट में लेबल और टैग जोडता है। इस से मूल्य का एक और संवर्धन हो जाता है। इसके बाद थोक विक्रता उसे फुटकर विक्रेता को बेचता है जो प्रत्येक शर्ट को अलग से पैकेज करता है और शर्ट के विपणन में निवेश करता है। इस प्रकार निवेश करने से प्रत्येक शर्ट के मूल्य बढ़ जाता है । इस तरह से प्रत्येक चरण में मौद्रिक मूल्य जोड दिया जाता है, जो मूल रूप से मुल्य संवर्धन होता है। प्रत्येक चरण पर होने वाले इस मूल्य संवर्धन पर जी0एस0टी0 लगया जाएगा। पूरे विनिर्माण श्रृंखला के दौरान होने वाले सभी लेनदेन पर जी0एस0टी0 लगाया जाएगा। इससे पहले जब एक उत्पाद का निर्माण किया जाता था, तो केंन्द्र विनिर्माण पर उत्पाद शुल्क या एक्साइडस ड्यूटी लगाता था। अगले चरण में, जब वस्तु को बेचा जाता है तो राज्य वैट जोड़ता है। फिर बिक्री के अगले स्तर पर एक वैट लगता था।
- जी0एस0टी0 के माडल में बिक्री के हर सतर पर जी0एस0टी0 लगाया जाएगा। मान लें कि पूरे निर्माण प्रक्रिया राजस्थान में हो रही है और कर्नाटक में अंतिम बिक्री हो रही है। राजस्थान राज्य को उत्पादन और वेयर हाउसिंग के चरणों में राजस्व मिलेगा। जब उत्पाद अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचता है। कर्नाटक अंतिम बिक्री पर राजस्व अर्जित करेगा, यह राजस्व बिक्री के अंतिम गंतव्य पर एकत्र किया जाएगा, जो कि कर्नाटक है।
- इस तरह भारतीय जी0एस0टी0ए माडल दोहरी कर प्रणाली पर आधारित है, जिसमें दो कर समहित है– केन्द्रीय जी0एस0टी0 (सी0जी0एस0टी0) एवं राज्य जी0एस0टी0 (एस0जी0एस0टी0)। इसके अतिरिक्त अन्तर्राज्यीय बिक्री के लिए केंन्द्र सरकार द्वारा अन्तर्राज्यीय जी0एस0टी0 (अई0जी0एस0टी0) मात्र लगाया जायेगा।

जी0 एस0 टी0 की संरचना (देखे आगे पृष्ठ पर)

- जी0एस0टी0 की एक और विशेषता है कि यह संयोजन श्रृंखला के एक सहज प्रवाह पर आधारित है। विनिर्माण प्रक्रिया के हर चरण में, व्यवसायों को पिछले लेनदेन में पहले से ही चुकाए गए टैक्स का दावा करने का विकल्प है।
- **इनपुट टैक्स के डिट** वह क्रेडिट है जो निर्माता को उत्पाद के निर्माण में इस्तेमाल किए गए इनपुट पर दिया गया कर के लिए प्राप्त होता है। इसके बाद शेष राशि सरकार को जमा करनी होगी, प्रत्येक चरण पर भुगतान किए गए इनपुट करों का लाभ मूल्य संवर्धन के बाद के चरण में उपलब्ध होगा। जो प्रत्येक चरण में मूल्य संवर्धन पर जीएसटी को आवश्यक रूप से एक कर बना देता है। अंतिम उपभोक्ताओं को इस प्रकार आपूर्ति श्रृंखला में अंतिम विक्रेता द्वारा लगाया गया जी0एस0टी0 ही वहन करना होगा। इससे पिछले चरणों के सभी मुनाफे समाप्त हो जाएंगें।

अन्य विशेषताऍं–

- जी0एस0टी0 में निम्नलिखित करों को समाहित करा गया है।

(i) केंद्रीय कर जो केन्द्र लगा रहा है और वसूल रहा है – केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, उत्पाद शुल्क (औषधिक एवं प्रसाधन उत्पाद), अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं), अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (वस्त्र एवं वस्त्र उत्पाद), अतिरिक्त सीमा शुल्क (जिसे सामान्यता सीवीडी के नाम से जाना जाता है), विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क (एसएडी), सेवा कर, उपकर और अधिकार जहॉ तक कि वे वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से संबन्धित है, को सी0जी0एस0टी0 समाहित करा गया

(ii) राज्य कर जो एस जीएसटी में समहित करे गए है वे है – राज्य वैट, केन्द्रीय बिक्री कर, खरीद कर, खिलसिता कर, प्रवेश कर, मनोरंजन कर (उनको छोड़कर जो स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जाते है।), विज्ञापनों पर लगाया जाने वाला कर, लाटरी पर लगाए जाने वाला कर, राज्य सेस और अधिभार जहां तक वे सेवाओं के सामान की आपूर्ति से संबन्धित है, इसके अतिरिक्त लोगों के द्वारा उपभोग किए जाने को, एल्कोहल को छोड़कार अन्य सभी प्रकार की वस्तुओं पर जीएसटी लागू होगा।,

- जीएसटी के पांच विशिष्ट पेट्रोलियम उत्पादों (कच्चा तेल,पेट्रोल,डीजल,एटीएफ और प्राकृति गैस) पर उस तारीख से लगाया जाएगा जिस तारीख से लगाने के लिए जीएसटी परिषद सिफारिश करेगी।,
- तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों पर भी जीएसटी लगाया जिस तारीख से लगाने के लिए जीएसटी परिषद सिफारिश करेगी।, इसके अतिरिक्त केंन्द्र इस पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगाता रहेगा।
- एक सामान्य थ्रेशोल्ड छूट लागू होगी। ऐसे करदाता जिनका कारोबार 20 लाख रूपए (संविधान के अनुच्छेद 279क में यथा विनिर्दिष्ट विशेष वर्ग के राज्यों के लिए 10 लाख रूपए) को जीएसटी से छूट प्राप्त होगी।
- छूट प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं की सूची छोटी रखी जाएगी और यथा संभव इसे केन्द्र और राज्यों के लिए और सभी राज्यों में एक समान रखा जाएगा। निर्यात जीरो रेटेड है–अर्थात् निर्यात पर जी0एस0टी0 नहीं लगेगा। वस्तुओं के आयात को अन्तर आपूर्ति माना जाएगा। और इस पर देय सीमा शुल्क आई0 जी0एस0टी लेगा।
- जी0एस0टी0 दरें – देश में जी0एस0टी0 दरों को मुख्यत: चार भागों में बाटॉ गया है (डश्ररली) – 5%,12%,18% और 28%

प्रमुख उत्पाद पर जी0एस0टी0 दरे

प्रमुख उत्पाद	पुरानी कर दरे	जी0एस0टी0 दरे
पैकेज्ड फूडप्रॉडक्टस	0%	5%
बिस्कुट	11%	18%
कृषि उपकरण (I)	8.79%	5%
कृषि उपकरण (II)	13.79%	12%
जूते/चप्पल रू0 500 से कम दाम पर	9.5%	5%
500 से अधिक सूती धागा	5%	5%
मानव निर्मित धागा	17.5%	18%
कपडा	0%	5%
रू0.1000 तकरू. 1000 से ज्यादा	7%	5% 12%

सोना	2%	3%
बीडी	26-27%	28%
बीडी पत्रि	5-26%	18%

C. जी0एस0टी0 कर परिषद – 12 सितम्बर 2016 से जी0एस0टी0 कर परिषद को अधिसूचित किया गया। अब तक इसकी 13 बैठक हुई है जिन्में कर लागू कर करने से सम्बन्धित मुख्य निर्णय लिए गए है– इनमें से प्रमुख है–

1. न्यून्तम छूट सीमा रू0 20 लाख (विशेष श्रेणी के राज्यों में रू0 10 लाख)
2. संयोजन न्यून्तम सीमा रू0 50 लाख।
3. कर दरे
4. पाँच जी0एस0टी0 कानून
5. पंजीकरण,इनबाक्स,भुगतान,रिटर्न और रिफंड के कानून आदि।

D. जी0एस0टी कर नेटवर्क (जी0एस0टी0एन0) – जी0एस0टी0एन0 का गठन एक निजी कम्पनी के रूप में किया गया है। जी0एस0टी0एन0 करदाताओं को तीन तरह की सेवा देगा – पंजीकरण, भुगतान, रिर्टन सम्बन्धि सेवा इसके लिए यह चुनी हुई आई टी, आई टी मॉडयूल्य विकसित करेगा। जी0एस0टी0एन0 की चुनी हुई आई0टी0, आई टी ईस तथा वित्तीय प्रौद्योगिकी कम्पनियां जी0एस0टी0 सुविधा प्रदाता विकसित करेंगी जिसका प्रयोग करदाता जी0एस0टी0एन0 के साथ सम्पर्क के लिए करेगें।

E. जी0एस0टी0 के लाभ

- **केन्द्र और राज्य सरकारों के लिए लाभ–**

(i) सरल प्रशासन – बहुआयामी अप्रत्यक्ष करों का जी0एस0टी0 में समावेश होने के बाद एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली का प्रयोग, जी0एस0टी0 के प्रशासन को सरल बनाएगा। कर प्रणाली में पारदर्शिता आएगी। कर का आंकलन आसान होगा एवं करों का सत्यता की जॉच सुगम होगी।

(ii) कदाचार पर बेहतर नियन्त्रण और अनुपालन को प्रोत्साहन मिलेगा।

(iii) उच्च राजस्व निपुणता।

- **व्यापारियों और उद्योग क्षेत्र को लाभ –**

(i) सी0जी0एस0टी0 और एस0जी0एस0जी0एस0टी0 की समान दरों से राज्य के अन्दर और अन्तर्राष्ट्रीय बिक्री में मनमानी दरे लागू नहीं होगी।

(ii) करों पर कराधान (कैसकेडिंग) में कमी के कारण व्यापार करने से उत्पन्न छुपी लागते कम होगी। इससे कीमतों में कमी आने की सम्भावना है।

(iii) प्रतिस्पर्धा में सुधार

(iv) जी0एस0टी0एन0 के पोर्टल एवं सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग कर प्रणाली में ज्यादा सुनिश्चितता आएगी। सभी सेवाएँ ऑनलाइन उपलब्ध होने से उनका अनुपालन सरल और पारदर्शी हो जाएगा।

(v) विलासता वस्तुएँ – मोबाइल, बैन्टेड जेवर, कार, रेस्टोरेन्ट की कीमतों में वृद्धि होगी।

(vi) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि

(vii) निर्यात में वृद्धि

(viii) रोजगार के स्तर में वृद्धि

(ix) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पधा में सुधार

इन सभी मदों से सरकार के 'मेक इन इण्डिया' अभियान को नई गति मिलेगी।

- **उपभोक्ता के लिए लाभ –**

(i) जी0एस0टी0 एकीकृत कर है अत: अंतिम उपभोक्ता पर कर भार कम होगा।

(ii) कर पर कराधान कम होने से उपभोक्ता वस्तुओं पर समग्र भार कम होगा। जिससे उपभोक्ता को लाभ मिलेगा।

- **जी0एस0टी0 और साझा राष्ट्रीय बाजार –** पूरे देश में एक समान कर लागू होने से यसाझा राष्ट्रीय बाजार बनाने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। सामान्य राष्ट्रीय बाजार से विदेशी निवेश को और 'मेक इन इंण्डिया' और यइज ऑफ डूइंग बिजनेस अभियान को बढावा मिलेगा।

(क) मेक इन इण्डिया –

(i) जी0एस0टी0 से करों के प्रपात को रोका जा सकेगा क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं पर तथा इनकी अपूर्ति के हर स्तर पर उपलब्ध होगी।

(ii) कानूनी प्रक्रियाओं और कर की दरों में एकरूपता आएगी।

(iii) निर्यात और उत्पादन क्रियाकलापों को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार का और अधिक सृजन हो सकेगा।

(iv) जी0एस0टी0 से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और भारतीय उत्पाद अंन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा ले सकेंगे।

(v) विदेशी निवेश में सुधार आएगा।

(vi) कंपनियों पर औसत कर भार कम होगा जिससे कीमतों में कभी आने की संभावना है। इससे खपत में बढोत्तरी होगी, उत्पादन बढेगा और उद्योगों के विकास में मदद मिलेगी। इससे भारत एक 'मैन्युफेक्चरिंग हब' के रूप में उभरकर सामने आएगा।

(ख) इज ऑफ डूइंग बिजनेस –

(i) कर व्यवस्था आसान होगी और छूटों की संख्या बहुत कम होगी।

(ii) करों की बहुलता में कमी, सरलता और एकरूपता आएगी।

(iii) कर अनुपालन लागत में कमी आएगी

(iv) विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं जैसे कि पंजीकरण, रिटर्न, रिफंड, कर भुगतान इत्यादि की जी0एस0टी0एन के सामान्य पोर्टल पर हो सकेगी। ऑनलाइन सत्यापन से कागज रहित संव्यवहार को बढ़ावा मिलेगा।

(v) करदाताओं के पंजीकरण, करों के रिफंड, करों के रिटर्न के एक समान फारमेट, करो के सामान्य आधार वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य वर्गीकरण आदि में ज्यादा से ज्यादा सुनिश्चित आएगी।

इस प्रकार जीडीपी में बढ़ोत्तरी होगी तथा लाभप्रद रोजगार पैदा होगा जिससे पर्याप्त आर्थिक विकास हो सकेगा और गरीबी के उन्मूलन में मदद मिलेगी क्योंकि अधिक रोजगार पैदा होंगे।

F. आगे की चुनौतियॉ – जी0एस0टी0 के सरल एवं कारगार क्रियान्वयन आगे आने वाले समय में सरकार के सामने एक बढी चुनौति है। अप्रत्यक्ष कर से सम्बन्धित सूचना प्रौद्योगिकी और संरचना में सुधार करने की आवश्यकता है। जी0एस0टी0 के प्रावधानों और प्रक्रिया के आधार पर सोफ्टवेयर की पुन: संरचना करने की प्रक्रिया शुरू करी जा चुकी है। मानव संसाधनों को बढ़ाया जाना भी आवश्यक है। जिसके द्वारा देश भर में जी0एस0टी0 करदारो को जी0एस0टी0 सम्बन्धी सूचना दी जाए और वाणिज्य करअधिकारियों को जी0एस0टी0 कानून और प्रक्रिया में प्रशिक्षण

हो।

कार्यान्बयन चुनौतियों को पूरा करना एवं केन्द्र और राज्य कर प्रशासनों के बीच समन्वय स्थापित करना जी0एस0टी को सफल बनाने एवं उसके लक्ष्य पुरा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जी0एस0टी केन्द्र और राज्य के करों के पूर्ण रूप से अपने में समहित कर चुका है। अत: समय के साथ लागतों में कमी आना वाछिंत है। इससे जैसे–जैसे 'मेक एन इन्डिया' और 'इज इन डुईगं बिजनेज' के लक्षय प्राप्त होगे, भारत का उद्योग क्षेत्र सशक्त होगा, अन्तराट्रीय प्रतिस्थति बढ़ेगी, निर्यात बढेगे और भारत एक सशक्त साझा राष्ट्रीय बजार बनेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. भारत सरकार , केन्द्रिय उत्पाद एवं सेवाशुल्क बोर्ड –माल और सेवा कर , एक परिचय
2. भारत सरकार , केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवस शुल्क बोर्ड–जी0एस0टी0 एफ0ए0क्यू0 , द्वितीय संस्करण, 2017
3. सुधीर हालाखाडी, जी0एस0टी0 ई–बुक,तृतीया संस्करण 2017, www.taxguru.in
4. Makherjee, Sacchidananada, `Present state of GST Reforms in India', Working Paper no. 2015 -154, Sept. 2015, National institute of public finance & Policy, New Delhi, www.nipfp.org.in
5. Sehrwat Monika, Upasana Dhanda, `GST in India: A key Tax Reform', International Journal of Research – Granthalaya , Vol- 3 (Issue 12; Dec 2015), Pg 133-141
6. Kumar P, `Impact of GST on Indian Economy' International Journal of Information and Futuristic Research, vol -4 , No- 4, Dec- 2016, Pg. 6006- 6012
7. Purohit C Mahesh, Veshau kauta Purohit, `Goods & Services Tax in India- Estimating Revenue Implications of the Proposed GST- Final report', 2010, Foundation for public Economics & Policy Research, New Delhi.
8. Reserve Bank of India,`GST: A Game Changer', 12 may 2019, hhtt://m.rbi.org.in/scripto/publications.
9. wwww.finmin.nic.in
10. wwww.GSTindia.com

जी0 एस0 टी0 की संरचना

लेन–देन	**नई प्रणाली**	**पुरानी व्यवस्था**	
राज्य के भीतर बिक्री	सी0जी0एस0टी0 + एस0जी0एस0टी0	वैट+केंद्रीय उत्पाद शुल्क/सेवा कर	राजस्व अब केंन्द्र औरके बीच साझा किया जाएगा।
दुसरे राज्यको बिक्री	आईजीएसटी	केंन्द्रीय बिक्री कर +उत्पाद शुल्क/सेवा कर	अन्तराजीय बिक्री में एक प्रकार का कर (केंन्द्रीय) होगा।

****

मध्यप्रदेश में औषधीय कृषि - अश्वगंधा के संदर्भ सहित

डॉ. शशि किरण नायक * डॉ. रोहिणी त्रिपाठी **

प्रस्तावना - अश्वगंधा खरीफ के मौसम में वर्षा शुरू होने के समय लगाया जाता है। अच्छी फसल के लिए जमीन में अच्छी नमी व मौसम शुष्क होना चाहिए। फसल सिंचित व असिंचित दोनों दशाओं में हो सकती है। रबी के मौसम में यदि वर्षा हो जाए तो फसल में गुणात्मक सुधार हो जाता है। इसकी खेती सभी प्रकार की जमीन में हो सकती है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में हुए परीक्षणों से पता चला है कि इसकी खेती लवणीय पानी से भी हो सकती है। लवणीय पानी की सिंचाई से अल्कलॉइड्स की मात्रा दो से ढाई गुणा बढ़ जाती है। खेती अपेक्षाकृत कम उपजाऊ व असिंचित भूमियों में करनी चाहिए, विशेष रूप से वहां जहां अन्य लाभदायक फसलें लेना संभव न हों या कठिन हों। भूमि में जल निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। फसल की अच्छी बढ़वार के लिए शुष्क मौसम व तापमान 35 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। इस फसल के लिए 500 से 700 मिमी वर्षा वाले शुष्क व अर्ध-शुष्क क्षेत्र उपयुक्त हैं।

कम खर्च, कम सिंचाई और कम मेहनत में किसान अश्वगंधा से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। नीमच-मंदसौर के किसान बड़े पैमाने पर अश्वगंधा की खेती कर रहे हैं। अश्वगंधा की खेती ठंडे प्रदेशों को छोड़कर देश के सभी भागों में होती है। मुख्य रूप से यह मध्यप्रदेश के पश्चिमी भाग (मंदसौर, नीमच, मनासा, जावद, भानपुरा तहसील) और राजस्थान के नागौर की अश्वगंधा की अलग पहचान है।

देश में अश्वगंधा की काफी मांग है। प्रदेश में इसकी खेती लगभग 4300 हेक्टेयर में होती है। इसमें तकरीबन 1650 टन प्रति वर्ष उत्पादन होता है, जबकि इसकी मांग 7000 टन सालाना है। किसानों के सामने अश्वगंधा की खेती कर बड़ा मुनाफा कमाने का रास्ता खुला है।

प्रदेश में औषधी कृषि

औषधि	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**
अश्वगंधा	4144	4146	4227	4300
सफेद मुसली	686	688	700	720
ईसबगोल	28997	29577	30168	33000
चंद्रसूर	7414	7425	7564	7625
तुलसी	4702	4749	4797	4849
कालमेघ	2759	2750	2814	2900
कोलियस	149	150	152	156
अन्य औषधी	13782	14471	15195	15310

(स्त्रोत - आंकड़े हेक्टेयर में, उद्यानिकी विभाग भोपाल)

एक हेक्टेयर में अश्वगंधा पर अनुमानित व्यय करीब 10 हजार रुपए आता है, जबकि लगभग 5 क्विंटल जड़ों का सामान्य विक्रय मूल्य लगभग 80 हजार रुपए होता है। इससे शुद्ध लाभ करीब 68 हजार 750 रुपए प्रति हेक्टेयर होता है। उन्नत प्रजातियों में यह लाभ और अधिक हो सकता है। मंडी में अश्वगंधा क्वालिटी के अनुसार 10 हजार से 32 हजार रुपए प्रति क्विंटल तक में बिक रही है। नीमच के सर्वे अनुसार अश्वगंधा के भाव 5 से 7 हजार रुपए तक प्रति क्विंटल से भी अधिक हैं।

पुरातनकाल में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के रूप में वनस्पतियों का उपयोग अधिक किया जाता था, परन्तु वर्तमान विकसित चिकित्सा पद्धति के कारण वनस्पतियों का उपयोग कुछ समय के लिए कम हो गया है। आज वर्तमान में चिकित्सा पद्धति जो पूर्णरूपेण वनस्पतियों पर आधारित है का उपयोग देश एवं विदेश में बढ़ता जा रहा है। विश्व में लगभग ढाई लाख पौधों की प्रजातियाँ पाई जाती है, उनमें से 20 हजार जातियों को औषधीय उपयोग हेतु पहचाना गया है। इसका लगभग 40 प्रतिशत हमारे देश एवं प्रदेश के वनों के आसपास ही पाया जाता है।

परम्परागत खेत के ज्यादा लाभकारी न रह जाने के कारण पिछले कुछ वर्षों में किसानो का ध्यान औषधीय पौधों की खेती की ओर गया है। शासकीय स्तर पर इसके प्रोत्साहन हेतु विभिन्न प्रचार माध्यमों द्वारा इसे विशेष महत्व देने के कारण आज औषधीय एवं सुगंधीय पौधे प्रत्येक व्यक्ति के लिए चर्चा का विषय बन चुके हैं तथा न केवल परम्परागत किसान बल्कि ऐसे नौकरी पेशा व्यक्ति तथा व्यवसायी भी जो पूर्व में खेती को महज 'शौक' के रूप में लेते थे आज इसे अत्यधिक गंभीरता से लेते हुए पूरे मन से औषधीय पौधों की ओर आ रहे हैं। वहीं म.प्र. शासन द्वारा बनाए गए 'बायोडायवर्सिटी बोर्ड' में औषधीय पौधों के प्रोत्साहन के कार्य को प्राथमिकता पर लिया गया है। राष्ट्रीय हार्टिकल्चर बोर्ड द्वारा जहाँ इसे 'हाई-टैक एग्रीकल्चर' के रूप में वित्त पोषण हेतु लिया जा रहा है वहीं म.प्र. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड तथा विभिन्न बैंक इस क्षेत्र को प्राथमिकता दे रहे हैं।

औषधीय और सुगंधीय पौधों का 1500 करोड़ रुपयों से अधिक का व्यापार होता है और 300 करोड़ के लगभग निर्यात होता है। औषधीय पौधों में केवल पुदीना की खेती से 420 करोड़ रुपयों का व्यापार प्रतिवर्ष होता है, जिससे 3 लाख किसान लाभान्वित होते हैं। पुदीना से निकलने वाले मैंथील तेल की विश्व भर की माँग की 70 से 80 प्रतिशत की पूर्ति भारत करता है और प्रतिवर्ष 1200 टन उत्पादन में से अधिकतर का निर्यात करके बहुमूल्य विदेशी पूँजी अर्जित होती है। विश्व बाजार में पौधों से निकलने वाली दवाओं का 2000 करोड़ डॉलर का व्यापार होता है और इसमें 7 प्रतिशत की वृद्धि दर हर वर्ष हो रही है। इस तरह औषधीय एवं सुगंधीय

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) सरोजनी नायडू कन्या महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) सरोजनी नायडू कन्या महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

पौधों की खेती और व्यापार से भी रोजगार के नये अवसर पैदा किये जा सकते हैं। देश को इन फसलों के व्यापार से लगभग 900 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हो रही है।

तालिका – 1 देखे आगे पृष्ठ पर)

औषधियुक्त खेती में रोजगार के अवसर– औषधि युक्त खेती स्वरोजगार के साथ–साथ अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करवाती है। फसल हेतु खेत तैयार करने अर्थात् भूमि सुधारने से लेकर फसल बोने तक के बहुत से कार्य करने हेतु श्रमिकों को या तो बाहर से लगाते हैं अथवा कई बार घर के लोग भी यह कार्य करने में सहयोग देते हैं। कुल मजदूरों में महिला मजदूरों का प्रतिशत ज्यादा होता है पुरूष मजदूरों का कम। इन्हें प्रतिवर्ष लगभग कई माहों तक लगातार काम मिलता है। पौधे लगाने से लेकर फसल तैयार होने तक अनेक काम मिल जाते हैं। जिन औषधीय पौधों की जड़ी–बूटियाँ बनती हैं या जड़ी बूटियाँ काम में आती हैं उनकी सफाई हेतु अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ऐसे औषधीय पौधे जिनका तेल प्रयोग में आता है उन औषधीय पौधों का तेल निकालने हेतु भी मजदूरों की आवश्यकता होती है अर्थात् श्रमिकों को पर्याप्त दिनों का रोजगार प्राप्त होता है।

औषधीय कृषि हेतु वित्तीय व्यवस्था – मध्यप्रदेश में कुछ कृषकों ने बैंक से ऋण लिया है, तो कुछ ने स्वयं की भूमि एवं संसाधनों का प्रयोग किया है तो कुछ ने लीज पर भूमि लेकर खेती की है। औषधीय खेती में सर्वाधिक वित्त व्यवस्था बीज, प्लांटिंग मटेरियल एवं डिस्टीलेशन प्लांट की स्थापना में आती है। डिस्टीलेशन प्लांट की आवश्यकता उन कृषकों को होती है जो ऐसे औषधीय पौधों की खेती करने वाले हैं जिनका तेल बाजार में बिकता है। कृषकों को बीज/प्लांटिंग मटेरियल व डिस्टीलेशन प्लांट की स्थापना एवं कृषि हेतु भूमि के लिए सरकार द्वारा ऋण देने की कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत इन सभी के लिए ऋण मिल सकता है।

औषणीय खेती से संबंधित प्रशिक्षण व्यवस्था – मध्यप्रदेश में कृषकों द्वारा परम्परागत खेती छोड़कर औषधीय खेती की जा रही है। मध्यप्रदेश में औषधीय पौधों की खेती से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उद्यमिता विकास केन्द्र भोपाल में सेडमैप में पिछले 8 वर्षो से औषधीय पौधों की खेती से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश के कृषक भोपाल में सेडमैप द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षणों में भाग लेते हैं।

सेडमैप द्वारा प्रशिक्षण विभिन्न संस्थाओं को वैज्ञानिकों द्वारा दिया जाता रहा है। पर इन वैज्ञानिकों को क्योंकि बाहर से बुलाया जाता था। अत: यह विशेषज्ञ किसानों की व्यावहारिक परेशानियों को हल नहीं करते थे जो कि कृषकों को खेती के दौरान आती थी। अत: सेडमैप द्वारा प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है एवं यही प्रशिक्षित कृषक इस कार्य हेतु तैयार किए गए हैं। सेडमैप का यह प्रयोग अत्यधिक सफल रहा है एवं इसके परिणाम बहुत अच्छे रहे हैं। कृषकों को इस खेती से संबंधित व्यावहारिक ज्ञान दिया जाता है। भोपाल के बाहर भी उद्यमिता विकास केन्द्र द्वारा सफल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनमें प्रशिक्षणार्थियों की बढ़ती हुई संख्या यह बताती है कि लोग इस क्षेत्र में बहुत रुचि ले रहे हैं।

इसमें कृषकों को प्रतिदिन 6 से 8 घंटे को रोजगार प्राप्त होता है। इसमें 40 प्रतिशत रोजगार पुरूषों एवं 60 प्रतिशत महिलाओं को प्राप्त होता है। प्रतिदिन 6 घंटे के हिसाब से मजदूरों को 170 दिनों का रोजगार प्राप्त होता है।

औषधीय पौधों की खेती करने में कृषकों को काफी अच्छी मात्रा में आय प्राप्त हो जाती है। इन पौधों की विदेशी बाजार में अधिक माँग होने से देश को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है तथा कृषकों की आय तो बढ़ती है साथ ही राज्य एवं देश को भी लाभ होता है। अत: निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि औषधीय पौधों की खेती में कृषकों की आय का प्रतिशत काफी ऊँचा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. परती भूमि समाचार अप्रैल–जून 2010
2. डॉ. आर.के. शर्मा – कृषि वि.वि. इन्दौर उद्यानिकी उच्च तकनीक जनवरी 2012
3. म.प्र. संदेश जुलाई 2006, श्री संतोष शुक्ल पृ. 15–16
4. औषधीय एवं सुगंधित पौधे– सेडमैप – म.प्र. भोपाल
5. लघु वन उपज संघ म.प्र. भोपाल।
6. म0प्र0 में खाद्य वानिकी – डॉ. शशिकिरण नायक – हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल – 2008

तालिका – 1

मध्यप्रदेश में उपलब्ध औषधियुक्त पौधों की तालिका

स्थानीय नाम	प्रदेश के क्षेत्र जिला जहां मिलता है।	प्रदेश में संभावित उपलब्धता क्विंटल	स्थानीय नाम	प्रदेश के जिले	संभावित उपलब्धता क्विंटल
गुजराती	ग्वालियर, जबलपुर, सागर, सरगुजा, रायपुर, सिवनी, दमोह, छिंदवाड़ा, झाबुआ, रायसेन	200	ब्राह्मीमंडूकपर्णी	अमरकंटक, बस्तर, पचमढ़ी, जबलपुर मंडल	700
कंधी, अंतीबला	सरगुजा, सागर, रायपुर, जबलपुर, सिवनी, नीमाड़, छतरपुर	1000	सफेद मूसली	बालाधाट, बैतूल, धार, खंडवा, झाबुआ, शहडोल, बिलासपुर, सागर, होशंगाबाद	5000
बचा, घोड़ाबच	ग्वालियर, मंडला, जबलपुर	400	जंगली हल्दी, आम्बाहल्दी	रायपुर, सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग मंडला	500
सीसल	समस्त मध्यप्रदेश में	2000	हरीद्रा, अल्दी	जबलपुर, बस्तर, राचपुर, बालाधाट, बैतूल, सागर	400
अपामार्ग, चीरचीटा	समस्त मध्यप्रदेश में	1100	नागरमोथा	खरगौन, खंडवा, दतिया, ओीकंमगढ़, मंदसौर, सिवनी, ग्वालियर, इंदौर, गुना, सीधी	1000
ग्वारपाटा धृतकुमारी	इन्दौर,खण्डवा,सरगुजा, बैतूल, बालाघाट, बिलासपुर, बस्तर	1000	काली मूसली	अमरकंटक, छतरपुर, इंदौर, टीकमगढ़, विदिशा, सीधी खरगोन, मंदसौर, रतलाम, सागर, झाबुआ	500
सतावरी सतावर सतमली	खरगोन, धार,होशंगाबाद, खंडवा, रायसेन, झाबुआ, टीकमगढ़, बैतूल, शहडोल, बिलासपुर	5000	बला कुन्गई	जबलपुर, बस्तर, रायपुर, इंदौर, सागर, छिंदवाड़ा, रीवा, खंडवा, होशंगाबाद	450
शरीफा, सीताफल	खंडवा, इंदौर, मध्य एवं पश्चिम भाग	7450	खेरेटी, ब्रहाती	रायपुर, सागर, जबलपुर, सरगुजा, बस्तर	300
जामुन	प्रदेश के समस्त जिलों में उपलब्ध	2500	जमालगोटा	संपूर्ण मध्यप्रदेश में पाया जाता है।	10000
इमली	म.प्र. के अधिकांश भाग विशेषकर बस्तर एवं मण्डला, सरगुजा	10000	बेर	खरगोन, खंडवा, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, ग्वालियर, दमोह	1500
गिलोय गुड़ची	ग्वालियर, सतना, जबलपुर, रायपुर, बस्तर, सरगुजा	500	लख	बालाघाट, छिंदवाड़ा, रायपुर, कांकेर, सिवनी,	15000
माशपरणी सरपोंखा	म.प्र. के अधिकांश क्षेत्रों में	150	शहद	बालाघाट, छिंदवाड़ा, इंदौर, जगदलपुर, रीवा, सागर, शहडोल, रायपुर, खरगोन	2550
गोक्शुरा, गोखरू	खरगोन, खंडवा, झाबुआ, इंदौर, सागर, ग्वालियर व अन्य सूखे क्षेत्रों में	3000	बहेड़ा	बालाघाट, बस्तर, बैतूल, जबलपुर, झाबुआ, टीकमगढ़, सरगुजा, बिलासपुर	10000

स्थानीय नाम	**प्रदेश के क्षेत्र जिला जहां मिलता है।**	**प्रदेश में संभावित उपलब्धता क्विंटल**	**स्थानीय नाम**	**प्रदेश के जिले**	**संभावित उपलब्धता क्विंटल**
हर्रा	बालाघाट, बस्तर, बैतूल, जबलपुर, झाबुआ, टीकमगढ़, सरगुजा, बिलासपुर	25000	अर्जुन, कोहा	म.प्र. के समस्त नालों व झरनों के किनारे मंडला, रायपुर, बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर, बालाघाट, होशंगाबाद	फल 5000 छाल 25000
खजूर	इंदौर, झाबुआ, बस्तर	200	अनन्तमूल	बालाघाट, शहडोल, सीधी, रीवा, मण्डला	500
गुलर	संपूर्ण मध्यप्रदेश में पाया जाता है।	10000	कूटज, इन्द्रायन	प्रदेश के समस्त जिलों में	1000
बरगद	प्रदेश के समस्त जिलों में	20000	बीदाकंद	बालाघाट, गुना, शहडोल, ग्वालियर	150
भूई-आंवला	मंडला, सरगुजा, रायपुर	500	रतनजोत	झाबुआ, खरगोन, इंदौर, धार	500
गम्हार खम्हार	छतरपुर, मंदसौर, टीकमगढ़	500	मेंहदी हिन	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में	150
मरोड़फल्ली	प्रदेश के लगभग समस्त जिलों में खंडवा, रायपुर, बालाघाट, बस्तर, सीधी और मंडला	2500	महुआ, मधुका	प्रदेश में प्राय: समस्त जिलों में	बीज 20000 फूल 75000
आम	प्रदेश के समस्त भागों में आदिवासी बाहुल्य जिलों में	10000	सोना	जबलपुर, इंढौर, रवी, बैतूल, खंडवा, सागर, सरगुजा, अमरकंटक	500
चम्पा	इंदौर, खंडवा, रीवा, जबलपुर, होशंगाबाद, सरगुजा	50	केवड़ा, कोरा	बगीचों में जबलपुर, इंदौर, रीवा, दिसंबर, बैतूल	50
कोच, किवाच	रीवा, इंदौर, रायपुर, ग्वालियर, बस्तर, सागर, खंडवा, बैतूल	500	पिपली, पीपरमूल	बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव, सरगुजा	800
कनेर	प्रदेश के तालाब के आस-पास एवं खाली क्षेत्रों में	2000	चिक-मूल, चितावर	जबलपुर, बस्तर, इंदौर, सागर, छिंदवाड़ा	800
हरसिंगार तुलसी	पश्चिम जिले, खरगोन, खंडवा, मंदसौर, ग्वालियर, जबलपुर, सीधी समस्त म.प्र. में	1000 100	करंज कूटकी	साधारणत: समस्त भागों में शहडोल, सरगुजा,	12500 3000

****

धार जिले में मनरेगा से गांवों में रोजगार सृजन - एक अध्ययन

डॉ. संग्राम भूषण * कृष्णा इस्के **

प्रस्तावना - भारत गाँवों का देश है। यहाँ की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवो में निवास करती है। अत: गाँवों के विकास पर ही देश का विकास निर्भर करता है, परंतु गाँवों के विकास में अनेक समस्याएँ हैं, जिनमें ग्रामीण बेरोजगारी प्रमुख स्थान पर है। इस समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अनेक योजनाएं क्रियान्वित की है। जिनका प्रमुख उद्देश्य देश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाना तथा उनके जीवन स्तर में सुधार लाना रहा है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने इसी क्रम को ओर आगे बढ़ाते हुए असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के न्यूतम हितों के संरक्षण हेतु संसद द्वारा सांविधिक स्वरूप एवं अधिकार आधारित दृष्टिकोण के साथ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात् मनरेगा 5 सितम्बर 2005 को अधिसूचित किया गया था। यह देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का एक अधिकार आधारित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे प्रत्येक परिवार, जिनके व्यवस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते है, उन्हें एक वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारन्टीशुदा मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराते हुए आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। पहले चरण मे मनरेगा 2 फरवरी 2006 को देश के 200 सबसे पिछड़े जिलों में कार्यान्वित किया गया और बाद में 1 अप्रैल से 2007 से अन्य 13 एवं 15 मई, 2007 को 17 जिलों में इसका विस्तार किया गया। तत्पश्चात 2008 से देश के शेष जिलो को भी इस अधिनियम में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार वर्तमान समय में इस अधिनियम को देश के सभी ग्रामीण जिले जिनकी संख्या 644 है, में लागू कर दिया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से मनरेगा पहला ऐसा कानून है, जो अनोखे पैमाने पर मजदूरी रोजगार की गारन्टी देता है। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार की मांग की पूर्ति करना है। अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय कार्य दीर्घकालिक गरीबी व दरिद्रता जैसे सूखा वनों का कटाव और मृदा विस्फोट की समस्याओं को सुलझाता है ताकि रोजगार सृजन की प्रक्रिया को टिकाऊ आधार पर कायम रखा जा सके। इस योजना को पूर्व में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) नाम दिया गया था। परंतु प्रधानमंत्री डॉ मनमोहनसिंह ने महात्मा गांधी की 140 की जंयती को महात्मा गांधी के नाम रखे जाने की औपचारिक घोषणा की इस प्रकार 2 अक्टूबर 2009 से इस योजना का नाम बदलकर महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) कर दिया गया। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम आधारित उपयोगी निर्माण एवं रचनात्मक परियोजना कार्य संपादित कराने की व्यवस्था रखी गई। जिनमें, प्रमुख रूप से जल सरंक्षण जल संग्रहण भूमि संरक्षण सूखा और बचाव कार्य, पौधारोपण, बांध तालाब, मेड बंधान पोखरों की सिल्ट सफाई ग्रामीण सड़कों और नालियों का निर्माण आदि कार्यो को पूर्ण कराया जाना सम्मिलित है। ग्रामीण गरीबी व बेरोजगारी जैसी गंभीर मौजूदा परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए शासन ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आरंभ की महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MNREGA) एक भारतीय रोजगार गारन्टी योजना है। इस अधिनियम को ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। मुख्य रूप से ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों के लिए अर्ध कौशल पूर्ण या बिना कौशलपूर्ण कार्य, चाहे वे गरीबी रेखा से निर्मित है। बैल्जियम में जन्मे और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एक अर्थशास्त्री डॉ. जयांद्रेज इस परियोजना के लिए प्रमुख रूप से प्रभावशाली रहें। प्रस्तुत शोध पत्र धार जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (मनरेगा) से हुए गाँवों में रोजगार सृजन पर केन्द्रित है।

शोध उद्देश्य - प्रस्तुत शोध पत्र को धार जिले में ग्रामीण परिवेश बेरोजगारी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के जनसंख्यात्मक वृहद आकार को दृष्टिगत रखते हुए अपूर्ण आवश्यकताओं वाले इलाकों मे समचित हस्तक्षेप करने एवं प्रभावशाली कामकाज सुनिश्चित करते हुए उन्हें आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनाने के उद्देश्यों पर आधारित किया गया है।

1. धार जिले में वर्तमान समय में मनरेगा योजना (रोजगार परक) की नीतियों का क्रियान्वयन की समीक्षा करना।
2. वर्ष 2010-11 से 2015-16 तक योजना से जिले में रोजगार सृजन का तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के ग्रामीण निर्धन परिवारों को प्राप्त रोजगार का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि - प्रस्तावित शोध पत्र पूर्णत: द्वितीयक समकों पर आधारित है। इन संमकों का संकलन विभिन्न प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं पुस्तकों शासकीय एवं गैर शासकीय संस्थाओं आदि के अलावा इंटरनेट द्वारा किया गया।

मनरेगा का प्रारंभ - इस योजना से पूर्व भी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए समय-समय पर कई रोजगार मूलक योजनाएं चलाई गई। सामान्य रूप से देखा गया कि वर्ष में कुछ समय ग्रामों में रहने वालों ग्रामीण परिवारों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में काम नही मिलता था। इस कारण ग्रामीणजन गुजर-बसर करने के लिए ग्रामों से नगरों की ओर मजदूरी करने हेतु पलायन कर जाते थे। इसी समस्या के हल के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी के माध्यम से निर्धन परिवारों को रोजगार की गारंटी के माध्यम से निर्धन परिवारों को रोजगार की गारंटी दी गई है। मनरेगा को 1 अप्रैल 2008 से देश के सभी जिलो जिनकी संख्या 644 है, मे लागू कर दिया गया है। इस योजना का सर्वाधिक लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति लघु एवं सीमान्त कृषकों को मिल रहा है।

* प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) अर्थशास्त्र अध्ययनशाला विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी(अर्थशास्त्र) अर्थशास्त्र अध्ययनशाला विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

मनरेगा के तहत कार्य योजना निर्माण की प्रक्रिया – जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायतों में वाल–थ्रु सर्वे के माध्यम से रोजगार की मांग एवं योजनांतर्गत किए जा सकने वाले कार्यो का आंकलन किया जाता है ताकि प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक मौसम में रोजगार की मांग अनुसार उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके।

म.प्र. में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्र. 42 की धारा 4 की उपधारा (1) के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम म.प्र. लागू की गई है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार योजना के संचालन एवं क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है।

तालिका क्र. 1 : म.प्र. में मनरेगा वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 का तुलनात्मक अध्ययन

क्र.	विवरण	13–14	14–15
1.	प्रदेश में परिवारों को रोजगार उपलब्ध	29.06 लाख	27.88 लाख
2.	प्रदेश में मानव दिवस सृजित	1227.82 लाख	1171.72 लाख
3.	कुल सृजित मानव दिवस में महिलायें	523.60	506.42
4.	प्रदेश में वित्तीय वर्ष में कुल कार्य पूर्ण	250058	365906
5.	प्रदेश में वित्तीय वर्ष में कार्य प्रगतिरत	712335	454296
6.	प्रदेश में वित्तीय वर्ष में भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश	1839.82 करोड़ रू.	2451.63 करोड़ रू.
7.	प्रदेश में वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा जारी राज्यांश	241.71 करोड़ रू.	209.05 करोड़ रू.
8.	प्रदेश में कुल व्यय	2656.73 करोड़ में	2901.42 करोड़ में

कुल स्त्रोत : प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 म.प्र. राज्य रोजगार गारन्टी परिषद् भोपाल

उपरोक्त तालिका में म.प्र. शासन द्वारा वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में मनरेगा पर किए गए व्यय का ब्योरा अंकित है। वर्ष 2013–14 में प्रदेश मे भारत सरकार का केन्द्रांश रू. 1839.82 करोड़ था। वह वर्ष 2014–15 में बढ़कर 2451.63 करोड़ हुआ है। इसी प्रकार प्रदेश में योजना पर व्यय वर्ष 2013–14 में 2656.73 करोड़ से बढ़कर 2901.42 करोड़ हुआ है। जिससे प्रदेश के गांवो में सड़क निर्माण जल संरक्षण वृक्षारोपण भूमि विकास इत्यादि कार्यो से गांवो का विकास हो रहा हैं।

शोध क्षेत्र में मनरेगा योजना – म.प्र. राज्य का धार जिला अपेक्षाकृत पिछड़ा आदिवासी बाहुल्य जिला है, जो प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। यहाँ अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजातियों का जनसंख्यात्मक आकार नगरीय क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में रेखांकन योग्य है। समाज में व्याप्त आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विषमताओं के चलते ग्रामीण आबादी हेतु रोजगार सृजन एक उद्देश्य है। इस हेतु मनरेगा का संचालन में 2 फरवरी 2006 से हो रहा है। प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य वर्ष 2014–15 तक जिले में क्रियान्वित मनरेगा के अन्तर्गत रोजगार सृजन का अध्ययन करना है।

तालिका में धार जिले में मनरेगा योजना अन्तर्गत लांभान्वित वर्ग–जातिवार परिवारों की कुल संख्या दर्शायी गई है जो कि निम्नानुसार है –

तालिका क्र.2 (देखे अगले पृष्ठ पर)

तालिका क्र.2 मे जिले में क्रियान्वित मनरेगा योजना में वर्ष 2010–11 में सर्वाधिक जॉब कार्डधारी अजजा की संख्या 1,84,219 थी जो कि वर्ष 2014–15 में बढ़कर 1,90,280 हो गई। इसी अवधि में अजा कि जॉब कार्ड धारकों की संख्या जो वर्ष 2010–11 में 56280 थी जो कि वर्ष 2014–15 में 46280 रह गयी उसी प्रकार वर्ष 2010–11 में अन्य वर्ग की जॉब कार्ड धारक परिवारों की संख्या 52103 थी वह वर्ष 2014–15 में बढ़कर 60774 हो गयी। उसी प्रकार रोजगार की मांग करने वाले परिवारों की संख्या वर्ष 2010–11 में 1,68,212 थी जो वर्ष 2011–12 में 176319 एवं वर्ष 2012–13 में घटकर 149011 एवं वर्ष 2013–14 में और घटकर 123741 तथा वर्ष 2014–15 में बढ़कर 179610 हो गई। योजना में महिला लाभार्थी की संख्या वर्ष 2010–11 में 86624 थी, वह वर्ष 2014–15 बढ़कर 2620524 की दर्ज की गई। महिला लाभार्थियों की संख्या मे लगातार वृद्धि दर्ज की गई। इसी प्रकार 100 दिवस रोजगार पूर्ण कर चुके परिवारों की संख्या 17035 थी जो वर्ष 2014–15 में घटकर 10271 रह गई। योजना में विकलांग लाभार्थियों की संख्या में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देता है।

ग्रामीण निर्धन परिवारों को योजना अन्तर्गत प्रदाय रोजगार में अजा एवं अजजा के व्यक्ति सर्वाधिक लाभान्वित हुए। जॉब कार्डधारी परिवारों की संख्या में वृद्धि भी जिले में रोजगार क्षेत्र में ग्राम जन की आशा व जरूरत अनुरूप पर्याप्त रोजगार गारंटी के अवसर उपलब्ध करती दिखाई देती है। तालिका में रोजगार मांगने वाले परिवारों की संख्या रोजगार प्राप्त कर चुके परिवारों की कुल संख्या एवं योजनान्तर्गत कार्य कर रहे परिवारों की कुल संख्या में अत्यधिक गिरावट दर्ज की गई वही कुल उत्पन्न व्यक्ति दिवस की जातिवार स्थिति जो वर्ष 2010–11 मे 5396849 था वही वर्ष 2014–15 में 5513735 हो गया। वंचित और कमजोर वर्गो का सशक्तिकरण करने मे यह काफी हद तक सफल रही है। योजना में रोजगार प्राप्त पुरूष श्रमिको को 100 रू. से अधिक पारिश्रमिक मिलता है। वही महिला श्रमिक को भी मजदूरी दर समान रूप से लगातार भुगतान हो रहा है। जिससे उद्योग व कृषि क्षेत्रों समान मजदूरी की मांग बढ़ रही है जिले में स्थानीय स्तर पर अधिकार के रूप में कार्य उपलब्ध हो रहा है। साथ ही बेरोजगारी जैसी गंभीर बीमारी से जुझते ग्रामीण व्यक्ति को काम के अधिकार की गारंटी कानूनी दर्जा प्राप्त है। मनरेगा योजना में लाभान्वित विकलांग व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि रेखांकन योग्य है।

योजना में जाबकार्ड धारी परिवारों में रोजगार की मांग के अनुरूप रोजगार न मिलना व प्रति परिवार 100 दिवस और औसत रोजगार सृजन में वांछित सफलता नहीं मिल पाई जो चिंता का विषय है। रोजगार की मांग केवल आधे जॉब कार्ड धारक परिवारों को ही रोजगार मिलना इससे यह तथ्य स्पष्ट होता है कि लोगों में जागरूकता का अत्यधिक अभाव का पाया जाना है।

धार जिला जनजाति बाहुल्य जिला होने व आर्थिक विपन्नता के बावजूद जिले में सर्वाधिक लाभान्वित अजजा के परिवार है। जिससे इस योजना का बेहतर प्रभाव दृष्टि गोचर होता है। मनरेगा योजना से महिलाओं को एकजुट होने में सहायता मिली है। जिले में महिला सशक्तिकरण संभव हुआ है। इस योजना से गांवो में रोजगार सृजन, ग्रामीण विकास में योगदान पेयजल समावेशी विकास सामाजिक सुरक्षा श्रमिकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। गांव आर्थिक रूप से सम्पन्न हुए है, जिससे सामाजिक विषमताओं को दूर किया जा रहा है।

सुझाव – मनरेगा योजना को सूचारू रूप से कार्यान्वित करने हेतु प्रासंगिक सुझाव प्राकल्पित किए जाते है, जो भावी नीति निर्धारण में कारगार साबित होगे :

1. केन्द्र और राज्य सरकारों की नीतियों और उत्तरदायित्वों पर सफल क्रियान्वयन हेतु और अधिक ध्यान देना होगा।
2. मनरेगा योजना संचालित क्षेत्रों में योजनाअन्तर्गत विकासात्मक कार्यो की सही–सही जानकारी एवं मूल्यांकन समय–समय पर किया जाना चाहिए।
3. विकास परियोजनाओं में सबसे पहले छोटे और सीमान्त किसानो की जमीन पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे कमजोर तबके के लोगों को लाभ जरूर पहुंचे।
4. योजना में रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता अनिवार्य किया जाएं।
5. मनरेगा के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्यो में मशीनों का कम से कम उपयोग हो, जिससे और अधिक श्रमिकों को रोजगार मिल सकें।

निष्कर्ष – उपरोक्त विश्लेषण एवं मूल्यांकन के आधार पर यह सामान्यीकृत किया जा सकता है कि योजनान्तर्गत अनूसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को अपने क्षेत्र में 100 सुनिश्चित दिवसो का दिहाढी रोजगार उपलब्ध कराया गया। साथ ही कमजोर वर्गो के उत्थान के लिए विशेष प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सरकार द्वारा भारी निवेश कर बजट भी उपलब्ध कराया गया। जिससे विविध क्षेत्रो में रोजगार का पर्याप्त सृजन हुआ है जिले में योजना का सर्वथा सकारात्मक प्रभाव देखा गया है। लेकिन देश की बड़ी समस्या भ्रष्टाचार के कारण हम उस प्रवाह में ग्रामीण विकास नहीं कर पाए। जिस प्रवाह से योजना का आवंटित बजट खर्च हुआ। अन्तोगत्वा कार्यक्रम प्रबंधन में सुधार की महती आवश्यकता है। मनरेगा योजना का अंतिम लक्ष्य सभी के लिए अच्छा रोजगार प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसे लोगों को कार्यक्रम के साथ सहयोजित करना होगा जो योजना से सम्बन्ध हर इकाई को अपना काम अधिनियम के अनुसार करने से राष्ट्र के हर ग्राम जन ग्रामीण कमजोर वर्ग, महिला सशक्तिकरण का एवं राष्ट्र का उत्थान संभव है। इस प्रकार के आकलनों की पुष्टि के परिपेक्ष्य मे धार जिले में मनरेगा योजना की ग्रामीण विकास की रणनीति हेतु नीतिगत चिंतन नितान्त आवश्यक है। जो समाज को विचार दिशा और आधुनिक दर्शन दे सके। अगले चरण में मनरेगा से लाभ लेने के लिए स्थाई निर्माण कार्यो की प्रमुखता दी जानी चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. कुरूक्षेत्र
2. प्रशासकीय प्रतिवेदन – मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गांरटी परिषद् भोपाल
3. धार जिला सांख्यिकीय पुस्तिका
4. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना मार्गदर्शिका

तालिका क्र.2 धार जिले के योजना अन्तर्गत लाभान्वित जातिवार परिवारों की मूल्य संख्या का विवरण

स.क्र.	वर्ष	वर्ग जाति	जाब कार्ड धारी परिवारों की सं.	रोजगार की मांग कोने वाले परिवारों की कुल संख्या	रोजगार प्राप्त कर चुके परिवारों की कुल संख्या	योजनाअन्तर्गत कार्य कर रहे परिवारों की कुल संख्या	कुल उत्पन्न व्यक्ति दिवस की जातिवार संख्या	महिला लाभार्थी संख्या	100 दिवस रोजगार पूर्ण कर चुके परिवारों की संख्या	लाभार्थी विकलांग व्यक्तियों की संख्या
1	2010–11	अजा	566280	–	–	–	932775	–	–	–
		अजजा	184219	–	–	–	3702257	–	–	–
		अन्य	52103	–	–	–	761817	–	–	–
		कुल	2,92,602	168212	159102	20236	5396849	86624	17035	128
2.	2011–12	अजा	56280	–	–	–	6975143	–	–	–
		अजजा	184219	–	–	–	3354679	–	–	–
		अन्य	52103	–	–	–			–	–
		कुल	292602	176319	162309	23732	1141478	–	29812	152
							11471300	78749		
3.	2012–13	अजा	56280	–	–	–	6105210	–	–	–
		अजजा	184219	–	–	–	5993009	–	–	–
		अन्य	52103	–	–	–	10906169	–	–	–
		कुल	292602	149011	142721	47280	23004388	4339	39280	182
4.	2013–14	अजा	56280	–	–	–	1191746	–	–	–
		अजजा	184219	–	–	–	3175952	–	–	–
		अन्य	52103	–	–	–	1122442	–	–	–
		कुल	292602	123741	138332	66285	5490140	2548625	11393	563
5.	2014–15	अजा	46280	–	–	–	1102430	–	–	–
		अजजा	190280	–	–	–	3102891	–	–	–
		अन्य	60774	–	–	–	1308414	–	–	–
		कुल	297334	179610	128587	68590	5513735	2620524	10271	879

कुल स्त्रोत – जिला जनपद कार्यालय, धार (म.प्र.) व मनरेगा एक्ट

म.प्र. में पंचायती राज एवं ग्रामीण आर्थिक विकास (बड़वानी जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ. मनोहर जैन * बसंता सोलंकी **

प्रस्तावना – भारत गाँव का देश है। गाँवों के विकास के बिना भारत के विकास की कल्पना करना असंभव है। गाँवों की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए महात्मा गाँधी ने कहा था कि 'गाँव भारत की आत्मा का आधार है।' यदि भारत का विकास करना है, तो गाँव का विकास करना होगा, प्रत्येक गाँव को आत्मनिर्भर बनाना होगा।

भारत में ग्रामीण विकास के उपयुक्त महत्व को स्वीकार कर वर्ष 1951 में आर्थिक नियोजन प्रणाली को अपनाया गया, जिसके अंतर्गत प्रथम योजना काल में ही आर्थिक विकास पर सदैव ही जोर दिया जाता रहा, लेकिन केन्द्रीय स्तर पर ग्रामीण विकास संबंधी प्रयासों को वांछित सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। अत: वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में वर्ष 1993 में तत्कालिन प्रधानमंत्री श्री पी.व्ही. नरसिम्हाराव द्वारा भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के माध्यम से देश में पंचायती राज कार्यक्रम को लागू करे।

भारत वर्ष में प्राचीन काल से गणतंत्र विद्यमान थे। ब्रिटिश शासनकाल में पंचायते तथा स्थानीय संस्थाएँ धीरे-धीरे शक्तिहीन होती चली गई है। स्वतंत्रता के पश्चात् संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में स्थानीय स्वशासन की प्रारंभिक इकाई पंचायतों की व्यवस्था की गई। जनभागिता बढ़ाने हेतु 1952 में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की योजना प्रारंभ की गई। यह योजना अधिक सफलता प्राप्त नहीं कर सकी। पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावशाली बनाने तथा विकास कार्यो में जनभागिता बढ़ाने के लिए 1957 के बलवन्त राय मेहता समिति द्वारा पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का चुनाव का सुझाव दिया गया, जिसे अधिकांश राज्यों में लागू किया गया।

1978 में पंचायती राज प्रणाली की समीक्षा के गठित अशोक मेहता समिति द्वारा पंचायतों के द्विस्तरीय ढाँचे तथा पंचायतों में राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी पर बल दिया गया। 1985 में योजना आयोग द्वारा नियुक्त जी.बी.के. राव समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को अधिक अधिकार देने तथा उन्हें सक्रिय करने की सिफारिश की। 1986 में डॉ. लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में बनाई गई। समिति पंचायतों तथा उनके चुनाव के लिए संवैधानिक प्रावधानों की महत्वपूर्ण सिफारिश की।

73वें संविधान के तहत पंचायती राज लागू करने वाला देश का पहला राज्य म.प्र. है। प्रदेश में नवीन पंचायती राज अधिनियम 30 दिसम्बर 1993 को विधान सभा द्वारा पारित किया गया एवं 24 जनवरी 1994 को राज्यपाल की स्वीकृति के साथ अधिनियम किया गया, राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन किया गया है। यह अधिनियम 25 जनवरी 1994 की संपूर्ण मध्यप्रदेश में लागू हुआ।

संविधान के 73वें संशोधन में ग्राम पंचायतों के गठन के लिए ग्राम समूहों को ग्राम के रूप में अधिसूचित करने का प्रावधान किया गया है। इसका गठन राज्यपाल द्वारा किया गया है। संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुच्छेद 243(छ) की 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों से संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में चलायी जा रही योजनाओं, कार्यक्रमों को त्रि-स्तरीय पंचायतों को हस्तान्तरित किया गया है।

उपरोक्त व्यवस्था के तहत् प्रदेश में वर्तमान में 23012 ग्राम पंचायतें 313 जनपद पंचायते एवं 51 जिला पंचायते स्थापित है।

इस कारण गाँव की आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुरूप नियोजन संभव हो गया, जिसके फलस्वरूप प्रदेश में ग्रामीण विकास की अनेको योजनाएँ बनाई एवं कार्यन्वित की गई। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास में काफी मदद मिली है। इन योजनाओं के कारण मध्यप्रदेश के पश्चिमी अंचल में स्थित आदिवासी बहुल बड़वानी जिले के ग्रामीण आर्थिक विकास में कितनी मदद मिली है। ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है, तो कितना ? इन सब बातों का यर्थाथपरक अध्ययन करने के लिए प्रस्तुत शोध विषय की क्षेत्रीय अध्ययन करने के लिए शोध विषय की क्षेत्रीय अध्ययन के रूप में चुना है।

अध्ययन के उद्देश्य – शोध विषय के चयन का मुख्य उद्देश्य मध्यप्रदेश एवं पश्चिमी निमाड़ जिलों के बड़वानी के मध्यप्रदेश में पंचायती राज एवं ग्रामीण आर्थिक विकास की ऐसी अपेक्षाओं की खोज करना है, जिनमें ग्रामीण आर्थिक विकास की विभिन्न संभावनाएँ व प्रवृत्तिया खोजी जा सके। इस अध्ययन में मध्यप्रदेश में पंचायती राज एवं ग्रामीण आर्थिक विकास की योजनाओं का स्वरूप कैसा है ? इनके क्रियान्वयन में क्या-क्या समस्याएं उभरकर आती है तथा उनका क्रियान्वयन किस प्रकार होना चाहिए ? इन सब समस्याओं का समाधन किस रूप में किया जा सकता है आदि तथ्यों को शोध हेतु केन्द्र बिन्दु माना।

1. पंचायती राज एवं ग्रामीण आर्थिक विकास के लोगों के क्षेत्र में विकासीय स्थिति का अध्ययन करना।
2. पंचायती राज का ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
3. सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की स्थिति का अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पना – किसी कार्य के प्रकृत होने से पूर्व काल की कल्पना प्रत्येक व्यक्ति करता है किन्तु विषय शोध के पूर्व उसके परिणाम के विषय में जो अनुमान के आधार पर कल्पना की जाती है उसकी परिकल्पना कहते है।

* प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, सैलाना (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी (अर्थशास्त्र) शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत

1. पंचायती राज के पूर्व वित्तीय प्रबंध के रूपो से वर्तमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
2. पंचायती राज एवं ग्रामीण आर्थिक विकास में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

संमको का संकलन – प्रस्तुत अध्ययन में समंको के संकलन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीय समंको का समावेश किया गया है।

जनसंख्या वृद्धि – बड़वानी जिले में ग्रामीण विकास की 9 तहसीलों की जनसंख्या निम्न तालिका में दर्शायी गयी है –

तालिका क्रमांक-1

क्र.	तहसील का नाम	संख्या
1.	बड़वानी	210909
2.	पाटी	162420
3.	ठीकरी	79024
4.	अंजड़	89458
5.	राजपूर	213102
6.	पानसेमल	157914
7.	निवाली	112690
8.	सेंधवा	231321
9.	वरला	128821

स्त्रोत – जिला सांख्यिकी पुस्तिका 2011

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट हैं कि बड़वानी जिले की जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता का प्रतिशत 50.2 व्यक्ति साक्षर है, जिसमें 323885 पुरूष साक्षर एवं 241000 स्त्री साक्षर है।

प्रस्तुत अध्ययन हेतु बड़वानी जिले के 9 तहसीलों में से 4 ग्रामीण आर्थिक विकास में पंचायती राज की भूमिका को देखते हुए बड़वानी, सेंधवा, निवाली एवं पानसेमल का चयन किया गया है। इन तहसीलों से 5-5 गाँव-गाँव चयन किया जावेगा प्रत्येक गाँव से 10-10 उत्तरदाता ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का चयन किया जावेगा। इस प्रकार अध्ययन हेतु कुल 200 उत्तरदाता, पंचायती राज में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का चयन कर तय उद्देश्यों को प्राप्त किया जावेगा।

बड़वानी जिले में भी ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित योजनाओं से गाँवों का आर्थिक -सामाजिक विकास हो रहा है, जिसका विवरण निम्नानुसार है

तालिका-2
सर्वेक्षित परिवार की आयु

क्र.	आयु	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	21 से 30 वर्ष	35	17.5
2.	31 से 40 वर्ष	78	39
3.	41 से 50 वर्ष	69	34.5
4.	51 से अधिक	18	9
	योग	200	100

स्त्रोत – व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट हैं कि, उत्तरदाताओं की सर्वाधिक संख्या 31 से 40 वर्ष एवं 41 से 50 वर्ष समूहों की है। 21 से 30 वर्षो वाले उत्तरदाताओं की संख्या 17.5 प्रतिशत है जबकि 51 से अधिक उत्तरदाताओं की संख्या 9 प्रतिशत है। **(ग्राफ देखे आगे पृष्ठ पर)**

सर्वेक्षण से यह स्पष्ट होता हैं कि 31 से 40 वर्ष की ग्रामीण लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है।

मध्यप्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार इस राज्य की जनसंख्या 7,26,26,809 है। इसी प्रकार 2011 की जनगणना के अनुसार बड़वानी जिले में 85.28 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या की है जो विभिन्न प्रकार के सामाजिक एवं आर्थिक कार्यो को सम्पन्न करती है। सर्वेक्षण के दौरान ग्रामीण लोगों से शिक्षा का स्तर जानने का प्रयास भी किया गया।

शिक्षा का स्तर – 'शिक्षा' मानव जीवन पर चलने वाली एक आधारभूत संरचना है। शिक्षा जीवन का वह 'आईना'है , जिसमें मनुष्य अपनी योग्यताओं और क्षमताओं के रूप में देखता है। अत: शिक्षा मानव जीवन के सर्वागीण विकास का आधार है।

तालिका क्रमांक - 4
सर्वेक्षित परिवारों में शैक्षणिक स्तर का विवरण

क्र.	आयु	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	निरक्षर	56	28
2.	प्राथमिक	38	19
3.	माध्यमिक	45	22.5
4.	उच्चतर माध्यमिक	42	21
5.	स्नातक	12	6
6.	स्नातकोत्तर	7	3.5
	योग	200	100

स्त्रोत – व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि, सर्वेक्षण अध्ययन में 28 प्रतिशत उत्तरदाता निरक्षर हैं। 19 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की है। 22.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की है। 21 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने उच्चतर माध्यमिक तथा 6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्नातक एवं 3.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है।

(ग्राफ देखे आगे पृष्ठ पर)

प्रस्तुत शोध अध्ययन में निम्नलिखित आर्थिक, सामाजिक, वित्तीय एवं प्रशासनिक समस्याएँ प्रकाश में आयी हैं।

पंचायती राज व्यवस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के मार्ग में अनेक समस्याएँ विद्यमान हैं, जो कि निम्नानुसार हैं –

1. सामाजिक समस्याएँ – पंचायतों की सामाजिक समस्याएँ निम्नलिखित हैं –

1. पंचायत प्रतिनिधि, ग्रामीण जनसंख्या, महिला जनप्रतिनिधियों में शिक्षा एवं प्रशिक्षण की मुख्य समस्याएँ विद्यमान हैं।
2. पंचायती नेतृत्व में 'दलीय गुटबाज़ी' का विद्यमान होना।
3. गाँव में दलित एवं पिछड़े वर्गो से 'ज़ातिगत भेदभाव', पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है।
4. ग्रामीण क्षेत्र की बढ़ती जनसंख्या, 'विकास कार्य' को प्रभावित कर रही है।

2. वित्तीय समस्याएँ :-

1. पंचायतों की स्थानीय स्त्रोतों से करों/शुल्कों की राशि क्रमश: घटती जा रही है।
2. ग्रामीणों की अशिक्षा व अज्ञानता के कारण करों का भुगतान नहीं करना।
3. पंचायत कार्यो के 'आवंटन', समय पर प्राप्त ना होना।
4. पंचायत सचिव को कम आय प्राप्त होना।
5. ग्रामीण क्षेत्र में 'करों' का अनिवार्य ना होना।

3. प्रशासनिक समस्याएँ –

1. योजना के 'क्रियान्वयन' एवं 'प्रक्रिया' में विलम्ब का होना।
2. पंचायत की समस्त 'योजनाओं' की जानकारी ग्रामीणों को प्राप्त नहीं होना।
3. पंचायत के कार्यों का उचित एवं समय पर 'लेखांकन' नहीं होना।
4. समस्त गाँवों में 'पंचायत भवन' का नहीं होना।
5. वर्तमान व्यवस्था में, सम्पूर्ण विद्यालयीन शिक्षा व्यवस्था का 'प्रबंध' पंचायतों को दे दिया गया है, जो कि उचित नहीं है।

सुझाव –

1. प्रत्येक गाँव में, 'पंचायत भवन' का निर्माण किया जाना चाहिए एवं ग्रामवासियों को आवश्यकता होने पर, उसे किराये पर देकर 'आय' प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।
2. गाँव में, अभी भी 'बुनियादी सुविधाओं' का अभाव है। अत: गाँव प्राथमिकता के आधार पर, 'सड़क निर्माण कार्य' किया जावे। गाँव की स्वच्छता हेतु, 'नालियों' का निर्माण किया जावे, जिससे पानी की 'उचित निकासी' हो सके।
3. कृषि क्षेत्र के विकास एवं रोज़गार हेतु, चकबंदी, जल एवं मृदा संरक्षण, उन्नत खाद, बीज आदि तकनीकी को अपनाकर उसे प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।
4. शासकीय योजनाओं की जानकारी देने हेतु, ग्रामीण स्तर पर 'शिविर' का आयोजन करना चाहिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएँ, उक्त योजनाओं से 'लाभान्वित' हो सकें।
5. ग्रामीण लोगों के 'उत्थान' हेतु, ग्राम स्तर पर 'शिक्षा' का प्रचार–प्रसार करना चाहिए, क्योंकि 'शिक्षा' एवं 'ज्ञान' के अभाव में वे अनेक शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते।

निष्कर्ष – निष्कर्ष के रूप में यह निकलता है कि, 'पंचायती राज व्यवस्था', विकास में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। फिर भी, इसमें कुछ कमियाँ हैं, जिन्होंने गाँवों में साम्प्रदायिकता, भ्रष्टाचार, संकीर्णता और मनमुटाव आदि को बढ़ाया है।

पंचायतों को सफल बनाने के लिए, 'पंचायती राज' को बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध करानी चाहिएं। पंचायतों की वित्तीय समस्याओं को दूर कर उनमें 'सुधार' करना होगा, तभी हम 'विकास कार्यों' की धीमी गति को तीव्र कर महात्मा गाँधी के 'ग्राम स्वराज' के स्वप्न को पूर्ण कर सकेंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. पंवार मीनाक्षी, 'पंचायती राज और ग्रामीण विकास', क्लासिकल हाउऊस, नई दिल्ली।
2. प्रेमनारायण, 'पश्चिमी निमाड़', गज़ेटियर, म. प्र., भोपाल।
3. यादव ओमप्रकाश, 'पंचायती राज, ग्रामीण विकास और बाधाएँ', 'पंचायती राज व्यवस्था : एक दृष्टि – एक दृष्टिकोण', निकुंज प्रकाशन, बड़वानी (म.प्र.).

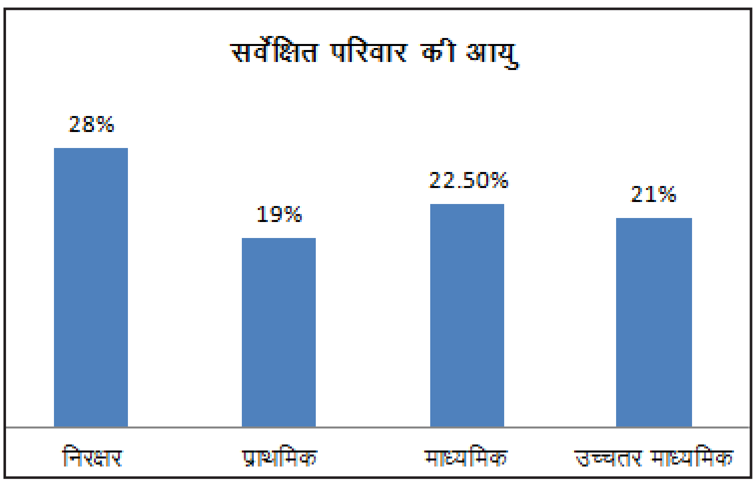

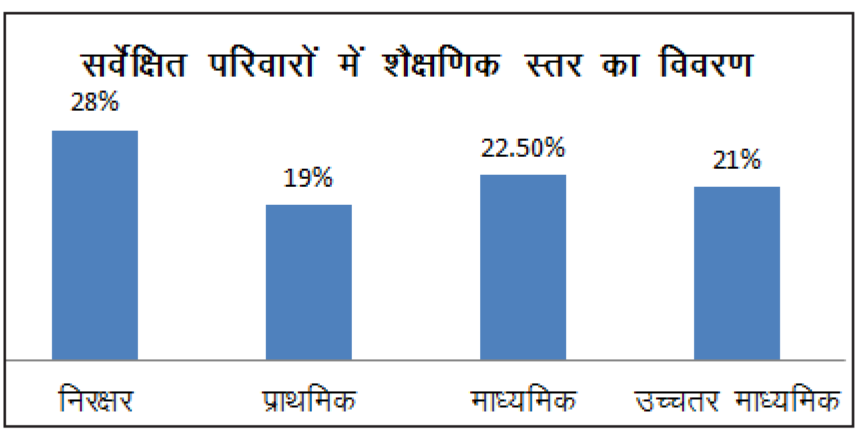

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) July to September 2017, Vol. II

सिंचाई से फसलों तथा कृषि उत्पादन में परिवर्तन का तुलनात्मक अध्ययन- बैतूल जिले के सन्दर्भ में

नरेन्द्र कुमार * रीमा नागवंशी **

शोध सारांश – कृषि उत्पादन या उत्पादकता को प्रभावित करने वाले तत्वों में सिंचाई का विशेष महत्व है। सिंचाई सुविधा मिलने पर, उर्वरकों, अच्छे बीजों ओर नई कृषि विधियों के प्रयोग से उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है, वहाँ शीत ऋतु तथा ग्रीष्म ऋतु में इतनी नमी नहीं होती है बिना सिंचाई व्यवस्था के एक से अधिक फसलें तैयार की जा सके। जिले में कई क्षेत्रों में वर्षा इतनी कम है कि गहन खेती संभावनाएँ नहीं है। कृषकों को सिंचाई सुविधा के विकास से उत्पादन में वृद्धि होने के साथ-साथ फसल चक्र में परिवर्तन आया है। जिले में सोयाबीन, धान की खेती तो प्रारंभ में हुई साथ ही उन्नत के बीज का भी प्रयोग बढ़ा। इन फसलों पर प्रति हेक्टेयर पर उत्पादन में वृद्धि हुई। जिले में तथ्यात्मक दृष्टि से सिंचाई साधनों के न होने से पूर्व ही स्थिति तथा वर्तमान स्थिति के बीच तुलना करने का प्रयास किया गया। अत: जिले में पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारंभ से ही सिंचाई की व्यवस्था को कृषि उत्पादन के लिए माना गया है।
शब्द कुंजी – सिंचाई, फसल, कृषि उत्पादन, परिवर्तन।

प्रस्तावना – बैतूल जिले में वर्तमान युग को देखते हुए कृषि क्षेत्र में उन्नति के साधन कृषि यंत्रों का भी विकास हुआ है। परम्परागत हल की जगह ट्रेक्टर के प्रयोग से खेती की जाने लगी है। विद्युत पम्प, थ्रेशर सिंचाई के लिए मोटर एवं लोहे से बनी विभिन्न आधुनिक औजारों से कृषि की जाने लगी है। कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा मिला हैं। यह उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हो रही है। उत्पादन में वृद्धि होगी तो जिले की आर्थिक आय में वृद्धि होती है।

जिले में क्षेत्र अनुसार शिक्षण विस्तार होने से काफी हद तक खेती करने के ढंग में परिवर्तन आया है। जिले में सिंचाई का प्रयोग मुख्य रूप से रबी की फसल में होता है। एक अच्छी फसल की संभावना तब ही की जा सकती है, जब पर्याप्त सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो। परिणामस्वरूप सिंचाई से आय तथा उत्पादन बढ़ेगा। जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसकी खाद्यान्न समस्या को सुलझाने के लिए वैसे ही प्रयास किए जा रहे हैं। क्षेत्रों के आधार पर जिले में मुख्यत: दो मौसमों में फसलें उगाई जाती है। एक खरीफ की एवं दूसरी रबी की। स्वतंत्रता के पहले जिले में सिर्फ खरीफ फसल का उत्पादन किया जाता था। परंतु स्वतंत्रता के बाद कृषि उत्पादन पर जोर दिया गया। जिससे सिंचाई एवं कृषि यंत्रीकरण की व्यवस्था से वर्तमान समय में रबी की फसलों को उगाने में सुलभता हो गई है। परम्परागत फसलों जिसमें कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा आदि फसलों तक ही सीमित था। जो अब साधनों के प्रयोग से ठीक हो रहा हैं।

शोधपत्र का साहित्य पुनरावलोकन –

1. सिंह रहिम (2008)- बताया कि कृषि क्षेत्र पुराने सुझावों पर टिका हुआ है, तो उद्योग एवं निर्यात क्षेत्र में काफी वृद्धि होगी। लेकिन वर्तमान समय में इतना तीव्र विकास संभव दिखाई नहीं देता। इसलिए भारत सरकार एवं योजना आयोग के लिए यह आवश्यक है कि कृषि क्षेत्र का विकास करें।
2. त्रिवेदी आर.एन.(2012) - भारतीय कृषि एवं कृषक विकास उत्पादन समस्या इस लेखक ने भारतीय कृषि व्यवस्था सहित कृषिकों की समस्याओं को समाज के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। भारतीय कृषक आज भी उत्पादन के बावजूद अनेक समस्याओं से घिरा हुआ है।
1. कृषि आर्थिक सर्वेक्षण (2013) - मध्यप्रदेश में 2001-02 से 2012-13 के दौरान कई प्रमुख फसलों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले 8 वर्षों में उत्पादन प्रति हेक्टेयर 831 किलोग्राम से बढ़कर 2011-12 में 1410 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है।
2. पाठक ऋणेतोश (2013) - सिंचाई के परम्परागत साधनों को विकसित करने के साथ ही नई तकनीकी को लागू करने पर ध्यान दिया गया है। नहरों के कार्यों को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त बजट की व्यवस्था की गई है।
5. सिंह ब्रजभूषण (1995) - ने कृषि अर्थव्यवस्था में कृषि को सर्वोपरि योगदान बताया है। और कृषि में बढ़ते हुए रोजगारों की संभावना से अवगत कराया है।

अध्ययन के उद्देश्य –

1. कृषि उत्पादन से आय पर प्रभाव का अध्ययन करना।
2. कृषि उत्पादन में सिंचाई के महत्व को देखना।

अध्ययन की परिकल्पना –

1. सिंचाई का कृषि उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
2. फसलों को सिंचाई करने से कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

शोध प्रविधि एवं समंकों का संकलन – बैतूल जिले में कृषकों की आर्थिक स्थिति के प्रभाव को जानने के लिए विषय से संबंधित ऐतिहासिक एवं नवीनतम सामग्री जुटाने का प्रयास किया गया है। उक्त शोध पत्र में वैज्ञानिक पद्धतियां, विश्लेषणात्मक, वर्णनात्मक एवं व्याख्यात्मक विधियों का प्रयोग

* (अर्थशास्त्र) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत
** (अर्थशास्त्र) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र प्राथमिक व द्वितीयक समंकों द्वारा आधारित है। बैतूल जिले की 10 तहसीलों में सविचार निदर्शन विधि से 4 तहसीलें, 1. घोड़ाडोंगरी 2. शाहपुर 3. आमना 4. मुल्ताई का चयन किया गया है। चयनित तहसीलों में प्रत्येक में 5-5 गाँव में प्रत्येक से दैव निदर्शन विधि द्वारा 10-10 किसानों का साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से बैतूल जिले में सिंचाई से आय तथा कृषि उत्पादन में परिवर्तन का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। द्वितीयक समंको का संकलन पूर्व प्रकाषित रिपार्ट, पत्र-पत्रिकाएँ इत्यादी की सहायता ली है।

सैद्धांतिक व्याख्या – बैतूल जिले के सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि सिंचाई सुविधा के पूर्व गेहूँ का उत्पादन न्यूनतम 2.5 क्किंटल प्रति एकड़ एवं अधिकतम 3.5 क्किंटल प्रति एकड़ था। लेकिन सिंचाई सुविधाओं के पश्चात् गेहूँ का उत्पादन न्यूनतम 6.5 क्किंटल प्रति एकड़ एवं अधिकतम 8.5 क्किंटल प्रति एकड़ होता है। अर्थात् सिंचाई सुविधाओं के विकास से गेहूँ का उत्पादन न्यूनतम 4 क्किंटल प्रति एकड़ एवं अधिकतम 5 क्किंटल प्रति एकड़ की वृद्धि हुई। सिंचाई के साधन नहीं होने के कारण पहले बैतूल जिले में चने का उत्पादन न के बराबर किया जाता था। किन्तु सिंचाई सुवधिाओं के विकास से चना का उत्पादन न्यूनतम 5.5 क्किंटल प्रति एकड़ एवं अधिकतम 8.5 क्किंटल प्रति एकड़ तक किया जा रहा है।

जिले में धान का उत्पादन न्यूनतम 2 क्किंटल प्रति एकड़ एवं अधिकतम 3 क्किंटल प्रति एकड़ में वृद्धि हुई है। सिंचाई साधनों की कमी के कारण राज्यों का उत्पादन नहीं किया जा रहा था लेकिन न्यूनतम 150 क्किंटल प्रति एकड़ एवं अधिकतम 180 क्किंटल प्रति एकड़ किया जा रहा है।

कृषि उत्पादन बढ़ाने वाले कारकों का प्रभाव – फसल उत्पादन हेतु सिंचाई सुविधाओं के साथ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की सन्तुलित आवश्यकता होती हैं। जिनके प्रयोग अथवा उपस्थिति से कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है। प्रमुख रूप से आधुनिक कृषि यंत्रों (ट्रेक्टर, कल्टीवेटर एवं अन्य) का प्रयोग रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, रसायनों, उन्नत बीजों, का प्रयोग बढ़ गया है। जिले में सर्वेक्षण के दौरान पाया गया है कि रबी की फसलें कुछ कृषि उत्पादन में एक तिहाई के समान है। परन्तु इनके द्वारा कुल उर्वरकों का दो तिहाई हिस्सा उपयोग किया जाता है। इसका कारण यह है कि इनके लिए सिंचाई की एक निश्चित मात्रा उपलब्ध है, किन्तु उनके दोहन हेतु साधनों का अभाव है। सर्वेक्षण में पाया गया कि कुल कृषि भूमि में फसल हेतु भूमि उपलब्धता कम है। लेकिन द्वि फसल एक फसल क्षेत्र की उपलब्धता अधिक है।

ऐसी स्थिति में अधिकांश कृषकों को कम खाद्य फसलों का उत्पादन अधिक किया जाता है। जिनमें मुख्य रूप से मक्का, गेहूँ आदि हैं, जो उसे चार माह की सिंचाई की आवश्यकता होती है तथा व्यापारिक फसलों में बड़े पैमान पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई की पूर्ति न होने के कारण कृषि भूमि से कम हिस्सों में बुवाई की जाती है। इससे कृषि उत्पादकता की पूर्ण क्षमता को प्राप्त नहीं हो रहा है।

कृषि में आधुनिक साधनों का प्रयोग से इसमें वित्त व्यवस्था की जरूरत बढ़ी है। श्रमिक और प्रबंधन दोनों ही अपने में वित्त की भूमिका महत्वपूर्ण है। कृषि के विभिन्न कार्यो हेतु वित्त की आवश्यकता पहले से अधिक होती है। अत: कृषि उत्पादन दिनों-दिन साधनों व संसाधनों पर निर्भर होता जा रहा है। इस वित्त की पूर्ति संस्थागत व असंस्थागत दोनों माध्यमों का प्रयोग किया जा रहा है।

तालिका क्र – 1 (देखे आगे पृष्ठ पर)

सिंचाई साधनों के द्वारा विभिन्न फसलों का उत्पादन में वृद्धि (प्रति एकड़) उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सिंचाई सुविधाओं के उपलब्ध होने से सभी फसलों में वृद्धि हुई है और सिंचाई से कृषि उत्पादन में प्रभाव पड़ा है।

सिंचाई स्त्रोतों के विकास से फसल विविधिकरण – सिंचाई स्त्रोतों के विकास के पश्चात कृषकों द्वारा विभिन्न फसलों का उत्पादन अथवा फसल विविधिकरण की स्थिति का वर्णन तालिका क्र. 2 में दर्शाया गया है।

तालिका क्र. – 2 (देखे आगे पृष्ठ पर)

स्पष्ट है कि सिंचाई स्त्रोतों के विकास से फसल विविधिकरण को अपनाने वाले कृषक 18.5 प्रतिशत है, जबकि सर्वाधिक 81.5 प्रतिशत कृषकों द्वारा फसल विविधिकरण को नहीं अपानया गया है। इसका मुख्य कारण कृषि भूमि है। उस उपलब्धता, कृषि का पारम्परिक ज्ञान, संसाधनों उपकरणों की कमी आना प्रमुख कारण है।

कृषि उत्पादन बढ़ाने वाले कारकों का प्रभाव – कृषि उत्पादन किसी एक तत्व की पूर्ण उपलब्धता पर निर्भर नहीं करता बल्कि विभिन्न तत्वों की संतुलित उपलब्धता पर निर्भर करता है। अध्ययन क्षेत्र के कृषकों द्वारा विभिन्न तत्वों के प्रयोग का वर्णन तालिका क्र.4 में किया गया है।

तालिका क्र. – 4 (देखे आगे पृष्ठ पर)

तलिका 4 से स्पष्ट है कि फसल उत्पादन हेतु सिंचाई सुविध के साथ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की संतुलित आवश्यकता होती है। जिनमें प्रयोग अथवा उपस्थिति से कृषि यंत्रों (ट्रेक्टर, कल्टीवेर एवं अन्य) का प्रयोग 61.5 प्रतिशत, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग 56 प्रतिशत, कीटनाशक रसायनों का प्रयोग 72.5 प्रतिशत, उन्नतशील जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र अभी हाल के वर्षो में हुई प्रगति में कृषि पशुपालन और पर्यावरण सहित अन्य क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण उपयोगिता सिद्ध हुई है।

निष्कर्ष – कृषि उत्पादन या उत्पादकता को प्रभावित करने वाले तत्वों से सिंचाई के साधनों का विशेष महत्व है। सिंचाई स्त्रोतों के अभाव में कृषि कार्य करना असंभव है। कृषि उत्पादकता में से आर्थिक स्तर में वृद्धि सम्पूर्ण आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल रहा है। जैसा कि सर्वविदित है। बैतूल जिले में गेहूँ, चावल तथा कपास आदि कुछ फसलें ऐसी होती है, जिनके लिए अत्यधिक मात्रा में जल की आवश्यकता पड़ती है। पानी की कमी को पूरा करने के लिए सिंचाई के स्त्रोत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

अत: हम कह सकते हैं कि सिंचाई की समस्त फसलों का उत्पादन वर्ष 2004-2005 में 497.43 मेट्रिक टन की तुलना में वर्ष 2015-16 में 1035.29 मेट्रिक टन जो 2004-05 की तुलना 537.66 मेट्रिक टन अधिक उत्पादन हुआ है। सर्वेक्षण के दौरान पाया गया है कि फसलों को सिंचाई करने से उत्पादन वर्षानुसार बढ़ा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. जन संसाधन विभाग (2013-14) प्रतिवेदन बैतूल पृ. 58-59
2. योजना (2014) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन भोपाल पृ.
3. 'जिला सांख्यिकी पुस्तिका' एवं जल संसाधन विभाग बैतूल (2013-14)
4. 'जिला सांख्यिकी पुस्तिका' एवं जन संसाधन विभाग बैतूल (2014-15)
5. भू-अभिलेख कार्यालय, बैतूल (2013-14)
6. प्राथमिक सर्वेक्षण वर्ष 2016 से प्राप्त जानकारी के विश्लेषित समंक।
7. मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण (2015), आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश।

8. Census of India 2011, Madhya Pradesh District census and Book Betul.

तालिका क्र. – 1 सिंचाई के उपयोग के पूर्व एवं पश्चात् विभिन्न फसलों का उत्पादन

फसल	सिंचाई साधन की अनुपलब्धता की स्थिति में उत्पादन (क्विंटल में)		सिंचाई साधन की उपलब्धता की स्थिति में उत्पादन(क्विंटल में)		अन्तर(क्विंटल में)	
	न्यूनतम	अधिकतम	सिंचाई से पूर्व	सिंचाई के पश्चात	न्यूनतम	अधिकतम
गेहूँ	2.5	3.5	6.5	8.5	4	5
चना	–	–	5.5	8.5	5.5	8.8
धान	3.3	5.5	15.5	19.5	12	14
मक्का	4	8.5	12	15.5	8	7
उड़द	2.5	3.5	5.5	8.5	3	5
कपास	2.5	3.5	10	15	7.5	11.5
गन्ना	–	–	150	180	18	180

स्त्रोत – प्राथमिक सर्वेक्षण वर्ष 2016 से प्राप्त जानकारी के विश्लेषित समंक।

तालिका क्र.2

फसल	सिंचाई साधन की अनुपलब्धता की स्थिति में उत्पादन (क्विंटल में)	सिंचाई साधन की अनुपलब्धता की स्थिति में उत्पादन (क्विंटल में)	अन्तर(क्विंटल में)
01	हाँ	87	18.5
02	नहीं	113	81.5
	कुल	200	100

स्त्रोत – प्राथमिक सर्वेक्षण वर्ष 2016 से प्राप्त जानकारी के विश्लेषित समंक।

तालिका क्र.4

फसलों का उत्पादन एवं विभिन्न कारण

क्रमांक	विवरण	हाँ	प्रतिशत	नहीं	प्रतिशत
01	आधुनिक यंत्रों का प्रयोग	123	61.5	77	38.5
02	रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग	112	56	88	44
03	कीटनाशक रसायनों का प्रयोग	145	72.5	55	27.5
04	उन्नतशील बीजों का प्रयोग	152	76	48	24
05	जैव प्रौद्योगिकी	53	26.5	147	73.5
06	वर्षा की पर्याप्तता	156	78	44	22
07	बहु फसल पद्धति	87	43.5	113	56.5

स्त्रोत – प्राथमिक सर्वेक्षण वर्ष 2016 के प्राप्त जानकारी के विश्लेषित समंक।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) July to September 2017, Vol. II

भोपाल संभाग में कृषि क्षेत्र की आर्थिक समस्याएँ एवं चुनौती

वन्दना सोनी *

प्रस्तावना – भोपाल संभाग में कृषि ग्रामीण जनसंख्या का जीविकोपार्जन का मुख्य साधन है। कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्य–सामग्री उपलब्ध करना है। वर्तमान में कृषि क्षेत्र में बढ़ती हुई लागत के कारण धन की आवश्यकता समय–समय पर पड़ती ही रहती है। कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए आवश्यक है कि कृषक आधुनिक ढंग से खेती करे ताकि कृषकों की आय में वृद्धि सम्भव हो सके। कृषि क्षेत्र जो सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का आधार है, वर्तमान में अनेक समस्याएँ एवं चुनौतियों से घिरा हुआ है। कृषि मानसून का जूआ होने के कारण बाढ़, सूखा, तूफान, ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं का संकट कृषकों पर प्रतिवर्ष मंडराता ही रहता है। प्राकृतिक कहर के कारण कृषि अब घाटे का व्यवसाय बनता जा रहा है। कृषक कृषि व्यवसाय से आय प्राप्त करने के उद्देश्य से खेती करते है किन्तु बढ़ती हुई लागत एवं प्राकृतिक आपदाओं के कारण कुछ समय में ही कृषक का धन एवं श्रम का नाश हो जाता है। अब कृषि जीवन यापन का आधार नहीं बल्कि चुनौतीपूर्ण जोखिम भरा व्यवसाय बन चुका है। ऐसी स्थिति में किसान न केवल निर्धन है बल्कि चिन्ताजनक तथ्य यह है कि ऋणगस्त कृषकों में आत्महत्या जैसी घटनाएँ भी बढ़ रही है। अध्ययन में कृषि क्षेत्र में उत्पन्न आर्थिक समस्याएँ एवं चुनौतियों का अध्ययन कर इनके समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत किए गए है।

अध्ययन के उद्देश्य –

1. कृषि क्षेत्र की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करना।
2. कृषि क्षेत्र में उत्पन्न चुनौतियों का मूल्यांकन कर सुझाव प्रस्तुत करना।

विश्लेषण – कृषकों की साख संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में पूरी नहीं हो पाती है। कृषकों को मजबूर होकर साहुकारों की शरण में जाना पड़ता है। साहुकार कृषकों को बहुत ऊँची ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराते है। कृषकों का शोषण साहुकार द्वारा किया जाता है। जिसका कृषको की आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में कृषकों को ऋणग्रस्तता से मुक्त कराने के लिए समय–समय पर सरकार द्वारा अनेक योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। कृषकों को साहूकारों के शोषण से बचाने के लिए सरकार कम ब्याज दर पर कृषकों को कृषि ऋण उपलब्ध करा रही है।

कृषक को ऋण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि वह स्वयं गरीब है तथा उसके आय के स्त्रोत अत्यन्त कम होते है। कृषि मानसून पर निर्भर होने के कारण यदि कृषकों की फसल खराब हो जाती है, तो वह ऋणग्रस्त हो जाता है। उसे अपने जीवन यापन एवं कृषि कार्य के लिए ऋण की आवश्यकता पड़ती है। इसका मुख्य कारण यह है कि कृषकों को केवल इतनी आय प्राप्त होती है कि जिससे वह केवल अपना जीवन यापन कर सके। सरकार ने मानसून की अनिश्चिता के कारण कृषकों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए फसल बीमा योजना के तहत भोपाल संभाग में खरीफ 2015 में करीब पौने पांच लाख किसानों को 1252 करोड़ रूपए से ज्यादा की बीमा राशि बांटी गई। सीहोर में बीमा राशि पाने वाले किसानों की संख्या कुल किसानों से 30 फीसदी है, लेकिन उन्हें मिलने वाली राशि कुल वितरित राशि का 35 फीसदी है। भोपाल संभाग में 2015 में 4 लाख 74 हजार 977 किसानों को खरीफ फसल का बीमा बांटा गया। इन्हें 1252 करोड़ 37 लाख रूपए से ज्यादा की राशि दी गई। संभाग के सीहोर जिले के एक लाख 45 हजार 288 किसानों को 2015 खरीफ में 443 करोड़ रूपए की बीमा राशि दी गई। संभाग के पौने पांच लाख किसानों के 30 फीसदी सीहोर के किसानों को कुल वितरित बीमा राशि 1252 करोड़ की 35 फीसदी बांटी गई। खरीफ 2015 में भोपाल जिले के 32400 किसानों को 6838 लाख रूपए, रायसेन जिले में 55325 किसानों को 172 करोड़, राजगढ़ के एक लाख 33 हजार 868 किसानों को 257 करोड़ रूपए और विदिशा के एक लाख आठ हजार 96 किसानों को 310 करोड़ रूपए बीमा राशि बांटी गई है। इन राशियों के वितरण से कृषक कृषि कार्य हेतु प्रोत्साहित हो रहे है। किन्तु कृषि एवं कृषकों के उत्थान के लिए किए गए ये सभी उपाय अत्यन्त अल्प साबित हो रहे है।

भोपाल संभाग में जहाँ कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कृषि कार्य जो जीवन यापन करने का आधार है। सामाजिक–आर्थिक प्रतिष्ठा से वंचित है। यही कारण है कि वर्तमान में युवा कृषक कृषि कार्य में रूचि नहीं रखते, जबकि कृषि कार्य की जगह अन्य व्यवसाय को करना पसन्द करते है क्योंकि कृषि व्यवसाय में अत्यन्त अल्प आय प्राप्त होती है साथ ही प्राकृतिक आपदाओं के कारण निरन्तर घाटे की स्थिति बनी रहती है। यह चिन्ताजनक तथ्य है कि एक ओर तेजी से जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है, वही दूसरी ओर हमारे कृषक लागत की तुलना में कम आय प्राप्त होने के कारण अन्य व्यवसाय करने को मजबूर हो रहे है। साथ ही निर्धन किसान कृषि कार्य हेतु ऋण लेते है किन्तु मानसून के कारण फसल नष्ट होने के कारण ऋणग्रस्त हो जाते है। ऋणग्रस्तता की स्थिति में गंभीर चुनौतियों से जूझने के कारण कृषकों में आत्महत्या जैसी प्रवृत्ति भी बढ़ने लगी है। यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो कृषि आधी से अधिक ग्रामीण जनसंख्या को रोजगार प्रदान करती है उस कृषि क्षेत्र की गणना इस रूप में कैसे संभव है। कृषि क्षेत्र को अब वर्तमान में आर्थिक प्रगति का सूचक नहीं माना जाता। आज कृषकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है की जितनी लागत लगाकर कृषक खेती करते है। उत्पादन के विक्रय से उचित आय प्राप्त नहीं हो पाती। कृषि ऋण व्यवस्था को सरल, मजबूत बनाने के लिए ऋण सुविधाओं के ढाँचे में

* शोधार्थी (अर्थशास्त्र) शासकीय सरोजिनी नायडू कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

आवश्यक सुधार किए जाने चाहिए ताकि कृषक अपने हित में संचालित ऋण सुविधाओं के विषय में जागरूक होकर इन सुविधाओं का उचित लाभ प्राप्त कर सके।

निष्कर्ष – कृषकों के सामने खेती करने के लिए बीज, खाद, सिंचाई, उर्वरक, मजदूरी, महंगे कृषि यन्त्र आदि साधनों का उपलब्ध होना अत्यन्त आवश्यक है। इन साधनों की उपलब्धि छोटे कृषकों के लिए काफी कठिन कार्य है। सरकार इन कृषकों को आवश्यकतानुसार कृषि ऋण उपलब्ध कराती है ताकि कृषक कृषि कार्य हेतु प्रोत्साहित हो सकें किन्तु इन कृषकों को वित्त व्यवस्था का उतना लाभ प्राप्त नहीं हुआ, जितना की बड़े भू–स्वामी कृषकों को लाभ प्राप्त हुआ है। इसके लिए कृषि कार्य हेतु उचित निवेश एवं ऋण प्रवाह की दर को बढ़ाना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि सरकार द्वारा अनेक प्रयास करने के बावजूद सही मायने में पात्र कृषक ऋण सुविधाओं से वंचित है जबकि साधन सम्पन्न कृषक ऋण सुविधाओं का अधिक लाभ प्राप्त कर रहे है। वर्तमान में आज न तो कृषि क्षेत्र का भविष्य सुरक्षित दिख रहा है और न ही कृषि क्षेत्र के घटते महत्व के कारण खाद्यान्न सुरक्षा का भविष्य सुरक्षित दिख रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि मानसून का विफल होना, ऋणग्रस्तता, सिंचाई के साधनों का अभाव, महाजनों व साहूकारों के ऋण जाल आदि चुनौतियाँ गंभीर रूप धारण कर चुकी है, जबकि इन चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त उपायों का अभाव दिख रहा है। यदि इन समस्याओं एवं चुनौतियों का उचित समाधान नहीं किया गया, तो कृषि जैसा महत्वपूर्ण क्षेत्र एक घाटे का सौदा बनकर रह जाएगा।

कृषि क्षेत्र में उत्पन्न चुनौतियों को दूर करने हेतु सुझाव –

1. **सिंचाई के साधनों का विकास एवं विस्तार –** कृषि पूर्णरूप से मानसून पर आधारित है। अत: सरकार द्वारा सिंचाई के साधनों को बढ़ाने का प्रयत्न करना अति आवश्यक है। सिंचाई की विभिन्न योजनाओं का उचित विकास किया जाना चाहिए।

2. **वित्त की सुविधाओं में सुधार –** कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक को प्रोत्साहन देने हेतु कृषकों को आवश्यकतानुसार उचित एवं पर्याप्त मात्रा में वित्त सुविधाएँ उपलब्ध होनी चाहिए। जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि सम्भव हो सके।

3. **कृषि विपणन की सुविधाएँ –** किसानों को कृषि उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त होना आवश्यक है। जब कृषकों को कृषि उत्पादन की विक्रय से उचित मूल्य प्राप्त होगा। तब कृषक अधिक लगन से कृषि कार्य करने हेतु प्रेरित हो गए। इसके लिए अधिक मात्रा में विपणन समितियाँ एवं मण्डियों की स्थापना की जानी चाहिए।

4. **उन्नत बीजों का उपयोग –** उन्नत बीजों के माध्यम से कृषि उत्पादन में वृद्धि सम्भव होती है। कृषकों को उन्नत, बीज, खाद, रासायनिक खाद आदि का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

5. **भूमि सुधार –** कृषि उत्पादन में वृद्धि करने हेतु आवश्यक है कि संभाग में भी भूमि सुधार कानूनों को प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाना चाहिए। जिससे भूमिहीन कृषकों को भी कृषि भूमि उपलब्ध हो सके।

6. **उचित मूल्य प्राप्त होना –** कृषि उत्पादन के क्रय विक्रय में सुधार किया जाना चाहिए। जिससे कृषकों को कृषि उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त हो सके। इसके लिए सहकारी कृषि साख समितियाँ की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। गोदाम एवं यातायात के साधनों का उचित विकास किया जाना चाहिए।

7. **कृषकों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था –** कृषक अभी भी परम्परागत ढंग से खेती करते है। कृषि के आधुनिक तरीके का इस्तेमाल नहीं करते। कृषकों को आधुनिक तरीके से खेती करने का प्रशिक्षण दिया जाना अति आवश्यक है। कृषकों को आधुनिक प्रशिक्षण के माध्यम से ही आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. अग्रवाल ए.एन. 'भारतीय अर्थव्यवस्था' विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा.लि., 1974, पेज नं. 461, 462
2. शर्मा डॉ. रामरतन 'भारतीय अर्थव्यवस्था' मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल, 2009, पेज नं. 117
3. सिंह एस.पी. 'आर्थिक विकास एवं नियोजन' (भारतीय अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ में), एस.चन्द एण्ड कम्पनी लिमिटेड रामनगर, नई दिल्ली, 2005, पेज नं. 302
4. सिन्हा डॉ. वी.सी. एवं सिन्हा, डॉ. पुष्पा 'अर्थशास्त्र' एस बी पी डी पब्लिशिंग हाउस, 2009, पेज नं. 53

पत्रिकाएँ–

1. कुमार सौरभ 'भारत में कृषि ऋण की चुनौतियां' कुरूक्षेत्र नवम्बर 2014, पेज नं. 30, 31
2. मोदी डॉ अनीता 'किसान हित के लिए प्रतिबद्ध बजट' कुरूक्षेत्र अप्रैल 2016, पेज नं. 19
3. नवदुनिया, समाचार पत्र, भोपाल 18 जुलाई 2017

****

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का स्थान

डॉ. शशिकिरण नायक * डॉ. रोहिणी त्रिपाठी **

प्रस्तावना – कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पिछले दशकों में औद्योगिक विकास के संगठित प्रयास के बावजूद कृषि का गौरवपूर्ण स्थान बना हुआ है। देश में सबसे बड़ा उद्योग होने के कारण, कृषि देश की 65 प्रतिशत जनता की जीविका का स्त्रोत है।

भारतीय कृषि और देश में रोजगार का ढांचा – कृषि की इतनी अधिक प्रधानता है कि भारतीय कार्यकारी जनसंख्या (Working Population) का बहुत बड़ा भाग रोजगार के लिए इस पर आश्रित है। जनगणना द्धारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से पता चलता है कि जहॉ 1951 में कुल श्रमिकों (Main Worker) का लगभग 70 प्रतिशत कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाओं में कार्यरत था, वहॉ 2001 में कृषि के भाग में गिरावट हुई और 59 प्रतिशत हो गया।

मध्यप्रदेश संभवत: देश का पहला राज्य है, जहॉ अलग से कैबिनेट आयोजित हुई, किसानों का जीरों प्रतिशत, ब्याज पर ऋण दिया जाना , पिछले चार वर्ष में हमारी कृषि विकास दर 18 प्रतिशत की दर पर उभरी, प्रतिशत के रूप में यह दर प्राप्त करने वाला मध्यप्रदेश देश का एक मात्र राज्य बनना, यही नहीं प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद, जो 10.5 प्रतिशत है, जिसमें कृषि का योगदान 5 प्रतिशत है, यह भी देश में सर्वाधिक है, ऐसी कई उपलब्धियां है, जो प्रदेश के किसानों के अथक परिश्रम और सरकार की कुशल नीति से मध्यप्रदेश के खाते में आई है।

मध्यप्रदेश इकलौता राज्य है, जिसे लगातार पांच कृषि कर्मण पुरूस्कार हुए हैं। दस– बारह साल पहले तक देश में मध्यप्रदेश की पहचान एक बीमारू राज्य के रूप मे थी। खेती किसानों को समृद्ध करके ही मध्यप्रदेश की पहचान एक 'बीमारू राज्य' का ठप्पा हटाने में सफल हो सकी है। आज मध्यप्रदेश की पहचान कृषि उत्पादन में अग्रणी राज्य की हैं। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाले हरियाणा और पंजाब को भी मध्यप्रदेश ने पीछे छोड़ दिया है।

किसानों का उचित मूल्य दिलाने के लिए भारत सरकार की एक अनूठी पहल बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस),के तहत अगर सामान्य वर्ष की तुलना में पैदावार में 10 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि होती है या बाजार मूल्य में 10 प्रतिशत से ज्यादा गिरावट आती है तब राज्य सरकार के प्रस्ताव पर राज्य सरकार उन जिन्सों को क्रय करने का आदेश देती है, जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण नहीं होता। इसे योजना के तहत राज्य और केन्द सरकार को मिलकर नुकसान का बोझ बराबर– बराबर वहन करना होता है।

प्रदेश की राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के अंतर्गत अब प्रदेश की अठारह नवीन मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना से जोडा जाएगा। इसके लिये राज्य सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेज दिया हैं। इस योजना से मंडियों को जुड़ने के बाद किसानों की फसल राष्ट्रीय स्तर पर बेचा जा सकेगा। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के पायलट प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार ने भोपाल की करोंद स्थित मंडी का सबसे पहले चयन किया था।

देश भर के किसान अब अपने मोबाइल पर यह मालूम कर सकेंगे कि उन्हें क्षेत्र में किस फसल के लिऐ कितनी मात्रा में खाद डालनी है। यह जानकारी उन्हें कृषक एप पर मिलेगी। इस एक बार डाउनलोड करने के बाद इसके इस्तेमाल के लिए इन्टरनेट की कनेक्टिविटी भी जरूरी नहीं है।

- घर बैठे खाद की सटीक जानकारी फसल के अनुसार किसानों को मिल जायेगी।
- मिट्टी परीक्षण कार्ड नहीं होने पर भी जानकारी मिल सकेगी।
- इन्टरनेट कनेक्शन नहीं होन पर भी जानकारी ले सकते है।
- कृषि विभाग के बिना सलाह के भी फसल में खाद के बारे में निर्णल ले सकते है।

नेशनल सीडस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किसानों को खराब बीज सप्लाई किए, जिसका बजट से किसानों की फसल खराब हुई। इस नुकसान के लिये नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड 28 किसानों को फसल की राशि का भुगतानल कम ब्याज करेंगा। म.प्र. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिपोषण आयोग की पीठ ने ये आदेश दिए हैं।

प्रत्येक जिले में कम से कम एक स्किल सेंटर खोलेगी। हर जिले में न्यूनतम 500 युवाओं का किसी न किसी स्किल में दक्ष किया जाएगा और बेहतर नौकरी देने वाले ट्रेंड में एक मास्टर ट्रेनर भी तैयार किए जाएंगे। ट्रेनिंग के बाद बेहतर रोजगार के अवसर हासिल हो पाए इसके लिए उन्हें विभिन्न कंपनियों के प्लांट औद्योगिक इकाई तथा उत्पादन केंद्र में इंटर्न और स्किल के लिए जरूरी लाइव – वर्क प्रोजेक्ट से भी जोडा जायेगा। 484 जिलों में स्किल सेंटर फाइनल हो गए हैं। 2017 की स्थिति में 162 शुरू हो गए हैं और 322 शुरू होने के क्रम में है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. भारतीय अर्थव्यवस्था – दत्त, सुन्दरम, एस चन्द्र दिल्ली।
2. म.प्र. सन्देश जून 2017 म.प्र. शासन।
3. भारतीय अर्थशास्त्र – एल. एल. सेठ।
4. भारतीय अर्थशास्त्र –एम. एम. कोली।
5. भारतीय अर्थशास्त्र – डॉ शशिकिरण नायक।

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) सरोजनी नायडू कन्या महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) सरोजनी नायडू कन्या महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

BREXIT : Impact On The European Union And The United Kingdom

Dr. Swati Thakur *

Abstract - In June 2016 the United Kingdom decided by a thin majority to leave the European Union. The Brexit will affect the future of both the European Union and the United Kingdom. An exit from the single market and custom Union will have a profound impact on the economy of both the European Union and the United Kingdom. Brexit has also stirred a hornet nest which may trigger a process of disintegration in both the European Union and the United Kingdom. Many more countries have expressed their unwillingness to be a part of the European Union. In a similar manner, Scotland and Northern Ireland have expressed their unwillingness to be a part of United Kingdom. Brexit will recast the future of whole Europe. This paper analyses the impact of the Brexit on the European Union and the United Kingdom
Keywords - Brexit, disintegration, United Kingdom, referendum, European Union.

Introduction - "Brexit" is an acronym which denotes the exit of the United Kingdom (UK) from the European Union (EU). A referendum took place in the UK on 23rd June 2016 in which the British voted by a very thin majority of 51.9%[1] to leave the European Union. This momentous referendum will reshape the order of the European Union thereby affecting the whole world order.

BREXIT - In the year 2009, the United Kingdom Independence Party (UKIP) succeeded in making Brexit an agenda in each election. UKIP under the leadership of Nigel Farage raised concerns about rising immigration, in particular among the white British working class. In 2010 General Election, David Cameron leader of the conservative party promised to hold a referendum on the Lisbon Treaty. But Prime Minister Cameron could not fulfill his promise as he was leading a coalition government. In the 2015 general elections promise of holding a referendum on British exit from the European Union was made in the Conservative party manifesto. This time conservative Party won a majority of seats in the House of Commons. Conservative Party was then uniquely in a position to move ahead with a popular consultation.[2] The pressure exerted by the UKIP on the government is regarded as one of the reasons for the referendum.

On Thursday 23 June, 2016 referendum took place in the UK to decide whether the UK should leave or remain in the European Union. Leave won by 51.9% to 48.1%. The referendum turnout was 71.8%[3]. The result of the referendum has sent the shock wave across the world. Britain would take about two years time to formally come out of the Union. Brexit is going to recast the whole European politics and its implications for the European Union are going to be deep rooted.

Impact On The European Union - Since 2008 large debts and public finance crisis in EU forced the member states to question the validity of their continued membership in the union. The Brexit vote has only strengthened their skepticism. It may have a domino effect in the EU. The demand for the referendum on EU membership was raised in almost five countries including its founding members, France and Italy. Therefore, Brexit is being termed as the "the beginning of the end of the European Union"[4]. The disintegration process could start from Eastern Europe. The Czech Republic joined the Community in 2004. As a member state of the EU, it received billions from the EU funds. However, barely a decade after gaining EU membership, dissatisfaction has started erupting in the Czech Republic. 'The Czechs are not happy with their membership. The Czech public opinion is outraged with Brussels migration policy. At the start of the year, the Prime Minister, Bohuslav Sobotka, announced that if Brits decided to leave the EU, the Czech Republic would have to engage in a similar discussion[5].

A disintegrated Europe would be a threat to the world order. The North Atlantic Treaty Organization (NATO) Secretary General Jens Stoltenberg warned against Brexit, saying that Britain acted as an important bridge between the EU and NATO and promoted the sharing of information on the terrorist threat. EU- NATO cooperation had been instrumental in curbing the mass movement of people

*Assistant Professor (Political Science and Public Administration) Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow (U.P.) INDIA

across the Aegean Sea, he added "to fight the terrorist threat we need both the EU and NATO and we need stronger cooperation between NATO and the European Union."[6] This would be difficult when Brexit acualises.

Brexit is likely to affect the balance of power in the European Union. "Prior to Brexit, the Big Three (Germany, France, and the UK) formed a semblance of a modern-day Concert of Europe, with a precarious balance of power and interests that the other (smaller) member states were able to leverage to achieve their own goals."[7]. There are several scenarios conceivable on what the new division of power would look, the most likely being the Franco-German axis dominating the decision making since the other member states could do very little to stop a proposal from passing

Since 2008 debt crisis wide gap appeared in the economies of the EU. A northern and Southern Europe emerged. Mostly countries above the Alps were termed as the northern countries. These countries stand for 'economic discipline' and oppose Europe-wide redistributive policies. On the other hand, Southern countries tend to support redistribution and protectionism. Britain along with Sweden was a part of North. Brexit will shift voting weights 'in favour of countries that tend to support redistribution and protectionism that is, towards the south'[8]

Impact On The United Kingdom - Since becoming a member of the European Union (EU) in 1973, GDP per capita in the United Kingdom (UK) has doubled, outpacing other affluent non-EU English-speaking countries. Brexit would have persistent adverse consequences on economic activity in the UK[9]. The impact loss of access to the Single Market of the EU would be huge for the UK. It would result in lower FDI inflows into the UK. This would weaken fixed investment, reduce export capacity and hit innovation and productivity over time. Managerial quality would also decline, given the evidence that management quality is higher in foreign multinationals in the UK than in domestic firms, damaging organisational efficiency, and further hitting overall productivity. Some FDI inflows could be diverted to EU countries as the UK would become less attractive for both EU and non-EU clients.

An important consequence of Brexit will be that the EU leaders will want to discourage other states from leaving the Union, therefore, they will not offer Great Britain satisfactory terms of access to the common market. EU-trade oriented exporters from Britain will suffer a significant loss (despite the favourable for them, drop in pound value), while financial institutions will move from the City of London to centres inside the Eurozone[10].

The United Kingdom comprises of four political entities England, Wales, Scotland and Northern Ireland. Among these four, voices of dissent have been arising in Scotland and Northern Ireland. In the year 2014 Scotland conducted a referendum on the question whether Scotland should be an independent country? Scots decided by 55.3%[11] to stay in the United Kingdom. It was argued that Scotland voted against leaving the UK because that would mean losing the membership of the EU. Even during the Brexit vote only 38 percent of the Scots voted to leave the European Union. An overwhelming majority was in favour of being a part of the EU. This has raised question about the future of Scotland in UK. The Scottish National Party leader and First Minister of Scotland, Nicola Sturgeon, has already said a referendum is "highly likely". This is an unprecedented situation for the UK. Nicola Sturgeon in an interview said, "The people of Scotland should have the right to choose between Brexit or becoming an independent country able to chart our own course and create a true partnership of equals across these islands."[12] If Scots vote to leave the UK it would be a disaster for Britain.

Studies reveal that Brexit is expected to have a disproportionate impact on Northern Ireland's economy which is reliant on exports to the EU, including in the food and agriculture sectors which would be hit hardest if the UK ends up paying EU tariffs. Some economists have also warned of a drop-off in foreign direct investment, off-setting the benefits of Northern Ireland's lower corporation tax rates. Ultimately, the actual impacts would depend on the kind of trading relationship that the UK negotiates with the EU post Brexit. In the Brexit vote 56 percent of the Irish population had voted to remain in the EU. The Brexit vote has come up as a shock. The Northern Ireland's population broadly comprises of Unionist (those who want to remain the United Kingdom) and republicans (want to break away from the United Kingdom). The republican section of the Irish population is demanding to hold a referendum on leaving the United Kingdom and joining the Republic of Ireland as "as soon as possible".

Conclusion - Brexit vote is the turning point in history. The United Kingdom had not been the founding member of the EU. It applied three times before it was successful in getting the membership of what was then known as the EEC. As soon as Britain attained the membership, a section of the population and political parties started raising a demand for a referendum. In 2007 Lisbon Treaty of the EU came into existence. It gave EU member the right to quit unilaterally. Treaty also outlines the procedure for doing so. The United Kingdom is the first country to exercise this option. Impact of the Brexit vote is going to be extensive and deep rooted. There is a constant debate about the implications of the Brexit vote.

The Brexit vote has triggered a debated on the integration of the European Union itself. The future of the EU looked even more dismal with the rise of the far right in France and Norway. Marine Le Pen and Geert Wilders termed Brexit as the end of the European Union. In 2017, general elections took place in both these countries. The results prove that future of EU is not bleak. Electorates in both the countries rejected the far right ideology that believed in the disintegration of the EU. The new French President, Emmanuel Macron believes in strengthening the EU together with other European countries. Franco-German partnership could redefine the balance of power in the EU.

There may be some problem with the East European countries like Czech Republic but a strong EU would ultimately emerge successful.

Brexit is going to have large scale impact on the future of the United Kingdom. Scotland and Northern Ireland have been demanding an independent status for a long time. Both Scotland and Northern Ireland have faith in the spirit of the European Union. In the Brexit vote both these entities voted overwhelmingly to stay in the EU. The Brexit vote does not respect the opinion of these countries. Scottish First minister has decided to hold a referendum on Scotland's future in European Union. If the Scots vote to break away from the UK the Union will weaken. In fact it will stir a demand for complete independence from Northern Ireland also. A soft Brexit will create an atmosphere of cooperation and understanding which will be beneficial for both the UK and the EU.

References :-

1. www.bbc.com
2. Glencross,Andrew, Why the UK voted for Brexit: David Cameron's Great Miscalculation, Palgrave Macmillan, London, 2016, p. 10
3. Marine Le Pen in an interview to Time magazine, www.time.com
4. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/czechrepublic/12170994/Czechs-will-follow-Britain-out-of-EU.html
5. www.guardian.com
6. http://europeum.blogactiv.eu/2017/05/09/the-change-in-the-balance-of-power-after-brexit/(Kafsack, 2016)
7. The Economic Consequences of Brexit: ATaxing Decision OECD economic Policy Paper, April 2016,p 17
8. Pera, Jacek, "Brexit and the Risk of Further Disintegration of the European Union", http://www.wneiz.pl/twe/numery/twe-8-2016

****

Legislative Control over Administration through Committee on Estimates

Dr. Anvita Massand *

Introduction - The rapid expansion in the activities of the administrative departments and the growing complexities and technicalities of the legislative business have increased the workload of the Legislature. In order to enable the Legislature to cope with it, various Legislative Committees are constituted by the Legislature from amongst its members. These Committees "save time of the House for the discussion of important matters"[1] and are expected to keep effective surveillance and control over the gamut of governmental activity on behalf of the Legislature.

There are two widely accepted models of Parliamentary Committees viz. the Committee System of the British Parliament and that of the American Congress each with its own distinctive features.[2]

The Committee System followed by the Indian Parliament seems to be nearer the Committee System of the British House of Commons with some variations.

The Committees of the UP Assembly are largely modelled after the Committee system of the Indian Parliament.

Committee on Public Accounts, one of the three Financial Committees of the U.P. Legislature, consisting of members of the lower House of legislature, is elected by the House in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote. It consists of 25 members.

The Working of Committee - The function of the Estimates Committee begins after the presentation of the Budget. The Committee examines the estimates and suggests measures to bring down the expenditure. It (a) reports to the House what economies, improvements in organisation, efficiency or administrative reform consistent with the policy underlying the estimate may be affected; (b) suggests alternative policies in order to bring about efficiency and economy in administration; and (c) suggests the form in which the estimates shall be presented to the Assembly.[3]

The Committee examines the estimates throughout the financial year.[4] It is not essential for the Committee to examine the entire estimates of any one year[5] and so it chooses subjects or Departments to be examined in a particular year. The Demands for Grants of a financial year may be finally voted notwithstanding the fact that the Committee has made no Report.[6] This is in contrast to the British system where the Estimates Committee presents its Report to the House before the final vote on the estimates takes place.[7]

The subjects examined by the Committee between 1977 and 1991 were (1) Primary Education, (2) Harijan and Social Welfare Department, (3) Western Gandak Canal Project, (4) Vikendriyit Niyojan Pranali, (5) Rural Development in Nainital, (6) Seepage, (7) Tehri Dam Project, (8) Housing and Urban Development, (9) Estate Department (10) Reform in Structure of Budget (11) Report on Presentation of Supplementary Grants in Revised Form, (12) Report on Development of Areas Surrounding Badrinath and Kedarnath Temples, and (13) Report on Repairs of Dispensaries. The Committee thus examined thirteen subjects in thirteen years, that is on an average it could examine only one subject in a year. The Committee did not examine even a single Department in entirety and as a result vast areas of the activities of the Government escaped from the scrutiny of the Committee.

The Committee submits Original Reports, Special Reports and Action Taken Reports. The recommendations made by the Committee were of varied nature. For instance, the Committee while examining the estimates of the Department of (Primary) Education suggested economy by recommending that the posts of Nagar Kshetra Shiksha Adhiksak/ Adhikshika be abolished and their work be entrusted to Zila Basic Shiksha Adhikari[8].

The Committee suggested the re-organisation of the Department of Harijan and Social Welfare by bifurcating it into the Department of Harijan Welfare and the Department of Social Welfare for better and effective functioning of the Departments since the working and objects of the two Departments were different and moreover their Budgets were also being prepared separately even after their amalgamation.[9]

While examining the estimates of the Tehri Dam Project, the Committee found anomaly in the payment of

*Assistant Professor (Political Science) Ramadheen Singh Girls Degree College, Lucknow (U.P.) INDIA

compensation to the persons displaced by the construction of Tehri Dam — those who had vacated their lands without any resistance were paid the fixed amount of compensation but those who resisted and dragged the Government to litigation were paid 15% solatium in addition to the fixed amount of compensation. The Committee recommended that all the displaced persons should be treated at par and be given 15% solatium over the compensation amount.[10]

Implementation of the Committee Recommendations - The Government sent its replies to the recommendations of the Committee, informing the Committee of the recommendations implemented. The Government in some cases differed and made its view points known. In some cases the Committee concurred with the Government view point but in most of the cases the Committee usually disagreed with the Governments explanation for not accepting them and pressed for its implementations.

The Committee on Estimates for the year 1982-83 had recommended that while preparing the estimates, all factors and future eventualities be taken into account and the estimates should be near to the actual expenditure.[11] The Government in its reply informed the Committee that in pursuance of its recommendation, the estimates for the year 1984-85 had been prepared accordingly.[12]

To the Committee's recommendations that the facility of coaching classes for entrance examinations of Medical and Engineering courses be extended to the other socially and economically backward students besides those belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes,[13] the Government informed the Committee that since the scheme was not functioning satisfactorily, it was under review.[14] Thereupon the Committee reconmended for the closure of the said coaching centres.[15]

The Committee while examining the estimates of the Department of (Primary) Education brought to light a case of fraud. The Education Department was giving educational aid to unscrupulous persons for non-existent educational institutions.[16]In response to the Committee's recommendations, the Government issued strict instructions to the Director of Schools to vigilantly screen the applications at all levels before recommending educational aid for any educational institution.[17]

Regarding the Committee's recommendations for amendment in Rule 12 of the Bikrikar Adhiniyam, the Government informed the committee that in pursuance of its recommendations, the amendment had been accordingly made and thereby all the traders have to maintain the details of the purchase and the sale of all their goods.[1818]

Conclusion - A study of the Reports of the Committee on Estimates thus reveals that the Committee laid more stress on the administrative aspects than on examining the estimates or the financial aspect. Nevertheless, whatever work the Committee did, cannot be discounted. It highlighted cases of irregularities and negligence, which bred inefficiency, and waste and also absolutism of the Executive. The Committee through its recommendations, ensured to some extent financial discipline in respect of efficiency and economy.

References :-

1. Khadilkar, R.K., 'The Committee System in Parliament', Journal of Parliamentary Information, Vol. XIII, Part II, October, 1967, p. 163.
2. Sayeed, Dr. S.M., 'The Committees of U.P. Legislature, Indian Council of Social Science Research, Lucknow, 1974, p. 3.
3. Rule 232 (1), UPLA Rules.
4. Rule 232 (2), ibid.
5. Ibid.
6. Ibid.
7. Sayeed, Dr.S.M., 'The Committees of U.P. Legislature', Indian Council of Social Science Research, New Delhi, 1974, p. 175.
8. 4th Report, Estimates Committee, 1983, p. 15.
9. 2nd Report, Estimates Committee, 1982, p. 17.
10. 2nd Report, Estimates Committee, 1986, pp. 14-15. Figures collected from the Action Taken Reports.
11. 4th Report, Estimates Committee, 1983, p. 1.
12. ATR, 8th Report, Estimates Committee, 1985, p. 5.
13. 2nd Report, Estimates Committee, 1982, p. 8.
14. ATR, 1st Report, Estimates Committee, 1985, p. 252.
15. Ibid., pp.25-26.
16. 4th Report, Estimates Committee, 1979, pp. 12-13.
17. ATR, 3rd Report, Estimates Committee, 1983, p. 30.
18. ATR, 1st Report, Estimates Committee, 1981, p. 6.

****

राजनीतिक कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व (भोपाल जिले के विशेष संदर्भ में)

संतोषी कैथल *

शोध सारांश – सूचना प्रौद्योगिकी एवं राजनीतिक व्यवस्था दोनों ही पृथक-पृथक विषय हैं। किन्तु सूचना प्रौद्योगिकी के विकास और बढ़ते प्रयोग ने लोकतांत्रिक भारत की राजनैतिक गतिविधियों को प्रभावित किया है। आज देश के कोने-कोने में टी. वी चैनलों व रेडियो, कम्प्यूटर, इंटरनेट, आदि संचार माध्यमों की भरमार है। संचार माध्यमों की आवाज हर स्थान पर गूंज रही है। जिससे जनता तक उनके प्रतिनिधियों की आवाज पहुंच पा रही है। इन माध्यमों के जरिए आम भारतीय नागरिक भी अपने अधिकारों, राजनीतिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो रहे हैं। साथ ही बढ़-चढ़ कर राजनीतिक गतिविधियों में भाग भी ले रहे हैं। आज सूचना प्रौद्योगिक उपकरण समस्त मानवीय क्रियाओं का आधार बन कर उभरी है। जो राजनीतिक व्यवस्था को भी आंन्तरिक रूप से प्रभावित करता है। इन उपकरणों के बिना अब राजनीतिक गतिविधियों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस लिए अब सूचना प्रौद्योगिकी को सभी प्रकार के राजनीतिक कार्यक्रमों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रस्तावना – वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी और जनसंचार के माध्यम से राजनीति का समाजीकरण किया जा रहा है। जनसंचार राजनीतिक समाजीकरण का एक अत्याधिक महत्वपूर्ण साधन है। समाचारपत्र, पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, कम्प्यूटर, इंटरनेट आदि। राजनीतिक मनोरंजन के साथ-साथ राजनीतिक आदर्शो व स्वच्छ प्रणाली का परिचय भी कराती है। लोकतांत्रिक देश में सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व राजनीतिक प्रक्रियाओं को सरल, रोचक एवं प्रभावपूर्ण बनाने के लिए किया जा रहा है। राजनीतिक व्यवस्था का सीधा सम्बंध सत्ता और जनता से है। भारतीय राजनीति में सत्ता के विकेंद्रीकरण की व्यवस्था की गई है। इस कारण से शासन के विभिन्न अंगों में सूचना प्रौद्योगिकी को जोडा जाना आवश्यक है।

उद्देश्य – राजनीतिक कार्यों में पारदर्शिता लाना। राजनीतिक कार्यों में जन सहभागिता को बढ़ावा देना। स्वच्छ राजनीति वातावरण का निर्माण करना।

अध्ययन पद्धति – प्रस्तुत शोध विषय के अध्ययन के लिए मेरे द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गयी है। उसमें प्राथमिक एंव द्वितीय दोनों ही संमकों का उपयोग किया गया है। इसके लिए राजनीतिक कार्यो में सूचना प्रौद्योगिकी विषय से जुडे सभी पहलुओं को जैसे, राजनैतिक, सामाजिक, तकनीकी उपकरणों का अनिवार्य उपयोग एंव प्रभाव का भी अध्ययन किया गया है। प्राथमिक संमकों के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्थाओं को तकनीकी द्वारा विकासशील व दृढ़ बनाने के लिए राजनैतिक पदअधिकारियों, कर्मचारियों, विभिन्न विभागों, आम जनता एंव राजनीतिज्ञों के विचार एकत्र कर शोध के लिए आधार बनाया गया है और विश्लेषण के पश्चात रिपोर्ट तैयार कर सारणी वह ग्राफ तैयार किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी का विकास और राजनीतिक – सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभाव को हम बीसवीं सदी से देख सकते हैं। जिसने हमारे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में एक नवीन परिवर्तन ला दिया है। इस परिवर्तन का आरम्भ औद्योगिकीकरण के कारण हुआ। 20वीं सदी के अंतीम दषक और इक्कीसवीं सदी के प्रारंभ में टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। जिसने हमारे राजनीतिक जीवन में अद्भूत परिवर्तन ला दिया है। 'जानडेवी का कथन है, कि राजानीति का उद्देश्य मनुष्यों की समस्याओं का हल निकालना है। लोग प्रत्येक विचार और धारणा का व्यवहारिक परिणाम जानना चाहते हैं। सच्चा सिद्धांत वह है, जो उन्हें लाभ पहुंचाए।' इसलिए राजनीतिज्ञों को चाहिए की वे अपने लक्ष्यों, आवश्यकताओं, नीतियों और उनके परिणामों के विषय में जनता को पूरी जानकारी दें। नेतागण और नागरिकों में संचार माध्यम ही आपसी सद्भाव को पैदा कर सकता है। जो राजनीति दल नागरिकों की समस्याओं का सही हल निकाल सकेगें और उस हल की पूरी जानकारी भी मतदाताओं को दे सकेगें, वही जनता के विश्वासपात्र बनकर सत्ता अपने हाथ में रख सकेगें।

प्रदेश व जिले में सूचना प्रौद्योगिकी – भारत एक कल्याणकारी देश है, और इस वजह से आम जनता के विकास के लिए तमाम योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है। स्वतंत्रता से लेकर वर्तमान तक सरकारी तथा गैर-सरकारी योजना को जनता तक पहुंचाने, जनता की भागिदारी सुनिश्चित करने में सूचना प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सूचना प्रौद्योगिकी के सकारात्मक सहयोग से ही विकास को गति मिली है। आज इन संचार माध्यमों ने प्रदेश व जिले स्तर पर भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मध्यप्रदेश में विधान सभा चुनाव में जमकर इंटरनेट पर प्रचार-प्रसार किया गया। वीडिया कांफ्रंसिग के जरिए चुनाव की तैयारियों की समीक्षा, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा की यहाँ गई। इस समीक्षा में संभागयुक्त के अलावा कलेक्टर, पुलिस, अधीक्षक आदि को शामिल किया गया। इस वीडिया कांफ्रेंसिग में चुनाव की तैयारियों से सम्बंधित सामग्री की व्यवस्था। आदर्श आचरण, संहिता, शिकायतें तथा उनका निराकरण आदि के बारे में जानकरी दी गई। जो कि सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों के द्वारा ही संभव हो सका। प्रदेश में मतदाताओं को जागरूक और मताधिकार का महत्व बताने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग ने कम्प्यूटर गेम-गेट-सेट-वोट जारी किया गया। इसके साथ ही आयोग ने फोटो बुक, गर्व से बनें मतदाता, एनिमेशन फिल्म मस्ती दोष्ती और मतदान, रेडियो स्टोरी लोकतंत्र एक्सप्रेस,

* शोधार्थी (राजनीति) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

बोर्ड गेम वोट की बाजी और रेडी–स्टडी–वोट के साथ–साथ कार्टून सीरीज वाह इलेक्शन वाह भी जारी किया।

सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग सामान्य लोगों की जिंदगी को आसान बनाने और बेहतर पारदर्शी प्रशासन देने के लिए भी किया जा सकता है। इसे साबित किया है मध्य प्रदेश ने प्रदेश में पिछले एक दशक में सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का एक ऐसा ढाँचा तैयार किया है। जिसके माध्यम से प्रदेश के सामान्य नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाया जा सके। निवेश हो या नागरिक सेवाएँ आज प्रदेश के में आई. टी. उत्कृष्टाता का पर्याय बनता चला जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से जन सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने, पारदर्शिता बढ़ाने और शासकीय कार्य प्रक्रियाओं को सुगम और जवाबदेह बनाने के नवाचारों में राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश का प्रमुख स्थान है। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा प्रथम राज्य है। जिसने अपने प्रयासों के आधार पर आई, पी, व्ही सिक्स का क्रियान्वयन कर प्रदेश शासन की लगभग 30–40 वेबसाइट को आई, पी, व्ही सिक्स से प्रमाणित किया है। अब तक 42 विभाग के 3600 कार्यालय पदाभिहित अधिकारी को स्टेटवाइड एरिया नेटवर्क से कनैक्ट किया गया है अत्याधुनिक स्टेट डाटा सेंटर में 34 शासकीय विभाग की ऑनलाइन एप्लीकेशन्स के अलावा प्रदेश स्तर की सभी एप्लीकेशन्स का डाटा सुरक्षित उपलब्ध कराया जा रहा है।

भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में आई. टी. पार्क. स्थापित किये गये। टीसीएस, इन्फोसिस के अलावा कई नामी कम्पनियों के डेव्हलपमेंट सेंटर प्रदेश के शहरों में स्थापित किए जा रहे हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफेक्चरिंग क्लस्टर्स की स्थापना भी की गई। षासकीय क्रय प्रक्रिया में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित किए जाने के लिए ई–प्रोक्योरमेंट सिस्टम की स्थापना की गई है।

प्रदेश के सभी जिलों में 412 शिक्षा संस्थान, जिसमें 100 महाविद्यालय और 321 विद्यालय शामिल है। चुनिन्दा शिक्षकों और विशेषज्ञों द्वारा वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के दूरस्थ विद्यार्थियों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान की जा रही है। सरकारी अमले को सूचना प्रौद्योगिकी में दक्ष किये जाने के लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से संभाग स्तर पर 15 क्षेत्रीय क्षमता संवर्धन केंन्द्र की स्थापना। परियोजना के सकरात्मक परिणामों को देखते हुए प्रदेश के शेष 36 जिलों में भी इन केंद्र की स्थापना शीघ्र की जायेगी।

मध्यप्रदेश देश का एक मात्र राज्य है, जिसने शासकीय कार्य व्यवहार में त्वरित और विश्वसनीय संचार के लिए ई–मेल नीति लागू की है। राज्य स्तर पर संचालित विभिन्न परियोजनाओं के समयबद्ध, दक्ष क्रियान्वयन के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संस्था प्रोजेक्टर मेनेजमेंट इंस्टीट्यूट के भारतीय प्रभाग के सहयोग से परियोजना प्रबंधन ढाँचे की स्थापनाकी है। ई–गवर्नेंस और आई. टी. दक्ष मानव संसाधन के लिए शासकीय विभागों में वर्चुअल सूचना प्रौद्योगिकी संवर्ग का गठन किया गया है।

नागरिकों की शिकायतों के निराकरण में तेजी लाने के लिए जुलाई 2014 से सीएम हेल्पलाइन 181 शुरू किया गया। इसके माध्यम से लोग न केवल अपनी समस्याओं का समाधान करवा पा रह है। बल्कि योजनाओं की जानकारी भी प्राप्त कर रह हैं। मध्य प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एक नई दिशा दी जा रही है। इस विभाग के अंर्तगत मध्यप्रदेश जैव प्रौद्योगिकी परिषद्, मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, एम.पी.एस. ई.डी सी, और मैप आई.टी विभाग आते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी आवष्कता को देखते हुए। इस विभाग का प्रयास रहा है कि राज्य शासन के विभिन्न अंगों को आधारभूत अधोसंरचना उपलब्ध कराई जाए।

1. क्या संचार क्रांति ने आम नागरिकों को राजनीतिक क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया है ?

सारणी क्रमांक–01

क्र.	विकल्प	कुल उत्तरदाता संख्या–250	प्रतिशत
1	हाँ	179	71
2	नही	38	15.2
3	कुछ हद तक	33	13.2
4	कुल	250	100

स्त्रोत स्वयं अनुसंधान – उपर्युक्त तालिका में 71 प्रतिशत व्यक्तियों का कथन ***हां*** एवं 15.2 प्रतिशत व्यक्तियों का कथन ***नही*** और 13.2 प्रतिशत व्यक्तियों का कथन ***कुछ हद तक*** है।

ग्राफ क्रमांक–01

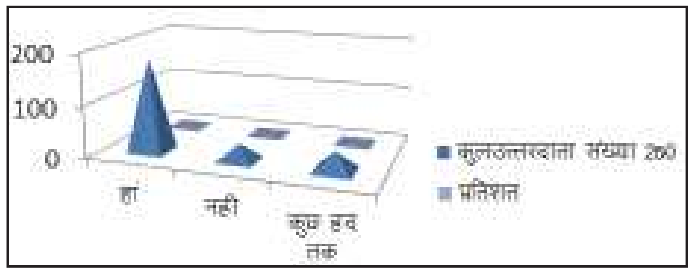

विश्लेषण – संचार क्रांति ने आम नागरिकों को उनके राजनीतिक अधिकारों के बारे में अवगत कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एवं सोशल मीडिया को एक नवीन दिशा प्रदान की है। जिससे घटित हुई किसी भी क्रिया को जल्द से जल्द सार्वजनिक होने में ज़रा भी समय नहीं लगता। और इन्ही घटनाओं पर अपने विचार व्यक्त कर आम नागरिक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने में सक्षम हो सका है।

2. क्या आम नागरिक सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर राजनीतिक कार्यों में सहयोग देने में सर्मथ हैं सारणी क्रमांक–12

क्र.	विकल्प	कुल उत्तरदाता संख्या–250	प्रतिशत
1	हाँ	186	74.4
2	नही	33	13.2
3	कुछ हद तक	31	12.4
4	कुल	250	100

स्त्रोत स्वयं अनुसंधान – उपर्युक्त तालिका में 74.4 प्रतिशत व्यक्तियों का कथन ***हां*** एवं 13.2 प्रतिशत व्यक्तियों का कथन ***नहीं*** और 12.4 प्रतिशत व्यक्तियों का कथन ***कुछ हद तक*** है।

ग्राफ क्रमांक–2

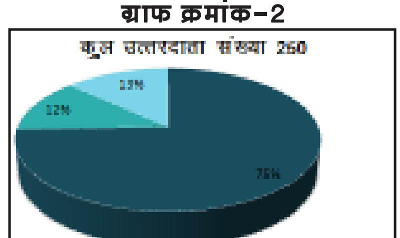

विश्लेषण – सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार ने सरकार और जनता को आपसी सहयोग को बढ़ाने में मदद की है। सरकार कठिन से कठिन निर्णय को लेने से पूर्व सोशल मीडिया में उसके लागू होने के प्रभाव को आकने की कोशिश करती है। उसके पश्चात उस निर्णय का क्रियान्वयन करती है। अगर जनता को लगता है कि यह उसके पक्ष की बात है, तभी वे सरकार को उसे लागू करने की अनुमति देती है। अन्यथा वह सरकार के निर्णय का विरोध करती है। इस प्रकार आज आम नागरिक राजनीतिक कार्यों में सहयोग दे कर कार्य व योजनाओं को सफल बनाता है।

निष्कर्ष – अंत में हम यह कह सकते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण आज आम जनता और सरकार के बीच सेतु के समान कार्य कर रही है। यह उपकरण न केवल राजनीतिक कार्यों को कम समय में समाप्त करने में मदद कर रहे हैं, बल्कि प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त कर स्वच्छ राजनीतिक वतावरण को भी तैयार कर रहे हैं। आज की परिस्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है, कि राजनीति के सभी क्षेत्रों को सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों से जोड़ा जाना आवश्यक है।

संदर्भ ग्रथं सूची :–

1. डॉ. अग्रवाल शिवाली, भ्रष्टाचार और सुशासन, राधा पब्लिकेशन नई दिल्ली, 2012
2. राठौर हितेन्द्र सिंह, जनसंचार साधन और ग्रामीण, हिमांशु पब्लिकेशन नई दिल्ली, 2010
3. मिश्रा सुजित, सूचना प्रौद्योगिकी, पवन पब्लिकेशन नई दिल्ली, 2011
4. प्रो. हरिमोहन, सूचना क्रांति और विश्व भाषा हिन्दी, तक्षशिला पब्लिकेशन नई दिल्ली, 2004
5. डॉ. त्रिपाठी मधुसूदन, चुनाव प्रक्रिया में सुधार, सन्मार्ग प्रकाशन दिल्ली 2004
6. धर्म वीर, राजनीतिक समाज शास्त्र, राजस्थान हिन्दी ग्रथं अकादमी जयपुर 1999
7. मिश्रा एस. एन, लोकप्रशासन के बदलते आयाम, भारतीय लोकप्रशासन संस्थान नई दिल्ली, 2005
8. डॉ. तिवारी अर्जुन तिवारी, तिवारी विमलेश, जनसम्पर्क: सिद्धांत और व्यवहार, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी 2007
9. डॉ. टंडन पूरनचंद, सूचना प्रौद्योगिकी, हिन्दी और अनुवाद, भारतीय अनुवाद परिषद, 2004

****

भारतीय जनजातीय परंपरा और भारतीय दर्शन (झाबुआ जिले की भील जनजाति के संदर्भ में)

डॉ. शकुन शुक्ला * कीर्ति सिंगोरिया **

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध पत्र का शीर्षक भारतीय जनजातीय परंपरा और भारतीय दर्शन (झाबुआ जिले की भील जनजाति के संदर्भ में) है। भारतीय जनजातियाँ एवं भारतीय दर्शन हमारे देश के ऐसे आधार है, जो प्राचीनकाल से ही हमारी अमूल्य धरोहर रहे हैं, जिससे हमारे देश को पहचाना जाता है। वर्तमान में ये दोनों संक्रमण से गुजर रहे हैं। भारत में असंख्य जनजातीय समूह पाए जाते है। आदिवासियों की सांस्कृतिक भिन्नता को बनाए रखने में कई कारणों का योग रहा है। हमारे देश की अनेक प्रमुख जनजातियों में भील जनजाति भी शामिल है। भील जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से भारत की तीसरी एवं मध्यप्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। यह जनजाति प्रमुख रुप से झाबुआ, धार, रतलाम, खरगोन तथा बड़वानी जिले में पायी जाती है। भील एवं उसकी उपजनजातियों की लगभग समान व्यवहार एवं सामुदायिक विशेषताएँ है। सर्वेक्षण के दौरान यहाँ के भील एवं उसके संवर्ग के धार्मिक विश्वास, विवाह, कला परंपरा, पर्व-त्यौहार, वस्त्र-आभूषण, सामाजिक-राजनीतिक संरचना, लोक साहित्य, आदि का वर्णन किया गया एवं उन पर भारतीय दर्शन के प्रभाव तथा भेद को स्पष्ट किया गया है। इनके समाज के कुछ रीति-रिवाज जैसे धार्मिक क्रियाकलाप में मुर्गे, बकरे की बलि एवं महुए की शराब अनिवार्य हिस्सा है, जो भारतीय दर्शन के अनुकूल नहीं है। इसी प्रकार इनका समाज भी भारतीय समाज की भाँति पुरुष प्रधान है, इनमें जीवात्मा, प्रकृति-पूजा में विश्वास, अतिथि सत्कार, जाति पंचायत आदि ऐसी कुछ परंपराएँ एवं विशेषताएँ है, जिसमें भारतीय दर्शन की झलक मिलती है। वर्तमान में यह जनजाति आधुनिक समाज से प्रभावित हो रही है। अत: आवश्यकता इस बात की है कि इनके समाज में प्रचलित कुप्रथाओं एवं समस्याओं का समाधान हेतु प्रयत्न किया जाए तथा उनके समाज की अच्छी परंपराओं एवं रीति-रिवाजों को संरक्षण प्रदान किया जाए।
शब्द कुंजी – भारतीय दर्शन, भील एवं उसके संवर्ग जीवात्मा।

प्रस्तावना – भारत वर्ष में विभिन्न जाति, धर्म, प्रजाति एवं सांस्कृतिक विविधता विद्यमान रही हैं। हमारे देश में बहु-सांस्कृतिक, बहभाषायी, बहुप्रजातीय, बहुलधर्मी एवं विभिन्न देशों के आक्रमणकारी आकर यहाँ की संस्कृति में घुलमिल गए। इसी कड़ी में एक प्रमुख जनजाति भील आती है। भील जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से भारत की तीसरी तथा मध्यप्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। यह जनजाति प्रमुख रुप से झाबुआ, धार, रतलाम, खरगोन तथा बड़वानी जिले में पायी जाती है। यह प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति परिक्षेत्र है। भील जनजाति मध्यप्रदेश के अतिरिक्त राजस्थान, महाराष्ट्र तथा गुजरात में भी पायी जाती है। मध्यप्रदेश का झाबुआ जिला भील जनजाति के कारण अपनी प्रमुख पहचान बनाए हुए है। इनके रीति-रिवाज सभ्य समाज से भिन्न होते हैं फिर भी इनकी कुछ विशेषताएँ इन्हें भारतीय दर्शन की ओर इंगित करती है। जैसे-इनका समाज पुरुष प्रधान है, जाति पंचायत, अतिथ्यसत्कार, प्रकृति पूजक एवं धार्मिक अनुष्ठान में पुरुष के साथ स्त्री भी सहभागी होती है। इस प्रकार झाबुआ जिले के जनजातीय समाज की परंपराएँ हमारे भारतीय दर्शन के करीब होते हुए भी अपने विशिष्ट धार्मिक आनुष्ठानिक रीति-रिवाज एवं परंपराओं के कारण भिन्न है, इनके समाज में धार्मिक आयोजनों में बलि की प्रथा एवं महुए की शराब अनिवार्य हिस्सा होती है, जिसके बिना धार्मिक कार्य सम्पन्न नहीं होते हैं। वर्तमान में भील एवं उसकी उपजनजातियों शिक्षा का प्रसार हो रहा है एवं मजदूरी आदि कार्यों के कारण उनका संपर्क बाह्य समाज से हो रहा है, जिससे उनमें अपने रीति-रिवाज, परिधान, सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन आ रहे हैं। वे आधुनिक समाज की संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं।

शोध अध्ययन के उद्देश्य – प्रस्तुत शोध पत्र झाबुआ जिले की भील एवं उसकी उपजनजातियों की परंपराओं एवं भारतीय दर्शन पर आधारित है, जिसमें यह जानने का प्रयास किया है कि भारतीय दर्शन एवं भील जनजातीय समाज की परंपराओं में किस तरह का समन्वय व भेद है, उनमें किस प्रकार का सम्बन्ध है। वे एक-दूसरे से किस प्रकार प्रभावित हुए है एवं वर्तमान में इनमें क्या परिवर्तन आए हैं ? का अध्ययन करना है।

शोध अध्ययन की प्रविधि – प्रस्तुत शोध पत्र प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों पर आधारित है। इसमें अध्ययन के लिए विशेषकर वैयक्तिक अध्ययन प्रविधि, अवलोकन एवं साक्षात्कार का प्रविधि का प्रयोग किया गया है।

शोध अध्ययन का क्षेत्र – 14 मई, 2008 में झाबुआ जिले से अलीराजपुर तहसील को पृथक जिला बना दिया गया है। झाबुआ जिला जनजातियों की दृष्टि से अपनी पृथक् पहचान रखता है। इस जिले में प्रमुख रुप से भील एवं उसकी उपजनजातियाँ भिलाला, बारेला, पटलिया निवास करती है।

झाबुआ जिले की भील एवं उसकी उपजनजातियों की परंपराएँ और भारतीय दर्शन – झाबुआ जिले में भील एवं उसकी उपजनजातियाँ अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं के कारण अपने समाज की अलग पहचान रखती है। भील एवं उसकी उपजनजातियों की लगभग समान व्यवहार एवं सामुदायिक विशेषताएँ हैं। परिवार के समस्त निर्णय करने का अधिकार घर के बुजुर्ग व्यक्ति का होता है। यहाँ के आदिवासियों के सामाजिक जीवन में

*प्राध्यापक/विभागाध्यक्ष (राजनीति विज्ञान) शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

यह देखने को मिलता है कि वे बहुत अधिक दमन को स्वीकार नहीं करते हैं, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। वर्तमान में यह जनजाति बाह्य समाज के संपर्क में आ रही है एवं शिक्षा प्राप्त कर रही है। इसलिए उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीति जीवन में अनेक नवीन आयाम प्रकट हो रहे हैं। परंपरागत ढ़ांचे की जकड़न में रहते हुए नवीन तत्वों ने इस जनजाति को प्रभावित किया है।

धर्म – झाबुआ जिले के भील एवं उसकी उपजनजातियाँ किसी निश्चित धर्म के नहीं कहे जाते, क्योंकि न तो वे पूर्णत: हिन्दू धर्म को अपनाए हुए हैं और न ही किसी अन्य धर्म को अपनाए हुए है और न ही किसी अन्य धर्म से उनके धार्मिक रीति-रिवाज मेल खाते हैं। ये जंगल में या गॉव की सीमा पर पत्थर स्थापित करके उनके ऊपर सिंदूर कंकू डालकर अपना आराध्य मानकर उसकी पूजा करते हैं। वे अपने धार्मिक, अनुष्ठानों में मुर्गे व बकरे की बलि तथा महुए की शराब को अनिवार्य अंग के रुप में स्वीकार करती है। वे आदिम परंपरा से चले आ रहे जीववाद यानि आत्मा की सत्ता पर आज भी विश्वास करते हैं।

कला परंपरा – भीलों की कला परंपरा अत्यंत समृद्ध रही है। विशेषकर भीली स्त्रियों द्वारा घर की दीवारों का चित्रित किया जाना, लखिन्दरा द्वारा पिठौरा चित्र का लिखना, गातले (मृतक स्तंभ) पर सूर्य-चन्द्र, सिंह बंदूक, बेल-बूटें, मनुष्य, पक्षी आकृतियों का उकेरना आदि भीलों की कला परंपरा को दर्शाता हैं। भीली स्त्रियों की कला चेतना का आभास उनके दैनन्दिनी वस्त्रों, थैली, चोमल, बटुए, गलसन आदि में सहज रुप से देखा जा सकता है, घर में लकड़ी के चौखट, दरवाजे, खिड़किया और दिवाण्या आदि में भीलों की कला प्रियता के दर्शन हमें मिल जाते हैं, लेकिन वर्तमान में इनकी यह कला परंपरा विलुप्त सी हो रही है। कहीं कहीं ही इनकी विद्यमानता देखी जा सकती है।

वस्त्र-आभूषण – बहुत समय तक आदिवासी अज्ञानता के कारण बहुत ही कम वस्त्र एवं श्रृंगार साधनों का उपयोग करते रहे। लेकिन समय के साथ जनजातीय समाज में सजने सँवरने में अभिरुचि बढ़ने लगी। झाबुआ के आदिवासियों का जिक्र होते ही उनकी पारंपरिक वेशभूषा वाली तस्वीर हमारे मस्तिष्क में उभरती है, साथ में याद आती है, उनके द्वारा उपयोग में लायी जाने वाली परंपरागत वस्तुएँ जैसे तीर-कमान, भाला, गोफन, धारिया, फालिया, लाठी इत्यादि। पिछले कुछ वर्षो मे इनके रहन-सहन में बदलाव आ रहा है, जिससे इन आदिवासी क्षेत्र में भी आधुनिकता की झलक स्पष्ट नजर आती है।

सामाजिक राजनीतिक संरचना – भीलों की सामाजिक संरचना पुरुष प्रधान है। भील समाज गोत्रीय व्यवस्था से बंधा हुआ है। इनमें समगोत्री विवाह वर्जित है। समाज को संचालित करने के लिए परमेश्वर स्वरुप पटेल, तड़वी, डाहला, पुजारा और बड़वा गांव के मुख्य एवं सामाजिक रुप से प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। इनके द्वारा गाँव एवं समाज का मार्गदर्शन किया जाता है। इनके अलावा कोतवार वारती एवं गायक भी है। उनके मध्य धार्मिक तथा सामाजिक कार्यो का विभाजन इतने अच्छे ढंग से किया जाता है कि कहीं कोई विरोधाभास नहीं होता हैं। झाबुआ जिले का जनजातीय समाज अपनी जाति पंचायत के निर्णय को पंच-परमेश्वर की आज्ञा मानकर स्वीकार करते हैं। अध्ययन के दौरान यह देखा गया कि सर्वेक्षित क्षेत्र में भील एवं उसकी उपजनजातियों में राजनीति के परंपरागत स्वरुप जाति पंचायत का प्रचलन है, जो कृषि संबंधी, कृषि भूमि संबंधी चारागाह और आपसी झगड़ों का निपटारा करती है। नई त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था से जनजातियों की राजनीतिक सहभागिता बढ़ रही है और मतदान व्यवहार में भी परिवर्तन आ रहा है। इस प्रकार राजनीति का स्वरुप परंपरागत है, लेकिन राजनीति में प्रतिनिधित्व आरक्षण की व्यवस्था एवं त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था से यहाँ की जनजातियों में राजनीतिक जागरुकता आ रही है।

लोक साहित्य – लोक द्वार सृजित ही लोक साहित्य है ऋग्वेद आदि संहिताओं में लोक का अर्थ विश्व है। लोक साहित्य लोक कण्ठ का अक्षम धन है। भीली लोक साहित्य भीलों की सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है, जिसमें उनके खेत, खलिहान, धरती गान, पहाड़, मैदान, घर, आंगन, ताल-तलैया, मनप्राण, प्रणय-परिणय, सुख-दु:ख और हास्स, संघर्ष चुनौती शौर्य सभी व्यक्त हुए है। उनके गीत सादे है, इसलिए इतने मर्मस्पर्शी है। मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों पर आधारित है, इसलिए इतने आत्मीय है। इनके द्वारा उनका युग जीवन मुखरित हुआ है और उनके लुप्त विकास को वाणी मिली है।

सर्वेक्षित तथ्य परिणाम – धर्म एवं धार्मिक अनुष्ठानों के संदर्भ में सर्वेक्षण में शामिल 25 (83.33%) सूचनादाता परिवारों का कहना है कि वे अपने पारंपरिक धर्म एवं विधि-विधानों में विश्वास करते हैं जबकि 5 (16.66%) सूचनादाता परिवारों का कहना है कि वे अन्य धर्म एवं आधुनिक विधि-विधान में विश्वास करने लगे हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि इस जनजाति में भी वर्तमान में शिक्षा एवं बाह्य संपर्क के कारण आंशिक रुप से उनके धार्मिक-विधि-विधानों में परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं। आधुनिक प्रसाधन एवं श्रृंगार साधन अपनाने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत 40 है। 60 प्रतिशत उत्तरदाता अपने पारंपरिक प्रसाधन व श्रृंगार साधन को अपनाने की बात स्वीकार की है। इससे स्पष्ट है कि वर्तमान में इस जनजाति में आधुनिक प्रसाधन व श्रृंगार साधन अपनाने की प्रवृत्ति बलवती हो रही है। सर्वेक्षित जनजातिय परिवारों ने अशिक्षा, रुढ़िवादिता, अंधविश्वास, ऋणग्रस्तता, वधू मूल्य एवं बाल विवाह तथा मद्य सेवन को अपने समाज की मुख्य समस्या बताया है। वधू मूल्य की प्रथा इनके समाज में गंभीर रुप धारण कर चुकी है। इस संदर्भ में गाँव के प्रमुख पटेल ने चर्चा के दौरान बताया कि किसी समय उनके समाज में बलात् अपहरण की प्रथा थी, वे आज लोकाचार बन गयी है। उच्च सामाजिक स्तर के भील अब वधू मूल्य लेना ठीक नहीं समझते हैं। लेकिन सामाजिक नियम के अनुसार वर्तमान में वधू मूल्य 35-40 हजार रुपये है। यदि विवाह समाज के विरुद्ध मनमर्जी से करते हैं, तो वधू मूल्य 1.50 लाख से ऊपर जितना चाहे वधू पक्ष के लोग मांग कर सकते हैं। यह कोई निश्चित राशि नहीं है। इस वधू मूल्य को चुकाने के लिए वे साहूकारों से ऋण लेते है, यहाँ तक अपनी जमीन बेचकर भी चुकाते है। इस प्रथा के समाधान के लिए लगभग सभी उत्तरदाताओं का कहना है कि ऐसी प्रथाओं पर रोक लगाकर उसमें सुधार किया जाना चाहिए। पारिवारिक एवं जातीय विवादों के निराकरण के आधार पर सूचनादाताओं के विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि 63.33% जाति पंचायत, 26.66% ग्राम पंचायत, 10% न्यायालय एवं लोक अदालत में अपने विवादों को रखते है एवं समाधान पाने में विश्वास करते है। जाति पंचायत में अपने विवादों को को रखने के विषय में सूचनादाताओं का कहना है कि यह उनके लिए हितकर है। यहाँ समस्या का समाधान बिना किसी धन व्यय के हो जाता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि झाबुआ जिले के भील एवं उसके संवर्ग में आधुनिक शिक्षा एवं बाह्य समाज से संपर्क के कारण उनके रीति-रिवाज एवं परंपराएँ प्रभावित हो रही है। शोधकर्ता स्वयं अध्ययन क्षेत्र से संबंधित होने के कारण उनके समाज की संस्कृति, परंपराओं एवं समस्याओं से भली-भांति अवगत है। इनका समाज पुरुष प्रधान है। महिलाएँ परिवार एवं आर्थिक

क्षेत्र मे अपना पूरा योगदान देती है। लेकिन इनकी जाति पंचायत में महिलाएँ भाग नहीं लेती है। भारतीय समाज की भांति इनके समाज में पुरुष एवं महिलाओं की कार्य-क्षेत्र विभाजित प्रतीत होते हैं। भील एवं उसकी उपजनजातियाँ भारतीय समाज का अभिन्न अंग है। अत: उन्हें जागरुक करके देश की विकास की मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष – भील जनजाति एवं उसकी उपजनजातियाँ भारतीय समाज का अभिन्न अंग है। ये आदिवासी अपनी संस्कृति, अस्मिता एवं पहचान को जीवित रखे हुए हैं। आदिवासी परंपरागत ढंग से सरल है, ईमानदार है, कर्मठ है, कर्तव्यपरायण है तथा इनमें मेल-मिलाप का भाव है, भाईचारे की भावना है, सबको साथ लेकर चलने की आदत है, बांटकर खाने का प्रचलन है, दूसरों को देखकर द्रवित होने का स्वभाव है। सहयोगिता के आधार पर काम करने एवं खाने पर विश्वास है, जो मानवता के लिए आवश्यक तत्व है। ये लक्षण मानव वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काफी वैज्ञानिक है। ये ऐसी प्रवृत्तियाँ एवं विशेषताएँ है, जिनमें भारतीय दर्शन की झलक मिलती है। भीली समाज भी प्रकृतिपूजक, जीववाद, आत्मा-परमात्मा में विश्वास, अतिथि सत्कार जैसी भारतीय परंपराओं को निभाता आ रहा है, लेकिन इनके समाज की कुछ ऐसी प्रथाएँ है। जैसे-इनके धार्मिक अनुष्ठानों में महुए की शराब तथा मुर्गे व बकरे की बलि देना अनिवार्य होता है, जो भारतीय दर्शन के अनुकूल नहीं है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भीली समाज भी वर्तमान मे संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, वे भी अपनी पृथक पहचान के लिए संघर्षशील है। अत: भील समाज में प्रचलित कुप्रथाओं एवं अंधविश्वासों के प्रति उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने का प्रयास किए जाने चाहिए तथा साथ ही उनके समाज में प्रचलित अच्छी प्रथाओं को संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। इस हेतु भारत सरकार व म.प्र. शासन द्वारा जनजातीय उत्सवों एवं सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उनकी सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इन आदिम विरासत को बचाकर ही भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को इस आधुनिक युग में भी देखा जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. www.bhartiyjanjatiywikipedia
2. www.janjatiyjanjeevanmeinbhartiydarshan.nic.in
3. तिवारी, डॉ. शिवकुमार एंड शर्मा, डॉ. श्रीकमल (2009) : मध्यप्रदेश की जनजातियाँ समाज एवं व्यवस्था, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी।
4. मिश्रा, विपुल (2012) : भारतीय जनजातियों का सामाजिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन, रितु पब्लिकेशन, जयपुर
5. वर्मा, एम.एल. (1992) : भीलों की सामाजिक व्यवस्था, क्लासिकल पब्लिकेशंस, वाराणसी।
6. हसनैन, नदीम (2010) : जनजातीय भारत, जवाहर पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली।

****

भारत में संविद सरकारें - एक समीक्षात्मक अध्ययन

लीला बिष्ट *

प्रस्तावना – संसदीय लोकतंत्र में सरकार का गठन, उसका संचालन एवं पुनर्निमाण किस प्रकार होंगे यह एक स्पष्ट अवधारणा के रूप में विकसित हो चुका है। एक प्रतियोगी राजनैतिक व्यवस्था में यह सदैव कुछ कारकों पर निर्भर है जैसे विशिष्ट संसाधनों की उपलब्धता, सहयोगियों की निश्चित संख्या, सहयोगियों सहित एक निश्चित राजनीतिक आधार तथा राजनीतिक दक्षता आदि। उक्त कारकों का जब किसी समाज में संचालन प्रारंभ होता है तो समाज के संचालन कर्ताओं द्वारा अपने सदस्यों की हिताकांक्षाओं की पूर्ति का प्रयास किया जाता है। हित साधन की प्रक्रिया में अनेक तत्व प्रभावी भूमिका निभाते हैं। समाज के विभिन्न घटक हित पूर्ति में विभिन्न अन्य घटको से सहयोग, समान दूरी या विरोध की रणनीति अपनाते हैं। साझे उद्देश्यों की हित साधना में भागेदारी का परिणाम (गठबंधन की प्रक्रिया में) एक अल्पकालिक समझौते का रूप होता है, जिससे कुछ सीमित उद्देश्यों की पूर्ति को सरल बना दिया जाता है। जबकि वास्तविक रूप से गठबंधन के घटक इस समझौते के परिधि के बाहर भी उद्देश्य बनाए रखते हैं यद्यपि बाह्य आकांक्षा गठबंधन के घटकों के बीच स्वतंत्र एवं गंभीर विसंगति को बनाए रखता है एवं गठबंधन के घटकों के बीच स्वतंत्र एवं गंभीर विसंगति को बनाये रखता है एवं गठबंधन की स्थिरता के आधार के रूप में व्यक्त होता है। घटक दलों के लक्ष्यों के बीच विसंगति के बने रहने का परिणाम प्राय: गठबंधन को बहुमत प्राप्त करने में बाधा पहुँचाता है और कभी-कभी यह विसंगति इस प्रकार के निर्माणाधीन/निर्मित गठबंधन के टूटने का कारण भी बन जाता है। इस प्रकार की विसंगतियाँ राजनीतिक घटकों की निर्माण प्रक्रिया, उनके कार्य करने का वातावरण, क्षेत्र एवं विचारधाराओं आदि पर निर्भर करती है।

प्रत्येक गठबंधन एवं उसके घटक द्वारा उस वातावरण में सम्पादित भूमिका मुख्यत: दो दशाओं पर निर्भर करता है। प्रथम, राजनीतिक वातावरण की बाध्यताएं एवं दूसरा उनके आपसी संसाधन। इन दो दशाओं के आधार की असमानता/समानता पर विभिन्न गठबंधन सिद्धांत निर्मित हुये हैं। गठबंधन निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्येक राजनीतिक घटक, अभिकर्ता के रूप में अपने सर्वोत्तम उपलब्धि हेतु 'विजयी गठबंधन' का सदस्य बनने के लिए 'सर्वोच्च प्रतिस्पर्धी प्रयास' करता है। वहीं दूसरी तरफ गठबंधन के आकार ग्रहण के पश्चात् संविद के संरक्षण की दशा में (एज ए स्टेज ऑफ मेन्टिनेन्स) प्रत्येक घटक साझे उद्देश्यों की हित साधना में सहयोग देते हैं।

संसदीय शासन प्रणाली के अन्तर्गत सरकार बनाने के लिए लोकप्रिय सदन (पापुलर हाउस) में किसी एक राजनीतिक दल का बहुमत होना जरूरी है। किसी एक दल का बहुमत न होने पर अनेक दल अपने 'संयुक्त बहुमत' के बल पर मिली जुली सरकार बना सकते हैं। यदि संयोगवश ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि आम चुनाव के बाद इस सदन में किसी एक दल को या समान विचारों वाले दलों के गठबंधन (कोयलीशन ऑफ लाईक माइन्डेड पार्टीज) को स्पष्ट बहुमत न मिल पाए तो सरकार बनाना मुश्किल हो जाता है। आम बोलचाल और पत्रकारिता की भाषा में ऐसी संसद को 'त्रिशंकु संसद' तभी कहना चाहिए जब संभावित दलों या नेताओं के पक्ष में बहुमत जुटाने के सारे प्रयास किए जा चुके हों और वे विफल हो चुके हों। गठबंधन/संयुक्त सरकारें केवल संसदीय व्यवस्था में ही पायी गयी हैं।

आधुनिक समाज में जिसके सदस्यों की एक बहुत बड़ी संख्या आर्थिक, प्रजातीय, धार्मिक एवं उपजातीय पहचान सुरक्षित रखती है, के अपने हित सदैव एक दूसरे से असहमत बने रहते हैं। यह असहमतिपूर्ण संघर्ष समाज के विभेदित घटकों के बीच किसी सर्वमान्य सहयोग हेतु सरल अधिनिर्णय तक पहुँचने नहीं देते। उदाहरण के लिए, प्रजातीय पहचान के बीच आर्थिक स्तरीय विभाजन, धार्मिक पहचान के बीच जातिगत विभाजन को देखा जा सकता है। सामाजिक स्तर (सोशल स्टारटीफिकेशन) एवं आर्थिक वर्ग एक साथ एकाकार नहीं हो सकते। एक नियत समयान्तराल के बीच कुछ अस्थायी मुद्दे प्रत्येक वर्ग के बीच बने रहते हैं। इस प्रकार यदि इन विभिन्न वर्गो द्वारा इन अस्थायी मुद्दों को स्वतंत्र रूप विकसित करना काफी मुश्किल हो जाता है। यदि राजनीतिक समन्वय एंव अधिनिर्णय की प्रक्रिया को एक छोटी आबादी एवं लघु क्षेत्र जैसे ग्रामस्तर पर प्रारंभ किया जाए तो वहाँ सामान्य समन्वय की एक रूपरेखा बनायी जा सकती है क्योंकि तुलनात्मक रूप से इस स्तर पर हित समानता पायी जाती है। ठीक इसी प्रकार की बात राष्ट्रीय स्तर के लिए संभव नहीं क्योंकि इन विभेदीकृत/वर्गीकृत सामाजिक वर्गो के बीच इस स्तर पर समन्वय के प्रति जानकारी का अभाव हैं। राजनीतिक दल हितों का सर्वेक्षण, निदर्शन, एवं समुच्चीकरण के कारण ऐसा कर पाते हैं इस प्रक्रिया में राजनीतिक दलों द्वारा एक उभयनिष्ट आधार का विकास किया जाता है, जिसमें कुछ राजनीतिक, वर्गीय मांगों को छोड़ दिया जाता है एवं दल के सापेक्ष उभय हित (कॉमन इण्टरेस्ट) को प्रस्तुत किया जाता है। सरकार के स्तर पर एक गठबंधन सरकार भी इसी प्रकार कार्य सम्पादित करती है।

इस प्रकार के राजनीतिक वातावरण में सरकारी स्तर पर, मांगों के निदर्शन एवं समुच्चीकरण का कार्य एक समिति द्वारा सम्पादित किया जाता है जिसे 'स्टियरिंग कमेटी' अर्थात् 'समन्वय समिति' कहते हैं। बहुधा देश की परिस्थितियों में ज्ञात हितों के भण्डार (राजनीतिक वातावरण में प्रस्तुत मांग) से अपेक्षाकृत बड़ी सामान्य सहमति के द्वारा कुछ मुद्दों की पहचान की जाती है। चिन्हित मुद्दे चुनाव पूर्व के गठबंधन की दशा में चुनावी घोषणापत्र में व्यक्त कर दिए जाते हैं। चुनावेत्तर परिस्थितियों में उक्त को 'एजेण्डा फार गवर्नेंस' में प्रस्तुत किया जाता है।

* शोधार्थी (इतिहास) नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, इलाहाबाद (उ.प्र.) भारत

गठबंधन सरकारों की वैश्विक पृष्ठभूमि – यूरोप के बहुत से देशों में साझा सरकार का गठन एक आम बात है। उन राष्ट्रों में जहाँ द्वि–दलीय पद्धति है वहाँ साझा सरकार के गठन की संभावना प्राय: नहीं रहती। उदाहरणत: ब्रिटेन, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देश। भारत में भी कांग्रेस के प्रभुत्व वाले दिनों तक साझा सरकार की नौबत बहुत कम आयी। परंतु बेल्जियम, हालैण्ड, नीदरलैंड्स, जर्मनी, नार्वे जैसे बहुदलीय व्यवस्था वाले देशों में साझा सरकार ही शासन का आम उपाय है। बहुदलीय व्यवस्था वाले कुछ अन्य देशों जैसे स्वीडन, डेनमार्क में एकदलीय या साझा सरकार दोनों का ही गठन समय–समय पर होता रहा है। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में प्रचलित अभिसमय सरकार के गठन में सहायक सिद्ध होते हैं। वहाँ यदि किसी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता तब साझा सरकार के स्थान पर सबसे बड़ा राजनीतिक दल ही अल्पमत सरकार बनाता है। इसका आधार यह है कि, संसदीय प्रणाली में सरकार को हाउस ऑफ कॉमन्स (निम्न सदन) में विश्वास प्राप्त हो या उनके विरोधियों के पास बहुमत का संख्याबल न हो। गत शताब्दी में (1900–2000) ब्रिटेन में 26 आम चुनाव हो चुके हैं, जिनमें कम से कम पाँच बार (5 बार) किसी भी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिला है। यहाँ 1910, 1923, 1928, 1929 तथा सन् 1974 के चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला परंतु इन सभी अवसरों पर अल्पमत सरकार ही सत्ता में रही न कि साझा सरकार। यूरोपियन देश नीदरलैंड्स में भी सामान्यत: बहुमत प्राप्त दल की ही सरकार गठित की जाती है। परंतु डेनमार्क में अल्पमत सरकार का गठन आम बात है। यह सरकार तब तक अस्तित्व में रहती है, जब तक संसद में इसके विरुद्ध बहुमत एकत्र नहीं हो जाता। डेनमार्क, बेल्जियम, नीदरलैंडस में चुनाव परिणाम की अस्पष्टता दृष्तव्य है। यहाँ एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिलने पर सम्राट काफी महत्तपूर्ण भूमिका निभाता है और गहन विचार–विनिमय के बाद गठबंधन (साझा सरकार) सरकार नियुक्त करता है। यूरोप में स्वीडन की स्थिति इससे भिन्न है। स्वीडन में 1971 ई0 में हुए संविधान के संशोधन के बाद सम्राट की भूमिका समाप्त कर दी गई और यह अधिकार रिक्संडैग (संसद) के अध्यक्ष को दे दी गई है। चुनावी अस्पष्टता में 4 दिन के भीतर अध्यक्ष किसी राजनीतिक दल के पक्ष में प्रस्ताव रखता है, जो आधे से अधिक सदस्यों द्वारा अमान्य करने पर ही अस्वीकृत किया जाता है अथवा उसी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिसे अन्य राजनीतिक दल समर्थन देते है।

अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स के अनुसार दो–तीन राजनीतिक दलों की एक निश्चित कार्यक्रम के आधार पर बनने वाली गठबंधन सरकार जर्मनी तथा फ्रांस जैसे देश में काफी सफल रही है, परंतु छ: सात दलों को मिलाकर बनने वाली साझा सरकारें स्थायित्व तथा आर्थिक विकास में बाधा पहुँचाती है। उदाहरण के लिए इटली को लिया जा सकता है, जहाँ पिछले 50 वर्षों में 55 सरकारें गठित हुई हैं। फ्रांस में भी नये संविधान 1958 के पूर्व सरकार की औसत आयु 9 महीने से अधिक कभी नहीं रही। एशियाई देशों में जापान, मलेशिया, तुर्की, इस्रायल, श्रीलंका में साझा सरकार समय–समय पर बनती रही है। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत के अतिरिक्त नेपाल में राजशाही के अन्तर्गत 1990 के बाद संसदीय पद्धति अपनायी गयी जहाँ गठबंधन सरकारों की अस्थिरता का परीक्षण हो चुका है।

भारत में संविद सरकार की पृष्ठभूमि तथा निर्माण – भारत जैसे सांस्कृतिक विविधता सम्पन्न देश में राजनीतिक दलों के व्यक्तिगत प्रभुत्व को बनाए रखना मुश्किल ही नहीं असंभव भी है। गठबंधन की भावना एक लम्बा सफर तय करने के बाद आती है। भारत के संदर्भ में 'गठबंधन' कोई नई विचारधारा नहीं है। दलीय प्रारूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वतंत्रता से पूर्व सामाजिक गठबंधन का प्रतिनिधित्व करती थी। भारत में गठबंधन सरकार की स्थापना की प्रक्रिया स्वतंत्रता पूर्व प्रारंभ हो गयी थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के अन्तर्गत हुये प्रान्तीय चुनावों में कांग्रेस ने 5 प्रान्तों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। जबकि वह बम्बई में 2–3 छोटे राजनीतिक दलों के समर्थन से सरकार बनाने की स्थिति में थी। 1946 ई0 में केंद्र में पण्डित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित पहली अंतरिम सरकार वास्तव में पहली 'साझा सरकार' थी। जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा आदि घटक दल शामिल थे।

स्वतंत्र भारत में गठबंधन सरकार की स्थापना की प्रक्रिया राज्य स्तर पर शुरू हुयी। 1952 में कांग्रेस को जिन 4 राज्यों में बहुमत नहीं मिला ये थे– मद्रास, पे0प0सु0, उड़ीसा और त्रावणकोर–कोचीन। परिणामत: इन प्रदेशों में गठबंधन सरकारे बनी जो अपना बहुमत ज्यादा दिनों तक कायम न रख सकीं। 1953 ई में आंध्र प्रदेश में संयुक्त मंत्रिमण्डल की स्थापना की गयी किंतु यह मंत्रिमण्डल 13 महीने के छोटे से कार्यकाल में ही विघटित हो गया। 1957 में उड़ीसा में गठबंधन सरकार की स्थापना हुई परंतु 1961 में इसका भी विघटन हो गया। पश्चिम बंगाल में 1967 ई0 में पहली बार गठबंधन सरकार की स्थापना की गयी परंतु बहुत कम समय में ही वह विघटित हो गयी बाद में यहाँ राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करना पड़ा। चतुर्थ आम चुनाव के बाद उत्तर भारत के बहुत से राज्यों में गठबंधन सरकारों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। जिसमें शामिल दल मूलत: कांग्रेस विरोध की अवधारणा के फलस्वरूप आपस में एकत्रित हुए थे। स्वाभाविक रूप से इनमें स्थिरता का अभाव प्राय: सभी राज्यों में देखा गया।

1969–71 के दौरान कांग्रेस में विभाजन के फलस्वरूप अल्पमत में आई इंदिरा कांग्रेस सरकार को वामपंथी दलों एवं क्षेत्रीय दलों ने समर्थन देकर बचाया था। लेकिन वह साझा सरकार नहीं थी। इसे अमूर्त गठबंधन सरकार का उदाहरण माना जा सकता है। 1967 के आम चुनाव के बाद अधिकांश उत्तार भारत के राज्यों में गठबंधन सरकारें अस्तित्व में रही, जबकि इंन्दिरा गाँधी केंद्र एवं राज्यों में दुबारा कांग्रेस को सत्ता में वापस लाने में सफल रही। किंतु कुछ राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इंदिरा गाँधी ने कांग्रेस के बहुलवादी स्वरूप को व्यक्तिगत निष्ठा तक पहुँचा दिया और उसी का परिणाम था उनकी सत्ता में वापसी।

केंद्रीय स्तर पर गठबंधन सरकार की स्थापना की प्रक्रिया बाद में प्रारंभ हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 3 दशकों तक शासन संचालन किया गया। 1970 ई0 के दशक तक भारत में कांग्रेस के विकल्प के रूप में किसी भी राष्ट्रीय दल का राष्ट्रीय स्तर पर अभ्युदय नहीं हुआ था। किंतु इस दशक में ही भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुई। 1977 ई0 में पहली बार 'गैर कांग्रेस वाद' के रूप में सत्ता में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ और नवोदित जनता पार्टी के नेतृत्व में पहली गठबंधन के रूप में प्रारूपित जनता दल के घटकों में नीतिगत मतैक्य नहीं था। इनका सम्मिलन (मर्जर) इंदिरा गाँधी द्वारा आपातकाल लागू किए जाने के विरोध में हुआ था। दूसरी बार केंद्रीय स्तर पर गठबंधन सरकार की स्थापना 'राष्ट्रीय मोर्चा' के नेतृत्व में 1989 में हुई। राष्ट्रीय मोर्चा का अभ्यूदय, जनता–दल, कम्युनिस्ट (पार्टियाँ), कई अन्य क्षेत्रीय दल तथा भाजपा के संयुक्त प्रयास के रूप में हुआ। 1977 की भांति इस बार भी विपक्ष का आधार 'कांग्रेस एवं उसका कुशासन' ही था। अन्तत: गठबंधन के घटक दलों के बीच समन्वय, सहयोग

एवं सहअस्तित्व की भावनागत कमी के कारण सरकार पदच्युत हो गयी। यद्यपि 1989–91 के अल्पसमयावधि में बनी गठबंधन सरकार का स्वरूप बदल गया, जहाँ पहले नेतृत्व में कांग्रेस विरोध था। वहीं दूसरा कांग्रेस के द्वारा बहि:समर्थित था। परंतु 8 माह के बाद ही कांग्रेस ने समर्थन वापस लेकर इस सरकार को भी हटने के लिए मजबूर कर दिया।

1991 के चुनाव में कांग्रेस ने कुछ अन्य दलों के बाह्य समर्थन से अपनी सरकार बनाई। यह सरकार अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में बहुमत प्राप्त करने में सफल रही। वर्ष 1996 के चुनाव एक बार फिर गठबंधन सरकार का मार्ग प्रशस्त कर गए। चुनाव बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी अल्पमत सरकार में भारतीय जनता पार्टी, अकालीदल, शिवसेना, समतापार्टी, आदि शामिल थे परंतु आवश्यक बहुमत के अभाव में इस गठबंधन सरकार ने अपना त्यागपत्र प्रस्तुत कर दिया। तत्पश्चात् उभरे राजनीतिक माहौल में 13 राजनीतिक दलों ने मिलकर 'संयुक्त मोर्चा' सरकार बनाई जिसे 1990 की भांति एक बार पुन: कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया। गठबंधन का नेतृत्व एच.डी. देवगोड़ा ने किया कालान्तर में कांग्रेस पार्टी द्वारा देवगौड़ा सरकार से समर्थन वापस ले लिया गया एवं नेतृत्व परिवर्तन की शर्त पर पुन: नये नेता श्री इन्दर कुमार गुजराल के नेतृत्व वाली तात्कालिक मोर्चा सरकार को समर्थन दिया गया। परंतु वर्ष 1997 की समाप्ति के समय यह समर्थन कांग्रेस द्वारा वापस ले लिया गया। परिणामत: नये मधयावधि चुनाव कराने पड़े। वर्ष 1998 के चुनाव के पूर्व चुनावी समय में जनता के पास तीन विकल्प थे, जिनका स्वरूप गठबंधन की भांति था। पहला कांग्रेस तथा कई राज्यों में उसकी सहयोगी के रूप में गठबंधन। दूसरा, भाजपा समर्थित गठबंधन एवं तीसरा, सत्ताच्युत संयुक्त मोर्चा। किंतु प्रबुद्ध भारतीय मतदाताओं ने एक बार पुन: अनिश्चय की स्थिति बना डाली। चुनावेत्तर गठबंधन का विस्तार कर एक अल्पमत सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पदारूढ़ हुई। इस गठबंधान ने अपनी विषम जातीयता' से उबरने के लिए एक 'नेशनल एजेण्डा फार गवर्नेन्स' बनाया किन्तु सत्ता का यह मार्ग–दर्शक सिद्धांत आपसी अन्तर्कलह का शिकार बना एवं 13 महीने के अल्पकाल में ही अपनी पूर्ववर्ती गठबंधन सरकारों की तरह धराशायी हो गया। विपक्षी दलों द्वारा एक गठबंधन का प्रयास किया गया किंतु बहुमत न बन सका। अन्तत: मध्यावधि चुनाव कराए गए। वर्ष 1999 के चुनावों ने पुन: त्रिशंकु संसद का निर्माण किया। किंतु चुनावेत्तर गठबंधन का विस्तार कर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने केन्द्र में सरकार बनायी। वर्ष 2004 ई0 के चुनाव ने पुन: विकल्पहीनता की स्थिति पैदा कर दी। किंतु परिस्थितियाँ कांग्रेस नीत गठबंधन के ज्यादा अनुकूल थी। कांग्रेस (ई) सहित लगभग 24 सहयोगी दलों ने 'संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) बनाकर चुनावी अस्पष्टता दूर किया। डॉ0 मनमोहन सिंह के नेतृत्व में बनी संप्रग सरकार ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। अप्रैल–मई 2009 ई0 में सम्पन्न चुनाव ने एक बार पुन: गठबंधन सरकार के लिए जनादेश दिया। कांग्रेस, द्रमुक, तृणमूल कांग्रेस तथा निर्दलीय समर्थन के बल पर संप्रग पुन: सत्ता में लौटा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. ब्रूस ब्यूनो डी मसक्यूटा, **स्ट्रैटजी, रिस्क एण्ड पर्सनैलिटी इन कोयलीशन पालिटिक्स,** कैम्ब्रीज, यूनिवर्सिटी प्रेस, 1975, पेज 4.
2. ओमप्रकाश गाबा, **राजनीति विज्ञान विश्वकोष,** दिल्ली, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 1998 पेज 113
3. ब्रूस ब्यूनों डी मसक्यूटा, **स्ट्रैटीजी, रिस्क एण्ड पर्सनैलिटी इन कोयलीशन पालिटिक्स,** कैम्ब्रीज यूनिवर्सिटी प्रेस, 1975, पेज 3–5
4. रजनी कोठारी, **भारत में राजनीति,** नई दिल्ली, ओरियन्टल लांगमैन लिमिटेड, 1972 पेज 110
5. सच्चिदानपंद, **कोयलीशन इन पालिटिक्स** (न्यू चेलैन्जेज) मुजफ्फरपुर, मारल प्रकाशन, पेज 33.
6. मधुलिमये, **बर्थ ऑफ ना कांग्रेसिज्म** नई दिल्ली, बी0आर0 पब्लिशिंग कारपोरेशन, 1998, पेज 21
7. शरद के चटर्जी, **द कोयलीशन इनवायरमेण्ट,** मद्रास, द क्रिश्चियन लिटरेचर सोसायटी, 1974, पेज 714.
8. हरिद्वार राय एण्ड जवाहरलाल पाण्डेय, 'पालिटिक्स ऑफ कोयलीशन गवर्नमेण्ट, द एक्पीरियेन्स ऑफ द फर्स्ट यूनाइटिड फ्रण्ट गवर्नमेण्ट इन बिहार', **जनरल ऑफ कान्स्टीट्यूशनल एण्ड पार्लियामेण्टरी स्टडीज** (नई दिल्ली), 1972, भाग 6, नं0 2, पेज 92–98.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) July to September 2017, Vol. II

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की चुनौतियाँ एवं समाधान

लीला बिष्ट *

प्रस्तावना – 1991 के चुनाव में कांग्रेस ने कुछ अन्य दलों के बाह्य समर्थन से अपनी सरकार बनाई। यह सरकार अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में बहुमत प्राप्त करने में सफल रही। वर्ष 1996 के चुनाव एक बार फिर गठबंधन सरकार का मार्ग प्रशस्त कर गए। चुनाव बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी अल्पमत सरकार में भारतीय जनता पार्टी, अकालीदल, शिवसेना, समतापार्टी, आदि शामिल थे, परंतु आवश्यक बहुमत के अभाव में इस गठबंधन सरकार ने अपना त्यागपत्र प्रस्तुत कर दिया। तत्पश्चात् उभरे राजनीतिक माहौल में 13 राजनीतिक दलों ने मिलकर 'संयुक्त मोर्चा' सरकार बनाई जिसे 1990 की भांति एक बार पुन: कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया। गठबंधन का नेतृत्व एच.डी. देवगोड़ा ने किया कालान्तर में कांग्रेस पार्टी द्वारा देवगौड़ा सरकार से समर्थन वापस ले लिया गया एवं नेतृत्व परिवर्तन की शर्त पर पुन: नये नेता श्री इन्दर कुमार गुजराल के नेतृत्व वाली तात्कालिक मोर्चा सरकार को समर्थन दिया गया। परंतु वर्ष 1997 की समाप्ति के समय यह समर्थन कांग्रेस द्वारा वापस ले लिया गया। परिणामत: नये मधयावधि चुनाव कराने पड़े। वर्ष 1998 के चुनाव के पूर्व चुनावी समय में जनता के पास तीन विकल्प थे, जिनका स्वरूप गठबंधन की भांति था। पहला कांग्रेस तथा कई राज्यों में उसकी सहयोगी के रूप में गठबंधन। दूसरा, भाजपा समर्थित गठबंधन एवं तीसरा, सत्ताच्युत संयुक्त मोर्चा। किंतु प्रबुद्ध भारतीय मतदाताओं ने एक बार पुन: अनिश्चय की स्थिति बना डाली। चुनावेत्तर गठबंधन का विस्तार कर एक अल्पमत सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पदारूढ़ हुई। इस गठबंधान ने अपनी विषम जातीयता' से उबरने के लिए एक 'नेशनल एजेण्डा फार गवर्नेन्स' बनाया किन्तु सत्ता का यह मार्ग-दर्शक सिद्धांत आपसी अन्तर्कलह का शिकार बना एवं 13 महीने के अल्पकाल में ही अपनी पूर्ववर्ती गठबंधन सरकारों की तरह धराशायी हो गया। विपक्षी दलों द्वारा एक गठबंधन का प्रयास किया गया किंतु बहुमत न बन सका। अन्तत: मध्यावधि चुनाव कराए गए। वर्ष 1999 के चुनावों ने पुन: त्रिशंकु संसद का निर्माण किया। किंतु चुनावेत्तर गठबंधन का विस्तार कर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने केन्द्र में सरकार बनायी। वर्ष 2004 ई0 के चुनाव ने पुन: विकल्पहीनता की स्थिति पैदा कर दी। किंतु परिस्थितियाँ कांग्रेस नीत गठबंधन के ज्यादा अनुकूल थी। कांग्रेस (ई) सहित लगभग 24 सहयोगी दलों ने 'संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) बनाकर चुनावी अस्पष्टता दूर किया। डॉ0 मनमोहन सिंह के नेतृत्व में बनी संप्रग सरकार ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। अप्रैल-मई 2009 ई0 में सम्पन्न चुनाव ने एक बार पुन: गठबंधन सरकार के लिए जनादेश दिया। कांग्रेस, द्रमुक, तृणमूल कांग्रेस तथा निर्दलीय समर्थन के बल पर संप्रग पुन: सत्ता में लौटा है।

भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति विगत दशक से संक्रमण की स्थिति में है। लगभग हर आम चुनाव के बाद त्रिशंकु लोकसभा / विधानसभा का गठन हो रहा है। किसी भी एक राजीनतिक दल को बहुमत नहीं मिल पा रहा है, गठबंधन सरकारें बन-बिगड़ रही हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि गठबंधन सरकार के निर्माण की दशाओं, उसकी संरचना एवं कार्यकलाप तथा विघटन की दशाओं का अध्ययन किया जाए। राजनीतिक स्थिरता एवं उत्तारदायित्व के बीच इन सरकारों की सफलता-असफलता का परीक्षण किया जाय एवं यथा संभव भारतीय संसदीय लोकतंत्रा की सृदृढ़ता हेतु सुझाव प्रस्तुत किए जाए।

फरवरी-मार्च 1998 में बारहवीं लोकसभा के चुनाव सम्पन्न हुए। इन चुनावों में 'त्रिशंकु लोकसभा और विखण्डित जनादेश' (Hung Lok-Sabha and Fractured Mandate) को जन्म दिया। ऐसी स्थिति में भाजपा नेता वाजपेयी के नेतृत्व में एक मिलीजुली सरकार का गठन हुआ। घटक दलों में मतभेद पैदा होने और उन्हें मान-मनुहार के साथ सुलझाने या सुलझाने का प्रयत्न करने की स्थिति लगभग एक वर्ष तक चलती रही। ऑल इण्डिया अन्ना द्रमुक की नेता जयललिता द्वारा अधिक कठोर और हठी रवैया अपनाया जा रहा था। अप्रैल 99 के दूसरे सप्ताह में अन्ना द्रमुक ने वाजपेयी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। अत: राष्ट्रपति ने प्रधानमन्त्री को निर्देश दिया कि 'सरकार लोकसभा से विश्वास मत' (Vote of Confidence) प्राप्त करे। विश्वास मत प्राप्त करने की प्रक्रिया में वाजपेयी सरकार 17 अप्रैल, 1999 को एक मत से पराजित हो गई। वाजपेयी सरकार के पक्ष में 269 मत पडे जबकि विपक्ष में पडने वाले मतों की संख्या 270 थी। इस मतदान में उडीसा के मुख्यमन्त्री गिरधर गोमांगो के एक मत (संवैधानिक दृष्टि से सही, लेकिन राजनीतिक औचित्य की दृष्टि से अत्यधिक विवादास्पद) की निर्णायक भूमिका रही। वाजपेयी सरकार के त्यागपत्र के बाद विपक्ष 'वैकल्पिक सरकार' का गठन करने में असफल रहा। ऐसी स्थिति में मन्त्रिमण्डल की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने 26 अप्रेल, 1999 की बारहवीं लोकसभा को भंग कर दिया। इस प्रकार बारहवीं लोकसभा की अवधि मात्र 412 दिन (10 मार्च, 98 से 26 अप्रैल, 99 तक) रही। यह अवधि अब तक गठित किसी भी लोकसभा की तुलना में कम है।

प्रश्न यह है कि इन चुनावों में जिस लोकसभा को जन्म दिया, उसे 'त्रिशंकु लोकसभा' कहा जाना चाहिए, अथवा नहीं। परम्परागत रूप से यह समझा जाता है कि जिस लोकसभा में सिकी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, उसे 'त्रिशंकु लोकसभा'(Huge Lok - Sabha) कहना होगा। किन्तु यह बात केवल शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से ही सही हैं, वास्तविक अर्थ की दृष्टि से नहीं। 'त्रिशंकु लोकसभा' का वास्तविक अर्थ है, ऐसी

* शोधार्थी (इतिहास) नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, इलाहाबाद (उ.प्र.) भारत

लोकसभा, जो सरकार के गठन के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट संदेश या दिशा न दे पाएं, जिसमें दो अलग-अलग पक्ष या दो से अधिक पक्ष एक दूसरे का विरोध करते हुए सरकार बनाने का दावा करें। एक पंक्ति में, त्रिशंकु लोकसभा का अर्थ है, 'अस्पष्ट जनादेश वाली लोकसभा'। तेरहवीं लोकसभा की स्थिति यह नहीं है। जनता का निर्णय नितान्त स्पष्ट है-राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन सरकार बनाए और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का नेतृत्व करें। इस प्रकार जनादेश नितान्त स्पष्ट है, इसे 'त्रिशंकु लोकसभा' का नाम देने का कोई आधार नहीं है।

भाजपा लोकसभा चुनाव की घोषणा के पूर्व ही इस तथ्य से परिचित थी कि आज की परिस्थितियों में भाजपा के लिए या अन्य किसी एक राजनीतिक दल के लिए लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर पाना सम्भव नहीं है। भाजपा का लक्ष्य था, राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन के लिए अच्छा बहुमत प्राप्त करना, अच्छा बहुमत न सही, गठबन्धन के लिए बहुमत प्राप्त करने में भाजपा सफल रही। कांग्रेस के सर्वोच्च नेतृत्व और अन्य कुछ नेताओं का अनुमान था कि कांग्रेस और उसके सहयोगी लोकसभा में स्पष्ट बहुमत भले ही प्राप्त नहीं कर सकें, लेकिन कांग्रेस को लोकसभा में सबसे बड़े दल की स्थिति प्राप्त होगी। लेकिन इन चुनावों में कांग्रेस को लोकसभा में अब तक के सबसे कम स्थान (114 स्थान) दिए हैं। इन चुनावों में कांग्रेस ने 28.42 प्रतिशत मत, भाजपा की तुलना में 4.72 मत अधिक प्राप्त किए हैं, लेकिन इस तथ्य का महत्व इस दृष्टि से लगभग समाप्त हो जाता है कि कांग्रेस ने 453 स्थानों पर चुनाव लड़ा था, जबकि भाजपा ने केवल 339 स्थानों पर चुनाव लडा था। इस परिप्रेक्ष्य में यदि चुनावों को किसी राजनीतिक दल की सफलता-असफलता का नाम देना जरूरी हो, तो इसे 'भाजपा की अपेक्षाकृत सफलता और कांग्रेस की असफलता' कहा जा सकता है। वस्तुत: यह भाजपा की नहीं, वरन् राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन की सफलता है और यदि सत्य रूप में अध्ययन करना चाहें तो यह चुनाव 'अटलजी के नेतृत्व पर जनता की सहमति ओर स्वीकृति' मात्र है। लेकिन समूचा मतदान किसी एक तत्व से नहीं, वरन् विविध तत्वों से प्रभावित और प्रेरित होता है। संघीय व्यवस्था और विविधताओं से सम्पन्न देश में एक राज्य या क्षेत्र का मतदान व्यवहार दूसरे राज्य और क्षेत्र से भिन्न होना नितान्त स्वाभाविक स्थिति है।

अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भाजपा गठबन्धन सरकार के मात्र एक मत से लोकसभा में विश्वास मत में पराजित होने के बाद 26 अप्रैल, 1999 को मन्त्रिमण्डल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के0आर0 नारायणन ने 12 वीं लोकसभा को भंग कर दिया। इससे पूर्व आल इण्डिया अन्नाद्रमुक के समर्थन वापसी के पश्चात् 17 अप्रेल को लोकसभा में एक मत से पराजित बाजपेयी सरकार ने अपना त्याग-पत्र उसी दिन राष्ट्रपति को सौंप दिया।

13वीं लोकसभा के चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतान्त्रिक मोर्चा सबसे बडी राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा। लोकसभा की 543 सीटों में से मोर्चे को कुल मिलाकर 305 सीटें प्राप्त हुई। 13 अक्टूबर 1999 को मोर्चे के नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 69 अन्य मन्त्रियों ने शपथ ली।

लोगों का विश्वास था कि 24 दलों की यह गठबन्धन सरकार भलीभांति काम करेगी और पांच वर्ष का अपना कार्यकाल सहजता से पूरा कर लेगी। पिछली बार यदि मुददा था येनकेन प्रकारेण बहुमत बनाए रखना तो इस बार समस्या थी कि सभी घटकों को संभाल पाना। 13वीं लोकसभा का गणित कुछ इस तरह था कि अगर एक या दो दल समर्थन वापस भी ले लें तो सरकार नहीं गिरेगी। वास्तव में जब तक कई घटक दल समूह बनाकर सरकार नहीं गिराते, तब तक खतरा नहीं था। लेकिन षडयन्त्र करने वाले घटक दल ऐसा करने से पहले सौ बार सोचेंगे क्योंकि विपक्ष न तो इतना मतबूत था और नहीं इतना संगठित कि कोई वैकल्पिक सरकार बना पाए। 1998 में जयललिता इस उम्मीद में साथ छोड़ कई थी कि वैकल्पिक सरकार बन सकती है। इस बार वाजपेयी सरकार गिरने का सीधा मतलब था चुनाव।

राजग सरकार के सुचारू संचालन के लिए एक समन्वय समिति का गठन किया गया था। तेलगुदेशम पार्टी को छोड़ उसमें सभी सहयोगियों के शीर्ष नेतृत्व शामिल थे। मंत्रिमण्डलीय निर्णयों की पुष्टि तथा आपसी संवादहीनता दूर करने के प्रभावी मंच के रूप में इसका प्रयोग शुरू समन्वय समिति के संयोजक जार्ज फर्नाण्डीज थे। समिति की सभी बैठकों में प्रधानमंत्री भी सम्मिलित होते थे। आर्थिक उदारीकरण के क्षेत्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार पूर्ववर्ती संयुक्त मोर्चा सरकार की अनुयायी रही। राजग के घटक भाजपा ने चुनावों में स्वदेशी का नारा दिया था। अप्रवासी भारतीयों के लिए किसी कम्पनी में निवेश की सीमा 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दी गयी। गैर महत्वपूर्ण सार्वजनिक इकाईयों में विनिवेश की सीमा 75 प्रतिशत करने का प्रावधान राजग ने अपने पहले बजट में किया। इस प्रकार संविद सरकार तथा प्रशासन के अध्ययन से यह बात दृष्टिगोचर हो रही है कि संविद सरकारों के कार्यकाल में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था दिनों-दिन परिष्कृत होती गयी। जहाँ वर्ष 1977 में शासनारूढ़ जनता पार्टी अपने विलय के बाद भी गुटबन्दी की शिकार रही, वर्ष 1989 की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के प्रमुख घटक जनता दल में भी गुटबन्दी हावी रही वहीं दूसरी तरफ इसमें अच्छी व्यवस्था तो सरकार में शामिल घटक दलों के अपने पूर्ण अस्तित्व में बने रहने से उभर कर आ रही है। इसका प्रमुख कारण है-समन्वय समिति का गठन तथा इसके द्वारा लिए गए निर्णय। जिसका परिणाम यह हुआ कि, न सिर्फ नेतृत्व कर्त्ताओं की महत्वाकांक्षाओं पर विराम लगा है बल्कि मंत्रिमण्डलीय संयुक्त उत्तरदायित्व की भावना भी पुष्ट हुई है। मंत्रिमण्डल में रखे जाने वाले निर्णयों को प्राय: इसके पूर्व समन्वय समिति में रखकर उन पर एक राय कायम करने की प्रथा को गम्भीरता से लागू किया गया। सरकार में सम्मिलित घटकीय उपस्थिति में एक महत्वपूर्ण विशेषता यह उभरी रही है कि, सत्ता में साझेदार दलों में अपेक्षाकृत बड़े दल का नेता प्रधानमंत्री तथा छोटे दलों के लोग मन्त्री बनाए गए। यह भी देखने को मिल रहा है, घटकीय उपस्थिति ने प्रधानमंत्री पदधारी व्यक्ति की उसके मातृदल में भी स्थिति मजबूत की है। संविद सरकारों के इस युग में नये राजनीतिक अभिजनों का उदय हुआ है। इन राजनीतिक अभिजनों द्वारा सरकार में शामिल होने की स्थिति में प्रशासनिक अनुभव की कमी देखी गयी। जिसका परिणाम यह हुआ कि इन नवागंतुक मंत्रिगणों का नौकरशाही पर नियंत्रण कम हुआ है और यह नियंत्रण वर्ष 1977,1989,1996,1998 तथा 1999 की संविदा सरकारों में क्रमश: कम होता गया है। परिणामत: नीतिनिर्णयन तथा कार्य सम्पादन में अन्तर बन गया है। इन नये राजनीतिक अभिजनों के प्रादुर्भाव से सरकार में सभी प्रदेशों तथा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व बढ़ा है।

संविद सरकारों ने सत्तारूढ़ होते ही अपने प्रारम्भिक दौर में जहाँ राज्यपाल पदधारी लोगों को बदला, उनकी नियुक्ति में सम्बन्धित मुख्यमन्त्री से प्रभावी परामर्श नहीं किया वही अब धीरे-धीरे संविद सरकारों ने अपने दृष्टिकोण में व्यापक बदलाव किया है। इस प्रकार संविद सरकारों द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति तथा स्थानान्तरण से सम्बन्धित मुद्दों पर सरकारिया

आयोग की संस्तुतियों पर ध्यान दिया जा रहा है। संविद सरकारों ने अन्य संघवादी कृत्यों पर भी अमल किया। यह अमल भविष्य में हर पिछली संविद सरकारों से बेहतर होता हुआ दिखायी दे रहा है। मामला चाहे अहन्तराज्य परिषद का गठन तथा इसकी बैठकों का हो, अन्तरराज्यीक नदी जल बंटवारे का हो, राज्यों में केन्द्रीय अद्धसैनिक बलों की नयुक्ति का हो, राज्यों को गैर योजनामद में अनुदान देने का हो, धारा 356 के दुरूपयोग का हो, राज्यों को और अधिकार देने का हो, सब में क्रमागत संविद सरकारों ने क्रमशः बेहतर कार्य निष्पादित किए हैं।

आर्थिक क्षेत्र में क्रमागत रूप से संविद सरकारो ने आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन दिया है। रोजगार हेतु सरकारी सेवाओं में अवसर कम हुए हैं वही दूसरी तरफ निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होने से उपभोक्ता की क्रय शक्ति लगातार बढ़ रही है तथा भविष्य में आने वाली हर संविद सरकार ने आर्थिक सुधारों के नाम पर नियंत्रण मूलक व्यवस्था को हटाने का काम किया है।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने, अपनी सरकार के लिए दिशा-निर्देश तैयार किया जिसे नेशलन एजेण्डा फॉर गवर्नेन्स नाम दिया। इस दिशा निर्देशों में गवर्नेन्वस, अर्थव्यवस्था, रोजगार, आरक्षण, संवैधानिक सुधार, भ्रष्टाचार नये राज्यों का निर्माण, राष्ट्रीय सुरक्षा, धर्म निरपेक्षता के बारे में स्पष्ट वग्रन किया गया था साथ ही पर्यावरण के संबंध में विकास तथा पारिस्थितिकी के समन्वय को भी उल्लिखित किया गया था। सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान इन पर गम्भीरता से कार्य किया।

वाजपेयी के नेतृत्व में राजग सरकार ने कुशलतापूर्वक अपना कार्यकाल पूरा करते हुए लगभग आठ माह पूर्व लोकसभा के चुनाव करवाने का फैसला किया। इससे पूर्व 24 घटक दलों के इस गठबन्धन को नेशनल कान्फ्रेंस, लोकजन शक्ति पार्टी, द्रमुक, पीएमके, भारतीय राष्ट्रीय लोकदल जैसे घटक छोड़कर चले गए फिर भी वाजपेयी सरकार का बहुमत बना रहा। वाजपेयी ने गठबन्धन, अर्थव्यवस्था और देश में नई जान फूंकी। उनकी अगुआई में भारत विश्वस्तर का खिलाडी बना। राजनैतिक प्रबन्धन में उनकी सहनशीलता ने देश में स्थिरता और समृद्धि का संचार किया। एकता के इस सूत्रधार ने भारत में गठबन्धन का नया धर्म स्थापित किया। राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन सैद्धान्तिक विविधता में एकता का पहला सक्रिय प्रयोग साबित हुआ। घटक दलों का खुश करने के लिए खजाने के चतुराई भरे प्रयोग ने संघीय व्यवस्था को नई परिभाषा दी। चन्द्रबाबू नायडू जैसे राजग के संकटकारी घटकों को वाजपेयी ने बीच-बीच में उनकी उपेक्षा से कहीं ज्यादा दरियादिली दिखाकर बिदकने का मौका ही नहीं दिया। किन्तु अप्रैल-मई 2004 के चुनावों में राजग पराजित हुआ और उसे विपक्ष में बैठने का मजबूर होना पड़ा।

परिस्थितयाँ गठबंधन सरकारों के निर्माण में सहायक रही हैं, आज भी परिस्थितियों ने ही दूसरी गठबंधन सरकारों के लिए रास्ता तैयार किया है और ऐसी ही दूसरी गठबंधन सरकार सत्ता में है। (वर्ष 1999 की राजग सरकार एवं वर्ष 2004 तथा 2009 की संप्रग सरकार) परिस्थितियों की विवेचना में एक बात स्पष्ट है कि, मतदाता को अब इस बात की परवाह नहीं है कि किसी विशेष राष्ट्रीय मुद्दे पर उसका जनप्रतिनिधि संसद में क्या रूख अपनाएगा। उसे इस बात से भी कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता कि उसका सांसद राष्ट्रीय नीति बनाने के मोर्चे पर कितना सक्रिय होगा। अनुभव यह बताता है कि मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग अपना मत देने के बदले प्रतिदान की अपेक्षा रखता है वह चाहता है कि सांसद उसके समुदाय या जाति के हितैषी की भूमिका निभाएँ, क्षेत्र में समय दें, सड़कें और गलियाँ बनवाए, सिफारिशी चिट्ठियाँ लिखें इत्यादि।

मतदाताओं की बदलती-बढ़ती आकांक्षाओं का दबाव राजनैतिक संस्कृति को भी प्रभावित कर रहा है। यह प्रभाव बहुआयामी है। चुनाव जीतने के लिए लोक लुभावने नारों का चलन बढ़ रहा है। घोषणाओं पर अमल के लिए जो करोड़ो रूपयों की खैरात बंटती है उसका अर्थ व्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। मतदाताओं को रेवड़ियाँ बांटकर रिक्षाने की होड़ में सभी दल सम्मिलित रहे हैं, कोई सस्ता भोजन देने का वायदा करता है, तो कोई मुफ्त बिजली देने का। कई कर्ज माफ कर रहा है। तो कोई रोजगार की गारण्टी दे रहा है। मतदाताओं को रिझाने का यह एक संस्थाबद्ध तरीका बन गया है इस प्रक्रिया से राजनीतिक भ्रष्टाचार नीचे के स्तर पर पहुँच रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अग्रवाल, जे.सी. एवं चौधरी एन.के. - इलेक्शन्स इन इण्यिा 1952-96 शिप्रा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1996.
2. अग्रवाल, एस.पी.एवं अग्रवाल, जे.सी. - लोकसभा एण्ड विधानसभा इलेक्शन इन इण्डिया, 1989, कान्सेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, 1990.
3. आहूजा, एम. एम - इलेक्शन पालिटिक्स एण्ड जनरल इलेक्शन्स इन इण्डिया (1952-1998), मित्तल पब्लिकेशन्सस, नई दिल्ली, 1998.
4. करूणाकरण, के.पी. कोयलीशन गवर्नमेंट्स इन इण्डिया- प्रोबलम्स एण्ड प्रोसपेक्ट, इण्डियन इस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, शिमला, 1975.
5. कश्यप, सुभाष - कोयलीशन गवर्नमेंटस एण्ड पालिटिक्स इन इण्डिया, उप्पल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1991.
6. केलकर, इन्दुमती - लोहिया कर्म और सिद्धान्त, साहित्य भवन प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद,1983.
7. ग्रोवर, वीरेन्द्र - राममनोहर लोहिया : पोलिटिकिल थिंकर्स इन माडर्न इण्डिया, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1992.
8. जैन, धर्मचन्द - भारतीय राजनीति, इंदिरा से राजीव तक, प्रिन्टवेल पब्लिशर्स, जयपुर, 1990.
9. जोन्स, मारिस - द गवर्नमेंट एण्ड पालिटिक्स ऑफ इण्डिया, लन्दन, 1969.
10. जोशी, एस.एम. : ए न्यू डायरेक्शन फार सोशलिस्ट पार्टी इन कोयलीशन पालिटिक्स इन इण्डिया, न्यू एकैडमिक पब्लिकेशन्स, जालन्धर, 1969.

****

1857 के महान विप्लव में सतपुड़ांचल की भूमिका

डॉ. संकेत कुमार चौकसे *

शोध सारांश – सतपुड़ांचल दक्षिणी मध्यप्रदेश में नर्मदा व ताप्ती नदियों के मध्य का क्षेत्र है। इसके अंतर्गत मुख्यत: **बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, पूर्वी निमाड़(खण्डवा),पश्चिमी निमाड़ (खरगोन)** तथा **बड़वानी** जिलों का समावेश है। इस क्षेत्र में स्वातंत्र्य चेतना का अस्तित्व 1857 के महान् विप्लव के दौरान दृष्टिगत होता है। इस संघर्ष में जहाँ एक ओर क्षेत्र के पूर्वी जिले बालाघाट में कोई विशेष उल्लेखनीय घटना नहीं हुई वहीं जिला सिवनी की धूमा तहसील के लोधी ठाकुरों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। बैतूल जिले में तो इस क्रांति की प्रतीक छोटी चपातियों का रहस्यमय ढंग से वितरण जनवरी 1857 के आसपास ही आरंभ हो गया था। जबकि छिन्दवाड़ा जिले में राजनैतिक हलचलें अक्टूबर 1858 में क्रांतिनायक तात्याटोपे का महादेव की पहाड़ियों में पदार्पण के साथ ही प्रारंभ हुई। इस महान विप्लव से निमाड़ का क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा। यहाँ मण्डलेश्वर स्थित घुड़सवार एवं पैदल सेना ने विद्रोह कर सेन्ट्रल जेल पर हमला कर दिया था। यद्यपि इस विद्रोह का कठोरता से दमन कर दिया गया तथापि यह भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के लिए एक चमकता हुआ उदाहरण बन गया तथा भावी आंदोलन में यह प्रेरणास्त्रोत बना रहा।

पारिभाषिक शब्द – महान विप्लव, सतपुड़ांचल।

प्रस्तावना – 1857 का स्वातंत्र्य समर भारतीय स्वाधीनता संघर्ष में एक निर्णायक स्थान रखता है। भारतवासियों के स्वतंत्र होने की अभिलाषा एक विराट अभिव्यक्ति के रूप में सर्वप्रथम इसी के रूप में प्रकट हुई। भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता का विस्तार करने के साथ ही अंग्रेजों को उसे सुदृढ़ करने की भी आवश्यकता महसूस हुई। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन्होंने भारत की प्राचीन अर्थव्यवस्था का विघटन कर नवीन अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक मामलों में लगातार हस्तक्षेप किया, जिससे भारतीय जनता उनसे रूष्ट हो गई। यही कारण था कि ब्रिटिश साम्राज्य को आरंभ से ही देश के अलग-अलग और सुदूर भागों में सन्यासियों, कृषकों, कारीगरों, श्रमिकों, सैनिकों, सामंतों, साहूकारों इत्यादि द्वारा अलग-अलग मगर निरंतर चुनौतियाँ दी जाती रही। लेकिन अंग्रेज अधिकारियों द्वारा की जा रही निर्बाध लूट एवं दमन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह निरंतर जारी रही। किंतु 1857 के आते-आते भारत की जनता का सब्र टूटने लगा और लगातार वर्षो से चल रहा असंतोष आखिरकार देश के विशाल भू-भाग में सशस्त्र महाविद्रोह के रूप में प्रकट हुआ।

10 मई, 1857 को मेरठ से आरंभ हुआ यह विद्रोह शनै: शनै: समस्त उत्तरी तथा मध्यभारत में फैल गया। लखनऊ, इलाहाबाद, बरेली, बनारस, झांसी और अन्य प्रदेश सभी में विद्रोह हो गया। वयोवृद्ध मुगल बादशाह बहादुरशाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। संपूर्ण भारत को स्वतंत्र करने का आव्हान और विद्रोह के लिए उद्‌बोधित करने का फरमान जारी कर दिया गया। यह सूचना नगरों एवं ग्रामों में विद्युत गति से फैल गई। फिर सतपुड़ांचल इससे कैसे अछूता रह सकता था? यातायात व संचार के साधनों के अपर्याप्त होने के बावजूद इस क्षेत्र में विद्रोह का समाचार फैल गया, जिससे यहाँ भी विद्रोह की ज्वाला प्रज्ज्वलित हो गई।

सतपुड़ांचल दक्षिणी मध्यप्रदेश में नर्मदा व ताप्ती नदियों के मध्य का क्षेत्र है। सतपुड़ा पर्वत मध्य भारत में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के समानांतर पूर्व से पश्चिम तक विस्तृत है। प्रारंभ में इसे उन पहाडियों का समूह माना गया था जो निमाड़ में नर्मदा व ताप्ती नदियों की घाटियों को पृथक करती थी, इन्हें सातपुत्रा अर्थात विंध्य पर्वत के सात पुत्र माना गया था। जबकि एक अन्य अवधारणा के अनुसार सतपुड़ा नाम सात पुत्रों से निकला है क्योंकि इन पहाड़ियों में सात या अधिक कतारे है। ब्रिटिश शासन में स्थलाकृति का मानचित्र तैयार किये जाने के बाद 1000 कि.मी. लंबे और एक रूप क्षेत्र की जानकारी प्राप्त होने पर यह नाम पूर्व में अमरकंटक से लेकर लगभग पश्चिमी तट तक फैली संपूर्ण पर्वत श्रृंखला के लिए प्रयुक्त किया जाने लगा। इसके प्रमुख खण्ड राजपीपला, कालीभीत, असीरगढ़, सतपुड़ा खास, महादेव, मैकल, सालटेकड़ी नाम से जाने जाते है। इस प्रकार सतपुड़ांचल नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच का क्षेत्र है। इसके अंतर्गत दक्षिणी मध्यप्रदेश के **बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, पूर्वी निमाड़, बुरहानपुर, पश्चिमी निमाड़** एवं **बड़वानी** जिलों का समावेश है।

1857 के महान विप्लव के दौरान जहाँ एक ओर सतपुड़ांचल के पूर्वी जिले बालाघाट में कोई विशेष उल्लेखनीय घटना नहीं हुई।[1] वही दूसरी ओर सिवनी जिले की धूमा तहसील के लोदी ठाकुरों ने इस विद्रोह में सक्रिय भाग लिया। बाद में मेजर टर्नल ने अकस्मात आक्रमण कर इन्हें बंदी बना लिया था।[2] सिवनी क्रांतिनायक तात्याटोपे का भी कार्यक्षेत्र रहा है। संभवत: वे 1858 में जिले के प्रमुख केन्द्र छपारा के किले में रूके थे।[3] अंग्रेज अधिकरियों को जब इसकी सूचना प्राप्त हुई तो उन्होंने इस किले को तोपों से उड़ा दिया लेकिन इसके पूर्व ही तात्याटोपे सिवनी होते हुए नागपुर की ओर प्रस्थान कर गये।

छिन्दवाड़ा जिले में राजनैतिक हलचलें अक्टूबर 1858 में क्रांतिनायक तात्याटोपे के जिले में आगमन के साथ प्रारंभ हुई। इस अवसर पर उन्हें जिले के एकमात्र जागीरदार महावीरा सिंह (हर्रकोट जागीर के जागीरदार) का

* अतिथि विद्वान, राजमाता सिंधिया शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत

सहयोग प्राप्त हुआ।[4] शेष जागीरदार तटस्थ बने रहे जबकि बटकाखापा के जागीरदार बखतसिंह ने ब्रिटिश शासन को इस क्षेत्र में तात्याटोपे की उपस्थिति की सूचना दी। इस प्रकार तात्याटोपे को इस जिले में अपेक्षित सहयोग न मिल सका जिससे वे यहाँ से चले गये। महावीरा सिंह की जागीर को ब्रिटिश शासन ने राजसात् कर उन्हें बंदी बना लिया।[5]

बैतूल जिले में तो इस क्रांति की प्रतीक छोटी चपातियों का रहस्यमय ढंग से वितरण जनवरी 1857 के आस-पास ही आरंभ हो गया था। प्रारंभ में इस जिले में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं हुई। जिले में महाविप्लव का शोरगुल उस समय सुनाई दिया जब शिवदीन मालगुजार के पास कुछ शस्त्र बैतूल के समीप एक ग्राम में छिपे हुए पाए गए। इस कारण 5 अक्टूबर 1857 को उसे और उसके भाई रामदीन को गिरफ्तार कर लिया गया।[6] बाद में 21 अक्टूबर 1857 को उन्हें विद्रोह में भाग लेने का आरोपी पाए जाने पर सात वर्षों के कारावास की सजा दी गई। इस महान विद्रोह में बैतूल जिले की भूमिका का दूसरा चरण उस समय प्रांरभ हुआ, जब क्रांति के अग्रणी नेता तात्याटोपे जामई में ब्रिटिश पुलिस के 17 सिपाहियों की हत्याकर 7 नवम्बर को मुल्ताई पहुँचे जहाँ वे एक दिन रूके। उस दिन वहाँ सरकारी इमारतों को ध्वस्त करते हुए बिरूला, मासौद, आठनेर, भैंसदेही होते हुए निमाड़ की ओर चले गए।[7]

इस महान विप्लव से निमाड़ का क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा। निमाड़ में विद्रोह प्रमुख रूप में भील भिलाला वनवासियों द्धारा किया गया। ये वनवासी स्वतंत्रता प्रेमी व स्वाभिमानी थे। यद्यपि उस समय तक वृहत्तर एवं स्वतंत्र भारत की कल्पना उनके मस्तिष्क में नहीं थी किन्तु वे अपने राज्य की स्वतंत्रता के प्रति सचेत थे। वे अंग्रेजों के अत्याचार पूर्ण कारनामों से परिचित थे। जिन्हें वे निमाड़ की भूमि पर अपना प्रभाव नहीं जमाने देना चाहते थे। इन वनवासियों को नेतृत्व मुख्यत: खाज्या नायक तथा भीमा नायक ने किया।[8] उल्लेखनीय है कि जब संपूर्ण उत्तरी भारत में 1857 के विद्रोह का ब्रिटिश सरकार द्धारा दमन कर लिया गया था तब भी 1861 ई. तक निमाड़ के वनवासी ब्रिटिश सत्ता के विरूद्ध लोहा लेते रहे।[9]

निमाड़ के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 1857 में मण्डलेश्वर में हुआ विद्रोह भी अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। 1857 में मण्डलेश्वर स्थित घुड़सवार एवं पैदल सेना ने विद्रोह कर सेन्ट्रल जेल पर आक्रमण कर दिया था। जेल के अंदर स्थित लगभग 500 कैदियों ने खजाना लूटकर जेल पर अधिकार कर लिया था। इस घटना में बंगाल रेजीमेण्ट के कैप्टन बैंजामिन की मृत्यु हो गई। बाद में विद्रोहियों को बंदी बनाकर सार्वजनिक रूप से फाँसी दे दी गई। वह स्थान जहाँ उन्हें फाँसी दी गई थी वर्तमान में फाँसीबेड़ी के नाम से प्रसिद्ध है।[10]

1857 के स्वातंत्र्य समर के दौरान तात्याटोपे ने अक्टूबर 1858 में दक्षिण पहुँचने के प्रयास में नर्मदा नदी पार की। सतपुड़ा पर्वतश्रेणियों को पार करने के पश्चात् आगामी माह में वे ताप्ती घाटी के मार्ग से निमाड़ जिले में प्रविष्ठ हुए।[11] यहाँ पहुँचने पर उन्होंने सभी दिशाओं में अपना मार्ग अवरूद्ध पाया, खानदेश की ओर बढ़ने में ह्यूरोज उनका मार्ग रोके खड़ा था तथा जनरल रॉबर्टस के कारण वह गुजरात की ओर नहीं बढ़ सकता था, बरार की ओर से एक छोटी सेना उसकी ओर बढ़ती आ रही थी। इस कारण वे खण्डवा, पिपलोद और कुछ अन्य स्थानों की पुलिस चौकियों और शासकीय इमारतों को ध्वस्त करते हुए जिले से बाहर चले गये एवं खरगोन के रास्ते से पुन: मध्यभारत की ओर प्रस्थान कर गये।[12]

यद्यपि इस विद्रोह का कठोरता से दमन कर लिया गया तथापि यह भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बन गया। इस विप्लव और उसके दमन की प्रक्रिया से एक ऐसी कटुता ओर संघर्ष की भावना का जन्म हुआ। जिसने विदेशी शासन के प्रति अकर्मण्यता के युग का अंत कर दिया और अंतत: यह ब्रिटिश साम्राज्य के पतन में मील का पत्थर सिद्ध हुआ। जहां इस विप्लव से समूचे भारत ने प्रेरणा प्राप्त की तो वही सतपुडांचल के निवासियों ने भी इससे प्रेरणा लेकर भावी राष्ट्रीय आंदोलन में उल्लेखनीय भूमिका का निर्वाह किया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सिन्हा, ए.एम.- मध्यप्रदेश जिला गजेटियर, जिला बालाघाट, संस्कृति विभाग,भोपाल (म.प्र.), 1998 पृ. 64
1. गुरू, एस.डी.- मध्यप्रदेश में स्वाधीनता संघर्ष (1857-1950) मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल,2008, पृ. 37-38
2. पाठक, जे.पी.- सिवनी कल आज और कल, कोणार्क कम्प्यूटर्स, सिवनी, 2000, पृ. 11
3. मिश्रा, डी.पी.(सं)- मध्यप्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास,संस्कृति विभाग,मध्यप्रदेश शासन,भोपाल,2002,पृ. 98
4. रसल, आर.वी - सेन्ट्रल प्रॉविन्सेस डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट 1907, पृ. 33
5. श्रीवास्तव, पी.एन - मध्यप्रदेश जिला गजेटियर, जिला बैतूल 1990, पृ. 55
6. मध्यप्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सैनिक भोपाल संभाग, खण्ड 5, पृ. 135
7. गुरू, एस.डी. - मध्यप्रदेश में स्वाधीनता संघर्ष (1857-1950) 2000, पृ. 135
8. सक्सेना, सुधीर - मध्यप्रदेश में आजादी की लड़ाई और आदिवासी 1999, पृ. 105
9. मध्यप्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सैनिक, इंदौर संभाग खण्ड 4, पृ. 81
10. श्रीवास्तव, पी.एन - मध्यप्रदेश जिला गजेटियर, जिला पूर्वी निमाड़ 1971, पृ. 59
11. निमाड़ सेटलमेंट रिपोर्ट 1857, पृ. 53
12. गुरू, एस.डी. - वही, पृ. 156-157

****

सालट जैन मूर्ति लेखों में उल्लिखित लम्बकंचुकान्वय

मनोज रिछारिया *

प्रस्तावना – हर्षवर्द्धन की मृत्यु के बाद से 1192 ई0 में तराईन के युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय के बीच का लगभग 600 वर्षों का समय उत्तरी भारत के इतिहास का अत्यन्त महत्वपूर्ण काल है। इस लम्बी अवधि के अधिकांश समय में किसी सार्वभौम सत्ता का अभाव था। देश आपस में लड़ने वाले छोटे-छोटे युद्ध प्रिय राज्यों में विभक्त था। इन राज्यों में से एक चन्देल राज्य भी था, जो नवीं सदी ई. के प्रथम चरण में प्रकाश में आया। इस राज्य की स्थापना नन्नुक ने की थी। उसके पौत्र जयशक्ति के नाम पर चन्देलों द्वारा शासित क्षेत्र का नामकरण जैजाकभुक्ति हुआ। इसी राजवंश में यशोवर्मा हुआ, जिसने खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर बनवाया था। यशोवर्मा का पुत्र व उत्तराधिकारी धंग हुआ। धंग के शासन काल में अनेक जैन मंदिरों का निर्माण हुआ होगा, किन्तु उनमें से सबसे प्रसिद्ध जिन नाथ का मंदिर है, जिसे अब पार्श्वनाथ का मंदिर कहते हैं। धंग का पौत्र विद्याधर अपने पितामह के समान योग्य और रण चातुर था। उसने दो बार सफलतापूर्वक महमूद गजनवी के आक्रमणों का प्रतिरोध किया। श्री कृष्णदेव[1] का कथन है कि चन्देल वंश का सबसे शक्तिमान शासक होने के कारण उसने अपने पूर्वजों के देवालय बनाने की परम्परा को अक्षुण्य बनाए रखा होगा और सम्भवतः इसी परम्परा में खजुराहो का विशालतम व भव्यतम कंदरिया-महादेव मंदिर का निर्माण उसके शासनकाल में हुआ। विद्याधर के बाद विजयपाल, देववर्मा, कीर्तिमान, सल्लक्षण वर्मा, जयवर्मा, पृथ्वी वर्मा शासक हुए।

पृथ्वीवर्मा का उत्तराधिकारी मदनवर्मा हुआ, जिसने 1128 ई. से 1165 ई. तक शासन किया। मदनवर्मा एक समर्थ शासक था क्योंकि चन्देल राज्य के विभिन्न भागों से प्राप्त उसके शासनकाल के अभिलेखों और मूर्ति लेखों की संख्या पूर्ववर्ती किसी भी चन्देल शासक कहीं अधिक है। इसके अतिरिक्त लगभग एक दर्जन स्वर्ण मुद्राऐं तथा चालीस से ऊपर रजत मुद्राऐं उसके राजनीतिक वर्चस्व एवं साम्राज्य की उन्नत आर्थिक व्यवस्था की परिचायक है। मदनवर्मा का शासनकाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि गोविन्दचन्द्र गाहड़वाल (1114-1154), तथा चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज (1094-1142) ई. जैसे समयकालीन विजेता भी उसका बाल बाँका नहीं कर सके।[2]राजनीतिक स्थिरता और साम्राज्य में शान्ति तथा सुव्यवस्था बनी रहने के कारण इस राजा के शासनकाल में सांस्कृतिक गतिविधियों को अभूतपूर्व प्रोत्साहन मिला, जिसके फलस्वरूप जैन कला और स्थापत्य का भरपूर विकास हुआ।

चन्देल शासन काल में विभिन्न धर्मों में किसी भी प्रकार का कलह न था यही कारण है कि चन्देल साम्राज्य में कई जगह जैन धर्म के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। मदनवर्मा चन्देल के शासनकाल में सर्वाधिक जैन प्रतिमाओं का निर्माण हुआ, जिसकी पुष्टि मूर्तियों की चौकियों पर अंकित लेखों से होती हैं। मदनवर्मा के शासन काल की कुछ जैन मूर्तियों सालट ग्राम से प्राप्त हुई है। सालट महोबा जिला में स्थित है। यहां पहुँचने के लिए बस द्वारा महोबा से 5 कि.मी. उत्तर में है। झाँसी-मानिकपुर ट्रेन से चरखारी रोड़ पर उतरना पड़ता है। यहां जैन तीर्थकरों की खण्डित मूर्तियों यत्रवत बिखरी मिलती हैं। जिससे ज्ञात होता है कि चन्देल काल में यहां कोई जैन मंदिर रहा है। यहाँ से प्राप्त ऋषभनाथ की मूर्ति पर निम्नांकित लेख अंकित है।

संवत 1210, आषाढ सुदी 2 सोमे गण्डिल्लपुरे श्री मान् मदन वर्मा विजयराज लम्बकंचुकान्वये साधु श्री वलि तस्यात्मज साधु सहसूतस्या भ्राता। ठाकुर श्री आमत् तस्य युत्राः पाल्हण ताल्हण गाल्हण सूल्हणदेव श्री ऋषभनाथ प्रणमति नित्यं।। रूपकार धरणिधर तथा रूपकार काकुः।

अभिलेख के अनुसार लम्बकं चुकान्वय वंश के मूर्ति प्रतिष्ठापकों की वंशावली इस प्रकार है-

साधु श्रीबलि

साधु सहसू — ठक्कुर आमट

पाल्हण — ताल्हण — गाल्हण — सूल्हण

अर्थात् इस प्रकार से तीन नये तथ्य का ज्ञान होता है-

1. लम्बकंचुकान्वय, 2.ठक्कुर उपाधि, और 3. मण्डिलपुर।

लम्बकंचुकान्वय – सालट अभिलेख से ज्ञात होता है कि वि0सं0 1210(1153ई.) में मण्डिलपुर निवासी लम्बकंचुकान्वय के चार भागों में भगवान् ऋषभनाथ की प्रतिमा की प्रतिष्ठा कराई थी। अभिलेख के सम्पादक के0एस भादरी[3] का मत है कि इस वंश के लोग लम्बाकोट पहिनते थे, इसीलिए उनके वंशराज लम्बकंचुक कहलाने लगे। यह व्यवस्था उपयुक्त प्रतीत नहीं होती क्योंकि अन्वय को परम्परा कोट आदि पहिनने वाले गृहस्थों से प्रारम्भ नहीं हुई।

अन्वय को सम्बन्ध में अभिलेखों के माध्यम से दो तथ्य सामने आते हैं। पहला यह कि किसी बड़े आचार्य गुरू के अनुनायी स्वयं को उस गुरू के अन्वय से जोड़ लेते थे। अन्वय की यह परम्परा कुछ पीढियों तक ही सीमित नहीं रही अपितु सदियों तक निरन्तर चलती रहीं। दिगम्बर परम्परा के अभिलेखों में 'कुन्द कुन्दान्वय' इसका सबसे सशक्त उदाहरण है। दो हजार वर्षों के उपरान्त भी आजतक मूर्तियों पर कुन्दकुन्दान्वय में अपनी गणना कराकर दिगम्बर मुनि और जातक गौरव का अनुभव करते हैं। अन्वय दूसरी धारा जाति अथवा वंश को लेकर आगे बढ़ी। कई अभिलेखों में जाति का उल्लेख अन्वय के रूप में हुआ है। भोलापूर्वान्वय, अग्रोत्कान्वय, गर्गराटान्वय, जयसवालान्वय, आदि उल्लेख इसके उदाहरण है। लम्बकंचुकान्वय की संगति

* शोधार्थी (इतिहास) महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट (म.प्र.) भारत

बैठालने के लिए जब हम विचार करते हैं, तब हमारे सामने अहार (टीकमगढ़) के तीन मूर्तिलेख और मड़का (बाँदा) के एक मूर्तिलेख में अन्वय का उल्लेख मिलता है। इन्हीं लेखों के अध्ययन से इस अन्वय के इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है।

अहार के वि. सं. 1202 (1145ई.) के अभिलेख[4] में लम्बकंचुकान्वय शब्द अंकित है। किन्तु वि.0सं. 1210 (1253ई0) के दूसरे अभिलेख[5] में लमेचुकान्वय शब्द का उल्लेख है। मदनवर्मा कालीन विवेच्य सालट लेख भी वि0सं. 1210 में ही अंकित किया गया था। इस लम्बकंचुक शब्द का ही प्रयोग किया गया है। इस लम्बकंचुक शब्द ने ही भादरी महोदय के बाह्य किया होगा। वास्तविकता यह प्रतीत होता है कि लम्बकंचुकान्वय किसी आचार्य के नाम पर चलने वाला परम्परागत अन्वय न होकर मात्र एक जाति के रूप में प्रयोग किया गया है। बुन्देलखण्ड की गोलालेर जाति में लमेचु एक प्रसिद्ध वंश है। जो अद्यावधि विद्यमान हैं।

प्राचीन जैन ग्रन्थों ने छापे खाने में यह वाक्य प्रचारित करने का जो आन्दोलन दिगम्बर जैन समाज में आज से एक शतीपूर्ण प्रारम्भ हुआ था उसके पक्षधर प्रमुख व्यक्तियों में नाथूराम लमेचु का नाम सर्व विदित है। वे अंग्रेजी शासन काल में कटनी (म0प्र0) में तहसीलदार थे। पुरातनपंथी विचारधारा के लोगों की ओर से उन्हें अपने सुधारकारी कदम के लिए तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा था।

अहार के वि0 सं. 1210 के लेख में लमेचु शब्द का अस्तित्व यह सिद्ध करता है कि यह अन्वय लमेचु वंश के लिए लिखा गया है। यदि कंचुक शब्द का अर्थ करते हुए हम लम्बेवस्त्रधारी की तलाश करना चाहें तब हमारा ध्यान दिगम्बर जैनों में प्रचलित भट्टारक परम्परा की ओर जाता है। क्योंकि ये सारे अभिलेख दिगम्बर मूर्तियों में ही प्राप्त हुई हैं। इसलिए दिगम्बर सम्प्रदाय नहीं होता। दिगम्बर संस्कृति के इतिहास में भट्टारक संस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। वे पीले अथवा केसरिया वस्त्रों का व्यौहार करते थे और लुंगी पहनकर ऊपर से सिर से पैरों तक ढकने वाली चादर ओढने के कारण उन्हें लम्बकंचुक भी कहा जाता था। हो सकता है कि उनकी परम्परा का मूल नाम लम्बकंचुकान्वय रहा हो, और उसी आधार पर गोलातारे समाज में इस वंश का प्रादुर्भाव हुआ हो, जिसे कालान्तर में 'लमेच' कहा जाने लगा।

इस अन्वय का उल्लेख करने वाला एक और महत्वपूर्ण अभिलेख बाँदा जिले के बदौसा थानान्तर्गत मड़फा नामक पहाड़ी दुर्ग पर उपलब्ध है। बदौसा से यह स्थान 13 कि0मी0 दक्षिण में स्थित है। यहाँ का अभिलेख 8 पंक्तियों में अंकित है। अक्षर घिस जाने के कारण इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति ही पढ़ने में आ सकी। विवेच्य लेख में संदर्भित विषय के संदर्भ में अत्यन्त महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख है। अत: वाचन योग्य पंक्तियों इस प्रकार हैं।

1. संवत् 1404 वैशाख सुदि श्री मूल संहो बलातकार गणै सरस्वतीगच्छ कुन्दकुन्दानवये।
2. ———— चारू कीर्तिदेव सिद्धान्तिक——— वसन्त कीर्ति
4. राजगुरू भट्टारक श्री प्रता (प) चन्द्रदेव लमर्कचुकान्वये .... साधुहले। सुमितनाथ प्रतिमा पर उत्कीर्ण वि0सं. 1404 के इस लेख से निम्नांकित तथ्य ज्ञात होते हैं–

1. यह लेख मदन वर्मा कालीन सालट मूर्ति लेख से लगभग दो सौ वर्षो बाद लिखा गया है।
2. इस लेख में मूल संघ बलात्कारगण और सरस्वती गच्छ के साथ 'कुन्दकुन्दानय' शब्द का स्पष्ट उल्लेख है।
3. लेख में मूर्ति निर्माता के परम्परा गुरूओं के रूप में भट्टारकों की परम्परा अंकित है। चारूकीर्ति, सिद्धान्तिक कीर्तिदेव और वसन्त कीर्ति नाम भट्टारकों के ही होना चाहिए। यह तथ्य इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि मूर्ति निर्माता ने लेख की चौथी पंक्ति में अपने साक्षात् गुरू प्रताप चन्द्रदेव नाम के पूर्व 'राजगुरू भट्टारक' श्री पद का प्रयोग किया है।
4. अभिलेखों में परम्परा और अन्वय के उल्लेख के साथ वंश अथवा जाति के अन्वय नाम से लिखने की परम्परा रही है। इस मूर्ति का निर्माता 'कुन्दकुन्दान्वय' लिखकर स्वयं को मूलसंघ की प्राचीन परम्परा से जोड़ता है और अपने वंश के रूप में स्वयं 'लम्बकंचुकान्वय' लिखवाकर अपना परिचय अंकित कराता है।

इस प्रकार मड़फा दुर्ग की सुमति नाथ प्रतिमा पर अंकित यह लेख हमें यह निश्चित करने में साधक बनता है। कि मदनवर्मा कालीन विवेच्य लेख का 'लम्बकंचुकान्वय' शब्द लमेचु जाति के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। भले ही यह लमेचु शब्द लम्बा उत्तरीय धारण करने वाले भट्टारकों के अनुनायी लम्बकंचुकान्वय के अपभ्रंश के रूप में प्रचलित हुआ हो।

मंडिलपुर – मंडिलपुर का उल्लेख खजुराहों से प्राप्त वि0सं. 1208 (1151ई.) के मदन वर्मा कालीन अभिलेख[6] में भी मिलता है। कीलहान[7] ने इस अभिलेख का सम्पादन करते समय स्थान का नाम मंडिलपुर पढा था। किन्तु डॉ0 एच0 वी0 त्रिवेदी[8] ने चन्देल कार्पस में इस नाम को माहिलपुर पढकर इसका अभिज्ञान छतरपुर– नौगांव मार्ग पर स्थित महेवा नामक स्थान से किया है। संभवत: डा0 त्रिवेदी ने वि0सं0 1210 का सालट जैनमूर्ति लेख नहीं देखा, जिसमें स्थान का नाम मंडिल्यपुर बिल्कुल स्पष्ट है। अत: डॉ0 त्रिवेदी की पहिचान युक्तिसंगत नहीं हैं। पृथ्वीराज रासो से ज्ञात होता है कि सिरसागढ पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद जब पृथ्वीराज चौहान की घेराबंदी की तब उसकी सेना का सिविर मंडिलपुर के समीप लगा था। चन्द्रायन में इसे माहिल लिखा गया है, और अल्हा पढ़ने वाले इसे सालट कहते हैं। यहां अब सालट नामक छोटा सा ग्राम अवस्थित है। प्राचीन मंडिलपुर वीरान हो गया है। वीरान इस नगर के समीप एक पुरानी झील आज भी माडल नाम से विख्यात है। महोबा जिला मुख्यालय से 18 कि0मी0 परिचय में स्थित इस स्थान में अद्यावधि चन्देल कालीन पुराशेषों की बहुलता है। कुछ पुरावशेष ग्राम के मंदिरों के चवूतरों में स्थित पाये गये हैं। जिनको सिंदूर से लेपन किया गया है। इन्हीं अवशेषों में विवेच्य मूर्ति लेख की तीर्थकर प्रतिमा भी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. ऐश्चंट इण्डिया, खण्ड 15, पृ0–45
2. एपि0इण्डि0, खण्ड–1, पृ0 198, 205
3. स्वस्तिश्री, पृ0 137–38
4. जैन, कस्तूरचन्द्र, अहार क्षेत्र के अभिलेख, 2010
5. जैन, पृ0 123
6. 'मंडिलपुरात गृहपत्यन्वये श्रेष्ठि माहुल' कार्पस, खण्ड 7, पृ0 409
7. जर्नल आफ द एशियाटिक सोसायटी, 1898, पृ0 101 तथा आगे।
8. कार्पस, खण्ड 7, पृ0 409

1. मन्दिर

2. सिन्दूर से लेपित चबूतरे पर अवस्थित

3. खण्डहर में पुरावशेष मन्दिर

****

ब्रिटिशकाल में नरसिंहपुर जिले का नगरीय विकास

डॉ. भूषण कुमार कुरोठे *

शोध सारांश – नगरीकरण नगरों के क्रमिक विकास है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण जीवन में नगरीय जीवन की विशेषताओं का समावेश होता जाता है। इसके द्वारा ग्राम शनै: शनै: नगरों में तथा नगर शनै: शनै: विशाल नगरों में परिवर्तित होते जाते है। नगर प्रारंभ से ही ग्रामीणों को अपनी ओर आकर्षित करते आ रहे है। नगर में उन्हें रोजगार के अवसर, शिक्षा व्यवस्था, उच्च चिकित्सा व्यवस्था आदि की सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण गाँवों से पलायन करने को प्रेरित करती है। नगर सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से भी गाँवों से बेहतर होते हैं। इन कारणों से नगरों तथा नगरीय केन्द्रों का तीव्र गति से विकास होता जा रहा हैं। प्रस्तुत शोधपत्र में मध्यप्रदेश में स्थित नरसिंहपुर जिले के नगरीय विकास पर प्रकाश डाला गया है।

शब्दु कुंजी – नगरीकरण।

प्रस्तावना – नरसिंहपुर जिला मध्यप्रदेश में स्थित है। इसके उत्तर और दक्षिण में क्रमश: विंध्य और सतपुड़ा पर्वत है। यह जबलपुर संभाग के पश्चिमी मध्य का जिला है। बम्बई–इलाहबाद रेलवे लाईन पश्चिम से पूर्व की ओर जिले को पार करती है और मुख्य लाईन जबलपुर नगर से लगभग 50 मील पश्चिम में स्थित है। नरसिंहपुर जिले का आकार लगभग चतुष्कोणीय है, जो पूर्व–पश्चिम दिशा में लम्बाकार फैला हुआ है। सन् 1782 के पश्चात् जाट सरदार के उत्कर्ष के बाद इसका अधिक महत्व बढ़ गया। जाट सरदार ने यहां दो नरसिंह मंदिरों कर निर्माण कराया था। नरसिंह मंदिर के कारण इस नगर का नाम नरसिंहपुर पड़ा है।

आरंभ में नरसिंहपुर गड़रिया खेड़ा नामक एक गांव था, जिसे शहपुरा के नाम से भी जाना जाता था, जो खेरमाई के मंदिर के निकट बसा था। सन् 1782 के पश्चात् जाट सरदारों के उत्कर्ष के बाद इसका महत्व और अधिक बढ़ गया था। नरसिंहपुर तात्कालीन समय में शाहपुर परगने में सम्मिलित था। गोंड और मराठों के शासनकाल में यह जिला प्रशासनिक और सैनिक अधिकारियों तथा उस क्षेत्र के अनुवांशिक सरदारों में बटा हुआ था। जिनमें इलाकों की सीमाएं उनकी निजी शक्ति तथा प्रभाव के अनुसार समय–समय पर बदलती रहती थी। जिसके परिणामस्वरूप धीरे–धीरे नरसिंहपुर में बस्ती स्थापित की गयी। इसी समय से नरसिंहपुर नगर का नगरीय इतिहास प्रारंभ होता हैं।

मराठों ने नरसिंहपुर की आर्थिक दशा में पर्याप्त सुधार किया उपजाऊ भूमि को ग्रामों अमराईयों और अति उपजाऊ खेतों के रूप में परिवर्तित कर दिया। मुधोजी के पुत्र राघोजी ने मार्च 1795 में एक संधिपत्र पर हस्ताक्षर करके नर्मदा के उत्तरवर्ती गढ़ा–मंडला, होशंगाबाद तथा नर्मदा के दक्षिणवर्ती प्रदेश पर अधिकार कर लिया, जिनसे मिलकर आधुनिक नरसिंहपुर का निर्माण हुआ। सन् 1817 में नरसिंहपुर जिले के इतिहास में एक नया मोड़ आया। नरसिंहपुर ब्रिटिष शासन के आधिपत्य में चला गया। 1836 ईसवीं में नरसिंहपुर जिला समाप्त कर उसे होशंगाबाद जिले में मिला दिया गया। 1842 ईसवीं में बुन्देलों के विद्रोह के पश्चात् 1843 ईस्वी में इसे पुन: जिला बना दिया गया। 1902 ईसवी में सागर एवं दमोह से नरसिंहपुर को अलग कर दिया गया। 1932 ईस्वीं में वर्षों बाद इस जिले को पुन: होशंगाबाद जिले में शामिल कर दिया गया।

1 नवम्बर 1956 को किए गए राज्यों के पुनर्गठन से इस जिले के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना जुड़ी है। 1 नवंबर 1956 को नरसिंहपुर को उसके क्षेत्रफल, जनसंख्या, राजस्व और इतिहास को दृष्टिगत रखते हुए उसे स्वतंत्र जिला बना दिया गया। मुख्यालय होने के कारण नरसिंहपुर में नये कार्यालयों की स्थापना की गई जिससे नगर का महत्व राजनैतिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों में तेजी आने से नगर का प्रशासनिक क्षेत्र में महत्व बढ़ गया।

आधुनिक काल में नगर निर्माण के इतिहास में जनसंख्यात्मक केन्द्रीयकरण और व्यावसायिक गतिविधियों ने महत्वपूर्ण कारक का कार्य किया है। नगर निर्माण का दूसरा महत्वपूर्ण कारक वहां की सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था रही है। जिसके कारण नगरों में राजनैतिक स्थिरता आई, जिसने आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक गतिविधियों को गति प्रदान की। विवेच्य काल में नरसिंहपुर मराठों के आधिपत्य में आने के पश्चात् ही नरसिंहपुर नगर के विकास की प्रक्रिया में तीव्रता आई। इस क्षेत्र में एक स्थायी प्रशासनिक व्यवस्था की गई। जिसके कारण इस क्षेत्र में स्थिरता आई एवं आर्थिक विकास की प्रवृत्तियों में तेजी आई। राजनैतिक स्थिरता के फलस्वरूप विभिन्न समुदाय यहां आकर बसने लगे और जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि होने लगी। बाहर से आए विभिन्न समुदायों के आने तथा नगर में बसने की प्रक्रिया से नरसिंहपुर की जनसंख्या में वृद्धि हुई तथा नगर के आकार में परिवर्तन होता गया। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से नरसिंहपुर नगर जनसंख्या बाहुल्य नगर कहलाता है।

नरसिंहपुर नगरपालिका की स्थापना सन् 1867 में पंजाब नगरपालिका समिति अधिनियम क्रमांक 15 सन् 1867 के अधीन हुई थी। बाद में इसका विभिन्न अवस्थाओं में मध्य प्रांत नगर पालिका अधिनियम (सेन्ट्रल प्राविसेंस म्युनिसिपल एक्ट) 1873, 1889, 1903 तथा 1902 के उपबंधों के अनुसार पुनर्गठन किया गया। नगरपालिका अध्यक्ष को बक्शी कहा जाता था, अध्यक्ष की सहायता के लिए एक समिति थी। जिसके दो

* सहायक ग्रेड–3, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत

तिहाई सदस्य जनता द्धारा निर्वाचित किए जाते थे, जबकि शेष सदस्य पदेन तथा नाम निर्दिष्ट होते थे। नगरपालिका के अधीन नगर जलपूर्ति, प्रकाश तथा नगर सफाई संबंधी कार्य थे। नगरपालिका अधिनियम 1889 एवं 1922 के अनुसार स्थानीय संस्थाओं का विकास होता रहा।

नरसिंहपुर नगर की प्रथम जनगणना 1866 में हुई थी। तत्पष्चात् 1872 में पुन: जनगणना की गयी, इस समय नगर की जनसंख्या काफी कम आकलित की गयी। 1901 में नगर में हुई जनगणना में जनसंख्या 11,233 आकलित की गयी। 1901 से 1911 के दशक में नगर की जनसंख्या में कुल कमी 603 की रही। 1921 में नगर में हुई जनगणना में नगर की जनसंख्या 9839 आकलित की गयी। यह भारतीय जनगणना के इतिहास में एक विशेष अवसर था। जब किसी नगर की जनसंख्या में अप्रत्याशित रूप से कमी आयी थी। इस दशक में जनसंख्या में हुई कमी का कारण नगर में महामारी का फैलना था। 1931 में जनगणना में नगर की जनसंख्या 11,077 हो गयी थी। इसके पश्चात् 1941 की जनगणना में नगर की जनसंख्या बढ़कर 12,908 हो गयी।

नरसिंहपुर नगर केवल सुरक्षा, गैर तकनीकी रोजगार एवं नगरीय आकर्षण के आधार पर केवल ग्रामीणों को आकर्षित करता रहा है। नगरों के विकास में आर्थिक क्रियाकलाप, उपजाऊ कृषि, मशीनी उद्योग, यातायात के साधन महत्वपूर्ण कारक हैं। कृषि के उत्पादनों के विकास और वन संपदा पर आधारित उद्योग के विकास में नरसिंहपुर क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नरसिंहपुर में प्राचीन तथा मध्य काल में बैंक का कार्य साहूकारों, व्यापारियों, मालगुजारियों या जमींदारों के द्धारा संपन्न किया जाता था। जिसमें हुण्डी व्यवस्था का प्रचलन था। आधुनिक काल में अंग्रेजी शासनकाल की स्थापना के परिणाम स्वरूप भारत में सुव्यवस्थित बैंक प्रणाली का विकास हुआ। नरसिंहपुर नगर में सभी राष्ट्रीयकृत एवं सहकारी बैंकों की शाखाएं कार्यरत हैं। औद्योगिक विकास की दृष्टि से नरसिंहपुर नगर काफी पिछड़ा हुआ है।

नरसिंहपुर नगर बहुभाषा-भाषी, बहुजाति, बहुसम्प्रदाय वाला एक शांतिप्रिय नगर रहा है। इस नगर के विकास के साथ-साथ यहाँ बाहर से आकर बसने वाले समुदायों के आगमन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गयी। मराठा शासन की स्थापना से नगर में राजनैतिक स्थिरता आई। जिसने देश के विभिन्न भागों में बसने वाले समुदायों को इस ओर आकृष्ट किया, जिन समुदायों में नरसिंहपुर नगर में बसने वाले प्रमुख समुदाय हिन्दू, जैन और मुसलमान हैं, अन्य धर्मावलम्बी अल्पसंख्यक है। भारत विभाजन के पश्चात् सिंधी शरणार्थियों के रूप में यहाँ काफी संख्या में आकर बस गए थे।

भारत में आधुनिक व पाश्चात्य शिक्षा की शुरूआत ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कंपनी के शासनकाल से हुई। लार्ड विलियम बैंटिंग ने मैकाले के विवरण-पत्र में व्यक्त किए गए समस्त विचारों का अनुमोदन कर घोषित किया कि शिक्षा के लिए निर्धारित सम्पूर्ण धन का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग केवल अंग्रेजी शिक्षा के लिए ही किया जा सकता है। इसके बाद सम्पूर्ण ब्रिटिशकाल में इसी नीति के आधार पर शिक्षा का प्रसार किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने इस देश की शिक्षा व्यवस्था को सुनियोजित और सुसंगठित तरीके से विकास किया। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य 3 से 6 वर्ष की आयु के बालक बालिकाओं में अच्छी स्वस्थ आदतों का विकास और व्यक्तिगत तथा सामाजिक समयोजन की क्षमताओं जैसे वस्त्र पहनना, भोजन करना, सफाई, आयु वर्ग के बच्चों से प्रेमभाव तथा सामान्य शिष्टाचार की आदतों को विकसित करना होता है। यातायात की सुविधाओं के विकास, स्वास्थ्य संस्थाओं के विकास के परिणाम स्वरूप देश में अन्य नगरों की तरह इस नगर में भी मध्यम वर्ग का उदय हुआ। इस मध्यम वर्ग में शिक्षक, वकील, डॉक्टर, पत्रकार आदि सम्मिलित थे। इन वर्गों ने समाज में सुधार के साथ-साथ राजनीति के क्षेत्र में योगदान दिया।

नरसिंहपुर मुख्यतया एक कृषि प्रधान जिला है। नरसिंहपुर की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। सन् 1951 की जनगणना के अनुसार जिले के कुल 3,39,110 व्यक्तियों में से 2,44,470 व्यक्ति कृषि साधनों द्धारा अपना जीविकोपार्जन करते हैं। इस प्रकार कृषि में लगे हुए व्यक्ति तथा उनके आश्रित व्यक्ति, कुल संख्या का 72 प्रतिशत है और भी सही स्थिति जानने की दृष्टि से जैसा कि सन् 1951 की जनगणना से स्पष्ट है कि जिले का कार्यशील क्षमता कुल जनसंख्या का पचास प्रतिशत है। यदि सम्पूर्ण कार्यशील क्षमता को हिसाब में लिया जाएं तो 76 प्रतिशत व्यक्ति कृषि में और शेष व्यक्ति कृष्येत्तर व्यवसायों में लगे हैं। स्पष्ट रूप से जिले की आय पर इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ा हैं।

नरसिंहपुर नगर के नगरीय विकास के साथ साथ इसमें सरकारी आफिस, न्यायालय, शिक्षण संस्थान एवं प्रशासनिक व्यवस्था का भी प्रसार हुआ हैं। मध्यम वर्ग समाज का सर्वाधिक शिक्षित वर्ग भी था। इस वर्ग के लोग वे थे, जो अपना कार्य करते हुए लगातार आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा था। इसी वर्ग ने भारत के स्वाधीनता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। नरसिंहपुर नगर में स्वतंत्रता संग्राम में इस वर्ग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नरसिंहपुर नगर में विविध कार्यो में संलग्न अनेक तरह के श्रमिक निवास करते हैं, जो नये और पुराने दोनों तरह के श्रम उद्योगों में लगे हुए हैं। नगर का श्रमिक ढांचा विभिन्न तरह के क्षेत्रों पर आधारित है, जिसमें बीड़ी उद्योग तथा गुड़ उद्योग में मुख्य रूप से श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराता हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि ब्रिटिशकाल में नरसिंहपुर नगर का पर्याप्त विकास हुआ तथा उस अवधि में यह नगर पूर्ण रूप से एक नगर के रूप में विकसित हुआ तथा इसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक स्थिति में पर्याप्त सुधार आया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शाह, अहमद रफीक (सं.), प्रयास, भारतीय यूथ फोरम कंदेली, नरसिंहपुर,वार्षिक स्मारिका, 2001
2. कोहने, आर.एल., म.प्र. का भौगोलिक अध्ययन, हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 1983
3. राय, चन्द्रभानु राय,नरसिंहपुर नयन, रेजा प्रिंटिग प्रेस, नरसिंहपुर, 1972
4. राव, डॉ. वी.पी. एवं शर्मा, डॉ. नन्देश्वर, नगरीय भूगोल, वसुन्धरा प्रकाशन गोरखपुर, 2001
5. गजेटियर्स आफ इंडिया-मध्य प्रदेश, नरसिंहपुर, गवर्मेंट सेन्ट्रल प्रेस, 1906
6. श्रीवास्तव, प्रेम नारायण (स.); गजेटियर्स आफ इंडिया, मध्य प्रदेश, नरसिंहपुर, गवर्मेंट सेन्ट्रल प्रेस, 1972
7. भारत की जनगणना 1971, जिला जनगणना पुस्तिका, जिला नरसिंहपुर।
8. नरसिंहपुर, विकास एक दशक, मध्य प्रदेश जनसम्पर्क, सूचना तथा प्रशासन, संचालनालय प्रकाशन शाखा भोपाल।
9. ज्योति, नेमा समाज, नरसिंहपुर, 1990

ग्रामीण संरचना के विकास में स्व:सहायता समूहों का योगदान

विजयादित्य प्रधान *

शोध सारांश – मानव अपने वर्तमान जीवन स्तर से संतुष्ट न होकर उससे कहीं अधिक बेहतर जीवन–यापन के लिए सोचता और विचार करता रहा है, सोचने और समझने की इसी विशेषता के कारण वह पशुओं से भिन्न रहा है। जब मनुष्य ने एक स्थान पर कुछ बीजों को बोया और उन्हें उत्पादित कर बहुत से बीजों के रूप में देखा तो पाषाण युग के हथियारों के साथ उसने हल की खोज की। बीजों को बोने और उनके उत्पादित होने में निश्चित और लम्बी समयावधि होने के कारण एक ही स्थान पर रहना और आवास की व्यवस्था करना भी आवश्यक हो गया था। भरण–पोषण के लिये एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकना न पड़े और घुमन्तू जीवन से निजात पाने के लिए उन्होंने कृषि कर्म और स्थायी निवास के माध्यम से ग्रामों की स्थापना की।

प्रस्तावना – कृषि कर्म एक सामूहिक कार्य होने के कारण अकेले व्यक्ति के वश की बात नहीं थी, इसी कारण अनेक लोग एक साथ मिलकर उपजाऊ भूमि वाले स्थान में रहने लगे तो वे स्वाभाविक रूप से एक–दूसरे के सुख–दु:ख में सहभागी बन गए और मिल–जुलकर कार्य करने, अपने समूह की सुरक्षा एवं सहयोग करने से सामुदायिक हम की भावना का विकास हुआ। धीरे–धीरे सामाजिक व्यवस्थाए स्थापित हुई तथा सामाजिक नियमों से परम्पराओं और प्रथाओं का जन्म हुआ। इसके पश्चात् गाँव अस्तित्व में आए।

ग्रामीण संरचना अनेक प्रकार के समूह संस्थाओं में सम्मिलित रहती हैं, जिसमें धार्मिक क्रियायें, कर्मकाण्ड, रीति–रिवाज, परम्पराएं, संयुक्त परिवार, जजमानी व्यवस्था, पर्यावरण, कृषि, वानिकी पशु–पालन आदि ग्रामीण संरचना का निर्माण करती है। ग्रामीण स्तर पर व्यक्ति की आय का प्रमुख केन्द्र कृषि या कृषि से जुड़ा हुआ व्यवसाय मुख्य रूप से देखने को मिलता है। गाँव में सामुदायिक जीवन की सभी विशेषतायें पाई जाती हैं।

इनका स्वयं विकास परम्परागत रूप से हुआ है। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास और पारस्परिक सहयोग से जिस अपनत्व एवं 'हम की भावना' का विकास होता है वह गाँव को ग्रामीण प्राथमिक समुदाय में परिवर्तित करती है। ग्रामीणों का संबंध प्राकृतिक पर्यावरण से सीधा होता है। भूमि, वर्षा, जलवायु इत्यादि परिस्थितियों से ग्रामीण अभ्यस्त होते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्रमा, आकाश, देवी–देवता आदि की ग्रामीण पूजा–अर्चना करते हैं।

ग्रामीण समुदाय में सजातीयता पाई जाती है। जिससे रहन–सहन, खान–पान, वेश–भूषा में प्राय: अन्तर नहीं पाया जाता। इनकी भाषा–शैली, त्यौहार, परम्पराएं, प्रथाएं एक जैसी होती हैं। अपने घर, समाज, समुदाय, भूमि, पशु, पक्षियों से ग्रामीण लोगों का लगाव बहुत अधिक होता है। ग्रामीण संरचना में जाति प्रथा प्रमुख रूप से विद्यमान होती है। गाँव में तमाम संवैधानिक प्रयासों के बावजूद यह संस्था अपने ऊंच–नीच के संस्तरण को न केवल बनाए हुए हैं बल्कि जाति, पंचायतों के रूप में अनेक क्षेत्रों में देखने को मिलती है। प्रोफेसर ए.आर. देसाई– **ने ग्राम शब्द को ग्रामीण इकाई के रूप में स्पष्ट करते हुए कहा है 'ग्राम समाज की इकाई है, यह वह रंगमंच है जहां ग्रामीण जीवन की पूर्णता प्रकट होती है तथा अपना कार्य संपादित करती है।'**[1]

प्रो. रविन्द्रनाथ मुखर्जी ने लिखा है कि **'गांव वह समुदाय है, जहाँ अपेक्षाकृत अधिक समानता, अनौपचारिकता, प्राथमिक समूहों की प्रधानता, जनसंख्या का कम घनत्व तथा कृषि मुख्य व्यवसाय है।'**[2]

गाँव का ग्रामीण समुदाय के रूप में विकसित होने का बहुत अधिक महत्व है। भोगौलिक दृष्टि से तो गाँव की परिभाषा किसी स्थान विशेष में खुद मकान बनाकर रहने वाले लोगों और उनकी पारस्परिक, व्यवहारिक जीवन–यापन की व्यवसायिक प्रक्रिया तक सीमित है। इस रूप में ग्राम शब्द की प्रतिध्वनि जिन तत्वों में निहित है, वह है एक निश्चित भोगौलिक क्षेत्र और कृषि व्यवसाय। इसी आधार पर कृषि व्यवसाय और ग्रामीणों को पर्यायवाची के रूप में बताया गया है। कृषि व्यवसाय से जुड़ी हुई सामुदायिकता के बिना यह अवधारणा पूर्ण नहीं होती। मूल रूप में कृषि व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है, जिसमें अनेक लोगों के पारस्परिक सहयोग की आवश्यकता होती है।

इसलिए ग्राम रूपी मानवीय सामूहिकता में एकरूपता अधिक होती है। उनके पारस्परिक संबोधनों में पारिवारिकता का पुट होता है। जहाँ तक ग्रामीण समुदाय के विकास का सम्बन्ध है, तो ग्रामों का ग्रामीण समुदाय के रूप में विकास सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वत: हुआ है। घूमन्तू जीवन और पशुवत हिंसा तथा भोजन की नित्य आवश्यकताओं की खोज के तंग आकर तब कृषि कर्म की सीख से स्थायी जीवन की शुरूआत हुई तो एक निश्चित समयावधि तक स्थान विशेष में रहना भी आवश्यक हो गया। परिणाम स्वरूप साथ–साथ रहने तथा कार्य करने की प्रवृत्ति ने गाँवों को ग्रामीण समुदाय के रूप में विकसित किया।

सेरोकिन एवं जिमरमेन ने ऐसे आठ लक्षणों का उल्लेख किया है, जिनके आधार पर ग्रामीण समुदाय को स्पष्ट किया जा सकता है। ये आधार हैं– व्यवसाय, पर्यावरण, समुदाय का आकार, जनसंख्या घनत्व, भिन्नता, एकरूपता, सामाजिक संस्तरण गतिशीलता तथा अंत:क्रिया की पद्धति आदि। भारत में अर्थ की दृष्टि से ग्रामीण समुदाय के लक्षणों को निम्नानुसार रखा जा सकता है।

* शोधार्थी (समाजशास्त्र) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

गाँव में सामुदायिक जीवन की सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। इनका स्वयं विकास हुआ है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास और पारस्परिक सहयोग से जिसे अपनत्व एवं हम की भावना का विकास होता है वह गाँव को ग्रामीण समुदाय में परिवर्तित करती है।'[3] ग्रामीण समुदाय में कृषि ही मूल व्यवसाय होता है, अधिकांशत: अन्य कार्य कृषि पर आधारित और सम्बन्धित होते हैं। ग्राम और ग्रामीणों का सम्बन्ध सीधा प्रकृति से होता है क्योंकि ग्रामीण भूमि, वर्षा, जलवायु की परिस्थितियों में रहने के अभ्यस्त होते हैं। सूर्य, चन्द्रमा, आकाश, वायु, वर्षा, सर्दी-गर्मी इत्यादि का ग्रामीणों के जीवन से सीधा नाता है।

कृषि मूल व्यवसाय होने के कारण ग्रामीण समुदाय आकार में छोटे होते हैं। कृषि पर निर्भरता के कारण लोगों को आजीविका के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता होती है। इसलिए एक निश्चित कृषि योग्य भूमि के क्षेत्र में गाँव बसाकर कई परिवार निवास करते हैं। नगरों की तुलना में ग्रामों में प्रतिवर्ग किलोमीटर की दृष्टि से जनसंख्या का घनत्व कम होता है, इसका कारण मूल व्यवसाय कृषि से जुड़ा है।

ग्रामीण समुदाय में सजातीयता पाई जाती है। रहन-सहन, खान-पान, वेश-भूषा में प्राय: अन्तर नहीं पाया जाता इनकी भाषा, त्यौहार, धार्मिक, सामाजिक, परम्परायें एक जैसी होती हैं। ग्रामीण समुदाय में गतिशीलता कम पाई जाती है अपने घर, परिवार, गाँव, पड़ौस और भूमि से ग्रामीणों का लगाव बहुत अधिक होता है।

जाति भारतीय ग्रामीणों परिवेश का आधार है, भारतीय गाँवों में तमाम संवैधानिक प्रयासों के बावजूद यह संस्था अपने ऊँच-नीच के संस्तरण को न केवल बनाए हुए हैं बल्कि जाति, पंचायतों के रूप में अनेक क्षेत्रों में प्रभु-जाति की स्थिति और संवैधानिक रूप से चुनी गई पंचायतों की तुलना में अधिक प्रभावी है। राजनीति में यह तो पहले की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली स्वरूप में उभरी है।

आस्कर नेविस ने लिखा है कि जजमानी प्रथा के अंतर्गत एक गाँव में बसे हुए प्रत्येक जाति समूह से यह आशा की जाती है कि वह दूसरी जातियों के परिवारों को कुछ प्रमाणिक सेवा प्रदान करें। यह सेवा सम्बन्ध वंशानुगत रूप से एक जाति को दूसरे से जोड़ते हैं और इनसे बनने वाले सम्बन्ध जजमान परिजन के सम्बन्ध कहलाते हैं। इस व्यवस्था को जजमानी व्यवस्था के रूप में जाना जाता है।

भारतीय गाँव में धर्म और दैवीय-देवताओं का बहुत महत्व है, यह उनके जीवन का अभिन्न अंग है कृषि पर निर्भरता और निकटता ने उसे धार्मिक विश्वासों को परम्परागत रूप में इतना सुदृढ़ बना दिया है, जिसके कारण वे किसी वैज्ञानिक आविष्कार को आसानी से स्वीकार नहीं करते हैं। वर्षा न होने पर इन्द्र देवता की पूजा की जाती है तथा पारिवारिक जीवन में वांछित फल प्राप्त करने के लिए देवी देवताओं की पूजा करते हैं।

ग्रामीण सामाजिक संरचना के अर्थ को जानने के पूर्व यह आवश्यक है कि सामाजिक संरचना को जाना जाए। सामाजिक संरचना का अर्थ है आकार-प्रकार, स्वरूप या बनावट। जब अनेकों इकाइयाँ, भाग, हिस्से, अंग या खण्ड इस प्रकार परस्पर मिले हुए या जुड़े हुए होते हैं कि उनमें एक आकार बन जाता है तब हम उसे संरचना कहते हैं।'[4] हमस , हमारे सभी समूह, समितियां, समुदाय, दल, परिवार जाति, वर्ग, रीति-रिवाज, भाषाएं, धर्म, कानून आदि को ध्यान में रखते हुए भारतीय अर्थशास्त्र का जो चित्र हमारे सामने प्रस्तुत होता है, वह हमारे समाज की संरचना है।

नोट्स एण्ड क्वेरीज ऑन एन्थ्रोपोलॉजी में भी सामाजिक संरचना की व्याख्या समाज को अभिव्यक्त करने के लिए ही की गयी प्रतीत होती है, इसमें कहा गया है कि सामाजिक संरचना सामाजिक सम्बन्धों का सम्पूर्ण जाल है। जिसमें एक समुदाय के सदस्य सम्मिलित रहते हैं। सामाजिक संरचना सामाजिक संगठन के मुख्य स्वरूपों जैसे विभिन्न समूह, समितियां और संस्थाएं तथा इन सबका संकुल जिनसे समाज बनते हैं से सम्बन्धित है।

समाज के बाहरी ढांचे या स्वरूप की अभिव्यक्ति- समाज एक अखण्ड इकाई नहीं है समाज में जितनी भी मूर्त इकाइयाँ और संस्थाएं हैं, वे परस्पर संबंधित होकर जिस आकार या स्वरूप को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करती हैं वही सामाजिक संरचना है। सामाजिक संरचना अमूर्त होती है- सामाजिक सम्बंन्धों की व्यवस्था के रूप में अमूर्त है, सामाजिक संरचना चूंकि समाज की संरचना है और समाज स्वयं की अमूर्त है। इसलिए सामाजिक संरचना भी अमूर्त है।

सामाजिक संरचना में अनेक समूह तथा संस्थाएं सम्मिलित रहती हैं- समाज एक अखण्ड इकाई नहीं है। समाज के अंतर्गत मुनष्यों द्वारा विकसित या निर्मित सभी प्रकार के समूह, संस्थायें सम्मिलित रहते हैं।'[5] अनेक उपसंरचनाएं- सामाजिक संरचना के अंतर्गत जो इकाईयाँ होती हैं। उनमें से प्रत्येक की अपनी-अपनी सामाजिक संरचना भी होती है।

समाज के अंतर्गत न केवल अनेक उपसंरचना होती है बल्कि प्रत्येक उपसंरचना अन्यों से भिन्न तथा विशिष्ठ होती है। सामाजिक संरचना के विकास में स्थानीय दशाओं का प्रभाव- भारतीय सामाजिक संरचना का विकास संयुक्त परिवार, जाति-व्यवस्था, धार्मिक आस्थाएं, विधि-विधान, पर्यावरण, सामाजिक, आर्थिक दशाओं के संदर्भ में हुआ है।

उपर्युक्त संदर्भ में भारत एक कृषि प्रधान ग्रामीण देश के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। विश्व में जहाँ प्रौद्योगिकी और विज्ञान के प्रचार-प्रसार तथा आवागमन के साधनों में वृद्धि के कारण औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई है और कृषि पर निर्भरता कम हुई है, वहीं भारत में जनसंख्या का लगभग 68 प्रतिशत भाग अभी भी गाँवों में ही निवास करता है तथा अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। देश की प्रगति गाँव एवं कृषि की प्रगति पर निर्भर है। ग्रामीण अंचलों में कृषकों की ओर देखें तो दृष्टिगत होगा कि लगभग 50 प्रतिशत ऐसे कृषक हैं, जिनके पास बहुत ही कम भूमि है जिन्हें लघु एवं सीमान्त कृषक कहा जाता है। इन्हीं कृषकों के साथ-साथ काफी संख्या में कृषि मजदूर और ग्रामीण मजदूर रहते हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन-यापन कर रहे हैं।

लघु एवं सीमान्त कृषकों के साथ ग्रामीण अंचलों में रह रहे इन वर्गो को लाभ मिले एवं इन सभी का जीवन स्तर ऊँचा उठ सके इसके लिए भारत सरकार ने एकीकृत ग्रामीण विकास योजना का प्रारम्भ वर्ष 1979 में देश के चुने हुए 200 विकास खण्डों में किया गया ताकि गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले सभी सीमान्त एवं लघु कृषक, मजदूर व ग्रामीण शिल्पियों का आर्थिक जीवन स्तर ऊँचा उठ सके।

प्रो. श्यामाचरण दुबे की यह समीक्षा समीचीन प्रतीत होती है कि आज भारतीय ग्राम अथवा भारतीय कृषक की बात करना आम हो गया है। यह सही है कि कई समस्याएं भारत के सभी गाँवों में पाई जाती हैं। इस कारण यह धारणा भी बनने लगी है कि सामाजिक सांस्कृतिक रूप में समस्त भारतीय उपमहाद्वीप में प्राय: एक सी समाज व्यवस्था और मूल संरचना पाई जाती हैं।'[6] यह स्पष्टत: परम जटिल परिस्थिति का अत्यन्त सरलीकृत वर्णन होगा। गाँवों की सामाजिक संरचना तथा उनकी समस्याओं को ठीक से समझने के

लिए यह आवश्यक है कि उन्हें स्पष्टत: विभेदनीय प्रकारों में वर्गीकृत किया जाए। ऐसे वर्गीकरण के लिए कई कसौटियाँ हो सकती हैं जो निम्नलिखित हैं–

- आकार, जनसंख्या तथा भूमि क्षेत्रफल
- जातियाँ
- भू–स्वामित्व का स्वरूप
- सत्ता की संरचना एवं अधिकार उत्कृम
- एकांकीपन की मात्रा
- स्थानीय परंम्परायें इत्यादि।

महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का निर्माण शहरों से नहीं बल्कि गाँवों से होता है और गाँवों का पुनर्निर्माण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक इनके हस्त–शिल्पों का पुनरूत्थान न किया जाएए। विकास का अर्थ है अभावों की पूर्ति की ओर अग्रसर होना, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में अभावों से ग्रामीणों को मुक्त करना, अर्थात् गाँवों को अभावों से मुक्त कर चौमुखी विकास करना है। ग्रामीण जनता की प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति ग्रामों के समग्र विकास से संभव है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. देसाई ए.आर.– दि इन्ट्रोडक्सन ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया पृष्ठ–14
2. मुखर्जी रवीन्द्र नाथ– भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा, सरस्वती सदन 1960, पृष्ठ–161।
3. दुबे वेचन एवं डॉ. सिंह मंगला समन्वित ग्रामीण विकास, वाराणसी जीवन धारा प्रकाशन, 1985 पृ.6
4. वही, पृ.12
5. बघेल, डॉ. डी.एस.सामाजिक अनुसंधान, साहित्य भवन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा.लि. आगरा, संशोधित संस्करण, 1999।
6. रामगोपाल डॉ. सिंह भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक समस्याएं, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल 1987

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) July to September 2017, Vol. II

शहडोल जिले के बैगा जनजाति की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन

अमरनाथ सिंह कमल *

शोध सारांश - भारत की कई प्रजातियां पर्वतों, व वन प्रदेशों के निकट निवास करने के कारण तथा भौगोलिक दुरूहता के कारण मानव सभ्यता के विकास की दृष्टि से काफी पीछे रह गई। इन्हीं समुदाय के लोगों को विकसित क्षेत्र के नागरिकों ने वनवासी, वन्य जाति, जनजाति, आदिम जाति तथा आदिवासी की संज्ञा दी है।इस प्रकार प्रमुख विद्धानों एवं मानव शास्त्रियों द्धारा व्यक्त है कि बैगा जनजाति आस्ट्रेलाइड प्रजाति के अंतर्गत आती है तथा इनका उपजाति भुईंया की शाखा भारिया, भुंजिया और बैगा है। प्रो0 रसल एवं हीरालाल ने भी बैगा जनजाति को भुइयॉ की शाखा निरूपित किया है।

इस प्रकार सोहागपुर इलाका विभिन्न शासकों एवं राजाओं के मध्य अधिकार वितरण की प्रक्रिया के माध्यम से 1947 तक भटकता रहा। सन् 1947 के स्वतंत्रता के उपरान्त यह विन्ध्य प्रदेश के अंतर्गत शहडोल जिले के नाम से सम्मिलित रहा और आज मध्यप्रदेश का एक प्रमुख जिला है। जो वर्तमान में दिनांक 14 जून 2008 संभाग बना, जिसके अंतर्गत चार जिले शहडोल, उमरिया, डिण्डौरी तथा अनूपपुर आते हैं। **(अग्निहोत्री)**
शहडोल जिला $22^0 52'$ उत्तरी अक्षांश से $25^0 41'$ अक्षांश उत्तरी एवं $80^0 10'$ पूर्वी देशांतर से $82^0 12'$ पूर्वी देशान्तर रेखा के बीच में स्थित है। कर्क रेखा इस प्रदेश को उत्तर दक्षिण लगभग दो समान भागों में विभाजित करती है। इस प्रकार अक्षांशीय स्थिति के आधार पर यह प्रदेश उष्ण कटिबंधीय एवं उच्च वायु भार क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
शब्द कुंजी - बैगा जनजाति की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति ।

प्रस्तावना - बैगा जनजाति की ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक एवं वैयक्तिक विशेषताएं इस प्रकार की रही हैं कि उनके अस्तित्व एवं विकास के लिए हमारे संविधान निर्माता भी सजग रहे हैं फलत: इन समुदाय के लोगों और उनके क्षेत्रों के विकास के लिए काफी लचीला प्रशासन प्रदान करने की व्यवस्था की गयी। संविधान में मौलिक अधिकारों तथा समानता देने वाली अनेक धाराएं हैं। इनमें खण्ड 4 की धारा 46 में राज्य सरकारों को समाज के कमजोर वर्गो के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया है। विशेष ध्यान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों पर देने को कहा गया है। जिससे उन्हें सामाजिक अन्याय एवं विविध प्रकार के शोषणों से बचाया जा सके। आदिवासी बहुल राज्यों में अलग से आदिम जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। साथ ही आदिवासी कल्याण योजनाओं के चलाने के विशेष केन्द्रीय अनुदान का भी प्रावधान किया गया है।बैगा जनजाति के विकास के लिए प्रयत्न प्रथम योजनाकाल से ही किया जा रहा हैं। प्रत्येक राज्य आदिवासियों के विकास के लिए अलग-अलग ढंग से काम कर थे। महाकौशल क्षेत्र में 30 आदिवासियों कल्याण केन्द्र स्थापित किए गए। प्रत्येक केन्द्र पर एक मिडिल स्कूल और छात्रावास बनाया गया। एक केन्द्र के अधीन 5-6 प्राथमिक शालाएं भी खोली गयी। मिडिल स्कूल के साथ ही एक छोटा सा फार्म कुटीर उद्योग का प्रतिशित केन्द्र एक सहकारी समिति और पशुपालक की इकाई भी जोड़ी गयी इन प्रयासों के कारण योजना के अन्त में इस क्षेत्र में 782 प्राथमिक शालाएं 61 मिडिल स्कूल और 61 छात्रावास हो गए। इसी काल में छिन्दवाड़ा में **ट्राइबल रिसर्च इन्स्टीट्यूट** खोला गया।

मध्य भारत में 16 सामुदायिक विकास केन्द्र खोले गए। प्रत्येक केन्द्र पर एक बालवाड़ी एक प्राइमरी स्कूल, एक छात्रावास तथा कुटीर उद्योगों का प्रशिक्षण केन्द्र शुरू किया गया। कुछ स्वास्थ्य सुविधाऐं भी प्रदान की गई। विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए कई तरह की सुविधाऐं दी गई। आर्थिक विकास के लिए भी कई कदम उठाए गए। हाथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 4 हाथकरघा प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए। मुधमक्खी पालन के उद्योग को प्रशिक्षण के लिए 4 केन्द्र विविध औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए 13 केन्द्र तथा 5 पोल्ट्री फार्म भी खोले सड़क एवं कुआं निर्माण पर भी जोर दिया गया।

परिणाम - प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल में देश के बहुमुखी विकास के लिए सामुदायिक विकास योजनाएं प्रारम्भ की गई। उन्ही दिनों जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए विशिष्ट बहु उद्देश्यीय जनजातीय विकास परियोजनाएं बनाई गई। फलत: मध्यप्रदेश में 1956 में 43 विशिष्ट परियोजनाएं प्रारम्भ की गयी। सैद्धांतिक स्तर पर यह माना गया कि आदिवासी विकास की योजनाएं अन्य क्षेत्रों की विकास की योजनाओं से अधिक भिन्न नहीं है। केवल इन वर्गो के अन्तरों को बॉटा जाए। इस प्रकार यह अनुभव किया गया कि जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए विशिष्ट रणनीति की आवष्यकता नहीं है बल्कि अपेक्षा अधिक धनराशि की आवश्यकता है। विशिष्ट बहुउद्देश्यीय जनजातीय विकास परियोजनाओं के अनुभव के आधार पर जनजाति प्रधान क्षेत्रों के लिए अलग से जनजातीय विकास खण्ड स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में पहली बार जनजाति विकास खण्ड स्थापित किए गए अर्थात इनके माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों के विकास पर ध्यान दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाकाल तक आदिवासी क्षेत्रों की दशाओं में विशेष सुधार नहीं हो पाया।

केन्द्र की सहायता से आई. टी. आई. कुटीर उद्योग के प्रशिक्षण केन्द्र

* ठाकुर रणमत सिंह शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

सिल्क उत्पादन केन्द्रों जैसी संस्थाएँ स्थापित की गई कृषि और वनों पर आधरित कुटीर उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया गया। यह पुनर्गठित राज्य की पहली योजना थी, जिसमें आदिवासियों के कल्याण हेतु समायोजित योजनाएं बनाई गई इस दौरान यह निर्णय किया गया कि आदिवासियों को सामान्य विकास कार्यक्रम का भी लाभ मिलना चाहिए, अस्तु सामान्य कार्यक्रम का एक निश्चित हिस्सा जनजातियो क्षेत्रों मे ही व्यय करने के लिए निश्चित किया गया साथ ही पूरक योजना का आकार भी बढ़ाया गया। इसी काल में आदिम जाति एवं हरिजन कल्याण विभाग पुनर्गठित किया गया। इस योजनाकाल में कुल 1021.61 लाख रूपए आदिवासी विकास कार्यक्रमों पर व्यय किए गए। आर्थिक विकास के सर्वाधिक ध्यान दिया गया जिन पर 612.98 लाख रूपए (60 प्रतिशत) खर्च किए गए। शैक्षणिक प्रगति का लक्ष्य दूसरे स्थान पर था। जिसमें रूपए 308.96 लाख (30.24 प्रतिशत) व्यय किये गये शेष रूपये 99.67 लाख (9.67 प्रतिशत) स्वास्थ्य एवं अन्य कार्यक्रमों पर व्यय हुए। इस योजनाकाल में आदिवासियों के कल्याण के लिए किए गए।

बैगा जनजाति की सामाजिक स्थिति –

परिवार का स्वरूप संबंधी विवरण – एकल परिवार 42. संयुक्त परिवार 58: कुल 250 उत्तरदाताओं में से 42 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपने परिवार का स्वरूप एकल परिवार बताया इससे पता चलता हैं कि बैगा जनजाति में भी एकल परिवार का स्वरूप में वृद्धि हो रही है।

घर में शौचालय सम्बन्धी विवरण – 250 उत्तरदाताओं में से 13.60 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि हमारे घर के सभी सदस्य शौचालय उपयोग करते है।

घर में उपकरणों की उपलब्धता सम्बन्धी विवरण – साइकिल मोटर साइकिल टी0बी0 रेडियो बैगा जनजाति के उत्तरदाताओं से पूछा गया कि आप साइकिल का उपयोग करते है तो 250 उत्तरदाताओं मे से 34.40 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने हा में जबाब दिया।

परिवार नियोजन साधनों के प्रयोग संम्बन्धी विवरण – 10.40 प्रतिशत ऐसे उत्तरदाताओं का रहा जो हां मे जबाब देते हुए गर्भ निरोधक साधनों का प्रयोग करता है यद्यपि वह इस मामले में भी बहुत कम मात्रा में प्रयोग करने की जबाब दिया।

सुरक्षात्मक हथियारों के प्रयोग सम्बन्धी विवरण – डंडा लाठी कुलहाड़ी भाला तीर – धनुष हसिया कुल 250 उत्तरदाताओं में सर्वाधिक 25.60 प्रतिशत लाठी डंडा जो सर्वसुलभ एवं सहज हथियार माना जाता है, का प्रयोग करने की बात करता है। जबकि 13.60 प्रतिशत ऐसे उत्तरदाताओं का है तो कुलहाड़ी जो सर्वाधिक उपयोगी है जंगल में लकड़ी भी काटने के काम आती है और सुरक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी है का प्रयोग करते हैं। 8.40 प्रतिशत भाला 21.20 प्रतिशत तीर धनुष 16.00 प्रतिशत हँसिया एवं 15.20 प्रतिशत अन्य हथियारों का प्रयोग करता हैं।

सत्तात्मक आधार पर परिवार सम्बन्धी विवरण – मातृसत्तात्मक परिवार मातृसत्तात्मक परिवार। कुल 250 उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक उत्तरदाताओं वित्तसत्तात्मक परिवारों में रहता है 78.40 प्रतिशत ऐसे उत्तरदाताओं का रहा जिन्होंने बताया है कि जब भी हमारे यहाँ किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय की बात आती हैं, तो हमारे परिवार में सर्वाधिक उम्र के जो पुरूष होते हैं वे ही निर्णय लेते हैं और परिवार के सदस्यों से राय मषविरा करके भी निर्णय लेते है।

पर्दाप्रथा पाए जाने सम्बन्धी विवरण – कठोर सामान्य शिथिल। कुल 250 उत्तरदाताओं में से 55.60 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अत्यन्त कठोर स्वरूप को स्वीकार किया और बताया कि हमारे यहां पर्दा प्रथा के बहुत कठोर नियम हैं। हम मुखिया के समक्ष किसी भी स्थिति में बिना सिर एवं चेहरा ढँके नहीं जा सकते हैं और यही स्थिति बाहरी लोगों के समक्ष भी निर्मित होती है।

विवाह को उम्र संबंधी विवरण

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
01	10 वर्ष से कम	24	09.60
02	10 वर्ष – 15 वर्ष	64	25.60
03	15 वर्ष – 21 वर्ष	142	56.80
04	21 वर्ष से ऊपर	20	08.00
	योग	**250**	**100.00**

ग्राफ तालिका क्र. – 1

विवाह को उम्र संबंधी विवरण

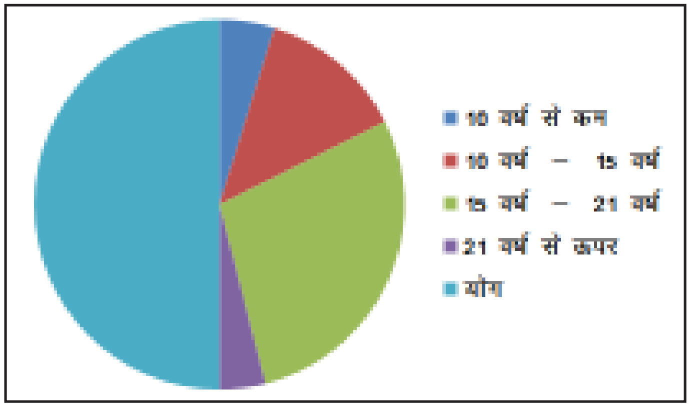

विधवा विवाह का प्रचलन होने सम्बन्धी विवरण – 42.40 प्रतिशत लोगों ने हां में जबाब दिया और बताया कि यदि नई उम्र में हमारी लड़की विधवा हो जाती है, तो उसके हित में निर्णय लेते हुए हम उसका विवाह कर देते हैं।

आर्थिक स्थिति –

समुचित शिक्षा प्राप्त होने संबंधी विवरण – शिक्षा का अलग-अलग स्तर है और वह स्तर प्राथमिक का अलग माध्यमिक का अलग हाई स्कूल व हायरसेकण्ड्री का अलग तथा उच्च शिक्षा का अलग है। उनके द्वारा यह जानकारी प्राप्त हुई कि प्राथमिक शिक्षा के दोहरीकरण से मध्यम वर्गीय व निम्न वर्गीय परिवार के लोगों का काफी नुकसान हो रहा है और यह दोहरीकरण है, शासकीय एवं अशासकीय शिक्षा और यही हाल उच्च शिक्षा का है, विद्यार्थी तो पढ़ना चाहते हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार की स्थिति से कालेज स्तर तक आया हो लेकिन उच्च शिक्षा का स्तर केवल पढ़ाई के नाम पर उसे डिग्री मिल जाए क्योंकि उच्च शिक्षा में इस वर्ग के लोग बहुत ही कम स्तर तक जा पाते हैं। इससे यह पता लगाया जा सकता है कि इन वर्ग के लोगों को एक अच्छी व तकनीकी शिक्षा की जरूरत है।

उच्च शिक्षा हेतु बाहर जाने संबंधी विवरण – उनके द्वारा यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि सरकारें बैगा जनजाति के छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करती है, जिनके कारण वह जा पाते हैं और उसमें सीटें बहुत कम (10सीटें / राज्य) होती है। लोग जाना तो चाहते हैं लेकिन उनको शासकीय लाभ नहीं मिल पाता है।

नौकरी पेशा से सहयोग प्राप्त होने संबंधी विवरण – बैगा जनजाति

परिवार में यदि कोई सदस्य नौकरी पाता है, तो वह पूरे परिवार की मदद करता है और परिवार के रहन-सहन में परिवर्तन आता है और नौकरी के कारण बैगा जनजाति समाज का उत्थान हो रहा है।

कृषि कार्य होने संबंधी विवरण 250 बैगा जनजाति के उत्तरदाताओं में से 64.80 प्रतिशत उत्तरदाताओं का जबाब हां में था। इससे स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक उत्तरदाता ऐसे हैं। जिनका जीविकोपार्जन कृषि के द्वारा होता है, यहां यह ध्यान देने योग्य है कि वे या तो स्वयं की भूमि पर या दूसरे की भूमि किराये पर लेकर कृषि कार्य करते हैं।

कृषि के स्वरूप संबंधी विवरण – विवरण 1 मौसम खेती 68.00 : 2 झूम खेती 16.00

स्वयं के आवास होने संबंधी विवरण – आवास सम्बन्धी जानकारी के सबल पक्ष को दर्शाता है किन्तु अवलोकन के दौरान जब शोधकर्ता द्वारा देखा गया तो वास्तविकता कुछ और ही सामने आई। जिसे वह स्वयं का आवास कह रहे थे। वह वास्तव में मिट्टी का बना खपरैल मकान थे।

आर्थिक सुधार से सामाजिक जीवन में सुधार होने संबंधी जानकारी – जब उत्तरदाताओं से पूछा गया कि आर्थिक सुधार से सामाजिक जीवन में सुधार कितना सम्भव है, तो कुल 250 उत्तरदाताओं में से 73.60 प्रतिशत ऐसे उत्तरदाता थे। जिनको यह मालूम था एवं विश्वास रखते हैं कि आर्थिक सुधार से व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर अपना सामाजिक जीवन जिस प्रकार चाहे जी सकते हैं और उनका अपना मत था

शहडोल जिले का औषधीय वनोपज – आमदनी परिवार की।
1. आँवला 2. बहेड़ा 3. नीम बीज 4. आम गुठली 5. ईमली 6. जामुन 7. चार या अचार 8. महुआ 9. वन तुलसी 10. सफेद मुसली 11. अश्वगंधा 12. शतावर 13. बाय बरंग 14. सर्पगंधा 15. नागर मोथा 16. चिरायता 17. गरोड़फली 19. रतनजोत 20. अर्जुन 21. माहुल पचा (बोहिनिया बाहीलियाई) 22. चारौटा बीज 23. करंज 24. कुसुम 25. लाख 26. शहद (हनी) 27. भिलवा 28. निरकुर 29. बैचादी के जड़ कन्द 30. इमारती लकड़ी उद्योग 31. बीड़ी उद्योग 32. शराब उद्योग

बैगा विकास अभिकरण शहडोल का क्षेत्र एवं जनसंख्या – विकासखण्ड सोहागपुर बैगा ग्रामों की संख्या.104 बैगा परिवार का संख्या.5077 बैगा जनसंख्या.27288 गोहपारू बैगा ग्रामों की संख्या 69 बैगा परिवार का संख्या1995 बैगा जनसंख्या. 10288 बैगा कुल बैगा जनसंख्या जनसंख्यात्र37576 हैं।

निष्कर्ष – बैगा जनजातियों की परम्पराओं एवं सामाजिक गतिशीलता के बीच अंतर्विरोधों का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (शहडोल जिले के विशेष सन्दर्भ में) की प्रस्तुति है। मध्यप्रदेश के शहडोल जिले में कुल बैगा जनसंख्या 37576 हैं। बैगा परिवार की संख्या 7072 हैं। बैगा ग्रामों की संख्या 173 है।इस प्रकार बैगा जनसंख्या की कुल जनसंख्या में 250 उत्तरदाताओं का चयन निदर्शन के रूप में किया गया हैं।

आभार – प्रस्तुत शोध आलेख को पूर्ण करने में मेरे मार्गदर्शक डॉ. तारामणि श्रीवास्तव,डॉ. राधेश्याम नापित, वनस्पति शास्त्र एवं डॉ. पी.डी. रावत, प्राणी शास्त्र, डॉ. दिलीप सोनी, समाज शास्त्र और समस्त बैगा बंधुओं का मैं आभारी हूं, जिन्होंने मुझे हर कदम पर शोध कार्य में मदद किया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. डा0 हरदेनिया एन.के.–म0प्र0 के आदिवासी जीवन में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास पृष्ठ 113.
2. डॉ0 मजूमदार एवं मदान (1961)–,दि रेसेज एण्ड कल्वर्स ऑफ इंडिया एन्थ्रोपोलॉजी पृष्ठ –1533
3. मजूमदार एवं मदान (1957)–, इन्टोडक्सन टू शोसल एन्थ्रोपोलाजी पृष्ठ –267
4. डॉ0 पटेल जी.पी.– बैगा जनजाति का मानव शास्त्रीय अध्ययन जिला–मण्डा प्रतिवेदन संचालनालय आदिम जाति अनुसंधान संस्थान भोपाल प्रकाशन पृ.क्र.–144
5. उप्रेती हरिशचन्द (1970)– भारतीय जनजातियां, सामाजिक विज्ञान, हिन्दी रचना केन्द्र राजस्थान विश्वविद्यालय पृष्ठ –12
6. दि एबोरजिनल सोकाल्ड देयर फयूचर 1943 पृष्ठ से उद्धृत सी.बी.मेमोरिया टाइबल डेमोग्राफी इन इंडिया किताब महल दिल्ली 1957 पृष्ठ –20
7. वेरियर एल्विन (1961)–ए न्यू डील फार टाइबल इंडिया, गृह मंत्रालय शरत सरकार पृष्ट 01
8. दैनिक समय स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री
9. जैन बी.एम. (1997) – रिसर्च मैथ्डोलाजी, रिसर्च पब्लिकेषन्स जयपुर.
10. डॉ. रवीन्द्र नाथ मुकर्जी(1976) – सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी, विवके प्रकाशन, दिल्ली.
11. त्रिवेदी आर.एन. एवं शुक्ला डी.पी (1998) – रिसर्च मैथ्डोलाजी, कालेज बुक डिपो जयपुर।
12. अग्निहोत्री, गुरू रामप्यारे – रीवा राज्य का दर्पण।
13 . सिंह साधो – महाभारत विराटकालीन, विराटनगर प्रकाशन।
14 . पाण्डेय विनोदचन्द एवं सिंह ए. के. – प्राचीन भारत का इतिहास।
15 . सांख्यिकी की पुस्तिका 2015, जिला–शहडोल म.प्र.।

****

वृद्धावस्था एवं संवैधानिक परिप्रेक्ष्य

सरोज वर्मा *

प्रस्तावना – सामजिक सरंचना में परिवर्तन सदैव होता रहता है और यह परिवर्तन अपेक्षित हो अथवा उपेक्षित इसे स्वीकार भी करना होता है। आधुनिकता ने मशीनीकरण से अवगत कराया और मानव जीवन की भौतिक कठिनाइयों को सरल किया। सामाजिक समस्याओं का भी आधुनिक रूपान्तरण हो गया। समाजीकरण की प्रक्रिया में नए पाठ्यक्रम एवं सत्रों का समावेश हो गया। आज के समय में नैतिकता पर भी तर्क है और उसे भी समय के साथ बदलना पड़ा। गर्भस्थ भ्रूण से लेकर जरावस्था तक संविधान में सभी को अधिकार प्राप्त है। इन अधिकारों की पालना मानवता से हो या कानून से यह समाज और व्यक्ति तय करता है और यहाँ भूमिकाएँ बदलने के साथ-साथ संघर्ष भी उत्पन्न हो जाता है। वर्तमान समय उत्तर आधुनिकता की शिक्षा एवं समाजीकरण का है। जिसमें आयु के सभी वर्ग अधिकारों को पाने की होड़ में है और प्रस्थितियाँ परिवर्तित हो रही है। वृद्धावस्था और बाल्यावस्था आश्रित अवस्था है। प्रश्न यह है कि इनके अधिकारों हेतु लिए किसका दायित्व निर्धारण है। परिवार का, समाज का, सरकार का अथवा कानून का यहाँ असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है।

राष्ट्रीय वृद्धजन नीति – राष्ट्रीय नीति वृद्धजनों को आश्वासन देती है कि उनकी चिंताएँ राष्ट्र की समस्या है। उन्हें असुरक्षित जिन्दगी नहीं बितानी होगी। वे हाशिए पर या तिरस्कृत नहीं रहेंगे। राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य वृद्धजनों का कल्याण है। इसका उद्देश्य है समाज में इन लोगों की वैध स्थिति को मजबूत बनाना और जिन्दगी के अंतिम पड़ाव पर इन की जिन्दगी को उद्देश्यपूर्ण, सम्मानजनक एवं शांतिपूर्ण बनाना।

आर्थिक स्वास्थ्य – इस नीति की परिकल्पना में राज्य वृद्धजनों की आर्थिक स्वास्थ की देख-रेख आवास, कल्याण एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्ण सहयोग करेगा। जिन्हें शोषण एवं दुर्व्यवहार से बचाएगा। उनकी क्षमता के विकास के अवसर जुटाएगा। उन्हें सहभागी बनाएगा और उन्हें सेवा करने का अवसर देकर उनके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन करेगा। यह नीति कुछ विस्तृत सिद्धांतों पर आधारित है।

सक्रिय रचनात्मकता – यह नीति जीवन चक्र को एक निरन्तरता में देखती है। जिसमें 60 वर्ष से अधिक उम्र की स्थिति इस जीवन का एक अभिन्न भाग है। इस नीति के अनुसार साठेत्तर जीवन पराधीनता के जीवन की शूरूआत नहीं है दरअसल 60 वर्ष के बाद का जीवन यह स्थिति है। जहाँ लोगों के पास एक सक्रिय रचनात्मक उत्पादक एवं संतुष्ट जीवन हेतु कई रास्ते होंगे और ढेर सारे अवसर भी। इस प्रकार महत्वपूर्ण यह है कि बुजुर्गो का न केवल ध्यान रखा जाए ताकि उनसे सक्रिय एवं उत्पादनशील सहयोग लिया जाए।

युवाओं एवं वृद्धों के बीच समन्यवय – यह नीति उस समाज को महत्व देती है। जिसमें हर उम्र के लोग एकीकृत होकर रहेंगे। यह पीढ़ियों के बीच के संबंध को मजबूत बनाएगी। उनमें परस्पर संबंधों का आदान प्रदान होगा। युवाओं एवं वृद्धों के बीच के बंधन को दृढ़ बनाया जाएगा। इस नीति का एक औपचारिक एवं अनौपचारिक सामाजिक सहयोग व्यवस्था बनाने की बात निहित है। इससे परिवारों में वृद्धों की देखभाल की क्षमता बढ़ेगी। बूढ़े लोग अपने परिवारों में रह सकेंगे।

नेतृत्व क्षमता का विकास – यह नीति मानती है कि बूढ़े लोग भी लाभदायक है। ये परिवार में और उससे बाहर महत्वपूर्ण सेवा दे सकता है। ये महज वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोक्ता ही नहीं अपितु उनके उत्पादक भी है। उन्हें समुचित पर अवसर एवं सुविधाएँ प्रदान करना चाहिए ताकि वे प्रभावी ढंग से परिवार समुदाय का सम्राट के कम पा सके।

निर्णय लेने की क्षमता – इस नीति के अंदर यह दृढ़ विश्वास व्यक्त किया गया है कि बुजुर्गो को अधिकार देने से उन्हें अपने जीवन पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा। अपने जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर निर्णय ले सकेंगे। साथ ही विकास प्रक्रिया से संबंधित अन्य बातों पर भी वे बराबरी में हिस्सा लेंगे। निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी बढ़ चढ़कर भागीदारी अनिवार्य है क्योंकि निर्वाचन-मंडल में 12 प्रतिशत भाग उन्हीं का है और यह अनुपात आगामी वर्षो में बढ़ने वाला है।

सामुदायिक सहभागिता – इस नीति के अनुसार राज्य को बजट में इनके लिए अधिक धन का प्रावधान करना होगा। ग्रामीण एवं शहरी गरीबों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। हालाँकि सिर्फ राज्य के लिए न तो वह संभव है और न ही ऐच्छिक कि वह इस राष्ट्रीय नीति के लक्ष्यों को अकेले पूरा करें। अत: सभ्य समाज के हरेक व्यक्ति परिवार, समुदाय एवं संस्थान को भागीदार बनकर हाथ बटाना पड़ेगा।

सामुदायिक सेवा – वृद्ध व्यक्तियों के लिए (खासकर महिलाओं के लिए) सामाजिक एवं सामुदायिक सेवा के विस्तार पर बल दिया गया है, इन सेवाओं की पहुँच एवं उपयोग को विस्तृत बनाने के लिए सामाजिक-संस्कृतिक, आर्थिक तथा शारीरिक बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इन सेवाओं को ग्राहकोन्मूखी एवं व्यवहार सुलभ बनाया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों, जहाँ वृद्ध व्यक्तियों की कुल आबादी का तीन-चौथाई हिस्सा निवास करता है इन सेवाओं को उचित विकास के लिए विशेष प्रयास की जरूरत है।

वृद्धजनों का विषय – अंतराष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ की महा सभा में वृद्धजनों की समस्याओं पर अर्जेंटीना में 1948 में चर्चा हुई थी। 16 दिसंबर 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महा सभा में प्रस्ताव पारित कर

* शोधार्थी (समाजशास्त्र) पेसीफिक विश्विद्यालय, उदयपुर (राजस्थान) भारत

वृद्धजनों के हित में 18 सिद्धांतों को अधिमान्य किया गया। जिन्हें पांच भागों में बांटा गया है :

1. स्वतंत्रता 2. भागीदारी
3. देखभाल 4. स्वपूर्णता
5. सम्मान।

संयुक्त राष्ट्र संघ में 1999 को 1अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाने का संकल्प पारित किया गया।

अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों के गुजारे और कल्याण से संबंधित कानून, 2007 – इस कानून में माता–पिता/दादा–दादी को उनके बच्चों से आवश्यकतानुसार गुजारा भत्ता दिलवाने की व्यवस्था है। कानून में वरिष्ठ नागरिकों के जान–माल की सुरक्षा, बेहतर चिकित्सा सुविधाओं और हर जिले में वृद्ध सदनों की स्थापना जैसी व्यवस्थाएं हैं।

कानून के बारे में पूरी जानकारी न होने और विभिन्न स्तरों पर ठीक तरह से कानून लागू न होने के कारण बड़ी संख्या में वृद्ध जन इस कानून के अंतर्गत मिलने वाले लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं।

अनुदान सहायता योजनाएँ – वृद्ध लोगों के लिए एकीकृत कार्यक्रम नाम की योजना से गैर–सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वे वृद्ध सदन, दिन के समय देखभाल के केन्द्र, चलते–फिरते चिकित्सा यूनिट स्थापित कर सकें और उन्हें गैर–संस्थागत सेवाएं उपलब्ध करा सकें। इनके अलावा हेल्पलाइन, फिजियोथैरेपी केन्द्र, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं आदि भी प्रदान की जाती हैं।

योजना के अंतर्गत मुख्य कार्यक्रम :

1. वृद्ध सदनों की स्थापना और रख–रखाव
2. विश्राम सदनों और निरंतर देखभाल सदनों का रख–रखाव
3. बुजुर्गों के लिए बहु–सेवा केन्द्र चलाना
4. चलते–फिरते चिकित्सा यूनिटों का रख–रखाव
5. मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और विशेष देखभाल
6. हेल्पलाइन और परामर्श केन्द्र
7. वृद्धजनों की देखभाल करने वालों को प्रशिक्षण देना
8. वृद्धजनों के कल्याण के प्रति जागरूकता पैदा करना और उनकी देखभाल करने वाले लोगों की व्यवस्था करना
9. वरिष्ठ नागरिक समूहों एसोसिएशनों का गठन करना
10. इस योजना के अंतर्गत अन्य कोई उपयुक्त गतिविधि चलाना
11. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना – गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए इस समय चलायी जा रही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने के लिए आयु सीमा 65 वर्ष से घटाकर 60 कर दी जाएगी। जिनकी आयु 80 वर्ष या उससे अधिक है, उन्हें 200 रुपये के स्थान पर 500 रुपये महीने की पेंशन दी जाएगी। राज्य सरकारें चाहें तो इससे अधिक राशि अपनी तरफ से दे सकती हैं।

वृद्ध देखभाल केन्द्रों की स्थापना – हाल ही में केन्द्र सरकार ने वृद्धजनों की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए 'राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम' (एनपीएचसीई) को मंजूरी दी है। ये वृद्धजन देखभाल केन्द्र 21 राज्यों के 100 जिला अस्पतालों में खोले जाएगे। इनकी स्थापना सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी की जाएगी।

विधि एवं कानून मंत्रालय, भारत सरकार – केन्द्र सरकार के विधि एवं कानून मंत्रालय ने भी वरिष्ठ नागरिकों को निशुल्क कानूनी सहायता देने का प्रस्ताव दिया है।

गृह मंत्रालय भारत सरकार –सरकारी सहायता प्राप्त विभिन्न योजनाओं तक इनकी पहुंच बनाने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को स्मार्ट परिचय पहचान पत्र।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार – गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीमा सुरक्षा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना केन्द्र सरकार की योजना है, जो एक अक्टूबर, 2007 को शुरू की गई थी और इसका मकसद गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 30 रूपए रजिस्ट्रेशन के आधार पर एक वर्ष में 30 हजार रूपए तक की स्वास्थ्य सेवाए उपलब्ध कराना है। इसमें कोई आयु सीमा नहीं है और पुरानी चिकित्सा व्याधियों का इसके तहत उपचार किया जाता है।

उपसंहार – सरकारों द्वारा नीतियाँ और कानून बना दिए गए है, मगर दायित्व निर्धारण नहीं किया गया है। बड़ी विडम्बना यह है कि औपचारिकताएँ एवं कागजी सलग्नों के मायाजाल से हर व्यक्ति को परेशानी होती है। जिससे वह अवसरो का लाभ नहीं उठा पाता। अंततः वृद्धजन तो परिवार, समाज और सरकार पर आश्रित हो जाते है। जिससे उन्हे अनुत्पादक मान कर वृद्धाश्रमों में भेजकर इतिः श्री कर ली जाती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारत का राष्ट्रीय पोर्टल राज्य वृद्धावस्था नीति।
2. हिमान्शु रथ (2017) 'भारत में बुजुर्गों के लिए कल्याण योजनाएं' पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार।

****

बुंदेली की दशा और दिशा

डॉ. अमित शुक्ल *

शोध सारांश–काव्य काल में इतिहास, राजनीति, धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में कतिपय नवीन उद्भावनाएँ हुईं। सदियों से समाज में जड़ता, उदासी और अकर्मण्यता का वातावरण छाया हुआ था। मुसलमानों के भारत में आगमन के साथ ही इस जड़ता का सूत्रपात हुआ। वीरगाथा काल में लिखे गए कथा–काव्यों का प्रभाव भी अब कम हो गया था, फलत: ऐतिहासिक एवं राजनीतिक उलटफेर ने ऐसे वातावरण का निर्माण किया जो भक्ति की ओर सामान्य जनता को ले जाने वाला सिद्ध हुआ। तुलसी, सूर, कबीर की रचनाएँ दक्षिण में उद्भूत भक्ति से आप्लाबित हुईं और पर्याप्त समय तक यह भक्ति आंदोलन चलता रहा। इसमें पूर्वी मध्यप्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्रों से अनेक प्रतिभाएँ सामने आईं। बुंदेलखंड के छिटपुट कवियों ने इसमें अपना योगदान दिया, पर वह बुंदेली साहित्य के इतिहास में विशेष महत्व नहीं रखता है, पर उसका यह अर्थ नहीं की भक्ति की वह पावन धारा बुंदेलखंड में आई ही नहीं। बुंदेलखंड में प्राय: सभी भक्ति धाराओं का प्रचार हुआ है।

शब्द कुंजी – बुंदेली, जनता, बुंदेलखंड, रीति भक्ति काव्य,समकालीन साहित्य,भक्ति,आधुनिक चेतना, विविध प्रवृत्तियाँ।

प्रस्तावना – गोस्वामी तुलसीदास के संबंध में अनेक विवाद अवश्य हैं, परन्तु वे तत्कालीन बुंदेलखंड के महान कवि हैं। रहीम को भी बुंदेलखंड का कवि माना जाता है। रीति भक्ति काव्य के प्रमुख रचयिता केशवदास हैं, परन्तु केशवदास के पूर्व महाकवि बलभद्र मिश्र ने रीति भक्ति काव्य के सुन्दर ग्रंथों की रचना की है। इन्होंने आचार्य गौरीशंकर द्विवेदी के अनुसार विक्रम सं. 1600 के आसपास ओरछा में जन्म लिया था। बाल्यकाल से ही महाराज मधुकर शाह ओरछा नहीं रह पाए। गोस्वामी तुलसीदास इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं, परन्तु इनके समानान्तर केशव बुंदेली के ऐसे कवि हैं, जो एक ओर अपने आचार्यत्व एवं भक्ति के कारण हिन्दी साहित्य के रीतिकाल की शोभा बढ़ाते हैं तो दूसरी ओर भाषागत सौष्ठव और काव्यत्व की कसौटी पर बुंदेली क रीतिकाव्य के सिरमौर हैं और इनके नाम पर उस समस्त काल को अभिहित किया गया है। जिसमें रीति प्रधान रूप में भक्ति गौण रूप में मुखरित हुई है, इसी को ध्यान में रखकर केशव काल का नाम रीति भक्ति रखा गया। नरेष को प्रभावित कर बलभद्र मिश्र ने अत्यधिक ख्याति प्राप्त की थी। उनके प्रमुख ग्रंथ हैं– 1. शिनख, 2. भागवत भाष्य 3. बलभद्री व्याकरण 4. हनुमन्नाटक टीका, 5. गोवर्धन सतसई। ऐसा मान जाता है कि कवि बलभद्र मिश्र केशव के समान ही प्रतिभाषाली और आचार्य कवि हैं। बुंदेलखण्ड के प्रमुख साहित्य केन्द्रों में पन्ना, छतरपुर, ओरछा, ग्वालियर, झाँसी, टीकमगढ़, दतिया और सागर है। रीति भक्ति काव्य के अधिकांश कवि इन्हीं केन्द्रों से अपनी प्रतिभा का परिचय कराते हैं। ओरछा दरबार साहित्यिक एवं कलात्मक दृष्टि से बुंदेलखण्ड का अत्यन्त महत्वपूर्ण राज्य है। इस काल में महाराज मधुकरशाह, हरिराम व्यास, गोविन्द स्वामी, केशवदास, बिहारी, स्वामी, अग्रदास आदि की रचनाएँ प्राप्त हैं।बुंदेली साहित्य के रीति भक्ति काल में अधिकांशत: रीति और भक्ति की रचनाएँ हमारे सामने आईं। हिंदी की एक सहोदरा होने के नाते बुंदेली के साहित्य पर समकालीन साहित्य का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। केशव जैसे महाकवि व्यापक काव्य भाषा में बुंदेली का प्रभाव प्रभूत मात्रा में दिखाते हैं। रीति की रचनाओं में भक्ति का समावेश मिलता है। वास्तव मे बुंदेलखण्ड में भक्ति आंदोलन तो आया पर उस प्रवेश के साथ नहीं जैसा कि मध्यप्रदेश के अन्य भू–भाग में था। बुंदेलखण्ड के शासक मुगल शासकों के या तो हिमायती बन गए अथवा स्वतंत्र राज्य चलाकर मुगलों के कोपभाजक बनते रहे। कथाकाव्य काल में देशी राज्यों का उदय हुआ था। रीति भक्ति काव्यकाल तक इन राज्यों ने अनेक प्रतिभाषाली कवि, संगीतकार, चित्रकार, आदि को आश्रय दिया। बुंदेलखण्ड में ग्वालियर और ओरछा दो ऐसे केन्द्र रहे हैं, जिनके शासकों ने बुंदेली के अनेक कवियों को प्रोत्साहित किया। पन्ना, छतरपुर, दतिया, सागर और टीकमगढ़ जैसे केन्द्रों का उदय वि. की 18वीं शती में संभव हुआ है। इस कारण रीति भक्ति काव्य की महान प्रतिभाएँ इन्हीं केन्द्रों के माध्यम से सामने आती हैं। भक्ति आंदोलन बुंदेलखण्ड में भी पूरी समग्रता के साथ आया, पर यहाँ के राजाओं या शासकों ने स्वयं तो उसे प्रोत्साहन दिया पर अपने आश्रित कवियों के द्वारा रीति काव्य का प्रणयन ही करवाया है फिर भी यदाकदा कवियों ने भक्ति की रचनाएँ भी की हैं। आश्रयदाता के आग्रह पर जिन रचनाओं की सर्जना हुई, उनमें रीति, श्रंगार का आधिक्य है, इसलिए स्वाभाविक है कि कृष्ण ही उसके आलंबन बने हैं, वैसे भी वीर काव्य की रचनाओं में राम को केन्द्र में रखा गया है अन्यत्र कृष्ण सभी कवियों को सहज और सरल लगे हैं, स्पष्ट है कि भक्ति रीति से संचलित हुई है अर्थात प्रधानता भक्ति की न होकर रीति की रही है। किंकर गोविन्द, विष्णुदास, बैकुण्ठमणि शुक्ल, हरिचन्द्र, सुदर्शन, इंद्रमणि महाराजा, जसवंत सिंह महाराज, गुलाल सिंह बख्शी, केशवराज दिग्गज, घनश्याम कायस्थ, शिवदास, रघुरास कायस्थ, रतन खंगर, हिम्मतसिंह कायस्थ, नौने व्यास, हंसराज कायस्थ, जसवंत सिंह बुंदेला, शत्रुजीत सिंह, पंचम सिंह, महाराजा भारतीचन्द्र, गोपाल भाट, फतेहसिंह कायस्थ, शिवप्रसाद कायस्थ आदि कवि बुंदेलखंडमें इस काल में विशेष प्रसिद्ध हुए हैं।भक्ति आंदोलन का केन्द्र ब्रजभूमि को माना जाता है उसी प्रकार श्रृंगार काव्य का केन्द्र बुंदेलखंड को माना जाता है। बुंदेलखंड के ओरछा, दतिया, सेंवढ़ा, पन्ना, छतरपुर, बाँदा, सागर, अजयगढ़, बिजावर, चरखरी आदि छोटे–छोटे राज्यों में श्रृंगार काव्य बहुविध रूप में पनपा है। रीति का प्रारम्भिक अर्थ जो केशव के समय प्रचलित हुआ था वह अपने कला–कौशल और श्रृंगार प्रियता के साथ सन् 1900 तक प्रचलित रहा है। इस काल के प्रमुख कवियों ने एक ओर रीति परक रचनाएँ लिखी हैं, दूसरी ओर वीर रसात्मक और नीति मूलक कृतियाँ भी दी हैं। संत काव्य की अविच्छिन्न काव्य धारा में भी यदा–कदा कुछ पुष्प अर्पित किए हैं। सब मिलाकर यह कहा जा सकता है कि काव्य की अनेक धाराओं में श्रृंगार काव्य धारा ही प्रमुख रही है, इसीलिए इसे श्रृंगार काव्य काल की

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

संज्ञा दी गई है।श्रृंगार काव्य की प्रमुख[3] शैलियाँ हैं– रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। रीतिबद्ध के अन्तर्गत लक्षण ग्रंथकार और आचार्य कवि आते हैं। रीतिसिद्ध काव्य शैली में नखशिख वर्णन, बारहमासा और षड् ऋतु संबंधी रचनाएँ विशेष प्रधानता पाती रही हैं तथा रीतिमुक्त में स्वच्छन्द काव्य धारा को अपनाया गया है। इन कवियों को नायिका भेद, रस अंलकार आदि से कोई सरोकार ना था। ये केवल अनुभूति पक्ष को महत्व देते हैं। दर्शन श्रृंगार काव्य के रचयिताओं का एक निश्चित व्यक्तित्व और जीवन दर्शन बनता हैं। डॉ. जगदीश गुप्त के अनुसार इन्हीं प्रवृत्तियों से यह अपने आश्रयदाता से जुड़ता है। इस प्रकार का निर्णय आचार्य भागीरथ मिश्र और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है।

श्रृंगार काव्य के प्रमुख कवि पद्माकर बुन्देलखण्ड के बहुचर्चित और अत्यन्त लोकप्रिय कवि हैं। पद्माकर के काव्य में बुन्देलखंड की संस्कृति, आचार–विचार, प्रकृति, जनजीवन आदि का बहुत ही सुन्दर चित्र मिलता है। कवि पद्माकर हिम्मत बहादुर विरुदावली, प्रताप सिंह विरुदावली, जगतविनोद, पद्माभरण, आली प्रकाश, प्रबोध पचासा, गंगालहरी आदि। 'रामरसायन' राजनीति की वचनिका, अश्वमेध की कथा आदि कृतियाँ लिखी। अप्रामाणिक रचनाओं में लिलहारी लीला और भूषण चेतावनी को भी गिना जाता है। हिम्मतबहादुर विरुदावली की कथावस्तु का आधार हिम्मत बहादुर और अर्जुनसिंह के बीच बनगाँव में हुए युद्ध को माना गया है। यह वीर रस पूर्ण कृति है, समस्त कृति में कवि ने हिम्मत बहादुर और अर्जुनसिंह के कृत्यों का अतिरंजनापूर्ण वर्णन किया गया है। पद्माकर राजकर्म और कविकर्म को समान रूप से मानते रहे हैं। इनकी भाषा ही इन्हें बुन्देलखण्ड तथा बुन्देली दोनों का श्रेष्ठ कवि घोषित करती है। बुन्देलखंड की संस्कृति से ही नहीं, बल्कि बुन्देली भाषा की कहावतों और मुहावरों का अत्यंत सुन्दर प्रयोग किया है।

आधुनिक परिदृश्य में बुंदेली – श्रृंगार काव्य की प्रवृत्तियाँ आधुनिक काल के प्रारम्भिक दशकों तक विद्यमान रही, पर विक्रम की 8वीं शती का श्रीगणेश अंग्रेजों के साथ संघर्ष की भूमिका से हुआ था। सन् 1857 के संग्राम के बाद स्वतंत्रता संग्राम की लहर समस्त उत्तर भारत में फैल गई, बुंदेलखंड में भी इसका कुछ प्रभाव पड़ा। झाँसी की रानी, नाना साहब, तात्या टोपे, बाँदा नवाब आदि अनेक सेनानियों ने एक झंडे तले न आकर भी राष्ट्रीय उद्बोधन का काम किया। सांस्कृतिक क्षेत्र में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, जैसी संस्थाओं ने तथा विवेकानंद, महात्मा गाँधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चन्द्र बोस तथा अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने क्रांतिकारी तौर पर अंग्रेजों को शासन छोड़ने के लिए मजबूर किया। बुद्धिवाद का विकास इसी समय हुआ जिससे नये समाज, मानववाद, राष्ट्रवाद, परिष्कार तथा समन्वयषीलता को प्रोत्साहन दिया गया।देशी भाषाओं के नाम पर अनेक संगठन बने और साहित्य संकलन की योजनाएँ अपनाई गई। बुंदेलखंड, छत्तीसगढ़, अवध आदि अनेक प्रदेशों की भाषओं और बोलियों के विविध संगठन बने। बुंदेलखंड का आधुनिक साहित्य केवल काव्य की विधा तक ही सीमित न रह गया। व्यापक काव्य भाषा में लिखने वाले कवियों, उपन्यासकारों, निबंधकारों और कहानीकारों ने बुन्देली का भरपूर प्रयोग किया। काव्य रूप की दृष्टि से इस काल में स्फुट छंद और खण्ड काव्य बहुतायत से लिखे गए हैं। राष्ट्रीयता के साथ–साथ सामाजिक उत्थान के स्वर ही इन कवियों में मिलते हैं। कुल मिलाकर काव्य ओर कवियों का एक स्पष्ट विभाजन इस प्रकार किया जा सकता है–

1. अतीत के चरित्रों को आधार बनाकर।
2. आधुनिक चेतना तथा स्वतन्त्र्योन्मुख विचारधारा के बुंदेली कवि।
3. स्फुट विषयों पर लिखने वाले कवि।
4. लोक काव्य की परम्परा में लिखने वाले कवि।

आधुनिक काल में मदनमोहन द्विवेदी, मदनेश, हरनाथ, डॉ. भवानी प्रसाद, ऐनानंद, सुखराम चौबे गुणकर, पं. गौरीशंकर शर्मा, गौरीशंकर सुधा, मीर अमीर अली, पं. जानकी प्रसाद, शिवसहाय चतुर्वेदी, रामचन्द्र भार्गव, हरिप्रसाद हरि, गौरीशंकर द्विवेदी 'शंकर', लोकनाथ द्विवेदी 'शिलाकारी', द्वारकाप्रसाद मिश्र 'द्वारिकेश', पं. ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी, शंभूदयाल श्रीवास्तव 'बृजेश', पं. भैयालाल व्यास, श्री लक्ष्मीनारायण 'पथिक', माधव शुक्ला 'मनोज', डॉ. बलभद्र तिवारी, श्याम मनोहर मिश्र, अवध किशोर कुमार श्रीवास्तव के नाम उल्लेखनीय है। आधुनिक काल तक आते–आते प्रादेशिक बोलियों का महत्तव इसलिए बढ़ गया क्योंकि सर जार्ज ग्रियर्सन न अपनी पुस्तक भाषा सर्वेक्षण में प्रत्येक बोली का सांगोपांग विवेचन किया और हिन्दी के विकास में इनका महत्तव दर्शाया। सं. 2000 के आस–पास तक आकाशवाणी से भी कुछ स्थानीय बोलियों के साहित्य का प्रसारण प्रारम्भ हुआ, जिससे लोक कवियों की खोजबीन तथा प्राचीन पाण्डुलिपियों पर शोध के अनेक अवसर पड़े। हिन्दी के प्रगतिशील साहित्यकारों ने लोक साहित्य को आधार बनाकर अनेक रचनाएँ प्रस्तुत की, फलतः भाषा और बोलियों के काव्य का संकलन किया। ब्रज में ठा. सत्येन्द्र, बुन्देली में कृष्णानन्द गुप्त, गौरीशंकर द्विवेदी, व्यौहार राजेन्द्र सिंह, लोक नाथ सिलाकारी आदि लोगों के प्रयास स्तुत्य है। कथा साहित्य के संकलन में श्री शिवसहाय चतुर्वेदी का नाम अग्रण्य है।

निष्कर्ष यह है कि बुन्देली काव्य की विविध प्रवृत्तियाँ नीति, मर्यादा, भक्ति, आदर्शवाद का ज्ञान तो कराती ही हैं साथ ही मध्ययुगीन संस्कारों से संपृक्त जीवन दर्शन को भी अभिव्यक्त करती हैं। जीवन मूल्यों तथा नीति प्रतिमानों आदि का संक्रमण, व्यावहारिक दकियानूसी रीति–रिवाजों के प्रति उदासीनता और देश के जीवन दर्शन का विकास, यथार्थप्रियता, सामन्ती प्रवृत्ति का उन्मूलन, दकियानूसी रीति–रिवाजों के प्रति उदासीनता और देश की जीवनधारा के साथ कदम मिलाकर चलने की प्रवृत्ति आधुनिक काव्य के प्रमुख लक्षण हैं। प्रारम्भ के दशकों में महाकाव्य कम, खण्डकाव्य अल्पमात्रा में तथा स्फुट काव्य विपुलांश में लिए गए। गीत इस समय की प्रमुख काव्य विधा बना। लोक कवियों ने प्रसिद्ध लोकगीत फाग को विशेष महत्व दिया और ईसुरी, गंगाधर और ख्यालीराम ने अनुकरण पर अनेक फागें लिखी। करुण रस के माध्यम से यथार्थ का भयावह चित्र खींचा गया तथा राष्ट्र भक्ति की चेतना भी प्रसारित की गई। यही कारण है कि आधुनिक काव्य का कवि विविधताओं का परिचायक होता है। ये प्रवृत्तियाँ स्वतंत्रता के बाद उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह गई और नये भारत का नवयुवक स्थानीय और राष्ट्रीय दोनों चेतनाओं से संपृक्त होकर सामने आया। बुन्देली का अत्याधुनिक काव्य इसी का परिचायक है।[8]

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. रचना द्विमासिक पत्रिका, अक्टूबर 2010, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल, पृष्ठ 32
2. आजकल अगस्त 2015 , प्रकाशन विभाग सूचना केन्द्र , लोदी रोड, नई दिल्ली , पृष्ठ,58
3. डॉ भारतीय दुबे, बुंदेली साहित्य का इतिहास,पृष्ठ, 159
4. डॉ सत्येन्द्र , लोक साहित्य विज्ञान, पृष्ठ, 85
5. नव भारत समाचार पत्र, भोपाल,04 जून 2015 ,पृष्ठ, 04
6. दैनिक भास्कर समाचार पत्र, भोपाल,28 फरवरी, 2014, पृष्ठ, 05
7. वीणा, साहित्य की मासिक पत्रिका, दिसंबर 2011, पृष्ठ, 27
8. स्वयं का सर्वेक्षण और निष्कर्ष।

उज्जयिनी की साहित्यिक परम्परा में शैलेन्द्र पाराशर की रचनाओं का मूल्यांकन

डॉ. गणेशलाल जैन * सुरेश कुमार बैरागी **

शोध सारांश – भारत की हृदयस्थली म.प्र. की अतिपावन नगरी उज्जयिनी में आधुनिक युगीन रचनाकारों में आचार्य शैलेन्द्र पाराशर का अपना विशिष्ट स्थान है। गद्य व पद्य दोनों विधाओं पर आपका अच्छा अधिकार है। आपके व्यंग्य, आलेख, शब्द चित्र, लघुकथाएँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फीचर लेखन, कविताएँ आदि विधाओं में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक एवं राष्ट्रीय चिंतन की छटा सहजता से देखी जा सकती है। आपने महज लिखने के लिए नहीं लिखा, अपितु समाज के विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई कुरीतियों एवं विसंगतियों का उजागर कर उन पर व्यंग्य के माध्यम से प्रहार कर जनसामान्य को नई राह का दिग्दर्शन कराया है। आपका समग्र रचना संसार समाज को ही समर्पित है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति कहीं न कहीं स्वयं का एक पात्र के रूप में अपनी भूमिका को निर्वहन करते हुए परिलक्षित होता है।

प्रस्तावना – सांस्कृतिक एवं साहित्यिक नगरी उज्जयिनी प्रागेतिहासिक काल से वर्तमान तक सिद्दों,साधकों,राजा-महाराजाओं, तान्त्रिकों-मान्त्रिकों, मनीषियों, तपस्वियों एवं सरस्वती साधकों की नगरी के रूप में जानी जाती हैं।भारत के हृदयस्थल में स्थित मालवा की सांस्कृतिक राजधानी उज्जयिनी अनेक विशेषताओं से आभूषित हैं। शौर्य एवं पराक्रम के सम्राट चक्रवर्ती राजा विक्रमादित्य ने शकों और हूणों को परास्त कर अपनी यश पताका फहराकर विक्रम सेंवत का प्रवर्तन किया।

विश्व प्रसिद्द बारह ज्योतिर्लिंगों में सें एक भगवान महाकालेश्वर की इस नगरी में ही श्री कृष्ण ने गुरूकुल में रहकर,बलराम एवं सुदामा के साथ महर्षि सांदीपनि से शिक्षा ग्रहण की थी।राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में वराहमिहिर, बैताल शंकु,घटखर्पर एवं वररूचि जैसे विद्वान रहे हैं।यहीं पर पाली, प्राकृत, जैन, बौद्द, संस्कृत और हिन्दी के अनेक विद्वानों साहित्यकारों ने उत्कृष्ट काव्य रचना की है।यहाँ की साहित्यक परम्परा प्राचीनकाल से वर्तमान तक प्रगतिशील व समृद्द रही हैं। महाकवि कालीदास ने यहीं पर ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार सम्भव और रधुवंश जैसे अमर काव्य कुतियों की रचना की हैं।कविवर भर्तहरि, भारवी, भोज, दण्ड और आवन्तिक ने भी उत्कृष्ट काव्य रचना कर मालवांचल की कीर्ति को बढ़ाया हैं। श्रुतकीर्ति और देवसेना ने इस परम्परा को बढ़ाकर साहित्य समृद्द किया।उतरोत्तर लखमदेव ; लक्ष्मणदेवद्द, शान्तिपा, नयनन्दी आदि ने अपभ्रंश रचनाओ में मालवा क्षैत्र उज्जयिनी की भूमि के रस को प्रवाहित कर अपभ्रंश काव्य का विकास किया। संस्कृत,प्राकृत और अपभ्रंश की रचनाओं ने न केवल हिन्दी को अपितु सम्पूर्ण भारतीय साहित्य को प्रभावित किया हैं।

आधुनिक युगीन साहित्यकारों रमाशंकर शुक्ल हृदय, सूर्यनारायण व्यास, नरेन्द्र धीर, प्रभाकर माचवे,गजानन माधव मुक्तिबोध, हरिनारायण व्यास,पाण्डेय बेचन शर्मा उग्र बालकृष्ण शर्मा नवीन,शिवमंगलसिंह सुमन, श्याम वर्मा, शमशेरबहादुर सिंह, नरेश मेहता क्रमश: भगवत शरण जोहरी,श्री कृष्ण सरल, बृजबिहारी निगम,जगदीश चतुर्वेदी,चन्द्रकान्त देवताले, हरीश निगम,श्यामसुन्दर निगम,शिव शर्मा,अशोक वक्त,मोहन सोनी,गजानन वर्मा नरेन्द्र समाधिया, प्रकाश उप्पल, भागीरथ बडोले,शैलेन्द्र शर्मा शैलेन्द्र पाराशर, हरिमोहन बुधोलिया, नवीन डेविड, उपेन्द्रपंत,शिव चौरसिया, रामरतन ज्वेल, शिवसहाय पाठक, सुरक्षा भारद्वाज, हरीश प्रधान ,प्यारेलाल श्रीमाल, मनीष पन्त,असीत पंत राजी, अशोक,श्याम परमार,मदन व्यास,श्रीनिवास जोशी, बालकवि बैरागी आदि ने साहित्य की उन्नति एवं विकास में महतीय योगदान दिया हैं।

इन्हीं विद्वजनों,साहित्य मर्मज्ञों में से एक विशिष्ट नाम आता हैं। आचार्य शैलेन्द्र पाराशर ।

पाराशरजी के व्यक्तित्व का फलक बहुआयामी है। साहित्याचार्य सरस्वती आराधक, परामर्शक, समाज वैज्ञानिक आदि उपाधियों में विभूषित श्री पाशर जी वर्तमान में प्रोफेसर विश्वविद्यालय उज्जैन, प्रभारी एवं निदेशक सामाजिक अपवर्जन एवं समावेशन अध्ययन केन्द्राध्यक्ष समाजशास्त्र अध्ययन मण्डल वि.वि.उज्जैन, अध्यक्ष समाजशास्त्रीय परिषद वि.वि. उज्जैन आदि पदों पर रहते हुवे महतीय कर्तव्यों एवं दायित्वो का निर्वहन कर रहे हैं। विद्यालय एवं महाविधालय से लेकर विश्व विद्यालय तक आपने अपनी रचना धर्मिता से एक विषिष्ट पहचान स्थापित की है। अनेक समाचार पत्रों में साहित्यकीय लेख,समीक्षाएँ एवं व्यंग्य लेखन कर आपने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। प्रो.पाराशर एक सफल व्यंग्यकार, कथाकार, गीतकार के साथ साथ एक समाजशास्त्री समालोचक, समीक्षक व विश्लेषक भी है।आप की कविताएँ गधात्मकता को लिए हुवे है।।किन्तु भाषा की सरलता के साथ ही उन्होंने गहन गंभीर विषयों पर भी हृष्टि डाली हैं। आपकी कविता महसूस करता हूँ में देखिये –

आतंकवाद के आक्टोपस की अब्ठ भुजाओं में
छटपटाते,तडपते,बेबस शिकार
निर्दोष बच्चों,बूढों और स्त्रियों
की प्राणलेवा वेदना को मैं,गहराई से महसूस करता हूँ.... 1

इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया से आप पिछले कई दशकों से जुडे हुवें हैं। दूरदर्शन, आस्था, साधना, संस्कार, जागरण एवं स्थानीय चैनलों,टी-सीरिज

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय कन्या महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.) भारत
* शोधार्थी (हिन्दी) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

आदि पर आपके द्वारा विरचित पटकथा पर लघुचित्रों का निर्माण एवं प्रसारण हो चुका हैं। एक कुशल उद्घोषक के रूप में आपने विभिन्न चैनलों पर अनेक प्रतिष्ठित,आध्यात्मिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रसंगो पर उद्घोषणाएँ की है,तथा कई लघुवृत्त चित्रों का आलेखन कर अपनी आवाज भी दी है।आपके समग्र साहित्य में, रचनाओं में सामाजिक कुप्रथाओं, अव्यवस्थाओं, राजनीतिक भ्रष्टाचार, भाई – भतीजावाद, हिंसा, उपद्रव, सामाजिक विघटन, पाष्चात्यानुकरण, वर्तमान शिक्षा आदि पर कुठराघात किया हैं।वर्तमान परीक्षा प्रणाली पर आपने अनेक व्यंग्यों की रचना की हैं। परीक्षाकाल में प्रवक्ता की प्राणप्रिया; पत्नीद्धकी मनोदशा का स्वाभाविक चित्रांकन किया हैं।

मेरी माँग के बुझते सिन्दूर। मेरी हजारों मांगे अभी पूरी नहीं हुई हैं। तुम छात्रों की जो मांग है कि वे नकल करके रहेगें,इसमें बाधा मत पैदा करना। तुम्हें वैसे ही कम दिखाई देता है, इसलिए नकलचियों को पकडनें की मॉग पूरी मत करना,वरना मेरी माँग का सिन्दूर हमेषा के लिए मिट जायेगा.....2

देश के प्रतिष्ठित पत्र–पत्रिकाओं में आपके सैकड़ों व्यंग्य, आलेख, समीक्षाऐं, लघुकथाएँ, रिपोर्ताज आदि प्रकाशित हुवे है।गद्य एवं पद्य दोनों विधाओं पर आपका अच्छा अधिकार है।दोनों पर ही आपने लेखनी चलाई हैं।आपके साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यह हैं,कि आपने मात्र लिखने के लिए नहीं लिखा हैं,बल्कि सामाजिक जीवन के विविध क्षेत्रों में फैले हुवे अंधकार और विद्रूपताओं को दूर कर सत्यान्वेशी मार्ग का दिग्दर्शन कराने हेतु रचनाएँ लिखी हैं।

सामाजिक क्षेत्र – आपका साहित्य यथार्थ का वास्तविक प्रतिरूप हैं। आज समाज में जिन मादक द्रव्य व्यसनों ने समाज को विकलांग और जर्जर कर दिया है, जिसने समाज की शांति व समृद्धि के साथ ही मानव का स्वाथ्य छीनकर उसे दरिद्र बना दिया है।

ऐसे दुर्व्यसनों पर आपने लेखनी चलाई है,इसी प्रकार घन की पिपासा और पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध ने मानव की नैतिक और अनैतिक कार्यो की समझ को समाप्त कर दिया है, आज उसे तो मात्र भौतिक सुविधा सुविधाओं की आकांक्षा हैं, भले ही वह कैसे ही प्राप्त हो। मानवीय मूल्यों के ह्रास का कारण आज का नवयुवक अशांत एवं असहज हो गया है। उसने गौरवमयी संस्कृति और सभ्यता को भुलाकर पाश्चात्यानुकरण के फलस्वरूप दिखावा बनावटी औपचारिकताओं और स्वार्थपूर्ति के भ्रमजाल में उलझ गया हैं। जिसके कारण वह अन्तर्मन से रोगग्रस्त हो गया है। क्योंकि हम जो प्रदर्शन कर रहे है, वास्तव में हमारे मूल्य वैसे नहीं हैं। इन्हीं विसंगतियों को आपने एक मनोवैज्ञानिक की भांति, अपने लेखन में उकेरा है।

धार्मिक क्षेत्र – धार्मिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में व्याप्त विडंबनाओं पर भी आपने चिन्तन एवं मनन कर जनसामान्य को जागरूक कर धर्म के नाम पर व्याप्त तंत्र मंत्र, भविष्यकर्ताओं भविष्यवाणियों टोना–टोटका, पाखण्ड, अश्लीलता आदि पर व्यंग्य किया हैं।

राजनीतिक क्षेत्र – देश की राजनैतिक व्यवस्था से आप आहत हैं। आज की राजनीति में भाई – भतीजावाद, हिंसा, उपद्रव, भ्रष्टाचारिता, अनैतिकता, हिंसा एवं उपद्रव सामान्य सी बात हो गयी हैं, जिन्हें पाराशर जी ने उजागर कर जनसामान्य को अवगत कराया हैं।

शैक्षिक क्षेत्र – आज की शिक्षा जिसे प्राप्त कर विधार्थी कल के भविष्य का निर्माण करेंगे, आज वहीं शिक्षा पद्धति गर्त में जा रहीं हैं। आज की शिक्षा रोजगार की अपेक्षा सिर्फ डिग्रियाँ बाँट रही हैं।शोध व्यवस्था निम्न कोटि की हो गयी हैं। गुरू शिष्य परम्परा के मूल्य समाप्त होते जा रहे हैं। इन्ही विसंगतियों को चित्रित कर इन पर तीक्ष्ण प्रहार किया हैं।

शिक्षा का उद्देश्य साविधायाविमुक्तयेश सहित जीविकोपार्जन, सांस्कृतिक, नैतिक,तथा चारित्रिक विकास होना चाहिए न कि डिग्रियाँ।राष्ट्रीय हित और भविष्य की यह माँग हैं कि शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाये अन्यथा कालान्तर मे उनका समाधान कठिन से कठिनतर हो जायेगा।.......3

भावपक्ष – पाराशर जी का भावपक्ष अधिक सबल हैं। आपने कलापक्ष को केवल साधन बतोर लिया हैं। आपने साहित्य पंडितों की यह गलतफहमी दूर कर दी हैं कि साहित्य साधना किसी भाषाविद् या वंशानुगत व्यक्ति; साहित्यिक व्यक्ति की बपौती हैं। आपने कविता को बनावटी श्रृंगार की अपेक्षा मानवीय स्नेह की संवेदनशील अभिव्यक्ति पर दृष्टि रखी हैं। आपने समाज सुधार, धर्म एवं अध्यात्म, सांस्कृतिक मूल्य, शैक्षिक मूल्य,नारी चेतना का स्परूप,यथार्थ की अभिव्यक्ति,राष्ट्रीय मूल्य आदि पर लेखन कार्य किया हैं। चिन्तन करो कविता का उदाहरण दृष्टव्य हैं।

पर मानव भूल गया ,ममता के महत्व को
और भ्रूण हत्या के निर्णय में शामिल हो गया,
सच तो यह है कि ममता का खून कर
सरेआम घूमने वाला कातिल हो गया।
ममता के हत्यारों,कुछ तो चिन्तन करो,
नारी की गौरव का अपमान नहीं
उसका पूजन करो......4

इसी प्रकार सांस्कृतिक मूल्यों के पतन के संदर्भ में आप लिखते हैं। वस्त्र वालों की फैशन निर्वस्त्रता इसका सटीक उदाहरण हैं.

इस सदी में कौन, किससे बड़ा वस्त्रविहीन है,इसकी अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाएँ सहसम्मान आयोजित हो रही हैं। नग्न होने की इस तेज दौड़ में हर कोई शामिल है,और कौन.किससे बड़ा वस्त्राविहीन है, उसका परिचय देना चाहता हैं।.......5

शिल्पपक्ष – लेखन में सहज व सरल खड़ी बोली का प्रयोग पाराशर जी ने किया है।

आपकी रचनाओ मे कहीं – कहीं पर तत्सम, तद्भव, अंग्रेजी, अरबी – फारसी व लोकभाषा का प्रयोग भी कियाहैं।व्यंग्यात्मकता से परिपूर्ण भाषा में चित्रात्मकता भी सहज ही परिलक्षित होती हैं। सोन चिंरैयाद्ध में देखिए–

श्मन की सोन.चिंरैया की उन्मुक्त उड़ान को
पकड़ पाना बहुत मुश्किल है
वह कभी इधर.कभी उधर
फुदकती फिरती है......6

लोकोक्ति एवं मुहावरों से परिपूर्ण भाषा में कृत्रिमता शब्दजाल,क्लिष्टता और अतिबौद्धिकता कहीं दिखाई नहीं देती हैं। कथनी और करनी में अंतर नहीं होने के कारण आपका सम्प्रेषण का तरीका इतना सहज व सरल है कि श्रोता उनके कथन को हृदयंगम कर लेता है।समग्र रचनाओं में आपने खण्डनात्मक शैली का प्रयोग किया हैं, इसी के साथ – साथ उपदेशात्मक व विवरणात्मक एवं वर्णनात्मक शैली का भी आपने यथातथ्य प्रयोग किया हैं।

अलंकारों की दृष्टि से आपने कभी लिखने का प्रयास नहीं किया, लेकिन कहीं–कहीं रूपक, अनुप्रास एवं वाक्योपमा के सहज दर्शन हो जाते है।

वक्रोक्ति का भी आपने बहुत प्रयोग किया हैं। प्रभावी सम्प्रेषण व श्रेष्ठ अभिव्यंजना हेतु अनेक शब्द चित्र बनाए हैं जो घटनाओं को निम्न रूप में प्रकट करते हैं। यथा

थर-थर काँपना, घिग्घी बँधना, गुर्राना, रक्तरंजित आदि

अपनी रचनाओं में छिपे उद्देश्य को पाठक या सहृदय तक यथातथ्य प्रेषित करने हेतु आपने इतिहास व पुरातन धार्मिक ग्रन्थों के पात्रों के सटीक व यथोचित उदाहरण दिए हैं,जो कि पाठकों के सम्मुख बिम्ब के रूप में उपस्थित हो उठते हैं। उदा..

है, द्रोणाचार्य। आधुनिक नकलची एकलव्यों के अंगूठे मत काटो। तुम राष्ट्पिता महात्मा गाँधी के तीन बन्दरों से सच्ची शिक्षा लो। नकल मत देखो,नकल की मत सुनो और नकल के बारे में मत बोलो।......7

जब सामान्य भाषा में रचनाकार अपनी बात नहीं कह पाता है,तब वह लक्षणा एवं व्यंजना शब्द शक्तियों का सहारा लेता है।पाराशर जी ने भी अपने व्यंग्यों को पाठकों तक पहूँचाने हेतु लक्षणा एवं व्यंजना शब्द शक्तियों का अधिकांशतः प्रयोग किया हैं।

मिथुन गधा है।
आमलाल तुम गधे ही रहोगे।

इन्ही शब्दशक्तियों के फलस्वरूप आपकी भाषा अभिव्यक्ति क्षमता से परिपूर्ण है।

समग्र आंकलन - प्रो. शैलेन्द्र पाराशर की रचनाएँ अपने आप में अनूठी हैं, क्योंकि इनकी अभिव्यक्ति सहज भाव भूमि पर आधारित हैं। आपका ध्येय साहित्य लेखन द्धारा कभी अर्थोपार्जन करना नहीं रहा अपितु आपने अपने अन्तरतम् में स्थित अपनी आत्मानुभूतियों का प्रचार - प्रसार कर मानव मात्र को सामाजिक विद्रूपताओं एवं विसंगतियों से दूर कर विकास के सहज मार्ग पर प्रशस्त करना रहा हैं।

आपने अपने लेखन को धरातल से जोडा है, जो कि लोकजीवन के अत्यन्त निकट है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को कहीं न कहीं एक पात्र के रूप में परिलक्षित होता हुआ देखता हैं। आपका समस्त लेखन समाज का यथार्थ प्रतिबिम्ब हैं।

आपकी बहुचर्चित रचनाएँ-मालवांचल के लोकगीत, कुवाँरी, माँ, लड़की अभिशाप,भ्रूण हत्या, बाँसठ व्यक्तियों का जीवन,परमाणु से भारी कीटाणु,आओ -वेलेन्टाइन डे मनायें, संवेदनहीनता, आदि।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. प्रो.शैलेन्द्र पाराशर मालवा की हिन्दी पत्रकारिता; डॉ.मोहन परमार पत्रकारिता,शोध ग्रंथ हिन्दी साहित्य निकेतन,16साहित्य विहार बिजनौर उ.प्र.।
2. प्रो.शैलेन्द्र पाराशर-व्यंग्य संकलन भाग-1,गुप्ता साहित्य भंडार मालीपुरा उज्जैन म.प्र.-2010.11
3. प्रो.शैलेन्द्र पाराशर - कहानी संग्रह, गुप्ता साहित्य भंडार मालीपुरा उज्जैन म.प्र.-2010.11
4. पं. सूर्यनारायण व्यास - उज्जयिनी प्रकाशन1951
5. श्याम सुंदर निगम - मालवी साहित्य का इतिहास, साहित्य अकादमी म.प्र.संस्कृति परिषद् मुल्ला रमुजी संस्कृति भवन, भोपाल।
6. प्रो.शैलेन्द्र पाराशर, उच्च शिक्षा में शिक्षकों के बदलते मूल्य; शो.ग्रं.शुद्ध, क्लॉसिकल पब्लिशिंग कंपनी नईदिल्ली-2010
7. प्रो.शैलेन्द्र पाराशर, अमृत महाप्रसंग.जनसंपर्क विभाग उज्जैन म.प्र.।
8. प्रो.शैलेन्द्र पाराशर, ग्राम प्रजातंत्र के सामाजिक राजनैतिक अन्तःसंबंधो में परिवर्तन, 73वें संविधान संशोधन की भूमिका के विशेष संदर्भ में. क्लॉसिकल पब्लिशिंग कंपनी नई दिल्ली,2014
9. प्रो.शैलेन्द्र पाराशर, समाजशास्त्र के सिद्धांत एवं सामाजिक समस्याएँ, जैनमाली प्रकाशन आर.बी.एस.कालेज रोड़ आगरा उन्तरप्रदेश.1980
10. प्रो.शैलेन्द्र पाराशर, काव्यगोष्ठी, रेडियोलेखन, आकाशवाणी केन्द्र भोपाल.26.06.2001
11. प्रो.शैलेन्द्र पाराशर, प्रकाशित व्यंग्य.पृष्ट कं.19 गुप्ता साहित्य भण्डार उज्जैन.2004
12. प्रो.शैलेन्द्र पाराशर, साप्ताहिक समीर दर्शन, 22, जून.1995
13. प्रो.शैलेन्द्र पाराशर, काव्यगोष्ठी; रेडियोलेखन आकाशवाणी केन्द्र भोपाल।
14. प्रो.शैलेन्द्र पाराशर, दैनिक अग्निपथ, दिनांक 20,जून.1999
15. प्रो.शैलेन्द्र पाराशर, काव्यगोष्ठी; रेडियो लेखनद्ध आकाशवाणी केन्द्र भोपाल म.प्र.।
16. प्रो.शैलेन्द्र पाराशर, दैनिक अवन्तिका, उज्जैन, 21.07.2014
17. प्रो.शैलेन्द्र पाराशर, आलेख; अमृत महाप्रसंगद्ध,जनसंपर्क विभाग भोपाल म.प्र.।

****

कबीर के दोहो की वर्तमान उपदेयता

प्रीति बबेले *

प्रस्तावना – कबीर हिंदी के महान कवि है, भले ही कबीर का जन्म आज से 600 वर्ष पूर्व हुआ हो किन्तु उनकी शिक्षाएं आज के समय में भी प्रासंगिक है यह कहना अधिक तर्कसंगत होगा कि आज उनके दोहों की उपादेयता तत्कालीन समय की अपेक्षा अधिक है। आज पूरे विश्व में धर्म के नाम पर आतंकवाद फैला हुआ है तब कबीर के दोहों को याद करना और उन्हें अपने जीवन में उतारना अत्यन्त उपादेय लगता है।

कबीर के समय में हिन्दू मुस्लिम जनता आपस में मंदिर मस्जिद के प्रश्न पर संघर्षरत थी। कबीर के समय मे हिंदु मुस्लिम जनता आपस में मंदिर मस्जिद के प्रश्न पर संघर्षरत् थी। कबीर का काल संक्रांति काल था तत्कालीन राजनीतिक वातावरण पूर्ण रुप से विषाक्त हो चुका था। इस समय की राजनीतिक व्यवस्था को बहुत अंश तक मुल्ला और पुजारी प्रेरित करते थे। हिंदु मुसलमानों के भीतर भी निरन्तर ईर्ष्या का बोलवाला था। सभी धर्मो के ठेकेदार आपस में लड़ने एवं झगड़ने में व्यस्त थे। इस तरह तत्कालीन समाज में धर्म की आड़ में सब तरह के अन्याय और अनुचित कार्य हो रहे थे। कबीर ने इस चालाक लोकवेद समर्पित देवी विधान के खिलाफ आवाज उठायी 'दिन को रोजा रखत है रात हनत हो गाय यह तो औ वंद्गी कैसी खुशी खुदाय।' अर्थात दिन में रोजा रखता हो और रात में गाय की हत्या करते है। एक ओर खून जैसा पाप करने और ईश, वंद्गी इससे भगवान कभी खुश नही हो सकते है आज भी धर्म के रखवाले धर्मिक उन्माद के चुल्हे पर स्वार्थ की रोटियाँ सेकते हैं। वोटो की कलुषित राजनीति ने इसे और भी गंदा कर दिया है। मंदिर मस्जिद के नाम पर साम्प्रदायिक दंगे हो रहे है, बावरी मस्जिद एवं राम मंदिर के निर्माण का मुद्दा आज भी अदालत में विचारधीन है और कुछ लोग इसके नाम पर गंदी राजनीति कर रहे है। हिंदु मुसलमान दोनों के ही साम्प्रदायिक रुद्धस्त विचारों की उन्होंने आलोचना की अपनी सहज भूमि व्यक्ति में कबीर ने लिखा है–

'कंकर पत्थर जोड के मस्जिद दी बनाम ।
ता पर मुल्ला बांग दे, बहरा हुआ खुदाय।।'

ऐसे ही हिंदुओ के अंधविश्वासों पर उन्होंने चोटी की धर्म के क्षेत्र में आड्म्बरों का कबीर ने खुला विरोध किया है।

'पाहन पुजे हरि मिले तो में पूजू पहार ।
ताते तो चाकि भली, पीस खाय संसार।।'

कबीर का दृष्टीकोण सुधारवादी था। उन्होने बताया –

'मुंड मुंडाए हरि मिले सबही लेऊ मुंडाए।
बार–बार के मूंड ते भेंड न वैकुंठ जाए।।'

कबीर ने हिंदुओं के जप–तप तिलक, छाया व्रत भगवा वस्त्र आदि की सार्थकता बताते हुए लिखा है,

'क्या जप क्या तप संयमी, क्या व्रत क्या स्नान
जब लगि मुक्ति न जानिए, भाव भक्ति भगवन ।।'

इस प्रकार से समाज में कई अस्वस्थ लोकाचारों पर कबीर ने प्रहार किया। वर्तमान समाज में भी धर्म नाम पर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। धर्म के नाम पर पाखन्डी लोग अपना उल्लु सीधा कर रहे है और भोली–भाली जनता को गुमराह कर रहे है। आज के समय में कबीर के दोहों की उपादेयता सिद्ध होती है। कबीर का दृष्टीकोण सुधारवादी हो रहा। उन्होंने किसी धर्म विशेष एव दर्शन की पताका ऊँची नहीं की। वस्तुत: उन्होंने तो अपने मानवीय तत्वों से सम्बन्ध रखा। धर्म व सुधार के नाम पर कभी जनता को उलझाया नहीं, उन्होंने तो खंडन कर उलझनों से दूर रखा, जन मानस को अभेद की और प्रेरित कर भ्रम–माया से दूर रखने की प्रेरणा दी।

कबीर स्वयं ऐसे परिवार में जन्मे थे जो तत्कालीन समाज व्यवस्था में अस्पृश्य था। उन्होंने वर्ण व्यवस्था की कटुताओं को झेला था। कबीर साहब ने उसके खिलाफ नया मूल्य स्थापित किया। उन्होंने कहा 'हरिजन सई न जाति' भक्त के समान कोई दूसरी जाति नहीं है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा की जो भक्त है, वह यदि अस्पृश्य है, तब भी ब्रह्माणी से श्रेष्ठ है। उनका मानना था कि अगर भगवान् को वर्ण – विचार करना होता, तो वह जन्म से ही तीन विभाजक खींच देते। उत्वन्ति की दृष्टी से समस्त जीव समान हैं –

'जौ पै करता वरण विचारे। तो जनमत तीनि दांडी किन सारे।।
उत्पचि व्यंद कहा थे आया। जोती धरी अरु लगी माया।।
नहि कोई ऊँचा नहीं कोई नीचे, जाका लउ ताहि का सीचा।
जो तू वामन वामनी जाया, तो आने वाट हवे कहे न आया।।'

कबीर के अनुसार मनुष्य जन्म से सामान है लेकिन समाज ने उसे रुढ़ियों में जकड़ लिया है तथा भाती भाती की क्यारियाँ गढ़ ली गई है। इस तरह से कबीरदास जी जातिवाद और छुआछुत सबको पाखण्ड मानते है। वर्तमान समय में भी जातिवाद का विष समाज में फैला हुआ है। जातिपात के नाम पर खून खराबा हो रहा है। कुछ समय पहले हरियाणा में जाट आंदोलन का स्वरूप भी बढ़ा भयावह था। यहाँ पर जातिगत आरक्षण के नाम पर कितना खून खराब हो रहा है, यह सर्व विहित है। कभी किसी जाति को आरक्षण चाहिए तो कभी किसी जाति को। साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति आज देश में संप्रदाय के नाम पर लोगों को आपस से खूब लड़ाया जाता है। राजनितिक दल एवं राज नेता स्वयं जातिवाद या साम्प्रदायिकता के प्रतीक बन गए है। आज हर वर्ष देश के कुछ भागों में साम्प्रदायिकता का भड़क जाना और सैकड़ों बेगुनाहों का खून बह जाना सामान्य बात हो गए है। अब तो स्थिति उतनी अधिक उच्चेजक हो गई है कि इस और सभी बुद्धिजीवियों और शुभ–चिंतकों का ध्यान आकर्षण होने लगा है। प्रत्येक साल में कही ना

*अतिथि विद्वान (हिन्दी) शासकीय विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय, बेनजीर, भोपाल (म.प्र.) भारत

कही दंगा होता रहता है, हजारों लोग हर दंगे में मारे जाते है। हजारों गिरफ्तारियाँ होती है, लाखों-करोड़ों की सम्पति जला दी जाती है। यह सब आपसी मतभेदों की वजह से होती है, आवश्यकता है, भारत के समस्त नागरिको को बंधुत्व की भावना सहयोगपूर्वक रहने के प्रति जागरूक किया जाए। कबीर साहब ने समाज के आपसी मतभेद को मिटाकर इस प्रकार का सन्देश दिया है। जैसी हल्दी पीली होती है और चूना श्वेत पर दोनों मिलकर अपना रंग मिलाकर लाल रंग की होली में परिणत हो जाते है। इस प्रकार विभिन्न जातियों का परित्याग कर एकाार हो जाते है और वे आपने विभिन्न साम्प्रदायिक भाव ईश्वर प्रेम की लालीम में संहित कर देते है। वर्तमान राजनैतिक परिस्थितियों को देखा कर ऐसा प्रतीत होता है कि यदि आज कबीरदास जी होते तो उनका निर्भयकतापूर्ण राजनीतिक दलों एवं व्यक्तियों से तगड़ा विरोध रहता है क्योंकि आज की परिस्तिथियाँ अपेक्षाकृत अधिक नाजुक है। वर्तमान में कबीरदास जी तो नहीं है पर परन्तु उनके दोहों की उपदेयता आज भी सिद्ध होती है। उनके दोहे साम्प्रदायिक सहिष्णुता के भाव से इतने परिपूर्ण है कि वह हमारे लिए आज भी पथ प्रदर्शन का आकाश दीप बना हुआ है। आज कबीर के दोहे की उपादेयता को समझाते हुए जन-जन तक प्रसार एव प्रचार करने की आवश्यकता है ताकि सभी लोग उसकी जान सके और स्वयं को शोषण से मुक्ति एव समाज में सहिष्णुता बना सकें।

कबीर शांतिमय जीवन प्रिय था। वे सत्य, अहिंसा, सदाचार आदि गुणों के प्रंशसक थे। उन्होंने अपने दोहों में बताया है कि मनुष्य को पराय दोष देखने से पहले अपने दोष देख लेना चाहिए-,

'दोष पाराए देखि करि, चला हसंत-हसंत।
अपने याद न अवाई , जिनका आदि न अंत।।'

ये दोहे वर्तमान परिस्तिथियों के संदर्भ बहुत ही उपादेयपूर्ण है। आधुनिक समय में प्रत्येक व्यक्ति व्यर्थ की बातों में क्रिया-कलापों बहस में अपना समय बर्बाद कर देता है, तब कबीरदास जी कहते है कि सज्जन पुरुष को मुख्य बातों पर ही अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए और व्यर्थ की बातों को तोते के समान उड़ा देना चहिए-

साधु ऐश चाइये, जैसा सूप सुभाय।
सार-सार को गहि रहे थोथा देई उदय।।

आज के समय में राजनितिक दलों के नेता बिना सोचे समझे बयान बाजी कर देते है, संचार के युग में बात कही तुरंत पहुँच जाती फिर वह सफाई देते है कि उनका यह मतलब नहीं था वो मतलब नहीं था उनकी बात को सन्दर्भ से अलग करके तोड़-मोड़ कर पेश किया गया। उनके व्क्यंत का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचना नहीं था। इस संदर्भ में कबीरदास जी ने दोहे के माध्यम से कहा है कि-

बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी ।
दिए तराजू तोल के तब मुख बहार आणि।।

समाज में पाखंड चरम सीमा पर है। दुराचार की मात्र घटने की वजह बाद रही है। छल-कपट, हिंसा, अज्ञानता, द्वेष ने हमारे समाज को पूरी तरह से खोखला कर दिया है। उपरोक्त सन्दर्भ में कबीर के दोहे को उपादेयता बढ़ती जा रही है। कबीर ने पाखंड, भ्रष्टचार, अन्धविश्वास एवं रुढ़ियों पर कठोर घात किया है। उच्च नीच के भेद को संमाज को बताते हुए उन लोगों की आड़ोंहाथों लिया जो उच्च नीच के भेद भाव की दीवार खड़ी करके अपने स्वार्थ की रोटियाँ सीखने में लगे हुए है। जब तक समाज में दोष और अभाव रहेंगे जिन के विरुद्ध कबीरदासजी ने संघर्ष किया। तब तक कबीर के दोहों की उपदेयता पर प्रश्न चिन्ह नहीं नहीं लगाया जा सकता।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. हिन्दी साहित्य का इतिहास (app)
2. www.pravakta.com>valuesofkabir.in (वीनू भटनागर)
3. ओ.पी. गुप्ता/आर. गुप्ता, रमेश पब्लिकेशन हाऊस (नई दिल्ली)

****

साहित्यिक सांस्कृतिक परिदृश्य में बुन्देलखण्ड

डॉ. अमित शुक्ल *

शोध सारांश-भारत का हृदय स्थल 'बुंदेलखंड' साहित्यिक क्षेत्र में जगनिक, गोस्वामी तुलसीदास, विष्णुदास, केशवदास, लाल कवि, राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त, ओरछा राज दरबार के अन्तिम राजकवि मुंशी अजमेरी 'प्रेम' डॉ. वृन्दावन लाल वर्मा और लोक कवि ईसुरी तथा शौर्य में आल्हा ऊदल वीरांगना महारानी लक्ष्मी बाई उनकी अनन्य सहेली सुन्दर-मुन्दर और झलकारी बाई के कारण संसार में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति के रूप में वीर हरदौल, भक्ति के क्षेत्र में महारानी कुँवरि गनेश तथा पराक्रम के क्षेत्र में छत्रसाल सदैव उद्धृत किए जाते रहे हैं। यह क्षेत्र अपनी संस्कृति और भाषाई अस्मिता के लिए भारतवर्ष में अब भी स्मरण किया जाता है।

शब्द कुंजी - बुंदेलखंड, साहित्यिक, संस्कृति, भाषाई अस्मिता, चन्देलों, सृजन ।

प्रस्तावना - त्याग और बलिदान की भूमि, बुंदेलखंड आदि काल से ही सुर्खियों में रहा है। विन्ध्य पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ क्षेत्र प्राचीन युग में 'चेदि' कहलाता था। महात्मा बुद्ध के समय में उत्तर भारत में सोलह जनपदों में 'चेदि' की गणना थी। परवर्ती वैदिक काल में यह जनपद इन्द्र एवं अग्नि की पूजा का क्षेत्र था। महाभारत काल में चेदि राज 'शिशुपाल' ने अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त की थी। दस नदियों के जल प्रवाह के कारण यह क्षेत्र 'दशार्ण' के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। पश्चात् यह भूभाग 'जुझौति' जैजाक भुक्ति, जाजहोति आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ। जैजाक भुक्ति में चन्देलों का राज था। चन्देल वंश की स्थापना नवीं शताब्दी में 'नन्नुक' ने बुन्देल खण्ड में की थद्ध। उस समय उसकी राजधानी खजुराहो थी। डॉ. श्याम बिहारी श्रीवास्तव ने अपने शोध प्रबन्ध 'बुंदेलखंड के रासोकाव्य' में स्वीकार किया है कि इस प्रदेश का बुंदेलखंड नामकरण अपेक्षाकृत आधुनिक है, निश्चित रूप से यह नाम बुन्देलों की सत्ता स्थापित होने के बाद पड़ा। बुन्देलखण्ड नाम 'विन्ध्येलखण्ड' का बिगड़ा हुआ रूप है। विन्ध्यवासिनी देवी की आराधना करने वाले 'गहरवार' क्षत्रिय पंचम ने विन्ध्य श्रेणियों से घिरे हुए इस प्रदेश में राजसत्ता स्थापित करते हुए 'विन्ध्येला' उपाधि धारण की। विन्ध्येला शब्द से ही 'बुन्देला' नाम प्रचलित हुआ और वह क्षेत्र जहाँ बुन्देलों का शासन रहा, बुन्देलखण्ड कहलाया।ओरछा दरबार के अन्तिम 'राजकवि' स्व. मुंशी अजमेरी 'प्रेम' जिनका वास्तविक नाम श्री प्रेम बिहारी था उनके शब्दों में -

'चन्देलों का राज्य रहा चिरकाल जहाँ पर,
हुए वीर नृप गण्ड, मदन, परमाल जहाँ पर'

आठवीं शताब्दी के लगभग चन्देलों का उदय खजुराहो और 'मनियागढ़' के निकट हुआ और उनके राज्यकाल में जुझौति (आधुनिक बुन्देल खण्ड) आश्चर्यपूर्ण श्री और गौरव को प्राप्त हुआ। सन् 1182 ई. में पृथ्वीराज चौहान ने अंतिम चन्देल राजा परमर्दिदेव (मरमाल) को पहूज नदी के सिरसागढ़ पर हराकर चन्देल-गौरव को सदा के लिए अस्त कर दिया। इसके बाद सन् 1192 ई. में पृथ्वीराज चौहान स्वयं शहाबुद्दीन गोरी से पराजित हुए। उस समय कुण्डार का गढ़ और राज्य, पृथ्वीराज चौहान के सूबेदार और सामंत खेत सिंह खंगार के हाथ में था। वह 1192 ई. के बाद स्वतंत्र हो गया और खंगारों के हाथ में 'जुझौति' का अधिकांश भाग 80 वर्ष के लगभग रहा। इस बीच में मुसलमानों के कई हमले जुझौति पर हुए, परन्तु दीर्घ काल तक कभी भी यह प्रदेश मुसलमानों की अधीन में नहीं रहा। कुण्डार के खंगार राजाओं की मातहती में अनेक क्षत्रिय सरदार और सामंत थे, परन्तु राजा के साथ उनका सम्बन्ध बहुत ही निर्बल था। और मातहती नाम-मात्र को ही थी। कुण्डार का अंतिम खंगार राजा हुरमत सिंह था। उसकी अधीनता में कुछ बुंदेली सरदार भी थे। सोहनपाल के भाई, माहौनी के अधिकारी भी ऐसे ही सरदारों में थे। सोहनपाल के साथ उनके भाई ने न्यायोचित बर्ताव नहीं किया था, इस लिए उनके कुण्डार-राजा से सहायता की याचना करनी पड़ी। उनका विश्वस्त साथी 'धीर-प्रधान' नाम का एक कायस्थ था। धीर-प्रधान का एक मित्र विष्णुदत्त पांडे उस समय कुण्डार में था। पांडे बहुत बड़ा साहुकार था। उसका लाखें रूपया ऋण हुरमत सिंह पर था, शायद तहले से पांडे घराने का ऋण खंगार राजाओं पर चला आता हो। धीर-प्रधान अपने मित्र विष्णुदत्त पांडे के पास अपने स्वामी सोहनपाल का अभीष्ट सिद्ध करने के लिये गया। हुरमत सिंह अपने लड़के नागदेव के साथ सोहनपाल की कन्या का विवाह-सम्बन्ध चाहता था। यह बुंदेलों को स्वीकार न हुआ। उसी जमाने में सोहनपाल स्वयं सकुटुम्ब कुण्डार गए। हुरमत सिंह के पुत्र ने उनकी लड़की को जबरदस्ती पकड़ना चाहा। परन्तु यह प्रयत्न विफल हुआ। इसके पष्चात् जब बुन्देलों ने देखा कि उनकी अवस्था और किसी तरह नहीं सुधर सकती, तब उन्होंने खंगाराजा के पास संवाद भेजा कि लड़की देने को तैयार है, साथ ही विवाह की रीति-रस्म भी खंगारों की विधि के अनुसार ही बर्ती जाने की हामी भर दी, खंगार इसको चाहते ही थे। मद्य-पान का उनमें अधिकता के साथ प्रचार था।विवाह के पहले एक जलसा हुआ। खंगारों ने उसमें खूब शराब ढाली। मद-मत्त होकर नशे में चूर हो गए, तब बुंदेलों ने उनका नाश कर दिया। यह घटना सन् 1228 (संवत 1345) की बतलाई जाती है। बुन्देलों के पहले राजा सोहनपाल हुए। उनका देहांत सन् 1299 में हो गया। उनके बाद राजा सहजेंन्द्र हुए और उन्होंने सन् 1326 तक राज्य किया। इस प्रकार बुन्देले कुण्डार में अपनी राजधानी सन् 1507 तक बनाए रहे। सन् 1507 में बुंदेल राजा रूद्रप्रताप ने ओरछे को बसाकर अपनी राजधानी ओरछे में कायम कर ली। बुंदेलों का कहना है कि कुंडार का खंगार राजा हुरमत सिंह जबरदस्ती और पैशचिक उपाय से बुंदेला-कुमारी का अपहरण युवराज नागदेव के लिये करना चाहता था। खंगार लोग अपने अंतिम दिवस में शराबी, शिथिल, क्रूर और राज्यके अयोग्य हो गए थे, इसलिए जानबूझकर वे विवाह-प्रस्ताव की आग में शराब पीकर कूदे और खुली लड़ाई में उनका अंत किया गया। एक कारण यह भी बतलाया जाता है कि खंगार राजा दिल्ली के मुसलमान राजाओं के घनिष्ट के मित्र थे, इसलिए उनका पूर्ण संहार जरूरी हो गया था।बुंदेलों ने अपना राज्य कायम करने के

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

बाद जुझौति की शान को बनाए रखने की काफी चेष्टा की, प्रदेश की स्वाधीनता के लिए उन्होंने घोर प्रयत्न किए और बड़े-बड़े बलिदान भी। भौगोलिक दृष्टि से यमुना, नर्मदा, चम्बल, बेतवा, धसान, केन और टौंस नदियों से घिरे विस्तृत भूभाग को 'बुन्देलखण्ड- के नाम से जाना जाता हैं, जन साधारण में 'बुन्देलखण्ड' की सीमाओं के सम्बन्ध में यह दोहा प्रचलित है-[1]

इत जमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टोंस।
छत्रसाल सो लरन की, रही न काहू होंस।।स्पष्टतः यह सीमाएँ बुन्देल केसरी छत्रसाल के राज्य की अथवा उनके प्रभाव क्षेत्र की रही होंगी।

इसी दोहे का दूसरा पाठ भी सुना जाता है- जिसमें 'छत्रसाल' के स्थान पर 'वीरसिंह' नाम है। परन्तु राजकवि 'अजमेरी' जी की पंक्तियाँ निर्विवाद केवल बुन्देलखण्ड की सीमा को रेखांकित करती है-

यमुना उत्तर ओर, नर्मदा दक्षिण अंचल
पूर्व ओर है टोंस, पश्चिमांचल में चंबल,
उर पर केन, घसान, बेतवा सिंध नदी है,
निकट बिन्ह की शैल-श्रेणियों फैल रही है,
विविध सादृश्यवली, अटल आनंद भूमि है,
प्रकृति-छटा बुंदेलखंड स्वच्छंद भूमि है।।.....'[2]

बुन्देलखण्ड की उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी सीमाओं के सम्बन्ध में अधिक विवाद नहीं है, परन्तु पश्चिमी सीमा के विषय में कुछ मतभेद हैं। कनिंघम ने उसे 'बेतवा' तक और दीवान मजबूत सिंह ने मालवा में काली सिन्ध तक माना है, चंदेल राज्य धंगदेव के शासनकाल में ग्वालियर का भूभाग इस प्रदेश में सम्मिलित था।[2] बुन्देलखण्ड की सीमाओं का उल्लेख एक कविता में इस प्रकार मिलता है-

खजुराहो, देवगढ़ का दुनियां भर में बखान है।
पत्थर की मूर्तियों को मानो मिल गए प्रान है।।
चन्देरी, ग्वालियर की ऐतिहासिक कीर्ति-छटा।
तीर्थ अमरकंटक, चित्रकूट, बालाजी महान् है।।
सोनागिरि पावा गिरि, पपौरा के धर्मस्थल।
अपने धर्म-संस्कृति पर हमकौं।

'काव्य परम्परा और बुन्देली' शीर्षक से उन्होंने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए हैं।[3] प्राचीन काल से किसी भी देश जाति अथवा समाज के साहित्य में वीरोपासना की प्रधानता देखने को मिलती है। चाहे कोई जाति असभ्य हो, अर्द्ध सभ्य अथवा अविकसित ही क्यों न हो, वीर पूजा उसकी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। शक्ति सम्पन्न एवं पराक्रमी व्यक्ति के प्रति सहज झुकाव के कारण ही लोगों में व्यक्ति विशेष की प्रशंसा करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। अतः इस प्रकार की कविता के लिए एक ओर जहाँ वीर पूजा की भावना से प्रेरणा मिली है, वहीं देश की आन्तरिक स्थितियाँ भी इसके लिए कम उत्तरदायी नहीं है। विदेशी आततायियों के आक्रमणों के समय भी देश की रक्षा में प्रवृत्त शक्ति सहज ही जन-श्रद्धाभाजन राष्ट्रीय वीर का स्वरूप बन जाती है। यह परम्परा पृथ्वीराज रासो से प्रारम्भ होकर भक्ति रीति काल तक हमें विद्यमान मिलता है। परन्तु समय के बदलते हुए परिवेश से कविता भी प्रभावित हुए बिना न रह सकी। पहले जहाँ वीर पूजा की निश्छल भावना, वीर काव्य की प्रेरणा का स्त्रोत थी, वहीं बाद में धन, मान, इनाम, जागीर तथा पद प्राप्ति के लोभ ने काव्य प्रेरणा का स्थान प्राप्त किया। वास्तविक वीरता की प्रशंसा के आख्यानों का अनुकरण करते हुए सभी राजाओं, सामन्तों और सरदारों में निज की प्रशंसा सुनने की आदत उत्पन्न हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रशंसाकाव्य राज दरबारों की शोभा प्रतिष्ठा बन गया। जो कवि अपने आश्रयदाता की जितनी बढ़ा-चढ़ा कर प्रशंसा करता, वह उतना ही अधिक धन, मान व उच्च पद राज दरबार में प्राप्त कर लेता था।[4] इस प्रकार की बढ़ती हुई प्रवृत्ति ने कविता को सामयिक बना दिया। रासो और वीर काव्य की कविता का स्वरूप सामन्तवादी हो गया था।दलपतिराव रायसा, करहिया कौ रायसौ तथा शत्रुजीत रासों में वर्णित घटनावलियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है, कि इन ग्रन्थों में वीर पूजा की भावना तो है ही, पर उससे कहीं अधिक सामन्ती विलास, वैभव तथा व्यक्ति की उच्छृंखल शक्ति का स्वरूप भी देखने को मिलता है। ये काव्य स्पष्ट रूप से प्रशंसा काव्य हैं, जो राज्याश्रित दरबारी मनोवृत्ति वाले कवियों द्वारा लिखे गए हैं।युद्ध काल में राजाओं तथा सरदारों को युद्ध की प्रेरण देने के लिए भी ऐसे काव्य ग्रंथो का प्रणयन किया गया तथा राजाओं द्वारा लड़े गए युद्धों के ऐतिहासिक विवरणों की सुरक्षा के लिए भी कवियों द्वारा किया गया एक प्रयास है, परन्तु प्रशंसा के अतिरंजित वर्णनों में ऐतिहासिक सत्य तिरोहित सा लगता है, फिर भी ऐसे कुछ रासो काव्य हैं ही, जिनमें कवियों का प्रयास अपने राजा की वीरता से सम्बन्धित उपलब्धियों के वास्तविक प्रकाशन में आंशिक तो रहा ही है। महाराजा दलपति राव की बांकी वीरता से प्रभावित होकर जोगीदास ने मुगलों की अधीनता में लड़े गए दलपति राव के अनेक युद्धों का प्रशंसात्मक वर्णन किया है। 'करहिया कौ रायसौ' में करहिया के पमारों की वीरता से प्रभावित होकर राज्याश्रित कवि गूलाब द्वारा काव्य रचना की गई। शत्रुजीत रासो के रचयिता किशुनेश भाट ने भी महाराजा शत्रुजीतसिंह की युद्ध वीरता का ही प्रशंसात्मक वर्णन किया। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि इन कवियों को काव्य की प्रेरणा आश्रयदाता के द्वारा लड़े गए युद्धों से मिली तथा युद्ध तत्कालीन आन्तरिक परिस्थितियों की उत्तेजना स्वरूप लड़े जाते थे। लोक संस्कृति के प्रवर्तन में दोतरफा प्रभाव जारी रहता है, एक तो जनपदीय लोकमूल्य, संस्कार, लोकसाहित्य, लोककला आदि में बाहर से आनेवाले लोकमूल्यादि घुसपेठ करते है, तो दूसरे, आगत संस्कृति को भी जनपद में प्रचलित कुछ लोकमूल्यादि स्वीकारने पड़ते हैं।[5]

निष्कर्ष यह है कि मध्यकाल में बुन्देलखण्ड में अच्छे कवि हुए हैं, पर उनकी भाषा ब्रजभाषा ही रही है। उनकी ब्रजभाषा पर कभी-कभी बुन्देली की अच्छी छाप दिखाई पड़ती है। लोक संस्कृति के प्रवर्तन में दोतरफा प्रभाव जारी रहता है, एक तो जनपदीय लोकमूल्य, संस्कार, लोकसाहित्य, लोककला आदि में बाहर से आनेवाले लोकमूल्यादि घुसपैठ करते है, तो दूसरे, आगत संस्कृति को भी जनपद में प्रचलित कुछ लाोकमूल्यादि स्वीकारने पड़ते हैं। बुन्देलखण्ड में लोकसंस्कृति की आदिम स्थिति वर्तमान थी। लोक संस्कृति के प्रवर्तन में दोतरफा प्रभाव जारी रहता है, एक तो जनपदीय लोकमूल्य, संस्कार, लोकसाहित्य, लोककला आदि में बाहर से आनेवाले लोकमूल्यादि घुसपैठ करते है, तो दूसरे, आगत संस्कृति को भी जनपद में प्रचलित कुछ लाोकमूल्यादि स्वीकारने पड़ते हैं।[6]

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अक्षरा साहित्य की द्वैमासिकी , हिन्दी भवन जनवरी- फरवरी 2012, पृष्ठ 48
2. जनसत्ता समाचार पत्र , नई दिल्ली, जून 2015 , पृष्ठ 05
3. साहित्य अमृत, साहित्यिक पत्रिका दिसंबर 2014, पृष्ठ 38
4. वीणा पत्रिका , अक्टूबर 2012 रवीन्द्रनाथ टैगोर मार्ग, इन्दौर, पृष्ठ 44
5. दैनिक भास्कर, समाचार पत्र भोपाल जून 2011 , पृष्ठ 44
6. स्वयं का सर्वेक्षण एवं निष्कर्ष।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) July to September 2017, Vol. II

नागार्जुन के कथा साहित्य में सर्वहारा के प्रति संवेदना

डॉ. विजयता पंडित *

प्रस्तावना – नागार्जुन हमारे लिए कोई अपरिचित नाम नहीं है। जिसकी रचनाओं को या जिसे किसी भूमिका की दरकार हो।

वाणी के धनी, कलम के जादूगर, प्रतिष्ठित साहित्यकार, हिन्दी के मूर्धन्य विद्वान, चितंक, समीक्षक, सुविख्यात प्रगतिशील कवि, 'जनप्राण' कथाकार, प्रखर पत्रकार, आंचलिक उपन्यासकार, नागार्जुन एक ऐसे साहित्यकार है। जिन्होने हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में पदार्पण कर न केवल अपनी बहूमुखी प्रतिभा का परिचय दिया बल्कि उनका आगमन हिन्दी साहित्य के लिए नवीन दिशा का द्योतक भी है।

श्री कमलेश भट्ट 'कमल' की धारणा सही प्रतीत होती है।

'पास रखेगी नहीं, सब कुछ लुटाएगी नदीं,
शंख, सीपी, रेत, पानी जो भी लाएगी नदीं' –[1]

एक नदी की भाँति ही जिसमें दूसरे के लिए अपने 'स्व' और अपने भीतर विराजे 'श्रेष्ठ' को विसर्जित और समर्पित करने का सहज भाव मुखर और सक्रिय है उसके जीते-जागते सबूत 'नागार्जुन' है।

सर्वहारा, दलित, पीड़ित, शेषित, उपेक्षित, जन-जीवन का सम्वाही है। नागार्जुन का संपूर्ण कथा-साहित्य सर्वहारा वर्ग पर केन्द्रित है। सर्वहारा की पीड़ा, दोहन और शोषण को अभिव्यक्त कर सर्वहारा वर्ग को एक सही दिशा देने का कार्य नागार्जुन ने बखूबी किया है।

नागार्जुन के कथा-साहित्य में शेषित पीड़ित जनसमुदाय की कथा, बेबसी, विहलता, भूख, गरीबी और तंगदस्ती का मर्मस्पर्शी चित्रण है, जो नागार्जुन की संवेदना को व्यक्त करता है।

नागार्जुन की कहानियों के पात्र खेतिहर मजदूर, किसान, महानगरों में रिक्शा, ठेला खींचने वाले, बोझा ढोने वाले, बस के ड्रायवर, फेक्ट्रियों के मजदूर, फुटपाथ पर पड़े भिखारी, गूंगे-बहरे लोग, असहाय बुढ़ापा काटते वृद्धजन, शोषित-पीड़ित जनता, सामाजिक बर्बरता का बोझ ढोती युवतियाँ, कूड़े-कचरे के ढेर से भोजन की तलाश करते भूखे-नंगे भिखारी –[2] सब नागार्जुन की कथा-यात्रा के महत्वपूर्ण सहचर है।

बलचनमा जमींदारों की शोषण की चक्की में पिसाता है। पूँजीवादी व्यवस्था ने शोषक को शोषक बने रहने और शोषित को सदैव शोषित बने रहने का अधिकार पैतृक रूप से प्रदान किया है। कैसी विडम्बना है जो किसान अन्न उगाता है, हरी साग-सब्जी पैदा करता है वही गेहूँ की रोटी का स्वाद नही जानता, जो कपास पैदा करता है वही नंगे बदन गर्मी, वर्षा,शीत सहता है। बीमार होने पर, दवा के अभाव में जीवन-मौत से संघर्ष करते चलता है। उसके खेत खलिहानों पर जमींदारों का कब्जा है। वह अपनी भूमि को अपना नहीं कह सकता, स्वामी होकर भी वह सेवक की भाँति, दिन-रात पसीना बहाकर भी पेटभर खा नहीं पाता।

बलचनमा, बाबा बटेसरनाथ, में किसान की दीन-हीन दशा का संकेत मिलता है। बलचनमा मालिक की जूठन खाकर, फरेन-फारन पहनकर, भूखों मरने की स्थिति में ऋण के लिए बाध्य किया जाता है। वह भूमिहीन कर्ज की लपेट का मारा श्रमिक है।

बलचनमा (बलचनमा), वरूण के बेटे (टुन्नी, खुरखुन, मजदुर), भूख मर गई थी (वृद्ध) असमर्थदाता (सुखिया) ऐसे पात्र है जो कई-कई दिनों तक भूखे रहते है खाने के नाम पर सदैव उन्हे मालिक की जूठन मिलती है, दो-दो पैसे के लिए जिन्हें हर समय मालिक लोगों के आगे हाथ फैलाकर खड़ा रहना पड़ता है। लात-घूंसा खाकर जिनका जीवन आगे बढ़ता है। सुखिया भिक्षावृत्ति की प्रवृत्ति लेती है।

सर्वहारा वर्ग गालियाँ, पिटाई, अपमान, तिरस्कार दुतकार, फटकार, षोषण सहता है। वह स्वयं को गरीब, लाचार, बेबस समझता है। समाज व्यवस्था ने उन्हें पंगु, असाहसी और नियतिवादी बना दिया है। सर्वहारा का अपमान अनादर नागार्जुन को बैचेन करते है इसलिए वह कहते है :-
'समाज उन्हीं को दबाता है, जो गरीब होते है, शास्त्रकारों को बलि के लिए बकरे की नजर आए बाघ और भालू का बलिदान किसी को नहीं सूझा'[3] आर्थिक विषमताओं, धार्मिक रूढ़ियो तथा नारी विषयक उनके सर्वहारा जीवन के विभिन्न चित्र नागार्जुन के कथा-साहित्य में मिलते है।

रतिनाथ की चाची में वैधव्य का जीवन जीने के लिए अभिशप्त गौरी को देवर जयनाथ की कामवासना का शिकार हो जाने के परिणामस्वरूप घर-बाहर की प्रताड़ना भुगतनी पड़ती है। –[4] बलचनमा में मालिक रेबनी के शिलभंग का प्रयास करता है। पारो में पारो एक अबोध लड़की 45 बरस के नर पिशाच से ब्याह दी जाती है, जो अनमेल विवाह की पीड़ा सहकर मृत्यु को प्राप्त होती है।

कुम्भीपाक में भुवन के माध्यम से युवतियों के शारीरिक शोषण नई पौध में बिसेसरी के अनमेल विवाह की प्रथा महंत, पंडितों के भ्रष्टाचार एवं उग्रतारा में उगनी विधवा होते हुए भी दूसरे के गर्भ का बोझ ढोने को विवश है आदि का अंकन किया गया है।

नागार्जुन की संवेदना ने इन दर्दो को बौद्धिक धरातल पर ही नहीं बल्कि संपूर्ण सहृयता से भोगा है। उनकी कथाओं में मानव स्पंदन है सर्वहारा की धरती के विविध रंग उनके कथा साहित्य में मिलते हैं।

स्वंतत्रता प्राप्त होने के पश्चात् भी हमारा देश आर्थिक पराधीनता से मुक्त नहीं है। आज भी उच्च वर्गीय अत्याचारों से निम्न-वर्ग, श्रमिक-वर्ग पीड़ित है। शोषण का क्रय वैसा ही बना हुआ है।

यह शोषण की पराकाष्ठा है, आज भी पशुओं की भाँति लड़कियों के क्रय (पारो) पारो, (नई पौध) बिसेसरी की प्रथा है किसी भी प्रकार का

* अतिथि विद्वान (हिन्दी) शासकीय महाविद्यालय, सोंधवा, जिला – अलीराजपुर (म.प्र.) भारत

विरोध करने पर इनकी खाल तक खींच ली जाती है। – [5] इनसे अच्छी दशा तो शोषकों के घर पलने वाले कुत्ते, बिल्लीयों की होती है। वरूण के बेटे में कोसी बांध की शोषण लीला को टुन्नी के माध्यम से चित्रित किया है।

बलचनमा की माँ और दादी अपनी क्षुधा बुझाने के लिए आम की गुठलियों का गुदा मसल–मसल के खाती है, सुखिया कचरे के ढ़ेर से खाना चुनती है, दीनानाथ दो जून की रोटी के अलावा कुछ न कर पाने तथा पत्नि की साड़ी तार–तार है पर दुसरी ना लाने की विवशता से परेशान है। परमानंद अर्द्धनग्न वृद्ध सभी दबी, घुटन से छटपटा रहे है, उन्हे मौत भी नही आती। खुरखुन के बच्चे मछली सेंक–सेंक कर खाते है घर में तेल का एक छींटा भी नही है।

नागार्जुन के हृदय में आक्रोश उत्पन्न हो गया और उन्होंने खुलकर अपनी दृढ़ लेखनी से इन विषमताओं पर प्रहार किया।

पीड़ितों और शोषितों के प्रति संवेदनशीलता नागार्जुन की विचारधारा का प्रधान अंग है वे निम्नवर्ग के शोषण से क्षुब्ध है। –[6]

नागार्जुन की निगाह वास्तविकताओं की ओर अनायास खिंचती है। उनके मन की मूल संवेदना ने उन्हे सर्वहारा के लिए बैचेन कर दिया है। लोकजीवन का इतना विराट और विशाल साहित्यिक कैनवास अगर किसी लेखक या कवि के पास है तो वह नागार्जुन है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. श्री कमलेश भट्ट – सबेरा – पृ.क्र. 09
2. श्री विजय बहादुर सिंह – नागार्जुन का रचना संसार – पृ.क्र. 32
3. श्री नागार्जुन– रतिनाथ की चाची – पृ.क्र. 58
4. डॉ. ललीता अरोड़ा – नागार्जुन एक अध्ययन – पृ.क्र. 62
5. श्री विष्णुचंद्र शर्मा – नागार्जुन एक लंबी जिरह – पृ.क्र. 12
6. डॉ. प्रकाश भट्ट – नागार्जुन जीवन और साहित्य – पृ.क्र. 32

****

Theme Of Feminine Concern In Amitav Ghosh's Novels With Special Reference To 'In An Antique Land' And 'Sea Of Poppies'

Dr. Ritu Mittal *

Introduction - The term feminine concern is a very broad concept. It describes the representation of women in the novels of Amitav Ghosh. It passed centuries since the men came into existence and organised society but the conditions of women is very poor, unhealthy and miserable even in the present era. Amitav Ghosh is not exception to it and he has portrayed sympathetic conditions of women in his novels. 'Woman' has been considered as an important wheel of the chariot of life but she does not get the equal status as 'man'. She is generally treated as a 'subordinate' and source of entertainment.

According to social obligations and patriarchy, which is the ruling social system in almost all over the world, the place of a woman is the home and her role as a wife and mother is similar with her total human existence. The term family means a household slave belonging to one individual who is the male head. Woman has always been left behind for her family roles and the task of civilization. Shouri Daniels describes the 'female incarnate' thus: "She has no shape or form. She is everything or nothing. She is fluid. Pour her into any mould and she takes it… Ideals and principles lie outside her nature."[1] As she is the void and has no status or identity, she is regarded as an object in relation to man who is of course, the head.

Indian temple dancers, devadasis in Sanskrit term, literally mean 'servant or slave of God'. The Holy Bible also holds such observations and perceptions: "Wives submit yourselves to your husband's as to the Lord. (Ephesians, 5:22) (The Holy Bible). This concept of women viewed by Christianity affected the status of women for a long time and they lost the right to control their lives. As such they were not only deprived of their human rights but also that of humanity. R.K. Narayan, in his novel 'The Man-Eater of Malgudi', introduces a devadasi character, Rangi. Although never actually called a devadasi, she is alternately identified as "a woman of the temple"[2], "a public woman"[3], "a dedicated woman"[4],"a dancing woman"[5] and "a temple prostitute"[6]. In the light of these titles for woman, a reader can automatically judge what the status of a woman is in Indian society?

In Amitav Ghosh's novel In An Antique Land, the word "antique" which means "ancient" is deliberately used to portray woman as "antique" and, in "antiquity", woman as metaphor "land", woman as always passive and submissive like "land"[7]. In this novel, the presence of woman is not felt and if it is needed, she is presented with respect to her relation with man – her father, brother, son or husband. The names of all the women characters are not mentioned. Ben Yiju marries Ashu because she was "probably beautiful" (229). He does not mention anywhere her name in his documents and letters, although, her children figure in it frequently -

Ashu is not mentioned anywhere else in the entire corpus of Ben Yiju's documents, although her children figure in it frequently. Ben Yiju did not once refer to her in his letters or jottings, and his correspondents in Aden, who were always careful to send their good wishes to his children, never mentioned her either, not even by means of the euphemisms customary in their time, and nor did they send her their greetings. (229-30)

Another character, Busaina Khamees's sister is introduced in physical as a tall and sweet looking. She suffers due to having her way in everything. But her husband did not accept this, as he might have wanted a submissive woman as his wife, who would never decide anything by herself and would always depend on her husband for everything and accept his decisions. She and her husband used to quarrel all the day as her husband was not happy with her and wanted second marriage. Although, she had two children yet she left her husband and moved back to her father's house, Nashawy with her children but her husband announces that he was going to marry again -

Her husband had announced that he was going to marry again. She told him plainly at the time that she'd leave him if he did, and sure enough, when she heard rumours that he'd been talking with another girl's father, she picked up her things, her pots, pans and furniture, and moved back to Nashawy with her children. So now she was back in her father's house, along with Khamees and all her other brothers and their children. (165)

Another female character is Khamees's wife who had no child. Though Khamees was not able to father any child, yet he deserts his wife by marrying the second time, but with no result as his second wife also could not give birth to any child. Khamees's wife blurts out -

The marriage had caused quite a scandal because

*Professor (English) Jain Kanya Pathshala (P.G.) College, Muzaffarnagar (U.P.) INDIA

his first wife had walked off in a rage, shouting to the world that it was his fault that he was childless, not hers. And after all that trouble, the marriage had made no difference – several of Khamees's brothers had families now, but despite being the oldest and the longest married, he remained without child, and was often the butt of their jokes. (165)

The discrimination with feminine does not end. Female characters are nameless but perform functions. The partiality has become the part and parcel of our life as far as man and woman are concerned. Ben Yiju's son has a name 'Surur' while Ben Yiju mentions his daughter as, "I have left a daughter, his sister…" (314). The wives of Imam are mentioned but they are nameless and identified as Imam's 'first wife' (182) and Imam's 'second wife' (182). Sakkina, Shaikh Musa's wife is portrayed as a shy woman. She was so shy that she could not answer the author and Ahmad had to speak for her.

The women characters are not more important than even their clothes. For many of the women characters, their clothes speak for them. Two women of Sheikh Musa's house have been portrayed as – One in the first bloom of her youth with a rosy complexion. She was pale, pretty and self possessed young woman, dressed in a long printed skirt while the other was described as dark and thickest. She was wearing a black fustan. The author tells us how the door of Ustaz Sabry's house was opened by a woman dressed in the severe black robes. She is a widow. She is described as a thin lady with thin, fine-boned cheeks. Their identity is merely physical but their physical appearance is more eloquent. Women are also portrayed as objects of entertainment. The girl dancer shown in Nashawy was young, dressed in a simple, printed cotton dress, with a long scarf tied around her waist whose dance was a source of entertainment to the people gathered.

In An Antique Land, most of the women characters perform the duties of a servant. The two women in Shaikh Musa's House come into the room with trays full of food. Sakkina appears in the doorway and gives Hasan, a tray with three glasses of tea on it. Shaikh Musa's wife appears showing the way to the guests with a kerosene lamp and goes back to bring some tea and food. Imam's first wife also brings tea in a tray. Most of these women are nameless but perform functions.

The women in this novel have been portrayed as a commodity. A vendor says that he would rather divorce his wife than sell the fruits for a lesser price in the market. The other women characters mentioned in the novel are Ahmad's mother, Nabeel's mother, Ismail's mother, Ali's mother, Imam's first wife and his second wife. In this way, Amitav Ghosh is drawing the attention of readers towards antiquated attitude of the patriarchal society for women.

Normally it is understood that when a woman rules the country, the upliftment of woman will take place but this is not true. Margaret Thatcher and Indira Gandhi, the two prominent women leaders ruled the great nations, Britain and India. Even in their rule, women suffered the problems of inequality, gender discrimination and the male oppression in the society. Even Queen Supayalath, who ruled in Burma, could do nothing for the Burmese women. She recruited many girls in the palace only for slavery. All of these girls were orphans who had neither families nor any friend.

It is injustice and inequality that speak the truth that feminism is the consequence of the culture or society shaped and governed by men to suit their needs and interests regardless of womens' basic needs and happiness. She understands that society is meant for the pleasures and profit of male sexuality and women need to fight against these things courageously. Sea of Poppies, the novel on feminine discourse reveals the condition of women in India, where a woman is more dependent on man and it evokes sympathy for them in the hearts of readers.

Deeti's story in the novel Sea of Poppies, is the story of unwanted Indian wife who in spite of her humiliations in the hands of her second husband proves to be a good wife in the society. Even before the death of her first husband, she tried to be a good and loyal wife though she was being sexually harassed by her own brother-in-law, Chandan Singh who always tried to torture her sexually and mentally. From the very beginning of her arrival as a bride into her husband's house, she was abandoned by her husband, because he was an impotent, an afeemkhor and habituated of opium. She was also raped by her brother-in-law in her very first wedding night. She became pregnant and gave birth to a daughter named Kabutri. From then onwards she was being sexually tortured, harassed and exploited by her family members. Deeti was neglected by her own brother and husband, sexually harassed by her brother-in-law, insulted by Bhyro Singh, uncle of her husband and deprived by the people of her own family members. "She has no right anywhere – as daughter, wife, sister and citizen." (177,191)

In this male dominated society of India, gender discrimination has caused terror in the minds of women that if she has given birth to a girl child, she will not be welcomed by her husband or father/mother-in-law. As a result, thereof, an unborn girl child is aborted with the help of sex determination techniques. A girl child is seen as a burden on her parents or family and she is not given equal treatment as to boys of the same family. The thinking of gender discrimination has resulted in the decline of girl population and it has come down approximately 940 females after 1000 males according to Census of 2011.

It is evident from the above facts that the lives of women are exploited by ideological structures. Marriage and family are the institutions that bind the lives of women and disallows them from liberation like Deeti. However, women writers have utilized the power of their pen and wrote against delusions of male-dominated society and told the public to be aware of the various cruelties thrusted upon women who dared to cross the various rigid restrictions that were laid

on them by the society. Betty Frieday, the mother of Modern Feminism with the publication of Feminine Mystique (1963) initiated this new change. The new women's movement expanded into a commanding political force. "Women are an oppressed class… We are exploited as sex objects" (42). This is clear in the life of Deeti in Sea of Poppies.

Feminine discrimination can be seen everywhere at home, at school, at workplace and women are the sufferers in most of the cases. Amitav Ghosh has also used this technique in his novels. He shows the need of reformation at every level including elevation of women in her status of 'equality with men'. To abolish this practice, it is necessary to change the thinking of men and their society. More and more education should be given to women to know their rights. Government should assure the safety of women. Hard and fast action should be taken by the legal authorities against bad elements, spoiling the atmosphere.

References :-

1. Shouri Daniels, The Salt Doll (New Delhi : Vikas, 1978) 12.
2. R.K. Narayan, The Man-Eater of Malgudi (1961; Madras: Indian Thought Publications, 2006) 155.
3. Narayan 156.
4. Narayan 157.
5. Narayan 202.
6. Narayan 206.
7. E. Kanaka Bhagya Veni, "The Image of Woman in Amitav Ghosh's In an Antique Land," Fiction of the Nineties, ed., Veena Noble Dass & R.K. Dhawan (New Delhi: Prestige Books, 1994) 28.

****

तैत्तिरीयोपनिषद में ब्रह्मविद्या का अध्ययन

डॉ. बालकृष्ण प्रजापति *

शोध सारांश – तैत्तिरीयोपनिषद् में ब्रह्मविद्या का उपदेश दिया गया है। ब्रह्मानंद वल्ली में प्रयोजन के तथ्य प्रकाशित हुए है। भृगु को अरण्य में जाने का प्रयोजन है, अक्षय वस्तु का अन्वेषण जो पदार्थ सुख दुख से भी परे है। भृगु अपने पिता वरूण के निकट जाकर ब्रह्म का बोध कराने की प्रार्थना करते है। स्वाध्याय और प्रवचन से यह वारूणी विद्याप्रात नहीं हो सकी यह गुरू के समीप जाकर प्रत्यक्ष उपदेश से प्राप्त होती है, केवल तप और स्वाध्याय से भी नहीं। एषणाओं का त्याग कर के ही साधक अध्यात्म जगत में प्रवेश करता है। ब्रह्म सदा अविकारी होते हुए भी इस विकारी जगत का अधिष्ठान है। अतएव ब्रह्म ही सत्य है। 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म'।

शब्द कुंजी– तैत्तिरीयोपनिषद, ब्रह्मविद्या, आत्मा, कर्म, ज्ञान, कोष, उत्पन्न।

प्रस्तावना – तैत्तिरीयोपनिषद् में ब्रह्मविद्या का उपदेश दिया गया है। इस तैत्तिरीयोपनिषद् के तीन भाग है। शिक्षावल्ली, ब्रह्मनन्दशिक्षावल्ली तथा भृगुवल्ली। इनमें से ब्रह्मज्ञानोपदेश चाहने वालो के लिए अन्तिम दो वल्लियॉ मुख्य हैं। ब्रह्मविद्या में देव तथा ऋषि भी विध्न बाधक होते हैं। इन विध्नबाधाओं से बचे रहने के निमित्त चित्त की एकाग्रता आवश्यक है। अत: इस एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए कुछ आवष्यक उपदेश शिक्षा बल्ली में दिए गए है। इस बल्ली में बारह अनुवाक हैं। ब्रह्मानन्दवल्ली तथ भृगृवल्ली में दोनों वल्लियां अपने अपने नाम से प्रसिद्ध हैं। इन दोनों वल्लियों में मोक्ष क साक्षात् साधनभूत वारूणीविद्या समझाई गयी है। इन दोनों वल्लियों का विषय एक है।

शिक्षा वल्ली में कर्म के विरूद्ध संहिता आदि विषयों का तथा समुचित कर्म व उपासनाओं का वर्णन किया गया है। स्वराज्य उसी का फल है केवल इससे ही संसार रूपी बीज का पूर्ण नाश नहीं हो पाता। उपासना कामना के विरूद्ध नहीं है। अत: प्रधान कर्मोपासना भी मोक्ष का हेतु नहीं है। अज्ञान ही संसार का कारण है। उसका नाष हाने पर ही मोक्ष सम्भव हो पाता है। अज्ञान सहज ही जो जाता है, हम जिस रेलगाडी में बैठ होते है, वह यदि रूक जाती है तथा उसके बगल वाली दूसरी रेलगाडी चले तो हमें ऐसा लगता है कि सचमुच हमारी ही गाडी चल रही है परन्तु वास्तव में हमारी गाडी नहीं चलती है। वह केवल मिथ्या ज्ञान है।

इस प्रकार के अज्ञान के कारणों का विचार करते रहने से कोई प्रयोजन नहीं है। केवल उसे दूर करने के मार्ग की खोज करनी चाहिए। संसार का बीज रूप यह अज्ञान केवल ब्रह्मज्ञान से ही नाश हो पाता है। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। शास्त्रों से तथा युक्ति से यह ज्ञान हो पाता है कि कर्म के फल नश्वर है। शास्त्रों बताया गया है कि कर्मो से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि लोकों से भी श्रेष्ठ लोक यदि स्वयमेव मिले, तो भी मुमुक्ष उसकी आकांक्षा नहीं करते। कर्म कार्य स्वर्ग भी उनके लिए अनित्य है। जैसे नरक कर्म के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है, वैसे ही स्वर्ग भी कर्मो के परिणाम स्वरूप ही मिलता है।

कर्म के पूर्व कुछ भी नहीं रहता जो उत्पत्ति के पूर्व नहीं रहता, वह उपत्पत्ति के पश्चात जब वह नष्ट हो जाता तब भी नहीं रहता याने जिसका अस्तित्व सृष्टि के पूर्व नहीं रहता सृष्टि के परे लय हो जाने पर भी उसका अस्तित्व नहीं रहता। जिस वस्तु का अस्तित्व न हो तो आदि में रहता है, न अन्त में ही उसका अस्तित्व वर्तमान में भी नहीं रहता है याने जिसके भूत तथा भविष्य नहीं है, उसका वर्तमान भी नहीं कर्म से उत्पन्न फल अनित्य है। आकाश पुष्य प्राप्त करने का जितना भी प्रयत्न क्यों न करे असम्भव ही है क्योंकि आकाश पुष्य केवल कल्पित है, ऐसा कोई पुष्प नहीं है। जो नहीं है उससे कुछ पैदा कराने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। मोक्ष मिलने वाला एक पदार्थ ही है जो अज्ञान वश अज्ञान जो जाता है, जब अज्ञान दूर हो जाता है, तब वह प्रत्यक्ष हो जाता है। मृत्यु के पूर्व जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है। वैसे ही उसके लिए मोक्ष की प्राप्ति भी अज्ञान को दूर करने के लिए ब्रह्मज्ञान को बोध करने वाले वेदान्त का विश्वास पूर्वक श्रवण करना आवश्यक है समस्त संसार रूपी बीज का कारण भूत अज्ञान को दूर करने में समर्थ ज्ञान का उपदेश करना ही ब्रह्मावल्ली का ध्येय है। प्रत्येक मानव अविद्या जन्य काम से ग्रसित है। अत: मनुष्य अधिक से अधिक फल की इच्छा करता है जो स्वाभविक ही है। परन्तु मनुष्य कर्माचरण अत्यन्त प्रयत्न पूर्वक करता है, जो शाश्वत मोक्ष देने में समर्थ है, परन्तु अनित्य फल की आकांक्षा से उस नित्य मोक्ष को प्राप्त करने से बंचित हो जाता है। अत्यधिक फल की तृष्णासांसारिक बन्धन का कारण होती सांसारिक बन्धन में मनुष्य नाना प्रकार के कष्ट भोगता है। 'सत्यं ब्रह्म' में सत्यशब्द ब्रह्मशब्द का विशेषण है।

जो पदार्थ जिस रूप में निश्चित किया जाता है, यदि उस रूप का परिवर्तन न हो तो वह सत्य है। कोई भी यदि अपना निश्चित रूप बदले तो वह असत्य है। यानि जिसका विकार न हो वह सत्य है। जिसका विकार होता है, वह असत्य है। ब्रह्म सत्य है, अत: वह निर्विकार तथा नित्य है, इसके विपरीत जिसका विकार होता है, वह ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म सत्य है। अत: ब्रह्म से भिन्न यह जगत् विकास स्वरूप है तथा असत्य है। इसी प्रकार जगत् ब्रह्म नहीं है। समस्त ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञेतृ पदार्थ बुद्धि में संनिगूढ रहता है। अत: बुद्धि को गुफा कहा जाता है।

* सहायक प्राध्यापक (संस्कृत) शासकीय एस.जी.एस. महाविद्यालय, गंजबासौदा, विदिशा (म.प्र.) भारत

इस उपनिषद् में ब्रह्मणों के विविध धर्मो का वर्णन किया गया है। वे तीन प्रकार के है काम्य, नैर्मित्य तथा निमित्त। शास्त्र यह नहीं कहते है कि कर्मो का आचरण करो। पर मनुष्य को कर्माचरण सहज ही प्राप्त होता है। काम प्रवृत्ति ही इसका मूल कारण है, कामना के अनुरूप ही मनुष्य प्रवर्वित हो कर्म करता है तथा उससे मिलने वाले फलो का अनुभव करता है। शास्त्र केवल सहज ही उत्पन्न होने वाली कामनाओं से दूर रहने का उपदेश देते है। अत: इस उपनिषद् में कहा गया है कि–

स्वाध्यायान्मा प्रमद: सत्यान्न प्रमदित्त्व्यम् धर्मान्न प्रमदितव्यम्। मातृदेवो भव पितृदेवो भव यान्यनवद्यानि कर्माणि। तानि सेवितव्यानि नो इतरणि।

श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन ये तीनों आत्मसाक्षात्कार के उपाय हैं। प्रथम उपाय श्रवण याने सुनना है, जिसका तात्पर्य यह है कि वेदों में सम्पूर्ण विश्वास रख गुरू के सान्निध्य में रह कर सुनना तथा ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान प्राप्त करना। इस प्रकार की मननात्मक तपस्या का उपदेश भृगुवल्ली के अन्तर्गत दिया गया है। मनन से निश्चित निर्गुण ब्रह्मात्मक स्वरूप को मन में स्थिर कर लिया जाता है, पश्चात् ब्रह्म से भिन्न अपने स्वरूप का अनवरत चिंतन करना ही निदिध्यासन है। इस विद्या का ही वर्णन ब्रह्मवल्ली तथा भृगुवल्ली में किया गया है, ब्रह्मवल्ली उपदेशात्मक है, भृगुवल्ली अनुभावात्मक है।

वरूण के पुत्र भृगु जी ने अपने पिता के पास आकर प्रार्थना की कि हे पूज्य पिता जी अब आप मुझे ब्रह्मोपदेश करे तब वरूण ने उपदेश दिया कि अन्न, प्राण, चक्षु, श्रोत, मन, तथावाक् ही ब्रह्म है। पुन: उन्होंने स्पष्ट किया कि जिससे ये भूत उत्पन्न हुए है, उत्पन्न होकर ये भूत जिससे जीवित रहते है, वहीं ब्रह्म है, यह जान लो भृगु ने ये दोनों वाक्य अपने पिता से सुन कर तपस्या की और उसने समझा कि अन्य ही ब्रह्म है। क्योंकि ये समस्त भूत अन्न से ही उत्पन्न है, उत्पन्न भूत अन्न से ही जीवित है। इस प्रकार यह जान कर भृगु जी पुन: अपने पिता के पास गए और उनसे पूछा कि पिता जी मुझे ब्रह्मोपदेश दे तब पिता ने अपने पुत्र को समझाया कि तप के द्वारा ब्रह्म को जानने की इच्छा करो, तप ही ब्रह्म है। भृगु ने तपस्या कर समझा कि विज्ञान ही ब्रह्म है। विज्ञान से ही भूत उत्पन्न होते है। विज्ञान से ही जीवित रहते है। वह समस्त विद्याओं में उत्कृष्ट तथा पवित्र है। इस प्रकार यह परम रहस्यमयी ब्रह्म विद्या सम्प्रदाय के अनुसार समझायी गयी है।

अन्न की निन्दा नहीं करनी चाहिए, यह ब्रह्मविद का वृत है, प्राण ही अन्न है, शरीर अन्न से बना है, प्राण शरीरी में प्रतिष्ठित है। अत: अन्न की वृद्धि करनी चाहिए। इसका तिरस्कार न होना चाहिए। जल जठरागिन से जीर्ण हो अन्न बनता है। वक्षोदक की विद्युदगग्नि प्रतिष्ठित होती है, याने आकाश के वक्ष में स्थित जल में मेघ में विद्युत रूपी अग्नि प्रतिष्ठित है। ज्योति में जल प्रतिष्ठित है। अत: जल तथा ज्योतिरूपी अन्न में अन्न प्रतिष्ठित है। उसकी ही उपासना करता है तथा उसी में प्रतिष्ठित हो जाता है याने इस रहस्य को जो साधक भली भांति जान लेता है, वह इस विषय में प्रतिष्ठित है। उसकी ही उपासना करता है तथा उसी में प्रतिष्ठित हो जाता है याने इस रहस्य को जो वह ब्रह्मविज्ञान के लिए अन्न द्वारा होने के कारण वह गुरू तुल्य है। अत: उसकी निन्दा न करनी चाहिए उपासक का यह भी एक ब्रत है। शरीर को मनोमयकोश तथा निश्चित होने पर उसके फलस्वरूप आनन्द का अनुभव जिसे होता है, वह आनन्नदमय कोष कहा जाता है।

ब्रह्मभाव की उपासना के लिए प्राणमयकोष को पुरूषाकृतित्व प्रदर्शित किया गया है। प्राणमयकोष शरीर पिण्ड से भिन्न तथा सूक्ष्मतर है, जो अन्नमयकोष में परिव्याप्त है। वह वायुमय है, उससे ही अन्नमय कोष के पांव, सिर, हाथ, आदि संचालित होते हैं। अन्नमय कोष यह आत्मा के रूप में है। यदि प्राणवायु न रहे तो वह अन्नमयकोष यानी शरीर खडा नहीं रह सकता। प्राण क्रिया शक्ति का कार्यभूत है। यह प्राण पांच प्रकार के है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान जिसे पंचप्राण भी कहा जाता है प्राण पच प्राणो के रूप में परिवर्तित होने से प्राण मय कोष बनाता है यह प्राण मय कोष अन्नमय कोष की आत्मा के रूप में है। अत: इस भावना में अन्नमय कोष की आम्मवुद्धि यानि स्वार्थ वुद्धि नष्ट हो जाती है। मूसल में तपाकर जडे गए लोहे के जैसे अन्नमय कोष का आश्रय पाकर सत्म भाव व्यक्त होने वाला प्राणमय कोष भी पुरूषाकृति में दिखाई पडता है।

मनोमय कोष के लिए यजुर्वेद सिर ऋगवेद दक्षिण पक्ष सामवेद उत्तर पक्ष तथा ब्रह्मात्मा अर्थविद प्रतित्ठा स्वरूप पुछं है। यजुर्वेद के मंत्र अधिकतर यज्ञो में पढे जाते है। उसमें स्वाहाकार पूर्वक हविस् तथा होम किए जाते है। इसी प्रकार युजर्वेद मुख्यत: सिर माना जाता है। यजुस के इस नाम से व्यवहार में लाए जाने वाले शब्द श्रोत्र के द्वारा सुना जाता है। सामान्यत: प्रत्येक भाव को ग्रहण करने की मनोवृत्ति को यजुस् कहा जाता है। इसी प्रकार ऋग्वेद तथा सामवेद के विशिष्ट लक्षण ग्रहण किए जाते है। इस प्रकार समस्त मन्त्र मनोवृत्ति के रूप में ही है। समस्त मनोवृत्तियां आत्मचैतन्य को जगाती है। अत: यजुर्वेद आदि के शब्दों के वाच्य शब्दराशि आत्म विज्ञान ही होता है। इसलिये वेदो को नित्यत्व प्राप्त हुआ है याने वेद अमर है। शान्तिक (शांति प्राप्त करने के लिये) येष्टिक (इष्ट प्राप्त करने के लिए) आदि प्रतिष्ठाओं का कारण स्वरूप कर्म प्रधान होने के कारण अथर्ववेद को पूंछ कहा जाता है अब जो बताया गया उस विज्ञान के साथ ही मनोविषय शरीर में उत्पन्न मनोमयात्म होता है।[1] ब्रह्म सत्य ज्ञान और अनन्त है –

ब्रह्मवेत्ता परम को प्राप्त होता है उस अर्थ की यह ऋचा कही गयी है 'सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमें व्योमन् सोडष्नुते सर्वान् कामान् यह ब्रह्मणा विपश्चितेति।'[2] ब्रह्म सत्य ज्ञान और अनंत है, हृदय गुहा रूपी परम सूक्ष्म आकाश में छिपे हुए ब्रह्म को जो जानता है वह ज्ञानमय ब्रह्म सहित यानी ब्रह्म स्वरूप होकर सब कामनाओं को प्राप्त करता है।

तस्माद वा यतस्मादात्मनअकाश:संम्भूत... इदंपुच्छप्रतिष्ठा।[3]
अन्नात् भूतानि जायन्ते जातान्यन्नेनवर्धन्ते अद्यते अत्ति च भूतानि तस्माद्अन्नंतदुच्यते।[4]

उस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से पानी, पानी से पृथ्वी से औषधि, औषधि से अन्न और अन्न से पुरूष उत्पन्न हुआ है। वह यह पुरूष अन्नरसमय है, उसका यह सिर है, यह दक्षिण बाजू यह उत्तर बाजू यह आत्मा है, यह आधार रूप बैठक है, अन्न से भूत उत्पन्न होते है उत्पन्न हुए अन्न से बढते है भूतो, द्वारा खाया जाता है और भूतो को खाता है। इसलिए उसे अन्न कहते है।

भार्गवी वारूणी विद्या– वरूण का पुत्र भृगु, अपने पिता वरूण के पास गया और बोला हे भगवान् मुझे ब्रह्म ज्ञान दीजिए उसको वरूण ने ऐसा कहा अन्न, प्राण, नेत्र, श्रोत्र, मन और वाणी उसको (वरूण) बोला जिससे ये भूत जनमते है, जनमें हुए भूत जीवित रहते है। और मरने वाले भूत जिसमें लीन होते है, उसे जानने की इच्छा करों वह ब्रह्म है, उस भृगु ने तप किया उसने तप करके अन्न ब्रह्म हैं, यह जाना क्योंकि अन्न से ही ये सब भूत जनमते है। जमें हुए अन्न पर जीते हैं, मरने वाले अन्न में हीं लीन होते है, यह जानकर फिर से पिता वरूण के पास आया और बोला हे भगवान् मुझे ब्रह्म का ज्ञान दीजिए उसको कहा तप से ब्रह्म को जानने की इच्छा करो तप ही ब्रह्म है

उसने तप किया उसने तप करके।

प्राण ब्रह्म है, यह जाना। प्राण से ही ये सब भूत जनमते है, जनमें हुए प्राण से ही जीेते है। मरने वाले प्राण में ही लीन होते है। यह जानकर भृगु फिर से पिता वरूण के पास आया और बोला मुझे ब्रह्म का ज्ञान दीजिये। उसको वरूण ने कहा तप से ब्रहा को जानने की इच्छा करों तप ब्रहा है, उससे भृगु ने तप किया उसने तप करके मन ब्रह्म है यह जाना मन से ही ये सब भूत जनमते है, जनमें हुए मन से ही जीते है, मरने वाले मन में ही लीन होते है।

आनंद ब्रह्म है, यह जाना आनंद से ही ये सब भूत जनमते है। जनमें हुए आंनद से ही जीते है। मरने बाले आंनद में ही लीन होते है भृगु की सुनी हुई और वरूण की कही हुई यह विद्या है। परम आकाश यानी हदयाकाश में स्थित है। जो ऐसा तप करके जानता है। वह आनंद ब्रह्म में स्थित होता है, वह अन्नवान् और अन्न खाने वाला बनता है प्रजा पशु ब्रह्म तेज के कारण महान होता है कीर्ति से भी महान् होता है।[5] 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' ब्रह्म अनन्त है क्योकि सभी सृष्टि पदार्थो में वह निश्चय ही अनुस्यूत है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. तैत्तिरीयोपनिषद् वाहिनी पृ.74-81
2. तैत्तिरीयोपनिषद् 2/1/1
3. तैत्तिरीयोपनिषद् 2/4/2
4. तैत्तिरीयोपनिषद् 3/2
5. तैत्तिरीयोपनिषद् 2/16

****

जगद्गुरु आदि शंकराचार्य प्रणीत हठयोग-साधना

डॉ. पुनीत कुमार मिश्र *

प्रस्तावना - जगद्गुरु आदि शंकराचार्य अद्वैत वेदान्त के प्रणेता हैं। भारतीय आस्तिक षड्दर्शनों में वेदान्त दर्शन का स्थान सर्वोपरि है। इस दर्शन की एक मुख्य विशेषता है कि यह दर्शन केवल भारतीय दर्शन के ही नहीं बल्कि हिन्दू धर्म के प्रतिनिधि विचारों को भी प्रकट करने वाला दर्शन है। भारतीय प्राचीन परम्परा एवं स्मार्त सम्प्रदाय में आदि शंकराचार्य को भगवान् शिव का अवतार माना जाता है।[1]

आचार्य शंकर का जन्म दक्षिण भारत में केरल राज्य के कालड़ी नामक ग्राम में प्रतिष्ठित नम्बुदरि ब्राह्मण कुल में वैशाख शुक्ल पंचमी तिथि ई. सन् 788 तथा मोक्ष उत्तर भारत में उत्तरांचल राज्य के पवित्रधाम केदारनाथ में ई. 820 को हुआ था- ऐसा माना जाता है। भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृति और अध्यात्मज्ञान को संरक्षित, सवंर्धित और अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आचार्य शंकर का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा हेतु भारत

देश की चारों दिशाओं में चार मठों की स्थापना की। भारत के पूर्वी भाग- उड़ीसा राज्य के जगन्नाथपुरी में **गोवर्धन मठ** है, इस मठ का महावाक्य **'प्रज्ञानं ब्रह्म'** है और इस मठ के अन्तर्गत **'ऋग्वेद'** को रखा गया है। भारत के पश्चिमी भाग- गुजरात राज्य के द्वारका धाम में **शारदा मठ** है, इस मठ का महावाक्य **'तत्त्वमसि'** है और इस मठ के अन्तर्गत **'सामवेद'** को रखा गया है। भारत के उत्तरी भाग- उत्तरांचल राज्य के बद्रीनाथ में **ज्योतिर्मठ** है इस मठ का महावाक्य **'अयमात्मा ब्रह्म'** है। इस मठ के अन्तर्गत **'अथर्ववेद'** को रखा गया है और भारत के दक्षिणी भाग- कर्नाटक राज्य के चिकमंगलूर नामक स्थान पर **श्रृंगेरी मठ** है, इसे वेदान्त ज्ञान मठ भी कहते हैं, इस मठ का महावाक्य **'अहं ब्रह्मास्मि'** है और इस मठ के अन्तर्गत **'यजुर्वेद'** को रखा गया है।[2] सनातन-हिन्दू धर्म और भारतीय संस्कृति-अध्यात्म ज्ञान की रक्षा हेतु आचार्य शंकर द्वारा स्थापित चारों मठ उनके महत्त्वपूर्ण और अतुलनीय योगदान का साक्षात् और जीवन्त उदाहरण पूरे भारत के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहर केन्द्रों के रूप में स्थित है। आचार्य शंकर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि-

अष्टवर्षे चतुर्वेदी द्वादशे सर्वशास्त्रवित्।
षोड्शे कृतवान भाष्यं द्वात्रिंशे मुनिरभ्यगात्।।[3]

अर्थात्- आचार्य शंकर आठ वर्ष की अवस्था में वेदों से भलीभाँति परिचित हो गये थे, बारह वर्ष की आयु में सभी शास्त्रों के ज्ञाता तथा सोलह वर्ष की अवस्था में भाष्यों की रचना की और 32 वर्ष की आयु में देह त्याग दिया।

आचार्य शंकर सात वर्ष की आयु में अपनी माता से अनुमति लेकर संन्यास ग्रहण कर, जीवन के महान आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए घर से निकल पड़े। वह केरल से लंबी पदयात्रा करते हुए नर्मदा नदी के तट पर स्थित ओंकारनाथ पहुँचे और वहाँ पर गुरु गोविन्दपाद जी से योगविद्या तथा अद्वैतब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने लगे।[4] योग-साधना के सतत् अभ्यास से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति संभव है। **'ज्ञानान्मुक्ति:'**[5] अर्थात् चेतन और अचेतन के भेद से साक्षात्कार होने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस जन्म में आत्मा का ज्ञान होना ही चाहिए, यदि वह जान लिया जाए तो पारमार्थिक तत्त्वरूप प्राप्त हो जाएगा अर्थात्- मनुष्य जीवन सफल समझना चाहिए और यदि उसे नहीं जाना तो जीवन वृथा हो जाएगा और जीव, जन्म-मरण के चक्र में फंसा रहेगा। अत: उस मोह माया जाल को भंग करने के लिए आत्मतत्त्व को जानना अत्यन्त आवश्यक है। **'अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्तव ज्ञानार्थ दर्शनम्'**[6] अर्थात्- अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्त्वज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना- यह सब ज्ञान है। जिस ज्ञान द्वारा आत्मवस्तु और अनात्मवस्तु जानी जाए, उसे अध्यात्मज्ञान कहते हैं।[7] **'नित्यानित्य वस्तु विवेक:'**[8] अर्थात्- नित्य और अनित्य वस्तु का स्पष्ट रूप से भेद होकर वस्तु के यथार्थ स्वरूप की निश्चितता का बोध हो उसे विवेकज्ञान कहते हैं। जिस प्रकार रोग की निवृत्ति होकर स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार मोह-माया जाल से आवृत (रोगी) मनुष्य को ज्ञानरूपी औषधि देकर द्वैत प्रपंच रूपी रोग का शमन (शांत) होने पर स्वास्थ्य यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है।[9] आत्मा की अपने स्वरूप में अवस्थिति मोक्ष है[10] और मोक्ष नित्य आनन्द की प्राप्ति है।[11] आत्मज्ञान ही पूर्ण ज्ञान है, आत्मज्ञानी साधक मोक्ष इसलिए प्राप्त करता है क्योंकि **'आत्मा ब्रह्मैव भवति'**[12] अर्थात्- आत्मा, ब्रह्म होती है, **'ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति'**[13] अर्थात्- ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है। अत: आत्मज्ञानी साधक ब्रह्मज्ञान से परिपूर्ण होता है। **'ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्'**[14] अर्थात्- ज्ञानी तो साक्षात् मेरा स्वरूप ही है। **'नास्तिज्ञानात्परो बन्धु:'**[15] अर्थात्- ज्ञान से बढ़कर दुनिया में कोई मित्र नहीं है यानी ज्ञान ही सच्चा साथी है जो समस्त प्रकार के सांसारिक बन्धनों से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। ज्ञान ही ऐसा प्रकाश है, जो अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर **'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापर:'**[16] अर्थात्- ब्रह्म सत्य है,

* योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक, पं.श्रीराम शर्मा आचार्य पारमार्थिक चिकित्सालय, गायत्री तपोभूमि, मथुरा (उ.प्र.)भारत

जगत् मिथ्या है तथा जीव (आत्मा) ब्रह्म ही है, अन्य नहीं है, का बोध कराता है। **'नास्ति योगात्परम् बलम्'**[17] अर्थात्– योग से बढ़कर कोई बल नहीं है यानी योग को मानवीय जीवन की दिव्य आधारभूत आध्यात्मिक शक्ति माना गया है; यही एक ऐसी शक्ति है, जिसका सहारा लेकर जीवात्मा, मन और इन्द्रियों सहित सम्पूर्ण शरीर को वश में रखता है। **'बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु: परमां गतिम्'**[18] अर्थात्– योग–अभ्यास करते–करते मन के सहित सभी इन्द्रियाँ भली–भाँति स्थिर हो जाती हैं। बुद्धि भी परमात्मा के स्वरूप में अचलभाव से स्थित हो जाती है। जिससे उसको परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी विषय का ज्ञान ही नहीं रहता है। **'तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरांइन्द्रियं धारणाम्'**[19] अर्थात्– इन्द्रिय, मन और बुद्धि की स्थिर धारणा का नाम योग है। योग ही एक ऐसा साधन है जो मोक्ष प्राप्ति का मूल कारण है और मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान द्वारा ही संभव है **'तथा योगेन रहितं ज्ञानं मोक्षाय नो भवेत'**[20] अर्थात्– योग से रहित ज्ञान भी मोक्षदायक नहीं होता है क्योंकि बिना योग के ज्ञान नहीं होता है और बिना ज्ञान के योग नहीं होता है, इसलिए दोनों का सतत् अभ्यास करना चाहिए। **'योगांगानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्याते:'**[21] अर्थात्– योग के अंग का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का नाश होने पर ज्ञान का प्रकाश विवेकख्याति पर्यन्त हो जाता है।

आचार्य शंकर ने हठयोग–साधना के अन्तर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, तीन प्रकार के बन्धों, नादानुसंधान–नादयोग का वर्णन किया है, योग–साधना के साधक तत्त्वों का पालन करने पर जोर देते हुए कहते हैं कि–

योगस्य प्रथमं द्वारं वाङ्निरोधोऽपरिग्रह:
निराशा च निरीहा च नित्यमेकान्त शीलता।।[22]

अर्थात्– योग का पहला द्वार वाणी को रोकना, द्रव्य का संग्रह न करना, लौकिक पदार्थों की आशा छोड़ना, तथा कामनाओं का त्याग और नित्य एकान्त में रहना चाहिए। एकान्त सेवन इन्द्रिय दमन का कारण है, इन्द्रिय दमन चित्त के निरोध का कारण है और चित्त के निरुद्ध हो जाने से योगी को ब्रह्मांड रस का अविचल अनुभव होता है। अत: योगाभ्यासी साधक को सदा प्रयत्नपूर्वक चित्त का निरोध करना चाहिए। **'योगश्चित्ता वृत्तिनिरोध:'**[23] अर्थात्– चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। मुनि पतंजलि के अनुसार योग–साधना की शुरुआत यम से होती है, ठीक इसी प्रकार आचार्य शंकर ने हठयोग–साधना का वर्णन किया है–

यम– सर्वं ब्रह्मेति विज्ञानादिन्द्रिय ग्राम संयम:।
यमोऽयमिति सम्प्रोक्तोऽभ्यसनीया मुहुर्मुह:।।[24]

अर्थात्– सब ब्रह्म ही है, इस तथ्य द्वारा इन्द्रिय समूह का संयम यम कहलाता है जो बार–बार अभ्यास करने योग्य है। मुनि पतंजलि ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह इन पांच अंगों को यम कहा है।[25]

नियम– सजातीय प्रवाहश्च विजातीय तिरस्कृति:।
नियमो हि परानन्दो नियमात्क्रियते बुधै:।।[26]

अर्थात्– सजातीय प्रत्यय का प्रवाह तथा विजातीय प्रत्यय का त्याग परमानन्द देने वाला नियम है। बुद्धिमान इसी नियम के पालन को नियम कहते हैं। मुनि पतंजलि ने शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्रणिधान[27] इन पाँच अंगों को नियम बताया है।

आसन– सुखैनैव भवेद्यस्मिन्नजस्त्रं ब्रह्मचिन्तनम्।
आसनं तद्विजानीयान्नेतरत्सुख नाशनम्।।[28]

अर्थात्– जिस प्रकार सुख से अजस्त्र ब्रह्म का चिन्तन हो सके उसे आसन समझना चाहिए, इससे भिन्न सुखनाशन है। ब्रह्मसूत्र के अनुसार– **'आसीन: सम्भवात्'**[29] अर्थात्– साधना का प्रथम सोपान आसन ही है जिससे शरीर स्थिर हो सके। योगसूत्र के अनुसार– **'स्थिर सुखमासनम्'**[30] अर्थात् आसन वही है, जिसमें स्थिर होकर सुखपूर्वक बैठा जा सके। आचार्य शंकर साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ आसन सिद्धासन बताते हैं।

प्राणायाम– चित्तदि सर्वभावेषु ब्रह्मत्वेनैव भावनात्।
निरोध: सर्ववृत्तीनां प्राणायाम: स उच्यते।।[31]

अर्थात्– चित्तादि सभी वृत्तियों में सब ब्रह्म ही है, इस भावना के द्वारा समस्त वृत्तियों का जो निरोध है, वह प्राणायाम कहलाता है। मुनि पतंजलि के अनुसार– **'तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर्गतिविच्छेद: प्राणायाम:'**[32] अर्थात्– श्वास–प्रश्वास की गति का विच्छेद (रुकजाना) ही प्राणायाम है। आचार्य शंकर के अनुसार– प्रपंच का निषेध करना रेचक प्राणायाम[33], मैं ब्रह्म ही हूँ, ऐसी जो वृत्ति है, वह पूरक प्राणायाम[34] और ब्रह्माकार वृत्ति की निश्चलता ही कुंभक प्राणायाम कहलाता है[35] प्राणायाम मन को निश्चल करने का साधन है और श्वास को नियम बद्ध करके मन को भी एकाग्र करता है[36]। प्राणायाम का अभ्यास करते समय साधक को अपने मन में विनय भाव तथा भगवद्भक्ति रखना चाहिए।

प्रत्याहार–विषयेष्वात्मतां दृष्ट्वा मनसश्चिति मज्जनम्।
प्रत्याहार: स विज्ञेयोऽभ्य सनीयो मुमुक्षुभि:।।[37]

अर्थात्– विषय आत्मस्वरूप ही हैं, यह देखकर मन वहीं चिदात्मा में डूब जाये, प्रत्याहार कहलाता है। योगसूत्र के अनुसार– **'स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार:'**[38] अर्थात्– इन्द्रियों का अपने चित्त के स्वरूप में तदाकार–सा हो जाना ही प्रत्याहार है।

आचार्य शंकर ने प्रबोध सुधाकर में नादानुसन्धान का वर्णन किया जो मन को लय करने का सर्वोत्तम साधन है, जिसका वर्णन इस तरह से है– जब एक क्षण या आधे क्षण के लिए स्वरूप का चिन्तन किया जाता है तब सीधे कान में अनाहत शब्द सुनाई देता है[39]। नादानुसन्धान, मन सिद्धि के आरंभ, स्थिरता, विश्राम, विश्वास और वीर्य शुद्धि बतलाने वाला परम चिन्ह है[40]। मन तो भेदी, मृदंग और शंख आदि के आघात्जन्य नादों में भी एक क्षण के लिए मग्न हो जाता है फिर इस मधुवत्, मधुर, अखण्डित और स्वच्छ अनाहत नाद की तो बात ही क्या है[41]? विषयों से उपरत होकर मन जैसे–जैसे स्थिर होता जाता है, वैसे–वैसे ही बांसुरी के शब्द के समान दीर्घ और स्फुट नाद सुनाई पड़ने लगता है[42]। नाद के भीतर रहने वाली जो ज्योति है, उसमें यदि मन चिरकाल तक लीन हो जाए तो फिर मनुष्य संसार बन्धन में नहीं बंधता[43]। यद्यपि चित्तलय के और भी अनेक उपाय हैं तथापि जो चित्तलय दीर्घकाल तक नादानुसंधान करते हुए परमानन्द का अनुभव होने से प्राप्त होता है, वह सर्वोत्तम है[44]। आचार्य शंकर योगतारावली में भी मन को लय करने के साधनों में नादानुसन्धान का वर्णन करते हैं–

नादानुसन्धान! नमोऽस्तु तुभ्यं,
त्वां साधनं तत्तव पदस्य जाने।
भवगत्प्रसादात् पवनेन साकं,
विलीयते विष्णु पदे मनोये[45]**।।**

अर्थात्– हे भगवन्! हे नित्य निरंतर अभ्यांतर निनादित होने वाले महाप्रणव नादानुसन्धान! तुम्हें शतश: नमन हो। आपके लिए मैं स्वप्राणों को समर्पित करता हूँ, क्योंकि परम अद्धितीय पूर्णानन्द स्वरूप ब्रह्मतत्तव के ज्ञान का आपको ही एकमात्र साधन जानते हैं। इस नादानुसंधान का वर्णन हठयोग प्रदीपिका नामक ग्रन्थ के चतुर्थ उपदेश में भी वर्णित है। **'प्रोक्तं गोरक्षनाथेन नादोपासनमुच्यतेय**[46] अर्थात्– यह नाद का अनुसंधान गुरु

गोरखनाथ महान पुरुष ने कहा है और यह अवश्य करने योग्य है **'नादानुसंधानकमेकमेव मन्यामहे मुखतमं लयानाम्'**[47] श्री आदिनाथ जी नादानुसंधान को ही केवल अत्यन्त मुख्य लय के साधनों में मानते हैं क्योंकि वह सबसे उत्तम है और जो गोरखनाथ को भी अभिमत है। अत: यह अवश्य करने योग्य है[48]। हठयोग प्रदीपिका में नादानुसंधान के लिए शाम्भवी मुद्रा[49] और परांड्मुखी नाड़ी[50] से नाद के अनुसन्धान का वर्णन मिलता है।

आरंभश्च घटश्चैव तथा परिचयोऽपि च।
निष्पत्तिः सर्वयोगेषु स्यादवस्था चतुष्टयम्[51]**।।**

इस तरह नादानुसंधान की चार अवस्थाएँ आरंभ, घट, परिचय और निष्पत्ति का वर्णन मिलता है। नादानुसंधान करने में ही अखण्ड सुख मिलता है और लय से उत्पन्न हुआ यह सुख राजयोग से प्राप्त है[52]। नाद के अनुसंधान का आनंद गुरु की दीक्षा से ही प्रतीत होने लगता है[53]। घेरण्ड संहिता में महर्षि घेरण्ड नाद योग समाधि का वर्णन करते हैं- आन्तरिक ध्वनि या भ्रमर नाद पर दीर्घ काल तक मन को केन्द्रित करने से अन्त:करण समाधि की अवस्थाओं में डूब जाता है, इसको नाद समाधि कहते हैं। महर्षि घेरण्ड के अनुसार- एक बार जब मन भ्रामरी नाद में लग जाए, तब वह सभी प्रकार के प्रत्यनों को भूलकर, सभी प्रकार के अनुभवों से मुक्त होकर, बाह्य अनुभवों को निर्मूल कर केवल अंतर्ध्वनि में रम जाता है और वही ध्वनि पूरे शरीर में गुंजायमान होने लगती है, तब वह स्थिति नाद समाधि की होती है। जिसमें स्वस्फूर्त ढंग से सोऽहम् ध्वनि का ज्ञान होता है[54], यही नाद समाधि की पराकाष्ठा का सुफल है।

आचार्य शंकर त्रिबन्धों- मूलबन्ध, उड्डियान बन्ध तथा जालन्धर बन्ध को भी बताते हैं-

जालन्धरोऽयाणन मूल बन्धान्।
जलपन्ति कण्ठोदर पायुमूलान[55]**।।**

यह नादयोग जालन्धरादि बन्धत्रय की सम्यक्, सिद्धि होने पर सुषुम्ना में अभिव्यक्ति होता है। इन बन्धों के सम्यक स्वरूप से सिद्ध होने पर ही नादानुभूति होती है। अत: इसका क्रमश: कण्ठ, उदर और पायुमूल में अभ्यास करना चाहिए। इन त्रिबन्धों का वर्णन हठयोग के सभी ग्रन्थों में मिलता है। **'केवलं राजयोगाय हठविद्योपदिश्यतेय'**[56] अर्थात्- केवल राजयोग के लिए ही हठयोग विद्या का उपदेश है यानी योग साधना-अभ्यास का अन्तिम लक्ष्य असम्प्रज्ञात समाधि है। हठयोग साधना राजयोग के लिए एक सीढ़ी के रूप में कार्य करती है, साधन रूप में है जो साधक को सर्वोच्च और उच्चतम लक्ष्य तक पहुँचाती है।[57]

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1 आदि शंकराचार्य- विकिपीडिया।
2 चार मठ- विकिपीडिया।
3 भारतीय दर्शन, शोभानिगम, पृ. 219
4 आदि शंकराचार्य- विकिपीडिया
5 सांख्य एवं योगदर्शन, पं.श्रीराम शर्मा, 3/23
6 श्रीमद्भगवद्गीता, 13/11
7 श्रीमद्भगवद्गीता पृ. 169
8 तत्तवबोध एवं आत्मबोध, 3
9 माण्डूक्यकारिका भाष्य, भूमिका, पृ. 2
10 भारतीय दर्शन, शोभा निगम, पृ. 238
11 भारतीय दर्शन, शोभा निगम, 239
12 भारतीय दर्शन की रूपरेखा, प्रो. हरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, पृ. 304
13 भारतीय दर्शन, शोभा निगम, पृ. 220
14 श्रीमद्भगवद्गीता, 7/18
15 घेरण्ड संहिता, स्वामी निरंजनानंद सरस्वती, पृ. 5
16 भारतीय दर्शन की रूपरेखा, प्रो. हरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, पृ. 804
17 घेरण्ड संहिता, स्वामी निरंजनानंद सरस्वती, 4
18 कठोपनिषद्, 2/3/10
19 कठोपनिषद् 2/3/11
20 योगबीज, 69
21 योगसूत्र, 2/28
22 विवेक चूड़ामणि, 368
23 योगसूत्र, 1/2
24 अपरोक्षानुभूति, 104
25 योग-दर्शन, हरिकृष्णदास गोयन्दका, पृ. 63
26 अपरोक्षानुभूति, 105
27 योग-दर्शन, हरिकृष्णदास गोयन्दका, पृ. 65
28 अपरोक्षानुभूति, 112
29 ब्रह्मसूत्र, 4/1/7
30 योगसूत्र, 2/46
31 अपरोक्षानुभूति, 116
32 योगसूत्र, 2/49
33 अपरोक्षानुभूति प्रवचन, पृ. 271
34 अपरोक्षानुभूति प्रवचन, पृ. 271
35 अपरोक्षानुभूति प्रवचन, पृ. 271
36 भजगोविन्दम् स्तोत्र, पृ. 44
37 अपरोक्षानुभूति, 121
38 योगसूत्र, 2/54
39 प्रबोध सुधाकर, 144
40 प्रबोध सुधाकर, 145
41 प्रबोध सुधाकर, 146
42 प्रबोध सुधाकर, 147
43 प्रबोध सुधाकर, 148
44 प्रबोध सुधाकर, 149
45 योगतारावली, 4
46 हठयोग प्रदीपिका, 4/65
47 हठयोग प्रदीपिका, 4/66
48 हठयोग प्रदीपिका, पृ. 181
49 हठयोग प्रदीपिका, पृ. 181
50 हठयोग प्रदीपिका, पृ. 182
51 हठयोग प्रदीपिका, 4/69
52 हठयोग प्रदीपिका, पृ. 186
53 हठयोग प्रदीपिका, पृ. 187
54 घेरण्ड संहिता, स्वामी निरंजनानन्द सरस्वती, पृ. 371-372
55 योग तारावली, 5
56 हठयोग प्रदीपिका, 1/2
57 हठयोग प्रदीपिका, पृ. 3

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) July to September 2017, Vol. II

भावदेव सूरि के काव्यगुण के स्वरूप का अध्ययन

रश्मि गुप्ता *

शोध सारांश – भावदेव सूरि ने यह स्पष्ट नहीं किया कि काव्य-गुण का स्वरूप क्या है, मम्मट ने काव्य-गुण का स्वरूप बतलाया है। उनके अनुसार 'जिस प्रकार शूरता आदि आत्मा के धर्म हैं, इसी प्रकार जो काव्य में प्रधानतया आत्मवत्वस्थिति रस के धर्म हैं तथा (रस के साथ) नियत स्थिति वाले हैं, ऐसे रसोत्कर्ष के हेतु (धर्म) गुण कहलाते हैं।

श्लेष: प्रसाद: समता माधुर्य सुकुमारता।
अर्थव्यक्तिरूदारत्व: भोज:- कान्ति- समाधय:।।

प्रस्तावना – 'शब्दार्थो च भवेत् काव्यं तौ च निर्दोष सद्गुणौ सालड़कारौ सतामिष्टौ' यह जो काव्य का लक्षण किया था। उसमें 'सगुणौ' भी शब्दार्थो का एक विशेषण है। इस विशेषता के स्पष्टीकरण के लिए गुणों का विवेचन किया जा रहा है, पहले (तृतीय अध्याय में) काव्य में त्याग करने योग्य होने के कारण कुछ दोष कहे गए। अब काव्य के लिए उपयोगी कुछ गुणों का वर्णन किया जा रहा है।

व्याख्या – काव्य विवेचना के प्रारम्भिक काल से ही काव्य गुणों का उल्लेख होता रहा है। भरत मुनि ने 'माधुर्य' तथा 'औदार्य' आदि का उल्लेख किया है तथा 'ओज' आदि का स्वरूप भी बतलाया है। प्राय: सभी आलड़ कारिकों ने अपनी-अपनी दृष्टि से गुण को परिभाषित किया उसके भेदों को भी बतलाया।

अवतरिणका – प्रस्तुत कारिका में दस गुणों का नामत: निर्देश किया है कि काव्य में श्लेष, प्रसाद आदि दस गुण होते हैं-

अनुवाद – भलेश, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमरता, अर्थ व्यक्ति उदारता, ओज, कान्ति एवं समाधि ये दस गुण होते हैं।

व्याख्या – भावदेव सूरि ने श्लेष, प्रसाद आदि दस गुण स्वीकार किए हैं। यह दस गुणवादी मत नाट्य सूत्रकार भरत समर्थित हैं। 'भरत ने' काव्यस्य गुणा दशेते'। कहा है, इससे स्पष्ट है कि भरत को भी दस गुण ही मान्य है।

दण्डी भी दस गुण मानते हैं। इन दसविध गुणों में श्लेष, समता, सुकुमरता तथा ओज ये चार शब्द गुण हैं। प्रसाद, अर्थ, व्यक्ति, उदारता, कान्ति और समाधि ये पांच अर्थ गुण हैं और माधुर्य शब्दार्थोमय गुण हैं। यह दण्डी का मत है।

मम्मट के अनुसार – 'माधुयौज: प्रसादाख्यास्त्रयस्ते न पुनर्दश।' अर्थात् माधुर्य ओज एवं प्रसाद ये तीन गुण हैं, दस नहीं। वामन ने दस शब्द गुण एवं दस अर्थ गुण पृथक-पृथक स्वीकार किए हैं।

विशेष – इन गुणों का होना वैदर्भी रीति का प्राण माना गया है। गौड़ी रीति में इन गुणों का विपर्य' होता है। विपर्य' शब्द से यहाँ आत्यांभाव और आंशिक सम्बन्ध दोनों विवक्षित है। गौड़ी रीति में इन गुणों का सर्वात्मना अभाव भी होता है, और कुछ स्थलों में अंशत: इन गुणों का समावेश भी होता है।

श्लेष: मुश्लष्टवर्णत्वं यथा श्रव्यं गुरोवर्च:।
प्रसाद स्फुरूढार्थो यश: कुन्देन्दुसोदरम्।।

अवतरिणका – प्रस्तुत कारिका में पूर्व कथित दस काव्य गुणों में से श्लेष एवं प्रसाद गुणों को सोदाहरण स्पष्ट किया गया है।

अनुवाद – सुश्लिष्ट वर्णता श्लेष है जैसे गुरू का वचन श्रवणीय है। रूढ़ आदि स्फुट (व्यक्त) होना प्रसाद है, जैसे यश कुन्द के पुष्प एवं चन्द्रमा के समान है।

व्याख्या – श्लेष-श्लेष गुण का लक्षण यहाँ 'सुश्लष्टवर्णत्वं' किया गया है। यहाँ सुलिष्ट वर्णता से यह अभिप्राय: है कि परस्पर सम्बद्ध पदों की श्लिष्टता जिससे कि अनेक पद एकवत् आभासित होते हैं। जैसे श्रव्यं गुरोर्वच' अर्थात गुरू का वचन श्रवणीयं है। इस वाक्य में 'श्रव्यं' गुरो: एवं वच: ये तीन पद हैं। परन्तु ये परस्पर इतने सम्बद्ध हैं कि एक ही पद के समान प्रतीत होते हैं, अत: यहाँ श्लेष गुण है।

वामन के मत से श्लेष शब्द गुण के रूप में अनेक पदों का एकमत आभासित कराने वाली कोमलता है और अर्थगुण के रूप में अनेक भावों की संघटना का नाम है। उत्तरवर्ती आचार्य ने प्राय: वामन के शब्द गुण श्लेष के स्वरूप को श्लेष की परिभाषा के रूप में ग्रहण किया। भोज राज के अनुसार 'गुण:' सुश्लिष्टपदता श्लेष इत्थमभिधीयते।

इस श्लेष गुण का अर्वाचीन आचार्य ने ओज में अन्तर्भाव माना है। प्रसाद जो शब्द जिस अर्थ के लिए प्रसिद्ध है। उस प्रसिद्ध अर्थ के लिए प्रसिद्ध शब्दों का प्रयोग किया जाये, वहाँ प्रसाद गुण होता है। दूसरे शब्दों में प्रसिद्ध अर्थ वाली रचना प्रसाद गुण युक्त होती है। जैसे 'यश कुन्देन्दु सोदरम्' अर्थात् 'यश' कुन्द के पुष्प के समान है। यश की उपमा कुन्द एवं इन्दु से रूढ़ है, यह कोई नवीन कल्पना नहीं है, अत: यहाँ प्रसाद गुण है।

प्रसाद गुण की यह परिभाषा भोजराजकृत परिभाषा के निकट है। भोजराज ने भी प्रसाद की परिभाषा इसी प्रकार से की है- 'प्रसिद्धार्थ पदत्वं यत् स प्रसादो निगद्यते'। दण्डी ने भी प्रसिद्ध अर्थ वाली रचना को प्रसाद गुण युक्त माना है। उत्तरवर्ती आचार्यो (मम्मट आदि) ने चिन्त में तत्क्षण व्याप्त हो जाने वाले अर्थ से समन्वित रचना को प्रसाद कहा है।

समता समवर्णत्वं मुखं स्मितसितधुति।
माधुर्य श्रुति- हृत्प्रीति गिरस्ते दुग्धबन्धव:।।

* शोधार्थी (संस्कृत) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

अवतरिणका – प्रस्तुत कारिका में समता एवं माधर्यु गुण को लक्षंण एवं उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया गया है–

अनुवाद – वर्णों का सम होना समता है, जैसे मुख मुस्कुराहट के कारण सफेद कान्ति वाला है। श्रवणेन्द्रिय एवं हृदय की प्रीति माधुर्य है (अर्थात कानो को एवं हृदय को आनन्दित करे) जैसे आपकी वाणी दूध के समान (उज्जवल एवं मीठी) है।

व्याख्या – समता–वर्ण दो प्रकार के होते हैं (1) मृदुवर्ण एवं (2) स्फुट वर्ण। मृदु वर्ण है। ह्रस्व स्वर, वर्ग के अन्याक्षर एवं दन्त्य व्यंजन। स्फुट वर्ण है दीर्घ स्वर, ओष्ठय वर्ण ठ, ड, श, स, ह। इन दोनों के मिश्रित विन्यास को मिश्र वर्ण कहते हैं। इन तीन प्रकारों में से जिस प्रकार के वर्णो से रचना का आरम्भ किया जाए, उसी से उसकी समाप्ति भी हो, यही समता गुण है। जैसे 'मुख स्मितसितधुति' इस वाक्य में सभी वर्ण मृदु है अत: यहाँ समता नामक गुण है। समता गुण का यह लक्षण भोजराज कृत समता गुण के लक्षण के समान है। **भोजराज के अनुसार–**

'यन्मृदु प्रस्फुटोन्मि श्रवणबन्ध विधिं प्रति।
अवैष्येण भणनं समता साऽभिधीयते'।

वामन ने शब्द के गुण के रूप में इसे काव्य बन्ध की अभिन्नता और अर्थ गुण के रूप में वर्ण्य वस्तु के उचित क्रम की रक्षा माना है। मम्मट के अनुसार समता जहाँ मार्गाभेद स्वरूप हैं, वहाँ, वहाँ तो वह गुण के बजाय दोष ही हो जाती है। जहाँ पर वह मार्गाभेद स्वरूपातिरिक्त है। वहाँ पर इसको प्रबन्धानुसार माधुयोज' प्रसादान्यतमान्तभूर्त मान लिया जायेगा। उनका वचन परवर्ती कतिपय आचार्यो ने भी माना, तदनुसार विश्वनाथ तथा हेमचन्द्र ने भी समता को पृथक गुण नहीं माना।

माधुर्य– जो श्रवणेन्द्रिय एवं हृदय को आनन्दित करें ऐसा वाक्य माधुर्य गुण युक्त होता है। जैसे– 'गिरस्ते दुग्धबन्धव:' अर्थात् वाणी दूध के समान उज्जवल एवं मीठी है। यह वाक्य श्रवणेन्द्रिय को भी मधुर लगता है एवं हृदय को भी आनन्दित करता है। अत: यहाँ माधुर्य गुण है।

माधुर्य का यह लक्षण मम्मटकृत माधुर्य गुण के लक्षण के समान हैं मम्मट के अनुसार 'आहलादकत्वं माधुर्य'। वामन ने शब्द के गुण के रूप में इसे लम्बे समासों के अप्रयोग के फलस्वरूप आने वाली अपृथक्पदता अर्थ गुण के रूप में उक्ति वैचत्रय कहा है।

सौकुमार्य तु लालित्यं नीरसोऽयं पुनस्तरू:।
अर्थयक्ति: समग्रार्थो हरि: पातु श्रिय: पति:।

अवतरिका – प्रस्तुत कारिका में सुकुमारता एवं अर्थव्यक्ति गुणों को सोदाहरण स्पष्ट किया गया है–

अनुवाद – लालित्यपूर्ण (सुन्दरतापूर्वक) कथन सुकुमारता है। जैसे यह वृक्ष सूखा है सम्पूर्ण कथन अर्थव्यक्ति है जैसे लक्ष्मी के स्वामी हरि रक्षा करें।

व्याख्या – सुकुमारता : लालित्यपूर्ण कथन करना सुकुमारता लालित्यपूर्ण से तात्पर्य है। सुन्दरतापूर्वक अर्थात् जिसमें कोमल वर्णो का प्रयोग किया गया हो, जैसे 'नीरसोऽयं तरू: (अर्थात् यह वृक्ष सूखा है) इसमें कोमल वर्णो का प्रयोग है। अत: यहाँ सुकमारता नामक गुण हैं। यही बात यदि कठोर वर्णो में कही जाए जैसे–'रूक्षोऽयं वृक्ष: तो यह वाक्य सुकुमारता नामक गुण से रहित कहा जाएगा। सुकुमारता वाक्य में यह आवश्यक नहीं कि सभी वर्ण कोमल हों, अपितु अधिकता कोमल वर्णो की होनी चाहिए।

भोज ने भी सकुमरता गुण का ही ऐसा ही लक्षण किया है। उन्होंने लालित्यं पद को समझाते हुए 'अनिष्ठुराक्षर' पद का प्रयोग किया है सुकुमारता का लक्षण किया है– 'अनिष्ठाक्षरं प्राय: सुकुमार मितिस्मृतम्'। दण्डी के अनुसार 'अनिष्ठुराक्षर प्रायं सुकुमारमिहेष्यते। वामन ने सुकुमारता को शब्द गुण के रूप में कठोरता का अभाव और अर्थ गुण के रूप में अपारूष्य माना है।

अर्थव्यक्ति – सम्पूर्ण अर्थ का कथन अर्थव्यक्ति है, अर्थात् जिस वाक्य में सभी शब्द वाक्यार्थ बोध में अपेक्षित अर्थो का स्पष्टतया बताते हों उस वाक्य में अर्थव्यक्ति नामक गुण माना जाता है। जैसे लक्ष्मी के स्वामी हरि (भगवान विष्णु) रक्षा करें यहाँ 'हरि' पद यदि नहीं कहा जाता तो यह सम्पूर्ण कथन नहीं होता। यहाँ 'हरि' कहने से यह प्रतीत होता है कि रक्षा करने में समर्थ हैं, यत: ऐसी प्रसिद्धि है कि हरि 'भगवान' रक्षा करने में समर्थ हैं। भोजराज ने भी अर्थव्यक्ति का लक्षण इसी प्रकार से किया है– यत्र सम्पूर्ण वाक्यत्वमर्थ व्यक्तिं वदन्ति तामू। विश्वनाथ ने अर्थव्यक्ति का अन्तर्भाव प्रसाद गुण में किया है।

औदार्य तु विदग्धोरिक्त: क्कार्थिनस्त्वपि दातरि।
ओजोऽल्पवर्णे: प्रोढोक्तिर्धर्मस्तेऽसौ जगज्जयी।

अवतरिणका – प्रस्तुत कारिका में उदारता एवं ओज गुणों को सोदाहरण स्पष्ट किया गया है।

अनुवाद – विदग्ध कथन (चातुर्यपूर्ण उक्ति) को औदार्य कहते हैं, जैसे आपके दाता होने पर वाचक कहा है। थोड़े से अक्षरों से प्रौढ़ कथन करना ओज गुण है।

व्याख्या – उदारता ऐसी चातुर्यपूर्ण उक्ति, जिसके द्वारा वर्णनीय वस्तु के लोकोत्तर चमत्कार की अवगति हो उसमें उदारता नामक गुण होता है। जैसे– आपके दाता होने पर याचक कहाँ रहे। अर्थात् आप इतना ध्यान दे देते हैं कि किसी भी याचक को धर्म की आवश्यकता नहीं रहती है। इस वाक्य में चातुर्यपूर्ण उक्ति द्वारा राजा के उदार होने का गुण वर्णित है। अत: यहाँ उदारता गुण है। वामन ने शब्द गुण के रूप में इसे काव्य बन्ध की विकटता और अर्थ गुण के रूप में अग्राम्यत्व कहा है।

ओजस – थोड़े से अक्षरों में प्रौढ़ कथन करना ओज गुण है। थोड़े अक्षरों प्रौढ़ कथन तभी हो सकता है। जब समास युक्त पदावली का प्रयोग किया जाए। अत: समास की बहुलता होने पर ओज गुण माना जाता है। जैसे– 'धर्मस्तेऽसौ जगज्जयी' अर्थात् आपका यह धर्म जगत् विजेता है। इस वाक्य में समास युक्त पदावली का प्रयोग किया गया है। अत: यहाँ 'ओजस्' गुण है।

दण्डी ने भी समाज की बहुलता को ओजो गुण का लक्षण माना है। वामन के अनुसार शब्दगत ओजस का लक्षण है। 'गाढ़बन्धत्व भोज:' तथा अर्थगत ओजस का लक्षण है–

'चित्तस्यविस्तारस्मदीप्त त्वजनभोज:'
कान्ति: सर्वजनत्येष्ट जन्मेऽध त्वदीक्षणात।
समाधिरर्थमाहात्म्यं पदमोनमेश: प्रभोदय:।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. काव्यप्रकाश, मम्मट, पृ.2
2. साहित्य दर्पण, विश्वनाथ, पृ.25
3. ध्वन्यालोक, आनन्द वर्धन (स.सं.)
4. ध्वन्यालोक, आनन्द वर्धन (स.सं.)
5. काव्यालंकार, दण्डी, पृ.85
6. काव्यद, दण्डी, पृ.1–100

शतपथ ब्राह्मण में ब्रह्म का महत्व

विष्णु उपाध्याय *

शोध सारांश – शतपथ ब्राह्मण में ब्रह्म का सृष्टि उत्पत्तयादि कार्यो में प्रजापति के सहायक रूप में वर्णन है। पुन: इसे ही सृष्टि का पूर्वतत्तव एवं द्यावापृथ्वी को धारण करने वाला अन्तत: इसे ही सत्यम्, ज्ञानं, अनंत कह दिया गया है। एतदर्थ यह कथन कि इस परम यथार्थ में जिसे वेदों में आद्यमूल की तरह माना गया है, मनस् का बीज सन्निहित था, जो बाद में समग्र विभेदीकरण का आदि उद्गम बना, यह भी संकेत देता है कि अन्तत: इस परममूल यथार्थ का भी आदि चेतना जैसी भी कुछ स्वरूप रहा होगा, जिससे कि वह पृथक् नहीं किया जा सकता है।

प्रस्तावना – वेदों में आत्मतत्तव को चैतन्य बोधक तत्व के रूप में भी स्वीकार करते हुए प्राण और आत्मन् के अतिरिक्त 'अस' व 'मन'[1] आदि शब्दों का उल्लेख मिलता है। 'मनस्' जिसे विचार, भावना और संवेग का संस्थान स्वीकृत किया गया था, हृदय में स्थित कहा गया है। **अथर्ववेद में अनेकश: ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जिनमें जीवन और मृत्यु को ''असु' अथवा 'मनस्' के अस्तित्व अथवा प्रस्थान पर निर्भर बताते हुए ''असुनीति', 'असुनीत' आदि शब्दों में से अग्नि के द्वारा मूलात्माओं के ''इहलोक' और ''परलोक' के मध्यवर्ती मार्ग पर ले जाये जाने का संकेत है।'**[2]

वेदों के दूसरे भाग ब्राह्मण ग्रन्थों में भी आत्म शून्यता नहीं है। **शतपथ ब्राह्मण में मध्यशरीर के लिए त्वक्, शोणित, मांस, मनस्, बुद्धि, अहंकार तथा चित् के लिए 'आत्मा' शब्द प्रयुक्त हुआ है।'**[3] आत्मा को दस प्राणों वाला बताकर उसे ग्यारहवाँ स्वीकार किया गया है। आरण्यकों में आत्मा को विज्ञानमय आनन्दमय आदि कहा गया है। एतदर्थ आत्मा के स्थूलतम तथा परिच्छिन्नतम् रूप से प्रारम्भ कर सर्वव्यापक एवं सूक्ष्मतम् स्वरूप का वर्णन आरण्यकों में हुआ है। आत्मा, परमात्मा के पारस्परिक सम्बन्धों की चर्चा करते हुए कहा गया है–

जीवात्मा, परमात्मा सदा साथ रहने वाले दो मित्र पक्षी हैं। वे इस शरीर रूपी वृक्ष में एक साथ ही हृदय रूपी घोसले में निवास करते हैं। जीवात्मा उस वृक्ष के फल रूपी अपने कर्मों को भोगता है। और परमात्मा साक्षी, चेतना, केवली की भाँति मात्र देखता है। **यही भाव मुण्डक'**[4] **और श्वेताश्वतर'**[5] में भी अक्षरश: प्रतिपादित है।

वेदों में प्रतिपादित अनेकार्थक 'ब्रह्म' शब्द पवित्र ज्ञान, वाणी, मन्त्र, आत्मिक ज्ञानादि के ठोस अभिव्यक्ति के रूप में प्रयुक्त है। ऋग्वेद में प्रयुक्त अधिकांश शब्द मन्त्रार्थक और प्रार्थनार्थक संग्रह भी कालान्तर में 'ब्रह्म' नाम से अभिहित किए गए। **पुन: इन दोनों का समान अर्थ में प्रयोग होने लगा।'**[6]

इन मन्त्रों का अधिक महत्व इसलिए था कि ये न केवल देव–प्रसाद प्राप्ति में सहायक थी, **बल्कि उनके जीवन निर्वाह में भी सहयोगी थी।'**[7] **धीरे–धीरे ब्रह्म को अनन्त,'**[8] **समस्त भूतों का कारण,'**[9] तथा सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को उसका एक पग तथा तीन पग को स्वर्ग में स्वीकार किया गया।

यजुर्वेद में इसे सम्पूर्ण प्रवृत्ति आदि पदार्थों में बाहरी और आन्तरिक अवयवों को व्याप्त करके समस्त जीवों के अन्तर्यामी रूप से सब पाप–पुण्य, कर्मों का ज्ञाता, तदनुसार फलदाता स्वीकार किया गया। हिरण्यगर्भ रूप में वह सम्पूर्ण सृष्टि का सृजनकर्ता, सर्वभूतान्तरात्मा, सर्वद्दष्टा है।

यद्यपि उसकी क्षमता भी हमारे द्धारा ज्ञात अनुभवाश्रित चेतना से नहीं की जा सकती स्पष्ट है। इस युग में उस दार्शनिक भावना का उदय हो चुका था, जो ब्राह्मण युग से होकर उपनिषदीय युग के आदि में समुचित शक्ति संगठित कर लेती है। अत: अब हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मौलिक और आधारभूत यथार्थ के एक सार्वभौम और अन्तरस्थ सिद्धान्त के क्रमिक अन्वेषण के रूप में विकसित होने वाली आदर्शवादी प्रकृतियों का एक सलोच ढाँचा हमें वेदों में प्राप्त होता है। जिसकी अन्तिम पराकाष्ठा उपनिषदों के निरपेक्ष आत्मा के सिद्धान्त में साकार होती है।

ऋग्वेद का यह हेतुवादी चिन्तन कि, मैं वस्तुत: क्या हूँ, मैं नहीं जानता। यह मानव द्धारा स्वयं अपने स्व पर अन्त:प्रेक्षण का सम्भवत: प्रथम द्दष्टान्त है। मैं क्या हूँ, आत्मा क्या है, जैसे आग्रही प्रश्न उपनिषद् में उत्तर पाने के लिए निरन्तर मांग करते रहे हैं, क्योंकि वैदिक ऋषियों द्धारा सन्दर्भित अस्तित्व का कोरापन औपनिषदिक् ऋषियों को सन्तुष्ट नहीं कर सकता था। यहीं से औपनिषदिक् विचारकों ने अपने बौद्धिक तथा व्यवस्थात्मक चिन्तन की परिणति प्रतीक दो उदघोषणाएँ की 'प्रथम, यह कि 'परम् यथार्थ शुद्ध चित् और आनन्द से संगठित एवं नित्य चेतन सिद्धान्त है,' तथा द्वितीय यह कि 'परम यथार्थ स्वत: के स्व से अन्य नहीं है।' ***स्वामी दयानंद*** के अनुसार वेद में ईश्वर अनेक हैं, परन्तु परमेश्वर देवों का देव होने से महादेव इसलिए कहलाते हैं कि जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलयकर्ता एवं न्यायाधीश अधिष्ठाता हैं।

भारतीय आत्मा की प्रेरणादायिनी शक्ति, वैदिक शिक्षाओं के सार, भारतीय अर्वाचीन दर्शन शास्त्रों व धार्मिक सम्प्रदायों के आधार स्तम्भ,'[10] वेदान्त या उपनिषदों को लब्धख्याति जर्मन दार्शनिक 'शोपेनहावर' ने विश्व की उच्चतम दार्शनिक कृति एवं आत्म शान्ति का अपूर्व स्त्रोत कहकर सम्बोधित किया है। उपनिषद् ही हमें ऐसी द्दष्टि दे सकते हैं, जो मनुष्य को धार्मिक, दार्शनिक तथा वैज्ञानिक प्रत्याकांक्षाओं की परितुष्टि कर सकता है।

* शोधार्थी (संस्कृत) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

'ब्लूम फिल्ड' की अभिव्यक्ति तो हिन्दू विचारधारा के सम्पूर्ण महत्वपूर्ण अंगों जिसमें नास्तिक नामधारी बौद्ध भी हैं, का मूल उपनिषदों में ही स्वीकार करती है। अस्तु यद्यपि पुष्ट प्रमाणों के अभाव में उपनिषदों की तिथि अद्यावधि विवाद का विषय है, फिर भी गूढ़ अध्ययन के फलस्वरूप यह अवान्तर आध्यात्मिक निष्कर्ष नि:सरित होता है कि मानवाध्यात्मिक भावनाओं की अभिव्यक्ति रूप वैदिक ऋचाओं की दार्शनिक अभिव्यक्ति, भारतीय विचार शास्त्र के उपजीव्य एवं प्रस्थानत्रयी के प्रथम पुष्प उपनिषदों में हुई है।

रहस्यबोधक उपनिषदों की व्युत्पत्ति, तथान्तर उनके चैतन्यबोधक सिद्धान्तों की व्याख्या, एवम् उपलब्ध होती है– ***एम. हिरियन्ना*** के अनुसार पुराने भारतीय टीकाकारों के द्वारा प्रतिपाद्य उपनिषद् शब्दार्थ ऐतिहासिक या भाषा शास्त्रीय दृष्टिकोण से सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने पूर्व प्रतिपादित दीर्घकालीन प्रयोगों के फलस्वरूप उन्हीं अर्थों का सम्भाव्य पृष्टप्रेक्षण किया है, फिर भी सौभाग्य से इस शब्द का उपनिषदीय प्रयोग ही इसके रहस्यात्मक प्रयोग को इंगित करता है, जिसके अनुसार प्रथमत: 'उप', 'नि' उपसर्ग के साथ 'सद्' धातु में 'क्विप्' प्रत्यय से लब्ध उपनिषद् शब्द में प्रयुक्त 'सद्ल' (सद्) धातु के तीन सम्भव स्वीकार्य अर्थ–विशरण (नाश), गति (ले जाना) तथा अवसादन (शिथिल करना) का सामान्यतया सम्पूर्ण संसार–बीज का नाश, ब्रह्म साक्षात्कार, पूर्वजन्म हेतु कर्मों का शिथिलीकरण, यह अर्थ अभिप्रेत है। द्वितीयत:, व्युत्पत्यानुसार इसका अर्थ निष्ठापूर्वक (नि) निकट (उप=सामीप्यम्) बैठना (सद्) और कालान्तर में इसका अर्थ गुरू के पास रहस्य ज्ञान प्राप्तार्थ बैठना स्वीकार्य हुआ संक्षेपत: 'उप–बह्मसामीप्यम्, नि, निश्चयेन सीदतिप्राप्नोति 'यया सा उपनिषद्।

बह्मात्म्यैकोद्धोषक नानापद्धति विशिष्ट (पहले पद्धति, सूत्र पद्धति, व्युत्पत्ति पद्धति, कथा पद्धति, दृष्टान्त पद्धति, संवाद पद्धति, समन्वय पद्धति तथा प्रमिन पद्धति), आत्म तत्त्व केन्द्रस्थ उपनिषदों में अग्नि और अग्नि के अंश सदृश परमात्मा, आत्मा का अंशी और अंश के रूप में प्रतिपादन किया गया है। किन्तु ऐतिहासिक रूप से विश्व में चेतना की धारण के विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर व्यवस्थापक विमर्श का सम्भवत: निश्चित प्रयास हमें ''ऐतरेय आरण्यक' में पाया जाता है।

यथा–जगत् में इन्द्रियाँ हैं, पशु हैं तथा आत्मा उन सबसे क्रमश: विकसित होता हुआ दृष्टिगत होता है, क्योंकि झाड़ियों तथा द्रव्यों में केवल जीवनरस देखा जाता है, किन्तु सजीव प्राणियों में चित् का अस्तित्व भी है। **सम्भाव्य तथ्यों की व्याख्या, आत्मा शब्द के प्रथमत: 'श्वास' तदनन्तर 'मनुष्य के सार भाग'**[11] तथा कालक्रम से ''चैतन्यार्थ' की पुष्टि करती है। अस्तु सत्यस्वरूप अविनाशी नित्य, व्याप्तकर्ता, ग्रहणकर्ता, विषयभोक्ता तथा जिसका सर्वदा सद्भाव हो ऐसी आत्मा के महत्व को जानो।

मूल मानवोचित जिज्ञासा को उपाख्यानों द्वारा अभिहित किया गया है, यथा 'कठोपनिषद् में' 'नचिकेतोपाख्यान' में 'नचिकेता' के इस जिज्ञास्य आत्मतत्तव को प्रथमत: 'यमराज' सांसारिक विभूति व्यामोह में भुलवाकर इस प्रश्न से विरत करना चाहते थे। किन्तु 'नचिकेता' के सांसारिक विभूति तिरस्कार, प्रबल–हठ करने पर यमराज आत्मा के नित्य, अजन्मा, शाश्वत्, पुरातन स्वरूप का उपदेश देते हैं। यदि मारने वाला (हन्ता) व्यक्ति अपने को मारने वाला (हन्तुं) तथा मारा जाने वाला (हता) अपने को मारा गया (हत्) मानते हैं, तो वे दोनों (ही) आत्मा को नहीं जानते। यह आत्मा न (किसी को) मारता है और न किसी द्वारा मारा जाता है।

यह अणु से भी अणुतर, महान से भी महत्तर, जीव की हृदय रूपी गुहा में स्थित, शरीर रहित, तथा अनित्यों में अनित्य से रहित शरीर रूपी रथ का सारथी तथा शरीर, बुद्धि, मन से अतिरिक्त, महान् है। वृहदारण्यकोपनिषद् में मैत्रेयी याज्ञवल्क्य उपाख्यान में मैत्रेयी द्वारा जिज्ञास्य आत्मतत्तव का उपदेश याज्ञवल्क्य द्वारा इत्थं निरूपित है 'आत्मा ही दर्शनीय, श्रवणीय, मननीय, ध्यातव्य है तथा आत्मा के ही दर्शन, श्रवण, मनन एवं विज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. ऋग्वेद, 1.113.6, 1.140.8.
2. अथर्ववेद, 10.15.4.
3. शतपथ ब्राह्मण, 7.1.1.18.
4. मुण्डकोपनिषद्, 3.1.1.
5. श्वेताश्वतरोपनिषद्, 4.6.
6. हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिट्रेचर्स– विन्टरनित्ज, पृ.348
7. Prayer secured them their means of livelihood keith A.B. : religion & philosophy of the Vedas & Upanishads p. 446
8. तैत्तिरीय ब्राह्मण, 7.3.1–4.
9. यतोवाइमानिभूतानिजायन्ते, येन जातानि जीवन्ति यत्प्रत्यभिसंविशन्ति, तद् विजिज्ञासस्व। तदब्रह्म। – तैत्तिरीय आरण्यक, 9.1.
10. डॉ. एस. राधाकृष्णन, भारतीय दर्शन, भाग–2, पृ.125
11. मैक्समूलर, सिक्स सिस्टम ऑफ इण्डियन फिलॉसफी, पृ.70–72 तथा दृष्टव्य सी.डी. शर्मा, ए क्रिटिकल सर्वे ऑफ इण्डियन फिलॉसफी, पृ.2

****

शिशुपालवध महाकाव्य का महाकाव्यत्त्व

अनिल मुवेल *

प्रस्तावना – महाकवि माघ द्वारा प्रणीत 'शिशुपालवध' महाकाव्य संस्कृत साहित्य की अमूल्य निधि है। यह लौकिक और पारलौकिक अभ्युदय का वह अमृत है जिसे पान कर प्राणी सात्विक विचारधारा से अनुप्राणित होकर सानन्द को प्राप्त होते रहे हैं। आठवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में रचित यह महाकाव्य महाकवि माघ की एक मात्र कृति है, जिसमें आध्यात्मिक एवं लौकिकता का उदात्त समन्वय एक साथ समायोजित हुआ है। महाकवि माघ ने 'शिशुपालवध' महाकाव्य में जीवन परिस्कार और साफल्य की समग्र उद्‌भावनाएँ संयोजित की है। कवि ने सनातन आर्ष परम्परा की संस्कृत जन्य विशिष्टताओं को धार्मिकता के आधार पर देववाणी में काव्यात्मक उपचार वक्रता के साथ प्रणीत किया है।

'शिशुपालवध' महाकाव्य की कथावस्तु पौराणिक आख्यान पर आधारित है। इसका कथानक 'श्रीमद्‌भागवत महापुराण' के दशम स्कन्ध के 74 वें अध्याय एवं 'महाभारत' आर्ष काव्य के सभापर्व (अध्याय 33-45 वें तक) से सम्बन्धित है। बीस सर्गों में विरचित 'शिशुपालवध' महाकाव्य 'बृहत्रयी' का द्वितीय पुष्पक है जिसमें युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में श्रीकृष्ण द्वारा चेदिनरेश शिशुपाल के वध का वर्णन हुआ है। इस छोटी सी कथा को कवि ने रैवतक पर्वत, सेनानिवेश, षडऋतुवर्णन, यदुदम्पतियों के विलासपूर्ण वनविहार, जलक्रीडा, सूर्यास्त, नायक-नायिकाओं के प्रसाधन, मद्यपान, प्रात:काल, आदि वर्णनों से उपबृंहित किया है।

'महाकाव्य' का अर्थ है – 'महान् काव्य' जो 'महत्' और 'काव्य' इन दो पदों के योग से बना है। इन दो पदों का सह प्रयोग सर्वप्रथम वाल्मीकि रामायण के उत्तरार्द्ध में उपलब्ध होता है-

'कर्ता काव्यस्य महत: क्वचासौ मुनिपुड्.गव:।'[1]

'महाभारत' में भी 'महत्' शब्द के प्रयोग का औचित्य बताया गया है-

'महत्त्वाद् भारवत्त्वाच्च महाभारतमुच्यते।'[2]

महाकाव्य को विधा के रूप में प्रतिष्ठापित करने वाले आचार्यों की परम्परा बहुत लम्बी रही है, उन आचायों में भामह, दण्डी, रूद्रट, आचार्य विश्वनाथ इत्यादि का नाम उल्लेखनीय है। लक्ष्य-ग्रन्थों के आधार पर ही समालोचकों ने लक्षणों को अपने लक्षण-ग्रन्थों में प्रस्तुत किया है। महाकाव्य के लक्षणों पर साहित्य मनीषियों द्वारा पर्याप्त मनन एवं मन्थन किया गया है-

1. **आचार्य भामह (700 ई.)–** संस्कृत-साहित्य के निष्णात विद्वान् आचार्य भामह ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'काव्यालंकार' में महाकाव्य के लक्षणों का विस्तृत वर्णन किया है।[3]

2. **आचार्य दण्डी (7 वीं शताब्दी)–** आचार्य दण्डी संस्कृत साहित्य में पद-लालित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपने ग्रन्थ 'काव्यादर्श' में महाकाव्य की रचना-धर्मिता के लक्षणों का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया है।[4]

3. **आचार्य विश्वनाथ (1350 ई.)–** संस्कृत-साहित्य के प्रगल्भ-प्रतिभा सम्पन्न साहित्यकार एवं महान् समीक्षक आचार्य विश्वनाथ द्वारा प्रणीत ग्रन्थ 'साहित्यदर्पण' सर्वोत्कृष्ट स्थान रखता है। उन्होंने 'साहित्यदर्पण' में महाकाव्य के लक्षणों का गहन विवेचन किया है।[5]

साहित्य मनीषियों या काव्य-शास्त्रीय आचार्यों द्वारा वर्णित 'महाकाव्य के लक्षणों में' आचार्य विश्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 'महाकाव्य का लक्षण' अतीव व्यापक एवं भावों की सम्पूर्णता से युक्त है, जो इस प्रकार है-

1. महाकाव्य सर्गो में विभक्त होता है।
2. उसका नायक देवता अथवा धीरोदात्त, कुलीन, क्षत्रिय या एक वंश में उत्पन्न कुलीन अनेक राजा होते हैं।
3. श्रृंगार, वीर और शान्त रसों में से कोई एक प्रधान रस होता है, अन्य रस उसके सहायक होते हैं।
4. इसमें सभी नाटकीय सन्धियाँ होती हैं।
5. इसका कथानक ऐतिहासिक या किसी सत्पुरुष से समबन्धित होता है।
6. इसमें चतुर्वर्ग- धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन होता है।
7. प्रारम्भ में देवादि को नमस्कार , आशीर्वाद या वस्तुनिर्देश होता है।
8. प्रत्येक सर्ग में एक छन्द वाले पद्य रहते हैं, किन्तु, अन्त में छन्द परिवर्तन हो जाता है।
9. इसमें आठ से अधिक सर्ग होते हैं, जो न बहुत छोटे न बहुत बडे होते है।
10. महाकाव्य में कहीं-कहीं विभिन्न छन्दों वाले सर्ग भी होते हैं।
11. सर्ग के अन्त में भावी कथा का संकेत होता है।
12. महाकाव्य में सन्ध्या, सुर्योदय, रात्रि, गोधूलिवेला(प्रदोषकाल), अन्धकार, दिन, प्रात:, मध्याह्न, मृगयाशैल(पर्वत), ऋतु, वन, सागर आदि का मनोहारी एवं हृदयस्पर्शी वर्णन होता है।
13. ग्रन्थ का नाम कवि, कथानक, नायक या प्रतिनायक के नाम पर रखना चाहिए।
14. सर्गो का नामकरण वर्णित कथा के आधार पर होना चाहिए, किन्तु आर्ष महाकाव्यों यथा-रामायण तथा महाभारत का नामकरण आख्यानों के आधार पर है।

आचार्य विश्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 'साहित्य-दर्पण' में उल्लिखित महाकाव्य के लक्षणों का अवलोकन कर ऐसा आभास होता है कि किसी काव्य में इनके निर्वाह से कवि की संरचनात्मकता उद्दीप्त होकर, सहृदयों के चित्तानुरञ्जन में समर्थ होगी। इस दृष्टि से महाकवि माघ की महाकाव्य

* शोधार्थी (संस्कृत) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

विधायिनी शक्ति अभिनन्दनीय है। कवि ने अपनी रचना का नामकरण कथा के केन्द्रीय बिन्दु के आधार पर किया है। वस्तुत: माघ एक समर्थ महाकवि हैं। उन्होंने अपनी तत्त्व विवेचनी प्रज्ञा से महाकाव्य के लक्षणों का 'शिशुपालवध' महाकाव्य में सम्यक् समाहार किया है।

महाकाव्य के लक्षणों का 'शिशुपालवध' महाकाव्य में सम्यक् समाहार-

1. **सर्गबद्धता-** 'साहित्यदर्पण' के विवेचन के आधार पर 'शिशुपालवध' महाकाव्य 20 सर्गों में विभक्त है तथापि 'बृहद्त्रयी' महाकाव्य की श्रृंड्.खला में यह महाकाव्य द्वितीय पुष्प के रूप में महिमा मण्डित है।

2. **नायकत्त्व-** 'शिशुपालवध' महाकाव्य के नायक वासुदेव श्रीकृष्ण हैं वे धीरोदात्त गुणों से विभूषित, क्षत्रिय कुलोत्पन्न एवं समादरणीय हैं-

'उदासितारं निगृहीतमानसै:,
गृहीत मध्यात्मदृशा कथञ्चन।
बहिर्विकारं प्रकृते: पृथग्विदु:,
पुरातनं त्वां पुरुषं पुराविद:।।'[6]

अर्थात्, महाकवि माघ ने शिशुपालवध महाकाव्य के प्रथम सर्ग में महर्षि नारद जी के मुखारविन्द से श्री कृष्ण नायक के तात्त्विक स्वरूप का प्रतिपादन किया हैं-

'कपिल आदि सांख्यशास्त्रियों , योगियों एवं निष्णात् आचार्यों के द्वारा वर्णित प्रकृति से भिन्न रूप में अवस्थित आप ही परम पुरुष के रूप में विराजमान हैं।'

3. **रस-प्रतिपादन-** 'शिशुपालवध' महाकाव्य का अड्.गीरस वीररस है। महाकवि माघ ने अपनी प्रगल्भा के माध्यम से श्रृंड्.गार एवं शान्त रस का भी समाहार किया है-

वीररस-

शत्रूणामनिशं विनाशपिशुन: क्रुद्धस्य चैद्यम्प्रति।
व्योम्नीवभ्रुकुटिच्छलेनवदने केतुश्चकारास्पदम्।।[7]

अर्थात् महर्षि नारद द्वारा शिशुपाल के समस्त कृत्यों को जानकर श्री कृष्ण के हृदय में क्रोध की भावना जाग्रत होती है-

'शिशुपाल के प्रति क्रुद्ध हुए श्रीकुष्ण के आकाश के समान मुख पर सदैव शत्रु विनाश के सूचक केतु ने उत्पात-विशेष ने भृकुटि के बहाने से स्थान ग्रहण किया।'

श्रृंड्.गार रस्-

यां यां प्रिय: प्रैक्षत कातराक्षीं
स सा ह्रिया नम्रमुखी बभूव।
नि:शड्.कमन्या: सममाहितेर्ष्या-
स्तत्रान्तरे जघ्नुरमु कटाक्षै:।।[8]

अर्थात् जब भगवान् श्रीकृष्ण इन्द्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान करते हैं, उस समय मार्ग में स्त्रियों ने उन्हें घेर लिया। भगवान् श्रीकृष्ण जिस स्त्री की ओर दृष्टिपात् करते हैं, वह लज्जाशील हो जाती है और वे जिस भी स्त्री की ओर दृष्टिपात् नहीं करते हैं वह ईर्ष्या के वशीभूत होकर उन वर नयनों से कटाक्ष करती हैं।

4. **नाटकीय सन्धियाँ-** 'शिशुपालवध' महाकाव्य 20 सर्गों में निबद्ध तथा नाटकीय सन्धियों से युक्त है। नाटकीयता का प्रधान गुण संवाद योजना है। संवाद योजना द्वारा कथा विस्तार को पर्याप्त गति प्रदान करते हैं। 'शिशुपालवध' महाकाव्य का प्रारम्भ श्रीनारद एवं श्रीकृष्ण के साथ संवाद प्रकरण से प्रारम्भ होता है तथा एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए विचार विमर्श होता है, जिसका निष्पादन आगामी सर्ग पर समाधानित होता है-

तदेनमुल्लंघितशासनं विधेर्विधेहि
कीनाशनिकेतनातिथिम्।
शुभेतराचारविपक्त्रिमावदो
विपादनीया हि सतामसाधव:।।[9]

अर्थात् देवर्षि नारद भगवान् श्रीकृष्ण से निवेदन कर रहे हैं कि इस स्थिति में शिशुपाल का वध करना आपका परम कर्तव्य है-

'ब्रह्माजी की आज्ञा का उल्लघंन करने वाले इस शिशुपाल को आप यम के भवन का अतिथि बनाइए अर्थात् नष्ट कीजिए, क्योंकि दुराचार के कारण परिपक्व आपत्ति वाले दुष्टजन, सज्जनों द्वारा मारे जाने योग्य होते हैं।'

5. **कथानक-** 'शिशुपालवध' महाकाव्य का कथानक पौराणिक है। इसका कथानक 'श्रीमद्भागवत' के दशम स्कन्ध के 74 वें अध्याय में वर्णित धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा नियोजित राजसूय यज्ञ प्रकरण से उद्धृत् किया गया है। महर्षि वेदव्यास द्वारा प्रणीत 'महाभारत' महाकाव्य के सभापर्व के 33 वें से 45 वें तक कुल 13 अध्यायों में शिशुपालवध की कथा उपलब्ध होती है। इस प्रकार शिशुपालवध महाकाव्य की कथा ऐतिहासिक, पौराणिक, देशोद्धारपरक एवं सत्पुरुष श्रीकृष्ण से सम्बन्धित है।

6. **चतुर्वर्ग-धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष का वर्णन-** 'शिशुपालवध' महाकाव्य में महाकवि माघ ने धर्म और मोक्ष का विशद् वर्णन किया है। धर्म की रक्षा के लिए भगवान वासुदेव श्रीकृष्ण का अवतार पृथ्वी पर हुआ है। जब-जब धरा पर धर्म का विनाश होता है, सज्जनों पर अत्याचार होता है, तब-तब भगवान् अपनी विभिन्न कलाओं के साथ पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, यही श्रीमद्भगवत्गीता का भी सन्देश है-

'परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।
धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि येुगे-युगे।।'[10]

महाकवि माघ ने शिशुपाल को धर्म विरोधी, अत्याचारी तथा सज्जनों पर अनाचार करने वाला बतलाया है। देवर्षि नारद, शिशुपाल के, द्वारा समस्त संसार को प्रताड़ित किए जाने का वर्णन भगवान् श्रीकृष्ण से कर रहे हैं-

बलावलेपादधुनापि पूर्ववत्-
प्रबाध्यते तेन जगज्जिगीषुणा।
सतीव योषित्प्रकृति: सुनिश्चला
पुमांसमभ्येति भवान्तरेष्वपि।।[11]

अर्थात् विजय की इच्छा रखने वाले उस शिशुपाल द्वारा इस समय भी पूर्व जन्मों के समान यह जगत् पीड़ित हो रहा है। 'शिशुपालवध' महाकाव्य में महाकवि माघ ने श्रीकृष्ण भगवान् को धर्म संस्थापक एवं धर्मावतार के रूप में वर्णित किया है। वे सर्वदा प्रकृति तत्त्वों से परे परम पुरुष हैं।

7. **मंगलाचरण एवं देवादि नमस्कार-** मंगलमयी भाव-रश्मियों के सर्जक 'महाकवि माघ' 'शिशुपालवध' महाकाव्य का प्रणयन करते हुए सर्वप्रथम 'श्रिय: पति:' (अर्थात् माता लक्ष्मी के पति भगवान् विष्णु) शब्द के माध्यम से प्रणाम करते हुए कथानक का शुभारम्भ किया है-

'श्रिय: पति: श्रीमति शासितुं
जगज्जगन्निवासो वसुदेवसद्मनि।
वसन्ददर्शावतरन्तमम्बराद्धिरण्य-
गर्भाड्.ग भुवं मुनिं हरि:।।'[12]

8. **छन्द योजना-** 'शिशुपालवध' महाकाव्य में विविध छन्दों का प्रयोग महाकवि माघ ने किया है। प्रथम सर्ग में वंशस्थ छन्द का हृदयाह्लादकारी प्रयोग किया गया है। प्रथम सर्ग के अन्त में शार्दूलविक्रीड़ित छन्द का प्रयोग

है–

ओमित्युक्तवतोऽथ शार्ङ्.गण इति व्याहृत्य वाचं नभ–
स्तस्मिन्नुत्पतिते पुरः सुरमुनाविन्दोः श्रियं बिभ्रति।
शत्रूणामनिशं विनाशपिशुनः क्रुद्धस्य चैद्यम्प्रति
व्योम्नीव भ्रुकुटिच्छलेन वदने न केतुश्चकारास्पदम्।।[13]

'शिशुपालवध' महाकाव्य के चतुर्थ सर्ग में कवि ने 22 छन्दों का प्रयोग किया है।

9. दुर्जननिन्दा एवं सज्जन प्रशंसा का चित्रण– 'शिशुपालवध' महाकाव्य में शिशुपाल के कुकृत्यों की निन्दा महाकवि माघ ने की है–

तदेनमुल्लङ्.घतशासनं विधेर्विधेहि कीनाशनिकेतनातिथिम्।
शुभेतराचारविपक्त्रिमापदो विपादनीया हि सतामसाधवः।।[14]

महर्षि नारद भगवान् श्रीकृष्ण से शिशुपाल के अत्याचारों की निन्दा करते हुए कहते हैं–

'ब्रह्माजी की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले इस शिशुपाल को यम के भवन का अतिथि बनाइए अर्थात् नष्ट कीजिए, क्योंकि दुराचार के कारण परिपाक आपत्ति वाले दुष्टजन सज्जनों द्वारा मारे जाने के अधिकारी होते हैं।'

'शिशुपालवध' महाकाव्य में महाकवि माघ ने धर्म–परायण सज्जन लोगों की सर्वत्र प्रशंसा की है। भगवान् वासुदेव श्रीकृष्ण को नारदजी ने अपने मुखारविन्द से प्रकृति से परे उन्हें परम पुरुष की संज्ञा की है'–

उदासितारं निग्रहीतमानसै–
र्गहीत मध्यात्मदृशा कथञ्चन।
बहिर्विकारं प्रकृतेः पृथग्विदुः
पुरातनं त्वां पुरुषं पुराविदः।।[15]

10. प्रकृति चित्रण– महाकाव्यों की प्राचीन परम्परा का निर्वाह करते हुए महाकवि माघ ने 'रामायण' और 'महाभारत' महाकाव्यों के अनुसार ही 'शिशुपालवध' महाकाव्य में प्रकृति का मनोहारी वर्णन किया है–

जातप्रीतिर्या मधुरेणाऽनुवनान्तं
कामे कान्ते सारसिका काकुरुतेन।
तत्सम्पर्कं प्राप्य पुरा मोहनलीलां
कामे कान्ते सा रसिका का कुरुते न।।[16]

अर्थात् ऋतु वर्णन प्रसंग में कवि ने हेमन्त ऋतु का मनोहारी एवं श्रृंगारिक चित्रण उपर्युक्त छन्द में प्रस्तुत किया है।

11. नामकरण– महाकवि माघ ने 'शिशुपालवध' महाकाव्य का नामकरण प्रतिनायक शिशुपाल के नाम पर किया है।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि महाकवि माघ प्रणीत 'शिशुपालवध' महाकाव्य में आचार्य विश्वनाथ द्वारा विवेचित महाकाव्य के लक्षणों का सम्यक् समाहार हुआ है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. काव्यादर्श – दण्डी/डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय, साहित्य भण्डार, मेरठ।
2. काव्यालङ्.कार – भामह/रमण कुमार शर्मा, निधि प्रकाशन, प्रथम संस्काण – 1994।
3. शिशुपालवधम् महाकाव्य – महाकवि माघ, चौखम्भा संस्कृत भवन, वाराणसी।
4. श्रीमद्भागवद्गीता, स्टार पब्लिकेशनस, नई दिल्ली – 110002।
5. साहित्यदर्पण – श्रीविश्वनाथकविराज, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी।

****

ब्राह्मण ग्रन्थों में वैदिक मन्त्रों की व्याख्या

डॉ. बीना कुमारी यादव *

प्रस्तावना - ब्राह्मण शब्द की व्युत्पत्ति - ब्राह्मण ग्रन्थों के अर्थ में प्रयुक्त ब्राह्मण शब्द विभिन्न अर्थों में और प्राय: में ही प्रयुक्त होता है। ब्राह्मण शब्द की निष्पत्ति 'ब्रह्मन्' शब्द से अण् प्रत्यय करने से होती है। ग्रन्थ अर्थ में 'ब्राह्मण' शब्द का प्रयोग पाणिनीय अष्टाध्यायी (3/4/36), निरुक्त (4/27), शतपथ ब्राह्मण (4/6/9/20), ऐतरेय ब्राह्मण (6/25/8/2) में ही उपलब्ध नहीं होता; प्रत्युत तैत्तिरीय संहिता में इसका सबसे प्राचीन प्रयोग मिलता है- **'एतद् ब्राह्मणान्येव पच हर्वींषि'** (तैत्तिरीय स. 3/7/11)

शतपथ ब्राह्मण के अनुसार 'ब्रह्मन्' शब्द का अर्थ मन्त्र है- **ब्रह्म वै मन्त्र:।** (शतपथ, 7/1/1/5)। इसलिए वेदमन्त्रों की व्याख्या और उनके विनियोग को प्रस्तुत करने वाले ग्रन्थ को ब्राह्मण कहते हैं। शतपथ ब्राह्मण में 'ब्रह्मन्' शब्द का दूसरा अर्थ 'यज्ञ' माना है- **ब्रह्म यज्ञ:** (3/1/4/15)। इस अर्थ के अनुसार यज्ञों की व्याख्या और विवरण प्रस्तुत करने वाले ग्रन्थ को 'ब्राह्मण' कहते हैं। ब्रह्मन् शब्द का तीसरा अर्थ- पवित्र ज्ञान अथवा रहस्यात्मक विद्या है। इस अर्थ के अनुसार जो ग्रन्थ वैदिक रहस्यों का उद्घाटन करते हैं, उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। ये यज्ञों का आध्यात्मिक, आधिदैविक और वैज्ञानिक रूप प्रस्तुत करते हैं।

भट्टभास्कर के अनुसार कर्मकाण्ड और मन्त्रों के व्याख्यानात्मक ग्रन्थों को 'ब्राह्मण' कहते हैं-

ब्राह्मणं नाम कर्मणस्तन्मन्त्राणां व्याख्यानग्रन्थ:।
(भट्टभास्कर तैत्तिरीय संहिता 1/5/1 पर भाष्य)

शतपथ ब्राह्मण के अनुसार आत्मा के तीन घटक हैं- मन, प्राण और वाक्। इनमें पूर्व की अपेक्षा पर स्थूल हैं, अर्थात् मन से प्राण स्थूल हैं, प्राण से वाक् स्थूल है।

ब्राह्मण ग्रन्थों में मन का व्याख्यात्मक स्वरूप - वाक् का सम्बन्ध ऋग्वेद से है- **वागेवर्ग्वेद** : (शतपथ ब्राह्मण, 14/4/3/12)। प्राण का सम्बन्ध सामवेद से है- **प्राण: सामवेद:** (शतपथ ब्राह्मण, 14/4/3/12)। मन का सम्बन्ध यजुर्वेद से है- **अथ यन्मनो यजुष्टत्।** मन ही यजु: है **- मन एव यजु:** (शतपथ ब्राह्मण 4/6/7/5)। मन के यजु: से सम्बन्ध होने का अर्थ है कि यजु: का सम्बन्ध भी गति से है- **सर्वागतिर्याजुषी हैव शश्वत्** (तैत्तिरीय ब्राह्मण, 3/12/9/1) और मन भी गतिशील है-

यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति।
दूरमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मन: शिवसल्पमस्तु।।

वस्तुत: मन से अधिक गतिशील कुछ भी नहीं **- मनो भुवनेषु जविष्ठम्** (जैमिनीय ब्राह्मण 1/20)। मन का सम्बन्ध यजुर्वेद से है और यजुर्वेद का सम्बन्ध अन्तरिक्ष से है, इसलिए मन का सम्बन्ध अन्तरिक्षलोक और अन्तरिक्ष के देवता चन्द्रमा से भी है- **मनोऽन्तरिक्षलोक:** (शतपथ ब्रा. 14/4/3/11)। अन्तरिक्ष के देवता इन्द्र से भी मन का सम्बन्ध है- **यन्मन: स इन्द्र:** (गोपथ ब्राह्मण 2/4/11)।

निष्कर्षत: शतपथ ब्राह्मण (14/4/3/9) में कहा गया है कि काम, संकल्प, जिज्ञासा, श्रद्धा, अश्रद्धा, धैर्य, अधैर्य, लज्जा, बुद्धि और भय ये सब मन ही हैं। मन ही ब्रह्मा और प्रजापति हैं। मन प्राणों का अधिपति है।

प्राण - प्राण शब्द प्र उपसर्ग पूर्वक अन् धातु से निष्पन्न माना गया है। जिसके द्वारा सब प्राणवान् है, वही प्राण है**- तद्यत्प्राणेत तस्मात्प्राण:** (जैमिनीय ब्राह्मण 2/5/7)। शतपथ ब्राह्मण में प्राण का प्राणत्व यह है कि प्राण द्वारा अन्न आत्मा में धारण किया जाता है **- यद्वै प्राणेनान्नमात्मन्प्रणयते तत्प्राणस्य प्राणत्वम्** (शतपथ ब्रा. 12/9/1/14)। वस्तुत: अन्न का आत्मा में धारण किया जाना ही हमारे जीवित रहने का कारण है।

प्राण ही अक्षय अथवा अमृत है**- अक्षीयं वा अमृतमेते प्राणा:।** सब प्राण के सहारे रहते हैं, इसलिए प्राण ही श्री है**- अथ यत्प्राणा अश्रयन्त तस्मादु प्राणा: श्रिय:** (शतपथ 6/1/1/4)। जैमिनीय ब्राह्मण के अनुसार प्राण ही एकमात्र देवता है। प्राण ही ज्येष्ठ है, प्राण ही श्रेष्ठ है**- प्राणो वै ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च।** प्राण ही अन्तिम है**- प्राणोऽन्त्यम्।** प्राण मधु है। प्राण सभी भूतों के लिए हितकर है। जो भी सत्य है , वह प्राण हैं। प्राण महान् है। प्राण रक्षक है। प्राण विश्व की ज्योति है**- प्राणो वै विश्वज्योति:** (शतपथ ब्रा. 7/4/2/28)। प्राण का वायु से घनिष्ठ सम्बन्ध है, प्राय: सभी ब्राह्मण ग्रन्थों ने इसे दोहराया है **- प्राणो वै वायु:** (कौषीतकिब्राह्मण, 5/8/13/5, गोपथब्राह्मण, 2/1/26, जैमिनीयब्राह्मण, 2/137;184, ताण्ड्यब्राह्मण, 4/6/8, शतपथ ब्राह्मण, 4/1/1/15, 6/2/2/6)। प्राण से वायु प्रसन्न की जाती है। प्रजापति वायु बनकर प्रजा में प्राण बना। सारी प्रजा प्राण ही हैं। इसलिए प्राण अनेक हैं। शतपथ ब्राह्मण बारम्बार (6/3/1/21, 2/2/2/55, 9/5/1/68) इस बात को दोहराता है कि अग्नि प्राण है **- प्राणा अग्नि:।** अन्यत्र शतपथ ब्राह्मण के अनुसार देव ही प्राण है**- तस्मादेवा प्राणा:।**

वाक् - सूक्ष्म होने के कारण मन असीम है, तो स्थूल होने के कारण वाक् सीमित है। सूक्ष्म से स्थूल पैदा होता है, इसलिए मन से वाक् उत्पन्न होती है। वाक् और मन का परस्पर इतना गहरा सम्बन्ध है कि जैमिनीय उपनिषद् में वाक् को ही मन कह दिया गया है**- वागिति मन:।** इस वाक् को महिषी तथा राष्ट्री भी कहते हैं। इसे ही एकाक्षरावाक् कहा जाता है। वाक् अपने शुद्ध रूप में शक्ति रूप है, जिसे आप: अथवा शरीर कहा जाता है। निदानविद्या में वाक् को साहस्त्री कहा जाता है, क्योंकि सहस्त्र अनन्त का वाचक है। अत: मन

* श्री विनायक हॉस्पिटल, ढ़ाबा काम्पलैक्स, भिवाड़ी, अलवर (राज.) भारत

और प्राण वाक् के द्वारा ही अभिव्यक्त होते हैं। इसलिए कहा गया है कि वाक् ही सब पदार्थों का आधार है।

ब्राह्मण ग्रन्थों में वैदिक शब्दों की व्यापकता –

अग्नि – वैदिक शब्दों का अर्थपटल व्यापक है, उदाहरण के लिए सर्वप्रथम हम अग्नि को ही लेते हैं। ऋग्वेद के प्रारम्भ में प्रथम शब्द अग्नि ही आया है। अग्नि शब्द का सामान्य अर्थ आग है, किन्तु ऋग्वेद कहता है कि इन्द्र, मित्र, वरुण, यम, मातरिश्वा – ये सब अग्नि के ही नाम हैं–

इन्द्रं मित्रं वरुणमाग्नि माहुरथो दिव्य: सुपर्णो गरुत्मान्।
एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्याग्निं यमं मातरिश्वानमाहु:।।
(ऋग्वेद, 1/164/46)

शतपथ ब्राह्मण (14/8/10/1) में अग्नि के उस स्वरूप की चर्चा है, जिसे वैश्वानर कहा जाता है और जो हमारे शरीर के अन्दर रहकर अन्न पचाता है– **अयमग्निर्वैश्वानर:। योऽयमन्त: पुरुषे येनेदमन्नं पच्यते।** यही अग्नि ऊष्मा के रूप में जीवन शक्ति है।

अग्नि को सब देवताओं की आत्मा बताया गया है। अग्नि अन्य देवताओं में परिवर्तित होता हैं , अग्नि प्रजापति का विराट् स्रष्टा है। अग्नि विश्वकर्मा है। वही सविता है (गोपथ ब्राह्मण, 1/1/33)। वही प्रजनन शक्ति है। अग्नि और सोम का जोड़ा है। अग्नि दिन है, तो सोम रात्रि। सोम अन्न है तो अग्नि अन्नाद। अन्नाद होने के कारण अग्नि को अन्नपति भी कहा जाता है। (ऐतरेय ब्राह्मण, 1/8)। देवताओं के लिए हवि ले जाने के कारण अग्नि भरत है। अग्नि का यह भरत रूप ब्राह्मण रूप है। जिसके कारण अग्नि महान् है– (कौषीतकि ब्राह्मण, 3/2)। अग्नि केवल देवताओं का ही हव्यहवन नहीं करती अपितु प्रजाओं का भी प्राण भरण करती है।

अग्नि का सम्बन्ध वाक् से है, वायु का प्राण से, आदित्य का मन से और वाक् प्राण मन ही आत्मा है। इसलिए मानों अग्नि ही आत्मा है, (शतपथ, 6/7/1/20)। आत्मा और ब्रह्म में अन्तर नहीं है। इसलिए अग्नि ब्रह्म है– **अयमग्निर्ब्रह्म।**

वायु – अग्नि पृथ्वी का देवता है, तो वायु अन्तरिक्ष का देवता है। इस प्रकार अग्नि का सम्बन्ध भू से है, तो वायु का सम्बन्ध भुव: से है। अग्नि का सम्बन्ध ऋग्वेद से है तो वायु का सम्बन्ध यजुर्वेद से है। वायु ही यजु: है, वायु ही प्रजाओं का प्राण बना। वायु को विश्वकर्मा कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण (14/2/2/2) के अनुसार सभी देवता वायु से ही उद्भूत होते हैं। वायु प्रजापति है– **अर्धं ह प्रजापतेर्वायुरर्धं प्रजापति:** (शतपथ 6/2/2/11)। वह सर्वव्यापक है। वाक् उसकी पत्नी है। **गोपथ ब्राह्मण** (1/1/29) वायु का देवता त्रिष्टुप को बतलाता है। वायु सूत्रात्मा है। वायु प्राण है, वायु प्राण का देवता है।

इन्द्र – सभी देवता प्राण हैं। इन्द्र देवताओं का राजा होने के नाते सबसे अधिक महत्तवपूर्ण है इसलिए इसे मध्य में प्रदीप्त होने वाला प्राण कहा जाता है। मध्य में स्थित होने के कारण ही इन्द्र को हृदय भी कहा गया है– **हृदयमेव इन्द्र:** (शतपथ ब्राह्मण, 12/9/1/15)। इन्द्र सभी देवताओं का आधार है। इन्द्र देवताओं में सबसे अधिक शक्तिशाली है। शतपथ ब्राह्मण में इन्द्र को देवताओं में श्रेष्ठ बताया गया है– **इन्द्रश्रेष्ठा देवा इति।**

इन्द्र का सम्बन्ध बारम्बार इन्द्रियों से जोड़ा गया है। इन्द्र से प्रार्थना की गई है कि वह इन्द्रियों को स्थापित करे। इन्द्रियों को ही साक्षात् इन्द्र बताया है। इन्द्रियों का वीर्य इन्द्र है। इन्द्र बल का स्वामी है – **इन्द्रो बलं बलपति:** (शतपथ ब्राह्मण, 11/4/3/12) देवताओं में इन्द्र ही सबसे अधिक ओजस्वी तथा बलवान् है– **इन्द्रो वै देवानामोजिष्ठो बलिष्ठ:** (कौषीतकि ब्राह्मण, 6/14)। इन्द्र अपने बल के द्वारा रक्षा भी करता है और नाश भी। रक्षक के नाते वह क्षत्र है– **इन्द्र: क्षत्रम्** (शतपथ ब्राह्मण, 14/4/1/5) जैमिनीय ब्राह्मण के अनुसार इन्द्र अपने बल द्वारा असुरों का नाश करता है। इन्द्र ने जिन असुरों को मारा उनमें वृत्र मुख्य है– **इन्द्रो वृत्रमहन्** (जैमिनीय ब्राह्मण, 1/195)। वृत्र को मारने के कारण ही इन्द्र महेन्द्र हो गया– (शतपथ, 1/6/4/21)। वृत्र को मारकर ही विश्वकर्मा बना, विश्वकर्मा के रूप में इन्द्र को त्वष्टा भी कहा गया है। (ऐतरेय ब्राह्मण, 4/22, 6/10)। अत: इस प्रकार सभी देवता ब्रह्म के रूप हैं, इन्द्र भी ब्रह्म है– **तस्माद्धेन्द्रो ब्रह्मेति –** (कौषीतकि ब्राह्मण, 6/14)।

आदित्य – व्युत्पत्ति की दृष्टि से आदिति के पुत्र आदित्य कहलाते हैं, किन्तु जैमिनीय ब्राह्मण के अनुसार आदित्य का आदित्यत्व यह है कि वह सब प्राणियों से आदान करता है। अग्नि, वायु आदित्य में आदित्य का सम्बन्ध द्युलोक से है। सामवेद की उत्पत्ति भी आदित्य से मानी है। गोपथ ब्राह्मण में आदित्य को साम का देवता बताया है, जिसका स्थान द्यौ है और छन्द जगती है। (गोपथ ब्राह्मण, 1/1/29)। वाक् का सम्बन्ध मुख से है, प्राण का वायु से, तो आदित्य का सम्बन्ध चक्षु से है। आदित्य सूर्य है– **असौ वा आदित्य: सूर्य:** (शतपथ, 9/4/2/23)। आदित्य उदय होता है तो यजमान का उदय होता है, आदित्य अस्त होता है तो शत्रुओं का निग्रह हो जाता है। आदित्य को बारम्बार सत्य कहा है। इसका अभिप्राय है कि सूर्य में केन्द्र है और जिस पदार्थ में केन्द्र हो वही सत्य है।

आदित्य विश्व के केन्द्र में है, इसलिए आदित्य को हृदय कहा गया है– **असौ वा आदित्यो हृदयम्** (शतपथ, 9/1/2/40)। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार अग्नि और आदित्य ही दो देवता हैं जिनसे यजमान स्वर्ग में जाता है। अग्नि और आदित्य के बीच तादात्म्य सम्बन्ध है। (शतपथ, 6/3/1/29)। आदित्य का सब ऋतुओं से सम्बन्ध है। आदित्य का उदित होना वसन्त है। सूर्य का ऊपर चढ़ जाना ग्रीष्म है। दोपहर वर्षा है। अपरा शरद् है। अस्त हो जाना ही हेमन्त है। द्युलोक का देव होने के नाते आदित्य यश का अधिष्ठाता है– **आदित्या एव यश:** (गोपथ ब्राह्मण, 1/5/15)। आदित्य यज्ञ का केन्द्र है।

निष्कर्षत: ब्राह्मणग्रन्थ वेद के व्याख्यान माने जाते हैं। बिना सम्प्रदाय की विच्छिन्नता के किसी कर्ता की स्मृति न रहने से ब्राह्मण भी उसी प्रकार अपौरुषेय है, जिस प्रकार मन्त्र हैं। व्याख्यानरूपता एवं व्याख्येयरूपता पौरुषेयता तथा अपौरूषेयता के प्रयोजक नहीं है अर्थात् जो ग्रन्थ व्याख्येय है, वह अपौरुषेय है तथा जो व्याख्यात है वह पौरुषेय है– यह कथन कथमपि उचित नहीं है। ब्राह्मणों में मन्त्रों के व्याख्यान होने पर भी उसे पौरुषेय मानने में कोई भी तर्क तथा युक्ति नहीं है।

इस अनुशीलन से यही निष्कर्ष निकाला जाता है कि ब्राह्मणों में भी मन्त्रों के समान ही अपौरुषेयता विद्यमान है। इसलिए दोनों ही श्रुति है– वेद हैं। फलत: प्राचीन परम्परा तथा तर्कयुक्ति दोनों के आधार पर ब्राह्मण श्रुति का ही अविभाज्य सिद्ध होता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) July to September 2017, Vol. II

बालिका सशक्तिकरण एवं महिला मानवाधिकार एक सामान्य परिचय

डॉ. सरिता यादव *

शोध सारांश – सशक्तिकरण क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों होती है? जब किसी चीज की न्यूनता अपेक्षा से कम हो तब सशक्तिकरण के माध्यम से उसकी क्षतिपूर्ति की जाती है। यही बात बालिकाओं के जन्म के विषय में है। प्रत्येक पुरूष को अपने गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने के लिए महिला की आवश्यकता है, किन्तु उसके घर में बेटी जन्म न लें। यह सोच अधिकतर लोगों की है तथा बेटों का जन्म लेने के पूर्व से लेकर जन्म लेने, किशोरावस्था व प्रौढ़ावस्था तक हर कदम पर भिन्न-भिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। संतुलित लिंगानुपात के लिए बालिका सशक्ति एक महत्त्वपूर्ण विषय है। उसके भावी जीवन के लिए महिला मानवाधिकार आयोग आदि की भी स्थापना की गई है। महिला मानवाधिकार से अभिप्राय है कि वे सब अधिकार जो मानव को प्राप्त है उसे भी प्राप्त होने चाहिए। एक मानव होने के नाते गरिमामय जीवन-यापन हेतु पर्याप्त दशाएँ मानवाधिकार के रूप में महिला को प्राप्त होने चाहिए।

प्रस्तावना – बालिका सशक्तिकरण एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक घटक है। इसके द्वारा ही दिन-प्रतिदिन बालिकाओं की संख्याओं में जो कमी हो रही है, उसको पूरा किया जा सकता है। जनगणना के आकलन से पता चलता है कि स्त्री-पुरूष का अनुपात संतुलित नहीं है। संतुलित जनसंख्या का होना भी सरकार के लिए एक चुनौति होता है। सशक्तिकरण के द्वारा ही इस समस्या से निपटा जा सकता है। सशक्त बालिका सशक्त महिला बन अपने परिवार समाज और राष्ट्र के निर्माण एवं उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

मानवाधिकार वर्तमान में ज्वलन्त मुद्दे, चुनौति एवं समस्या के रूप में विश्वव्यापी बने हुए हैं। वस्तुत: मानवाधिकार को लिंग भेद के आधार पर महिला मानवाधिकार की अवधारणा के रूप में व्याख्या नहीं जा सकती है। चूँकि मानवाधिकार तो मानव के आदर्श एवं गरिमामय जीवन जीने के आधार होते हैं और सशक्तिकरण जनसंख्या को संतुलित करने के विषय में उठाया गया कदम। कहने का तात्पर्य यह है कि सशक्तिकरण के द्वारा बालिकाओं की स्थिति में सुधार के लिए और मानवाधिकार के आधार पर प्रकृति द्वारा निर्मित व प्रदत्त मानव के दोनों रूपों अर्थात् महिला एवं पुरूष दोनों के लिए समान अधिकार। किन्तु सदियों से समस्त वैश्विक समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था, लैंगिक असमानता के कारण पुरूषों की तुलना में महिलाओं को कम शक्तिशाली तथा क्षमतावान माना जाता रहा है। परिणामत: महिलाओं की प्रस्थिति, अधिकार एवं स्वतन्त्रता का पलड़ा हमेशा से ही निम्न रहा।

चिंतकों ने समाज में महिला पुरूषों की सापेक्ष स्थिति, परिवार, कानून, राजनीति एवं जेण्डर के बारे में व्याप्त चुप्पी पर प्रश्न उठाए, साथ ही जेण्डर परिप्रेक्ष्य से सत्ता, अधिकार, प्रभुत्व, दमन, राजनीति आदि को पुन: परिभाषित करने की ओर ध्यान आकर्षित किया। परिणामस्वरूप महिला मानवाधिकार की अवधारणा की आधारभूत संरचना का विकास प्राप्त हुआ। अत: प्रस्तुत शोध पत्र बालिका सशक्तिकरण एवं महिला मानवाधिकार पर केन्द्रित किया गया है।

सशक्तिकरण का अर्थ है, किसी विषय में कठोर या सख्त नियम, कानून बनाना। देश में स्त्री-पुरूष अनुपात संतुलित नहीं है तथा बाल लिंगानुपात (0-69) भी कम है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या कम है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पिछले 64 वर्षों में प्रथम बार देश में कई राज्यों में लड़कियों की संख्या (0-6) 914 लड़कियाँ प्रति 1000 लड़कों से भी नीचे गिर गयी है। भारत में लिंगभेद की भीषण स्थिति को रिपोर्ट में भी देखा जा सकता है। इसके द्वारा जारी किए गए मानव विकास सूचकांक 2014 में भारत 189 देशों में 130वें स्थान पर है। विश्व आर्थिक मंच के लिंगभेद सूचकांक में भी भारत 135 देशों में 118वें स्थान पर दिखता है। देश की लगभग आधी जनसंख्या को अनदेखा करना देश के विकास में बाधक है। 2011 की जनगणना में गिरता हुआ लिंगानुपात एक प्रश्नचिह्न बनकर सामने आया है। जिसे तालिका में दिखाया गया है। भ्रूण हत्या एक जघन्य अपराध है।

तालिका

जनसंख्या और 0-6 वर्ष के बच्चों में लिंगानुपात

जनसंख्या वर्ष	कुल जनसंख्या का लिंगानुपात	0-6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात
1961	941	976
1971	930	964
1981	934	962
1991	937	945
2001	933	927
2011	940	914

कन्या भ्रूण हत्या महिलाओं के प्रति हिंसा का क्रूरतम रूप है, जो उन्हें उनके आधारभूत और मौलिक अधिकारों से वंचित करता है। जनसंख्या में घटता लिंगानुपात व महिलाओं की साक्षारता दर को देखते हुए कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बेटियों के जन्म लेने का प्रकृति प्रदत्त अधिकार देने और बेटियों का भविष्य बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई योजनाओं का उदय हुआ। जैसे – 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना शुभ लक्ष्मी एवं

* म. नं. 16, नया बस स्टेण्ड, वी.पी.ओ. मजरी कलां, तहसील – नीमराना, जिला – अलवर (राज.) भारत

लाड़ली लक्ष्मी आदि।' बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं' योजना का उद्देश्य जहाँ देश में कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है, तो वही सुकन्या समृद्धि योजना के तहत् बेटियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित है। किसी भी योजना की वास्तविक सफलता तभी संभव है, जब जनता खुद को उनसे जुड़ा महसूस कर सके और यह तभी होगा जब समाज अपनी बेटियों को जिंदगी और मान-सम्मान की सुरक्षा के प्रति निश्चित हो सके, बेटियों के लिए अच्छा माहौल बने तभी बालिका सशक्तिकरण संभव है। लिंग भेद की समस्या, शिक्षा की समस्या के अलावा बालिकाओं के स्वास्थ्य व पोषण की समस्या भी महत्त्वपूर्ण है। राष्ट्रीय परिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण की तीसरी रिर्पोट के अनुसार 47 प्रतिशत किशोरावस्था (15 से 19 वर्ष की आयु) बालिकाऐं कम, वजन की समस्या अर्थात् जिनकी बाडी मॉस इंडेक्स 18.5 किलोग्राम से भी कम है। 56 प्रतिशत किशोर बालिकाऐं एनीमिया की समस्या से ग्रसित हैं। बालिकाओं का सशक्तिकरण व समग्र विकास को अनदेखा कर भारत देश विकास नहीं कर सकता।

महिला मानवाधिकार से अभिप्राय है कि मानवाधिकारों की श्रेणी में आने वाले समस्त अधिकार जो मानव को प्राप्त होते है। महिलाओं को भी समान रूप से प्राप्त होने चाहिए, क्योंकि वे भी मानव है। एक मानव होने के नाते गरिमामय जीवन यापन हेतु पर्याप्त दशाएँ मानवाधिकार के रूप में महिला को प्राप्त होना महिला मानवाधिकार है चूँकि महिला को प्रकृति द्वारा विशेष क्षमताओं एवं गुणों से सम्पन्न बनाया गया है, उनके लिए महिलोचित दशाओं की भी आवश्यकता होती है। अत: महिला को महिला मानव होने के लिए महिलाओं को व्यक्तित्व के विकास, गरिमामय तथा न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी देने वाले अधिकार महिला मानवाधिकार होते है। इनमें महिलाओं को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, व्यक्तिगत, शैक्षणिक अधिकार सम्मिलित होते हैं। अत: महिला मानवाधिकार एक महिला को एक व्यक्ति या महिला मानव के रूप में अपना जीवन यापन करने की परिस्थितियाँ हैं।

प्राचीन चिन्तन में केवल प्लेटो ने महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार देने की बात करता है।[1] महिला अधिकारों के विचार का प्रारम्भ 15वीं शताब्दी के प्रारम्भ में हुआ। 17वीं शताब्दी के दौरान अनेक महिला लेखकों फ्रांस की डंतपमके ळवनतदंल ने अपनी पुस्तक Egalite des Hommest des permmes (1641) ब्रिटिश महिला Mary Astell us A Serious Proposal to the ladies for the advancement of their true and greatest interest के अर्न्तगत क्रिश्चियन डे पिजन के अनुसार किया।[2] मर्सी वारेन और एबिगेल एडम्स के नेतृत्व में महिलाओं ने पहली बार मताधिकार और सम्पत्ति के अधिकार सहित सामाजिक समानता की माँग करते हुए जॉर्ज वाशिंगटन और टॉमस जैफर्सन इन मुद्दों को संविधान में शामिल करने का जोर डाला।[3] भारत में भी महिला अधिकारों के प्रति समानता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण प्राचीनकाल से ही रहा है। यद्यपि व्यवहार इसके विपरित रहा है। प्राचीन चिन्तन में मनु ने महिलाओं को एक और पूजनीय स्थान दिया वहीं दूसरी और अधिकारों से वंचित भी किया है। कौटिल्य ने महिलाओं को राजनैतिक क्षेत्र में कार्य करने के अधिकार दिए हैं। आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में राजाराम मोहनराय, दयानन्द सरस्वती, ज्योतिबा फूले, विवेकानन्द, तिलक, गाँधी आदि के द्वारा महिलाओं की प्रस्थिति में सुधार, महिला सशक्तिकरण एवं अधिकारों के प्रति न केवल सकारात्मक मत अभिव्यक्त किए वरन् इस दिशा में व्यवहार के धरातल पर ठोस प्रयास भी किए।

महिला मानवाधिकारों के संवर्धन हेतु कई विश्व सम्मेलन भी किए गए। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा महिला मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु न केवल कानूनी स्तर वरन् संगठनात्मक तंत्र विकसित करने का प्रयास किया गया, जिसके लिए अनेक महिला अभिकरणों एवं आयोगों का गठन किया गया।

अतः कह सकते है कि महिला मानवाधिकारों की अवधारणा का विकास एवं क्षेत्र व्यापक हो रहा है। महिला मानवाधिकारों का विचार एवं सिद्धन्त या अवधारणा के रूप में प्रफलन एक लम्बे सफर के उपरान्त हो पाया है। महिला को एक मानव के रूप में पहचान तथा उसके अधिकारों के संदर्भ में चेतना के सफर में अनेक महिला विद्धानों तथा विचारकों का अतिविशिष्ट योगदान रहा है। इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका अग्रणी रही है। जहां से समग्र विश्व में महिला प्रस्थिति में सुधार हेतु कानूनी एवं व्यवहारिक प्रयासों को सुद्दढ़ता तथा सार्वभौमिकता प्राप्त हुई।

निष्कर्ष रूप में कह सकते है कि बालिका सशक्तिकरण एवं महिला मानवाधिकार दोनों समाज के महत्तवपूर्ण घटक है। समाज की नींव इन्हीं पर टिकी हुई है। बिना समान लिंगानुपात और स्त्री-पुरूष के समान अधिकारों के बिना कोई समाज, देश उन्नति नहीं कर सकता है। गर्भावस्था से लेकर मृत्युपर्यन्त महिलाओं को हीन और भेदभाव वाली दृष्टि से देखा जाता है। हर कदम पर उसके साथ पक्षपात किया जाता है। लेकिन बालिका सशक्तिकरण एवं महिला मानवाधिकार के द्वारा उनकी स्थिति में सुधार किया जा सकता है और हो भी रहा है। पहले की अपेक्षा महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति सजग हो गई है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Bryso, Valeric, Feminist Political Therory. Parag on house New York, 1992, Page No. 1
2. Agosin, Majorie, Woman gender and Human rights - A global perspective, Rawat Publication, Jaipur, 2003.
3. सक्सैना प्रगति द्वारा अनुवादित जॉनस्टूअर्ट मिलकृंत महिलओं की पराधीनता, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2002, पृ.सं. - 11
4. योजना पत्रिका, 2006 - 2017
5. जनगणना रिपोर्ट, 2011 भारत सरकार।
6. भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, 2013-2014
7. समाचार पत्र - दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इण्डिया।

****

अवन्तिका(उज्जयिनी) की साहित्यिक और शैक्षणिक परम्परा

खुशबू जांगलवा * डॉ. रंजना वानखड़े **

प्रस्तावना – साहित्य का प्रारम्भ वेदों से हुआ है, वेद हमारी सम्पूर्ण उन्नति का आधार है। वेद, संस्कृति, सदाचार, धर्म, ज्ञान आदि के मूल है, जो मानव मात्र के लिए हितकारी है। वेद का प्रत्येक मंत्र जीवन में नव-चेतना, शक्ति एवं उत्साह का संचार करता है। वैदिक ज्ञान विद्यमान है, तो राष्ट्र एवं राष्ट्रीयता जीवित है।चारों वेदों में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में सम्पूर्ण ज्ञान का भंडार भरा है। 'वसुधैव कुटुम्बकम' का भाव हमें वेदों से प्राप्त होता है। अवन्ति में हुई वेदों की विविध सेवा भी प्रशंसनीय है। वेद विषयक कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना अवन्ति में हुई। शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन वाजसनेयी संहिता का सम्पूर्ण चालीस अध्यायों वाला भाष्य किया था जो कि उवट भाष्य के नाम से सुप्रसिद्ध है। स्कंदस्वामी ऋग्वेद संहिता के भाष्यकार थे। उज्जयिनी धर्मक्षेत्र रही है। उसे अनेक उद्‌भट विद्धानों की जन्मभूमि अथवा निवास स्थान होने का श्रेय प्राप्त है। संस्कृत साहित्य में उज्जयिनी के सभी पक्षों का वर्णन है। वेद व्यास जी से लेकर कवि भाष्य, कालिदास, कश्मीरी विद्धान कल्हण, संस्कृत के प्रथम विख्यात गंधकार बाणभट्ट ने भी अपने रचना कौशल से उज्जयिनी को अलंकृत किया है। वैदिक भाष्य के रचनाकारी में 'हरिस्वामी' के नाम की भी प्रमुखता है। उन्होंने अवन्ति में रहकर 'श्रृव्यर्थ विवृत्ति' भाष्य की रचना की थी। इस प्रकार वैदिक साहित्य सम्पूर्ण ज्ञान कला व शिक्षा का मूल स्त्रोत है। प्राचीन काल में उज्जयिनी साहित्य और शिक्षा का महत्वपूर्ण केन्द्र रहा है। उज्जयिनी अपने विस्तृत अतीत में शिक्षा और साहित्य का सुदीर्घ इतिहास समेटे हुए है। पुराणों में उज्जयिनी के साहित्यिक वैभव का विषद् वर्णन हुआ है।

स्कन्दपुराण के अवन्तिखण्ड के वर्णनों से ज्ञात होता है कि उज्जयिनी एक उन्नत नगरी और विद्याध्ययन का प्रमुख केन्द्र थी। विश्व के शैक्षणिक इतिहास में विशिष्ट महत्व हैं। जब विश्व प्राय: अज्ञान के गर्त में ही था और भारत में भी काशी और नालन्दा जैसे शिक्षा केन्द्रों की कल्पना भी नहीं की गयी थी। तब उज्जयिनी एक महान शिक्षा केन्द्र के रूप में प्रसिद्ध थी। महाभारत काल में उज्जयिनी में 'गुरू सांदीपनि' का आश्रम शिक्षा के लिए प्रख्यात था। दूरदराज से शिक्षार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने हेतु आते थे। ऋषि सांदीपनि के आश्रम में 'श्रीकृष्ण' और 'बलराम' एवं सुदामा ने भी शिक्षा प्राप्त की थी। ऐसा कहा जाता है कि संयमी शिरोमणि दोनों भाइयों भगवान श्रीकृष्ण और बलराम ने 64 दिन और रात में 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था[1] सांदीपनि आश्रम के प्रभाव आज भी मौजूद है। भौगोलिक दृष्टि से भारत के मध्य में स्थित होने के कारण भी उत्तर और दक्षिण से विद्यार्थी यहाँ विद्या अध्ययन के लिए आते थे। यहाँ सभी विषयों के शिक्षण की व्यवस्था थी। चतुर्वेद, वेदांग, मंत्र, दैवीय ज्ञान, धर्मशास्त्र, न्याय शास्त्र, राजनीति, दर्शन, अश्व शिक्षा, हस्ती शिक्षा, ललित कला, गणित, गांधर्ववेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, ज्योतिष, युद्ध विद्या आदि।[2]शिक्षण विधि विद्यार्थी की ग्राहय क्षमता पर आधार रहती थी।

महाभारत काल के पश्चात उज्जयिनी के वैभव का वर्णन प्रद्योतकाल का मिलता है। प्रद्योतकाल में उज्जयिनी शिक्षा और साहित्य का प्रभुत्व केन्द्र था। हिन्दू और बौद्ध धर्म ग्रंथों तथा तात्कालीन साहित्यिक रचनाओं से उज्जयिनी के शैक्षणिक विकास का अनुमान लगाया जा सकता हे। उज्जयिनी बौद्ध धर्म का केन्द्र भी बन गया था। इस युग में उज्जयिनी प्रसिद्ध आचार्यों की कर्मस्थली रहा, इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध 'कात्यायन' थे। कात्यायन भगवान बुद्ध के महान शिष्यों में प्रमुख थे। सन्यासी होने के साथ-साथ वे महान विद्धान भी थे। इस काल की उज्जयिनी की अभय माता, अभया काली, कात्यायनी, इसीदासी जैसी विदुषी भिक्षुणियां भी प्रसिद्ध हुई है।इनमें इसीदासी प्रसिद्ध थेरी थी, उनकी गाथाओं आत्मानुभव और जीवन की गहरी संवेदनाओं की अभिव्यंजना है।[3] 'थेरी गाथा' में उनके पद भी संग्रहित है। संस्कृत के अनेक प्रसिद्ध नाटकों और काव्यों का सम्बन्ध प्रद्योत काल से है। इनमें कवि भास द्धारा रचित 'स्वप्नवासवदत्ता' और क्षुद्रककृत 'मच्छिकटिकम्' विशेष प्रसिद्ध है। इसके पश्चात भारतीय इतिहास में चन्द्रगुप्त मौर्य को प्रथम सम्राट होने का गौरव प्राप्त है। उन्होंने चाणक्य की सहायता से सम्पूर्ण भारत में एक छत्र राज्य कायम किया था। इस काल में शैक्षिक दृष्टि से उज्जयिनी उल्लेखनीय बनी रही।[4] उस काल की अमूल्य कृति 'कौटिल्य (चाणक्य)' का अर्थशास्त्र है। चक्रवर्तीन सम्राट अशोक ने यहां एक ऐसे महाविद्यालय की स्थापना की थी, जहां ज्योतिष और नक्षत्र विज्ञान की शिक्षा को प्रमुखता दी गयी थी। इस काल में जनभाषा ही शिक्षा का माध्यम रही। पाली भाषा में अशोक ने शिलालेखों के माध्यम से शिक्षा के व्यापीकरण के प्रयास किए।

जैन धर्म के ग्रंथानुसार उनके 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी की तपस्या स्थली होगे का गौरव भी उज्जयिनी को प्राप्त है। तात्कालीन उज्जयिनी में अनेक प्रसिद्ध जैनाचार्य हुए, जिनसे शिक्षा ग्रहण करने देशभर के शिक्षार्थी आते थे।[5] मौर्यवंश के पश्चात राजा विक्रमादित्य के काल में उज्जयिनी के साहित्यिक एवं शैक्षणिक वैभव को ख्याति प्राप्त हुई। विक्रमादित्य विश्व के लोक विख्यात राजाओं में से एक है। इनके काल में विद्धानों आचार्यों, कवियों, चित्रकारों, साहित्यकारों को राजाश्रय प्राप्त होता था। विक्रम दरबार के नवरत्न विश्व प्रसिद्ध है। ये नवरत्न विभिन्न विषयों के आचार्य निष्णात प्रयोक्ता थे नये नवरत्न है –

1. धनवन्तरि 2. क्षपणक 3. अमरसिंह 4. शंकु 5. बैताल भट्ट 6. घटकर्पर

* शोधार्थी (चित्रकला) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** शोध निर्देशक (चित्रकला) गर्ल्स डिग्री कॉलेज, उज्जैन (म.प्र.) भारत

7. कालिदास 8. वराहमिहिर 9. वररूचि।[6]इनकी विद्वता को हम संक्षेप में देखते है – ऐसी मान्यता है कि धन्वन्तरि का प्रादुर्भाव समुद्रमंथन में से निकले चौदह रत्नों में माना जाता है। उन्हें आयुर्वेद का जनक माना जाता है। धन्वन्तरि ने आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथों की रचना की। परन्तु आज केवल धन्वन्तरि निघण्टु नामक ग्रंथ ही उपलब्ध है। आयुर्वेद के जानकार आज भी धन्वन्तरि को आयुर्वेद के पितृपुरूष अथवा देवस्वरूप मानते है। विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में अगला नाम अमरसिंह का है। अमरसिंह की रचना 'अमरकोष प्रसिद्ध है। भारतीय शब्दकोषों में अमर कोष अद्वितीय है। अमरसिंह उत्तम कवि एवं व्याकरणाचार्य थे। इनके ग्रंथ अमरकोष की टीका जैन, बौद्ध एवं ब्राम्हण तीनों विद्वानों की है। अगला नाम घटखर्पर का है, जो महान विद्वान एवं काव्यकार थे। इनके दो ग्रंथ है – नीतिसार एवं घटखर्पर काव्यम्। घटखर्पर काव्यम् को संस्कृत साहित्य की अनूठी रचना माना गया है। नवरत्नों में यशस्वी शिक्षाचार्य शंकु जो उच्चकोटि के कवि एवं अलंकार विवेचक थे। शंकु के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नही है। परन्तु यह सर्वमान्य है कि वे एक प्रसिद्ध विद्वान थे।

अगला नाम आता है, बेतालभट्ट का वे मंत्र विद्या में निपुण थे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ नीति प्रदीप है। बेताल पच्चीसी और सिंहासन बत्तीसी में बेताल एवं विक्रमादित्य की कथाएं जगप्रसिद्ध है। परन्तु ऐतिहासिक तथ्य उपलब्ध नहीं है। विक्रमादित्य के नवरत्नों में सर्वश्रेष्ठ नाम कालिदास जी का है। उन्हें महाकवि कालिदास एवं कवि कुलगुरू आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। कालिदास जी का काव्य एवं नाट्य वर्णन अपने सौष्ठव, कल्पना सौंदर्य अभिव्यंजना एवं उपमाओं आदि के द्वारा न केवल भारतीय साहित्य वरन् विश्व साहित्य को आकर्षित करता चला आ रहा है। महाकवि की सात रचनाएँ सर्वमान्य है, जो उनकी कीर्ति का आधार बनी है। रघुवंशम (महाकाव्य), कुमार सम्भव (महाकाव्य), मेघूदत एवं ऋतुसंहार (गीतिकाव्य), अभिज्ञानशकुन्तलम विक्रमोर्वशीय, मालविग्निमित्र (नाटक) आदि प्रमुख है। महाकवि 'कालिदास' की अमरकृति 'मेघदूत' है, जिसमें मेघ को दूत बनाकर महाकवि ने अपनी प्रिया के पास भेजा है। कवि की कल्पना में भी वह आकर्षण है कि रचनाएं मौलिक सी जान पड़ती है। उज्जयिनी के प्रति कवि का विशेष आकर्षण रहा है। ऐसा कहा गया है 'जिस तरह आदि कवि वाल्मिकी ने रामायण की रचना कर राम की कीर्ति को अमर कर दिया है, उसी प्रकार महाकवि कालिदास ने अपने काव्यों में उज्जयिनी एवं विक्रमादित्य को जगतप्रसिद्ध किया है। भारत ही नहीं विश्व के श्रेष्ठ कवियों में उनकी गणना की जाती है। दक्षिण की काव्य कसौटी पर भी उनकी रचनाएं खरी उतरी है। कालिदास की तुलना शेक्सपियर से की जाती है। शेक्सपियर ने तो अनेक नाटक लिखकर ख्याति प्राप्त की है, परन्तु कालिदास जी ने केवल 7 रचनाएॅ लिखकर विश्व प्रसिद्धि प्राप्त की है। कालिदास के काव्य और नाटक की जो धारा प्रवाहित हुई वह परवर्ती साहित्य जगत के लिए आदर्श बन उनके ग्रंथों के आधार पर काव्यशास्त्र की कसौटियां (नियम) निर्धारित की गयी। उनके काव्यों में प्रकृति चित्रण अनूठा बन पड़ा है, जहां पृथ्वी को स्वर्ग के समान सुन्दर बताया गया है। उनकी उपमाए अपने आप में अद्वितीय है। इसी कारण यह उक्ति ही प्रचलित हो गयी। 'उपमा कालिदासस्य' और उन्हें उपमा का सर्वश्रेष्ठ कवि घोषित कर दिया है। 'ऋतुसंहार' में गागर में सागर भरने का प्रयत्न किया गया है। छः ऋतुओं में सम्पूर्ण प्रकृति का सौंदर्य समाहित हो गया है। अभिज्ञानशाकुन्तलम तो विश्व प्रसिद्ध नाटक बन गया है। 'काव्येषु नाटक रम्यम्, तत्र रम्या शकुन्तला' कहकर इस नाटक की प्रशंसा की गयी है। आज महाकवि नहीं है लेकिन उनकी कीर्ति पताका चहुओर फहरा रही है। इसका प्रमाण है अखिल भारतीय चित्र एवं मूर्तिकला प्रदर्शनी (उज्जैन) का वार्षिक आयोजन। इस प्रदर्शिनी के चित्रों का आधार महाकवि कालिदास की रचनाओं को बनाया जाता रहा है। कालिदास जी के पश्चात वराहमिहिर एवं वररूचि की विद्वता भी प्रसिद्ध रही है। वैज्ञानिकों में वराहमिहिर ने भारत को प्रसिद्धि दिलवायी है। उनकी रचनाओं में बृहत्संहिता, समास संहिता, लघुजातक पंच सिद्धांतिका, योगयात्रा, लघुयात्रा आदि प्रसिद्ध है। उनके काव्य में विज्ञान एवं साहित्य का सुंदर सम्मिश्रण दिखायी देता है। वराहमिहिर विद्धान साहित्यकार, कवि, वैज्ञानिक, ज्योतिषी एवं रसायनज्ञ थे।[7] विद्धान वररूचि वैयाकरणक थे, उनकी प्रमुख रचनाएं प्राकृत प्रकाश पत्र कौमुदी शब्द लक्षण मानी जाती है।[8] विक्रमादित्य के नवरत्नों के 'क्षपणक' एवं 'शंकु' के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है। विक्रमादित्य के समय उनके नवरत्नों के अलावा और भी विद्वान उज्जयिनी में विद्यमान थे, जिनमें मणि, अंशु, त्रिलोचनहरि, श्रुतसेन, वादरायण, माणिक्य, कुमारसिंह आदि ज्योतिर्विद् भी थे।[9] विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भर्तृहरि जो बारह वर्ष राज्य करने पश्चात बैरागी बन गए, वे भी विद्वान थे। उन्होने नीति वैराग्य एवं श्रृंगार नामक तीन शतक लिखे थे। उनके पश्चात लिखने की परम्परा बन गयी।

कथासरितसागर के अनुसार उज्जयिनी में 'गुणाढ्य' नामक विद्वान हुए जिन्होंने पैशाची भाषा में काव्यग्रंथ 'बृहतकथा' कीरचना थी। परमार्थ नामक विद्वान भी उज्जयिनी में छठी शताब्दी में हुए थे। उज्जैन से भ्रमण करते हुए चीन पहुंचे। 24 वर्ष तक चीन में रहकर बौद्ध धर्म ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद करते रहे।[10]विक्रमादित्य के पश्चात् गुप्त तथा हर्षवर्धनकालीन उज्जयिनी अपने शैक्षणिक विकास के चरमोत्कर्ष पर थी। बौद्ध, जैन एवं ब्राम्हण आचार्यो की अलग–अलग शिक्षाधाराएं प्रवाहित हो रही थी। इस धारा के आचार्य पाणिनी (व्याकरण) महाभारत में बाणभट्ट का नाम विशेष उल्लेखनीय है।[11] गुप्त तथा हर्षवर्धनकाल के पश्चात् प्रतिहार वंश का समयागमन होता है। इस काल में साहित्य रचना के क्षेत्र में बड़ी उन्नति हुई। धनपाल और शोभन राजा मुंज के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान थे। स्वयं राजा मुंज एवं राजा भोज ने अनेक ग्रंथों की रचना की। उनके शासनकाल में धनपाल, धनंजय, धनिक, अमितगति और पद्मगुप्त आदि विद्वान हुए।[12] 9 वींशताब्दी से 17वीं शताब्दी का समय काफी उथल–पुथल का रहा। इस समय में उज्जयिनी पर विदेशियों के आक्रमण हुए जिसका प्रभाव शिक्षा और साहित्य की उन्नति पर भी पड़ा। शिक्षा और साहित्य की यह परम्परा राजा जयसिंह के समय 18वीं सदी के प्रथम चरण में पुनः जीवित होती दिखायी देती है, जब उन्होंने दिल्ली, मथुरा, काशी तथा जयपुर के समान उज्जयिनी में भी क्षिप्रा तट पर ज्योतिष विषयक वेदशाला का निर्माण करवाया। उज्जयिनी की यह वेदशाला आज भी सुचारू रूप से प्रभावी है। वर्तमान में अनेक आधुनिक यंत्र लगाए गए है।[13] परमारों के पश्चात मुस्लिम और मराठा शासकों का राज्य आया। मुस्लिम राजाओं के समय शिक्षा की पारम्परिक क्षेत्र क्षीण होते गए। अरबी, फारसी भाषाओं का प्रचार प्रसार हुआ। जहांगीर के समय उज्जैन के जोगी जद्रूप को देशव्यापी ख्याति प्राप्त थी, वे वैदिक ज्ञान में निष्णात थे।[14] मुगलकाल में शिक्षा और साहित्य में जो संक्रमण आया था, वह मराठा काल में दूर हो गया। मराठा शासकों में कई विद्वान कवि और विद्यानुरागी थे, महादजी शिंदे ने हिंदी और मराठी में काव्य रचे।दौलत राव सिंधिया ने भी काव्य रचना की। मराठा राजाओं ने यहां अनेक शिक्षण संस्थाना की स्थापना की। शिक्षिकों और विद्वानों को आश्रय और प्रोत्साहन दिया। इस प्रकार वैदिक काल से प्रारम्भ होकर मराठा

काल तक के अवन्तिका (उज्जयिनी) नगरी के साहित्यिक एवं शैक्षणिक परम्परा का अवलोकन किया गया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. श्रीमद् भागवत सुधा सागर,(शुक सागर), गीताप्रेस गोरखपुर, पृ.सं.831
2. कालजयी उज्जयिनी भाग 2, डॉ. रमेश निर्मल, अन्विति प्रकाशन, मुम्बई, पृ.सं. 3
3. उज्जयिनी और महाकाल, प्रकाशक:आर.एन.वाजपेयी, मुद्रक: दास फाइन आर्ट प्रिंटिंग प्रेस, उज्जैन पृ.सं.87
4. कालजयी उज्जयिनी भाग 2, डॉ. रमेश निर्मल, प्रकाशक: अन्विति प्रकाशन, मुम्बई, पृ.सं. 7
5. कालजयी उज्जयिनी भाग 2, पृ.सं. 37
6. कालजयी उज्जयिनी भाग 2, पृ.सं. 7,11
7. कालजयी उज्जयिनी भाग 2,, पृ.सं. 77
8. कालजयी उज्जयिनी भाग 2, पृ.सं. 68
9. उज्जयिनी और महाकाल, प्रकाशक:आर.एन.वाजपेयी, मुद्रक:दास फाइन आर्ट प्रिंटिंग प्रेस, उज्जैन पृ.सं.88
10. कालजयी उज्जयिनी भाग 2, पृ.सं. 2
11. कालजयी उज्जयिनी भाग 2, पृ.सं.2
12. कालजयी उज्जयिनी भाग 1, प्रकाशक: अन्विति प्रकाशन, मुम्बई, पृ.स. 243,
13. कालजयी उज्जयिनी भाग 1, पृ.सं.244
14. कालजयी उज्जयिनी भाग 2, डॉ. रमेश निर्मल, अन्विति प्रकाशन, मुम्बई,पृ.सं.19

****

आनंद के रंग- कोलाज कला के संग 'एक कलात्मक अध्ययन'

डॉ. यतीन्द्र महोबे *

प्रस्तावना – कला सिर्फ आनंद प्राप्ति का जरिया नहीं है ,बल्कि उसमें जनकल्याण यथार्थता एवं प्रेरणादायक भावना का समावेश भी अनिवार्य है। भारत में पचास प्रतिशत कलाकार ऐसे हैं, जिनकी कलाकृतियाँ कला दीर्घाओं में लगी रहती हैं। जिनमें आड़ी-तिरछी रेखाएं यहाँ वहां फैले रंग के अलावा कुछ भी नहीं होता। आज कुछ कलाकार ऐसे भी है, जो कला को सिर्फ आत्मिक आंनद की प्राप्ति का साधन मानते हैं।ये चित्रकला के आधारभूत नियमों का उलंघन कर ऐसी कलाकृति तैयार करते है, जो सिर्फ स्वान्त: सुखाय है। अत: इस प्रकार की कला जनसामान्य एवं समाज की परवाह किए बगैर निर्मित होती है।

मैंने पिछले कुछ सालों में कोलाज चित्रों की रचना की है। वैसे तो सभी माध्यम में चित्र रचना करना मुझे पसंद है लेकिन कोलाज मेरा प्रिय माध्यम है। कोलाज का जन्म 1908 से 1912 के मध्य यूरोपीय चित्रकार जार्ज ब्राक एवं पाब्लो पिकासो के साथ शुरू हुआ।' कलाकृति में कोलाज का प्रयोग करने का श्रेय ब्राक को ही है। कोलाज पद्धति से उनकी रचनाऐं अधिक भौतिक बन गयी, धनवाद की मन्द रंग संगति में नैसर्गिक चमक आ गयी' ब्राक ने चारकोल के साथ कागज के टुकड़ों का प्रयोग किया हैं और पिकासो ने अपने तैल चित्रों में कोलाज तकनीक का इस्तेमाल करने वाले पहले चित्रकार थे। पिकासो ने 1912से विभिन्न प्रकार के पैटर्न और बनावट के साथ अलग अलग टुकड़ों का इस्तेमाल किया हैं । ब्राक, पाब्लो पिकासो ,हन्ना होच, हेनरी मातिस आदि कलाकारो ने इस पद्धति को लागू किया ।

'यूरोप में घनवादी कलाकारों ने अपनी शैली को नया रूप प्रदान करने के लिए अखबार की कतरनों को कैनवास पर चिपका कर चित्र तैयार किये थे। कई यूरोपीय कलाकारों ने इस पद्धति को अपनाया। कोलाज कला की इस परंपरा को कई कलाकारों ने अपनी कृतियों के सृजन में नवीनता के रूप में अपनाया है।'

कोलाज कला वह विधि हैं, जिसमें चित्र तल के भाग को विभिन्न तरह से रंगीन कागज व अन्य चित्रित टुकड़ों को या वस्तुओं के टुकड़ों को चिपकाकर संयोजित किया जाता है।भारतीय चित्रकला के इतिहास में राजस्थानी चित्रों में भी कोलाज कला की प्रचुरता प्राप्त हैं । वस्त्राभूषणों के चित्रों में भी लोक कला के आयाम काँच के टुकड़ों ,पुष्प,कौडियां को चिपकाया गया है और यही कोलाज का रूप है ।

'हम रोज दर्पण के सामने खडे होकर अपनी छवि देखते हैं । दर्पण को भले ही हम गिरा दें लेकिन वह तो अपनी इच्छा से टूटता है। उसके कितने टुकड़ें हो जाएंगे हम नहीं जानते । जब वह टूट जाता हैं, तब हम ही उस बिखरे हुए दर्पण को फिर से जोडने के लिए व्याकुल हो उठते है – यह व्याकुलता ही कोलाज की जननी है।' मध्यप्रदेश राज्य के जबलपुर निवासी वरिष्ठ चित्रकार श्री अमृत लाल वेगड जी पिछले कई सालों से अपनी कलाकृति में कोलाज विधि का प्रयोग करते आ रहे हैं और कहते है –'1977 से नर्मदा पद यात्राओं का सिलसिला शुरू हुआ और इसी के साथ कोलाज का भी आरंभ हुआ , तब से जल रंग छूट गया और मैं केवल कोलाज ही बना रहा हूँ। कागज में इतनी सफाई से काटता हूँ और इतनी सावधानी से चिपकाता हूँ कि मेरे कोलाज ,कोलाज न लगकर चित्र लगते है। मेरे कुछ कोलाज जलरंग की तरह , कुछ तैलरंग की तरह, तो कुछ कलर लीनोकट जैसें है किंतु यह गलत है। व्याकरण की दृष्टि से कोलाज को कोलाज जैसा ही दिखना चाहिए लेकिन क्या करूँ, मुझे इसी में मजा आता है। मैं व्याकरण को देखूं या अपने मन की खुशी को।

आधुनिक कलाकारों ने भी इस विधि को अपनाया है। वर्तमान में भी कैनवास पर विभिन्न आकारों के टुकड़ों को चिपकाकर कलाकृति सृजित की जा रही हैं। अपनी कलाकृतियों में नवीनता लाने की कोशिश कलाकार निरंतर कर रहा है।

कोलाज चित्र देखने में बड़े ही सुन्दर और आकर्षक होने के साथ-साथ आर्थिक रूप से भी कलाकार की जेब गरम रखते है क्यूंकि कोलाज निर्माण में कागज के टुकड़ों का प्रयोग चित्र रचना हेतु किया जाता हैं। कोलाज चित्रों का निर्माण करते समय कलाकार को अपने धैर्य का परिचय देना होता है चूकिं कागज के छोटे-छोटे टुकड़ों को चिपकाना होता है, जिनमे वक्त बहुत लगता है। मैंने अपनी कलाकृतियों में सिर्फ रंगीन पत्रिकाओं के बारीक टुकड़ों का प्रयोग किया है, मैंने सरलतम विषयों का चयन कर कागज के रंगीन कतरनों से उनमें छाया प्रकाश लाने की कोशिश की है। इन चित्रों को दूर से देखने में ऐसा प्रतीत होता है मानो ये चित्र आइल या पोस्टर से निर्मित किए हो। कोलाज में एक टुकड़े से दुसरे टुकडें के बीच की जगह का प्रभाव ही इसकी मुख्य विशेषता है और ये प्रभाव दर्शकों के दिल को छू लेते है।

आज इस तकनीक पर काम करने वाले कलाकार निंरतर कम होते जा रहे है । आइल और एक्रेलिक माध्यम ने इनका महत्व कम कर दिया है लेकिन कुछ कलाकार हैं, जो इस तकनीक पर काम करते है। वह कागज के अलावा अन्य वस्तुएॅं भी प्रयोग में लाते हैं।

कोलाज चित्र रचना करते समय मुझे कुछ अलग ही आंनद की अनुभूति होती हैं । कोलाज माध्यम अपने आप में एक भिन्न तकनीक है जो सौंदर्यात्मक दृष्टि से परिपूर्ण है। लेकिन आज कलाकार इस तकनीक से दूर होता जा रहा है। अब कलादिर्घाओं में कोलाज देखने में नहीं आते। इस गुम होती तकनीक को अपनी कला में प्रयोग कर इसे बचाने का मेरा छोटा सा प्रयास है। मैं अपने कुछ कोलाज चित्र इस लेख के साथ संलग्न कर रहा हूँ।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. चित्रकला के मूल आधार – डॉ. मोहन सिंह मावडी, तक्षशिला प्रकाशन,

* सहायक प्राध्यापक (चित्रकला) शासकीय महिला महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.) भारत

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) July to September 2017, Vol. II

98 – ए, हिन्दी पार्क ,दरियागंज, नईदिल्ली – 2007।

2. आधुनिक चित्रकला का इतिहास – र. वि.साखलकर , राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर – 2004।
3. समकालीन कला, अंक 33(जुलाई– अक्टूंबर 2007), ललित कला अकादमी, नई दिल्ली ।
4. समकालीन कला, अंक 34 (नबंवर 2007 – फरवरी 2008), ललित कला अकादमी, नई दिल्ली ।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) July to September 2017, Vol. II

मौर्यकालीन स्तूप का परिचय

सोनाली टोके *

प्रस्तावना – मालवा क्षेत्र में बौद्ध धर्म का तीव्र प्रसार मौर्यकाल में हुआ। उस समय उज्जैन, विदिशा एवं कसरावद बौद्धधर्म के प्रमुख केन्द्र थे। अनुश्रुत्यानुसार राज्यपाल के रूप में रहते हुए मौर्य राजकुमार अशोक ने ही विदिशा की एक वैश्य कन्या वेदिशा देवी से विवाह किया। जिससे उन्हें महेन्द्र एवम् संघमित्रा प्राप्त हुए। उज्जैन की वैश्य टेकरी उस वैश्य रानी का स्मरण कराती हैं। अशोक के मगध चले जाने पर विदिशा देवी ने प्रवृज्या लेली थी एवम् सांची में एक संघाराम का निर्माण करवाया था। अशोक के राज्यकाल में महेन्द्र और संघमित्रा बौद्ध धर्म प्रचारार्य श्रीलंका गए थे।[1]

स्तूप निर्माण – मौर्यकाल स्तूपों के अवशेष उज्जैन, सांची, महेश्वर और कसरावद में उपलब्ध हैं।

उज्जैन वैश्य टेकरी – मालवा की प्रारंभिक वास्तु में बौद्ध निर्माणों का विशिष्ट योगदान रहा हैं। उज्जैन के निकट कानीपुरा ग्राम की वैश्या टेकरी का स्तूप प्राङमौर्यकालीन रहा हैं। इस दृष्टि से वह पीपरइवा एवम् लोरिया नन्दनगढ़ के पुरातनतम बौद्ध स्तूपों के निकट बैठता हैं। वैश्या टेकरी के स्तूप की एक और भी विशेषता रही हैं। उसके आसपास वेदिकांए न होकर परिख थी। सारे भारत में इस प्रकार का यह अकेला स्तूप था। इस प्रकार स्तूप के इतिहास में वैश्या टेकरी का स्तूप एक अद्वितीय कृति के रूप में याद किया जाना चाहिए।[2] यदि महावग्ग वर्णित स्तूप यही हैं, तो इसके पास ही उक्त ग्रन्थ में वर्णित दो लघु स्तूपों के निश्चित प्रमाण टीलों के रूप में आज भी उपलब्ध हैं इसके बारे में मनोहरलाल दलाल की यह धारणा है कि ये दोनों मौर्यकालीन रहे हैं और इनमें एक का संबंध अशोक के पुत्र महेन्द्र से तथा दूसरे का संबंध अशोक की कन्या संघमित्रा से रहा था। ये दो स्तूप क्रमश: तुलावती टेकरी वैश्या टेकरी से लगभग 100 मीटर पश्चिम की ओर तथा कंकड टेकरी उससे लगभग उतनी ही दूर नैकृत्य की ओर स्थित हैं। यह मान्यता प्रकट की गई है कि वैश्या टेकरी की भांति से स्तूप मुरम युक्त काली मिट्टी से भराव देकर बनाए गए थे तथा इस भराव के ऊपर ईंटो का आवरण डाल दिया गया था। यद्यपि उज्जैन की वैश्या टेकरी स्तूप के प्राङमौर्यकालीन होने के काफी तर्क दिए गए है फिर भी निर्णायात्मक रूप से ऐसा सिद्ध किया जाना निश्चित प्रमाणों के अभाव में संभव नहीं हैं। कानीपुरा के इस विशाल स्तूप को लोकानुश्रुति वैश्या टेकरी के नाम से पुकारती हैं। अधिक संभव हैं कि अशोक की बौद्ध पत्नी वैश्या कन्या वेदिसा देवी ने इसका पुनर्निर्माण करवाया हो।

सांची – सांची का सौभाग्य हैं कि वहां के पर्वतीय परिसर के महास्तूप व कुछ अन्य स्तूप तोरण सहित सुरक्षित बच गए हैं। इन्हें भारत ही नहीं, विश्व में अपार ख्याति मिली हैं। सांची के तोरण द्वारों के द्वि–आयामी प्रस्तर अर्धफलक तो बौद्धकला से लेकर शुंगकाला तक की बौद्ध सांस्कृतिक आस्था एवम् लोक जीवन के विश्व कोष कहे जा सकते हैं। संस्कृति एवम् कला की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण ये निर्माण भारतीय इतिहास की अमूल्य निधि हैं।

सांची प्रसिद्ध बौद्ध स्मारक 1000 से.मी. ऊंची पहाड़ी पर उत्तर एवं दक्षिण पूर्व में स्थित हैं। ये सारे विश्व में अपने धार्मिक एवम् पुरातत्वीय महत्व के लिए प्रसिद्ध हैं। सांची के दान अभिलेखों से ज्ञात होता हैं कि इस स्थान का प्राचीन नाम काकणाव अथवा काकणाय था।

सांची में यद्यपि अनेक छोटे–मोटे स्तूपों के अवशेष हैं किन्तु यहां से 3 स्तूप अत्यन्त प्रधान और पूर्ण है। इनमें स्तूप क्र. 1 प्रधान अथवा महास्तूप है यह स्तूप अशोक द्वारा निर्मित किया गया था। स्तूप क्र. 2 और 3 भी मौर्यकाल में ही बनाये गये थे। इन स्तूपों का पुनर्निर्माण एवम् परिवर्धन पर्याप्त रूप से शुंगकाल में सम्पन्न हुआ।[3]

सांची वेदिका की सादगी के कारण कलाकारों ने स्तूप के वायुमंडल को तोरणों द्वार अधिक आकर्षक बनाया। चुनार सफेद प्रस्तर के तोरण वेदिका के बाद जोड़े गए। इनकी स्थिति तथा बनावट देखने से सभी बातें स्पष्ट हो जाती है। सांची के तोरण क्रम से तैयार हुए थे। दक्षिण, उत्तर, पूर्व तथा पश्चिम तोरण क्रमश: निर्मित हुए। तोरण के कारण सांची की बनावट अत्यंत सौन्दर्यमय हो जाती है।[4]

महेश्वर – महेश्वर में एक मौर्यकालीन स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यहां अब केवल इसका विशाल आकार ही शेष है। कच्ची मिट्टी से इस स्तूप का भराव किया गया था। इसे कालान्तर में ईंटो से ढांक दिया गया था। इन ईंटों के आकार प्रकार के आधार पर इस स्तूप को मौर्यकालीन माना गया है।[5]

कसरावद – होलकर राज्य में सन् 1936 से लगाकर सन् 1938 तक जो एकाधिक उत्खनन हुए उनसे कसरावद के पास 'ईटबर्डी' या बेड़ी नामक स्थान पर उत्खनन में विष्णु करदीकर, धर्मपाल गुप्ता आदि का योगदान रहा। उत्खनन के परिणाम स्वरूप स्तूपों, चैत्यालयों, तथा विहारों का पता लगा। ऐसे मृण्भाण्ड भी मिले जिसमें अशोक की ब्राह्मी लिपि में भिक्षुओं के नाम उत्कीर्ण किए गए थे।[6]

कसरावद की रचना बड़ी ही कुशलता पूर्वक की गई थी। यह तीर्थस्थल दो प्रमुख भागों में विभाजित था। पश्चिम उत्तर का भाग विहारों से युक्त था जिसकी रचना इस ओर जानबूझ कर की गई थी। बाहर से आगन्तुक प्रथमत: इस ओर ही प्रवेश करते थे। यह माहिष्मती के ठीक उत्तर में 5 कि.मी. पर स्थित थी। अत: यात्रियों के उत्तर से आने में सुविधा थी। दूसरे यह कि पश्चिम की ओर पहाड़ी पर आने वाले नाले को रोक कर एक छोटा तालाब बनाया गया था। विहारों के निकट जल की पूर्ति भी एक आवासीय समस्या थी तथा वह इस प्रकार सुलझायी गई थी। प्रत्येक विहार के पास ईटों की नालियां व

* शोधार्थी (चित्रकला) माधव महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

अन्दर मोरियां बनी थी।

कसरावद का स्थापत्य अन्य स्थानों जैसा ही हैं। किन्तु स्तूप का पादपीठ अधिकतया पत्थरों का एवम् ईंटों का बना था। उत्खनन में यद्यपि एक भी संपूर्ण स्तूप उपलब्ध नहीं हुआ, फिर भी वह ऊपर गोलाकार अण्ड सदृश्य था यह माना जा सकता हैं। उसके ऊपर के छत्र नहीं मिले हैं। संभवत: वे काष्ठ के रहें होंगे, जो कालान्तर में नष्ट हो गए।[7]

बड़े स्तूप के चारों और चौकोर पीठ था, जिसके पूर्वोत्तर कोने में पाद प्रक्षालनार्थ एक आयताकार कुण्ड था। मूलस्तूप के चारों ओर पक्के चूने का प्रदक्षिणा पथ बनाया गया था। वह इतना मजबूत था कि सन् 1940 में वह पत्थर के समान था। अब वह पूर्णतया नष्ट हो चुका है। स्तूप के हेतु बनाई जाने वाली ईटि एक ओर चौड़ी और दूसरी ओर सकरी रहती थी, जिससे गोलाकार रचना में सरलता से बिठाई जा सके।

सांची के पश्चात कसरावद ही एक ऐसा स्थान है जहां पर्याप्त मात्रा में स्तूप हैं। कसरावद में 11 स्तूपों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन स्तूपों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं।

- यह स्थल स्तूपों का एक बड़ा समूह रहा हैं। इस स्थल पर आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। यहां जो ईटि प्रयुक्त हुई उनका आकार 50 से.मी. ु 25 से.मी. ु 75 से.मी. है। इन आधारों पर इन्हें मौर्यकालीन माना गया हैं। इनमें से कुछ स्तूपों को शिलाओं से आच्छादित किया गया था। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता हैं कि सांची की ही भांति यह कार्य शुंगकाल में ही सम्पन्न हुआ होगा।
- कसरावद का प्रथम स्तूप सबसे विशाल है। इसके व्यास लगभग 17.5 मीटर हैं
- इन स्तूपों के निकट सभागृह निवास स्थल एवम् विहार भी थे।
- इन स्तूपों प्राङमौर्यकालीन पर्याप्त अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहां के मृण्भाण्डों के जो अवशेष उपलब्ध हुए हैं, उनमें उत्तर चमकीलें काले बर्तनों के साथ काले लाल पात्र आदि मिले हैं
- कुछ मृण्भाण्डों पर जो उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुए हैं। उनसे यह विहार के अस्तित्व होने एवं उन विहारों में निवास करने वाले भिक्षुओं के नाम ज्ञात होते हैं।[8]

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. महावंश, 5/209-10;5/2; बौद्ध संस्कृति, पृ. 36-38; दीपवंश 8
2. प्राचीन मालवा में मंदिर वास्तुकला, कंवल डॉ. रामलाल, स्वाती पब्लिकेशन्स दिल्ली, पृ. 228
3. प्राचीन मालवा में मंदिर वास्तुकला, कंवल डॉ. रामलाल, स्वाती पब्लिकेशन्स दिल्ली, पृ. 72
4. प्राचीन भारतीय स्तूप गुहा एवं मंदिर, उपाध्याय डॉ. वासुदेवशरण, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना - 3, पृ. 64
5. एक्स्केवेशन ऑफ महेश्वर एण्ड नावडाटोड़ी, पृ. 27
6. वाकणकर वी.श्री., होलकर राज्य में एक महत्वपूर्ण उत्खनन, कसरावद, पृ. 3
7. वाकणकर वी.श्री., होलकर राज्य में एक महत्वपूर्ण उत्खनन, कसरावद, पृ. 103
8. प्राचीन मालवा में मंदिर वास्तुकला, कंवल डॉ. रामलाल, स्वाती पब्लिकेशन्स दिल्ली, पृ. 77

****

प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला

नम्रता उपाध्याय * डॉ. अल्पना उपाध्याय **

प्रस्तावना – मानव के मनोविज्ञान में कला चेतना की अनिवार्य स्थिति एवं योगदान अनुपेक्षणीय है। उससे उसके मन: प्रवाह को एकात्मकता और अखण्डता परिलक्षित होती है। मनुष्य–मनुष्य के बीच का सम्बन्ध तथा उसको संभव बनाने वाला सामाजिक परिवेश कला में किन–किन रूपों में प्रतिपुलित होता है, इसका भी बहुत–कुछ ज्ञान प्रागैतिहासिक चित्रों के विधिवत् अनुशीलन से प्राप्त किया जा सकता है और अन्यत्र भी किया गया है। सामाजिक विकास की वर्तमान स्थिति तक आते–आते मानव मन के जो बहुत से आदिम तत्व तिरोहित हो गए है, प्रागैतिहासिक चित्रकला उनकी और सीधा ध्यान आकृष्ट करती है। इससे मानवीय चेतना का उसके परिवर्तन रूपान्तरण एवं क्रमिक उन्नयन के विविध स्तर, जिनका ज्ञान किसी अन्य उपाय से संभव नहीं है, स्पष्ट दिखाई देने लगता है। भित्ति चित्रों के आखेट दृष्टा विरोधी पाशविक व शक्तियों पर मनुष्य की विजय का जीवन्त उद्घोष करते है। तथा विषम परिस्थितियों पर अपना मनोबल और बुद्धि बल की कलात्मक रीति से व्यक्त करते है। भित्तिा चित्र मनुष्य के स्वयं पशुपति बनने की गौरवपूर्ण साक्षी प्रस्तुत करते है। कला का प्रभाव विश्वजनीत होता है। भित्ति चित्रों में रूपायित अनुभव अनेक सहस्राब्दियों के बीत जाने पर भी निर्जीव नहीं हुआ और न आकृतियों का कलात्मक प्रभाव ही विनष्ट हुआ है। मौलिक उद्‌भावना शक्ति, भित्ति चित्रों में प्रचुर मात्रा में दृष्टिगत होती है।

इस दिशा के नवीन शोधकों प्रो. वी.एस. वाकणकर का नाम मुख्य रूप से लिया जा सकता है उन्होंने मध्यप्रदेश में भोपाल, ग्वालियर, मंदसौर आदि निकटवर्ती अनेक नवीन शिलाश्रयों की खोज की है तथा स्वयं ही उन पर अंकित महत्वपूर्ण चित्रों की बहुसंख्यक प्रतिकृतियाँ भी की है।

यह तो सर्वविदित है कि अपनी आदिम अवस्था में मनुष्य असभ्य वन्य–जन में कुछ अधिक अन्तर न था। वह परिभ्रमणशील जीवन व्यतीत करता था। उसका परिभ्रमण जीवन अधिकांशत: प्राकृतिक स्थिति एवं भोजन की संप्राप्ति पर ही निर्भर था। कंदमूल को खोदने, वन्य पशुओं को मारने के लिए वह स्थानीय पत्थरों से हथियार बनाता था। जिनका निर्माण नदियों में प्राप्त पत्थरों के टुकड़े कर उन्हें उपयुक्त आकृति देकर किया जाता था जिनके उपयोग से वह भोजन प्राप्त करता था तथा जंगली जानवरो से अपनी रक्षा हेतु करता था। किन्तु जब वर्षा ऋतु में या आँधि–तुफान की स्थिति में वह गुफाओं को अपना आश्रय स्थल बनाता होगा। तब इन्ही हथियारों से उन गुफाओं में उसने चित्र बनाने की शुरूआत की होगी।

मानव मन की यह प्रकृति है कि वह अपने भाव प्रकट किए बिना नहीं रह सकता इसे चाहे वह गुनगुना कर प्रकट करे नृत्य करके या फिर अपने मस्तिष्क में डोल रहे विचारों को अनगढ़ या फिर गढ़ी हुई रेखाओं के सहारे प्रकट करे। इसलिए आदिम काल में जब लिपि–चिन्हों का अविर्भाव नहीं हुआ था, तब मानव ने इन अनगढ़ रेखाओं के द्वारा अपने मस्तिष्क में घुमड़ते हुए विचार या प्राकृतिक चीजे जैसे पहाड़ नदियॉ झरने जीव–जन्तु जैसे छोटी सी चिड़िया या जंगली खुँखार शेर, गाय–भैस, या फिर विशालकाय हाथी की प्रतिकृति अपने इन आश्रय स्थलो से चित्रित करता होगा।

धीरे–धीरे उसने कल्पना कि धार को तेज करते हुए शिकार करते हुए चित्र तथा पाषाण जिनसे वो शिकार करता था वे सब भी उसने उन गुफाओं में चित्रित किए आज भी उन गुफाओं में जंगली जानवरों के शिकार चित्र, युद्ध दृश्य आखेट दृश्य, मानव के संघर्ष कि कहानी कहते है।

भारतीय चित्रकारी के शुरूआती चित्र प्रागैतिहासिक काल के है। अजंता, भीमबैठका गुफाओं के चित्र आज भी चित्रकला के अनुपम उदाहरण है। इसी तरह दक्षिण भारत के बादामी व सित्तानवसाल में भी भित्ति चित्रों के सुंदर उदाहरण पाए गए है इस प्रकार के भित्ति चित्र एलीफेंटा, बाघ जोगीमारा आदि गुफाओं में देखने को मिलते है। भारत के इन जगविख्यात कलातीर्थो को देखने के लिए देश–विदेश के सेकड़ों कला–यात्री यहॉ आते है। जिन्होने भी इन चित्रों को देखा उन्होंने मुग्ध होकर उन अनाम कलाकारों की मुक्तकंठ से प्रशंक्षा की है।

1. महादेव पर्वत श्रेणी में पंचमढ़ी – इस क्षेत्र के अंतर्गत ईमली खार नींबूभोज महादेव डोरो थीडीप बाजारकेन, बनिया बेरी, काजरी, छोटा महादेव आदि कई स्थल है। यहॉ पर आखेट के दृश्यों अतिरिक्त दैनिक जीवन के भी चित्र बनते है, जिनमें गाय चराते हुए तथा शहद इकट्ठा करते हुए व्यक्ति चित्र है। बाजार केव में बकरी का एक प्रमुख चित्र है, यहां पर सितारवादक व गर्धभमुख देवता है। ये प्राय: लाल बाह्य रेखा से युक्त सफेद चित्र है। नीबूभोज में सफेद रंग में परिवार के बीच तंतुवादन का विशेष चित्र है। इमलीखोर में पंचमढ़ी की प्राय: सभी शैलियों के चित्र मिलते है। महादेव में शैर का शिकार चित्रित है, बनिया बेरी में स्वास्तिक पूजा के दो दृश्य अंकित है। गान्टेरोजा और डोरो थोडीव में सफेद रंग के तथा लाल बाह्य रेखा वाले चित्र मिलते है।

2. होशंगाबाद क्षेत्र – यह स्थान पंचमढ़ी से लगभग 45 मील दूर नर्मदा के तट पर स्थित है। इसके पास ही एक आदमगढ़ नामक पहाड़ी है। इस पहाड़ी पर अनेक शिलाओं पर आदिम प्रकृति के चित्र अंकित है। यहॉ पर हल्के पीले रंग का एक विशाल हाथी का चित्र भी है। इससे भी प्रमुख एक बहुत बड़े भैसे का 10'6' फीट आकार का चित्र है जो दोहरी शाखाओं में शिलाश्रय के उपरी भाग के पूरे विस्तार में अंकित है।

3. भोपाल क्षेत्र – वैसे तो म.प्र. में प्रागैतिहासिक चित्रकला के नमूने भोपाल, रायसेन, कटनी, सागर, पन्ना, छतरपुर, नृसिहपुर, ग्वालियर तथा

*शोधार्थी (चित्रकला) माधव महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** गााईड (चित्रकला) माधव महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

चम्बल घाटी में प्राप्त हुए है। जिनकी शोध का प्रमुख श्रेय वेदानंद, वाकणकर, सत्येन मुखर्जी तथा श्यामकुमार पांडे आदि शोधकों को है। अभी तक भोपाल ही सूचीबद्ध उपलब्ध शिलाश्रयो की स्थितिओ को संख्या की दृष्टि से संभवत इन सभी क्षेत्रों में सबसे अधिक विस्तृत ओर समृद्ध है। एक और यहाँ पर भीम बैठका गुफाओं की खोज हुई है। जिससे भारतीय प्रागेतिहासिक चित्रकला के क्षेत्र में एक क्रांति पैदा हुई है। इन में से प्रमुख गुफाओं का सविस्तार वर्णन इस प्रकार है।

1. **भीम बैठका –** मध्यप्रदेश के रायसेन जिले में विश्व का सबसे बड़ा भित्ति चित्रों का भण्डार है, भीम बैठका में इन भित्ति चित्रों की खोज का श्रेय पद्मश्री स्व. डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर को जाता है। उन्होंने इस स्थल की खोज सन् 1957-58 में की थी। इन चित्रों को पॉच समुहों में विभाजित किया गया है शेष दो समूह रेहटी मार्ग के पश्चात के क्षेत्र में सम्मिलित किये गए है। यहाँ पर चित्रित चित्रों में आखेट दृश्य, युद्ध दृश्य, पशु-पक्षी तथा जलचर, व्यक्ति चित्र, आलेख धार्मिक चित्रण प्रमुखता से चित्रित है। इन चित्रों में सफेद व लाल रंग का उपयोग प्रमुखता से किया गया है। इन भित्ति चित्रों में लाल व सफेद रंग का उपयोग प्रमुखता से किया गया है। यहॉ पर सफेद रंग से चित्रित मध्यकालीन चित्र है, जिनमें युद्ध दृश्य, पैदल व घुड़सवार मुख्य है। हिरण का शिकार करते शिकारी उल्लेखनीय है। एक चित्र लाल रंग का है, जो लगभग एक मी. लम्बा काल्पनिक पशु का चित्र है, जिसमें सींग है, मध्य में दो कान भी है, पैर बैल जैसे है तथा मुँह दरियाई घोड़े सादृश्य प्रतीत होता है। गुफा न दस में नृत्यरत गणेशजी की लाल रंग से चित्रित आकर्षक आकृति है। सफेद चित्रों के ऊपर गहरे लाल रंग से कई घुड़सवार व पैदल योद्धा है जिन्होंने घुटने तक जूते पहन रखे है तथा हाथों में ढाल तलवार है। घोड़ो की आकृतियॉ विचित्र है। इसी तरह धनुर्धारी व्यक्ति का चित्र है। देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि वह नृत्य कर रहा है।

जोगीमारा की गुफा – जोगीमारा की गुफाएँ मध्यप्रदेश की सरगुजा रियासत में अमरनाथ नामक स्थान पर नर्मदा नदी के उद्गम स्थान पर स्थित है। विद्वानों के अनुसार इसका निर्माण 300 से 1000 ई.पू. माना जाता है अपने समय की सर्वोत्कृष्ठ कृति जोगीमारा की गुफा मानी जाती हे। ये गुफा 10 फीट लंबी 6 फीट चौड़ी तथा 6 फीट ऊँची है। इसके द्वार बहुत छोटे है। यहॉ पर चित्रों का निर्माण चूने के पुते सफेद धरातल पर बनाए गए है। इन चित्रों में काले, लाल, पीले तथा सफेद रंगो का प्रयोग किया गया है। कही-कही खुरदुरी सतह पर बिना आधार के चित्र बनाए गए है। कुछ चित्र अस्पष्ट है अन्य गुफाओं की तरह कोई धार्मिक विषय-वस्तु नही है, फिर भी प्राचीन चित्रकला का यह एक अद्‌भूत नमूना है। ये चित्र मानव के विधिवत भित्ति चित्रण की और प्रथम प्रयास प्रतीत होते है।

विद्धानों के अनुसार जोगीमारा की गुफा की छत में 7 चित्र है। इनमें मानवाकृति, मछली एवं हाथी का चित्रण है। एक चित्र में कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठे है, एक चित्र में नर्तकी बैठी है और उसके चारों और गायक है व नर्तक नाच-कूद रहे है। यह चित्र कुछ-कुछ अजंता के चित्र से मिलता-जुलता है।

बाघ की गुफा – अजन्ता के बाद गुफा चित्रों की परम्परा बाघ की गुफाओं में दृष्टिगोचर होती है ये गुफाए मध्यप्रदेश में ग्वालियर के पास धार जिले के अंतर्गत विन्ध्यश्रेणी में भीलों की बस्ती में विद्यमान है। सन् 1907-1908 में ये गुफाए प्रकाश में आई। सर्वप्रथम इन गुफाओं को सन् 1818 ई. में लेफ्टीनेंट डेन्गर फिल्ड ने देखा था वे गुफाए नर्मदा की सहायक नदी बाघ के तट पर स्थित है। इसी कारण इन गुफाओं को बाघ की गुफा कहा जाता है। ये गुफाए इस नदी से 150 फीट की ऊँचाई पर है। ये कुल 9 गुफाए है जिनका सामना लगभग 750 फीट है, इनमें पहली गुफा को गृह गुफा कहते हे। यह गुफा चार स्तम्भ वाली है और एक 23×24 फीट के कमरे के समान है। बाघ की गुफाओं के सम्बन्ध में काफी मतभेद है, कुछ विद्वानों ने इन्हें अंजता की गुफाओं के समकालीन कहा है। स्मिथ ने इनका समय 626-628 ई. माना है जबकि अजन्ता की पहली व दूसरी गुफा का निर्माण इसी समय हुआ था।

बाघ की गुफाओं में प्रकृति का मनोहारी चित्रण हुआ है, पशु-पक्षियों का सुंदर तथा सजीव चित्रण हुआ है। घोड़े, हाथी तथा बैल भी बहुत सुन्दर बनाए गए है। अजंता की नारी यहाँ की अपेक्षा चौड़ी एवं स्वस्थ बनाई गई है किन्तु भाव-भंगिमा में चित्रकार ने जो भाव दिखाना चाहा उसमें वह सफल रहा। यहाँ के चित्रों में जीवन की विविधता मिलती है, कही नर्तक है तो कही गायक, कही विरहाकुल नारी है तो कही हाथी घोड़े के जुलूस आदि। यहाँ के चित्रों में धार्मिकता का आभास नहीं होता है।

अजन्ता की गुफा – सैकड़ों वर्षो तक घने जंगलों में जानवरों, चमगादड़ों व पक्षियों का निवास बने रहने के कारण सन् 1819 ई. में इन कला मंदिरों का दर्शन मद्रास सेना के उन अधिकारियों को हुआ जो वहाँ शिकार की खोज में पहुँचे थे। उसके तीन वर्ष बाद 1822 ई. में विलियम रसकिन ने बाम्बे लिटरेरी सोसाइटी के लिऐ एक लेख में अंजता में प्राप्त कला मंदिरों का विस्तृत वर्णन किया। फिर 1824 ई. में जेम्स ई. एलेक्जेन्डर ने इन गुफाओं का दर्शन किया और उन्होंने इसमें सुरक्षित सुंदर चित्रों की सूचना रॉयल एशियाटीक सोसाइटी को दी सन् 1844 ई. में महान चित्रकार राबर्ट गिल ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपि तैयार की जिनका कि इग्लैण्ड में क्रिस्टल पैलेस में प्रदर्शन हुआ।

अजंता के चित्र टेम्परा स्टाईल में बने हुए है। जहाँ तक रंगो का प्रश्न है अजंता के चित्रकारों के पास गिने चूने ही रंग थे सफेद, लाल, गेरूआ, पीला, हरा तथा कहीं-कहीं नीला रंग भी प्रयुक्त हुआ है। काले रंग से सीमा रेखाओं को बनाया है। अजन्ता के चित्र जातक कथाओं पर आधारित है। इन चित्रों में जीवन के विभिन्न पहलुओं का दर्शन होता है। गॉव का एकांत जीवन, नगरो का विलासमय जीवन भी भिखारी, मछूए, युद्धरत सैनिक, शिकारी आदि सभी चित्रण अजन्ता की विशेषता है। एक ओर पशु, पक्षी, पुष्प, बैले, यक्ष, किन्नर, नाग गरूड़, यक्ष गंधर्व अप्सरा आदि के चित्र बने है, वहीं दूसरी और बुद्ध बोधित्सव राजा-रानी विभिन्न मुद्रा में ये बुद्ध उनका जन्म, निर्वाण और जीवन की अनोखी घटनाएं प्रमुख है।

इस प्रकार हम कह सकते है कि भारतीय चित्रकला के इतिहास में भित्ति चित्रों का महत्वपूर्ण स्थान है। भित्ति चित्रकला की थाती से ही भारतीय चित्रकला के जीवित इतिहास का पता चलता है, नमन है, उन अनाम चित्रकारो को जिनके कारण आज हमारा चित्रकला जगत इतना परिपूर्ण है व नयी-नयी टेक्नीक (शैली) के जरिए चित्रों के संसार में नित नयी आयाम गढ़ रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रांकन - डॉ. जगदीश गुप्त।
2. कोटा भित्ति चित्रांकन परम्परा - डॉ. बद्रीनारायण वर्मा।
3. मध्यप्रदेश के पुरातत्व की रूपरेखा - डॉ. मोरेश्वर ग. दीक्षित।
4. भारतीय चित्रकला का इतिहास - वाचस्पति गेरोला।
5. प्राचीन भारत - राजेश जोशु।
6. भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास - डॉ. रीता प्रताप।
7. भीम बेठका एवं भोजपुर - डॉ. नारायण व्यास।
8. भारतीय शिल्प - राममनोहर लोहिया।

होली दरवाजा का अलंकारिक सौन्दर्य - एक दृश्यात्मक समालोचन

रेखा गुप्ता *

शोध सारांश – मथुरा प्राचीन काल से ही कला का केन्द्र रहा है, यह नगरी धार्मिक महत्व के साथ ही कलात्मक महत्व भी रखती है। इसका प्रमाण होली दरवाजा जो कि मथुरा का हृदय स्थल माना जाता है, से मिलता है। यह दरवाजा भव्य एवं उत्क्रीर्णित अलंकरण से युक्त है। इसमें ज्यामितीय, प्राकृतिक अलंकारिक एवं सूक्ष्म आलेखनों को कलाकार ने अपनी छेंनी व हथौड़ी से उकेरा है। इसकी उत्क्रीड़ित कला अनूठी है व मथुरा शहर के सौन्दर्य को ऐतिहासिक बनाती है। किन्तु अब इसमें कालग्रसित अंश दिखाई पड़ने लगे हैं। इस धरोहर को संजोने की आवश्यकता है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी इसकी कला के सौन्दर्य का रसपान कर सके।

प्रस्तावना – मथुरा की एक धार्मिक नगरी के रूप में माना जाता है । आद्य ऐतिहासिक काल के पूर्व से ही यह धार्मिक कला केन्द्र के रूप में भी प्रतिष्ठित हो चुका था। ईसवी सन् के कई सौ वर्ष पूर्व यहाँ स्थापत्य और मूर्तिकला का उदय हो चुका था। इसकी गणना भारत के प्रधान कला केन्द्रों में होती थी और मथुरा ने अपनी एक विशिष्ट कला शैली का विकास किया था। मथुरा की प्राचीन कला में ईरान और यूनान की कलाओं का समन्वय मिलता है। कुषाण वंशी राजाओं के शासन काल में मथुरा की वास्तुकला को विशेष उत्कर्ष का अवसर प्राप्त हुआ। सीकरी और रूपवास के लाल बलुआ पत्थरों का मूर्ति निर्माण में प्रयोग मथुरा के कला सम्प्रदाय की सबसे बड़ी देन माना जाता है। मथुरा कला के नमूने शिल्पियों द्वारा सारनाथ, श्रावस्ती, पाटलीपुत्र, राजगृह और साँची तक भेजे जाते थे। बुद्ध प्रतिमा की मौलिक सृष्टि मथुरा में ही हुई। कुषाण सम्राटों की मूर्तियों के अतिरिक्त यक्षिणियों, वृक्षिकाओं, शिव, सूर्य, चन्द्र, स्कन्द, अग्नि आदि हिन्दू देवी-देवताओं की प्रतिमाऐं इसका प्रमाण हैं कि प्राचीन कला से ही ब्रज क्षेत्र मन्दिर देवालयों का प्रधान केन्द्र था। काल कृपा से ये नष्ट होते रहे या नष्ट किये जाते रहे और नये-नये बनते रहे। जाट राजाओं के शासन काल में यहाँ कुछ मन्दिरों का निर्माण कराया गया जिनकी स्थापत्य कला एवं उत्क्रीणित अलंकरण राजस्थान की कला से मिलती-जुलती है।

अधिकाशत: यह मन्दिर होली गेट के अन्दर स्थित हैं यह गेट लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इसका उत्क्रीणित आलेखन अनायास ही मन को मोह लेने वाला है। इसी विशाल गेट के अन्दर छत्ता बाजार, हाथी घाट, डोरी बाजार, असकुंडा घाट, स्वामी घाट, चौक बाजार, मण्डी रामदास आदि कई बाजार एक के बाद एक है। यह बाजार बहुत ही संकरे हैं किन्तु भीड़ भाड़ हमेशा बनी रहती है, यहीं कई छोटे बड़े मन्दिर हैं , जो अपनी वैभव गाथा के स्वयं ही परिचायक हैं। अन्पूर्णा देवी का मन्दिर, मथुराधीश का मन्दिर, द्वारिकाधीश का मन्दिर, गोवर्धन नाथ का मन्दिर, गोपीनाथ का मन्दिर, लक्ष्मी जी का मन्दिर, गंगा देवी का मन्दिर, वाराहदेव मन्दिर आदि अपने वास्तु एवं उत्क्रीणितकला में उच्च कोटि के मन्दिर हैं। इन मन्दिरों के वैभव एवं सौन्दर्य की पहचान होली गेट को देखकर ही हो जाती है।

ऐतिहासिक विवरण – मथुरा शहर के चारों ओर एक दीवार होने का प्रमाण मिलता है, जिसका जिक्र एफ. एस. ग्राउज ने भी किया है। चारों दिशाओं में भव्य दरवाजे थे, जिनके नाम थे- 1.वृन्दावन दरवाजा, 2. डीग दरवाजा, 3. भरतपुर दरवाजा, होली दरवाजा।

वृन्दावन, डीग, भरतपुर दरवाजा तो अब केवल नाम ही शेष हैं। अंग्रेजी शासन में मथुरा के जिलाधिकारी ब्रैड फोर्ड हार्डिग के सम्मान में होली दरवाजा दोबारा सुधरवाया और बनवाया गया। नगर पालिका के एक योग्य इंजीनियर यूसुफ ने इसका मौजूदा नक्शा तैयार किया। जो बेहतर सूझबूझ दर्शाता है।

हार्डिग के सम्मान में इसका नाम हार्डिग गेट रखा गया। किन्तु इसको पहले सिटी गेट और बाद में होली दरवाजा नाम से ही पुकारा गया। इसके ऊपर क्यूपोला बनाया गया। क्युपोला एक इमारतों के शीर्ष पर बनने वाले छतरीनुमा गुम्बद को कहते हैं, ऊपर चार कियोस्क बनाये गए हैं। 'कियोस्क' हवादार छतरी, बरसाती जैसे निर्माण को कहते हैं। यह गोल भी हो सकता है और षष्ठकोणीय या पंच कोणीय भी। इन अतिरिक्त निर्माणों में रू0 3493 का खर्च आया था। सन् 1875 में दो दुकानों सहित कुल खर्च रू0 13431 आया था।

दृश्यात्मक विवरण – यह दरवाजा लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है, इसके ऊपरी भाग में जो गुम्बद है, उसकी चोटी पर खिले हुए कमल पुष्प की डिजायन है। उसके निचले भाग में छतरी का डिजायन है जिसका बोर्डर कंगूरेनुमा पत्तियों से सुसज्जित है। इसके नीचे चारों दिशाओं में चार अर्द्धचन्द्रकार ढलवा छज्जे बने हुए हैं। इन छज्जों के नीचे चारों दिशाओं में एक-एक गोल आकृति दी गयी है। जिसमें घड़ी का स्थान अब लकड़ी के पट्टों से बन्द कर दिया गया है जबकि उत्तर एवं दक्षिण की दिशा में जो घड़ी लगी है, वह चलती है। इसी घड़ी के चारों ओर उत्क्रीणित अंलकारिक डिजायन बने हुए हैं। ये डिजायन एक के बाद एक छोटे बडे ब़ोर्डर में हैं जो कि मिलकर बारीक उत्क्रीणन को दर्शाते हैं। इस गुम्बद के दोनों ओर चारों दिशाओं के कोने पर एक-एक हवादार छतरीनुमा गुम्बद बने हैं, जो कि मध्य की तुलना में आकार में छोटे हैं, ये आकर में अष्टभुजाकार हैं, इनके ऊपर की छतरीनुमा गुम्बद गोल है, इसे हवादार बनाने के लिए आठ खम्बों पर टिकाया गया है। खम्बों का आधार भी अष्टभुजाकार है, जिसके बोर्डर पर कमल की पंखुडी के समान कंगूरे बने हुए हैं।

* शोधार्थी (चित्रकला) मेवाड़ विश्वविद्यालय, चित्तौड़गढ़ (राज.) भारत

इसके नीचे एक सुन्दर अलंकारिक बेल दिखाई देती है,जिसमें चार पंखुडियों के डिजायन को उत्क्रीड़ित किया गया है। इस बेल के नीचे लगभग दो फुट का ढलवा छज्जा है, इसके किनारे पर शंखनुमा छोटी–2 आकृति हैं। इस छज्जे के नीचे दरवाजे का फ्रंट डिजायन है इसमें तीन ओर से चौडे व पतले बॉर्डर उत्क्रीड़ित किये गये हैं। किनारे पर दोनों ओर गोल खम्भे नुमा आकार का बोर्डर है, इसका डिजायन रस्सी की एंठन के समान दिखाई पड़ता है। इसके बाद एक चौड़ा बोर्डर अलंकारिक फूल पत्ती व डण्ठल से युक्त है। इसके दोनों ओर प्लेन हाशिया छोड़ा गया है। इसके बाद एक चौड़ा बोर्डर है, जिसमें ज्यामितीय आलेखन उत्क्रीड़ित है, फिर कमल की पंखुड़ि के आकार का बोर्डर है इसके बाद दरवाजे में कंगूरेदार महराव बनाये गए हैं। द्वार के दोनों कोने अलंकारिक फूल पत्तियों से अत्यधिक सुसज्जित हैं।

इस द्वार के दाँये व बायें ओर आयताकार व त्रिभुजाकार के अर्न्तगत उत्क्रीणित अलंकारिक आलेखन बने हुए हैं। ऊपर की ओर त्रिभुज में फूलदान है इसमें अलंकारिक फूल, पत्ति, कली व डण्ठल बने हैं। इसके नीचे आयताकार के अन्तर्गत सूक्ष्म आलेखन उत्क्रीणित किया गया है। इसके नीचे दो पैनल हैं, दोनों में गुलदस्ते का डिजायन है। एक गुलदस्ता क्षतिग्रस्त हो गया है। जबकि दूसरे गुलदस्ते में फूल खिले हुए हैं व फूलों पर बैठे हुए दो तोते बड़े ही आकर्षक लग रहे हैं। इसके नीचे पुन: दो आयताकार बने हैं। जिनमें लयात्मक आलेखन बनाया गया है। इनके बगल में ही दो दुकानों का बोर्डर भी बलुआ पत्थरों से सुसज्जित है। इससे गेट का आकार बड़ा व भव्य दिखाई देता है।

इस दरवाजे में पीछे की ओर से दोनों ओर ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़िया हैं, दरवाजे की मोटाई वाली दीवार को भी इसी प्रकार भव्य व उत्क्रीडित बनाया गया है। कहीं प्राकृतिक तो कहीं लयात्मक आलेखन हैं, कहीं ज्यामितीय तो कहीं सूक्ष्म डिजायन बनाए गए हैं। होली गेट का यह भव्य विशाल दरवाजा अपने शहर की ऐतिहासिक कला का स्वयं ही गुणगान करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. Acharya Prasanna Kumar, An encyclopaedia of Hindu architecture, oxford University Press, 1946.
2. Banhan, Reyner, Theory and Design in the First machine age, Architectural Press, 01 Dec 1980.
3. Bharatdiscovery.org>india>
4. Boueker John, The Cambridge Illustrated History of Religious, Cambridge University, Press, 2002.
5. Doris Meth Srinivasan, Mathura – The cultural Heritage, 1989, AIIS/Manohar.
6. Drake Brockman, D. L. 1911. "Mathura A Gazttur.
7. Dwivedi G.C., The Jats, their role in the Mughal Empire, Publisher M/S originals, Delhi, 2003.
8. Gupta Vinay Kumar, Mathura: An Art and Archeological study, Keyeri Books, 2013.
9. Growse, F.S. 1882, "Mathura A District Memoir.
10. Hind A.M. History of Engraving and Etching, Dover, 1923 repr, 1963.
11. Jain Shikha, Havelis: A Living Tradition of Rajsthan, India shubhi Publication Gurgon, 2004.
12. Mukherjee, B.N. 1981, Mathura and its Society: The Saka-Pahlava Phase. Firma K.L.M. Private Limited, Calcutta.
13. Qanuago, K.R. history of The Jats, Ed. Dr. Virsingh, Delhi 2003.
14. Rao Ramachandara , S.K. Vastu – Silpa Kosha, Devine Books.
15. Sharma, R.C. 1976, Mathura Museum and Art. 2nd revised and enlarged edition. Government Museum, Mathura.
16. Tadgell, Christopher, The history of architecture in India: From the dawn of civilization to the end of the Raj London, Architecture Design and Technology Press, 1990.
17. Thakur Deshraj – Jat Itihas' (Hindi, Maharaja Surajmal Smarak Shiksha Sansthan, Delhi 1934, 2nd edithion 1992.

****

कोटा संभाग के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों की दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रति जागरूकता व उपयोगिता का अध्ययन

डॉ. महावीर प्रसाद गुप्ता * शीला तिवारी **

प्रस्तावना – विज्ञान के द्रुतगामी विस्फोट एवं क्रांति के कारण मानव जीवन का हर क्षेत्र प्रभावित हुआ, जिससे शिक्षा जगत भी अछूता नहीं रहा है। क्रांति के फलस्वरूप ही पौराणिक शिक्षण प्रथा में उत्थान हुआ है, समय एवं काल की दृष्टि से हमारी शिक्षा रटने की पद्धति पर आधारित है, जो शिक्षक केन्द्रित है।

शिक्षक परम्परागत पद्धतियों अर्थात व्याख्या पद्धति, के अनुसार अध्यापन करवाकर अपने कार्य का श्रेय लेना चाहता है, परन्तु शिक्षा में आधुनिकता के प्रवेश से इस परिस्थिति में परिवर्तन हुआ है। इसका एक अच्छा दृश्य श्रवय सामग्री की उपयोगिता। जहाँ अध्यापक, विभिन्न माध्यमों अथवा तकनीक का प्रयोग करके, शिक्षण कार्य करवा सकता हैं।साधनो के रूप में वह गैर पारम्परिक व पारम्परिक साधनों का प्रयोग कर सकता है।

इनकी सहायता से अध्यापक, शिक्षण और अधिगम प्रकिया में वर्धन कर सकेगें तथा विभिन्न क्रियाकलापो का विकास कर सकेगें इसके लिए वे उपकरणो के उपयोग के विभिन्न उपायों को उत्पन्न कर सकेगें। अपनी शिक्षण पद्धति में नवाचार ला सकेगें साथ ही साथ उनके अनुभवों में विकास भी सम्भव हो सकेगा तथा वे अपने अनुदेशन उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेगें। इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि दृश्य श्रव्य साधनों से शिक्षण की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। इस हेतु अध्यापक को विभिन्न शिक्षण व्यूह रचना का निर्माण करना होगा जो उन्हे भविष्य में लाभान्वित करेगा।

इन्ही उद्देश्यों की पूर्ति हेतु माध्यमों/उपकरणों व इनसे संबंधित विधियों का प्रयोग शिक्षक उचित रुप से करेगें, तो ज्ञान स्थाई व सरल होगा तथा शैक्षिक अनुभव भी स्थाई हो सकेगा, परन्तु प्रत्येक शिक्षक को इनका प्रयोग उचित रुप से करना होगा, अन्यथा शिक्षण कार्य में वे प्रभावशीलता नहीं ला पाएगें।

इसी कारण शिक्षा के बदलते स्वरूप को ध्यान में रखते हुए,विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में अभ्यास कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करने हेतु प्रेरित किया जाता है। इसी कारण से इस प्रकरण पर, शोध अध्ययन आवश्यक है। ताकि भविष्य में बनने वाले अध्यापक सम्बन्धित तकनीकी ज्ञान का सही रूप से प्रयोग कर पाए, इस दिशा में अब तक शोध कार्यो में अध्ययन कम हुआ है, अत: शोधकर्त्री ने निम्न विषय कस चयन कर शोध कार्य का मानस बनाया।

उद्देश्य (Object) –

1. पूर्व स्थापित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयो के छात्राध्यापकों व छात्राध्यापिकाओं की दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रति जागरूकता व उपयोगिता का अध्ययन करना।
2. नवीन स्थापित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के छात्राध्यापकों व छात्राध्यापिकाओं की दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रति जागरूकता व उपयोगिता का अध्ययन करना।
3. नवीन एवं पूर्व स्थापित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के छात्राध्यापकों व छात्राध्यापिकाओं की दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रति जागरुकता में एवं उपयोगिता में तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध परिकल्पनाऐं (Hypothesis) –

1. पूर्व स्थापित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राध्यापकों व छात्राध्यापिकाओं की दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है।
2. पूर्व स्थापित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राध्यापकों व छात्राध्यापिकाओं की दृश्य श्रव्य सामग्री की उपयोगिता में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है।
3. नवीन स्थापित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयो में अध्ययनरत छात्राध्यापकों व छात्राध्यापिकाओं की दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है।
4. नवीन स्थापित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राध्यापकों व छात्राध्यापिकाओं की दृश्य श्रव्य सामग्री की उपयोगिता में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है।

न्यादर्श (Sample) – इस अध्ययन में कोटा संभाग के 10+10=20 यादच्छिक विधि द्धारा चयन किया गया, 1000, 100 प्रशिक्षणार्थियो का चयन उद्देश्यपरक विधि द्धारा किया गया।

श्रव्य सामग्री के प्रति उपयोगिता (प्रश्नावली के आधार पर)

3 श्रव्य सामग्रियों में से 1 सामग्री के प्रति उपयोगिता

महाविद्यालय	Gender			
	Male		Female	
	N	%	N	%
स्थापित	51	40.8	51	35.00
नवीन	74	59.2	95	65.00
Total	**125**	**100.00**	**146**	**100.00**

3 श्रव्य सामग्रियों में से 3 सामग्री के प्रति उपयोगिता

महाविद्यालय	Gender	
	Male	Female

* निदेशक (शिक्षा) केरियर पोइंट विश्वविद्यालय, कोटा (राज.) भारत
** शोधार्थी (शिक्षा) केरियर पोइंट विश्वविद्यालय, कोटा (राज.) भारत

	N	%	N	%
स्थापित	188	72.32	154	57.04
नवीन	72	27.68	116	46.4
Total	**260**	**100.00**	**270**	**100.00**

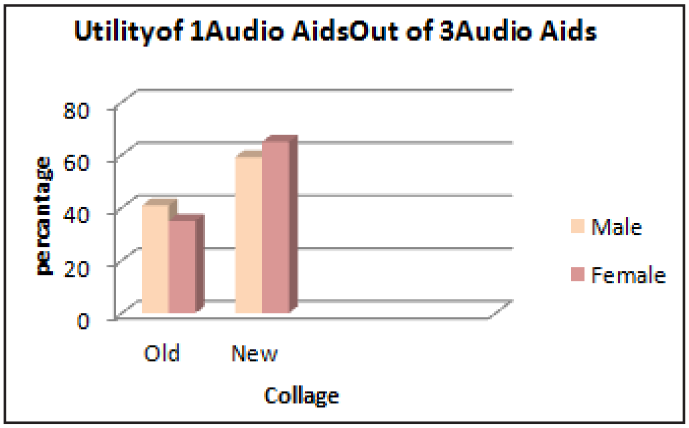

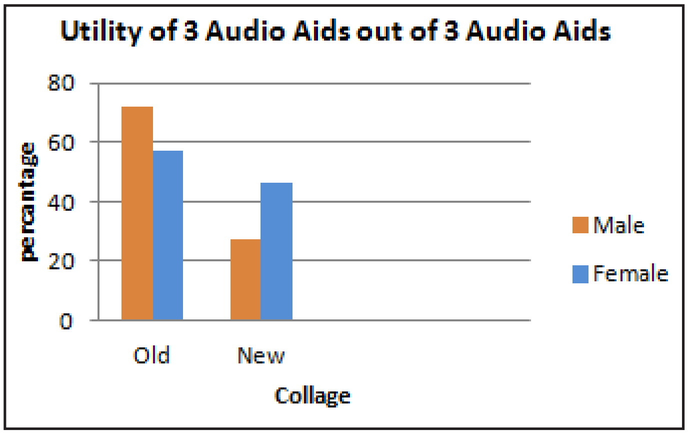

दृश्य सामग्री के प्रति उपयोगिता (प्रश्नावली के आधार पर)

14 दृश्य सामग्रियो में से 3 सामग्री के प्रति उपयोगिता

महाविद्यालय	Gender			
	Male		Female	
	N	%	N	%
स्थापित	17	44.74	3	18.75
नवीन	21	55.26	13	81.25
Total	**38**	**100.00**	**16**	**100.00**

14 दृश्य सामग्रियों में से 6 सामग्री के प्रति उपयोगिता

महाविद्यालय	Gender			
	Male		Female	
	N	%	N	%
स्थापित	90	69.23	100	58.8
नवीन	40	30.77	70	41.17
Total	**130**	**100.00**	**170**	**100.00**

14 दृश्य सामग्रियों में से 10 सामग्री के प्रति उपयोगिता

महाविद्यालय	Gender			
	Male		Female	
	N	%	N	%
स्थापित	115	54.76	125	53.19
नवीन	95	45.23	110	46.80
Total	**210**	**100.00**	**235**	**100.00**

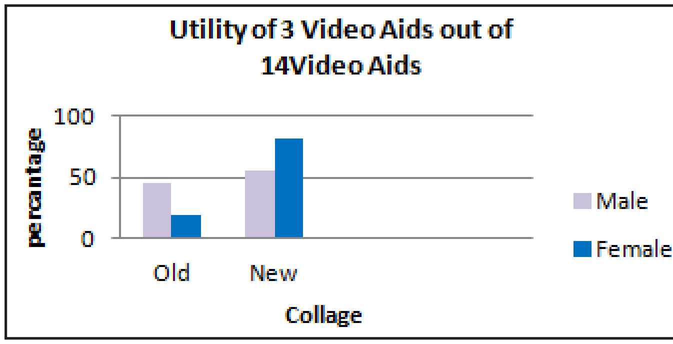

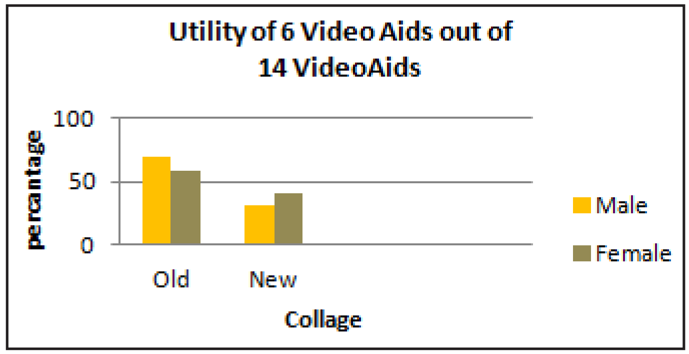

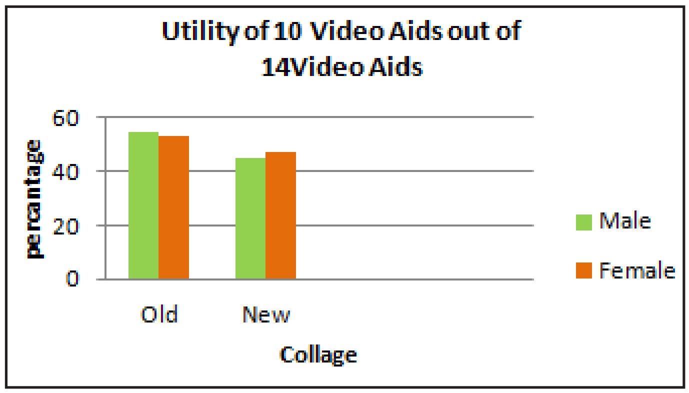

दृश्य-श्रव्य सामग्री के प्रति उपयोगिता (प्रश्नावली के आधार पर)

10 दृश्य श्रव्य सामग्रियो में से 3 सामग्री के प्रति उपयोगिता

College	Gender			
	Male		Female	
	N	%	N	%
Old	30	25.00	49.5	27.50
New	90	75.00	130.5	72.50
Total	**120**	**100.00**	**180**	**100.00**

10 दृश्य श्रव्य सामग्रियो में से 6 सामग्री के प्रति उपयोगिता

College	Gender			
	Male		Female	
	N	%	N	%
Old	137.5	68.75	112.5	55.00
New	62.5	31.25	92.5	45.00
Total	**200**	**100.00**	**205**	**100.00**

निष्कर्ष– श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री तथा दृश्य–श्रव्य सामग्री के चरो के मध्य तुलनात्मक अध्ययन करने पर स्थापित तथा नवीन महाविद्यालयों में उपयोगिता व जागरूकता के प्रति अध्ययन करने पर कोई विशेष अतंर नहीं पाया गया।

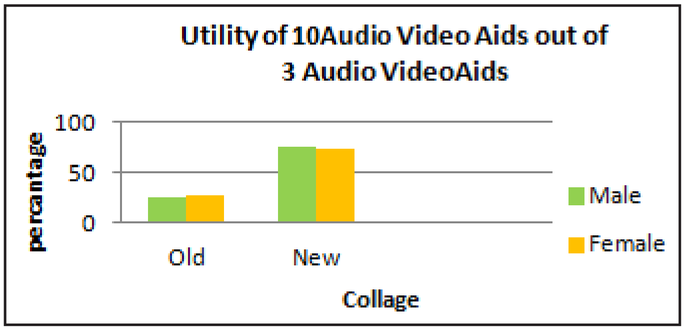

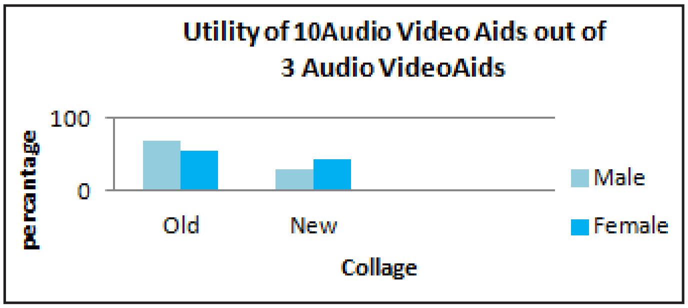

दृश्य–श्रव्य सामग्री की जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन (नवीन व स्थापित महाविद्यालय में)

माध्यम	महाविद्यालय प्रकार	N	माध्य	मानक विचलन	Z	परिणाम
दृश्य श्रव्य	पूर्व	500	3.24	0.657	4.26	***
	नवीन	500	2.64	0.749		

दृश्य श्रव्य सामग्री की उपयोगिता का तुलनात्मक अध्ययन (अवलोकन पत्र के आधार)

महाविद्यालय का प्रकार	N	माध्य	मानक विचलन	Z	परिणाम
पूर्व	500	5.970	0.323	2.517	*
नवीन	500	5.781	0.422		

****

बी.,चर प्रशिक्षार्णियों की जनसंचार माध्यमों के प्रति जागरूकता एवं शिक्षा पर प्रभाव

महेश चन्द्र शर्मा * डॉ. भंवर लाल नागदा **

प्रस्तावना – जनसंचार माध्यमों से तात्पर्य 'उन सभी भौतिक संसाधनों से है, जो संचारक और प्रापक के मध्य में सेतु का कार्य करते हैं और जिनके द्वारा सूचना के सम्प्रेषण का कार्य जन-जन तक किया जाता है।'

लोकतंत्र में जनसंचार माध्यमों का विशेष महत्त्व है। आज प्रत्येक व्यक्ति अपने आस-पास, देश-विदेशों में होने वाली घटनाओं के बारे में जानने को जिज्ञासु रहता है। उसकी जिज्ञासा शान्त करते ही विधि, साधन संचार ही है, जैसे टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र, टेलीफोन, इन्टरनेट, मोबाइल फोन, वायरलेस, फेक्स तथा पत्र-पत्रिकाएँ आदि।

जनसंचार माध्यमों की आवश्यकता एवं महत्त्व – शिक्षा के क्षेत्र में इन्टरनेट ने ज्ञान का स्वतन्त्र बाज़ार दिया है। जिसमें शिक्षार्थी अपनी आवश्यकतानुसार ज्ञानार्जन कर सकता है। इन्टरनेट में अधिगम प्रक्रिया को अत्यन्त सरलीकृत कर सकता है। इन्टरनेट में अधिगम प्रक्रिया को अत्यन्त सरलीकृत तथा सुविधाजनक रूप में प्रस्तुत किया है। इसकी सहायता से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के विद्यार्थी आक्सफोर्ड, क्रेम्ब्रिज, हावर्ड युनिवरसिटी तथा लन्दन स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स का ज्ञान कम कीमत पर घर बैठे आसानी से उपलब्ध कर सकता है।

विद्यालयी शिक्षा में प्रौद्योगिकी के योगदान पर दृष्टि डाले तो इसका उपयोग शिक्षा एवं प्रशिक्षण व्यवस्था में पाठ निर्माण एवं प्रदर्शन, अध्यापन, विज्ञान प्रयोग, भाषा एवं विश्वकोष समय-सारणी, इन्टरेक्टिव, सी.डी. का प्रयोग ई-लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग, अभिक्रमित अधिगम तथा शिक्षानुसंधान आदि में हो रहा है। शिक्षा प्रबन्धन में पेपर निर्माण, परीक्षा कार्य, मूल्यांकन में, शिक्षा, संस्थापन में फिस विवरण, रजिस्ट्रेशन विवरण, हेल्थकार्ड, स्टॉफ वेतन तथा लेखा विवरण कार्य में कम्प्यूटर का उपयोग हो रहा है।

शिक्षा में जनसंचार माध्यमों का महत्त्व – 21वीं सदी की दहलीज पर कदम रखते ही शिक्षा में संचार माध्यमों का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार हुआ है। शिक्षा का सूचना प्रौद्योगिकी के साथ जुड़ाव होते ही शिक्षा में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए है। प्रतिस्पर्धा के इस युग में मानव, धन, मशीन, पदार्थ एवं समय के साथ सूचना प्रौद्योगिकी और संचार साधनों को महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है।

शिक्षा का दूसरा घटक है अध्यापन क्रिया जो संचार क्रान्ति से अछूता नहीं रह सकता। शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम, अध्यापन, प्रशासन, शोध, सह-प्रवृत्तियों आदि को युद्ध स्तर पर संचार क्रान्ति ने प्रभावित किया है। कम्प्यूटर व इन्टरनेट के उपयोग तथा महत्तव के कारण कम्प्यूटर पाठ्क्रम का महत्त्वपूर्ण अंग बन गया है।

शोध अध्ययन के उद्देश्य (Objectives of the proposed study) – शोधकर्त्ता द्वारा निम्नलिखित शोध उद्देश्य निर्धारित किए गए–

1. बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की जनसंचार माध्यमों के प्रति जागरूकता ज्ञात करना।
2. बी.एड. (पुरूष) प्रशिक्षणार्थियों की जनंसचार माध्यमों के प्रति जागरूकता ज्ञात करना।
3. बी.एड. (महिला) प्रशिक्षणार्थियों की जनंसचार माध्यमों के प्रति जागरूकता ज्ञात करना।
4. बी.एड. (पुरूष-महिला) प्रशिक्षणार्थियों की जनंसचार माध्यमों के प्रति जागरूकता की तुलना करना।
5. बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की जनंसचार माध्यमों से शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव ज्ञात करना।
6. बी.एड. (पुरूष) प्रशिक्षणार्थियों की जनंसचार माध्यमों से शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव ज्ञात करना।
7. बी.एड. (महिला) प्रशिक्षणार्थियों की जनंसचार माध्यमों से शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव ज्ञात करना।
8. बी.एड. (पुरूष-महिला) प्रशिक्षणार्थियों की जनंसचार माध्यमों से शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव की तुलना करना।
9. बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की जनसंचार माध्यमों के प्रति जागरूकता एवं शिक्षा पर प्रभाव के बीच सह-सम्बन्ध ज्ञात करना।

शोध परिकल्पनाएँ (Research Hypothesis to be tested)–

1. बी.एड. (पुरूष-महिला) प्रशिक्षणार्थियों की जनसंचार माध्यमों के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. बी.एड. (पुरूष-महिला) प्रशिक्षणार्थियों की जनसंचार माध्यमों से शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
3. बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की जनसंचार माध्यमों के प्रति जागरूकता एवं शिक्षा पड़ने वाले प्रभाव में कोई सह-सम्बन्ध नहीं होता है।

शोध न्यादर्श एवं परिसीमन –

1. बी.एड. शिक्षा महाविद्यालयों का चयन सोद्देश्य न्यादर्श चयन विधि से किया गया।
2. प्रशिक्षणार्थियों का चयन सोद्देश्य न्यादर्श चयन विधि से किया गया।
3. प्रस्तुत शोध अध्ययन मध्य प्रदेश के रतलाम एवं मन्दसौर जिले तक ही सीमित रखा गया।
4. प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्रत्येक जिले के 2-2 बी.एड. प्रशिक्षण महाविद्यालयों को तथा उनमें अध्ययनरत् प्रशिक्षणार्थियों को सम्मिलित

* शोधार्थी, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत
** शोध निर्देशक, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

किया गया।

शोध अध्ययन में प्रयुक्त विधि – प्रस्तुत शोध अध्ययन में आदर्शमूलक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। यह विधि शोध की प्राचीनतम् विधि है। इसका सम्बन्ध वर्तमान में उपस्थित संस्थितियों अथवा प्रचलित व्यवहारों से है। यह वर्तमान शैक्षिक समस्याओं को हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है तथा इन्हें हल करने की ओर संकेत करती है।

शोध में प्रयुक्त उपकरण – प्रस्तुत शोध अध्ययन में बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की जनसंचार माध्यमों के प्रति जागरूकता एवं इनका शिक्षा पर प्रभाव का अध्ययन करना है।

शोध में दो प्रकार के उपकरण प्रयोग में लिए जाते हैं

1. मानकीकृत उपकरण
2. स्वनिर्मित उपकरण

चूंकि उक्त शीर्षक से सम्बन्धित कोई मानकीकृत उपकरण उपलब्ध नहीं होने से शोधकर्त्ता ने स्वनिर्मित उपकरण तैयार किये।

- जनसंचार माध्यमों के प्रति जागरूकता प्रमापनी (प्रशिक्षणार्थियों के लिए)
- जनसंचार माध्यमों का शिक्षा पर प्रभाव प्रमापनी (प्रशिक्षणार्थियों के लिए)
- साक्षात्कार अनुसूची (प्राध्यापकों के लिए)

शोध के मुख्य निष्कर्ष –

(क) जनसंचार माध्यमों के प्रति जागरूकता से सम्बन्धित प्राप्त दत्तों के अनुसार –

बी.एड. (पुरूष–महिला) प्रशिक्षणार्थियों की जनसंचार माध्यमों के प्रति जागरूकता का मध्यमान, मानक विचलन **(सारणी देखे आगे पृष्ठ पर)**

व्याख्या – सारणी एवं स्तम्भाकार आरेख 4.3.1 को देखने से स्पष्ट होता है कि बी.एड. (पुरूष–महिला) प्रशिक्षणार्थियों की जनसंचार माध्यमों के प्रति जागरूकता का मध्यमान क्रमश: 126.64 व 128.0 प्राप्त हुआ। मानक विचलन क्रमश: 8.761 व 9.5131 प्राप्त हुआ तथा टी का मान 1.407 प्राप्त हुआ, जो कि 'टी' के सारणी मूल्य से कम है। अत: बी.एड. (पुरूष–महिला) प्रशिक्षणार्थियों की जनसंचार माध्यमों के प्रति जागरूकता में अन्तर स्पष्ट रूप से परिलक्षित नहीं होता है।

अत: परिकल्पना संख्या 1 को स्वीकृत किया जाता है।

(ख) जनसंचार माध्यमों से शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव से सम्बन्धित प्राप्त दत्तों के अनुसार – बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों (पुरूष व महिला) की जनसंचार माध्यमों से शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव की तुलना – मध्यमान, मानक विचलन, विचलन, 'टी' मूल्य **(सारणी देखे आगे पृष्ठ पर)**

व्याख्या – सारणी एवं स्तम्भाकार आरेख 5.1.4 को देखने से स्पष्ट होता है कि बी.एड. (पुरूष–महिला) प्रशिक्षणार्थियों की जनसंचार माध्यमों से शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव का मध्यमान क्रमश: 102.7 व 102.54 प्राप्त हुआ। मानक विचलन क्रमश: 5.524 व 10.257 प्राप्त हुआ तथा 'टी' का मान 0.196 प्राप्त हुआ, जो कि 'टी' के सारणी मूल्य से कम है। अत: बी.एड. (पुरूष–महिला) प्रशिक्षणार्थियों की जनसंचार माध्यमों से शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव में अन्तर स्पष्ट रूप से परिलक्षित नहीं होता है।

अत: परिकल्पना संख्या 2 को स्वीकृत किया जाता है।

शैक्षिक निहितार्थ –

(क)राष्ट्रीय दृष्टि से – यदि भारत को विकसित एवं विकासशील देशों की श्रृंखला में लाना है तो जनसंचार माध्यमों के प्रति लोगों में जागरूकता लानी होगी ताकि वे जनसंचार माध्यमों का अधिकाधिक प्रयोग करते हुए विश्व में हो रही आधुनिकतम् तकनीकी अनुसंधानों आदि से अवगत हो विश्व में कीर्तिमान स्थापति कर सकें, साथ ही जनसंचार माध्यमों का शिक्षा पर प्रभाव पड़ने से लोगों में जागरूकता विकसित होगी और प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होगी।

(ख)राज्य सरकार की दृष्टि से – राज्य की सभी स्तर की शिक्षण संसथाओं, कार्यालयों में जनसंचार के साधन उपलब्ध करवाकर इनका प्रयोग अधिकाधिक करने तो लोगों में जनसंचार साधनों का उपयोग के प्रति जागरूकता लायी जा सकती है। जनसंचार से शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा और राज्य की प्रत्येक गतिविधियों में जनसंचार साधनों का यथा कम्प्यूटर, इन्टरनेट आदि का उपयोग लेते हुए कार्यो को शीघ्र सम्पादित किया जा सकेगा, इससे श्रम एवं समय की बचत होगी।

(ग)आर्थिक दृष्टि से – यदि समाज में लोगों में जनसंचार साधनों के उपयोग के प्रति जागरूकता उत्पन्न होगी तो वे कम्प्यूटर, इन्टरनेट आदि चलाने में पारंगत हो जाएंगे, जिससे उनको विभिन्न संस्थाओं, कार्यालयों में नौकरी, रोजगार मिल जाएंगा, जिससे उनकी आर्थिक दृष्टि से सुधार होगा। वे साधन बनकर सभी सुविधाएँ जुटा पाएंगे और आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न बन सकेंगे।

(घ) शैक्षणिक दृष्टि से – आज का युग प्रतिस्पर्धा एवं सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। प्रत्येक कार्य नवीन तकनीकी से होता है। ऐसी स्थिति में शिक्षा के क्षेत्र में सभी स्तर की शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों को इसके प्रति जागरूकता करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि इसका प्रभावी उपयोग कैसे किया जाए। इसको जानना नितान्त जरूरी है, तभी विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा कर पायेगा। ऐसी स्थिति में प्रौद्योगिकी का प्रभावी शिक्षण एवं उसकी जीवन में उपयोगिता को समझना नितान्त जरूरी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

Dictionary -

1. Good, C.V. (1959) "Dictionary of Education" New York, Merg and Hill Book Co.
2. Verma, S.K. and Sahai, R.N. (2004) "Oxford English Hindi Dictionary" Oxford University Press.

Websites -

1. http/www.wikipedia.com
2. http/www.dissertation.com
3. http/www.lib.uni.dessrtation.com
4. http/www.shodhganga.com
5. http/www.education.org

बी.एड. (पुरूष-महिला) प्रशिक्षणार्थियों की जनसंचार माध्यमों के प्रति जागरूकता का मध्यमान, मानक विचलन

क्र.सं.	वर्ग	N	मध्यमान	मानक विचलन	'टी' मूल्य	वि.वि.
1.	पुरूष	200	126.64	8.761	1.487	अन्तर सार्थक नहीं है।
2.	महिला	200	128.00	9.5131		

398⁰ स्वतन्त्रता के अंश पर टी का सारणी मूल्य स्तर

0.05 = 1.97

0.01 = 2.59

बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों (पुरूष व महिला) की जनसंचार माध्यमों से शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव की तुलना - मध्यमान, मानक विचलन, विचलन, 'टी' मूल्य

क्र.सं.	वर्ग	N	मध्यमान	मानक विचलन	'टी' मूल्य	वि.वि.
1.	पुरूष	200	102.7	5.524	0.196	अन्तर सार्थक नहीं है।
2.	महिला	200	102.54	10.257		

398; स्वतन्त्रता के अंश पर टी का सारणी मूल्य स्तर

0.05 = 1.97

0.01 = 2.59

****

उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की चिन्तन योग्यता एवं आत्मविश्वास में सम्बन्ध ज्ञात करना

डॉ. स्मिता भवालकर * रेखा चौर्डिया **

Abstract - To study the relationship between thinking ability level and Self-Confidence , a sample of 143 students of class IX was taken from high school of Ujjain. The data was collected using Thinking ability scale and Self-Confidence Scale . The data were analysed through Pearson's product moment co-efficient of correlation. The findings revealed that there were significant correlation between thinking ability and self-confidence.

प्रस्तावना – उपनिषद में शिक्षा को आत्मज्ञान एवं ब्रह्यज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया कहा गया है। शिक्षा का अर्थ ज्ञानार्जन करना व सुसंस्कारों एवं उत्तम व्यवहारों का निर्माण करना है। शिक्षा मानव विकास की पूर्ण अभिव्यक्ति है। तथ्यों का संग्रह करना शिक्षा नहीं बल्कि तथ्यों का विश्लेषण कर उससे ज्ञानार्जन करना शिक्षा है। जीवन में उचित निर्णय लेने की क्षमता अर्जित करने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा एक साधन है, जो मानव के आन्तरिक गुणों को प्रखर करता है एवं अन्तर्निहित शक्तियों को विकसित करता है।

व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया में अन्तर्निहित शक्तियों के विकास का दायरा व्यापक है। व्यक्ति की अन्तर्निहित शक्तियों के अन्तर्गत बौद्धिक या संज्ञानात्मक (Cognitive Domain), मनोगत्यात्मक (Psychomotor Domain) एवं भावात्मक (Affective Domain) पक्षों से सम्बन्धित विविध गुणों को सम्मिलित किया जा सकता है। औपचारिक शिक्षा व्यवस्था में सामान्यत: तीन पक्षों के विकास के लिए प्रयास किये जाते है फिर भी यह देखा जाता है कि विद्यालयीन पाठ्यक्रम के माध्यम से संज्ञानात्मक पक्ष के विकास पर अधिक बल दिया जाता है। संज्ञानात्मक पक्ष के अन्तर्गत विद्यालयीन व्यवस्था में दैनिक कक्षाओं के अध्यापन के दौरान सूचनाओं के संकलन पर अधिक बल दिया जाता है एवं इसी आधार पर मूल्यांकन भी किया जाता है। परिणामस्वरूप यह देखा जाता है कि विद्यार्थी अंकों की सम्प्राप्ति के स्तर पर उच्च उपलब्धि दर्शाते हैं परन्तु वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में स्वयं चिन्तन कर आत्मविश्वास पूर्वक निर्णय लेने में प्राय: असफल रहते हैं। यदि कक्षा अध्यापन पद्धति में उचित संशोधन किया जाए तो चिन्तन योग्यता का विकास शिक्षा की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण परिणाम हो सकता है। शिक्षा के परिणामस्वरूप व्यक्ति उचित और अनुचित में भेद करना सीखता है और अपेक्षित दिशा में चिन्तन करते हुए सही निर्णय पर पहुँचता है। सिल्वरमेन (1978) – 'चिन्तन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है, जो उद्दीपक तथा घटनाओं के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में सहायक होती है।'' मनुष्य के व्यवहार में स्पष्टता, सुसंगतता, वस्तुनिष्ठता, निर्णयन क्षमता, यथार्थता एवं तर्क के साथ तथ्यों को स्वीकार या अस्वीकार करने की क्षमता व्यक्ति की चिन्तन योग्यता पर निर्भर करती है। हमारे वैदिक साहित्य में न्यायदर्शन के अन्तर्गत चिन्तन कौशलों के प्रशिक्षण का उल्लेख हैं। प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था में न्याय दर्शन के अन्तर्गत सत्य की पहचान एवं ज्ञान प्राप्ति के लिए महर्षि गौतम द्वारा 16 प्रमुख सूत्र दिए गए हैं, जिनमें प्रमाण, प्रमेय, प्रयोजन, दृष्टांत, तर्क,निर्णय एवं वाद आदि को सम्मिलित किया गया है। दैनिक जीवन की विभिन्न स्थितियों के उदा. देकर गुरू द्वारा शिष्य को उपरोक्त कौशलों का अभ्यास करवाया जाता था। जिससे उनके शिष्य किसी भी परिस्थिति में अपनी तर्क शक्ति एवं निर्णयन क्षमता का उपयोग कर किसी भी समस्या का समाधान कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। चिन्तन एक ऐसी प्रक्रिया है, जो व्यक्ति के दैनिक व्यवहार के साथ ही कार्यक्षेत्र में विविध समस्याओं के समाधान में सहायक होती है साथ ही व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि करती है। सकारात्मक चिंतन व्यक्ति को उच्च स्तर का आत्मविश्वास प्रदान करता है। आत्मविश्वास वस्तुत: एक संवेगात्मक गुण है। इससे महान कार्यो के संपादन में हमें सहजता और सफलता प्राप्त होती है, वहीं आत्मविश्वास का निम्न स्तर कार्यो की सफलता को बाधित करता है । मानव विकास की अवस्थाओं के अन्तर्गत किशोरावस्था अर्थात उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के सन्दर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विकास के स्वाभाविक क्रम में इस आयु में संज्ञानात्मक विकास के स्तर में तर्क क्षमता , सामान्यीकरण की योग्यता में पर्याप्त वृद्धि हो रही होती है। परिणामस्वरूप चिन्तन योग्यता एवं आत्मविश्वास में सहसम्बन्ध ज्ञात करने की योजना बनाई गई।

वर्तमान स्थितियों में विद्यालयीन शिक्षा व्यवस्था में सामान्यत: पाठ्यक्रम की पूर्ति पर ध्यान केन्द्रित करते हुए परीक्षा–परिणामों को लक्ष्य बनाया जा रहा है परन्तु इससे विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में वास्तविक, वांछित परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहे है। कतिपय आवश्यक गुण जैसे आत्मविश्वास, समायोजन क्षमता आदि का विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में विकास किए जाने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। यदि विषय वस्तु के अध्यापन के साथ–साथ विद्यार्थियों की चिन्तन योग्यता के विकास का विचार किया जाए तो उनके अधिगम स्तर पर भी सकारात्मक प्रभाव दिखने की संभावना है। इसी प्रकार विद्यार्थियों की चिन्तन योग्यता के स्तर का ज्ञान अध्यापन योजना के निर्माण में भी सहायक हो सकता है।

उद्देश्य – प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य इस प्रकार निर्धारित किया गया है –

* प्राचार्य, सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक महाराजा महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की चिन्तन योग्यता एवं चिन्तन योग्यता के आयाम 'स्पष्टता' (Clarity), 'सुसंगतता' (Relevance) 'वस्तुनिष्ठता' (Objectivity) 'निर्णयन क्षमता' (Decision Making), ' यथार्थता ' (Precision), एवं ' तर्कणा' (Logic) का उनके आत्मविश्वास से सहसम्बन्ध का अध्ययन करना।

परिकल्पना – प्रस्तुत उद्देश्यों के सन्दर्भ में शून्य परिकल्पना का निर्माण किया गया है –

शोध पद्धति – प्रस्तुत अध्ययन में सर्वेक्षणात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया गया है।

न्यादर्श – प्रस्तुत अध्ययन की प्रकृति सर्वेक्षणात्मक है। प्रदत्त संग्रह हेतु कक्षा नवमी के 147 विद्यार्थियों को न्यादर्श के रूप में लिया गया। न्यादर्श हेतु उज्जैन शहर के विद्यालयों का चयन यादृच्छिक विधि से किया गया।

शोध उपकरण – प्रस्तुत शोध में विद्यार्थियों की चिन्तन योग्यता के मापन के लिए शोधकर्ता द्वारा निर्मित **चिन्तन योग्यता मापनी** का उपयोग किया गया है। आत्मविश्वास के मापन के लिए डॉ. **सनसनवाल एवं डॉ. भवालकर (2011) द्वारा निर्मित आत्मविश्वास मापनी** का उपयोग किया गया है। शोध में प्रयुक्त उपकरणों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत है :

चिन्तन योग्यता मापनी (Thinking Ability Scale) चिन्तन योग्यता मापनी में कुल 16 प्रश्न है, जो चिन्तन समग्र एवं चिन्तन के विभिन्न आयाम स्पष्टता, सुसंगतता, वस्तुनिष्ठता, निर्णयन क्षमता, यथार्थता एवं तर्क क्षमता से सम्बन्धित है। सम्पूर्ण 16 प्रश्नों के लिए 100 अंकों का निर्धारण किया गया है। चिन्तन योग्यता मापनी का विश्वसनीयता गुणांक अर्द्धविच्छेद विधि से .73 (उच्च धनात्मक सहसंबध) पाया गया है।

आत्मविश्वास मापनी (Self Confidence Scale) – आत्मविश्वास के मापन के लिए सनसनवाल एवं भवालकर (2011) आत्मविश्वास मापनी का उपयोग किया गया है। सनसनवाल एवं भवालकर (2011) द्वारा निर्मित SCS एक प्रमापीकृत परीक्षण है, जिसका व्यापक उपयोग अनेक शोधार्थियों द्वारा किया गया है। जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में यह देखा गया है कि आत्मविश्वास के गुण सफलता को भिन्न–भिन्न प्रकार से प्रभावित करते है, विशिष्ट रूप से तब जब दूसरे शीलगुणों के साथ इसका मिश्रण हो जाए जैसे निर्भर रहने योग्य ,स्वयं के निर्णय पर निर्भर रहने वाला, अन्यों से अनुमोदन की चाह न रखने वाला, दूसरों पर निर्भर न रहने वाला ,स्वेच्छा से अधीनता को स्वीकार न करने वाला आदि इसलिए डॉ.सनसनवाल एवं डॉ. भवालकर (2011) के द्वारा इस परीक्षण का निर्माण किया गया । आत्मविश्वास मापनी का विश्वसनीयता गुणांक अर्द्धविच्छेद विधि से .84 (अति उच्च धनात्मक सहसंबध) पाया गया है।

सांख्यिकीय विधि – विद्यार्थियों की समग्र चिन्तन योग्यता एवं उनके आयामों का आत्मविश्वास से सम्बन्ध का मापन कार्लपियर्सन सहसम्बन्ध गुणांक के द्वारा किया गया है।

विश्लेषण, व्याख्या एवं परिणाम – प्राप्त प्रदत्तें का उद्देश्य के अनुसार सांख्यिकी विश्लेषण कर उन्हें तालिका क्रमांक 1 में प्रस्तुत किया गया है :

- उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की समग्र चिन्तन योग्यता एवं चिन्तन योग्यता के आयाम का आत्मविश्वास से सहसम्बन्ध का अध्ययन –प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की समग्र चिन्तन योग्यता एवं चिन्तन योग्यता के आयाम 'स्पष्टता' (Clarity), 'सुसंगतता' (Relevance), 'वस्तुनिष्ठता' (Objectivity), 'निर्णयन क्षमता' (Decision Making),' यथार्थता ' (Precision), एवं 'तर्कणा' (Logic) का उनके आत्मविश्वास से सहसम्बध का अध्ययन करना था। इस हेतु उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों पर चिन्तन योग्यता मापनी एवं आत्मविश्वास मापनी को प्रशासित कर प्राप्त प्रदत्तों को आधार बनाया गया। एकत्रित किए गए प्रदत्तों का विश्लेषण कार्लपियर्सन सहसम्बन्ध गुणांक के द्वारा किया गया जिनके परिणाम तालिका क्रमांक 1. में दिए गए है –

तालिका क्रमांक 1 (देखे आगे पृष्ठ पर)

कुल चिन्तन योग्यता एवं आत्मविश्वास में सम्बन्ध का विश्लेषण – तालिका क्रमांक 1 से स्पष्ट होता है कि कुल चिन्तन योग्यता एवं आत्मविश्वास के सहसम्बन्ध का मान +.41 (औसत धनात्मक सहसम्बन्ध) है, जो 143 df के .01 स्तर पर सार्थक पाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि उच्च चिन्तन योग्यता वाले विद्यार्थियों का आत्मविश्वास भी उच्च पाया गया।

चिन्तन योग्यता के आयाम 'स्पष्टता' (Clarity) एवं आत्मविश्वास में **सम्बन्ध का विश्लेषण –** तालिका क्रमांक 1 से स्पष्ट होता है कि चिन्तन योग्यता के आयाम 'स्पष्टता' (Clarity) एवं आत्मविश्वास में धनात्मक सहसम्बन्ध +. 28 पाया गया, जो .01 स्तर पर सार्थक है। इससे स्पष्ट होता है कि जैसे–जैसे चिन्तन में 'स्पष्टता' (Clarity) का विकास होगा विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी ।

चिन्तन योग्यता के आयाम 'सुसंगतता' (Relevance) एवं आत्मविश्वास में सम्बन्ध का विश्लेषण – तालिका क्रमांक 1 से स्पष्ट होता है कि चिन्तन योग्यता के आयाम 'सुसंगतता' (Relevance) एवं आत्मविश्वास में धनात्मक सहसम्बन्ध +. 42 पाया गया, जो .01 स्तर पर सार्थक है। इससे स्पष्ट होता है कि जैसे–जैसे चिन्तन में 'सुसंगतता' (Relevance) का विकास होगा विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी।

चिन्तन योग्यता के आयाम 'वस्तुनिष्ठता' (Objectivity) एवं आत्मविश्वास में सम्बन्ध का विश्लेषण – तालिका क्रमांक 1 से स्पष्ट होता है कि चिन्तन योग्यता के आयाम 'वस्तुनिष्ठता' (Objectivity) एवं आत्मविश्वास में धनात्मक सहसम्बन्ध +.15 पाया गया जो .05 स्तर पर सार्थक है। इससे स्पष्ट होता है कि जैसे–जैसे चिन्तन में 'वस्तुनिष्ठता' (Objectivity) का विकास होगा विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी।

चिन्तन योग्यता के आयाम 'निर्णयन क्षमता' (Decision Making) एवं आत्मविश्वास में सम्बन्ध का विश्लेषण – तालिका क्रमांक 1 से स्पष्ट होता है कि चिन्तन योग्यता के आयाम 'निर्णयन क्षमता' (Decision Making) एवं आत्मविश्वास में धनात्मक सहसम्बन्ध +.20 पाया गया जो .01 स्तर पर सार्थक है। इससे स्पष्ट होता है कि जैसे–जैसे चिन्तन में 'निर्णयन क्षमता' (Decision Making) का विकास होगा विद्यार्थियों का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।

चिन्तन योग्यता के आयाम 'यथार्थता' (Precision) , एवं आत्मविश्वास में सम्बन्ध का विश्लेषण– तालिका क्रमांक 1 से स्पष्ट होता है कि चिन्तन योग्यता के आयाम 'यथार्थता' (Precision) , एवं आत्मविश्वास में धनात्मक सहसम्बन्ध +. 24 पाया गया जो .01 स्तर पर सार्थक है। जैसे–जैसे चिन्तन में 'यथार्थता' (Precision) का विकास होगा विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी।

चिन्तन योग्यता के आयाम 'तर्क' (Logic) , एवं आत्मविश्वास में

सम्बन्ध का विश्लेषण – तालिका क्रमांक 1 से स्पष्ट होता है कि चिन्तन योग्यता के आयाम 'तर्क' (Logic) एवं आत्मविश्वास में धनात्मक सहसम्बन्ध +.19 पाया गया जो .01 स्तर पर सार्थक है। जैसे–जैसे चिन्तन में 'तर्क' (Logic) का विकास होगा विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी।

निष्कर्ष – विद्यार्थियों के कुल चिन्तन एवं उसके आयामों का आत्मविश्वास से सम्बन्ध के सन्दर्भ में निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए –

1. उच्च चिन्तन योग्यता वाले विद्यार्थियों का आत्मविश्वास भी उच्च पाया गया।
2. चिन्तन में 'स्पष्टता' के बढ़ने पर विद्यार्थियों का आत्मविश्वास भी बढेग़ा
3. चिन्तन में 'सुसंगतता' के बढ़ने से विद्यार्थियों का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।
4. चिन्तन में 'वस्तुनिष्ठता' के बढ़ने से विद्यार्थियों का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।
5. चिन्तन में 'निर्णयन क्षमता' के बढ़ने से विद्यार्थियों का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।
6. चिन्तन में 'यथार्थता' के बढ़ने से विद्यार्थियों का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।
7. चिन्तन में 'तर्क' के बढ़ने से विद्यार्थियों का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।

शैक्षिक निहितार्थ – प्रस्तुत अध्ययन से प्राप्त परिणाम विद्यार्थियों के चिन्तन योग्यता एवं आत्मविश्वास से सम्बन्धित है। परिणामों से स्पष्ट होता है चिन्तन योग्यता विद्यार्थियों के आत्मविश्वास को प्रभावित करती है। विद्यार्थियों की चिन्तन योग्यता का स्तर जितना उच्च होगा उनका आत्मविश्वास उतना ही उच्च होगा। अत: आवश्यक है कि कक्षा अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों को पाठ्यवस्तु के अध्यापन के साथ–साथ इस प्रकार की गतिविधियों को भी करवाया जाए जिससे उनका चिन्तन का स्तर उन्नत हों साथ ही साप्ताहिक विद्यालयीन गतिविधियों में इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए जिससे विद्यार्थियों के चिन्तन के स्तर में वृद्धि हो। चिन्तन का उच्च स्तर विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में वृद्धि के साथ–साथ उनकी शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. Sansanwal And Bhawalkar S. (2011). Self Confidence Scale, APRC, Agra.
2. Singh, A. (2006) Psychology of Personality, Motilal Banarsi Das, New Delhi.
3. सिन्हा, जदुनाथ. (2010) भारतीय दर्शन (Indian Philosophy) मोतीलाल बनारसी दास, पब्लिशर्स, दिल्ली (अनुवादक : डॉ. गोवर्धन भट्ट)
4. सहाय, डॉ. शिवस्वरूप.(2014) प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन, मोतीलाल बनारसी दास, पब्लिशर्स, दिल्ली
5. तुलसीराम, पण्डित. मुनि गौतम का न्याय दर्शन, डायनेमिक पब्लिकेशन्स (India) लि. मेरठ.1

तालिका क्रमांक 1 – उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में की चिन्तन योग्यता एवं चिन्तन योग्यता के आयाम स्पष्टता (Clarity) सुसंगतता (Relevance) वस्तुनिष्ठता (Objectivity) निर्णयन क्षमता (Decision Making) यथार्थता (Precision) तर्क (Logic) का विद्यार्थियों के आत्मविश्वास से सहसम्बम्ध के लिए किये गये विश्लेषण का सारांश

चर	सहसम्बन्ध का मान गुणांक (N=143)	
समग्र चिन्तन आत्मविश्वास (Selfconfidence)	+.41**	औसत धनात्मक सहसम्बन्ध
स्पष्टता (Clarity) आत्मविश्वास (Selfconfidence)	+.28**	निम्न धनात्मक सहसम्बन्ध
सुसंगतता (Relevance) आत्मविश्वास (Selfconfidence)	+.42**	औसत धनात्मक सहसम्बन्ध
वस्तुनिष्ठता (Objectivity) आत्मविश्वास (Selfconfidence)	+.15*	अति निम्न धनात्मक सहसम्बन्ध
निर्णयन क्षमता (Decision Making) आत्मविश्वास (Selfconfidence)	+.20**	निम्न धनात्मक सहसम्बन्ध
यथार्थता (Precision) आत्मविश्वास (Selfconfidence)	+.24**	निम्न धनात्मक सहसम्बन्ध
तर्कणा' (Logic) आत्मविश्वास (Selfconfidence)	+.19*	अति निम्न धनात्मक सहसम्बन्ध

**=.01 स्तर पर सार्थक *=.05 स्तर पर सार्थक

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) July to September 2017, Vol. II

मानवाधिकार और महिलाएँ

आरती खंडेलवाल * अश्विनी कुमार गौड़ **

प्रस्तावना – मानव अधिकार ऐसे अधिकार है, जो मानव को मानव होने के कारण मिले है। ऐसे अधिकार जिसे छीनने का हक किसी को भी नहीं है। ऐसे अधिकार जिनके बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। भारतीय संस्कृति सदैव से ही मानवाधिकारों की पोषक रही है। जिसके विभिन्न प्रमाण हमें वेद, पुराण, गीता, रामायण, महाभारत आदि ग्रन्थों में मिलते हैं। ऋग्वेद का निम्न श्लोक मानव अधिकारों की रक्षा और शांति का संदेश देता है।

'अध्वर्य जिवातु, भेषज्म सम्नों अस्ति द्विपते
सम चतुष्पद! ओम शांति, शांति, शांति'

अर्थात् सभी मानव सम्बद्ध हों, सभी वनस्पति और जीव जन्तु जो सभी प्राणियों का आधार हैं, फलें-फूलें, सभी पशुओं में परस्पर प्रेम हो , सभी मनुष्यों में सद्भावना हो हर तरफ शांति ही शांति हो।

मानवाधिकार जीवन की वह परिस्थितियां है, जो सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव जैसे जाति, धर्म, जन्म स्थान, लिंग आदि के प्राप्त हैं। मानवाधिकारों की विशेषता यह है कि यह सार्वभौमिक है।

महिलाओं की स्थिति – मानव सभ्यता में स्त्री और पुरूष दोनों की अपनी महत्ता हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक है, फिर भी दोनों का अपना अस्तित्व और गरिमा है। प्राचीन समय में स्त्रियों को जो सम्मान दिया जाता था, वह सर्वथा सराहनीय है। यह विडम्बना ही है कि कालान्तर में अनेक कारणों से संसार के अनेक देशों में महिलाओं के साथ पक्षपात किया गया जो आज तक भी किया जाता रहा है। महिलाओं के साथ भेदभाव, हिंसा, उत्पीडन हत्या, अत्याचार, बलात्कार आदि अपराधों का ग्राफ बढ़ता ही गया है। सामाजिक ढ़ाँचे में आज भी महिलाओं को दोयम दर्जे का प्राणी ही समझा जाता है। घर और परिवार की समस्त जिम्मेदारी उसे ओढ़ा कर भी उनके हक में कोई फैसला लेने का हक उसे नहीं है। कहने को तो भारतीय समाज में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है। हमारे संविधान में भी उन्हें पुरूषों के बराबर ही अधिकार और अवसर देने का प्रावधान है। वैश्वीकरण, उदारीकरण के युग में यह ऊपरी तौर पर जरूर नजर आता है कि महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है। उन्हें शिक्षा और काम के नये अवसर मिल रहे हैं, मगर सच्चाई आज भी हकीकत से कोसों दूर है।

भारतीय समाज में महिला-अधिकार का सफर – भारतीय समाज में यदि महिला अधिकार के सफर पर दृष्टि डाली जाए तो पता चलता है कि लगभग हर समय और हर युग में नारी को कुछ न कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। ये अधिकार और कर्त्तव्य कभी केवल नाममात्र के रहे तो कभी इतने महत्त्वपूर्ण हुए कि समाज में नारी मजबूत होकर उभरी लेकिन जैसे-जैसे इन अधिकारों का हनन होता गया, वैसे-वैसे नारी की स्थिति बद से बदतर होती गयी है।[1]

पूर्व आर्यन युग में महिलाएँ समाज में अपना विशिष्ट स्थान रखती थी। कुछ इतिहासकार मानते है कि सिन्धु समाज मातृ-सत्तात्मक था, जिसमें राज्य और सम्पत्ति का अधिकार कन्याओं को मिलता था। प्राचीन ग्रन्थों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि स्त्रीधन को यदि पति, पुत्र, माता या भाई बलपूर्वक ले लेता था तो ऐसी स्थिति में उन्हें ब्याज के साथ यह धन लौटाना पड़ता था। कात्यायन स्मृति में एक विशेष नियम बनाया गया था, जिसके अनुसार यदि पति स्त्रीधन देने की प्रतिज्ञा करें और उसे लौटाएँ बिना ही उसकी मृत्यु हो जाए तो पुत्र का यह कर्तव्य है कि वह उस धन को लौटाएं। हालाकि[2] प्राचीन समय में भारतीय समाज में कभी महिलाओं को तमाम अधिकार दिए गए तो कभी उनसे ये अधिकार छीन भी लिए गए। वैदिक युग में जब स्त्रियों को स्वतंत्रता और अधिकार प्राप्त थे तो सम्पत्ति के अधिकार नहीं दिए गए थे, लेकिन जैसे-जैसे समाज में महिलाओं की स्थिति सुधरी वैसे-वैसे उनके सम्पत्ति के अधिकार बढ़ने गए।[4] पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल आते-आते तक महिलाओं के तमाम अधिकार समाप्त हो गए। नारी की सहमति, असहमति, इच्छा आकांक्षा का कोई महत्व नहीं रह गया, वह बलपूर्वक भोग्या बना दी गई। यही वह समय था जब नारी की सुरक्षा को लेकर ढेरों प्रथाओं, कुप्रथाओं ने जन्म लिया। हालात यह थे कि कभी भारतीय समाज में शक्ति पूंज की तरह उभरी नारी पुरूष सत्तात्मक समाज में कुचल दी गई। 1947 में देश की आजादी के बाद बने भारतीय संविधान में महिलाओं को भी पुरूषों की तरह एक समान अधिकार दिए गए ।

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा का जीवन क्रम – महिलाओं के साथ हिंसा, विश्व में आज मानव अधिकार उल्लंघन का सबसे घिनौना रूप माना जा रहा हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महिलाओं के विरूद्ध हिंसा का पूरा जीवन क्रम उजागर किया है।

1. **जन्म पूर्व हिंसा –** लिंग चुनाव के लिए भ्रूण हत्या, लिंग-जाँच हो जाने पर गर्भावस्था के दौरान औरत पर अत्याचार क्योंकि वह बालिका शिशु को जन्म देने वाली है।
2. **शैशव हिंसा –** बालिका शिशु के जन्म लेते ही उसकी हत्या। इसके साथ ही उसे जन्म देने वाली औरत को दिए जाने वाले शारीरिक, यौन और मानसिक उत्पीड़न।
3. **बालिका उत्पीड़न –** बाल-विवाह, शारीरिक, यौन और मानसिक उत्पीड़न, दुराचारपूर्ण व्यवहार, बाल वैश्यावृत्ति और अश्लील सामग्री तैयार करने के लिए उनका इस्तेमाल।

* शोधार्थी (शिक्षा) पेसेफिक यूनिवर्सिटी, उदयपुर (राज.) भारत
** प्रिंसिपल, कृष्णा महिला टीचर्स ट्रैनिंग कॉलेज, सीसारमा, उदयपुर (राज.) भारत

4. **किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था में हिंसा –** गरीबी के कारण मजबूर करके यौनाचार करना, दुर्व्यवहार, कार्यस्थल पर यौनशोषण, बलात्कार, यौन उत्पीडन, जबरदस्ती करवाई गई वैश्यावृत्ति, अश्लील सामग्री के लिए दुरूपयोग और हत्याएँ, मानसिक उत्पीडन, विकलांग महिलाओं का यौन शोषण, बलात करवाया गया गर्भधारण।

5. **वृद्ध महिलाओं के साथ हिंसा –** आत्महत्या करने के लिए विवश कर देना या आर्थिक कारणों से की गई हत्या।

संवैधानिक प्रावधान – हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान करता है। किसी भी नागरिक के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है, इसी रूप में आजादी की लड़ाई में महिलाओं ने क्रांति और अहिंसा दोनों रास्तों पर पुरूषों के कंधे से कंधा मिलकार योगदान दिया। महिलाओं को संवैधानिक एवं कानूनी रूप से सशक्त बनाने हेतु स्वतंत्र भारत के संविधान में भी स्त्रियों को पुरूषों के बराबर अधिकार देने का प्रावधान किया गया है।

1. **अनुच्छेद – 15 (1) –** राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।

2. **अनुच्छेद – 15 (3) –** इस अनुच्छेद में किसी बात से राज्य की स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपलब्धि बनाने में बाधा नहीं होगी।

3. **अनुच्छेद – 16 (2) –** केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्‌भव, जन्मस्थान, निवास अथवा इनमें से किसी के आधार पर किसी नागरिक के लिए राज्याधीन किसी नौकरी या पद के लिए विषय में न अपात्रता होगी, और न विभेद किया जायेगा।

4. **अनुच्छेद – 19 (1) –** समान रूप से प्रत्येक नागरिक को शोषण तथा अभिव्युक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारी की गारन्टी देता है, अर्थात् सभी नागरिक अपने विचारों विश्वासों और दृढ़ निश्चयों को निर्बाध रूप से तथा बिना किसी रोक टोक के मौखिक शब्दों द्वारा, लेखन, मुद्रण, चित्रण के द्वारा अथवा किसी अन्य ढंग से अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है।

5. **अनुच्छेद – 23 तथा 24 –** मानव के अवैध व्यापार, बेगार और अन्य बलात् श्रम, कारखानों में बच्चों के नियोजन आदि के द्वारा शोषण के विरूद्ध संरक्षण प्रदान किया जाता है।

6. **अनुच्छेद – 39 –** समान रूप से सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, पुरूषों एवं महिलाओं को समान कार्य समान वेतन श्रमिकों और महिलाओं का स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरूपयो न हो।

7. **अनुच्छेद – 42 तथा 43–3 –** राज्य कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, सहायता, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का पूर्ण उपभोग और सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।

8. **अनुच्छेद – 51 (3) –** भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध हो।

73 वां एवं 74 वां संविधान संशोधन –

- **अनुच्छेद – 15 (घ) (3) –** प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों की कम से कम एक तिहाई सीटे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएगी और ये सीटें नगर निगम के क्षेत्रों को बारी–बारी से आवंटित की जाएगी।
- **अनुच्छेद – 243 (घ) (4) –** इस स्तर पर पंचायतों के सभापति के कुल पदों में से कम से कम एक तिहाई पर महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएगे।
- **अनुच्छेद – 243 (न) (3) –** प्रत्येक नगर निगम के चुनाव में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों की कम से कम एक तिहाई सीटे अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएगी और ये सीटे नगर निगम के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को बारी–बारी से आवंटित की जाएगी।
- **अनुच्छेद – 243 (न) (4) –** अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए नगर निगमों में सभापतियों के पदों का आरक्षण कानून के जरिए उसी प्रकार उपलब्ध कराया जाएगा जैसा राज्य का विधान मण्डल कानून द्वारा उपबंधित करें।
- 73 वां 74 वां संविधान संशोधन के अनुच्छेद 243 में महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थान आरक्षण का प्रावधान एवं संविधान की धारा 243 डी में संशोधन के बाद महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत के बजाय 50 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
- **अनुच्छेद – 325 व 326 –** निर्वाचक नामावली में महिला पुरूष दोनों को समान रूप से मत देने एवं चुने जाने का अधिकार देता है। भारत में महिला मानवाधिकारों को मूल अधिकारों से जोड़ा गया है।

महिला संरक्षण की नीतियाँ एवं उनका क्रियान्वयन –

1. विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास किया गया है ताकि उनको अनेकानेक कानूनी व्यवस्थाओं से उनके अधिकारों को संरक्षण एंव विकास के माध्यम से सशक्त बनाया जा सके ।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा महिला अध्ययन केन्द्रों की स्थापना तथा विभिन्न शोध परियोजनाओं में महिलाओं से संबंधित परियोजनाओं को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है।
3. 1974 में गठित समिति ने सामाजिक समानता की ओर नाम कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक क्षेत्र में योजनाओं का लक्ष्य महिलाओं का कल्याण न समझकर, उन्हें महत्वपूर्ण एजेन्ट का दर्जा दिया गया।
4. केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय योजना 1988–2000 को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए बहुउद्देशीय नीति बनाई।
5. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यम से महिला बाल विभाग का संचालन होता है। जिसमें महिलाओं के विकास संबंधी कार्यक्रम एवं नीतियाँ बनाई जाती है। इनमें विशेषकर ग्रामीण एवं निर्धन महिलाओं पर जोर दिया जाता है ताकि वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। इसी तारतम्य में 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया जो महिलाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधान एवं कानूनी सुरक्षा के अधिकारों को लागू करवाने की सिफारिश करता है तथा अपने सुझाव भी देता है।
6. 2001 में राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति बनाई गई, जिसके माध्यम से ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है कि महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, मानव अधिकारों एवं महिलाओं के उन अधिकारों की सिफारिश करना जो महिलाओं को समाज में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में पुरूषों के समान हिस्सेदारी दिला सके। कुल मिलाकर महिला विषयक मानवाधिकारों को विभिन्न विधियों एवं

न्यायिक निर्णयों में पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया गया हैं। बदलते परिवेश में संविधान में 12 वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 के अन्तर्गत नारी सम्मान को स्थान दिया गया और नारी सम्मान के विरूद्ध प्रथाओं का त्याग करने का आदर्श अंगीकृत किया गया हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग, विविध स्वयं सेवी संगठन आदि नारी सम्मान की रक्षा हेतु सतत् प्रयासरत है।

मानवाधिकारों की रक्षा सम्बन्धी समस्याएँ – वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकार की अवधारणा महत्वपूर्ण हो गयी है। मानव अधिकार का मूल उद्देश्य होना चाहिए कि समाज में सभी प्रकार के भेदभाव का अंत हो। हाल के वर्षो में मानवाधिकार के हनन के सबसे अधिक मामले महिलाओं से संबंधित हैं क्योंकि वर्तमान में भारतीय महिलाएँ समाज एवं राज्य की विभिन्न गतिविधियों में पर्याप्त सहभागिता कर रही है। परन्तु इससे उनके प्रति घरेलू हिंसा के अलावा कार्यस्थल पर, सड़कों एवं सामाजिक यातायात के माध्यमों में एवं समाज के अन्य स्थलों पर होने वाली हिंसा में भी वृद्धि हुई है। इसमें शारीरिक, मानसिक एवं यौन सभी प्रकार की हिंसा सम्मिलित है।

वैसे तो किसी भी व्यक्ति के मानवाधिकार का कभी भी अकारण-सकारण हनन हो सकता है परन्तु मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में सबसे अधिक शिकार आधी दुनिया अर्थात् महिलाएँ बनती है।

मानवाधिकार अभियान को अपने अंतिम पड़ाव तक पहुँचने के लिए काफी देर लगेगी। इसका कारण यह है कि अनेक देशों में न्यायिक व्यवस्था तथा आम आदमी की पहुंच काफी कम है।

मानवाधिकारों के मार्ग में अनेक बाधाएँ उपस्थित होती है जैसे- देश में बढ़ती आर्थिक असमानता, दलितों पर अत्याचार, बाल वैश्यावृति, बाल श्रम, धार्मिक असहिष्णुता, महिलाओं का शोषण, खाद्य एवं पोषाहार का निम्न स्तर, बाल-विवाह, शिक्षा का निम्न स्तर, बढ़ती आतंकवादी घटनाएँ इत्यादि।

महिलाओं में मानवाधिकार जागरूकता हेतु कुछ समाधान – महिला वर्ष या दशक मनाने मात्र से ही किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता और ना ही किसी के आगे रोने-गिड़गिड़ाने या भीख मांगने से अधिकारों को हासिल किया जा सकता है। महिलाओं को अपने अधिकारों के हनन रोकने के लिए खुद ही कदम उठाने होंगे। महिलाओं को मानवाधिकारों की प्राप्ति हेतु संगठित होने होगा क्योंकि ये किसी एक महिला की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं बल्कि आधी आबादी के अस्तित्व का प्रश्न है। इसी सन्दर्भ में कुछ समाधान निम्नलिखित हैं –

1. अगर स्त्री यह ठान ले कि वह लिंग परिक्षण और कन्या भ्रूण हत्या में कोई सहयोग नहीं करेगी तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे इसके लिए मजबूर नहीं कर सकती।
2. लैंगिक भेदभाव भी अक्सर महिलाओं के द्वारा ही अंजाम दिया जाता दिखाई देता है। महिलाओं के दिलोदिमान में रूढ़िया और संस्कार इस कदर हावी कर दिए गए हैं कि बेटे के बिना उनकी मुक्ति नहीं हो सकती और कहीं न कहीं यही सोच ही उन्हें ये भेदभाव करने पर मजबूर करती है। उन्हें इस सोच से बाहर आना ही होगा।
3. कार्यस्थल पर होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ भी महिला कर्मियों को एक-जुट होना होगा।
4. किसी भी अवांछित दुर्घटना में शामिल दोषियों को बेनकाब करने के लिए भी एक सुर में आवाज उठानी होगी। बिना इस बात की परवाह किए कि 'लोग क्या कहेंगे', क्योंकि संगठन में बहुत शक्ति होती है।

इन सब बातों से आशय यह कतई नहीं है कि स्त्री-पुरूष एक दूसरे के प्रतिद्वन्द्वी बन जाएँ। प्रकृति ने इन्हें स्वभाव और स्वरूप से अलग-अलग बनाया हैं इन्हें प्रतिस्पर्धा न कर सहयोगी बनना चाहिए।

निष्कर्ष – हालाँकि परिस्थितियाँ पहले से काफी बेहतर हुई हैं। स्त्री अपनी कोशिशों में कामयाब होती नजर आ रही है। मगर अभी सिर्फ ताजा हवा आने लायक झरोखे ही बने हैं, पूरे दरवाजे खुलने अभी बाकी है। इस बात का दावा तो नहीं किया जा सकता कि महिलाओ के मानवाधिकारों का हनन पूरी तरह बंद हो जायेगा मगर इतना अवश्यक हा जा सकता है कि वो दिन दूर नहीं जब महिलाओं के आँचल आसमान में परचम की तरह लहरायेंगे और वे भी सर उठा कर एक सम्मानजनक जिन्दगी जियेंगी।

'एक टहनी, एक दिन पतवार बनाती है
एक चिंगारी दहक अंगार बनाती है
जो सदा रौंदी गई मिट्टी समझकर
एक दिन, मिट्टी वही मीनार बनाती है।'

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पुस्तक: 'मानवाधिकार और महिलाएँ'।
   लेखिका: 'ममता चंद्रशेखर'
   प्रकाशक: मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।
2. महिलाएँ एवं मानवाधिकार: संवैधानिक एवं क़ानूनी प्रावधान रमेश प्रसाद द्विवेदी।
3. 'महिलाओं के प्रति अपराध एवं मानवाधिकार चेतना' राठौड़ इंद्रसिंह (2006)
4. (I) समाज कल्याण अंक:5 दिसंबर 2013
   (II) समाज कल्याण अंक:5 दिसंबर 2015
   (III) समाज कल्याण अंक:5 दिसंबर 2016

****

शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त विद्यार्थियों के समायोजन का अध्ययन

डॉ. निरूपमा शर्मा * सीमा पालीवाल **

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध पत्र शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त विद्यार्थियों के समायोजन पर किए गए शोध कार्य पर आधारित है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य उच्च एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त विद्यार्थियों के समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन करना। शोधार्थी ने शोधकार्य हेतु उदयपुर शहर के माध्यमिक स्तर के 100 विद्यार्थियों को लिया गया। दंत्तो का संकलन स्वनिर्मित उपकरण ' समायोजन प्रमापनी' के माध्यम से किया गया एवं आंकड़ा को मध्यमान, मानक विचलन एवं टी. परीक्षण के आधार पर विश्लेषण किया गया विश्लेषण से पाया कि उच्च एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त विद्यार्थियों के समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन करने पर उनकी समायोजन में तुलनात्मक अन्तर पाया गया ।

प्रस्तावना – मानव एक सामाजिक प्राणी होने के कारण समाज में रहता है सभी सामाजिक परम्पराओं का पालन करना है। एक दुसरे का सहयोग करता है। शायद सामजिकता का यही गुण मानव को तरक्की करने में बडी मदद करता है और यही सामजिकता का महत्वपूर्ण भाग है समायोजन करना अपने आपको परिवेश में ढाल कर जीना। मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समायोजन करता है। जब समायोजन का संतुलन बिगडने लगता है, तो टकराव की स्थिति पैदा होती है। एक छात्र के रूप में इसे विद्यालय में भी समायोजन करना होता है। घर के बजाय विद्यालय के माहौल में कुछ अंतर होता है। विद्यालय में अधिक अनुशासित रहना होता है। इसमें छात्र छात्राओं का ध्यान रखना, अपनी बारी का इन्तजार करना होता है। मनुष्य को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने वातावरण व परिस्थितियों के साथ समायोजन करना पडता है।

समायोजन दो शब्दो सम+आयोजन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है भलिभाँति अच्छी तरह या समान रूप से और आयोजन का अर्थ है व्यवस्था। अर्थात अच्छी तरह व्यवस्था करना। अत: समोजन का अर्थ हुआ सुव्यवस्था या अच्छे ढंग से परिस्थितियों को अनुकुल बनाने की प्रक्रिया जिससे कि व्यक्ति की आवश्यकताए पूरी हो जाए। मानसिक द्वन्द्व न उत्पन्न हो पाए।

शिक्षण संस्थाओं में बालकों का सर्वांगिण विकास से उनका उपलब्धि स्तर अच्छा हो इसके लिए आवश्यक है कि उसे विभिन्न कार्यो में साथ जोडा जाए ताकि बालक के अन्दर छिपी प्रतिभा प्रकट हो। वह स्वंय चिन्तन करे दूसरों की मदद करे, वातावरण के साथ समायोजन हो। यह तभी संभव है, जब शिक्षण कक्षा के बाहर विद्यालय परिसर में अथवा भ्रमण वन विहार तथा शिविरों में छात्रों को उसकी योग्यता को परखते हुए काम करने का अवसर दे।

मनुष्य जीवन में निरन्तर परिवर्तन अनुभव करता है कुछ परिवर्तन अत्यन्त धीमी गति से होते है कि बिना अतिरिक्त प्रयास के मनुष्य उसके साथ अनुकूलन कर लेता है कुछ परिवर्तन इतने आकस्मिक होते है कि मनुष्य का सुनियोजित जीवन लड़खड़ा जाता है, परिवर्तनों की निरन्तरता व आकस्मिकता दोनों समायोजन की आवश्यकता को स्पष्ट करते है।

कॉलमैन के अनुसार 'समायोजन व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा कठिनाईयों के निराकरण के प्रयासों का परिणाम है।'

कुप्पुस्वामी के अनुसार 'समायोजन के फलस्वरूप प्रसन्नता होती है क्योंकि इसमें संवेगात्मक द्वन्द्व व तनाव दूर हो जाते हैं।'

गेट्स के अनुसार 'समायोजन एक सतत प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने व वातावरण के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता हैं।'

अत: समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में सुख और सफलता की ओर अग्रसर होता हैं।

समस्या कथन

'शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त विद्यार्थियों के समायोजन का अध्ययन'

शोध उद्देश्य –

1. उच्च एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त विद्यार्थियों के समायोजन का पता लगाना।
2. उच्च एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त विद्यार्थियों के समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पना – प्रस्तुत शोध की शून्य परिकल्पना निम्न प्रकार है–

1. उच्च एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त विद्यार्थियों के समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

शोध विधि व उपकरण – किसी भी शोध अध्ययन के लिए विधि का चयन सबसे महत्वपूर्ण होता है, उच्च एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त विद्यार्थियों के समायोजन, का अध्ययन करने के लिए 'सर्वेक्षण विधि' का चयन एवं स्वनिर्मित उपकरण 'समायोजन प्रमापनी' का निर्माण किया गया।

न्यादर्श – शोध अध्ययन के उद्देश्य एवं समय सीमा को ध्यान में रखते हुए संकलन हेतु उदयपुर शहर के ही 5 माध्यमिक स्तर के विद्यालय का चयन व 20-20 विद्यार्थियों को लिया गया।

परिसीमन – प्रस्तुत समस्या का परिसीमन निम्न प्रकार से किया गया है :-

1. **क्षेत्र –** प्रस्तुत शोध हेतु उदयपुर शहर के ही 5 विद्यालय का चयन

* व्याख्याता, राजस्थान महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत
** शोधार्थी, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) July to September 2017, Vol. II

किया गया।

2. **स्तर –** प्रस्तुत शोध हेतु उदयपुर शहर के माध्यमिक स्तर के 100 विद्यार्थियों को लिया गया।

3. **उपलब्धि स्तर –** केवल उच्च एवं निम्न उपलब्धि के छात्र ही लिए गए है। जिन बालकों की बुद्धिलब्धि 60% से अधिक हो उन्हें उच्च उपलब्धि एवं जिन बालकों की बुद्धिलब्धि 60% से कम हो उन्हें निम्न उपलब्धि प्राप्त माना गया है।

शोध में प्रयुक्त सांख्यिकी –

1. प्रतिशत
2. मध्यमान
3. मानक विचलन
4. टी–परीक्षण

उच्च एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त विद्यार्थियों के समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन

उच्च एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त विद्यार्थियों के समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन सारणी संख्या 1 में प्रदर्शित किया गया है।

सारणी – 1 व आरेख संख्या – 1(देखे)

विश्लेषण – सारणी संख्या – 1 से स्पष्ट होता है कि उच्च उपलब्धि प्राप्त विद्यार्थियों के का मध्यमान 20.24 तथा मानक विचलन 3.227 प्राप्त हुआ है तथा निम्न उपलब्धि विद्यार्थियों के समायोजन का मध्यमान 17.56 तथा मानक विचलन 3.0734 प्राप्त हुआ है। उच्च उपलब्धि और निम्न उपलब्धि प्राप्त विद्यार्थियों के 't' मान 5.828 प्राप्त हुआ है, जो कि सार्थक है तात्पर्य यह है कि निम्न उपलब्धि तथा उच्च उपलब्धि प्राप्त विद्यार्थियों के समायोजन में सार्थक अन्तर है। उच्च उपलब्धि प्राप्त विद्यार्थियों का समायोजन निम्न उपलब्धि विद्यार्थियों से अच्छा है। वह छात्रों के साथ मित्रता व मातृत्व का संबंध रखते है, शैक्षिक गतिविधियों में पूर्णरूप से भाग लेते है, आवश्यकता पड़ने पर विद्यार्थियों की मदद लेते है। वह परिवार एवं समाज के प्रति नम्र व्यवहार रखते है। अतः परिकल्पना उच्च एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त विद्यार्थियों के समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है, अस्वीकृत की जाती है।

वर्तमान प्रासंगगिकता – प्रस्तुत शोध अध्ययन विद्यार्थियों शिक्षकों के लिए उपयोगी है । इस अध्ययन के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि बालकों का समायोजन किस स्तर तक है तथा किस तरह से बढ़ाया जा सकता है।

निष्कर्ष – उच्च एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त विद्यार्थियों के समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन करने पर उनकी समायोजन में तुलनात्मक अन्तर पाया गया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. शिविरा पत्रिका नवम्बर 2010
2. डॉ. पी.डी. पाठक – मनोविज्ञान शिक्षण।
3. भारतीय आधुनिक शिक्षा वर्ष 34, अंक 2 (अक्टूबर – 2013 PP.42)
4. ज्ञान मंजरी ISSN 2350 - 1014, मासिक वेब पत्रिका ।
5. www.ctet. org.in
6. www.edupubucation.com
7. www.scirp.org/journal/psych
8. www.ssgcp.com

सारणी – 1

समायोजन	N	मध्यमान	मानक विचलन	t मान	सार्थकता स्तर
उच्च उपलब्धि	50	20.24	3.2227	5.828	सार्थक अन्तर है
निम्न उपलब्धि	50	17.56	3.0734		

t का मान (df=98) स्वतंत्रता के अंश पर
सारणी मूल्य 0.05 स्तर पर = 1.98
0.01 स्तर पर = 2.63

आरेख संख्या – 1

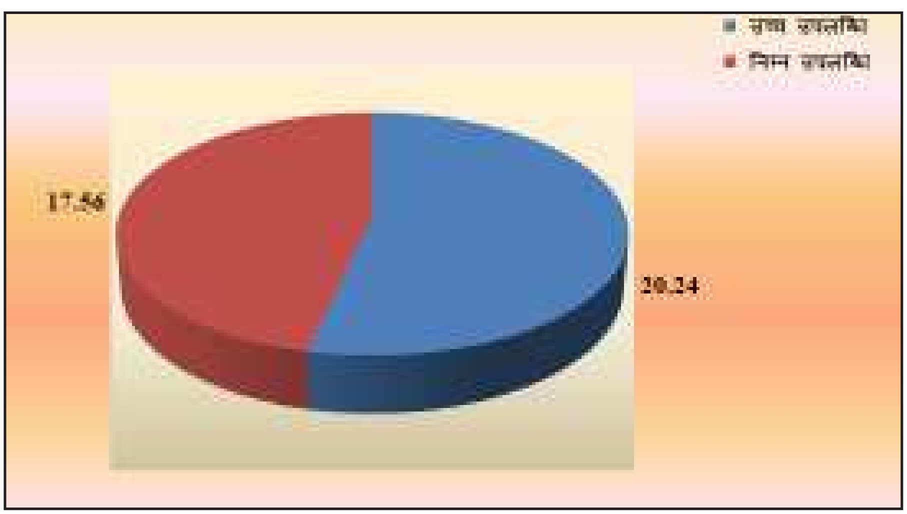

****

शिक्षाविद् श्री बालगोविन्द तिवारी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व

दीपेश कुमार भट्ट * डॉ. भँवरलाल नागदा **

प्रस्तावना – किसी भी देश के निर्माण में शिक्षक की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षक न केवल बालकों को समाज में एक अच्छा नागरिक बनाते हैं बल्कि उनका सर्वोत्तम विकास भी करते हैं। शिक्षा देने के साथ ही वे बालक को पेशेवर व्यक्ति बनाने और एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। एक बालक को मार्गदर्शन देने के साथ शिक्षक उसके व्यक्तित्व से भलिभांति परिचित कराता है, उसके अंदर छिपे समस्त गुणों से अवगत कराता है एवं बालक में अन्तर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास करता है। शिक्षक हमारे लिए भगवान की तरफ से एक अनमोल देन है। शिक्षक ही सही मायने में एक अच्छे राष्ट्र का निर्माता है। शिक्षक समुदाय में आदर्श, प्रतिष्ठित एवं ख्याती प्राप्त शिक्षक भी हैं, जो अपने शिक्षण के माध्यम से आम लोगों की जीवन शैली और मानसिक स्तर को बढ़ाने की जिम्मेदारी उठाते हैं। एक आदर्श शिक्षक अच्छे और श्रेष्ठ गुणों से परिपूर्ण होता है। हमारे देश में ऐसे अनेक शिक्षकों के उदाहरण प्राप्त होते हैं, जिन्होंने इस गौरवपूर्ण व्यवसाय को अपनाया और शिक्षा जगत् में एक नवीन सोच प्रदान की, समाज को प्रेरणा प्रदान की, समाज को एक नई रोशनी दी। ऐसे प्रतिष्ठित शिक्षकों में श्री बालगोविन्द तिवारी का नाम सम्मान पूर्वक लिया जाता है।

श्रीमद्‌भगवतगीता के श्लोक संख्या 6/5 का प्रधान वाक्य 'उद्धरेदात्मनात्मानं' न केवल श्री तिवारी जी का ध्येय वाक्य था, अपितु समाज एवं उसके अंश, शिक्षा विभाग में उनकी कार्य शैली का मूलमंत्र भी था। श्री तिवारी जी 1963 – 1966 तक राजस्थान राज्य शिक्षा संस्थान के संस्थापक निदेशक रहे एवं उन्होंने 'उद्धरेदात्मनात्मानं' को संस्थान के मोनोग्राम में ध्येय वाक्य निर्धारित किया। श्री तिवारी जी का मानना था कि आत्मोद्धार के पथिक को बाहरी मार्गदर्शक या चौकीदार की जरूरत नहीं होती, वह अन्य को भी इस मार्ग पर साथ चलने को प्रेरित करता है, अपनी प्रशंसा एवं प्रचार से बचता है, सद्‌विचार और तदनुसार कार्य के प्रचार-प्रसार को अधिक महत्त्वपूर्ण मानता है। श्री तिवारी जी अपनी बात आदमी के धरातलीय स्तर के अनुसार कहते थे। श्री तिवारी जी के संपर्क में आने वाले व्यक्ति का सामाजिक या शासकीय स्तर पर जो भी रहा हो, हर व्यक्ति श्री तिवारी जी को अपना मानता था। ऊँचा ललाट, धवल केश, वाणी संयमित परन्तु ओजपूर्ण, अनवरत योगाभ्यास से कान्तिमान मुखमण्ड़ल, लिबास में ऋषि तुल्य सादगी तथा 'सादा जीवन उच्च विचार' श्री तिवारी जी व्यक्तित्व की विशेषता थी।

श्री बालगोविन्द तिवारी का जन्म 23 अगस्त, 1908 को झालरापाटन (झालावाड़) में हुआ था। उनके पिता श्री भगवतीप्रसाद तिवारी एवं माँ श्रीमती सुन्दर देवी थी। श्री तिवारी के पिता तत्कालीन समय में झालावाड़ राज्य के कोतवाल थे तथा सन् 1924 ई. में पुलिस अधीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए। श्री तिवारी ने झालरापाटन में ही प्रारम्भिक शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात् सन् 1924 में 'महाराज हाई-स्कूल' झालरापाटन से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की। सन् 1926 ई. में महाराजा कॉलेज, जयपुर से (आगरा विश्वविद्यालय) इन्टर करने के पश्चात् महाराजा कॉलेज से ही 1928 में बी.एस.सी और 1930 में गणित विषय में पी.जी किया। इसके पश्चात् लाहौर विश्वविद्यालय से 1938 ई. में बी.एड. की उपाधि प्राप्त की।

श्री तिवारी जी बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि वाले थे। श्री तिवारी को 1925 में निबन्ध लेखन के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके पश्चात् 1926 में गेलेन्ट्री स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। सन् 1928 ई. में बी.एस.सी. परीक्षा में प्रथम आने पर 'महाराणा उदयपुर पदक' प्राप्त हुआ। सन् 1935 ई. में 'सीकर प्रशासन' द्वारा 'किंग्स सिल्वर जुबली मेडल' प्राप्त हुआ।

श्री तिवारी 1930 से लेकर 1974 तक शिक्षा विभाग में शिक्षक पद से लेकर प्रशासनिक पद पर सुशोभित रहे। वे सन् 1930 से 1935 तक एस.के. हाई स्कूल, सीकर, में सहायक अध्यापक पद पर रहे। सन् 1935 से 1940 तक सहायक अध्यापक, महाराज हाई स्कूल, बृज नगर (झालावाड़) के पद पर कार्य किया एवं सन् 1940 से 1943 तक उन्हें महाराज राजेन्द्र सिंह, झालावाड़ ने ट्यूटर के रूप में नियुक्त किया।

श्री तिवारी जी अपने जीवन में पारिवारिक, सामाजिक और कर्मक्षेत्र वालों से सम्पर्क एवं उनको बनाए रखने के प्रति बहुत सजग थे। इसके लिए वह दो तरह से प्रयत्नशील रहते थे (1) जिस शहर में जाएँ वहाँ उपलब्ध समय में अधिक से अधिक परिचितों से मिलकर उपस्थिति दर्ज कराना और (2) पत्र द्वारा नियमित रूप से सम्पर्क रखना। उनका कहना था कि सम्बन्धों को रिन्यू कराते रहना चाहिए अन्यथा Lapse हो जाते हैं।

श्री तिवारी जी न केवल एक आदर्श शिक्षक थे अपितु एक आदर्श शिक्षाधिकारी एवं कुशल प्रशिक्षक भी थे। वे प्रशिक्षकों को अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षण की आधुनिक विधियाँ जैसे पैनल चर्चा, परिचर्चा, छोटे समूहों में विचार-विमर्श तथा बाद में समूह के संयोजक द्वारा पूरे समूह के समक्ष अपने प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण आदि अनेक विधाएँ अपनाते थे। श्री जगदीश नारायण पुरोहित अपने आलेख 'शिक्षा अधिकारियों के आदर्श: श्री बालगोविंद तिवारी' में श्री तिवारी जी के साथ प्राप्त हुए अनुभवों के बारे में लिखते हैं कि 'सन् 1964 में उन्होंने राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बीकानेर में आयोजित प्रधानाध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षणार्थी के रूप में भाग लिया। वहाँ पर श्री तिवारी जी के सानिध्य में प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त हुए अनुभव के बारे में श्री पुरोहित बताते

* शोधार्थी, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत
** शोध निर्देशक, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

हैं कि प्रशिक्षण के समय उन्होंने अनुभव किया कि तिवारी साहब का व्यक्तित्व बहुत प्रेरणादायक था। श्री तिवारी जी बहुत परिश्रमी, उदार, संवेदनशील, साहसी एवं कुशल शिक्षा – प्रशासक थे। सदा हँसमुख रहना उनका स्वभाव था। वे श्रेष्ठ वक्ता थे। उनका भारतीय दर्शन एवं संस्कृति का ज्ञान भी उच्च कोटि का था। श्री तिवारी जी राजस्थान में ही नहीं देश के अन्य राज्यों में भी ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व थे।

तिवारी साहब का राज्य में शिक्षा कार्यक्रम के विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। सत्तर के दशक में अनौपचारिक शिक्षा का विचार एक क्रांतिकारी विचार के रूप में उभरा। शिक्षा की बढ़ती हुई माँग को पूरी करना औपचारिक शिक्षा (स्कूली शिक्षा) द्वारा संभव नहीं हो रहा था। इसी विचार की पृष्ठभूमि में खुला विद्यालय, अंशकालीन विद्यालय, लचीला पाठ्यक्रम, खुला विश्वविद्यालय आदि संकल्पनाओं ने मूर्तरूप लिया। तिवारी साहब सत्तर के दशक में आने वाले विचारों का साठ के दशक में ही अनुमान लगा चुके थे। वस्तुत: बालगोविन्द जी तिवारी सही मायने में शैक्षिक प्रशासक थे। उनके मार्गदर्शन में कार्य करते हुए विभाग में अधिकारियों का एक संवर्ग विकसित हुआ जो सत्तर और अस्सी के दशक में राज्य के शैक्षिक उन्नयन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सका। श्री अनिल बोर्दिया ने शिक्षा जगत् में अमूल्य योगदान के लिए श्री तिवारी को 'भीष्म पितामह' के नाम से सम्बोधित किया।

श्री तिवारी जी सही अर्थों में एक सदाबहार शिक्षक थे। वे सच्चे शिक्षक, शिक्षामर्मी और जीवन्त व्यक्तित्व के धनी थे। विज्ञान के शिक्षक होते हुए भी भाषा, साहित्य, दर्शन, इतिहास, समाजशास्त्र, गणित, सामाजिक विज्ञान आदि विषयों के वे उत्कृष्ट विद्वान थे। श्री तिवारी जी ने संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, हिन्दी भाषाओं और इनके साहित्य का गहन अध्ययन किया था। जटिल विषय को सरलतम शब्दावली में व्यक्त करना उनकी खूबी थी। धारा प्रवाह भाषण देना, बीच-बीच में अंग्रेजी वातावरण निरन्तर बनाए रखना सिर्फ तिवारी जी की विशेषता थी। उन्होंने वैदिक ग्रन्थों का जितना गहन अध्ययन किया, उतना ही अधुनातन विचारों का भी अध्ययन किया, फिर भी तिवारी जी को वाणी, लेखनी और उनके जीवन पर किसी भी प्रकार के पाण्डित्य दबाव या आरोपण नहीं था। वे जितनें ऊँचे विद्वान थे, उतने ही विनीत।

शैक्षिक लेखन को तिवारी जी ने नई गति और भाव भूमि प्रदान की। उनका लेखन बड़ा सहज और स्वानुभूत था। न उनके लेखन में भारी-भरकम पारिभाषित शब्द होते थे, न आयातित विचार। पाठकों तक संप्रेषित करने योग्य पुरमजाक, सहज शब्दावली और सरल शैली उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। श्री तिवारी जी के लेखों में मौलिक विचार, सहज शब्दावली और सरस शैली प्राप्त होती है। 'शिविरा' और 'नया शिक्षक' पत्रिका में तिवारी जी के अनवरत लेख प्राप्त होते हैं। उन्होंने विभिन्न विषयों पर, विभिन्न उच्च स्तरीय पत्रिकाओं में 88 आलेख, 18 समीक्षा लेख, तथा 15 पुस्तकों का संपादन एवं अनुवाद किया। तिवारी जी द्वारा रचित पुस्तकों में हमारा गणराज्य, आगे बढ़ो, प्रहर पाठशाला, भौतिक विज्ञान इत्यादि प्रमुख हैं।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता हैं कि श्री तिवारी जी एक सदाबहार शिक्षक थे और शिक्षा विभाग के उच्च पद पर सुशोभित होने के बावजूद वे शिक्षक ही बने रहे। श्री तिवारी जी ने न केवल विद्यार्थियों को, शिक्षकों को मार्गदर्शन प्रदान किया अपितु ग्रामीण समुदाय को भी जागरुक किया। श्री तिवारी जी के द्वारा लिखे गए आलेख में न केवल तत्कालीन समय की शैक्षिक समस्याएँ, शैक्षिक स्थिति तथा उनसे संबंधित सुझाव एवं नवाचार प्राप्त होते हैं अपितु वर्तमान समय की शैक्षिक प्रशासनिक समस्याओं के समाधान भी प्राप्त होते हैं। श्री तिवारी जी ने 70 के दशक में अपने आलेखों के माध्यम से समाज को एक नई दिशा प्रदान की। श्री तिवारी जी द्वारा लिखे गए आलेख वर्तमान समय में भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने तत्कालीन समय में थे। वर्तमान समय में शिक्षा के विभिन्न पहलुओं यथा – बाल केंद्रित शिक्षा, शिक्षण विधियाँ, कौशल आधारित शिक्षा, स्वच्छ भारत, अध्यापक शिक्षा में नवाचार, ग्राम विकास, महिला सशक्तीकरण, मूल्यांकन में नवाचार, बाल केन्द्रित पाठ्यक्रम पर सर्वाधिक चर्चा की जाती है तथा विद्वानों एवं विभिन्न आयोगों द्वारा शिक्षा के इन विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित जो सुझाव प्रस्तुत किए जा रहे हैं, वे सभी विचार श्री बालगोविंद तिवारी 60- 70 के दशक में पहले ही दे चुके हैं। श्री बालगोविंद तिवारी के आलेखों में वर्तमान शैक्षिक समस्याओं का समाधान पूर्ण रुपेण प्राप्त होता है। बस आवश्यकता है, श्री तिवारी जी के शैक्षिक आलेखों पर चिंतन करने की। पुनश्च श्री बालगोविंद तिवारी ने 1970 के दशक में उन सभी नवाचारों का व्यावहारिक प्रयोग किया, जिन पर वर्तमान समय में विभिन्न शैक्षिक आयोगों द्वारा, विद्वानों द्वारा चर्चा-परिचर्चा की जाती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. तिवारी ऋषिराज, वर्तमान शिक्षा – विकल्पों कि तलाश, चिन्तन प्रकाशन, उदयपुर।
2. गौड़ चतुर्भुज, श्री बालगोविन्द तिवारी का शिक्षा दर्शन, नया शिक्षक, जुलाई – सित. 1974
3. दवे मगरचन्द्र, सदाबहार शिक्षक – श्री बालगोविन्द तिवारी, शिविरा पत्रिका, मार्च 1978
4. सम्पादक शिविरा पत्रिका, सच्चे शिक्षक – श्री बालगोविन्द तिवारी अब नहीं रहे, शिविरा पत्रिका, मार्च 1978
5. पुरोहित जगदीश नारायण, शिक्षाधिकारियों के आदर्श – श्री बालगोविन्द जी तिवारी।
6. व्यास, बी.एल., संस्मरण – अवसान भीष्म पितामह का।

****

Fair trial guarantee, limitation and judicial approach in India - a study

Lok Narayan Mishra *

Introduction - Right to fair trial is a human right , this right is invariably enshrined in all democratic constitution The right to a fair trial is a norm of international human rights law designed o protect individuals from the unlawful and arbitrary curtailment or deprivation of other basic rights and freedoms, the most prominent of which are the right to life and liberty of the person. It is guaranteed under Article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR),which provides that "everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law." The concept of fair trial is based on the basic ideology that State and its agencies have the duty to bring the offenders before the law. In their battle against crime and delinquency, State and its officers cannot on any account forsake the decency of State behavior and have recourse to extra-legal methods for the sake of detection of crime and even criminals. For how can they insist on good behavior from other when their own behavior is blameworthy, unjust and illegal? Therefore the procedure adopted by the State must be just, fair and reasonable. The Indian courts have recognized that the primary object of criminal procedure is to ensure a fair trial of accused persons. Human life should be valued and a person accused of any offence should not be punished unless he has been given a fair trial and his guilt has been proved in such trial.

Principal and judicial approach to fair trial in India

1. Adversary trial system - The system adopted by the Criminal Procedure Code, 1973 is the adversary system based on the accusatorial method. In adversarial system responsibility for the production of evidence is placed on the prosecution with the judge acting as a neutral referee. Supreme Court has observed "if a Criminal Court is to be an effective instrument in dispensing justice, the presiding judge must cease to be a spectator and a mere recording machine. He must become a participant in the trial by evincing intelligent active interest."

In **Himanshu Singh Sabharwa v. State of M.P. and Ors**,[1] the apex court observed that if fair trial envisaged under the Code is not imparted to the parties and court has reasons to believe that prosecuting agency or prosecutor is not acting in the requisite manner the court can exercise its power under section 311 of the Code or under section 165 of the Indian Evidence Act, 1872 to call in for the material witness and procure the relevant documents so as to sub serve the cause of justice.

2. Presumption of innocence - Every criminal trial begins with the presumption of innocence in favor of the accused. The burden of proving the guilt of the accused is upon the prosecution and unless it relieves itself of that burden, the courts cannot record a finding of the guilt of the accused. In **State of U.P. v. Naresh and Ors**. The Supreme Court observed "every accused is presumed to be innocent unless his guilt is proved. The presumption of innocence is a human right subject to the statutory exceptions. The said principle forms the basis of criminal jurisprudence in India."

3. Independent, impartial and competent judges - The primary principle is that no man shall be judge in his own cause. Section 479 of the Code, prohibits trial of a case by a judge or magistrate in which he is a party or otherwise personally interested. This disqualification can be removed by obtaining the permission of the appellate court.

In **Shyam Singh v. State of Rajasthan**[2] the court observed that the question is not whether a bias has actually affected the judgment. The real test is whether there exists a circumstance according to which a litigant could reasonably apprehend that a bias attributable to a judicial officer must have operated against him in the final decision of the case.

4. Autrefois Acquit and Autrefois Convict - According to this doctrine, if a person is tried and acquitted or convicted of an offence he cannot be tried again for the same offence or on the same facts for any other offence. This doctrine has been substantially incorporated in the article 20(2) of the Constitution and is also embodied in section 300 of the Cr. P.C.

In **Kolla Veera Raghav Rao vs Gorantla Venkateswara Rao**[3] the Supreme Court observed that Section 300(1) of Cr.P.C. is wider than Article 20(2) of the Constitution. While, Article 20(2) of the Constitution only states that 'no one can be prosecuted and punished for the same offence more than once', Section 300(1) of Cr.P.C. states that no one can be tried and convicted for the same offence or even for a different offence but on the same facts. In the present case, although the offences are different but the facts are the same. Hence, Section 300(1) of Cr.P.C. applies. Consequently, the prosecution under Section 420, IPC was

* Research Scholar (Law) Legal Research And Study Center, Barkatullah University, Bhopal (M.P) INDIA

barred by Section 300(1) of Cr.P.C. The impugned judgment of the High Court was set aside.

Pre-Trial Rights - The Cr. P.C. entitles an accused of certain rights during the course of any investigation, enquiry or trial of an offence with which he is charged.

1. Right to open trial - Fair trial also requires public hearing in an open court. The right to a public hearing means that the hearing should as a rule is conducted orally and publicly, without a specific request by the parties to that effect. A judgment is considered to have been made public either when it was orally pronounced in court or when it was published, or when it was made public by a combination of those methods.

Section 327 of the Code makes provision for open courts for public hearing but it also gives discretion to the presiding judge or magistrate that if he thinks fit, he can deny the access of the public generally or any particular person to the court during disclosure of indecent matter or when there is likelihood of a disturbance or for any other reasonable cause.

In the case of **Naresh Sridhar Mirajkar v. State of Maharashtra**[4] the apex court observed that the right to open trial must not be denied except in exceptional circumstances. High court has inherent jurisdiction to hold trials or part of a trial in camera or to prohibit publication of a part of its proceedings.

3. Aid of lawyer - In India, right to counsel is recognized as fundamental right of an arrested person under article 22(1) which provides, inter alia, no person shall be denied the right to consult, and to be defended by, a legal practitioner of his choice. Sections 303 and 304 of the Code are manifestation of this constitutional mandate.

In **Khatri v. State of Bihar**[5] the court held that the accused is entitled to free legal services not only at the stage of trial but also when first produced before the Magistrate and also when remanded. Further, article 39-A was also inserted in the Constitution as per 42nd Amendment, 1976, which requires that the state should pass suitable legislations for promoting and providing free legal aid. To fulfill this Parliament enacted Legal Services Authorities Act, 1987. Section 12 of the Act provides legal services to the persons specified in it.

4. speedy trial - Speedy trial is necessary to gain the confidence of the public in judiciary. Delayed justice leads to unnecessary harassment. The concept of speedy trial is an integral part of article 21 of the Constitution. The right to speedy trial begins with actual restraint imposed by arrest and consequent incarceration, and continues at all stages namely, the stage of investigation, inquiry, trial, appeal and revision.

Section 309(1) provides "in every inquiry or trial, the proceedings shall be held as expeditiously as possible, and in particular, when the examination of witnesses has once begun, the same shall be continued from day to day until all the witnesses in attendance have been examined, unless the Court finds the adjournment of the same beyond the following day to be necessary for reasons to be recorded."

In **Hussainara Khatoon v. State of Bihar**[6] the Supreme Court declared that speedy trial is an essential ingredient of 'reasonable just and fair' procedure guaranteed by article 21 and it is the constitutional obligation of the state to set up such a procedure as would ensure speedy trial to the accused. The state cannot avoid its constitutional obligation by pleading financial or administrative inadequacy.

The Supreme Court in **A.R. Antulay v. R.S. Nayak**[7] issued guidelines for the time period during which different classes of cases are to be concluded. It was held "it is neither advisable nor feasible to draw or prescribe an outer time limit for conclusion of all criminal proceedings. While determining the alleged delay, the court has to decide each case on its facts having regard to all attending circumstances including nature of offence, number of accused and witnesses, the workload of the court concerned, prevailing local conditions etc.- what is called systematic delay." The aforesaid decision came up for consideration in the case of P. Ramachandra Rao and was upheld and reaffirmed.

5. Protection against illegal arrest - Section 50 provides that any person arrested without warrant shall immediately be informed of the grounds of his arrest. The duty of the police when they arrest without warrant is to be quick to see the possibility of crime, but they ought to be anxious to avoid mistaking the innocent for the guilty. The burden is on the police officer to satisfy the court before which the arrest is challenged that he had reasonable grounds of suspicion.

The decisions of the Supreme Court in **Joginder Kumar v. State of Uttar Pradesh**[8] and **D.K. Basu v. State of West Bengal**[9], were enacted in Section 50-A making it obligatory on the part of the police officer to inform the friend or relative of the arrested person about his arrest and also to make an entry in the register maintained by the police.

6. Proceedings in the presence of the accused - For the conduct of a fair trial, it is necessary that all proceedings related to the case should take place in the presence of the accused or his counsel. The underlying principle behind this is that in a criminal trial the court should not proceed ex parte against the accused person. It is also necessary for the reason that it facilitates the accused to understand properly the prosecution case and to know the witnesses against him so that he can prepare his defence.

Article 14 of the Constitution ensures that the parties be equally treated with respect to the introduction of evidences by means of interrogation of witnesses. The prosecution must inform the defense of the witnesses it intends to call at trial within a reasonable time prior to the trial so that the defendant may have sufficient time to prepare his/her defense. In fairness to the accused, he or his counsel must be given full opportunity to cross-examine the prosecution witness.

In **Badri v. State of Rajasthan**[10], the court held that where a prosecution witness was not allowed to be cross examined

by the defence on a material point with reference to his earlier statement made before the police, his evidence stands untested by cross-examination and cannot be accepted as corroborating his previous statement.

7. Right to bail - By virtue of Section 436 the accused can claim bail as a matter of right in cases which have been shown as bailable offences in the First schedule to the Code. Bail is basically release from restraint, more particularly, release from custody of the police. An order of bail gives back to the accused freedom of his movement on condition that he will appear to take his trial. If the offence is bailable, bail will be granted without more ado. But bail under Section 389(1) after conviction is not a matter of right whether the offence is bailable or non-bailable.If no charge -sheet is filed before the expiry of 60/90 days as the case may be; the accused in custody has a right to be released on bail. In non-bailable offences, the Magistrate has the power to release on bail without notice to the other side if charge sheet is not filed within a period of sixty days. The provision of bail to women, sick and old age persons is given priority subject to the nature of the offence.

8. Prohibition on double jeopardy - The concept of double jeopardy is based on the doctrine of **'autrefois acquit'** and '**autrefois convict'** which mean that if a person is tried and acquitted or convicted of an offence he cannot be tried again for the same offence or on the same facts for any other offence. This clause embodies the common law rule of nemo debet vis vexari which means that no man should be put twice in peril for the same offence.

Section 300 of the Code provides that persons once convicted or acquitted not to be tried for the same offence or on the same facts for any other offence. Plea of double jeopardy is not applicable in case the proceedings for which the accused is being tried are distinct and separate from the offence for which the accused has already been tried and convicted.

In **Kolla Veera Raghav Rao vs Gorantla Venkateswara Rao**[11] the Supreme Court differentiated between Section 300(1) of Cr. P.C. and article 20(2) of the Constitution. While, Article 20(2) of the Constitution only states that 'no one can be prosecuted and punished for the same offence more than once', Section 300(1) of Cr.P.C. states that no one can be tried and convicted for the same offence or even for a different offence but on the same facts. Therefore the second prosecution would be barred by Section 300(1) of Cr.P.C.

9. Right against self-incrimination - Clause (3) of Article 20 provides: "No person accused of any offence shall be compelled to be a witness against himself." This Clause is based on the maxim nemo tenetur prodere accussare seipsum, which means that "no man is bound to accuse himself.

In **State of Bombay vs. Kathi Kalu**[12], the Supreme Court held that "to be a witness" is not equivalent to "furnishing evidence". Self-incrimination must mean conveying information based upon the personal knowledge of the person giving the information and cannot include merely the mechanical process of producing documents in Court which may throw a light on any of the points in the controversy, but which do not contain any statement of the accused based on his personal knowledge. Compulsion means duress which includes threatening, beating or imprisoning the wife, parent or child of a person. Thus where the accused makes a confession without any inducement, threat or promise article 20(3) does not apply.

Conclusion - In the light of above mentioned discuss fair trial is based on concept of natural justice, and it is essential for every citizen and government who belive democratic government system, this right is basic right for humen life. in India the law commission in its 37th report accepted the view that the requirement of fair trial , speaking broadly relate to the character of the court , the venue , and mode of conducting the trial , right of the accused in relation to defence and other right. Further , the essential ingredient of fair trial require the just fair and reasonable procedure guaranteed by article -21 and it's the constitutional obligation of the state to device such a procedure as would ensure fair trial to the accused in all matters.

References :-

1. transfer petition 175 of 2007
2. 1973 Crilj 441;
3. criminal appeal no. 1160 of 2006;
4. 1966 SCR(3) 744
5. 1981 SCR(2) 408
6. 1979 AIR 1369
7. 1988 AIR 1531
8. 1994 AIR 1349
9. CRL NO. 592 OF 1987
10. 1976 AIR 560
11. CRIM. APPEAL NO 1160 OF 2005
12. 1961 AIR 1808

****

Absolute Liability In India Necessity And Reforms

Aprajita Bhargava *

Abstract - Absolute liability in its basic sense refers to no fault liability, in which the wrong doer is not provided with exceptions which are provided in rule of strict liability. Absolute liability is more stringent from of strict liability, the rule laid by Rylands v. Fletcher and was recognized by Supreme Court of India in M. C. Mehta v. Union of India (Oleum gas leak case). Thus it is necessary to analyze the use of principle of absolute liability by Indian judiciary. Has the judiciary in India recognized absolute liability? This question consist of two parts; part one deals with the analysis of the very requirement of principle of absolute liability, in which the researcher will first formulate and provide broadly the principle of absolute liability and then deal with the aspect of the necessity. The second part deals with the very critical analysis of the fact that whether judiciary has recognized the concept or not. Judiciary in India has recognized the concept of absolute liability and there is a need for recognition of principle of absolute liability in various aspects.

Key Words - Absolute liability, Strict liability, Polluter Pays, Hazardous industries.

Introduction - Absolute liability in its basic sense refers to no fault liability, in which the wrong doer is not provided with exceptions which are provided in rule of strict liability. Absolute liability is more stringent from of strict liability, the rule laid by Rylands v. Fletcher (1868) LR 3 HL 330:LRI and was recognized by Supreme Court of India in M. C. Mehta v. Union of India AIR 1987 SC 965 (Oleum gas leak case). This case originated in the aftermath of oleum gas leak from Shriram Food and Fertilisers Ltd. complex at Delhi. This gas leak occurred soon after the infamous Bhopal gas leak and created a lot of panic in Delhi. Bhagwati CJ. was a pioneer in this important development, and he didn't follow the rule laid in Rylands v. Fletcher , on an important ground that the principles established in the said case are not in keeping with the present day jurisprudential thinking. Justice Bhagwati also stated that the rule of strict liability was evolved in 19th century, the time when nature industrial developments was at primary stage, in today's modern industrial society where hazardous or inherently dangerous industries are necessary to carry out development programme, thus this rule cannot be held relevant in present day context.

A clear distinction between Strict and Absolute liability rule was laid down by SC in M.C.Mehta v. Union of India , giving four basic points for it:

1. Only those enterprises will be liable which are betrothed in hazardous or inherently dangerous activity, this implies that other industries not falling in the ambit stated will be covered under Strict liability rule.
2. The escape of a dangerous thing from one's land is not necessary, which means that the rule will be applicable to those injured within the premise and person outside the premise.
3. Rule doesn't have an exception, which is provided in rule of Strict Liability.
4. The quantum of damages depends on the magnitude and financial capability of the enterprise.

SC very aptly also contended that "The enterprise must be held to be under an obligation to provide that the hazardous or inherently dangerous activity in which it is engaged must be conducted with the highest standards of safety and if any harm results on account of such activity, the enterprise must be absolutely liable to compensate for such damage and it should be no answer to the enterprise to say that it had taken all reasonable care and that the harm transpired without any negligence on its part."

Necessity Of The Principle Of Absolute Liability In India- Our country being a pioneer in industrial development, it is necessary to have a stricter and more absolute principle of liability with respect to no- fault liability. Moreover the principle so established in Rylands v. Fletcher of strict liability cannot be used in the modern world, as the very principle was evolved in 19th century, and in the period when the industrial revolution has just begun, this two century old principle of tortuous liability cannot be taken as it is in the modern world without modifications .

The present condition of our country when it is on the verge of being one of the most globalised countries of the world, inclusion of multinational corporations (MNCs) in the jurisdiction of our country raises both points of appreciation and concern. The technological complexity and the nature of industrial development, being increasing at a high rate and also industrial sector being a major contributor to our GDP, the protection of the very human rights and lives of people should be taken into consideration.

Thus the rule of strict liability cannot be still considered as the only redressal principle. Also pointed out by Bhagwati J. in M. C. Mehta v. Union of India AIR 1987 SC 1086 , paragraph 31 of the case that "This rule evolved in the 19th Century at a time when all these developments of science & technology had not taken place cannot afford any guidance in evolving any standard of liability consistent with the constitutional norms and the needs of the present day economy and social structure. We need not feel inhibited

* Faculty at R.D. Publich School, Betul (M.P.) INDIA

by this rule which was evolved in this context of a totally different kind of economy. Law has to grow in order to satisfy the needs of the fast changing society and keep abreast with the economic developments taking place in the country. As new situations arise the law has to be evolved in order to meet the challenge of such new situations. Law cannot afford to remain static. We have to evolve new principles and lay down new norms which would adequately deal with the new problems which arise in a highly industrialized economy. We cannot allow our judicial thinking to be constricted by reference to the law as it prevails in England or for the matter of that in any other foreign country"

Also the fact that the industrial development cannot be done without the existence of hazardous and inherently dangerous industries, it is very much necessary to put responsibility on the shoulders of such industries for the protection of the people from any type of accidents etc. Justice Bhagwati also contended that "Such hazardous or inherently dangerous activity for private profit can be tolerated only on condition that the enterprise engaged in such hazardous or inherently dangerous activity indemnifies all those who suffer on account of the carrying on of such hazardous or inherently dangerous activity regardless of whether it is carried on carefully or not. This principle is also sustainable on the ground that the enterprise alone has the resource to discover and guard against hazards or dangers and to provide warning against potential hazards"

Analysis Of M. C. Mehta V. Union Of India(Air 1987 Sc 1086) - It is very important to analyze this case, as to know whether in actual sense the principle of Absolute liability exists or not. It was this case in which justice Bhagwati contented the above discussed preposition. The facts of the case are that there was leak of oleum gas from one of the units of Shriram Foods and Fertilisers Industries, on 6th December,1985, in the aftermath of the Bhopal gas tragedy, the application was filed to get compensation to the persons who had suffered harm on account of leak of the oleum gas. The important question before the court was that whether as to continue with the principle of strict liability for the compensation or to evolve our very own principle which is more strict and binding. SC in the above case apart from dealing with the point of law regards the ambit of Art. 12 and 34, also gave a new rule of absolute liability, where by giving various features of the same and clearly differentiating between the earlier existing principle and the new principle.

The SC recognised absolute liability in different cases and also by various high courts in their judgments, it is clear that to an extent judiciary in India has recognized this very concept, also SC in Indian Council for Environmental Legal Action v. Union of India held that the rule of absolute liability established in M.C.Mehta case was not obiter and is appropriate and suited the conditions of our country. Thus we can conclude that although going by a technical sense, the very rule comes under obiter, but by SC interpretation it makes absolute liability principle an established principle. The above preposition and key finding will be supported by analysis of relevant case laws in the next section.

Recognition Of Principle Of Absolute Liability By Judiciary - This principle has been recognised by Judiciary in India in the following cases-

In the case of Charan Lal Sahu v. Union of India AIR 1990 SC 1480 , this case was in accordance with the Act formulated for the protection of the victims of Bhopal gas tragedy, is valid or not, doubts were expressed by Mishra C.J as to correctness of rule as it was held that Mehta case was an obiter and was differentiated from the western countries. The doubts so expressed in the above case were no accepted in Indian Council for Environmental Legal Action v. Union of India AIR 1996 SC 1446 and Mehta case rule was not called to be an obiter. This case related to hazardous chemical industries, releasing highly toxic sludge and toxic untreated waste water which had percolated deep into the oil rendering the soil unfit for cultivation and water unfit for irrigation, human or animal consumption resulting in untold misery to the villagers of surrounding areas. SC directed the government determine and recover the cost of remedial measure from the private companies which polluted the environment by attaching all their assets and further use to restore soil, forest etc. These industries were characterized by the SC as 'rouge industries' and were ordered to be closed down. In recognition of the principle of absolute liability, the concept mentioned above is based on 'polluters pay'.

Conclusion - It can be concluded there is an urgent and inherent need for a principle of absolute liability as, the rule of strict liability which is followed in most of the countries, cannot be taken as the sole principle to provide for compensation, it being formulated about two centuries ago, when the level of technological development was nearly nothing in comparison with today's development. For the purpose of providing better remedy under civil law and broadly development of our own jurisprudence, to suit our own needs we require a principle which will be just to both the wrongdoer and the sufferer. Absolute liability is in accordance with the prevailing situation in our country, we are destination for globalization and large investments and when the nature of industries is mostly hazardous. Also the principle of absolute liability, should not pay compensation to the sufferers on the basis of the paying capacity of the industries. Agreeing with the SC explanation of the very point that, it will help one to get exemplary damages and also larger the industries more the compensation can be provided to the sufferers, the consequences will be that if the industry is small, then the compensation will be paid to the victim not in accordance with the damage suffered, which is the basic principle of tortuous liability, but in relation to the paying capacity of the wrongdoer.

References :-

1. A Lakshminath M Sridhar, RAMASWAMY IYER'S THE LAW OF TORTS, 10th ed.,
2. LexisNexis Butterwood Wadhaw, Nagpur CLERK AND LINDSELL ON TORTS, 12th ed. 2010, Sweet and Maxwell, UK
3. Ratanlal and Dhirajlal, THE LAW OF TORTS, 26th ed., LexisNexis

Doctrine Of Priority

Chirag Banthhiya *

Abstract - It is a principle of natural justice that if rights are created in favour of two persons at different times, the one who has the advantage in time should also have the advantage in law. This rule, however, applies only to cases where the conflicting equities are otherwise equal. In K.H. Nathan v. Maruthi Rao AIR 1965 SC 430 , it was held by the Supreme Court that the mortgage-deed became effective and operative from the 5th July, 1947, when the mortgage was registered and would prevail over a transfer which took place between the date of the execution and registration of the earlier transaction. If there are successive transfers of the same **property**, the later transfer is subject to the prior transfer. Where the competition is between a mortgagee by deposit of title-deeds and a subsequent purchaser, the principle embodied in Section 48 is applicable.

Introduction - The determination of the relative rights and priorities of successive assignees of the same or overlapping rights has been a serious problem for the Courts. When there are two or more competing equitable interests, the equitable maxim qui prior est tempore potior est jure (he who is earlier in time is stronger in law) applies. This means that the first in time prevails over the others. Section 48 of the Transfer of property Act embodies this principle in legislation. The Section is founded upon the important principle that no man can convey a title than what he has. The article looks into the law applicable in case of conflicting rights created over the same property, its basis, exceptions, with judicial interpretations and its application in modern times.

Basis Of The Principle - It is a principle of natural justice that if rights are created in favour of two persons at different times, the one who has the advantage in time should also have the advantage in law. This rule, however, applies only to cases where the conflicting equities are otherwise equal. Section 48 of the Transfer of Property Act 1882 is founded upon the important principle that no man can convey a title than what he has. If a person has already effected a transfer, he cannot derogate from his grant and deal with the property free from the rights created under the earlier transaction. Section 48 is an absolute in its terms and does not contain any protection or reservation in favour of a subsequent transferee who has no knowledge of the prior transfer.

Applicability Of The Rule - Where the competition is between a mortgagee by deposit of title-deeds and a subsequent purchaser, the principle embodied in Section 48 is applicable. Section 48 of the Transfer of Property Act does not admit of any exception. In Sitaram v. Rajnarai AIR 1934 Oudh. 283 , Smith, J., have held that the question of priority between a mortgagee and a subsequent purchaser is governed by Section 48 and is not protected by the provisions of Sec.41 there is no proof of negligence not the part of the mortgagee.

The right of priority will have to be determined by the combined operation of Section 48 of the Transfer of Property Act and Sections 47 and 49 of the Registration Act. Any undue emphasis upon Section 49 of the Registration Act in isolation would render nugatory and useless the equally important provisions in Section47 of the Registration Act and Section 48 of the Transfer of Property Act. Once the document is registered, Section 49 of the Registration Act has no relevance and the document takes effect from the date of its execution by reason of Section 47 of the Registration Act will necessarily have to be determined in accordance with the rule embodied in Section. 48 of the Transfer of Property Act.

Owelty Or Equality Of Partition - While effecting a partition of the property belonging to the joint family, it would not be possible to divide the properties by metes and bounds there being necessity of an allocation of properties of unequal volumes amongst the members of the joint family. Properties of larger value might go one member and properties of a smaller value of another and therefore there would have to be an adjustment of the values: by providing for the payment by the former of the latter by way of equalization of their shares. This provision for owelty is construed as a lien which the co-sharer who is awarded owelty is deemed to acquire on an excessive allotment of property to the other co-sharer.

It follows that when an owelty is awarded to a member on partition for equalization of the shares on an excessive

*Advocate, Ujjain (M.P.) INDIA

allotment of immovable properties to another member of the joint family; such a provision of owelty ordinarily creates a lien or a charge on the land taken under the partition. A lien or a charge may be created in express terms by the provisions of the provisions of the partition decree itself. There would thus be the creation of a legal charge in favour of a member to whom such owelty is awarded. If, however, no such charge is created in express terms, even so the lien may even so the lien may exist because it is implied by the very terms of the partition in the absence of an express provision in that behalf. The member to whom excessive allotment of property has been made on such partition cannot claim to acquire properties falling to his share irrespective of or discharged from the obligation to pay owelty to the other members.

Exceptions To The Rule -

(i) Salvage Charges - An exception to the rule qui prior est tempore is to be found in the salvage charges created on account of advances made to save the encumbered property from loss or destruction. Such advances are payable in priority to all other charges of earlier date, and amongst themselves have precedence in the inverse order of their respective dates. On the same principle, where the court authorises the Receiver to borrow money on a mortgage directing that it should constitute a first charge on the **property**, it will take priority over any other mortgage though of an earlier date.

(ii) Estoppel - The rule also yields to the equitable principle of estoppel. This, in a case where the first mortgagee was a witness to the second mortgagee, though there was no actual proof of his knowing the contents thereof, yet, since the presumption is that he might have known the same, he was postponed to the second encumbrancer. So also, where the registered purchaser was present when possession was made over to the unregistered purchaser, the former was on that account postpones to the latter. A party paying off a prior mortgage is not stopped but has a right to use that mortgage as a shield against a subsequent mortgage if his intention was to keep the prior mortgage alive. No subsequent mortgage is bound in law to give notice of his encumbrance to the prior encumbrancers

(iii) By the Registration - An instrument operates from the date of its execution, and it is immaterial that it is compulsorily registrable, for in that case too, it will operate from the same date. Where two or more deeds are executed on the same day and the order of their execution cannot be ascertained, all the deeds will take effect at once, and pari passu. Such a case is analogous to that of a devise to A, and then devise of the same estate to B in a subsequent part of the will, which will give the estate to A and B either jointly or as tenants in common.[30] Where two deeds bearing different dates are registered on different days, priority as between them is ascertained with reference to the dates of the deeds and not with reference to the date on which they were respectively registered; and this priority is not influenced by the fact that the party having the later deed is in possession of the property. Where after execution, but before registration, the deed is lost and another had to be executed in its place, the vendor having between the two dates re-sold the property by a registered deed to another with notice of the prior sale, it has been held that the first purchaser was entitled to a decree on his sale-deed.

(iv) By notice - Section 78 enunciates the cases in which the rule of this section would be departed from. Thus, it has been held that Section 50 of the Registration Act, 1877, did not avoid to give the holder of a subsequent registered deed priority in respect of his deed over the holder of an earlier unregistered deed not being compulsorily registrable, if in fact, the holder of the registered deed had, at the time of its execution, notice of the earlier unregistered deed. So where a bona fide contract, whether oral or written, is made for the sale of property, and a third party, afterwards buys the property with notice of the prior contract, the title of party claiming under the prior contract prevails against the subsequent purchaser, although the latter's purchase may have been registered, and although he has obtained possession under this purchase.

(v) By possession. - If a person who is about to take a mortgage which must be made by registered deed, finds some person other than the intending mortgager in possession, the fact of such possession is sufficient to put the would be mortgagee on enquiry as to the title of such person, and if such person's title is that of a prior mortgagee under a document not compulsorily registrable, the second mortgagee cannot, by getting his mortgage registered, obtain priority over the first mortgagee. Possession in certain cases is notice of the title of the person in possession and a party intending to deal with the property is bound to inquire into the nature of the possession. If he assumes that the occupant is a tenant and it appears that he had since purchased the land, the subsequent transferee would be affected with notice of the purchase.

(vi) By decree or order - A decree or order passed in respect of a property does not by itself acquire any priority over registered deeds. A decree or order obtained upon an unregistered prior deed against the mortgagor alone, subsequently to a registered transfer of the mortgaged property, does not obtain preference in competition with the latter.

Conclusion - Section 48 determines the priority when there are successive transfers. It provides that where a person purports to create by transfer at different times rights in or over the same immovable property, and such rights cannot all exist or be exercised to their fullest extent together, each later created right shall, in the absence of a special contract or reservation binding the earlier transferees, be subject to the rights previously created. Section 49 of the Registration Act provides that until the document is registered, it shall not affect any immovable property nor can the document be received in operation of the provisions of Sections 48 and 54 of the Transfer of Property Act and there would be compliance of provisions of Section 54 of the Transfer

of Property Act as well as Section 49 of the Indian Registration Act. Thus, according to Section 48, the transferor cannot prejudice the rights of the transferee by any subsequent dealing with the property. This self-evident proposition is expressed in the equitable maxim qui prior est tempore prior est jure. The section is just an expression of this well-known common law principle.

References :-

1. Dr. Sir Hari Singh Gour, The Transfer of Property Act.
2. M.R. Malik, Goyle's A commentary on the transfer of Property Act.
3. Vera P. Sarthi, G.C.V. Subba Rao's Law of Transfer of Property (Easments, Trusts And Wills) (Reprint ed. 2005)

****

Police Atrocities and Torture: A brief

Dr. Rajiv Jain *

Introduction - "Torture" has not been defined in the constitution or in other penal laws. 'Torture' of human being by another human being is a method of imposing the will of the strong over the weak by causing pain and suffering.

Torture has been practiced throughout history.The Romans,Jews, Egyptians and many other cultures in history included torture as part of their justice system. Romans had crucifixion, Jews had stoning and Egyptians had desert sun death. All these acts of torture were considered necessary or good as to punish the immoral.

Torture in the Medieval Inquisition began in 1252 and ended in 1816 when a papal bull (formal statement by the pope) forbade its use. The police used torture as a legitimate means to extract confessions or to obtain the names of accomplices or other information about the crime. Often, defendents already sentenced to death would be tortured to force them to disclose the names of accomplices.

In the aftermath of the World War II when the world realized the value of human beings the universal prohibition against torture was also realized. In 1948 and the UN Convention against torture was adopted by the UN General Assembly.

Torture is basically the act of causing intentional serve physical or psychological pain and possibly injury to a person, usually to one who is physically restrained or otherwise under the torture's control and custody and unable to defend against what is being done to them.

Since the days when Roman law prevailed throughout Europe, torture has been regarded as subtending three classes or degrees of suffering.

First- degree torture included whipping and beating but did not include mutilation of the body. The most prevalent modern example a technique of beating or whipping the soles of the bare feet.

Second-degree torture consisted almost entirely of crushing devices and procedures, including exceptionally clever screw presses or "bone vices" that crushed thumbs, toes, knees, feet, even teeth and skulls in a wide variety of ways

Finally, third-degree tortures savagely mutilated the body in numerous dreadful ways, incorporating spikes, blades, boiling oil, and extremely carefully controlled fire.

Torture is not physical injury it is actually wounding the soul to the extent that it does not heal. It takes away the feeling of human being from the mind of the person and creates a feeling of immense helplessness that is worse thsan death. The creation of feeling of fear, insecurity, alienation, lack of social and moral support break the person completely and he becomes a walking vegetable and no more remains a human being. The after effects do not finish with the torture, but continues in the mind forever. It is what the person who tortures shatters will power and self respect of a person. It is what the person who tortures want to achieve so as to build a dominant- submissive relationship. It creats a sense of supremacy of one over the then dominance is established.

Mostly this is applied over the members of the weaker or poorer sections of society who are arrested informally and kept in police custody for days together without any formal record . During this unrecorded period they are subjected to torture which sometimes results in death, this is custodial death. In such situation, the body of the deceased is disposed off in a manner that it appears to be a suicide or accident. Records are manipulated and all evidence is destroyed. On account of ignorance, poverty , and illiteracy the near and dear are unable to do anything. Without any evidence or proof the police remains untouched by the law even after such illegal action.

The Supreme Court and the High Court in their several landmark judgements has held that the police is involved in custodial violence. In many cases the Supreme Court has awarded the compensation to the victim's family as the state had been unable to provide protection to the citizens.

Custodial violence, including torture and custodial deaths and rapes failure of establishment of law in a country. This is a matter of concern and strict action is mandatory. The violence is aggravated even more as it is done at the hands of those people who are supposed to be the so called protectors. When the protectors will indulge in such activities that also when the victim is totally a helpless being restrained in the four walls of the prison of the police station, then how does the common man feel safe.

In **,D.K. Basu v. State of West Bengal,** 1997(1) SCC 416 case is has been said that 'The protection of an individual torture and abuse by the police and other

* **H.O.D. (Law) Career College Of Law, Bhopal (M.P.) INDIA**

law enforcing officers is a matter of deep concern in a free society.

In **Munshi Singh Gautam and others v. State of M.P.,** Air 2005 SC 402; 2005 SCC (9) 631 The court said that 'there is an inbuilt guarantee in the Constitution of India against torture or assault by the State or its functionaries.'

Although the police are under a legal duty and have legitimate right to arrest a criminal and to interrogate him during the investigation of an offence, yet the law declares the use of third degree methods or torture on accused in custody as unconstitutional. We all know "End cannot justify the means"; and therefore whatever the justification third degree torture tactics cannot be justified. In **S.Krishnamoorthy and another v. State of Tamil Nadu,** (2008) 2 MLJ (Cr)1217 it has been held that 'the interrogation and investigation into a crime should in true sense purposeful to make the investigation effective. By torturing a person and using third degree methods, the police would be accomplishing behind the closed door what the demands of our legal order forbid. No society can permit it.'

In **Dagdu v. State of Maharashtra**(1977) 3 SCC 68:AIR 1977 SC 1579 case the courts stated the police, with their wide powersare apt to cross their limits to detect crimes use excessive fatal force in this regard. This tendency curbed in the initial stages.

In leading cases of **Nilbati Behera v. State of Orissa**(1993 2 SCC 746) and **D.K. Basu v. State of West Bengal,** (AIR 1997SCC 610) the Supreme court held "the claim of sovereign immunity arising out the State discharging sovereign functions is held to be no defence at all against the acts of violation of the constitutionally guarented Fundamental and Human rights'. The court further held that "there is a great responsibility on the police authority to ensure that the citizen in its custody is not deprived of his right to life."

In such cases the court has implied that the state is responsible and the wrong doer is accountable and that there arose a right to compensation due to the violation of article21 and deprivation of personal liberty. There are certain points that can be brought forth in regards to police atrocities. They can be summarized as follows:

1. Police atrocities include custodial death which is the worst kind of crime: It has been held in **Dalbir Singh v. State of U.P.,**2009 Cr.L. J. 1543 SC that 'Torture in custody flouts the basic rights of the citizens recognized by the Indian Constitution and is an affront to human dignity'.

2. Crime in custody is a creation of man and is alarmingly on a rise. The law enforcers by resorting to such fatal forces are harboring crime rather that prevention of crime. This is an example of licensed terrorism which is harmful for the society at large. When the accused in police custody dies due to atrocities caused by the police it clearly violates the rule of law which poses threat to the very existence of a civilized society.

In **State of M.P. v. Shyamsunder Trivedi and others,** AIR 1995 SCW 2793;(1995)4 SCC 262 it has been that 'torture in custody flouts the basic rights of the citizens recognized by the Indian Constitution and is affront of the human dignity.'

In **Public prosecutor v. Shaik Ibrahim,** 1964 (2) Cr. LJ 636 case it was held by the court that 'Torturing suspects with a view to extorting information from them, is a crude , barbarous and rephrensible method of investigating and detecting crime. Those who are entrusted with the duty of enforcing the law, must learn to obey te law. In police investigation the means are as important as to the end.'

In **Gauri Shanker Sharma etc., v. State of U.P. etc.,** AIR 1990 SC 709, 1990-SCC-Supp1-656 the court held that 'Death in police custody must be seriously viewed for otherwise we help take stride in the direction of police raj.

I n **Bhagwan Singh & Am. v. State of Punjab,** 1992 (3) SCC 249 case the court held that 'torturing a person and using third degree methods are of medieval nature and they are barbaric and contrary to law.

In **Basant Singh v. State of Punjab and others,** 2008 Cr.L.J. 4455 P&H it was held that Persons detained in Police custody have as much right to life as ordinary citizens.

In **Bhagwan Singh and another v. State of Punjab,** AIR 1992 SC 1689; 1992-SCC-3-249 the court concluded that 'Interrogation does not mean inflicting injuries. It should be in its true sense and purposeful namely to make investigation effective. torturing a person and using third degree methods are of medieval nature and they are barbaric and contrary to law.'

References :-

1. Privileged Class Deviance by Dr.Farat Khan
2. Penology and Treatment of Offender by Dr.N.V.Paranjape Indian Penal Code by Dr. S.N.Mishra

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) July to September 2017, Vol. II

Retention Or Abolition Of Death Penalty In India - A Study

Dr. Neelesh Sharma *

Abstract - Capital punishment is a highly debated matter. It is legal but rarely voted for in India. Imposition of the penalty is not always followed by, because of the possibility of commutation to life imprisonment. Since 1995, it has been used only four times on Auto Shankar in 1995, Dhananjoy Chatterjee in 2004, Ajmal Kasab in 2012 and Afzal Guru in 2013. Although there are numerous countries that proscribe death sentences, there is no international consensus till date regarding its legality. The Indian legal system too has struggled with the constitutionality of death penalty and the circumstances in which it may be granted. This paper analyses the constitutional validity of death sentence and the circumstances under which it may be granted with the help of relevant cases and the 'rarest of the rare' test that was prescribed by Supreme Court in Bachan Singh case. This paper concludes by observing that Indian judiciary is moving away from the implementation of capital punishment as there is greater emphasis on alternative modes of punishment and the international legal developments which are against the capital punishment.

Introduction - Capital punishment or the death penalty is a legal process whereby a person is put to death by the state as a punishment for a crime. The judicial decree that someone be punished in this manner is a death sentence, while the actual process of killing the person is an execution. Crimes that can result in a death penalty are known as capital crimes or capital offences. The term capital originates from the Latin capitalis, literally "regarding the head" (referring to execution by beheading). A majority of countries in the world has now abandoned the use of the death penalty. But the world has not yet formed a consensus against its use. The most populous country in the world, China, executes thousands of people every year, and the most powerful country, the United States, uses it regularly. Eighty-four countries retain the use of capital punishment. However, the number of countries employing the death penalty is declining and it is possible that worldwide opinion and pressure will gradually influence all countries to abandon this practice.

History of Capital Punishment - Capital punishment is a method of retributive punishment as old as civilization itself. It is a lawful infliction of death as a punishment and since ancient times, it has been used for a wide variety of offences. Both the Greeks and Romans invoked the death penalty for a wide variety of offences.Socrates and Jesus were perhaps the most famous people ever condemned for a capital crime in the ancient period. Hammurabi's code, a code of laws developed by king of one of the first empire, dates back from the third or second millennium before Christ. This code claims that retribution, an eye for an eye and a life for a life, is justice. In Anglo American law the death penalty has been a customary response to certain kinds of offences.

The Bible prescribes death for murder and many other crimes including kidnapping and witchcraft. By 1500 in England, only major felonies carried the death penalty- treason, murder, larceny, rape and arson. By 1700, however, parliament had enacted many new capital offences and hundreds of persons were being put to death each year.

Capital Punishment in Various Legislation in India - Capital punishment is prescribed as one of the punishments in various of the Indian Penal Code, 1860, The Arms Act 1959, The Narcotic Drugs and Psychotropic substance Act 1985, and The Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act, The Commission of Sati (Prevention) Act, 1987, The Air Force Act, 1950, The Army Act, 1950, and The Navy Act, 1957. In the Prevention of Terrorism Act, 2002 also, there was a provision for death penalty for causing death of persons using bombs, dynamite or other explosive substances in order to threaten the unity and integrity of India or to strike terror in the people. It is also interesting to note that under the Arms Act, NDPS Act and the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Act, Capital Punishment is the only punishment for the offence covered by those sections, thus leaving no room for the judiciary to exercise its discretion. It is doubtful whether these provisions can stand the test of the constitutional validity in the light of the decision in Mithu v. State of Punjab Because in this Case section 303 of the Indian Penal Code was struck down as violation of Article 21 and 14 of the Constitution of India, as the offence under the Section was punishable to exercise its direction and thus resulted in an unfair, unjust and unreasonable procedure depriving a person of his life.

Constitutional Validity of Capital Punishment - Article 21

*Assistant Professor, Career College Of Law, Bhopal (M.P.) INDIA

of the Constitution of India provides Protection of Life and Personal Liberty to every people. And the deprivation of life of anyone is unconstitutional under Article 21. It is also said that No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law; it means, if there is a procedure than state can deprived a person from his life.

In many countries there has been accepted and death penalty has been abolished. In India, too there are many social workers includinglawyers and Judges who have voiced this demand. Prominent amongst them are Bhagwati J. and Krishna Iyer J. both former judges of Supreme Court, Krishna Iyer J. Very recently while addressing a Human right organization strongly expressed himself in favour of the abolition of death penalty.

Justice A.K. Ganguly of the Supreme Court has termed the award of death sentence as "barbaric , anti-life, undemocratic and irresponsible" which is "legal" in the prevailing judicial system. The doctrine of the crime falling in the 'rarest of rare' category in awarding the death penalty was a "grey" area as its interpretation depended on individual judges. He cautioned that before giving death penalty, a judge must be "extremely careful" and weigh "mitigating and aggravating circumstances."

So far as constitutionality is concerned it has to be considered in the light of the provision to take away the life of a person through a procedure established by law. This means that through there is a procedure establish by law, state can deprive a person of his life. Through judicial pronouncements, this procedure is interpreted to mean, a fair, just and reasonable one. Though the constitutional validity of the death punishment was challenged as violative of Article 19 and 21 of the Constitution of India, because it didn't provide any procedure to the Court upheld the validity of death sentence. Since the procedure by which the life is taken is fair, just and reasonable. The judge are given ample power to exercise their discretion to award death penalty as against imprisonment for life.

The question of constitutional validity of death penalty has been raised before the Supreme Court of India more than once. In case of Jagmohan Singh v. State of Uttar Pradesh, the constitutional validity of death penalty was upheld by the Supreme Court by a unanimous decision of the five judges composing the Bench.

In case of Rajender Prasad v. State of Uttar Pradesh, Krishna Iyer J. said that death penalty directly affects the life of the people guaranteed under Article 21 of the Constitution. But it has been provided by law and there is nothing like due law in Article 21. Therefore, it is valid. He further said that to impose death penalty the two things must be required:

- The special reasons should be recorded for imposing death penalty in a case.
- The death penalty must be imposed only in extraordinary circumstances.

The question was again considered by a five judges bench in case of Bachan Singh v. State of Punjab, particularly in view of certain observations of Krishna Iyer J. In Bachan Singh case judges considered the social, ethical and even spiritual aspect of death penalty while upholding the constitutional validity thereof.

It is to be noted that, After the award of the death sentence by a sessions (trial) court,the sentence must be confirmed by a High Court to make it final. Once confirmed, the condemned convict has the option of appealing to the Supreme Court. If this is not possible, or if the Supreme Court turns down the appeal or refuses to hear the petition, the condemned person can submit a 'mercy petition' to the President of India and the Governor of the State.

Power of President - The present day constitutional clemency powers of the President and Governors originate from the Government of India Act 1935 but, unlike the Governor-General, the President and Governors in independent India do not have any prerogative clemency powers.

Constitutional Power - Article 72(1) of the Constitution of India states:

The President shall have the power to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishment or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence

(a) in all cases where the punishment or sentence is by a Court Martial;
(b) in all cases where the punishment or sentence is for an offence against any law relating to a matter to which the executive power of the Union extends;
(c) in all cases where the sentence is a sentence of death.

Capital Punishment Under Criminal Law - Section 365 (5) of the Criminal Procedure Code, 1898, prior to its amendment in 1955, required a court sentencing a person convicted of an offence punishable with death to a punishment other than death to state the reasons why it was not awarding death sentence. The amendment deleted this provision but there was no indication in either the Cr.P.C or the Indian Penal Code, 1860 (IPC) as to which cases called for life imprisonment and which the alternative – death penalty. The Law Commission of India in 1967 undertook a study of death penalty and submitted its 35th Report to the government. It justified its conclusion for retention of death penalty thus:

Having regard….to the conditions in India, to the variety of social upbringing of its inhabitants, to the disparity in the level of morality and education in the country, to the vastness of its area, to the diversity of its population and to the paramount need for maintaining law and order in the country at the present juncture, India cannot risk the experiment of abolition of capital punishment.

Capital Offences :

Sections Under IPC and other laws

120B of IPC - Being a party to a criminal conspiracy to commit a capital offense

121 of IPC - Waging, or attempting to wage war, or

	abetting waging of war, against the Government of India
132 of IPC -	Abetting a mutiny in the armed forces (if a mutiny occurs as a result), engaging in mutiny
194 of IPC -	Giving or fabricating false evidence with intent to procure a conviction of a capital offense
302, 303 of IPC -	Murder
305 of IPC -	Abetting the suicide of a minor, mentally ill person, or intoxicated person
Part II Section 4 of Prevention of Sati Act -	Aiding or abetting an act of Sati
364A of IPC -	Kidnapping, in the course of which the victim was held for ransom or other coercive purposes.
31A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances -	Act Drug trafficking in cases of repeat offenses
396 of IPC -	Banditry with murder - in cases where a group of five or more individuals commit banditry and one of them commits murder in the course of that crime, all members of the group are liable for the death penalty.
376A of IPC and Criminal Law (Amend ment) Act, 2013 -	Rape if the perpetrator inflicts injuries that result in the victim's death or incapacitation in a persistent vegetative state, or is a repeat offender.
Bombay Prohibition (Gujarat Amendment) Bill, 2009 -	In Gujarat only - Manufacture and sale of poisoned alcohol which results in death(s).

Execution of Death Sentence - The execution of death sentence in India is carried out by two modes, namely hanging by the neck till death and being executed by firing squad.

a) Hanging - The Code of Criminal Procedure (1898) called for the method of execution to be hanging. The same method was adopted in the Code of Criminal Procedure (1973). Section 354(5) of the above procedure reads as "When any person is sentenced to death, the sentence shall direct that the person be hanged by the neck till the person is dead."

b) Shooting - The Army Act and Air Force Act also provide for the execution of the death sentence. Section 34 of the Air Force Act, 1950 empowers the court martial to impose the death sentence for the offences mentioned in section 34(a) to (o) of The Air Force Act, 1950. Section 163 of the Act provides for the form of the sentence of death as:-"In awarding a sentence of death, a court-martial shall, in its discretion, direct that the offender shall suffer death by being hanged by the neck until he be dead or shall suffer death by being shot to death".

This provides for the discretion of the Court Martial to either provide for the execution of the death sentence by hanging or by being shot to death. The Army Act, 1950, and the Navy Act, 1957 also provide for the similar provisions as in The Air Force Act, 1950.

Conclusion - Various arguments have been made in favor of the abolition of death penalty. The purpose of this paper is to bring together the analysis from the landmark cases to infer what constitutes rarest of rare. The judgment in Bariyar can be considered as a significant one because it gave importance to the reformatory and rehabilitation scheme. The court said that the prosecution has to first prove that the case belong to the rarest of the rare category after which they also have to provide evidence as to why accused was not fit for any kind of reformation. After which, the death sentence could be awarded. It is important for a developing nation like ours to match up to the international standards and do away with the forms of punishment that hinder its progress.We hope that India works towards complete abolition of death penalty!!

References :-

1. Bachan Singh v. State Of Punjab , AIR 1980 SC 898
2. http://legalservicesindia.com
3. www.newindialaw.blogspot.com
4. http://ijlljs.in.
5. www.archieve.indianexpress.com
6. www.legalindia.com
7. www.timesofundia.com
8. www.sites.google.com
9. www.springer.com

****

Unconstitutionality of 'Third degree' methods and use of fatal force by police

Dr. Rajiv Jain *

Introduction - The existence of police has been since ancient times in India. Torture by the police also is not uncommon. The present methods of police torture in India are inherited from the system of British Raj. To get the information from the accused and to get the aid in the process of investigation, the police resorts to such torturous methods called as "third degree" methods.

In **Kishore Singh v. State of Rajasthan** AIR 1981 SC the Supreme Court held that the use of "third degree" method by police is violative of article 21 and directed the government to take necessary steps to educate the police so as to inculcate a respect for the human person. The cruel beating up of the suspects, locking them up for more than the permissible time, the use of filthy and abusive language, outraging the modesty of women, inhumane behavior with the prisoners and the accused are some examples of the torturous methods used by the police.

The court has awarded compensations to victims of such methods in many cases for the violation of fundamental right to life and personal liberty. These cases are for e.g. **Khatri v. State of Bihar** AIR 1981 SC 1068 ; **Rudal Shah v. State of Bihar ,**AIR 1983 SC 1086 ; **SM Hongray v. Union of India air** 1984 SC 1024; etc.

The effect of the use of these third degree methods was that the confessions made to the police cannot be proved against the person according to the Evidence act and the constitution also provides protection from self incrimation as a fundamental right. This in some way discourages the police to use such methods. Similarly confession made to any person during the police custody, unless made up in the presence of a Magistrate, shall not be proved as against such person as under section 26 of the Indian Evidence Act. However, if any fact is deposed to as discovered in consequence of information received from a person accused of any offence in the custody of a police officer, much of such information whether it amount to confession or not, as relates to the fact thereby discovered may be proved by any person as under the section 27 of Indian Evidence Act.

Moreover, the common third degree methods of torture and ill-treatment basically include submersion in water, stubbing out of cigarettes, sleep deprivation and sensory deprivation, public flogging, public lashing being forced to swallow detergent; sodomy; burning with blow torch; electric shocks; suspension by the wrists ; forcible extraction of teeth; beating during public demonstrations ; extended detention in solitary confinement; stabbing; death in custody as a result of ill-treatment; torture during pre-trial detention; overcrowding in pre-trial detention centres, malnutrition, contagious diseases; asphyxiation; beatings on the soles of the feet; protracted hanging by the arms; denial of access to toilets; kicking in the head; denial of food; protected forced standing; threats against family members; forced feeding; prisoner-on prisoner violence; denial of medical treatment; sleep deprivation; scalding with boiling water; threats of amputation; beating and rape; being hung upside down; are common methods for use of force by police in the custody.

In India, no express definition of torture is provided in either the Constitution or any statutory law. However, different provisions in law provide certain conditions where police can use force.

1. To apprehend a person who resists an endeavour to arrest him or attempts to evade arrest.
2. For the dispersal of an unlawful assembly; and in the exercise of right of private defence.
3. For situation related to national interests.
4. For public safety.

Therefore we see that police is allowed to use force legally in some situations, but not always. Yet the police use these methods for detection and prevention of crime and consider it as an effective instrument for seeking information.

Causes of use of excessive fatal Police force

Use of excessive fatal police force is due to the following causes

1. **Legal Cause -**The first and foremost cause or root cause is the section 27 of the Indian Evidence Act, 1872 which provides that although made in police custody is not admissible in the court of law as evidence under section 25, but by way of proviso, section 27 lays down that if a person in the custody of a police officer makes a statement leading to any discovery of evidence related to the crime. In such situation the fact given in that statement is admissible in the court of law as a discovery statement.

* **H.O.D. (Law) Career College Of Law, Bhopal (M.P.) INDIA**

So the police try to manipulate their way around this section and use excessive fatal Police force or "third degree" methods to get such an statement from the accused. Therefore, section 27 of the Indian Evidence Act has been a reason for mischief in that it creates an irresistible desire for extorting confession which, in its turn, leads to such torturous methods as required by the police.

2. Organizational Cause

(i) Work Pressure - The police work under great pressure of achieving results sometimes leave the patient approach and resort to the use of physical force in different forms. The work pressure somewhere takes away humane touch in their behavior.

(ii) Lack of Supervision - There is lack of proper supervision of the supervision of the functioning of the officers at the police station level. There is also lack of feeling of responsibility and liability in their minds regarding their actions. Such attitudes leads to barbarous methods of torture with a second thought.

(iii) Outdated Police Structure - The Police Act, 1861 is old and has remain unchanged since long. The society has changed and so have the quality of life. The role and responsibilities of the police also undergone transformation. Therefore a change in the law and attitude of the police is essential to get over with the custodial violence so prevalent.

3. Social Cause - Sometimes the society's anger and indignation is also the cause of custodial atrocities and brutality. The society expects the law enforcement to be strict enough to take action against the offenders.

4. Economic Cause - Greed and drive for excessive economics gains sometimes gets the police to use aggression and fatal force on the accused and demand money from the family of the accused so as to not to torture the accused in the police custody. The police also demands money to either give special favours or to refrain the accused of even basic amenities while in custody.

5. Political Cause - Political interference is very common for the police department. The police in India is faced with political interference at the local level, in the higher levels even in every day functioning. This interference hampers the police function and therefore there is deterioration of existing structures of supervision and control within police organization.

Seeing all the causes we see that it is not always that the police use third degree methods of their own choice, there are many other factors that are involved. But the fact is that whatever the cause the use of "third degree' methods cannot be justified in any case. In many cases seeing the brutality of police are themselves so brutal and cruel then how will it be able to remove crime from the society. At times it seems as if they are licensed criminals.

In Yusuf Ali v. State of maharastra AIR 1968 SC 150 the accused was beaten and kept hungry during the investigation process in the jail. He was subjected to severe atrocities. Such type of behavior is third degree method and unconstitutional according to the court. As a person has fundamental rights and further more human rights that make such treatment unconstitutional.

Our constitution provides for equality of treatment, right to life and personal liberty, and many other fundamental rights to the citizens. The criminal though in jail, yet has to be treated like a human being and third degree methods are totally inhuman.

In Niranjan Singh v. Prabhakar Rajaram AIR 1980 SC 785 the court held that third degree methods and other police atrocities are creating a fear in the mind of the society with regards to police rather a feeling protected and secure.

In Nandini Satpathy v. P.L.Dhani AIR1978 SC 1075 the Supreme Court gave some guidelines with regards to the person in custody and to provide him with protection against police atrocities. It was held that if the police force a person to give information it would be considered as torture and will violation of the fundamental right given in article 20 regarding the right against self incrimination.

In Nilabati Behra v. State of Orissa AIR1993 SC 1960 case a petition was field under article 32 of the constitution asking the compensation for death of her son in police custody. The state government presented many arguments but it was held by the Supreme Court that the state was bound by the constitution to protect the citizens under police custody and if the state has been unable to do so it has to compensate for the loss.

In Saheli v. Police Commissioner Dehli case a woman activist group SAHELI has filed a PIL under article 32 for compensation for the mother of another victim of custodial death.The police in this case were accused of causing death of a 9-year-old boy who died due to the police torture in custody. The Supreme Court held the police responsible for the death and ordered for payment of compensation.

The Supreme Court in yet another case of Sheela Barse v. State of Maharashtra 1983 Cr.L J 642 SC held that when the police arrest a person without warrant then the police are to inform such a person about his rights to bail, legal aid, etc.as provided in the D K Basu case.

The point here is that even when the constitution provides for fundamental rights yet such atrocities by the police are not controlled. In the current scenario it is very essential that such torture by the police be put to an end. The police have to understand their role in the society and see to it that they are the protectors and not the criminals themselves.

References :-

1. Privileged Class Deviance
2. Indian Penal Code
3. Criminal Procedure Code

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) July to September 2017, Vol. II

Consumer Protection Act 1986 - A Step Towards Upholding The Rights Of Consumers

Dr. Neelesh Sharma *

Abstract - The philosophy of marketing is based on consumer. The consumer is not only the heart of marketing but also the controller of marketing functions. The reality consumer may be 'King' of corporate activities, but King is misguided by his Kingdom**.** in India. In a developing country like India where the incidence of poverty and unemployment is very high and the level of literacy is very low, the people face a volume of problems, particularly in the context of consumer related issues. Unlike in the developed world, consumers in these countries have not been able to play a greater role in the development process. In this paper an analysis has been to explore the consumer protection and consumerism.

Introduction - Who is a Consumer?

Consumer is a person who buys any goods for a consideration …………Sec 2(1) (d) (i) or hires or avails of any services for a consideration which has been paid or promised or partly paid and part by promised, or under any system of deferred payment and includes any beneficiary of such services other than the person who hires or avails of the services for consideration paid or promised, or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment, when such services are availed of with the approval of the first mentioned person. Sec 2(1) (d)

Scope of Consumer Protection Act - CPA has provided for three tier quasijudicial consumer dispute redressal mechanism:

1. District Consumer Dispute Redressal Forum Pecuniary jurisdiction: up to Rs. 20 Lakhs Appeal lies to the State commission within· 30 days of receipt of the order.
2. State Consumer Dispute Redressal Commission Pecuniary jurisdiction: Rs. 20 Lakhs to 1· Crores. Appeal lies to the National commission· within 30 days of receipt of the order.
3. National Consumer Dispute Redressal Commission Pecuniary jurisdiction: Rs.20 Lakhs to 1· Crores. Appeal lies to the Supreme Court within 30· days of receipt of the order.

Historical Background of Consumer Rights - History of protection of Consumer's rights by law has long been recognised dating back to 1824. Every year the 15th of March is observed as the World Consumer Rights Day. On that day in 1962 President John F. Kennedy of U.S. called upon the U.S. Congress to accord its approval to the Consumer Bill of Rights. They are:

(i) Right to choice
(ii) Right to information
(iii) Right to safety and
(iv) Right to be heard.

President Gerald R. Ford added one more right i.e. right to consumer education. Further other rights such as right to healthy environment and right to basic needs (Food, Clothing and Shelter) were added. In India we have recently started celebrating 24th December every year as the National Consumer Rights Day. In the history of the development of consumer policy, April 9, 1985 is a very significant date for it was on that day that the General Assembly of the United Nations adopted a set of general guidelines for consumer protection and the Secretary General of the United Nations was authorised to persuade member countries to adopt these guidelines through policy changes or law. These guidelines constitute a comprehensive policy framework outlining what governments need to do to promote consumer protection in following seven areas:

i. Physical safety;
ii. Protection and Promotion of the consumer economicinterest;
iii. Standards for the safety and quality of consumer goods andservices;
iv. Distribution facilities for consumer goods and services;
v. Measures enabling consumers to obtain redress;
vi. Measures relating to specific areas (food, water and pharmaceuticals) and
Vii Consumer education and information programme.

Though not legally binding, the guidelines provide an internationally recognized set of basic objectives particularly for governments of developing and newly independent countries for structuring and strengthening their consumer protection policies and legislations. These guidelines were adopted recognizing that consumers often face imbalances in economic terms, educational levels and bargaining power and bearing in mind that consumers should have the right

*Assistant Professor, Career College Of Law, Bhopal (M.P.) INDIA

of access to non hazardous products as well as the importance of promoting just, equitable and sustainable economic and social development. These U.N. guidelines for Consumer Protection can assist in the identification of priorities particularly in the light of emerging trends in a globalised and liberalized world economy.

The U.N. guidelines were never intended to be a static document and required to be revisited in the changed social, political and economic circumstances. On reexamination of U.N. guidelines in 1999 “sustainable consumption” was also included in the list which is certainly an important step in this direction. It would perhaps be apt to highlight that long back Mahatma Gandhi said that” the rich must live more simply so that the poor may simply live.” There cannot be a better expression championing the cause of sustainable consumption. It may not be out of place to mention that the increased internationalization of cooperation is also a part of the globalization process. Rules adopted for corporations trading in OECD countries for the protection of the interests of consumers can now also be applied to their conduct for the protection of the interests of the consumers in non-OECD countries. A new investment guideline from the OECD spells out principles to be applied by multinational corporations dealing with consumers. The Guidelines, which deal with fair business, marketing and advertising practices as well as safety and quality of goods and services lend themselves to consumer monitoring and campaigning. Possibilities for action include twinning arrangements in which groups from non- OECD countries work with groups from the home countries of multinational corporations to hold them accountable for failure to adhere to the Guidelines.

Before moving in the direction of consideration of provisions of the Consumer Protection Act, 1986, perhaps it would be better to summarize the factors responsible for legislations to protect consumer’s rights. These factors are as follows:

1. Rapidly increasing variety of goods and services which modern technology has made available;
2. Growing size and complexity of production and distribution system;
3. High level of sophistication in marketing and selling practices, in advertising and other forms of production;
4. Removal of personal relationship of buyer and seller as a result of mass marketing methods; and
5. Consumers’ increased mobility.

In India, the consumer movement as a ‘social force’ originated with the necessity of protecting and promoting the interests of consumers against unethical and unfair trade practices. Rampant food shortages, hoarding, black marketing, adulteration of food and edible oil gave birth to the consumer movement in an organized form in the 1960s. Till the 1970s, consumer organizations were largely engaged in writing articles and holding exhibitions. They formed consumer groups to look into the malpractices in ration shops and overcrowding in the road passenger transport. More recently, India witnessed an upsurge in the number of consumer groups.

The consumer movement arose out of dissatisfaction of the consumers as many unfair practices were being indulged in by the sellers. There was no legal system available to consumers to protect them from exploitation in the marketplace. For a long time, when a consumer was not happy with a particular brand product or shop, he or she generally avoided buying that brand product, or would stop purchasing from that shop. It was presumed that it was the responsibility of consumers to be careful while buying a commodity or service. It took many years for organizations in India, and around the world, to create awareness amongst people. Because of all these efforts, the movement succeeded in bringing pressure on business firms as well as government to correct business conduct which may be unfair and against the interests of consumers at large. A major step taken in 1986 by the Indian government was the enactment of the Consumer Protection Act 1986.

Consumer Protection Act, 1986 - The Consumer Protection Act, 1986 was enacted to provide a simpler and quicker access to redress of consumer grievances. The Act seeks to promote and protects the interest of consumers against deficiencies and defects in goods or services. It also seeks to secure the rights of a consumer against unfair trade practices, which may be practiced by manufacturers and traders.

The set-up of consumer forum is geared to provide relief to both parties, and discourage long litigation. In a process called ‘informal adjudication’, forum officials mediate between the two parties and urge compromise.

The Act applies to all goods and services unless specifically exempted by the Central Government. It covers all the sectors whether private, public or cooperative.

This Act has provided machinery whereby consumers can file their complaints which will be heard by the consumer forums with special powers so that action can be taken against erring suppliers and the possible compensation may be awarded to consumer for the hardships he has undergone.

The consumer under this law is not required to deposit huge court fees, which earlier used to deter consumers from approaching the courts. The rigors of court procedures have been replaced with simple procedures as compared to the normal courts, which helps in quicker redressal of grievances. The provisions of the Act are compensatory in nature.

Please remember, consumer courts provide redress only in cases of products or services for personal use, defects in products used for commercial purposes are not entertained.

Basic rights of consumers include :

1. Right to be protected against marketing of goods and services which are hazardous to life and property.
2. Right to be informed about the quality, quantity,

standard and price of goods or services so as to protect the consumer against unfair trade practices.

3. Right to be assured, wherever possible, access to variety of goods and services at competitive prices.
4. Right to be heard and to be assured that consumers interests will receive due consideration at appropriate forums.
5. Right to seek redressal against unfair trade practices.
6. Right to consumer education.

Consumer redressal forum - Under the Consumer Protection Act, every district has at least one consumer redressal forum also called a consumer court. Here, consumers can get their grievances heard. Above the district forums are the state commissions. At the top is the National Consumer Disputes Redressal Commission in New Delhi.

A written complaint to the company is taken as proof that the company has been informed. The complaint must be backed by copies of bills, prescriptions and other relevant documents, and should set a deadline for the company to respond. Consumers can also complain through a consumer organization.

Claims of less than Rs. 5 lakh should be filed with district forum, claims of Rs. 5-Rs. 20 lakh directly with the state commission, and claims of more than Rs. 20 lakh with the National Commission.

To file the complaint :

1. Complaint is to be filed within two years of buying the product or using the service.
2. Complaint needs to be in writing. Letters should be sent by registered post, hand-delivered, by email or fax. Don't forget to take an acknowledgment.
3. The complaint should mention the name and address of the person who is complaining and against whom the complaint is being filed. Copies of relevant documents must be enclosed.
4. The consumer must mention details of the problem and the demand on the company for redressal. This could be replacement of the product, removal of the defect, refund of money, or compensation for expenses incurred and for physical/mental torture. Please ensure that the claims are reasonable.
5. You should preserve all bills, receipts and proof of correspondence related to the case. Avoid using voice mail or telephone because such interactions are normally difficult to prove.
6. The complaint can be in any Indian language, but it is better to use English.
7. There is no compulsion to hire a lawyer. Main cost consists of correspondence and travelling to the consumer forum for the hearing
8. Maintain a complete record of the emails and documents sent by you.

Appeal - Appeal is a legal instrumentality whereby a person not satisfied with the findings of a court has an option to go to a higher court to present his case and seek justice. In the context of consumer forums:

1. An appeal can be made with the state commission against the order of the district forum within 30 days of the order which is extendable for further 15 days. (Section 15)
2. An appeal can be made with the National Commission against the order of the state commission within 30 days of the order or within such time as the National Commission allows. (Section 19)
3. An appeal can be made with the Supreme Court against the order of the National Commission within 30 days of the order or within such time as the Supreme Court allows. (Section 23)

Penalties - The consumer courts (district court, state commission and National Commission) are given vast powers to enforce their orders. If a defaulter does not appear in court despite notices and reminders, the court may decide the matter in his absence. The forum can sentence the defaulter to a maximum of three years' imprisonment and impose a fine of Rs. 10,000. Forums can issue warrants to produce defaulters in court. They can use the police and revenue departments to enforce orders.

The rights of consumers needs to be protected since they avail services given by the service providers based on trust and faith and thus it's a necessity to keep a check on the service providers for the sake of service recipient.

Conclusion - Invariably, consumers are a vulnerable lot for exploitation, more so in a developing country with the prevalence of mass poverty and illiteracy. India too is no exception to it. Instances like overcharging, black marketing, adulteration, profiteering, lack of proper services in trains, telecommunication, water supply, airlines, etc are not uncommon here. From time to time, the government has attempted to safeguard consumer's interests through legislations and the CPA 1986 is considered as the most progressive statute for consumer protection. Procedural simplicity and speedy and inexpensive redressal of consumer grievances as contained in the CPA are really unique and have few parallels in the world. Implementation of the Act reveals that interests of consumers are better protected than ever before. However, consumer awareness through consumer education and actions by the government, consumer activists, and associations are needed the most to make consumer protection movement a success in the country.

References :-

1. www.imslawcollege.com
2. Shodhganga.inflibnet.ac.in
3. www.ncdrc.nic.in
4. www.npconsumercommissionb.nic.in
5. www.delhistatecommission.nic.in
6. www.gama.gov.in
7. www.Legalservicesindia.com

मानव अधिकार के सन्दर्भ में बाल श्रमिको का विश्लेषणात्मक अध्ययन

निशा कंथालिया *

प्रस्तावना – यह शत प्रतिशत और अक्षरश सत्य है कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत में समस्त मानव को गरिमामय जीवन जीने हेतु और सर्वांगीण विकास कर उन्नत्ति प्रगति और विकास के मार्ग पर प्रशस्त होने हेतु मानव अधिकारों से नवाजा गया है। नि:संदेह यह अधिकार मानव जन्म से ही या मानव अस्तित्व पर अहरणीय रूप में प्राप्त रहते है।

मानव अधिकार एक ऐसा अस्त्र है, जो मानव को अपने व्यक्तित्व के चंहुमुखी विकास हेतु और उसे संरक्षित और महफूज रखने हेतु मुहैय्या करवाये गए हो। यद्यपि इन अधिकारों का जन्म किसी विधायिनी द्धारा नहीं हुआ है किन्तु पुरातन कालीन मानव समाज मे अन्यायपूर्ण शोषण क्रूरता के विरूद्ध क्रान्ति स्वरूप शनै: शनै: कई शासकों सरकारों के विरोध के बाद यह अस्तिव में आए।

हम यदि कहे मानव अधिकार ऐसे अधिकार जो मानव को शोषण, अन्याय, अपमानजनक व्यवहार, क्रूरता, अमानवीयता, नारकीयता, दासता, अभद्रता, शासकों की निरकुंशता, उत्पीड़न अत्याचार, वंचनाओं, यातनाओं, संघर्ष से सुरक्षित संरक्षित और महफूज रखकर मानव के व्यक्तित्व निर्माण मे सहायक हो तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

यह निर्विवाद है कि माननीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र यथा

1. सामान्य – अनुच्छेद 1-2
2. सिविल तथा राजनीतिक अधिकार – अनुच्छेद 2 से 21
3. आर्थिक और सामाजिक अधिकार – अनुच्छेद 22 से 27
4. अर्तिम अनुच्छेद 28 से 30 तक मानव अधिकार प्रदत्त किए है, जिनमें प्रमुखतया अंग्राकित है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के अधिकार का विधिक विकास – सम्भवत: अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के अधिकार के संरक्षण का विकास सम्भवत: 1924 में राष्ट्रीय संध के तत्वाधान में प्रारम्भ होता है। जब बच्चों के अधिकार के जेनेवा घोषणा-पत्र को अंगीकार किया इस घोषणा ने अपेक्षा की कि बच्चों के देखभाल की विशेष आवश्यकता है। अत: निर्विवाद है कि प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और महत्व में बच्चे भी शामिल है।

बच्चों के अधिकार से संबधित मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेज – बच्चों के अधिकार और संरक्षण को गारण्टी देने वाले अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेज मुख्यतया पांच है, जो इस तथ्य के हिमायती है, विश्व समाज की बुनियाद या नींव का पहला पत्थर जिसके मजबूत कंधो पर हम वैश्विक संपूर्ण मानवतारूपी महल का सपना संजोये है वह अंग्राकित रूप में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित है।

1. मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा।
2. आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा।
3. नागरिक और राजनैतिक अधिकारों का अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा।
4. ऐच्छिक प्रोटोकोल।
5. बच्चों के अधिकार का अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय 1989

उपरोक्त अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेज पक्षधर है –

1. बच्चों और युवजन को आर्थिक और सामाजिक शोषण से बचाना चाहिए। – अनुच्छेद 10
2. उनका ऐसी जगह नियोजन जो उनकी नैतिकता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो या जीवन के लिए घातक हो या इनके सामान्य विकास को रोकने वाला हो विधि द्धारा दण्डनीय बना दिया जाना चाहिये।

किन्तु परन्तु लेकिन तथापि यद्यापि यह तथ्य भी अक्षरश: सत्य है की मौजूदगी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भयावह और विकराल रूप में इस तथ्य की साक्षी है कि यह समस्या उतनी ही प्राचीन है, जितना मानव अस्तित्व। समूचे अन्तर्राष्ट्रीय जगत में इस भयवाह, ज्वलंत, लाईलाज समस्या ने अपना अस्तित्व बनाए रखा हाँ बदलते समय के साथ इस समस्या के स्वरूप शोषण, क्रूरता, अपमानवीयता और इसके विरूद्ध होने वाली क्रांति या जागरूकता में जरूर बदलाव आए है।

आरंभिक काल से ही बालश्रम प्रथा लागू थी और वर्तमान परिवेष में भी सर्वत्र श्रम अधिनियमों की मौजूदगी में और इतना ही नहीं न्यायपालिका की नाक के नीचे सरेआम प्रचलित है।

अनेक क्षेत्रों में बाल श्रमिकों से काम तो अधिक लिया जाता है पर काम के बदले में दिया जाने वाला पारिश्रमिक बहुत ही कम या नाम मात्र का होता है। 8 से 16 घण्टे रोज खून पसीना एक करने के बावजूद इनके मालिकों द्धारा इन्हें प्रताड़ित किया जाता है। 10 से 20 रूपये वेतन और कहीं-कहीं तो केवल भोजन देकर ही खरवाया जाता है।

मजदूरी मांगने पर उन्हें डराया – धमकाया और पीटा जाता है, यह है, उनकी नियति।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट-

10 – 14 वर्ष उम्र के बच्चे	–	कुल बच्चों का 18 %
कुल बालश्रमिक अनुमानत %	–	25 करोड
तीसरी दुनिया के देशों का %	–	97.2 %
रोजी रोटी हेतु मजबूरन काम करने वाले बाल श्रमिक	–	10 करोड़

INTENSITY OF THE PROBLEM OF CHILD LABOUR

बालश्रम एक लाईलाज बीमारी की तरह दिन दूनी और रात चौगुनी स्पीड के साथ राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वत्र बढ़ता ही जा रहा है।

1981 की जनगणना के अनुसार	5 से 16 वर्ष के बालक	1 करोड़ 36 लाख
1991 की जनगणना के अनुसार	–	1 करोड़ 20 लाख

* शोधार्थी, पेसिफिक यूनिवर्सिटी (विधि) उदयपुर (राज.) भारत

1991 की जनगणना आध्रंप्रदेश	–	16.60 लाख
1991 की जनगणना मध्यप्रदेश	–	10 लाख
1991 की जनगणना महाराष्ट्र	–	10 लाख
1991 की जनगणना उत्तरप्रदेश	–	10 लाख

यद्यपि बालश्रम जैसी ज्वंलत समस्या का एकदम उन्मूलन या सर्वत्र समापन व्यावहारिक और यर्थाथ नहीं है क्योंकि तमाम अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी, गैर सरकारी, न्यायिक, अर्द्ध न्यायिक निकायो उपकारी परोपकारी संस्थाओं द्वारा कारगर सक्रिय प्रयास कर मानव अधिकारों और इनके हनन से पीडित शोषित बालकों को छुडवाकर बालश्रमिकों के पुर्नवास हेतु कुछ सार्थक प्रयास करे और कागजी उपबंधो तक सीमित बालकों के अधिकारें को व्यवहारिक सार्थकता या चरितार्थ दे। काश यह संभव हो, सार्थक हो।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

****

Relationship Between Playing Ability And Motor Fitness Components Of Volleyball Players

Dr. Ramneek Jain *

Abstract - The motivation behind the investigation was to discover the impact of changed techniques for playing capacity on chose engine wellness segments of Dr. B.R.A. University, volleyball players. To accomplish the motivation behind the present investigation, thirty female volleyball players were chosen as subjects from Dr. B.R.A. University, Agra, amid the scholastic year2012-2013. The subjects were chosen on an arbitrary premise. The periods of subjects were run from18-25 years. The gathered information were dissected factually by utilizing Analysis of Pearson connections used to decide the distinction, test implies on chose subordinate factors independently. In every one of the cases, 0.05 level of certainty was settled to test the level of essentialness.
Key Words - Volleyball, Agility, Speed, Mean, S.D., r value.

Introduction - Volleyball is an incredible all round group activity, and it has been broadly acknowledged as a very focused and recreational amusement all through the world. Since its origin in 1985,it has not just created from a moderate moving diversion into a quick one, additionally has moved toward becoming and onlookers alike. It is fascinating to take note of that the speed of a capably spiked ball in the round of volleyball is around 45 meters every second, which is considerably quicker than the development of the diversion offers a more extensive open door for the improvement of quality, speed, perseverance, dexterity, neuromuscular aptitudes, and co-appointment volleyball has an additional preferred standpoint in being appropriate for both genders, respect less of age and physical capacity, as it is exceedingly versatile. It is amusement simple to learn, and since there is no body-contact between rivals, there is title peril of arrangement wounds. The amusement requires just a little play range and the gear required is inside the scope of all wage gatherings. Due to its convenience to both genders, there are incredible open doors for solid and sound social contacts among men and ladies of all races. As a game, volleyball has tremendous recreational and continue esteems and subsequently meets every one of the necessities of a perfect type of physical action (Gozansky, 1987).

Motor fitness is a term that describes an athlete's ability to perform effectively during sports or other physical activity. An athlete's motor fitness is a combination of five different components, each of which is essential for high levels of performance.

Objectives -

- To find out the speed of the volleyball players.
- To find out the agility of the volleyball players.

Delimitation - This study is delimitated to 30 volleyball players who represented the collegiate team.

The study was further delimited to the motor components are -

- Speed and Agility

The study was delimited to university level volleyball male players only.

Methodology & Selection Of Subjects - The reason for this examination was to break down between engine wellness parts and playing capacity in University level volleyball players. To accomplish the motivation behind the investigation 25 volleyball players at University level were chosen as subjects and their age run between 18 to25 years.

The nature and significance of this investigation was clarified the subjects and they were communicated their ability to take an interest as subjects for this examination. The subjects were chosen from the Dr. B.R.A. University, Agra, Uttar Pradesh.

Variables - Speed & Agility

Independent variable - Playing ability

Tools For Data Collection -

1. Speed - 50 meters Dash
2. Agility – 4x10 meter Shuttle run

Orientation Of Subjects - Before gathering of information, subjects were arranged about the reason for the investigation. The examiner clarified the test technique in detail to the subjects. The agent had given appropriate guideline to the subjects, so the subject has partaken in test without raising any questions.

Analysis Of The Data Speed (50 meter dash) **-** The analysis of independent Pearson's correlation on the data obtained for speed of volleyball players have been analyzed and

***Asst. Professor (Physical Education) Shri JJT University, Jhunjhunu (Raj.) INDIA**

presented Table -1. **(See)**

Indicating the Number of Variables- speed and playing ability, 25 Subjects, 6.44 mean. 0.36 S.D. of Playing capacity and Speed.

Significant at 0.05 level of certainty. Table esteem 0.30 with the DF (N-1) = (25-1) =24

The outcome in table that there was noteworthy connection between playing capacity and speed since "r" estimation of more prominent than the table "r" esteem +_0.33.There was huge connection amongst speed and spryness since "r" estimation of 0.30 was more noteworthy than the table "r" estimation of 0.30.

Analysis Of The Data Agility (shuttle Run 4x10 meter) - The examination of autonomous r-test on the information gotten for Agility of volleyball players have been broke down and introduced in Table-2.**(See)**

The outcome in table that there was noteworthy connection between playing capacity and readiness since "r" estimation of more prominent than the table "r" esteem 0.33.There was critical connection amongst speed and spryness since "r" estimation of 0.30 was more noteworthy than the table "r" estimation of 0.30.

Discussion & Findings - Toward the start of the examination the agent had defined the theory that there might be critical contrast on engine wellness factors among ladies volleyball players. The discoveries of the examination demonstrated comparative outcomes. So the re-searcher's speculation was acknowledged.

The after effects of the examination show that there was noteworthy contrast in speed, nimbleness among volleyball players.

References :-

1. Kneer, M.e, (1982).Ability Grouping In Physical Education, Journal Of Physical Education, Recreation And Dance.9:10.
2. Hardyal Singh, (1996). Science Of Sports Training, New Delhi.d.v.s Publication.

TABLE - 1

Variables	Number	Mean	S.D.	'r'value	't' value
Speed	25	6.44	0.36	0.33	0.30
Playing ability	25	73.42	4.74		

Table - 2

Variables	Number	Mean	S.D.	't'	Required 'r'
Agility	25	10.77	0.54	0.33	0.30
Playing ability	25	73.42	4.74		

Indicating the Number of Variables- agility and playing ability, 25 Subjects, 10.77 mean. 0.54 S.D. of Playing capacity and agility.

*Significant at 0.05 level of confidence. Table value 0.30 with the df (N-1) = (25-1) =24

****

An Analytical Study of Status of Automation & Networking in Medical College Libraries of Madhya Pradesh

Ashish Dwivedi * Dr. Raj Boria **

Abstract - The present study evaluates and analyse the status of automation and networking in medical college libraries of Madhya Pradesh. This gives a view of various constraints that medical college libraries are facing in utilizing the emerging technologies. The methodology adopted for the present study is a questionnaire based survey which was sent to total of !2medical college libraries of Madhya Pradesh. Then using the attained data real status & working of Medical College Libraries with growing ICT facilities was explained. This paper correspondingly examines how far the medical college libraries are fulfilling their objectives in recent information and communication technological era and presents the ICT infrastructural facilities availability for the betterment of user services and resource sharing in medical college libraries in Madhya Pradesh. The provision of access to required information is the base for overall development of medical college libraries. Taking into consideration these factors, the present research work was being undertaken.
Keywords - library Automation; library networking; medical college libraries; Madhya Pradesh; ICT skills.

Introduction - With advancement in technological development, the library is continuously emerging to meet the challenges of information explosion. India has been the cradle of medical knowledge for ages so there is a great need to preserve and propagate indigenous medical knowledge and philosophy alongside the recognition of universal knowledge. India has undertaken many initiatives to digitize its documented knowledge base and set up digital medical libraries for better access. For attaining successful spread of varied knowledge, Library networking and automation came into form.

In general, Library Automation is the use of automatic and semiautomatic data processing machines to perform all basic library activities as acquisitions, cataloguing, circulation where library networking plays a crucial roleas shown in fig 1.Library Automation means the use of computers to perform the different routines, repetitive and clerical jobs involved in the functions and services of the libraries.

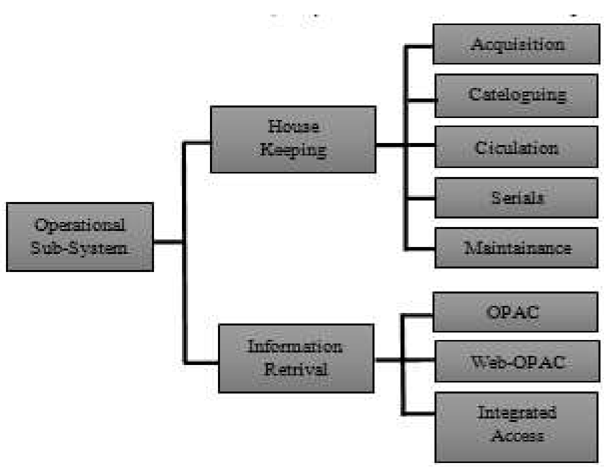

Figure 1.A flow representation of roles and importance of Library networking

Library networking is connecting two or more libraries which are engaged in a common pattern of information exchange, through communications, for some functional purpose whereby materials, information and services provided by a variety of libraries and other organizations are available to all potential users. The Library automation which started in late 70s in few libraries has now reached to almost all categories of university libraries including medical college libraries. With access to online databases, open access journals, digital libraries, institutional repositories via library networking, explosion in the field of telemedicine & health management information system can be seen in coming era.

Advancing knowledge of library personnel will also leads to enormous growth & flow of health science information. This research on automation & networking in medical college libraries of Madhya Pradesh affects the quality of decision making on patient care in terms of preventive measures preliminary tests, diagnosis, treatment, research, evident complications, follow up procedure and many others. At every level, clinicians can be helped by comprehensive and current information with strong evidences in connection to every patient study. The networking and automation of medical library operations facilitates easy access to information and saves the time of health professionals as well as research scholars and avoid duplication of processes of house keeping and related operations. Now-a-days, a representative medical college library has an access to MEDLINE, a range of electronic assets, print & digital journal collections, & print reference

* Resarch Scholar (Library Science) Pacific University, Udaipur (Raj.) INDIA
** Asst. Professor, School of Studies in Library & Information Science Vikram University, Ujjain (M.P.) INDIA

books.

Taking into contemplation these factors, the present study is performed so as to examine how far the medical college libraries of Madhya Pradesh are fulfilling their objectives in recent information and communication technological era. Along with,the researcher has planned to evaluate the various information services provided in medical college libraries and to find out barriers in setting up of standard medical libraries and quality of their services as well as suggest cost-effective solutions to overcome those barriers and to provide suggestions for successful planning of Automation and Networking of medical college libraries.

Objectives of the study - Following are the main objectives considered for proposed research and study;

1. To study the current status of libraries, especially medical college libraries of Madhya Pradesh in terms of networking and automation usage.
2. To compare the status of medical college libraries in MP with respect to facilities and resouces available for networking and automation.
3. To study the present status of Computer Skilled Professional Staff and other infrastructural facility of medical college libraries of MP.
4. To study the provision of Budget for Library Automation and Networking during last three years.
5. To find out the global problems and issues faced by medical college libraries in applying automation and networking in library such as inadequate staff, insufficient budget, etc.
6. To evaluate the present library systems and services of these libraries.
7. To provide suggestions and solutions to improve the quality of library automation and networking in medical college libraries in the state in terms of library operations, equipment's and technology usage towards catering quality and standards of services to its user community.

Hypothesis of Research - A Hypothesis is a tentative supposition or provisional guess which seems to explain the situation under observation'. a hypothesis is never proved, and it is better practice to use the terms 'supported' or 'verified'. This means that the research showed that the evidence supported the hypothesis and further research is built upon that. The following hypotheses have been formulated for the present study.

1. The present status of library automation and networking of the medical college libraries is not satisfactory.
2. IT/ network based information services are not fully developed.
3. The funds provided for library automation and networking are inadequate.
4. The present staff of the library is insufficient and not trained for handling of library software, automation and networking.
5. The facility of Campus-link (Network), outside –link and Access on WEB in medical college libraries is in progress.

Proposed Methodology - Questionnaire based has been employed in the present study data was collected through the surveys based on well-structured questionnaire and personal interviews. In-depth literature search on topics related to the research work was carried out in other sources also reviewed. The Questionnaire was circulated to all the 12 medical college libraries affiliated to 7 universities.

Results and analysis - The Questionnaire was circulated to all the 12 medical college libraries affiliated to 7 universities of Madhya Pradesh. Out of 12 medical college libraries, 10 libraries responded to the questionnaire with the response rate of 83.33%. Hence the analysis of the data collected is based on the responses of these 10 libraries. This data is collected for the period of September 2016 to February 2017.

The data collected by circulating the questionnaire asking the librarians by contacting in person and querying over phone have been analyzed using the MS excel application so as to carry out analysis for the research work. Then, the output of the data was collected and statistical tools were applied to calculate the percentages.

Out of total 12 medical colleges in MP, the Self Financing medical colleges counts for 16.67%, Private aided for 33.33% and Government Colleges 50%. This signifies the higher governmental participation in medical education is high compared to private sector in Madhya Pradesh

Figure 2.indicates the type of management which runs all 12 medical colleges included in study of Madhya Pradesh In MP, 50% of college libraries were established in the period of 2001-10 while within 1961-1970 & 2011- 2017, there are only 1 (8.33%) college library was established. In the period of 1941-1950 and 1951—1960, 16.67% college libraries were established for each period respectively.

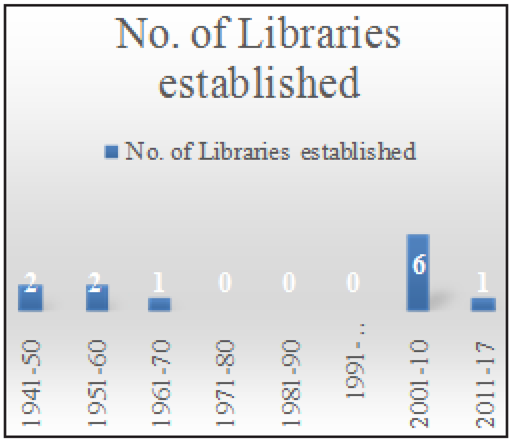

Figure 3.indicates the year of establishment of medical college libraries in Madhya Pradesh.

Out of 12 libraries, 66.67 % libraries are automated and use the library software's where 40 % libraries are completely automated and 20 % libraries are partially automated. 20% libraries is in initial stage of automation and 20% have not provided information regarding automation. This directly indicates the level of automation utilization in medical libraries of MP. Out of all these, only 20 % libraries have sufficient I.T specialized staff and other libraries either do not have sufficient staff for automation and networking or not responded perfectly. Since the latest trend in librarianship is more diverted towards information technology, it should be seen that the libraries should recruit library personnel who are having knowledge of information technology so that better services can be provided to the users by making use of this technology.

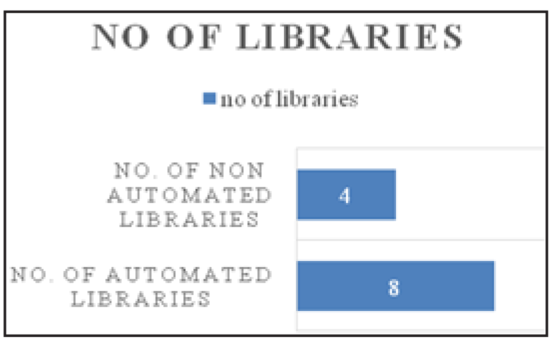

Figure 4.indicates the number of medical college librraies which are automated.

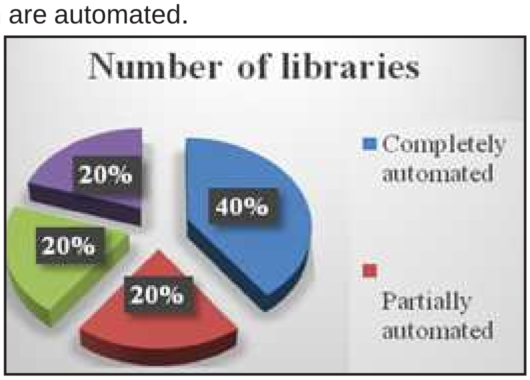

Figure 5.indicates the eal phase of automation that the respondent medical college libraries are undergoing.

Considering the financial budget of medical libraries, the amount spent for library Software and Networking during latest years 2007-08, 2008-09 and 2009-10. It has been found that 20 % libraries spent less than Rs. 1 lakh, 30 % libraries the amount utilized Rs. 3-4 lakhs. Other libraries have not a provided the data.

The Professional qualification, including the technical qualification and training on I.T. related disciplines are the important aspects, because the librarians are expected to organize technology based information services on one hand, and to impart information seeking skills on the other. The graph(Fig 6) from this study shows that about 20 % medical college libraries owes fully qualified librarian as per UGC norms as Phd, 40%were having M. Lib.& Inf. Sc; M. Phil as their qualification and 30% owes only M. Lib.& Inf. Sc whereas only 10 % have librarian with B. lib. & Inf. Sc with more of experience.

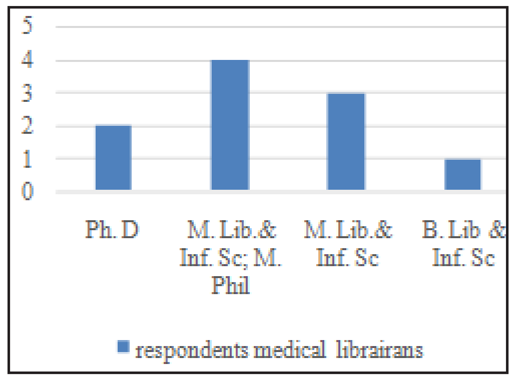

Figure 6.indicates the qualification of main librarian in all the respondents medical college libraries.

A total of 46 Professional, Semi-professional and Non-Professional staff is working 10 libraries. It has been found that 10 staff working as Librarians, 16 staff working as a Assistant Librarians, 8 staff working as a Library Clerks, 7 staff are working as a Computer Assistants and 5 staff are working as a Library Assistants. The working hours of the library and timing of reading room in out of 24 hours is distributed as shown in graph below (figure 7). this indicates that maximum number of medical college libraries (60%) provide long hours for study ranges from 19-24 hours per day.

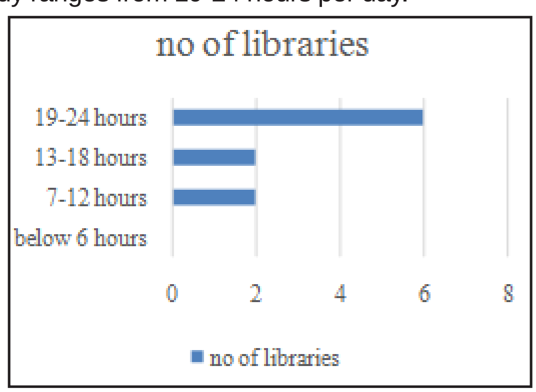

Figure 7. indicating the working hours of the library per day.

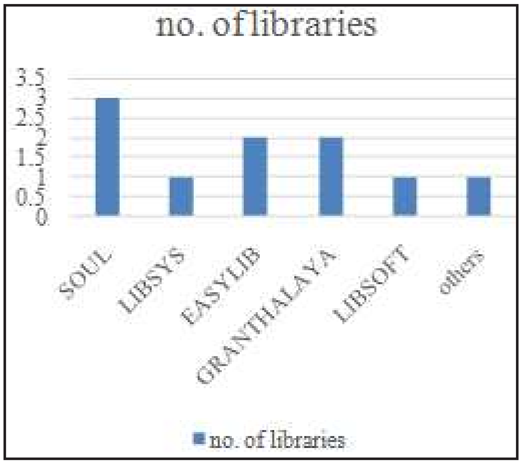

Figure 8. This indicates different softwares which are used in medical college libraries for resource sharing.

The different types of library software's being used in numerous medical college libraries under study are SOUL, LIBSYS, LIBSOFT, EASYLIB, GRANTHALAYA and others. About 30% utilizes SOUL, 10% LIBSYS & LIBSOFT each; and 20% were using GRANTHALAYA & EASYLIB as main running software for information and resource sharing as shown in figure 8.

It has been found that the computer network facility available on the campus, 80 % libraries provide computer networking facility on the campus and 20% libraries do not provide computer networking facility on the campus. The OPAC facilities are available on the campus of 5 (50%) libraries provide OPAC facilities on the campus and 50% libraries do not provide the OPAC facility on the campus.

Conclusion & Discussion - The objective of conducting this study was to identify the current status of medical college libraries in Madhya Pradesh in terms of networking and automation usage. This also helps to find various issues of library Automation and Networking as in adequate staff, insufficient budget; the medical college libraries are facing while establishing it and its feasible and cost effective solution to these obstacles. The study can help in providing the standard and quality services to the user community and confirming to all developing medical college libraries of its healthier outcomes. The researcher utilized questionnaire survey method to collect runtime data from different medical college libraries of MP and profoundly analysed the respective data to conclude the exact scenario.

Faculties and librarians can achieve better learning outcomes in terms of critical thinking and lifelong learning skills. They work together on designing curricula to include appropriate courses and modules to teach information skills. The collaboration between faculty and librarians will ensure that faculty members are prepared for electronic information use, as a result they will be able to integrate technology into their teaching processes and students are taught useable information skills. The librarian with the administrators has to set the priorities after analyzing the current status of medical college libraries and future requirements.

Academic achievement of a student is closely related to his/her ability to find, evaluate and use the required information according to the curriculum needs. An automated medical library with a variety of resources and user orient services can lead them to the goals. In this study only medical college libraries of Madhya Pradesh were evaluated and studied. There are many conceivable extensions of this work where study can particularly emphasize and compare medical college libraries within the other states corresponding different research designs Encompassing all possibilities for enhancement of medical college libraries in the future.

References :-

1. Baikady, M. R., et al. Web as a learning resource at the medical college libraries in coastal Karnataka: Perception of faculty and students. DESIDOC J. Lib. Inf. Technol., 2011, **31**(2), 121-35. Satpathy, S. K., &Satapathy, S. K. (2013). Users' Perception on Medical College Libraries'

2. Systems and Services of Odisha. DESIDOC Journal of Library & Information Technology, 33(2).

3. Sharma, R.K., and Tripathi, "Information Handling in Libraries", New Delhi: EssEss Publication. 30-31 (1989).

4. Lucille, Jackson., "Technical Libraries Their Organization and Management", New your: Sla. 56 (1951)..

5. Gupta, O.P., "Development of university libraries in India after independence", New Delhi: Concept Publishing Company. 60-61 (1992).

6. Kumar, PSG., "Computerization of Indian Libraries", New Delhi: B.R. Publishing Corporation.81-82 (1987).

7. Harinarayana, N. S. "Concept of library automation." Herald of library science30.3-4 (1991): 174-184.

8. Vyas, S.D., "Library automation and networking in India: problems and prospects", World Libraries, 8 (1), 27-31 (1997).

9. Rasid, Abdul (1996). Library Automation an Overview. Library Science, vol. 33, pp 45-54 (Online resources accessed on 06 05, 2007).

10. Vaishnav, A and Bapal (1995). Library Automation; a Feasibility Study. DESIDOC Bulletin of Information Technology, vol. 15(2).

11. B. O. Gbadamosi, "Emerging Challenges to Effective Library Automation and an E-Library: The Case of Emmanuel Alayande College of Education, Oyo, Nigeria", Library Philosophy and Practice 2012.

12. Dr. Anita Malik, "Digitalization and Automation in University Libraries", IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS) Volume 8, Issue 1 (Jan. - Feb. 2013).

13. Jayamma K. V, "Automation of College Libraries in Bangalore City: A Study", International Journal of Advance Research in Computer Science and Management Studies Volume 3, Issue 9, September

2015 pg. 32-40.

14. Devarajan, G., "Information technology in libraries". EssEss Publications, (1999).

15. Mahajan, Preeti. "Academic libraries in India: a present-day scenario." Library Philosophy and Practice 8.1 (2005).

16. Bhatia,S., "Some modern trends of medical education". Med. Bulletin(Bombay),14,63-68, (1946).

17. Gopal, M. Balasubramanian, D. Kanagarajah, P.Anirudhan, A. Murugan, P., "Madras medical college: 175 years of medical heritage, The National Medical Journal of India, vol 23, No.2, (2010).

18. Love, E., "Academic Health Sciences Library and Medical Library Association challenge to action planning and evaluation guidelines for academic health sciences libraries." Chicago: Association of Academic Health Sciences Library Directors and the Medical Library Association, 10-15 (1987).

19. Laxman Rao (N). Networking and communication of information. **TimelessFellowship.** 15; 1993; 28-56.

20. Jotwani (D) and Mehla (R D). Network of health science libraries in India: Role ofthe national library. **ILA Bulletin.** 32; 1996; 17-18.

21. Satpathi (J N). Resource sharing among health science libraries in West Bengal: Acase study. **In**: FID (— Conference and Congress) (Jaipur) (1998). 1998. INSDOC,New Delhi. p 1.40-44.

22. Ravindra Kumar. Networking among Indian medical research institutions andPrimary Health Centres (PHCs) in rural areas. **In**: CHOPRA (H R) and others, **Ed**.Library science and its facts. 1998. EssEss Publications, New Delhi. p 209-216.

23. LYON (B J) and others. Internet access in the libraries of the National Network of Libraries of Medicine. **Bulletin of Medical Library Association**. 86; 1998; 31-39.

****

Television Men's are not 'Us': Pleasure, Oppositional Reading and men's lives in Anand Nagar

Deepika *

Abstract - This paper, based on ethnographic fieldwork in Anand Nagar slum in Bhopal, Madhya Pradesh, details how it's poor, struggling men, relate to men images in contemporary television serials that are frequently watched by them. It argues that men also derive 'pleasure' from watching daily serials, engaging actively with the lives of 'television Men character in central role', but also sometimes making oppositional readings to make meaning of and better their own everyday lives.
Keywords - men; slums; television; soap; pleasure; oppositional readings.

Introduction - Ang, work in the context of the popularity of television soap 'Dallas' in the mid-80s, argued that women looked at 'Dallas' because they enjoyed watching it, or had received 'pleasure' from it. For Ang popularity and pleasure is never the unique accomplishment of one isolated culture product; therefore, she connects it within the context in which it is consumed (1985: 4). In addition, Ang claimed that most of viewers who watch 'Dallas' are women (1985: 10). Quite similar to Ang arguments, Morley also reasoned that watching television is more women oriented activity, despite the fact that men watch it and make the meaning more attentively (1992: 140). Quite different from Ang's thesis, that mainly claimed watching Dallas as a women oriented activity, most of the men in Anand Nagar, watch serials and relate it with 'pleasure'. However, they also make oppositional readings as they say these serials are least reflections of their social everyday life and culture.

In the course of my ethnographic work in Anand Nagar slum of Bhopal[1], I found most men viewers watching television serials like *'Sumitsambhallega'*, *'Zindagi abhi baki hai mere gosh''Tu mera hero'* and *'Nilichatri wale'*; and engage meaningfully with the representations of characters like *'Yug', 'Sumit', 'Bhagwandas'* and *'Titu'* watching mainly serials with men as central character. In the course of my repeated visits to respondents' homes and through long discussions both while and after watching of episodes similar to Ang work I witnessed myself that most of the men respondents were active, participative and discursive. In resonance with Fiske and Hartley (1978) arguments that the watching television also relates with everyday life I found many men in basti watch daily soaps also understand narratives diversely and relate meanings to their everyday lives and own social world[2]. As Schutz pointed out that social world maintains their meaning, but this meaning is specifically that which the people elaborate attach to their own acts. The act of the person and its intentional meaning only are subject to interpretative (explanatory) understanding (1967: 5). Therefore, I aimed to watch programming with men viewers in their household to see how they understand different stories and mediate meanings to their own acts. Thus, the junctures of television programming with the settings, ideas and everyday lives of audiences has been an important field of investigation, with academic and scholarly studies that have re-defined in many ways both the scape of examination, and knowledges about the 'field' (see Ang, 1985; Morley, 1992; Hall at el 1980; Fiske and Hartley, 1978). In recent decades, there have also been significant studies that have provided understanding of these engagements in contemporary India (see Mankekar, 1993; Gupta, 2000; Johnson, 2005; Mehta, 2008). In this framework, this article looks closely at the intersections and influences of television programming with everyday lives of men in Anand Nagar slum in Bhopal, probing mainly how programmes are read by men and meanings are constructed by them in different contexts; how these interpretations and meanings then relate to the cultures of their everyday living, and intervene/assimilate with their social, economic and political choices.

Images, 'Pleasure' and Oppositional readings - Ang claims in her thesis that the reason of popularity of Dallas is the enjoyment that audience receive after watching Dallas "the subject is reasonably one of pleasure" (1985: 3). Ang thinks that Dallas is appealing the people exceptionally just like fashion trends in way of popular imagination. There can be so many reasons to the popularity of Dallas while Ang in her work only focus on the single phenomenon that is complex enough in her statements 'pleasure' (1985: 5-6). In Ang vision, people mainly watch Dallas for enjoyment

*Centre for Media Studies, Ground Floor School of Social Sciences-I, Jawaharlal Nehru University, (New Delhi) INDIA

and no one forces them to watch Dallas. In functionalist terms, she defines pleasure related with the experience of satisfaction connected with the fulfilment of pre-existence need however how this pleasure aroused this mechanism is always ignored. Ang suggested that pleasure is not an outcome of satisfaction of a need but it is something that is the influence of assured productivity of cultural objects (1985: 9). Somewhat similar to Ang Many men in basti believe that television representations of men character in specific roles are illusory yet they watch them for entertainment. Recalling the character of *'Ayush'* in serial *'Mohi kahani ek khwab ki'*(the story of a young tribal girl named '*Mohi'* who want to become doctor and forcefully married with '*Ayush'* after an incident by villagers)Shekhar 25 year graduate and doing MBA from correspondence school of Barkatullah university Bhopal say in the serial *'Ayush'* get married more than once *'ye naye fashion trend honge'* (may be these can be a latest imaginary fashion trends) but in traditional Indian lifestyle *'koi aadmiek se jyada shadi nahi karta'* (no men can get married several times). "*Ye sahi to nahihai* (it is not true) *phir bhi dekhta hun* (but still I watch them like my mom) *kyonki inhe dekhne mai maja aata hai* (because I enjoy watching these illusions).

Ang claimed that generally audience believed that the pleasure they usually get from the program is more natural and automatic but these emotions/pleasure are something fabricated or produced. As for Ang pleasure is a function in particular social and historical context that is related to audience life experience (1985: 19). Considering Ang's viewpoint Many young men in basti shared their watching experiences of certain scene in the sense sometimes these representations gave them with the feeling of real life emotions of manhood relating to father, brother and husband. Remembering the character of *'Yug'* in serial *'Zindagibakihai mere ghost'* (a story of a poor fisherman named '*Yug'*, who has forced to take shelter in an old haunted house in Goa where he encounters a family of ghosts) Gaurav a 31-year-old telecommunication Engineer who is now settle in Pune but he gradually visits his home during vacation and most of the time showed his interest discussing on the subject. Gaurav say *'Yug'* have shown very *'bhola bhala'* (naive-spear) in the serial and in today time no one is such a *'bholabhala'* (naive-spear) like *'Yug'* but "I like how it represent emotions of manhood it is really enjoyable for me to watch" and say '*ye natak kabhi kabhi mujhe asal jindagi ki ghatanao ki yaad dila dete hain'* (these fictional images sometimes gave me recall of certain movement of my own everyday life). Reminiscing of a scene from the serial (in which *Yug's* ghost sister gave him burnt chapati's cooked by her and Yug ate them happily) Gaurav adds these television representations reminds him of his childhood days spend with his sister like in similar his sister sometimes put more salt in vegetable and in-spite of that he ate it happily. As Ang claimed that people are accepting audience; however, they also put a lot of emotional energy in Dallas and experience pleasure (1985: 24). As similar Gaurav says "I can connect the emotions of *'Yug'* with my emotions so despite being fiction '*inhen dekhna acha lagta hai'* (I like to see them)".

Additionally, Ang argued that popularity or acceptance is never the unique achievement of one isolated cultural product. It is also dependent on and links with the circumstance or context in which it is consumed or watched. Dallas has certain hidden meaning and it is not reasonable that every audience is open to that meanings (1985: 4). Identical to Ang Many old age men in basti refuted the representations of men character in glamorous looks. They say watching men with waxed hands and chest, makeup, shaped eyebrows *'hamari mardanigi ko chot pohonchata hai'* (it hurt their manhood). Om Prakash 62-year-old retired government driver who live in Anand Nagar since it is came up. He is the first person whom I met in the basti and among one of the closest respondents because he helped me a lot in my entire field work in understanding the area history, its culture and people history. Om Prakash says *'humare pariwar mai koi mardaisa nahi karte'* (No men in my family do these things. This is not manhood *'mardaise nahi dikahte'* (men never look like this).

They say many young men in basti are learning these fashionable skills of glamorous men from television characters and say that manhood is shifting in looks/ appearances that is not a real image of powerful Indian men in-fact for them traditional Indian men look better in strong and heavy duties. They questioned *'mardanigi ko aise kyon dikhaya jata hai'* (why men re projected like this?). Fortunately, many young men say that serials try to portray the life of elite men or modern men in the life of middle class men characters but the fact it that *'shayad hi koi bhi mard asal jindagi main aisa vyaqti tv ara khta hoga'* (perhaps any man live his life like 'them' (men in serial) but for entertainment *'inhen dekhne mai koi burai nahi hai'* (there is no harm on seeing them) *'tv par dekhne mai acha lagta hai'* (because it looks good at all on television) says Ravish a 23 year young boy, doing B.Tech from NRI collage Bhopal.Ang reasoned that everyone has its own reason for pleasure from programs and have a distinctive connection with watching television indeed these experiences are associated with their individual life socio-psychic-histories, culture, aesthetic and everyday situations (1985: 26). It seems that many men in basti engaged actively with watching men character of *'Yug'* and *'Ayush'* perhaps their notions of real and unreal manhood, in particular, are interrelated with the ideas of their daily life culture, experience and tradition.

Prominent Indian scholar Purnima Mankekar (1993) proposed in her work that men watches soaps (*saas-bahu* serials) because generally women derived power relation and watching decisions in the family. Quite different from Mankekar (1993) in my course of field work I found that many men in Anand Nagar are watching serials not because of power relations in family but for the reason *'hum apni pasand se natak dekhte hain'* (we watch serials with our

choice) they say it interest to them. As earlier serials like *'Shanti', 'Aurat'* and *'Kahani ghar ghar ki'* were women-oriented so they never got open opportunities like women to watch serials and now when they see men in central leading roles these new identities of men in contemporary serials like *'Sumit sambhal lega'* on channel Star Plus, *'Neeli chatri wale'* on channel Zee tv and *'Tu mera hero'* on channel Star plus interests them to watch serials. As Morley claimed that men watch television more attentively then women audiences (1992: 140) so it seems that many men in basti also watch these characters actively and discursively. Rakesh Japlot is 38-year-old and working as sales executive in Vestige Company Bhopal says '*mujhe natak dekhna acha lagta hai'* (I like watching serials as they interest me). Because now just as men appear in the leading roles, *'mujhe lagta hai ki ab hamara bhi rojana jindagi mai yogdan hai'* (I think that now men also have a daily life contribution, not in serials but also in reality).

Morley claimed that watching television is a highly visible symbol of 'condensed power relations' in men. For instance, men begin to see representation the way in which the position of power held by most of the men based on the biological fact of being men. When that condition is not met, the pattern of power relations within the home can change noticeably (1992: 140). Recalling the character of *'Sumit'* in the serial *'Sumit sab sambhallegaa'* (a story of a men *Sumit* who never take things seriously and behave funnily in every situation. He is shown as irresponsible husband and father) many men in basti disagree with the representations of *'Sumit'* as an irresponsible husband and father in related to Morley's (1992) 'condensed power relation' many men say watching such fake manhood sometimes upset them and questioned *'Sumit ko hamesha laparwah pita aur pati kyon dikhaten hain'* (why they show *Sumit* as careless husband and father), A 30-year-old man BhagwandasKundan, working as a welder in a factory. His father is a farmer and his whole family live in Shivpuri village. He came to Anand Nagar from Shivpuri for employment now he permanently lives in Anand Nagar with his wife, daughter and son. He said going through very difficulties he has completed his 10th and then diploma in welding, though he has to travel long from village to city on daily basis in such financial crises. As he does not want his family to went through similar problems and shifted to Anand Nagar says*'wo apni patni aur bachon ka khayal nahi rakhta'* (who does not take care of his wife and children), *'mere liye ye vasta vikta nahi hai'* (for me, such portray of Indian men is not reality). He says *'Sumit'* takes everything very easily and never thinks seriously about issues of life whether they say it is related to family problems or with the job. In most of the serials they say that the role of men is limited to the limits of his family however in real situations he takes care of the family, earn money, and provides protection to family.

From long decades serials are completely dedicated to women not only for performance but for entertainment too however the presence of men in this imaginary world is only seen as a symbol of male figure and as a member of the family who has no importance. Sometimes they see some scenes in which men are slapped or abused by women in presence of family members; and say these images are against masculinity because it hurt their manhood and create situations of conflict between families. Morley evident that watching dominant images of women over men are the ultimate determinant of conflict over muscularity issues in many families. It is even more apparent in the case of those families who watched television together (1992: 90, 140). In similar to Morley remembering of serial *'Tu mera hero'* (based on story of lazy men *Titu*) Lalit Gupta, 24 years old, postgraduate student of Barakatullah University Bhopal for instance, say in one episode (*'Panchi'* slap *Titu* in front of family to realise him about his mistake). He adds *'meri patni hamesha mera sammaan kare'* (as the earner of the family my wife should always respect me) *'ye sab dekhne se mujhe meri mardangi ko taqleef pohonchti hai'* (I do not like to see all of these as it hurts my manhood). Many men do not like watching such scene as it is against man strength and courage. It seems that these frequent miss-representations of traditional men and manhood are contested by many men in basti seemingly for men masculinity is the most prominent identity related to power, decision and authority and manhood is a quality related to being a good father, husband and son so many men in basti do not relate with these oppositional images in their everyday lives as they say *'ye hum nahin hai'* (these are not us).

Ang suggested in her work that audience even manipulated by their own social group to watch Dallas rather than by television. Media can only speed up attention or increase curiosity for the program but probably it does not directly influence the audience experiences of watching certain programs (1985: 16). Related to Ang's many men in basti do not see some representations related with their life for instance they say these serials sometimes show men characters in low-grade jobs and professions because of that the member of their family feel embarrassed. Recalling the character of *'Bhagwandas'* in serial *'Nilli Chatri Wale'* (a story of hard working man who is torn between his personal and professional life) a 40-year-old man Lala Bhangi saysdespite of a hardworking father *'Bhagwandas'* is a figure of shame for his daughter because he sells undergarments "it could not be happened, in reality, a family never upset from the father's profession". He asked "How '*Bhagwandas's'* family can be embarrassed by such a capable father and adds he is working as a *'bhangi'* (manual scavengers) from last 15 years *'par merapariwar mere kaam se sharminda nahi hai'* (but my family never embarrassed for my profession) "because I am doing the '*sahikaam'* (right thing) with '*imandari'* (honesty), *'mera pariwar mujhse hamesha khush rahta hai'* (my family always be happy with my work)". It seems that respondents like Lala Bhangi saw these characters related to their life but they do not do not mediate with the life of character of '*Bhagwandas's'* and

say *'hamarijindagi main aisanahihota'* (this does not happen in our life).

Ang claimed that people find out certain frames upsetting because they well acknowledge them as an illusion. Labelling love or hating Dallas generally depends on how people relate themselves with programs and it's merely depending on how they experience programmes. These experiences can be negative or positive and always uncertain or conflicting too. What is exactly experience by the audience after watching programs is really ambivalent (1985: 13). In similar to Ang some of the old age men discuss about certain scene where husband conspire, cheat and left his wife. For instance, they see in some serials educated men are projected against illiterate women recalling the character of *'Ayush'* in serial *'Mohika hani ak khawabki'* Badri Prasad a 33-year-old private bus driver say in serial *'Ayush'* left *'Mohi''sirf isliye kyonki wo padhi likhi nahi hai'* (just because she is not educated); *'kya ayush kouske gun dikhayi nahi dete'* (does *'Ayush'* not see her qualities) *'apni biwi ko koi nahi chorta'* (no one leave his wife) just on the grounds of illiteracy. He adds "I get married to a female as per my parents' choice but I never object or disrespect her for being uneducated *'kyonki mujhe uske gunoki kadar hai'* (because I appreciate her qualities) I have always learned in my tradition that woman is always judge by her qualities and on the basis of those qualities, she nurtures the family, I do not know why *'Ayush'*does not understand all this and always hurt *'Mohi'*. Nevertheless, he says in real life, it does not happen like this as traditional Indian man accepts his wife, with all of her prospects. Thus, many men in basti do not mediate with such images as they observe them unreal and say *'hamari jindagi tivi ke purushon se bohot alag hai'* (as our life is different from television men).

Whatever audience share about their understandings for programs is just their portrait of reception and an attempt to put diffuse meanings into words. Ang claimed that when audience weave something in words there remain things that are hidden and unknown (1985: 14). Ang argued that sometimes audience describe themselves as an opponent of program reception illogically they fanaticize about the possibilities for their future life (1985: 14). Quite similar to Ang, the meanings establish by men in basti are extremely self-contradictory besides knotted in many opposing and contradictory situations. The character like *'Yug', 'Sumit'* and *'Bhagwandas'* are constantly watched by many men in basti seemingly these characters are not leading their life toward positive ideas of change. Watching serials that is not new to women however in contemporary time many Men in basti are engaged with men images because they like watching them as new core subjects of entertainment for enjoyment or pleasure and their views are politically constructed in the informal everyday processes of family, power and dominance but these notions of manhood are not related with their everyday life cultural context as they say 'television men are not us'. *'Ye chaviyaan purush atra ki chaviyaan nahi hain'* (these images are not reflecting manhood).

Conclusion - Different people have different opinion for their watching patterns and why they watch Dallas and Telly it is difficult to identify since they watch it from their own social-cultural context thus what interest to one maybe bore to another (see Ang 1985 and Morley 1992). Many men in basti refuted with the men character, their qualities and their television representation as a true image of traditional man and qualities of manhood. Quite different from Ang's perspective that only women derive 'pleasure' from watching Dallas, men in basti watch serials for 'pleasure' however at the same time they also construct oppositional readings therefore do not relate meanings usefully with their everyday life cultural context.

References :-

1. Ang, I. (1985). *Watching Dallas: Soap Opera and the Melodramatic Imagination.* Methuen.
2. Gupta, N. (n.d.). Just Switch off! Television: Creating the "Modern" Woman . *Social Scientist, Vol 28*(No 3/ 4), pp. 61-70. Retrieved August 19, 2014, from http:// www.jstor.org/stable/3518190
3. Hartley, J. F. (1978). *Reading television.* Methuen.
4. Johnson, K. (2005, January- April). Globalisation at the Crossroads of Tradition and Modernity in Rural India . *Sociological Bulletin, Vol 54*(No 1). Retrieved July 02, 2015, from http://www.jstor.org/stable/23620584
5. Mankekar, P. (1993, August). National Texts and Gendered Lives: An Ethnography of Television Viewers in a North Indian City. *American Ethnologist, Vol. 20*(No. 3), pp. 543-563. Retrieved August 19, 2014 , from http:/ /www.jstor.org/stable/646641
6. Mehta, N. (2008). *Television in India: Satellites, Politics and Cultural Change.* (N. Mehta, Ed.) Routledge.
7. Morley, D. (1992). *Television, Audiences and Cultural Studies.* Routledge.
8. Schutz, A. (1967). *The Phenomenology of the Social World.* Northwestern University Press.
9. Stuart Hall, D. H. (1980). *Culture, Media, Language: Working Papers in Cultural Studies, 1972-79 (Cultural Studies Birmingham).* Routledge.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) July to September 2017, Vol. II

The Logic Of Annotated Portfolio - An Overview

Rajeev Kumar *

Abstract - The portfolio is an array of circumstances it bring the effort and ability of a professional peoples. It is an art of creation to express the work in designing field. It also be prepared in the field of Fashion, Textile, Interior, Modeling and others designing areas to explore the work and talent with some special ideas and showing creativity. It is also a document collection where designing aspects are showing by the designers according to their work area. This paper makes to attempt examine designer ideas and creativity in portfolio design.
Key words - Portfolio, Designing, Modeling, Fashion, Creativity, Talent.

Introduction - The word portfolio is a set of circumstances it carry the work and talent of a professional peoples. The Creating Manner of fashion portfolio is not easy task it is a challenged job for fashion designer. Every aspiring fashion designer has needed a portfolio to showcase their talent, skill and potential of thinking to develop varieties of collection. A portfolio shows the creative and artistic work of a designer and it speaks what you are? There is demand of a good portfolio in design industry when a person is going on a job interview on position of fashion designer and applying for admission in a good university of fashion designing. In modern time portfolio designing is a conceptual and artistic work where a designer show the multiple ranges of collection and it is marketable and the collections should compete to others, because in fashion market always searching of a new trend and it should be wow speak. Portfolio design work potential, artistic, technical and power thinking in the task manner and level of speed in designing of the collection. The numerous Fashions design institutes focus on build up a high-quality design of collection for their portfolio. In Modern day the nonstop growths of fashion design industry globally enhancing more potentially. Fashion designer signify portfolio jury in following manner.

1. Portfolio is a visual diary,
2. It is the physical evidence of designer creativity,
3. It is an expression of designer personality,
4. It shows the development of designer work and ideas,&
5. It demonstrates designer ability and potential.

"The primary goal of portfolio presentation for fashion designers is to provide a fashion portfolio reference to help prepare designers as they begin their fashion design careers. By focusing on both logical and creative solutions, the designer becomes aware of the process of developing the portfolio from concept through presentation of the finished product. Fashion Design portfolio represents original ideas and creation. A creative, innovative, and well developed Fashion Design Portfolio is the essential tool a fashion designer uses to share his or her original ideas. A research based portfolio, designer conduct extensive research on various design categories. The current trends, fashion era or costume, a visual artist, and fabric science are important components will influence and inspire the designer's final collection, which will be illustrated on a fashion figure in the portfolio. The make inquiries components will be organized chronologically in a sketchbook. The way that you organize the components in your portfolio is a reflection of your work ethics, and it is one of the first impressions you will be judged on when looking for, to apply to college or a job. The fashion industries have a broad market that ranges from different design categories, prices, and customer target".

In modern times the portfolio design conduct in following specific design category

- Eveningwear
- Bridal wear
- Casual Sportswear
- Intimate Apparel
- Urban Street wear
- Knit Wear
- Swimwear

The two methods are applied while designing a portfolio -

1. Physical Method to designing portfolio - All design sheets of portfolio made by hand. A physical portfolio is an also good portfolio if a designer designs their portfolio sheet in attractive manner and place all design in a good manner. The choice materials as handmade sheets, fabric swatches, and decorative items used in physical portfolio should be match with the theme of portfolio collection. In this type of

*Lecturer (Fashion Designing) Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur (Raj.) INDIA

portfolio the range of garments drawn by hand and all decorative materials used original.

2. Digital Method to designing portfolio - This type of portfolio is modern and has big demands in the modern design industry. All sheets works are done on computer specific software Adobe Photoshop, Adobe Illustrator and cad pattern design. The design sheet is edited on adobe Photoshop, Range of garments and illustration developed on Adobe illustrator and dress pattern work develop on CAD pattern making software. And this portfolio can be carry in CD, Pen drive and in tablet. This portfolio can send any where by e-mail or upload on a website to showcase the talent of designer.

Purpose to develop a portfolio in a designing field -

1. Finding the **Inspiration** for collection development
2. To develop **inspiration-Mood board** to range development of garments
3. To develop the **Color board** for garments on the basis of Inspiration
4. Client Study
5. **Design concept** and techniques of range development
6. To develop **Range boards** of garments
7. Idealistic photo shoot of collection
8. Way to present the portfolio

Steps used to create a portfolio -

Layout of Portfolio -

The Designer Biography Board

Designer Biography	
Name : Born : Nationality : Occupation : Known for : Relatives : Awards :	Professional Photo of Portfolio Designer

This is the first page of portfolio and called Designer Biography board This is the introduction page in this board a designer design it's physically by hand decoration or on Adobe Photoshop for digital portfolio. This board represents the biography of portfolio designer. Where designer introduce self and also explain how his/her journey start in design carrier.

The Golden Certificate Board -

Golden Certificate
Certificate Photo

This page shows the golden achievement of designer. This is an impressive page; here designer inserts the biggest achievement award or certificate photo awarded in his/ her carrier.

The Designer Philosophy Board -

My Philosophy as a designer…..

Here the portfolio designer describe his/her professional goals of their field what they think about their field and working style.

Portfolio Theme Board - All sheets work background design based on a single theme.

The Inspiration Board - Finding Inspiration for develop range of garments is also interesting. It has needed a brilliant mind to search inspiration and do the shape it in the range of garments. In this universe every people is surrounded by inspiration materials to develop an interesting and amazing collection of garments. A designer use and inspire by any materials he/she is surrounded. For e.g. if a designer sit in his/her room can take any things Moving fan, Pen, Laptop mouse-keyboard, pen watch and wallet etc can take any things and start to study the shape, color, dimension and structure of that particular object and also start to develop idea for that how can develop range of garments by that inspiration. The inspiration searching and playing with is the passion of a designer.

The Mood Board - A mood board should well structure and powerful because a mood board is not a collage pretty things put randomly together on sheet. An Inspiration-Mood board defines the content of inspiration. When it comes to design mood board a designer start brainstorming of his/ her various pictures of a single inspiration. Designers predict the Touch of inspiration, its color, texture shape and structure of the inspiration. All finding brainstorming visuals added in mood board. Because the visuals of mood board help in develop the ranges of garment.

The Color Board - Color board development is a research work a designer picks all the interesting colors of inspiration for develop the ranges of garments.

The Client profile Board

Range Board: In the range board designers develop various template of dress of a single inspiration. In fashion portfolio designers includes various ranges of garments of many inspirations.

Dress Pattern development: After range development of garments the next step is start to develop the pattern of garments before cutting fabric and stitching of dress. It can be prepared by two methods first on brown paper and tools and second by CAD pattern design.

Garments Stitching and embellishment work on dress: The next step is stitching the garments. The garments should stitches in proper way; stitch should be finish by using surface embellishment as according to the dress demand.

Photography of dresses: The photo shoot done by the professional models to introduce garments in between the consumer group. Photography of dress should be according to the theme of garments collection.

Project works: In portfolio designers also includes their kids, Men's, Dress draping, textile, fashion accessories, tie and dye dresses and other thematic projects work in their portfolio.

Portfolio Presentation: The work of portfolio should be well presented. Insert clean and mounted sheets in portfolio sleeves. For portfolio presentation need an appointment for a portfolio evaluation and personal interview. Well prepared to discuss your work at length and to take your assessor through your portfolio. Always be prepared to discuss your own perceptions of your work, the things that influence you and your development. On going to interview carry your portfolio in CD or in pen drive.

References :-

1. www.questgarden.com. Retrieved August 21, 2017
2. www.wikihow.com/Make-an-Art-Portfolio. Retrieved August 19, 2017
3. www.fashionfabrics.com. Retrieved August 20, 2017
4. www.fashion.com. Retrieved August 19, 2017
5. www.mdx.ac.uk. Retrieved August 21, 2017

****

भारतीय भाषा-चिन्तन की रूपरेखा

डॉ. अर्चना कुमारी *

प्रस्तावना - भारतीय भाषा-चिन्तन स्वरूप, भाषा और संस्कृति में अनिवार्य समाश्रयता है, भाषा संस्कृति की पोषिका है और उसके विकास की संवाहिनी भी। यह संवहन अर्थ के माध्यम से होता हैं। अर्थ की भंगिमाओं में संस्कृति के विभिन्न तत्त्व अन्तर्निहित रहते हैं। किसी युग विशेष के सांस्कृतिक मूल्य, तत्कालीन जनजीवन का वैशिष्ट्य और सामाजिक चेतना के मूल्य स्वर शब्द के अर्थ में केन्द्रित तथा प्राणतत्व के रुप में चिरकाल तक सूरक्षित रहते हैं। शब्दों के द्वारा संस्कृति शाश्वत काल तक सुरक्षित रहती हैं। उनमें संस्कृति का इतिहास प्रतिबिम्ब रहता है। मानवीय चेतना के समानान्तर भाषा और संस्कृति विकासशील रहती है। इसलिए परस्पर निर्भरता का भाव भी उनके बीच उत्पन्न हुआ है कि यदि भारतीय भाषा चिन्तन की दृष्टि से विचार किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि बौद्ध नैयायिकों का सम्पूर्ण दार्शनिक चिन्तन इस बात से सम्बन्धित है कि वह क्या है ? जिसे भाषा के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता और भाषा के माध्यम से जो कुछ व्यक्त होता है उसका स्वरूप क्या है ? क्या भाषा किसी वस्तु के स्व- स्वरूप को व्यक्त करती हैं अथवा भाषा के द्वारा जो कुछ व्यक्त होता है, वह किसी वस्तु का वास्तविक स्वरूप न हो कर कुछ और ही होता है? क्या मानवीय संज्ञान की कोई ऐसी भी स्थिति है, जहाँ ज्ञान तो है, लेकिन भाषा अनुपलब्ध रहती हो? क्या भाषा में ही अन्तर्निहित कमजोरी है कि ज्ञान की उस अवस्था में जहाँ वास्तविकता अपने स्व-स्वरूप में उपलब्ध तो होती है लेकिन भाषा उसे स्पर्श तक नहीं कर पाती ? तब भाषा की प्रकृति को किस प्रकार समझा जाए? भाषा में व्यक्त वास्तविकता किस प्रकार अपने स्व-स्वरूप से च्युत हो जाती है? भारतीय भाषा-चिन्तन का स्वरूप अपनी समग्रता में विविधता तथा एकता का दिग्दर्शन है। यहाँ विभिन्न दार्शनिक दृष्टियों, विचारों को स्वतन्त्र रूप से पल्लवित एवं पुष्पित होने का अवसर मिला। इसका कारण संभवत: यह था कि भारतीय परम्परा में कभी भी वैचारिक संकीर्णता नहीं रही। अपने मत, विचार, सिद्धान्त, चिन्तन के प्रतिपादन, प्रवर्तन की स्वतंत्रता सभी को सदा प्राप्त रही। इस स्वतंत्रता ने ही यहाँ की चिन्तन-भूमि को उर्वर बनाया। फलत: इस भूमि पर विविध दार्शनिक सम्प्रदायों (वादों) का अविर्भाव हुआ तथा उनका निर्विध्न विकास हुआ।

भारतीय भाषा चिन्तन की परम्परा में जहाँ प्रत्येक दार्शनिक को अपने सिद्धान्तों की स्वतंत्र रूप से प्रतिपादन करने की स्वतंत्रता थी, वहीं विभिन्न सम्प्रदायों के दार्शनिकों के मिलन, सम्मेलन, विचार-विनियम का भी माहौल था। इस मिलन, सम्मेलन हेतु भारतीय परम्परा में शास्त्रार्थ का आयोजन एक महत्त्वपूर्ण मंच था। इस मंच के माध्यम से एक दार्शनिक दूसरे दार्शनिक को अपना पक्ष बताता था तथा दूसरे के मत को सुनता था। वाद-विवाद, खण्डन-मण्डन की प्रक्रिया द्वारा वे अपने वैचारिक मतों का संवर्द्धन, परिमार्जन करते थे। फलत: तार्किक दृष्टि से भारतीय परम्परा के चिन्तन अपनी-अपनी दृष्टियों से पूर्णतया विकसित हुए। विचार विनियम की इस परम्परा ने जहाँ भारतीय दर्शन को विविधता प्रदान किया वहीं भारतीय दर्शन की समग्रता में एकरूपता भी जोड़ा। भारतीय दर्शन के सम्प्रदाय सिद्धान्त की दृष्टि से विभिन्न हैं, किन्तु लक्ष्य की दृष्टि से एक हैं। स्वरूप (शरीर) की दृष्टि से अनेक हैं किन्तु आत्मा (लक्ष्य) की दृष्टि से एक है। कोई भौतिकवादी है, तो कोई अध्यात्मवादी, कोई वस्तुवादी है तो कोई प्रत्ययवादी, कोई ईश्वरवादी है, तो कोई निरीश्वरवादी, कोई द्वैतवादी है तो अद्वैतवादी। इन सभी में एक बात पर सहमति है, वह है आत्मज्ञान, आत्मोपलब्धि, सत्य, ज्ञान, मोक्ष।

भारतीय चिन्तन की समग्रता का निर्माण इसकी तीन प्रमुख धाराओं से होता है-वैदिक, आगमिक तथा श्रमण। वेद का प्रामाण्य मानने वाले वेद को आधार रूप में मानकर दार्शनिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने वाले दर्शन वैदिक दर्शन कहालते हैं। इस परम्परा में आने वाले प्रमुख दर्शन है- न्याय-वैशेषिक, सांख्य-योग, मीमांसा तथा वेदान्त दर्शन। आगमिक परम्परा में वे दार्शनिक सम्प्रदाय आते हैं, जो आगमों तथा तन्त्रों के आधार पर अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं। इसमें प्रमुख रूप से वैष्णव, शैव तथा शाक्त दर्शन आते हैं। श्रमण परम्परा में वे दर्शन आते हैं. जो मोक्ष अथवा आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए ईश्वरीय अनुग्रह को आवश्यक न मानकर श्रम को (मानवीय प्रयास अथवा साधन को) महत्त्व प्रदान करते हैं। इस परम्परा में प्रमुख रूप से बौद्ध तथा जैन दर्शन आते हैं। भारतीय भाषा चिन्तन के समग्र रूप को जानने के लिए इन तीनों ही धाराओं को जानना आवश्यक है। भारतीय भाषा चिन्तन का समग्र रूप इन तीनों ही धाराओं से निर्मित है। भारतीय भाषा चिन्तन के विकास में इन तीनों ही धाराओं का महत्तवपूर्ण योगदान है।

भारतीय चिन्तन परम्परा में विकास की दृष्टि से भाषा चिन्तन का प्रारम्भ प्राचीनतम् दार्शनिक ग्रन्थ ऋग्वेद से ही पाया जाता है। इसका आदि रूप अपने कलेवर में दार्शनिक-विश्लेषण की झलक भले न देता हो, किन्तु इसमें वह बीजशक्ति विद्यमान है, जो अपने परवर्ती काल में उपनिषदों, वैदिक प्रतिशाख्यों, निरुक्त से होते हुए न्याय मीमांसा, व्याकरण और काश्मीर शैव दर्शन में परिपक्व दार्शनिक रूप में विकसित हुआ।

भारतीय चिन्तन का चरम् लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति या आत्मोपलब्धि है। जिसकी प्राप्ति में ज्ञान की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। ज्ञान का माध्यम भाषा है अर्थात् भाषा में ही ज्ञान की प्रासि होती है। इसलिए भारतीय दर्शन में भाषा स्वरूप चिन्तन को विशद् स्थान मिला है। भारतीय दर्शन में वस्तुवाद, अध्यात्मवाद, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद आदि विभिन्न धाराएँ पल्लवित एवं पुष्पित हुई। सभी दर्शनों के अपने-अपने तत्त्वशास्त्रीय दृष्टिकोण हैं जिनका प्रभाव उनके दार्शनिक सिद्धान्तों पर पड़ा है। इसी तरह भाषा दर्शन पर भी

* यू0जी0सी0 वुमेन्स पोस्ट डाक्टोरल फेलो (दर्शन एवं धर्म) काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (उ.प्र.) भारत

उनके तत्त्वशास्त्रीय मान्यताओं का प्रभाव परिलक्षित होता है। न्याय दर्शन वस्तुवादी है, वह वस्तुवादी दृष्टिकोण से भाषा-विश्लेषण करता है। मीमांसा वेद का अपौरुषेय मानता है, वह शब्द को नित्य मानने पर आग्रह करता है। बौद्ध दर्शन क्षणिवादी तथा अनात्मवादी है। फलत: उसकी दृष्टि निषेधवादी है। बौद्ध दर्शन में निषेधवादी दृष्टि से भाषा चिन्तन का अपोहवाद सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। जैन दर्शन अनेकान्तवादी है। इस दर्शन में इसी दृष्टि से भाषा की वाच्यता पर विचार किया गया है। भर्तृहरि पर श्रुतियों अथवा वेदान्त का प्रभाव था। उन्होंने श्रुतियों को बहुत ही आदर प्रदान किया था। इस दृष्टि से उन्हें वेदान्ती कहा जाता है। उन्होंने आगम को भी उतना ही महत्त्व प्रदान किया है। इस दृष्टि से उन्हें तान्त्रिक भी कहा जाता है। यद्यपि इस बात पर मतभेद है, कि भर्तृहरि वेदान्ती थे अथवा तान्त्रिक, किन्तु वेदान्त या तंत्र के अद्धैतवाद का उन पर प्रभाव था, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके फलस्वरूप भर्तृहरि ने अद्धैतवाद अथवा विर्ववादी दृष्टि से शब्द ब्रह्म सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। भर्तृहरि के परवर्ती दार्शनिकों पर तन्त्र का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। नागेश भट्ट का भाषा चिन्तन तान्त्रिक चिन्तन से प्रभावित है। काश्मीर शैव दर्शन परमशिव की ही एक मात्र सत्ता मानता है। परमशिव शिवशक्ति सामरस्य की अवस्था है अथवा शक्ति शिव का स्वरूप ही है, जिसकी अभिव्यक्ति यह जगत् है। फलत: सम्पूर्ण जगत् शक्ति का विकास या अभिव्यक्ति है। काश्मीर शैव दर्शन वाक् शक्ति के विमर्श रूप पर आग्रह करता है।

भारतीय परम्परा के सभी शास्त्रीय चिन्तनों का आरम्भ-केन्द्र वेद का माना जाता है। वैदिक ऋषियों ने स्थूल तत्त्वों के अतिरिक्त गम्भीर और सूक्ष्म तत्त्वों पर भी चिन्तन किया है। इनमें वाक् तत्त्व, मनस्तत्तव और प्राणतत्त्व पर गहन विचार किया गया है। भाषा चिन्तन का आरम्भ-बिन्दु वाक्तत्त्व को माना जा सकता है। वैदिक ऋषियों ने वाक् तत्त्व के विश्लेषण को ऋग् कहा है। वेद के षडंगों[1] में शिक्षा, निरुक्त और व्याकरण का सीधा सम्बन्ध भाषा-चिन्तन से है। वेदों में अनेक स्थलों पर वाक् तत्त्व, भाषा की उत्पत्ति, व्याकरण, वाणी के भेद, अक्षर, पद आदि का विवेचन किया गया है।

भारतीय भाषा चिन्तन में वैदिक काल से ही भाषा के महत्त्व पर विचार होना प्रारम्भ हो गया था। भाषा के दैवी स्वरूप की मान्यता भी स्थापित हो चुकी थी। वैदिक ऋषि भाषा को एक दैवी देन मानते थे, जो सर्वत्र प्रसरित थी।[2] वाणी द्वारा ही व्यक्ति दूसरों को सुनता है तथा देखता है।[3] वाणी का सम्प्रेषण के रूप में सामाजिक महत्त्व वैदिक काल में प्रतिष्ठा को प्राप्त था। भाषा के उचित प्रयोग पर ध्यान दिया जाता था। सार्थक भाषा का प्रयोग श्रेयस्कर तथा निरर्थक भाषा के प्रयोग को मूर्खतापूर्ण माना जाता था। सम्प्रेषण के लिए सार्थक भाषा ही प्रयुक्त करने का निर्देश वैदिक ऋषियों ने दिया है। उनके अनुसार भाषा के सार्थक सौन्दर्य को जो नहीं जनता, वह देखकर भी नहीं देखता तथा सुनकर भी नहीं सुनता। जो भाषा के अर्थवान रूप को जानते या समझते हैं, उनके लिए वाणी के सभी रहस्य वैसे ही खुल जाते हैं जैसे रंगीन वस्त्रों में लिपटी, ढंकी सुन्दरी का सौन्दर्य अपने-आप सौन्दर्य-द्रष्टा को प्राप्त हो जाता है।[4]

इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे वर्णन ऋग्वेद में मिलते हैं जिन्हें भाषा-चिन्तन के दार्शनिक रूप की अस्फुट रूप माना जा सकता है। ये वर्णन ऋग्वैदिक शैली के अनुरूप ही काव्यात्मक या प्रतीक रूप में प्राप्त होते हैं। किन्तु इनका महत्त्व कम नहीं माना जा सकता। बृहस्पति की प्रार्थना करते हुए एक ऋषि कहता है कि व्यक्तियों के मन में उच्चारण से पूर्व ही वस्तुओं के नाम रहते हैं। इन नामो को ही वाणी के रूप में उच्चारित किया जाता है। भाषा का शुद्धतम रूप अन्धेरी गुफा में छिपा है, जिसे प्रार्थना द्वारा ही जाना जा सकता है।[5] निश्चय ही इस वर्णन को स्फोटवाद[6] की आदिम अवस्था अथवा बीजावस्था माना जा सकता है।

भारतीय भाषा चिन्तन का प्रारम्भ भाषा-विश्लेषण के रूप में ग्रन्थों में हो गया था। ब्राह्मण ग्रन्थों में शब्दों की व्युत्पत्ति तथा अर्थो की व्याख्याएं मिलती हैं। शतपथ ब्राह्मण, ताण्ड्य महाब्राह्मण, तैत्तिरीय आरण्यक, तैत्तिरीय संहिता में व्युत्पत्तिमूलक अर्थ की व्याख्या के रूप में भाषा-विश्लेषण पर्याप्त मात्रा में मिलता है। तैत्तिरीय संहिता में एक वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार प्रारम्भ में वाक् विश्लेषित नहीं था। देवताओं ने इन्द्र से इसके लिए प्रार्थना किया। देवाताओं पर प्रसन्न हो कर इन्द्र ने वाक् का विश्लेषण किया तब से वाणी व्याकृत कही जाती है।[7] शतपथ ब्राह्मण में अग्निरा शब्द की व्युत्पत्तिमूलक व्याख्या अन्गानाम ही रस: के रूप में की गयी है।[8] अन्तरिक्ष की अग्नि, हिरण्य, स्वप्र, रथतन्तर, मघवा आदि शब्दों द्वारा व्याख्या किया है।[9] तैत्तिरीय आरण्यक में पुरुष शब्द की व्याख्या पूर्वमैवाहम इहासम इति रूप में की गई है।[10] इस युग में अनेक पारिभाषिक शब्द विकसित हुए, जिनका पाणिनी-व्याकरण में प्रयोग होता है। इनमें धातु-प्रतिपादिक, अख्यात, लिंग, वचन, विभक्ति, प्रत्यय, स्वर, उपसर्ग, निपात, व्याकरण, विकार, मात्रा, वर्ण, अक्षर, पद, संयोग, स्थान, नाद, आदि मुख्य हैं।[11] विभक्तियों[12] तथा वाणी के विभागों[13] का वर्णन भी मिलता है। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रन्थों में शब्दों के निर्वचन के उदाहरण मिलते हैं।[14]

उपनिषदों में भाषा-चिन्तन का दार्शनिक दर्शन वाला रूप उपनिषद में मुखर होने लगा था। वाणी की सत्यता, दिव्यता तथा क्षमता पर विचार इस काल में होने लगा था। उपनिषद् यह मानते हैं कि वाणी द्वारा सत्य का वर्णन नहीं किया जा सकता, जिस वाणी को हम बोलते हैं, वह सत्य के वर्णन में असमर्थ है, सत्य का वर्णन इसके द्वारा निषेधात्मक रूप में ही किया जा सकता है। इस निषेधात्मक वर्णन द्वारा में सत्य की झलक मिल सकती है। यह दृष्टि ही वाक् के दिव्य रूप या दैवी रूप की ओर संकेत करती है। जिसका विकास परवर्तिकाल में स्फोटवाद के रूप में हुआ। जो वाणी हम बोलते हैं, वह अयथार्थ या नाशवान है किन्तु इसके सार में नित्य शब्द की खोज आधार के रूप में परवर्ती काल में होने लगी। शब्दों का प्रतीक रूप में प्रयोग तथा उनकी व्याख्याएं उपनिषद् काल में होने लगी थी। ओकार का चेतना की तीन अवस्थाओं-जाग्रत, स्वप्र और सुषुप्ति के प्रतीक रूप में प्रयोग उपनिषदों में मिलता है।

इस प्रकार भाषा चिन्तन का प्रारम्भिक रूप वैदिक साहित्य में प्राप्त होता है। शब्द ब्रह्म तत्त्व का वर्णन विभिन्न रूपों में वेदों ब्राह्मणों और उपनिषदों में मिलता है। कहीं इसे चित् के साथ तो कहीं अचित् के साथ तादात्म्य निरूपित किया गया है, तो कहीं वाक् और प्रजापति जैसे पदों में इसका वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में प्रजापति को ब्रह्म की सक्रिय शक्ति माना गया है। कुछ ऐसे वर्णन मिलते हैं, जिनमें जगत् वाणी की जल धाराओं से उत्पन्न होता हुआ माना गया है। जगत् जल समुद्र से उत्पन्न हुआ जिसमें जल वाणी की धाराओं द्वारा प्राप्त हुआ।[15] यजुर्वेद में वाक् को प्रजापति की शक्ति अथवा पत्नी रूप में माना गया है। इस वाक् के द्वारा ही प्रजापति ने सभी प्राणियों को उत्पन्न किया।[16] प्रजापति से सरस्वती का वाक् शक्ति अथवा देवी के रूप सम्बन्ध का वर्णन ऋग्वेद के परवर्ती मण्डलों में (अस्फुट रूप से) ब्राह्मणों में तथा कुछ पुराणों में मिलता है। उपनिषदों में वाक् का प्रजा के साथ तादात्म्य निरूपण भी मिलता है। इस प्रकार वैदिक साहित्य में भाषा चिन्तन का क्रमश: विकास मिलता है। वैदिक ऋषियों ने वाक् का

महत्त्व बताया, उपनिषदों ने शब्द को सर्वोच्च तत्त्व बताया तथा यह ज्ञान दिया कि जो हम बोलते हैं, वह असली भाषा नहीं है, जो असली भाषा है, वह बोली नहीं जा सकती। उपनिषदों का यह निर्देश ही आगे चलकर स्फोटवाद जैसे महान् भाषा चिन्तन की पूर्वपीठिका बना।

भारतीय भाषा चिन्तन के विकास में प्रातिशाख्य और निरुक्त ने भी काफी योगदान दिया। प्रातिशाख्य ग्रन्थ वैदिक काल के सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक ध्वनिविज्ञान के ग्रन्थ हैं। ये शिक्षा-ग्रन्थों में प्रतिपादित ध्वनि-विज्ञान का ही विशद् विवेचन करते हैं। वेद की विभिन्न शाखाओं में सम्बद्ध होने के कारण इनकों प्रातिशाख्य कहते हैं। प्रतिशाखा बना है। विभिन्न प्रातिशाख्यों में अपनी-अपनी शाखा से सम्बद्ध ध्वनि-उच्चारण और व्याकरण का विस्तृत विवेचन दिया गया है।[17] ध्वनि से सम्बद्ध होने के कारण ये शिक्षा ग्रन्थ हैं और व्याकरण का प्रारम्भिक रूप प्रस्तुत करने के कारण ये प्राचीन व्याकरण ग्रन्थ है। वैदिक यज्ञों और अनुष्ठानों में मंत्र के प्रयोग तथा मंत्रों की शुद्धता को कायम रखने की भावना ने भी इस चिन्तन में योगदान किया। शब्दों का मंत्रों से सही प्रयोग हो इस हेतु निरुक्त में शब्दों की व्युत्पत्ति तथा अर्थ का विश्लेषण किया गया जो आगे चलकर व्याकरण, न्याय तथा मीमांसा के भाषा-चिन्तन का आधार बना। निरुक्त की परिभाषा में इसके पांच प्रातिपाद्य विषय बताए गए हैं-वर्णगम, वर्ण-विपर्यय, वर्ण-विकार, वर्ण-नाश तथा धातुओं का अर्थ-विस्तार। इनमें ध्वनि-विज्ञान, पद-विज्ञान और अर्थ-विज्ञान भाषा चिन्तन से सम्बन्धित है।[18] निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान तथा अर्थ विज्ञान का आदि स्रोत है। संसार में इससे प्राचीन व्युत्पत्ति विज्ञान का कोई ग्रन्थ नहीं मिलता है।[19]

भाषा चिन्तन के विकास में वैदिक कर्मकाण्ड, अनुष्ठानों, यज्ञ आदि तथा वैदिक चिन्तन ने परवर्ती काल में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मीमांसा और न्याय चिन्तन में यह प्रभाव स्पष्टत: फलित हुआ। पूर्वमीमांसा वैदिक अनुष्ठानों का व्याख्याता है। वैदिक वाक्य धार्मिक आदेश के रूप में माने जाते थे। वेदों की प्रामाणिकता दिखाना मीमांसा दर्शन के लिए आवश्यक था। इस हेतु मीमांसा चिन्तन ने वेद को अपौरुषेय घोषित किया जिसके अनुसार वेद किसी भी पुरुष अथवा पुरुष विशेष या ईश्वर की रचना नहीं है। वेद नित्य और शाश्वत है। वेद के रूप में वाक्य नित्य और शाश्वत हैं। फलत: शब्द नित्यत्व की मान्यता मीमांसा के लिए आवश्यक हो गया। मीमांसा दार्शनिकों ने बड़ी ही तत्परता से शब्द नित्यत्व सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। जैमिनि ने मीमांसा सूत्र में संस्कृत भाषा को ही साधु भाषा माना। उनके अनुसार वैदिक भाषा नित्य है तथा उनसे अर्थ भी नित्य हैं। अन्य भाषा में अर्थ अभिसमय का परिणाम होने से नित्य नहीं है। प्रभाकर एवं कुमारिल के अतिरिक्त परवर्ती मीमांसा दार्शनिकों ने भाषा चिन्तन पर स्वतंत्र ग्रन्थ लिख कर अपने सिद्धान्तों की पुष्टि किया। इस विषय में गागा भट्ट की भट्चिन्तामणि तथा पार्थसारथि मिश्र की न्याय रत्नमाला उल्लेखनीय है।

न्याय-वैशेषिक चिन्तन में वेद को ईश्वर की रचना तथा वाक् को ईश्वरीय कृति माना गया। वैदिक वाक्य दिव्य होने से प्रामाणिक है। वेद मानव कल्याण के लिए कर्मो का अनुष्ठान करते हैं। इसलिए नैयायिकों ने भी वेद की प्रामाणिकता का प्रतिपादन किया। न्याय दर्शन में भाषा चिन्तन मीमांसा से भिन्न अर्थ में प्राप्त होता है। न्याय दर्शन में भाषा चिन्तन वस्तुवादी दृष्टि से प्रतिपादित है। शब्द यहाँ नित्य नहीं है तथा इससे अर्थ का सम्बन्ध भी नित्य नहीं है क्योंकि जो उत्पन्न होता है, वह नाशवान होने से नित्य नहीं माना जा सकता। नव्य नैयायिक गंगेश ने अपनी तत्त्वचिन्तामणि में भाषा चिन्तन की वस्तुवादी व्याख्या प्रतिपादित किया। उन्होंने भाषा-विश्लेषण की समस्याओं की वस्तुवादी व्याख्या किया। जगदीश और गदाधर ने न्याय दर्शन के परिप्रेक्ष्य में भाषा दर्शन पर ग्रन्थ भी लिखे। जगदीश की शब्दशक्तिप्रकाशिका और गदाधर की व्युत्पत्तिवाद, तथा शक्तिवाद, प्रमुख रचनायें हैं।

भारतीय भाषा चिन्तन के दो महान् चिन्तन सम्प्रदायों व्याकरण और काश्मीर शैव चिन्तन का उल्लेख करने से पूर्व भाषा दर्शन में अवैदिक दर्शन बौद्ध और जैन के योगदान की चर्चा करना आवश्यक है। भारतीय भाषा चिन्तन के विकास में बौद्ध और जैन दर्शन के योगदान को कम नहीं आंका जा सकता। मीमांसा दर्शन जहाँ सामान्य की अवधारणा का प्रतिपादन कर रहा था जिसके अनुसार शब्द के संकेत संदर्भ सामान्य हैं, वहाँ बौद्ध दर्शन इस मत का खण्डन कर रहा था। बौद्ध दर्शन के अनुसार सामान्य की सत्ता नहीं हो सकती। जो कुछ है वह विशेष है, फलत: अनित्य और नाशवान है। इसके परिणामस्वरूप दोनों सम्प्रदायों में खूब शास्त्रार्थ हुआ। दोनों सम्प्रदायों के दार्शनिकों में अपने मत का मण्डन तथा दूसरे के मत का खण्डन किया। फलत: भाषा चिन्तन के साहित्य में वृद्धि हुई। इस कार्य में दिङ्नाग, धर्मकीर्ति, शान्तरक्षित, उद्योतकर, वाचस्पति, प्रभाकर तथा कुमारिल के नाम महत्तवपूर्ण हैं। इस महत्तवपूर्ण विवाद में दार्शनिकों की अपनी दार्शनिक मान्यतायें आधार में रहीं अर्थात् उनके भाषा चिन्तन पर उनकी दार्शनिक मान्यताओं का प्रभाव था। किन्तु इससे भाषा चिन्तन के विकास में लाभ ही हुआ।

वैयाकरण सम्प्रदाय की भारतीय भाषा चिन्तन के इतिहास में महत्त्वपूर्ण भूमिका है। पाणिनि ने भाषा-विश्लेषण पर महत्त्वपूर्ण काम किया। उन्होंने शब्दों की व्युत्पत्ति तथा वाच्य और वाचक का विश्लेषण अति गहन रूप में किया। पाणिनी ने शब्द के दार्शनिक या तत्त्वमीमांसीय सिद्धान्तों का प्रतिपादन स्पष्ट रूप से नहीं किया यद्यपि उनके मन में तत्त्वमीमांसीय पूर्वमान्यता अवश्य रही होगी, यह पतंजलि के महाभाष्य से परिलक्षित होता है। पतंजलि ने पाणिनी के सूत्रों का तत्त्वमीमांसीय आधार प्रस्तुत किया है। उन्होंने व्याडि और वाजप्यायन की व्याख्या में यह दिखाने का प्रयास किया है कि पाणिनी में शब्द-नित्यत्व की पूर्वमान्यता थी।[20] वैयाकरण के रूप में कात्यायन का नाम भी उल्लेखनीय है। व्याडि, वसुरात और उपवर्ष का नाम भी सम्प्रदाय में मिलता है किन्तु इनका कोई ग्रन्थ प्राप्त नहीं होता। इस सम्प्रदाय के महत्तपूर्ण चिन्तक भर्तृहरि हैं। जिन्होंने भारतीय भाषा चिन्तन के इतिहास में अप्रतिम अध्याय जोड़ा।

भर्तृहरि ने अपने से पूर्व के अनेक लेखकों का वर्णन किया है। जिससे उनसे पूर्व एक परम्परा के विद्यमान होने का पता चलता है किन्तु भर्तृहरि ही वह प्रथम वैयाकरण दार्शनिक हैं। जिन्होंने भाषा चिन्तन को अद्वैतवादी रूप प्रदान किया। भर्तृहरि ने न्याय, मीमांसा, तथा बौद्ध मतों का खण्डन तथा शब्द-ब्रह्म सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जिसके अनुसार शब्द ही परम् सत्ता ब्रह्म है। इसका ज्ञान प्राप्त करना ही जीवात्मा का परम्लक्ष्य है। भर्तृहरि अपने चिन्तन का आधार पतंजलि के महाभाष्य का मानते हैं किन्तु महाभाष्य से इस प्रकार के दार्शनिक सिद्धान्त को निष्पन्न करना भर्तृहरि की मौलिक प्रतिभा का ही काम है। भर्तृहरि का शब्द-ब्रह्म सिद्धान्त उनकी अप्रतिमा कृति वाक्य पदीय में मिलता है। वाक्य पदीय के प्रथम खण्ड ब्रह्मकाण्ड में शब्द ब्रह्म से सम्बन्धित विचारों का प्रतिपादन किया गया है। दूसरे खण्ड वाक्यकाण्ड में शब्दों और वाक्यों के रूप पर विशद् रूप से विवेचन किया गया है। तीसरा खण्ड व्याकरण से सम्बन्धित है । जिसे प्रकीर्ण और पदकाण्ड कहा जाता है। वैयाकरण सम्प्रदाय के भट्टोजि दीक्षित और नागेश भट्ट का नाग भी उल्लेखनीय है। इन दार्शनिकों ने भर्तृहरि के सिद्धान्तों को

माना तथा अपने ग्रन्थों में उनकी व्याख्या किया। नागेश की वैयाकरण सिद्धान्त मन्जूषा एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है जिसमें भाषा चिन्तन के प्राय: सभी प्रमुख समस्याओं की व्याख्या की गई है।

भर्तृहरि के पश्चात् भारतीय भाषा चिन्तन के अद्वैतवादी रूप की प्रस्तुति काश्मीर शैव चिन्तन में हुई। काश्मीर शैव चिन्तन में प्रतिपादित भाषा चिन्तन भर्तृहरि से बहुत कुछ साम्य रखते हुए मूलभूत मान्यताओं में अलग अथवा भिन्न है। दोनों में यह अन्तर उनकी दार्शनिक मान्यताओं में निहित अन्तर के कारण है। भर्तृहरि भाषा चिन्तन के महान् चिन्तक थे और इनका प्रभाव काशमीर शैव चिन्तन पर पड़ना स्वाभाविक है। काश्मीर शैव चिन्तन के महान् दार्शनिक अभिनवगुप्त ने भर्तृहरि का नामोल्लेख तन्त्रालोक में अनेक स्थानों पर किया है। सोमानन्द ने अपनी शिवदृष्टि में वैयाकरणों का खण्डन किया है तथा व्यंग में उन्हें सीधा या साधु कहा है। यह खण्डन मूलभूत दार्शनिक मान्यताओं के परिप्रेक्ष्य में किया गया है।

भारतीय भाषा चिन्तन के उपरोक्त ऐतिहासिक सर्वेक्षण से एक बात स्पष्ट है कि भारतीय परम्परा में भाषा की दार्शनिक चेतना अति प्रारम्भ से ही थी। काल की गति के साथ इसका विकास होता गया। इसके विकास में एक बात महत्त्वपूर्ण है, वह यह कि यह विकास तत्तवमीमांसीय चिन्तन के परिप्रेक्ष्य में हुआ। स्पष्ट रूप से कहें तो भाषा चिन्तन का विकास स्वतंत्र रूप से नहीं हुआ। भारतीय चिन्तन की यह विशेषता रही है कि यहाँ तत्तवमीमांसा और ज्ञानमीमांसा एक दूसरे से सम्बन्धित रहे हैं। इसका कारण सम्भवत: यह है कि भारतीय दर्शन का लक्ष्य सत्य की प्राप्ति या तत्तव ज्ञान है। सत्य की प्राप्ति का साधन ज्ञान है। सत्य का जो ज्ञान अथवा सत्य का जो स्वरूप जिस चिन्तन को प्राप्त या मान्य है, उसी के समर्थन में अथवा उसी के अनुसार ज्ञान-मीमांसा का प्रतिपादन वह चिन्तन करता है। यही कारण है कि ज्ञान के स्वरूप, ज्ञान की प्रामाणिकता, ज्ञान प्राप्ति के साधन आदि विषयों पर विभिन्न सिद्धान्तों का प्रतिपादन हुआ। इसी प्रकार भाषा चिन्तन से सम्बन्धित विषयों पर भी विभिन्न दार्शनिक सम्प्रदायों ने विभिन्न सिद्धान्त प्रतिपादित किए।

भारतीय भाषा चिन्तन के विकास के विषय में संक्षेप में निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि वैदिक ऋषियों ने लोगों को उस वाक् तक जाने का निर्देश दिया जो अव्यक्त है अथवा जिसका वास्तविक स्वरूप छिपा हुआ है तथा जो हमारी भाषा में अभासित हो रही है। उपनिषदों ने इस बात पर जोर दिया कि भाषा के तत्त्व की उच्चतर सत्ता है। हम जो बोलते हैं, वह भाषा नहीं है तथा जो भाषा है, वह बोली नहीं जा सकती। वाणी उस उच्चतर भाषा का संकेत मात्र करती है। प्रातिशाख्यों में माना गया कि भाषा में एकता (संहिता) मूल है तथा शब्दों की विविध (पद) से पूर्व है। निरुक्त के लेखक तथा व्याडि ने भाषा के एकात्मक गुण को तार्किक तथा वाक्य विश्लेषण के द्वारा दिखाया। कात्यायन ने माना कि शब्द, विषय तथा उनके अर्थ (सम्बन्ध) नित्य हैं। पतंजलि ने समस्त भाषा चिन्तन को बड़े ही विद्धतापूर्ण ढंग से संक्षेप किया तथा उच्चतर वाक् (स्फोट) सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। भर्तृहरि ने पतंजलि के सिद्धान्त का विस्तार किया तथा उच्चतर भाषा बोलते है। सिद्धान्त को उच्चतर स्थान प्रदान किया है। कैय्यट, नागेश तथा अन्यों ने उसका अनुसरण किया तथा यह प्रतिपादित किया कि हम जो भाषा केवल वही भाषा नहीं है। हम जो बोलते हैं, वह केवल ध्वनि है जो विभिन्न भाषाओं का निर्माण करती है। ये सभी भाषाएं उस भाषा के लिए प्रयुक्त होती है। उस भाषा में ये सभी भाषाएं समाहित हो जाती है तथा इसी के कारण सभी भाषाएं संभव हैं। ये भाषाएं उस भाषा के कारण ही सार्थक हैं। काश्मीर शैव दर्शन में भाषा को परमतत्त्व की विमर्श शक्ति के रूप में स्थापित किया गया। वाक् शक्ति के द्वारा ही जगतोत्पत्ति की व्याख्या की गई। भारतीय भाषा लोक व्यवहार और विचारों के आदान-प्रदान का सर्वश्रेष्ठ और सबसे सरल शब्द भाषा का आधारभूति घटक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. वेदों के तात्त्विक अध्ययन के लिए छ: अंग विकसित हुए-शिक्षा, कला, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष। शिक्षा ध्वनि विज्ञान है। व्याकरण में पद-विज्ञान और वाक्य-विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। निरुक्त में शब्दों की व्युत्पत्ति का अध्ययन है तथा छन्द में छन्दों की पाद-व्याख्या और प्रत्येक पाद में वर्णो और मात्राओं की निर्धारित संख्या का विवेचन किया जाता है।
2. तम मा देवी व्युध: पुरुत्रा
भूरिष्थात्राम भुयीवेशयन्तीम्।। ऋ0 वे0 10/10/125/3.
यावद ब्रह्म विष्ठीतम तावती वाक। ऋ0 वे0 10/10/114/8
3. ऋ0 वे0 10/10/125/4.
4. उत त्व: पश्यन न ददर्श वाचम
उत त्व: श्रृण्वन न श्रृणोत्येनाम
उतो त्वस्मै तन्वम विसस्रे
जायेव पत्य उषती सुवासा: 11-ऋ0 वे0 10/6/71/4
5. बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्र यत् प्रैरत नामधेयं दधाना: 1 ऋ0 वे0 10/71/1.
6. स्फोटवाद का सिद्धान्त अलग पुस्तक भर्तृहरि में वर्णित है।
7. तैति0 सं0 6/4/7.
8. शत0 ब्रा0 14/4/1/8.
9. वही0 7/1/2/23.
10. तै0 आ0 23/1/2.
11. ओंकारं पृच्छाम: को धातु: किं प्रातिपादिकं, किं नामाख्यातम् किं लिंग, किं वचनं, का विभक्ति: क: स्वर उपसर्गो निपात:, किं वै व्याकरणम्, को विकार:, को विकारी, कतिमात्र: कतिवर्ण: कत्क्षर:, कतिपद:, क: संयोग :, किं स्थाननादानुप्रदानानुकरणम्, गोपथब्राह्मण पूर्व0 1/24.
12. तस्मा विभक्तय: 1-मैत्रायणी संहिता, 1/7/3.
13. सप्तधा वै बागवदत् 1-ऐतरेय ब्राह्मण 7/7
14. प्राण: (प्रणयते)-शतपथ ब्राह्मण 12/9/1/14.
अक्षरम् (अक्षरत्) श0 ब्रा0 6/1/3/6
इसके अतिरिक्त ओम्, मनु:, विराट्, स्त्री, अग्नि, अंगिरा:, गायत्री, ब्रह्म, मनुष्य, इन्द्र:, सत्यम, सोम आदि शब्दों का विभिन्न ब्राह्मण ग्रन्थों में निर्वचन मिलता है।
15. ऋ0 वे0 10/125.
16. ऐतरेय, 10/1.
17. उपलब्ध प्रातिशाख्य छ: हैं-शौनककृत ऋक प्रातिशाख्य, कात्यायनकृत शुक्ल-यजु:, प्रातिशाख्य, तैत्तिरीय संहिता का तैत्तिरीय-प्रातिशाख्य, मैत्रायणी-संहिता का मैत्रायणी-प्रातिशाख्य, सामवेद का पुष्यसूत्र, अर्थवेद का शौनककृत अथर्व-प्रातिशाख्य।
18. वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च द्वौ चापरौ वर्णविकारनाशौ।
धातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तुदुच्यते, पन्चविध-निरुक्तम्।।
19. निरुक्त में 12982 शब्दों की व्युत्पत्तियाँ दी गई है।
20. सिद्धे श्ब्दार्थसम्बन्धे, महाभाष्य 1.1.1.

****

व्यक्तित्व निर्माण में आचार्य चाणक्य नीति की विवेचना

देवदास साकेत *

सारांश – ईश्वर ने मानव को बुद्धि प्रदान की है। वह बुद्धि के द्धारा नये-नये कार्यों को अन्जाम देता है। बुद्धि के बल पर प्रगति के मार्ग को व्यक्ति प्रशस्त करता है। इन्हीं कार्यो के कारण व्यक्ति कला-कौशल, विज्ञान, शास्त्र इत्यादि को जीवन के प्रत्येक पहलू से जोड़ता है। इसी प्रकार व्यक्ति की बुद्धि ने अनेक प्रकार के शास्त्रों का निर्माण किया। यही प्रगति आगे बढ़ती हुई भाषा एवं शब्दों के सम्बन्धों को जोड़ते हुए कई शास्त्रों का निर्माण कर दिया। दर्शन ने ही मानव को युग निर्माण के लिए दिशा ज्योति के समान दिखाया हैं अगर दर्शन न होता तो अनेक शास्त्रों का निर्माण होना संभव नहीं कहा जा सकता था।[1] आज आधुनिकता में दर्शन के कुछ आयामों की दिशा को बाधित जरूर किया है, परन्तु उसका भी समय के साथ-साथ करारा जबाब मिलता हैं। जिसका जबाव दर्शन ही दे सकता हैं। आधुनिकता की दौड़ में मानव अन्धा हो गया है। नैतिकता के सारे पहलुओं को छोड़ता जा रहा है। जब मानव गर्भावस्था में उल्टा लटका रहता है तब वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझे इस नर्क से निकाल दो! मैं अच्छा कर्म करना चाहता हूँ। सद्गुणरूपी जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। किन्तु जैसे ही यह मानव पृथ्वी जगत् पर अवतार लेता है। उस प्रार्थना और कर्त्तव्य, वादा, जबावदारी, को भूल जाता है।

प्रस्तावना – नदीतीरे च ये वृक्षा: परगेहेषु कामिनी।
मन्त्रिहीनाऽ राजान: शीघ्र नश्यन्त्यसंशयम्।।[2]

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि नदी के किनारे लगे वृक्ष, दूसरे घर में आने-जाने का सम्बन्ध रखने वाली नारी और मंत्रियों के बिना राजा का शीघ्र ही विनाश हो जाता है। मानव सोचता सही है, पर बोलता गलत है। सुनता सही है, पर करता गलत है। इस आधुनिकता में आकर वह जगत् के सारे कर्त्तव्यों को भूल जाता है। अनीति के मार्ग पर चलने लगता है। उसे यह याद नहीं है कि पहले तो उलटा लटका था, परन्तु आगे चलकर इस संसार से मानव को औंधा ही लटकना है। इस आधुनिकता की हवा का जितना दुर्पयोग किया है। उसी हवा द्धारा लाए गए प्रदूषण मे मिलकर प्रत्येक मनुष्य को भी उसी प्रदूषण का सहपाठी होना है। आज आधुनिक प्रगति ने हमे बहुत कुछ दिया है। परन्तु नैतिकता एवं परोपकार जैसी प्रत्ययों से अलग भी किया है। जबकि मनुष्य को पुरुषार्थो को वरण करना चाहिए। जो चार पुरुषार्थों की बात की जाती हैं- धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। धर्म वह है जो नीति के मार्ग पर चले, केवल नीति मार्ग से अर्थ का संग्रह हो और नीतिमार्गी अर्थ के द्धारा (काम) अर्थात् मनोकामना की पूर्ति करना है। उन्हीं नैतिक मूल्यों के द्धारा मोक्ष संभव है। इन्हीं चार कड़ियों में व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। आत्मनिष्ठा, सच्चाई, ईमानदारी से जो व्यक्ति सफल होता है। उसका अपना समाज राष्ट्र में अलग ही व्यक्तित्व झलकता है। समाज में ऐसे व्यक्तियों के प्रति सोचने का नजरिया सामान्य व्यक्तियों से अलग होता है।

आचार्य चाणक्य की नीति का उद्देश्य है कि कौन-सा कार्य नैतिक और कौन-सा कार्य अनैतिक है। आचार्य चाणक्य ने पुरातन भारतीय नीतिशास्त्र के नियमों के अनुसार शुभ-अशुभ के अनुसार अपनी नीति को विख्यात किया है। चाणक्य नीति को पढ़कर व्यक्ति स्वयं के जीवन में नैतिकता और अनैतिकता के भेद समझ जायेगा। चाणक्य की राजनीति का अध्ययन करके व्यक्ति अपने बुद्धि का ज्ञान-पट खोलकर अच्छाई और बुराई में तुलना कर सकता है।

शोध के उद्धेश्य – व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में समाज और देश की सफलता एक मुख्य आधार आत्मविश्वास रहा हैं। अकबर द्धारा एक बार बीरबल से प्रश्न किया कि युद्ध में दुश्मन के विरुद्ध काम आने वाला सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र क्या है? बीरबल ने सभी मानव निर्मित शस्त्रों को नकारते हुए जन्म के साथ-साथ आने वाले आत्मविश्वास को सबसे शक्तिशाली शस्त्र बताया। यह कथन तो युद्ध के क्षेत्र में प्रयोग किया गया था, परन्तु वर्तमान में विश्व के प्रत्येक क्षेत्रों में व्यक्तित्व निर्माण के लिए आत्मविश्वास (Self confidence) की आवश्यकता होती है।[3] व्यक्ति ईश्वर के प्रतीक चिन्हों के सामने जाकर अपने कर्त्तव्यों को भूलकर हीनता का भाव अभिव्यक्त करता है। अनिष्ठ करके भगवान से साथ मांगने, प्रतीक चिन्हों के पास पहुँच जाता है। अपने अन्दर विराजमान आत्मा रूपी भगवान पर विश्वास खो बैठता है। भगवान के सामने अविश्वासी मनुष्य अपनी हीनता के भावों को अभिव्यक्त करता है। हम तो नीच हैं!, दास हैं!, पापी हैं! और मेरी मनोकामना पूर्ण कर दो। ऐसे व्यक्ति स्वयं को दीन-दुखी, निर्बल और असमर्थ समझने के कारण जीवन के उच्च आदर्शों से भटक जाता है। वह अपने अन्तर्आत्मा के आत्मविश्वास रूपी भगवान को भूल जाता है। अगर वह अपने कर्त्तव्यों को समय का पाबंद होकर करने लगे, उसे लाखों रुपयें चढ़ा कर पत्थर की मूर्ति से निकृष्ठता, अर्कमण्य की तरह सुखी रहने की भीख मांगने की जरूरत नहीं होगी। मानव स्वयं के लिए ही सोचता है। क्या मन्दिर में जाकर दूसरे गरीब-दुखी, दीन-हीन व्यक्तियों के बारे में भी भगवान से प्रार्थना करता है? मेरे से पहले वे जो मुझसे ज्यादा कष्टों में पडे हैं। उनका पहले कल्याण करना; भगवान इसके बाद मेरा कल्याण करना। मानव पड़ोसी के सुखी रहने की मनौती नहीं मानता, बल्कि दु:खी रहने की इच्छा उस पत्थर की मूर्ति से जाहिर करता है। ऐसी इच्छाओं को व्यक्त करने से वह स्वयं के मन में अशान्ति का घर बना लेता है। वह पड़ोसी के कष्टों का इन्तजार करने लगता है। वह इन्तजार खुद को कष्टों में डाल देता है। इसलिए कि यह समय अपनी गति से चलायमान है।[4] समय स्थिर होने वाला नहीं है। ये मूर्खतापूर्ण इन्तजार से मनुष्य चिन्ताग्रस्त होता हुआ, मृत्युलोक को सिधार

* शोधार्थी (दर्शनशास्त्र) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

जाता है। इस तरह के कष्ट देखने से अच्छा है, कि पृथ्वी जगत् के समस्त प्राणियों का कल्याण हो। लाखों रूपये चढ़ाने से अच्छा है कि आज भी भूखों मर रहे गरीबों, कुपोषण जैसी छोटी बीमारी का शिकार हो रहे नन्हें बच्चें, गर्मी की भीषण मार से ये गरीब छोटे-छोटे बच्चे स्कूलों में जाकर गर्मी से झुलस रहे है। गाँवों में पानी की मारा-मारी हो रही है। ये दानदाता ऐसी छोटी-छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति करा दें। उससे जीवन का अन्तिम मोक्ष प्राप्त हो जायेगा। जब बच्चों को शीतलता का आभास होगा, कुपोषण से बच्चा स्वस्थ्य होगा, पानी के लिए मनुष्य, पशु-पक्षी, जीव-जन्तु, पेड़-पौधे इत्यादि हरे-भरे मन की शान्ति का अनुभव करेगें। जब इतने व्यक्तियों की दुआएँ मिलेगी। उससे वास्तव में यह उन दानदाता परोपकारी की तस्वीर होगी। उससे दानव की गिनती मानव में होगी। ऐसे भाव व्यक्ति को जिन्दा ही स्वर्ग की इच्छा पूर्ति कराते है। जिस प्रकार से 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का भाव हमारी भारतीय संस्कृति का है। सभी सुखी और सभी का कल्याण हो। प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि तो एक जैसी होती है। किन्तु कार्य करने, सोचने के तरीके अलग-अलग होते है। जिस प्रकार से हाथ की पाँचों उगलियाँ एक बराबर नहीं होती, उसी प्रकार से सभी के विचार एक जैसे नहीं होते हैं। यह जरूरी नहीं है कि सम्यक् ज्ञानी ही परोपकारी बने। परोपकार तो अल्पज्ञानी भी कर सकता है। किन्तु उसको समय, आत्मविश्वास और दृढ़निश्चय की जरूरत है। बहुत बड़ा ज्ञानी होते हुए वह दूसरों को सही ज्ञान न दे सका, उसके ज्ञानी होने से अच्छा तो वह अल्प ज्ञानी व्यक्ति है। ज्ञान का सही उद्देश्यों का मार्ग दिखाया। उदाहरण के तौर पर 'बड़ा हुआ सो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंक्षी को छाया नहीं फल लागे अतिदूर'। ऐसे ज्ञानियों की इस संसार में जरूरत नही हैं। योग्य को अयोग्य घोषित कर दे और अयोग्य को योग्य स्वीकार कर ले। यह नैतिकता का सबसे बड़ा क्षरण होगा, नैतिक मूल्यों का हनन होगा, राष्ट्रीय सम्मान को धक्का लगेगा। न्याय-को-न्याय, अन्याय-को-अन्याय स्वीकार करना सबसे बड़ी नैतिकता है। जिस प्रकार से राजा हरिश्चन्द्र ने नैतिक मूल्यों के क्षरण के कारण अपने सत्य और न्यायधर्मिता का पालन किया। अपने बच्चे की लाश को जलाने नहीं दिया। ऐसे नैतिक मूल्यों से राष्ट्र की शिक्षा नीति का विकास होगा।

नेपोलियन जैसा महान सेनापति के जीवन से एक ज्वलंत उदाहरण सामने आता है। आल्प्स पर्वत पर सैनिकों ने तोपों को चढ़ाने में असमर्थता जाहिर की थी। तब नेपालियन ने आत्म विश्वास के साथ कि 'असम्भव' शब्द मूर्ख लोगों की शब्दकोश में पाया जाता है।[5]

इससे पता चलता है कि उस पहाड़ को पार करने का अन्तिम निर्णय लिया जिसमें आपने आत्मविश्वास के परिचय से दूसरों को अनुप्राणित किया। इससे हमें सीख लेना चाहिए कि यथार्थ कभी बनावटी नही होता। किसी ने ठीक ही कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत' इससे हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है। जिसके मन में दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास की नदी सूखती नहीं। वह कठिनाईयों का सामना करते हुए। आपनी विजय को प्राप्त कर गन्तव्य स्थान तक पहुँच ही जाती है। मन ही सब कुछ है। आचार्य चाणक्य का दृढ़निश्चय ने चन्द्रगुप्त को एक न्यायशील राजा बनाया। मगध के नंदवंश का नाश किया। नीति और आत्मविश्वास का सहारा लेकर सफलता हासिल की। इसी सफलता के कारण चाणक्य नीति का प्रदुर्भाव हुआ।

विष्णुगुप्त ने बताया है कि मित्र कैसा होना चाहिए? अगर मित्र दुष्ट हुआ तो बुद्धिमान व्यक्ति को दु:ख ही दु:ख उठाना पड़ता है। चाणक्य ने कहा कि व्यक्ति के जीवन में धन (पूँजी) का बहुत ही महत्तव है। व्यक्ति को संकट से बचने के लिए धन संचय (पूँजी निर्माण) करना चाहिए। उस धन से स्त्रियों और बच्चों को नैतिक शिक्षा देते हुए रक्षा करनी चाहिए। इससे पहले भी अपनी रक्षा करनी चाहिए। जब व्यक्ति स्वयं को बचा पायेगा, तभी दूसरों की एवं घर परिवार की रक्षा कर सकता है।[6]

आचार्य चाणक्य कहते है, कि जिस स्थान पर विद्वान पुरुष, शत्रु से रक्षा करने वाला, चरित्र का उत्तम व्यक्ति, जनकल्याण के लिए अच्छी सोच रखता हो, धनिक (पूँजीपति) जो किसी के कष्ट पड़ने पर अपनी पूँजी को उसे कर्ज दे देता हो, जल से भरी नदी हो, इसके साथ-साथ चिकित्सक (वैद्य) होना चाहिए, अगर ये पॉच तत्त्व जिस जगह में न हो वहाँ व्यक्ति को निवास नहीं करना चाहिए।[7]

समाधान - इस संसार में कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो सामने तो मीठी बाते करते हैं, किन्तु पीठ पीछे कुठाराघात करते है। आचार्य चाणक्य ने कहा कि ऐसे बुरे लोगों से बचना चाहिए। मन से स्मरण की हुई बातों का उल्लेख एकाएक नहीं करना चाहिए। चाणक्य ने यहाँ तक कहा कि माता-पिता को चाहिए कि उनकी संतान बुद्धिमान और नैतिक सद्गुणी होना चाहिए। वह अपना कार्य स्वयं करें, पुरुषार्थ का वरण करने वाला हो। दुष्टों से की गई मित्रता से बचना चाहिए। अपने बराबर वाले बुद्धिमान व्यक्ति से ही मित्रता करनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रह सकता है। व्यक्ति सुख-दु:ख के बन्धन से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि वह दिन-रात के समान ही चलता है। महान बनने के लिए ऐसा कोई भी व्यक्ति महात्मा और महापुरुष नहीं है जिसको कष्ट न उठाने पड़े हो। यह संसार का बड़ा ही विचित्र नियम और परीक्षा की घड़ी होती है। इसमें सफल होने वाला व्यक्ति, सद्गुणी और विशिष्टता का ज्ञानी होता है। उसी प्रकार विद्यार्थी को गुरु का सेवक एवं राष्ट्रहित, जनकल्याण की साधना करना चाहिए।[8] आचार्य का मानना है, कि अच्छे आचरणयुक्त परिवार से पुत्री का विवाह करना चाहिए। पुत्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। शिक्षा ही जीवन के जीने की कला का निर्माण करती है। शत्रु का नाश बौद्धिक चतुराई से किया जाना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने शिक्षा और सद्गुण से बुद्धिमत्ता का विकास होता है। सज्जन और बुद्धिमान मनुष्य की तरह मूर्ख मनुष्य भी दो पैर वाला होता है, परन्तु वह चार पैर वाले जानवरों से भी निकृष्ट और गया-गुजरा होता है। उसके सदैव कार्य कष्टदायक होते है। व्यक्ति का पुरुषार्थ ही अपने काम आता है। क्योंकि पुरुष कितना ही बलवान और सुन्दर हो, जब तक उसके पास योग्यता नहीं है तब तक उसकी सारी सुन्दरता का कोई अर्थ और मूल्य नहीं होता है। आचार्य ने मनुष्य के इस दुर्लभ जीवन में शरीर को अत्यन्त मूल्यवान बताया है। मनुष्य को अपना दायित्व निर्वहन करने के लिए धर्माचरण करना चाहिए।[9] आचार्य ने मनुष्य को कहा कि जब तक जीवित है, उसे पुण्य कर्मों और जनकल्याण के बारे मे सोचना चाहिए। व्यक्ति को जीवित रहते हुए पुण्य कर्मो को करना चाहिए। मरणोपरांत कौड़ियों के धन दान देने की सोच का कोई अर्थ नही है। इस तरह के बचे हुए धन का उपयोग दुष्ट लोग ही करते है। जीवित रहते हुए व्यक्ति अपने स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। अपने नाम की अमरता को इसी जीवन में सोचना होगा। मरने के बाद सब चीजे बेकार और नश्वर है। धर्म उसे कहते है, जिसमें दया जैसे गुण विद्यमान हो। गुरु उसे कहते है, जो सद्गुण युक्त विद्वान हो। पत्नी जो मधुरभाषिणी और प्रिय हो। मित्र वह है, जो ईमानदार और प्रेम करे। अगर ये सब बातें इनमें न हो उन्हें त्याग देना चाहिए। पुन: ऐसे गुरु, मित्र, पत्नि-रिस्तेदार आदि की तलास करना चाहिए।

निष्कर्ष आचार्य चाणक्य कहते है कि 'ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य आदि का देवता अग्नि अर्न्तत अग्निहोत्र है। महात्माओं, संतों, ऋषियों का देवता उनके आत्मा मे निवास करता है। शूद्र या अल्पबुद्धि वाले लोग मूर्ति पूजा को श्रेष्ठ देवता मानते हैं। इसको हर इन

चारों वर्णों में बुद्धिमान व्यक्ति जो संसार के सभी जीवधारियों को एक समान मानते है। उसका ईश्वर सर्वव्यापक और सर्वरूप देवता होता है।[10] धन से धर्म की रक्षा की जानी चाहिए। विद्या को योग, तपसिद्ध द्वारा बचाया जा सकता है। दूसरों का उपकार करना, दान देना, और मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्धारा, मकबरा आदि को बनवाना इत्यादि कर्म धर्म के अन्तर्गत आते हैं। यदि शासन क्रूर, अपराधी, अनैतिक हो जाए तो प्रजा विद्रोह कर देती है। इस प्रकार राजा का कर्त्तव्य है, कि मधुर मीठी वाणी को बोले और उदार हृदय से विशाल पर्वत की तरह होना चाहिए। प्रजा के ऊपर नैतिकता को बनाए रखे और दयालुता का व्यवहार करता रहें। नैतिक मूल्य और पुरूषार्थ के सम्बन्ध में शुक्राचार्य की तरह आचार्य चाणक्य कौटिल्य भी अर्थ के गुणों को बताते हैं।[11] आचार्य चाणक्य का कहना है कि इस संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं, कि वह वस्तु प्राप्त नहीं कर सकता, जिसकी वह इच्छा रखता हो। जिसे विषय–वासनाओं से प्रेम नहीं, वह सुन्दरता या श्रृंगार करने वाली वस्तुओं की मॉग नहीं करता। जो व्यक्ति स्पष्ट कहता है अपनी बातों मे शक्कर का प्रयोग नहीं करता वह कपटी नहीं होता किन्तु जैन दर्शन के अनुसार ऐसा कड़वा सत्य नहीं बोलना चाहिए, जिससे किसी के मन को दु:ख हो।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. डॉ. हरिशंकर उपाध्याय, ज्ञानमीमांसा के मूलप्रश्न, प्रकाशक, पेनमैन पब्लिशर्स दिल्ली, संस्करण 1996
2. डॉ. ब्रम्हान्द त्रिपाठी, चाणाक्यनीतिदर्पणः, चौखम्बा सुरभारती ग्रन्थमाला, वाराणसी, 2002, पृष्ठ 7
3. R.P. Kangle, The Kautilya Arthasastra, Part II: A Study, Delhi, Motilal Banarsidass, Publishers Private Limited, Delhi, 2003, p.40
4. डॉ. पवित्र कुमार शर्मा, व्यक्तित्व – विकास, प्रकाशक विद्धुषी नई दिल्ली, संस्करण, 2010.
5. प्रजापति ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मुख्यालय, आबू पर्वत, राजस्थान (भारत) पृष्ठ 45
6. वाचस्पति गौरोला, चाणक्यसूत्रम्, चौखम्बा विद्या भवन, वाराणसी, 1999, पृष्ठ 33
7. वाचस्पति गैरोला, कौटिलीय अर्थशास्त्रम्, प्रकाशक चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, संस्करण 2013 पृष्ठ 12.
8. विश्वमित्र शर्मा, सम्पूर्ण चाणक्य नीति, प्रकाशक, मनोज पब्लिकेशन बुराड़ी दिल्ली, संस्करण 2014 पृष्ठ 45, 46
9. वाचस्पति गैरोला, कौटिलीय अर्थशास्त्रम्, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, पुनर्मुद्रित, 2013 पृष्ठ 680
10. विश्वमित्र शर्मा, सम्पूर्ण चाणक्य नीति, प्रकाशक, मनोज पब्लिकेशन बुराड़ी दिल्ली, संस्करण 2014 पृष्ठ 62
11. पं. श्रीब्रह्मशंकर मिश्रः, साहित्यशास्त्री, शुक्रनीति 'विद्योतिनी' हिन्दी व्याख्योपेता, चौखम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसी, पुनर्मुद्रण, वि.सं. 2065 सन् (2008), पृष्ठ 143

****

पुस्तकालय विज्ञान की व्यवहारिक उपयोगिता की सार्थकता

विपिन बिहारी मिश्र *

शोध सारांश – सामान्यता प्रत्येक व्यवसाय के चुनने का उद्देश्य आजीविका या जीवनयापन के लिए साधन जुटाना होता है। अत: प्रत्येक व्यवसाय-चयन के पीछे व्यक्तिगत लाभ होता है। मम्मट ने व्यक्तिगत लाभ को दो बिंदुओं के अंतर्गत रखा है- यश-प्राप्ति और धन-प्राप्ति। उन्होंने यश या नाम और सम्मान को प्रथम स्थान पर रखा है। इस दृष्टि से पुस्तकालयाध्यक्षता का व्यवसाय एक उत्तम व्यवसाय है। इसमें वेतन के माध्यम से धन की प्राप्ति होती है तथा सेवाभाव के कारण सम्मान। सन् 1948 में डॉ. रंगनाथन ने कहा था कि यद्यपि आज (उस समय) पुस्तकालय कर्मचारियों का वेतन कम है परंतु कुछ समय बाद भारतवर्ष में भी पुस्तकालयों का महत्व स्वीकार किया जाएगा तथा पुस्तकालयाध्यक्षता का व्यवसाय उच्च वेतनवाला व्यवसाय हो जाएगा। डॉ. रंगनाथन की भविष्यवाणी उनके जीवनकाल में ही सत्य सिद्ध हुई।

प्रस्तावना – आज सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक पुस्तकालयों, शिक्षा संस्थानों आदि में कार्यरत पुस्तकालाध्यक्षों को संतोषप्रद वेतन मिल रहा है। महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों को संतोषप्रद वेतन मिल रहा है। महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयाध्यक्षों को प्रोफेसर (रीडर) के बराबर वेतन देने की अनुशंसा है। परन्तु यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कविता-रचना के समान ही पुस्तकालयाध्यक्षता के व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य धन की प्राप्ति नहीं। धन जीवनयापन का साधन मात्र है। इस व्यवसाय में कर्मचारी को जो सम्मान और सुख मिलता हैं, वही उसका मुख्य उद्देश्य है। 'सादा जीवन उच्च विचार' को ही पुस्तकालय कर्मचारी को अपने व्यक्तिगत जीवन में चरितार्थ करना चाहिए।

समाज के कल्याण के लिए पुस्तकालयों का चलाया जाना आवश्यक है। अत: पुस्तकालयाध्यक्षता के व्यवसाय का एक उद्देश्य समाज-कल्याण भी हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति पुस्तकालय के कर्मचारी समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति (जैसे- प्रशासक, वैज्ञानिक, कृषक, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, इंजीनियर, डॉक्टर, कार्यालय कर्मचारी, स्वतंत्र व्यवसायी, छात्र आदि) को उनकी सूचना उपलब्ध कराकर करता हैं।'[1] डॉ. रंगनाथन ने दिल्ली विश्वविद्यालय के पुस्तकालय-विज्ञान विभाग में दिए गए अपने उद्घाटन-भाषण में सन् 1947 में कहा था-

'मैं कहता हूँ, स्वतंत्र भारत ऐसे पुस्तकालयों की स्थापना में अधिक देर नहीं कर सकता जिनकी देश में तुरन्त आवश्यकता है और जो आप जैसे योग्य व्यक्तियों द्वारा चलाया जा सकें' । भारत सार्वजनिक पुस्तकालय-विज्ञान की सेवा के बिना संभव नहीं तो उसके नेता दिल्ली विश्वविद्यालय के दूरदर्शितापूर्ण कदम की सराहना करेंगें। 'सरकार को यह अवश्य सोचना चाहिए कि पुस्तकालय-विज्ञान यदि अधिक नहीं तो कम-से-कम राष्ट्रीय जीवन के लिए आवश्यक है'।

डॉ. रंगनाथन की यह भविष्यवाणी भी सत्य सिद्ध हुई। आज साठ से अधिक विश्वविद्यालयों में सरकार की अनुमति से तथा कई सरकारी विभागों द्वारा पुस्तकालय-विज्ञान के विभिन्न स्तर के पाठ्यक्रम चलाए जा रहे है। यह इस बात का प्रमाण है कि देश के नेताओं ने पुस्तकालयों को समाज के लिए कल्याणकारी माना है।

पुस्तकालयाध्यक्षता के व्यवसाय में कर्मचारी को सृजनात्मक आनंद की प्राप्ति होती हैं। यहाँ हमें प्रसन्नता तथा आनंद में अंतर समझ लेना चाहिए। व्यक्तिगत लाभ (अर्थात धन और सम्मान की प्राप्ति) से मनुष्य को प्रसन्नता मिलती है। यह प्रत्येक व्यवसाय में संभव है। परन्तु प्रसन्नता क्षणभंगुर होती है।'[2] यह ऊपर से मनुष्य को प्रसन्न या खुश कर देती है, परंतु उसकी आत्मा को हिलोरती नहीं। इसके विपरीत आनंद चिरस्थायी होता है तथा मनुष्य की आत्मा की पोर-पोर में सुख भर देता है।

बहेलिया चिड़ियों को पकड़कर तथा उन्हें बेचकर धन की प्राप्ति कर प्रसन्नता का अनुभव करता है; परंतु पिंजड़े में बंद पक्षी को मुक्त करनेवाला को आनंद का अनुभव होता है। हर्ष तथा प्रसन्नता का अनुभव व्यक्तिगत लाभ से होता है तथा यह प्रत्येक व्यवसाय से संभव हैं। परन्तु आनंद का अनुभव गिने-चुने व्यवसायों में ही होता है। पुस्तकालयाध्यक्षता के व्यवसाय में भी आनंद की प्राप्ति होती है। किसी व्यक्ति को उसकी पुस्तक तथा सूचना उपलब्ध कराकर, समाज के कल्याण का कार्य कर पुस्तकालयाध्यक्ष आनंद का अनुभव करता हैं। वस्तुत: इस आनंद का सृजन करना भी उसके हाथ में है। पहले पुस्तकालयाध्यक्ष किसी जरूरतमंद पाठक द्वारा पूछे जाने पर उसके काम की सूचना उसे उपलब्ध कराता है और इस प्रकार अपने अंदर आनंद का सृजन कर सृजनात्मक आनंद का अनुभव करता हैं।

यह आनंद ऐसा ही है जैसा तपते रेगिस्तान में प्यास से तड़पती चिड़ियॉ के मुँह में पानी की बूँद डालकर उसमें स्फूर्ती भर देने से प्राप्त आनंद। इस सृजनात्मक आनंद के अतिरिक्त पुस्तकालय व्यवसाय मे विरेचनात्मक आनंद की भी प्राप्ति होती हैं। विरेचन का अर्थ त्यागना, छोड़ना, दे देना, निकाल देना आदि। मम्मट ने इसे 'सद्य: परिनिर्वृतयें', अरस्तु ने 'कैथेरसिस' तथा सुमित्रानंदन पंत ने 'प्रसव-पीड़ा' के समान कहा है। कवि अपनी भावना को जब तक कविता के रूप में अभिव्यक्त नहीं कर देता तब तक उसे 'प्रसव के समान' पीड़ा होती रहती हैं। जब वह कविता लिखकर या बोलकर अभिव्यक्त कर देता है तब उसे 'विरेचनात्मक आनेद' की प्राप्ति होती है।

* शोधार्थी (पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

इनमें कुछ देकर या त्यागकर या बाहर निकालकर मनुष्य असीमित आनंद का अनुभव करता हैं। आगे चलकर उसे इस आनंद के सृजन की आदत पड़ जाती है। जब तक वह अपने अंदर ऐसे आनंद का सृजन नहीं कर लेता, उसे 'प्रसव के समान पीड़ा' होती रहती है। वह पुस्तकालय में प्रकार पुस्तकलायाध्यक्षता का व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है, जिसमें सृजनात्मक एवं विरेचनात्मक आनंद की प्राप्ति होती है।'[3]

पुस्तकालयाध्यक्षता का व्यवसाय देश के प्रत्येक व्यक्ति, समाज और दल को इस योग्य बनाने में मदद करता है, जिससे वे अपने राष्ट्रीय कर्तव्य की पूर्ती कर सकें। ऐसा वह उन्हें स्वस्थ तथा सूचनाप्रद साहित्य उपलब्ध कराकर करता है। पुस्तकालयाध्यक्ष पुस्तकालय-सेवा के माध्यम से अपना देशीय धर्म पूरा करता हैं। देशीय धर्म को स्पष्ट करते हुए रंगनाथन लिखते है, 'अर्थात किसी भी राष्ट्र का वह धर्म जिसके कारण वह विश्व के ज्ञान एवं कल्याण में असाधारण योगदान देता है, समय आ गया है कि मानवता के नाते हम इस क्षेत्र (पुस्तकालय-विज्ञान तथा पुस्तकालय-सेवा) में एक लंबा कदम उठाएँ।'

पुस्तकालय-विज्ञान तथा सेवा के क्षेत्र में नए मानदंड कायम कर पुस्तकालयाध्यक्ष अपने देशीय धर्म का पालन करता है। उदाहरण स्वरूप, डॉ. रंगनाथन ने पुस्तकालय-विज्ञान तथा सेवा के क्षेत्र में विश्व को अनेक क्रांतिकारी सिद्धांत, सूचीकरण संहिता तथा वर्गीकरण पद्धति दी। इस प्रकार पुस्तकालय-विज्ञान के माध्यम से भारतीय पुस्तकालयाध्यक्ष अपने देशीय धर्म का पालन करते रहे है और करते रहेगें।

पुस्तकालयों की व्यवस्था करने के लिए विशेष प्रकार की जनशक्ति की आवश्यकता है। इसका कारण यह है कि पुस्तकालयाध्यक्षता का व्यवसाय अन्य व्यवसायों से अधिक कठिन और भिन्न व्यवसाय है। अन्य अनेक व्यवसायों की कार्यक्षमता तथा निपुणता की जाँच केवल उन्हीं व्यवसायों से संबंधित लोग करते है। उदाहरणार्थ, जब कोई किसी विषय में व्याख्याता बनता है, तो उस विषय से संबंधित छात्र या शिक्षक ही उसकी निपुणता जाँचते हैं।

'इतिहास के व्याख्याता की निपुणता इतिहास के क्षेत्र में ही जाँची जा सकती है, पदार्थ-विज्ञान के क्षेत्र में नहीं। परन्तु जब कोई पुस्तकालयाध्यक्ष बनता है, तो उसकी निपुणता तथा कार्यक्षमता की जाँच प्रत्येक विषय से संबंधित पाठक करता है तथा प्रत्येक पाठक की कसौटी पर पुस्तकालयाध्यक्ष को खरा उतरना पड़ता हैं।'[4]

एक कठिन व्यवसाय होने के अतिरिक्त पुस्तकालयाध्यक्षता एक भिन्न व्यवसाय भी है। अन्य व्यवसायों में मुवक्किल जितना ही असंतुष्ट होगा, व्यवसायी के पास उतना ही अधिक आएगा तथा जब संतुष्ट हो जाएगा तो आना बंद कर देगा। उदाहरणार्थ, असंतुष्ट रोगी डॉक्टर के पास, असंतुष्ट मुवक्किल वकील के पास, असंतुष्ट छात्र शिक्षक के पास, असंतुष्ट लेनदार देनदार के पास बार-बार आएँगे। परंतु संतुष्ट होने के बाद (जैसे रोग ठीक हो जाने के बाद रोगी, मुकदमा जीत जाने के बाद मुवक्किल) आना बंद कर देते हैं, परन्तु पुस्तकालयाध्यक्षता का व्यवसाय भिन्न व्यवसाय है। इसमें मुवक्किल (पाठक) जब तक संतुष्ट रहेगा, आता रहेगा; परंतु असंतुष्ट (माँग पूरी न होने पर) होने पर पुस्तकालय में आना बंद कर देगा। पुस्तकालयाध्यक्षता का व्यवसाय अपनाने वाला को यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए।

'भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने डॉ. रंगनाथन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय पुस्तकालयों पर एक समिति गठित की। इसे 'रंगनाथन समिति' के नाम से भी जाना पड़ता हैं। इस समिति ने सन् 1959 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसमें शैक्षिक पुस्तकालयों के प्रत्येक पक्ष-जिसमें पुस्तकालयाध्यक्षों की योग्यता, वेतनमान तथा पदगरिमा भी सम्मिलित है, पर अपनी अनुशंसा दी।'[5] इस प्रतिवेदन को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सन् 1965 में प्रकाशित किया। भारत सरकार द्वारा अभी हाल में निर्धारित योग्यताऐँ (सरकारी पुस्तकालयों के लिए) तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी की गई योग्यताएँ (विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक पुस्तकालयों के लिए) परिशिष्ट में दी गई है।

डॉ. रंगनाथन ने अपनी पुस्तक 'रेफरेंस सर्विस' में संदर्भ पुस्तकालयाध्यक्ष के गुणों की चर्चा करते हुए लिखा है कि संदर्भ-पुस्तकालयाध्यक्ष में राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुध्न के सम्मिलित गुण होने चाहिए। उसे शत्रुध्न के समान अहंकारहीन होना चाहिए। भरत ने चौदह वर्षो तक राम की खड़ाउ को सिंहासन पर बैठाकर अपने राज-कार्य संबंधी कर्तव्य का पालन एक सेवक की भाँति किया। इसी तरह पुस्तकालयाध्यक्ष को भी अपना अहंकार छोड़कर पाठकों की सेवा में लीन रहना चाहिए। उसे भरत के समान कर्तव्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। चौदह वर्ष तक राम के राज्य को उन्होनें पूरी जिम्मेदारी के साथ चलाया और बिना राज-सत्ता का उपभोग किए प्रजा का पालन करते रहे।

उसी प्रकार पुस्तकालयाध्यक्ष को भी सत्तालोलुप न होकर अपने कर्तव्य के प्रति या आशा के बिना लक्ष्मण वन के सुख-दुख की चिंता न करते हुए निष्काम भाव से रामकी सेवा करते रहें; उसी प्रकार पुस्तकालयाध्यक्ष को भी बिना किसी पुरूस्कार, प्रशंसा या लाभ की आशा किए, पाठकों की निष्काम सेवा करनी चाहिए। उसे राम के समान सुख दुख से अनासक्त रहना चाहिए।डॉ. रंगनाथन पूर्णत: भारतीय थे तथा भारतीय दर्शन और संस्कृति में उनका गहन विश्वास था। उन्होनें संदर्भ-पुस्तकालयाध्यक्ष में जिन सामान्य गुणों की चर्चा की है। वे गुण प्रत्येक व्यक्ति तथा प्रत्येक कर्मचारी में होने चाहिए। पुस्तकालयाध्यक्ष में जिन सामान्य गुणों की चर्चा की है वे गुण प्रत्येक व्यक्ति तथा प्रत्येक कर्मचारी मे होने चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अग्रवाल (श्यामसुन्दर) - ग्रन्थालय तथा समाज, जयपुर, आर.बी.एस.ए. पब्लिकेशन्स, 1994 पृ. 28
2. त्रिपाठी (एस. एम.) आधुनिक ग्रन्थालय व्यवस्था एवं संचालन के मूल तत्व, नई दिल्ली, अजन्ता पब्लिकेशन्स सन् 1983 पृ.69
3. सुन्दरेश्वरनर (के.एस.) शैक्षणिक पुस्तकालय संगठन तथा प्रबन्ध, नई दिल्ली, एस.एस. पब्लिकेशन्स, 1991 पृ.75
4. सुन्दरेश्वरनर (के.एस.) शैक्षणिक पुस्तकालय संगठन तथा प्रबन्ध, नई दिल्ली, एस.एस. पब्लिकेशन्स, 1991 पृ.45
5. वही. पृ.27

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) July to September 2017, Vol. II

मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की वेशभूषा

शिवाँगी गुप्ता * डॉ. मीनाक्षी गुप्ता **

प्रस्तावना – मारवाड़ पश्चिमी भारत में पश्चिमी राजस्थान राज्य का एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है, जो पूर्व में मरू, मरूस्थल, मरूकान्तार के नामों से पुकारा गया है, जिसका तात्पर्य रेगिस्तान या जलविहीन क्षेत्र होता है। मारवाड़ अपने गौरवमयी इतिहास, सृजनात्मक साहित्य और बेजोड़ संस्कृति के कारण समूचे विश्व में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। इस स्थान को प्राप्त करने में यहाँ की वेशभूषा ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मारवाड़ अपनी वेशभूषाओं के लिए पुरातनकाल से ही प्रसिद्ध रहा है। यहाँ विभिन्न प्रकार की वेशभूषा का प्रचलन रहा है, जो कि विविध उत्सवों एवं त्यौहारों में विशेष रूप से लोगों द्वारा धारण किए जाते हैं। जो यहाँ के इतिहास, परम्परा एवं रंगीनियों को दृश्य रूप में आज भी उपस्थित करने में अक्षुण्ण सहयोग देता है।

वेशभूषा का वर्णन हमें यहाँ के साहित्य में, गीतों में, तत्कालीन चित्रों, मूर्तियों व अलग-अलग महाराजाओं के कालखण्ड में लिखी गई बहियों एवं ग्रन्थों से इनकी जानकारी प्राप्त होती है। समय के परिवर्तन के साथ-साथ वस्त्र एवं वेशभूषा के स्वरूप में भी बदलाव होता रहा है, किन्तु लोगों में वेशभूषा के प्रति चाव व लगाव की मूल्य भावना व आकर्षण प्रारम्भ से वर्तमान तक बना हुआ है। लोक समाज में वस्त्रों एवं वेशभूषा की लोकप्रियता का उदाहरण इस बात से और पुख्ता हो जाता है कि यहाँ विभिन्न प्रकार के वस्त्रों एवं वेशभूषा का सुन्दर वर्णन 'कपड़ा बत्तीसी' नामक काव्य में किया गया है। कपड़ा बत्तीसी के कुछ दोहे यहाँ दृष्टव्य हैं –

सिरदोजी जामो बणियो, पाटु सूथण पाव।
साहब घरे पधारिया, गले विलूंबी आय।। 1.
आतलस आतम सोभा दीये, पैहर के अंग।
सुंदर अभी मेल में, चौपड़ खेल चुंग।। 3.
गवर रमै सब कामणी, गावै गीत रसाल।
सारी पहिर अटा की, आई पीतम पास।। 6.[2]

(वि0सं0 1776) I सबसे प्राचीन प्राप्त बही के रूप में महाराजा अजीत सिंह की पुत्री श्री सूरजकुंवर बाईसा रै ब्याव री बही में उस समय मारवाड़ में प्रचलित विवाह की रस्मों, रिवाज़ों के साथ आभूषण, वस्त्र एवं बर्तन आदि दहेज में दिए गए थे, जिसका विस्तृत वर्णन मिलता है। बही से प्राप्त जानकारी के अनुसार वस्त्र एवं वेशभूषा इस प्रकार है– पाघ कीमखाब दुपट्टों केसरिया भांत आसावरी, साड़ी केसरिया चौड़े पूरेलपा री, घाघरो की किमखाब रो दुपट्टो कसूमल वणारको, ओढ़णिया केसरिया कोरदार, लहंगो सुपो (सफेद) चीकन रो, कांचली, चोली, पाट जामा, सरेजन, बागा आदि अनेक वस्त्रों का विवरण इस बही से प्राप्त होता है।

(वि0सं0 1777)– महाराजा अजीत सिंह रे समय कपड़ा रा कोठार री बही जवाहीर खाना एण्ड मिन्ट I इस बही से तत्कालीन प्रचलित वेशभूषा एवं वस्त्रों के साथ-साथ राजघराने के रीति-रिवाजों एवं विविध अवसरों पर भेंट स्वरूप दिए जाने वाले वस्त्रों का वर्णन प्राप्त होता है। इसी के साथ रंगरेजों, दुकानदारों, कोर (सुनहरी गोटा) लगाने वाले कारीगरों, उनकी कीमत, मूल्य आदि की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं।

बही से प्राप्त जानकारी के अनुसार वेशभूषा का वर्णन इस प्रकार है– पाघ, कीमखाब, पोतिया, दुपट्टा, बालाचुन्दरी, आसावरी, कीरमंची, घाघरा, कांचली, चोली, पाटजामा, सरेजन, बागा के रूप में उल्लेख है। वहीं कपड़ों के रूप में मलमल छींट, मखमल लट्ठा, रेशम आदि का वर्णन मिलता है। कीर (सुनहरी गोटे) का भी इसमें उल्लेख हुआ है। कपड़ों को नापने के लिए 'गज' तथा मुद्रा के रूप में रूपए, आना, पैसा, पाई आदि का उल्लेख मिलता है। इस बही में राजघराने के रीति रिवाज के अनुसार विभिन्न अवसरों पर पहने जाने वाले पागो का उल्लेख मिलता है। जैसे-पाघ मुकनी, पाघ पट्टी, पाघ सफेद मुकनी, पाघ लाल, पाघ मुलमुल, पाघ कसुमल, पाघ कोमली, पाघ छीटे की, पाघ लट्ठे की, पाघ बादलाई आदि। इसके साथ ही साथ इसमें विभिन्न प्रकार के पोतियों (साफों) का भी उल्लेख मिलता है। पोतिया लच्छेदार, पोतिया गुजाराती, पोतिया कसुमल, पोतिया कीरमची, पोतिया जरीमेली, पोतिया रेशमी लाल बेलदार आदि, और इस बही में हमें विभिन्न प्रकार के दुपट्टों की जानकारी भी प्राप्त होती है जो कि किसी विशेष ख़ुशी के अवसर पर इनायत किया जाता था, जैसे– जरी का दुपट्टा, कसुमल दुपट्टा, दुसालों आदि।

वि0सं0 1810– 57– महाराजा विजय सिंह रे राजलोक में कपड़ों रे कोठर री बह– इस बही की जानकारी के अनुसार इस काल में सोने की जरी से युक्त पाघों का विशेष विवरण मिलता है, जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं–

गुरू पाघ, भौम पाघ, सुकर पाघ तासरी, सोरे री, पाघ कसुमल, पाघ लाल इकदाणी। इसी के साथ इसमें बहुमूल्य वस्त्रों एवं वेशभूषा का वर्णन मिलता है।

वि0सं0–1856 – महाराजा भीमसिंह जी रे वगत में कपड़ों रे कोठार रो रोजनवो– महाराजा भीमसिंह जी के शासन काल में प्राप्त इसी बही में उस समय खरीदे गए वस्त्रों का वर्णन मिलता है, जैसे– खीनखाप, गुलबदन का थान, मोलीयो (एक प्रकार की पाग), महमुदी थान, सोलो स्याहगढ़ एवं नागोरण पाग का वर्णन मिलता है।

वि0सं0–1879 – महाराजा मानसिंहजी रे वगत में कपड़ों रा कोठार री चिट्ठीयां री बही– महाराजा मानसिंह के समय में लिपिबद्ध की गई इस बही में खरीदे गए वस्त्रों का विवरण मिलता है, जो इस प्रकार है, सेलो स्याहगढ़,

* शोधार्थी (डिज़ाइन) वनस्थली इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, वनस्थली विद्यापीठ (राज.) भारत
** एसोसिएट प्रोफेसर (डिज़ाइन) वनस्थली इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, वनस्थली विद्यापीठ (राज.) भारत

मुलमुल, सेलो चंदेरी, नागोरी, छोगो, दुपट्टा, अदरस का थान, सोने की गोट (किनारी) आदि। इस बही में वस्त्रों की सिलाई के लिए दर्जियों की हाज़री का उल्लेख बही में दर्ज मिलता है।

वि0सं0-1893 - महाराजा मानसिंह के शासनकाल के कपड़ों रे कोठार रशीदो दी अर कपड़ो री विगत - इस बही में खरीदे गए वस्त्रों एवं वेशभूषाओं की रसीदों की नकल अंकितम होने के अतिरिक्त खरीदे गए नए वस्त्रों एवं वेशभूषाओं जैसे- दुपट्टा, पाघ, धोतियां, मुलकुल, विलायती मुलमुल, ओढ़नी व गद्दी बनाने के लिए कई रंगीन वस्त्रों के साथ कपड़ों के किनारों पर लगाई जाने वाली सोने की गोट का विवरण प्राप्त होता है। इस बही में हमें वस्त्रों की सिलाई करने वाले मजदूरों का भी वर्णन मिलता है।

वि0सं0-1924- महाराजा तखत सिंह कालीन राणीवास जाडेचीजी के हथ खर्च की बही में श्री बाईजीलाल जी साहब के विवाह के अवसर पर खरीदे गए विभिन्न वस्त्रों एवं वेशभूषा के व्यापारियों उनके प्रयोगों आदि का वर्णन भी इसी बही से प्राप्त होता है। इस बही में मलमल का उल्लेख मिलता है। बही में मुलमुल का नामोल्लेख हुआ है।म इसके अलावा इसमें दरबेस तथा छींट, छींट कसूबल, खणा का बटका, दुसाला का जोड़ा, बनाता साधारण, मदील तथा सीकदार पेचा, दुपट्टा पेचा तथा पागा, जगन्नाथी, लट्टा, टुकड़िया तथा रेजा, लुंगीया, मदरासी कंसुबल तथा पीलो, संसी मीसरूण अमरशाही तथा पंचरगा, दरयाई, अतलस, बांदणू चूंदडिया तथा फागणिया, खीनखप, सफेद थान डोरिया तथा फूलम्यारी, मखमल, मोलिया, बालांदीया, कलंदरा, धोती जोड़िया, लपा सोने का, लपारूपे का, कोर गोटा सोने का, कोर गोटा रूपे का, चसमदार कोर, फीतरी कोर सोना की, किरण गंगाजमनी, मोती लड़ी का मुठिया, कलाबतु सोने का, बादलो सोने का तथा रूपे का, पेची की कीर, चोरसा, मोतियां की कड़िया, मोतीदाणां, पेचा, मोतिया का चोकड़ा, कड़ा की जोड़िया हेम की, तास, कच्चे रंग के ओरणें आदि का विवरण दिया गया है जिन पर रंग-बिरंगे बेलबूटों एवं छींट इत्यादि के कार्य का विस्तृत वर्णन मिलता है।

वि0सं0-1948 - महाराजा जसवंत सिंह (द्वितीय) रे पुत्र सरदार सिंह रे विवाह री बही- इस बही में सरदार सिंह जी के विवाह की सामग्री एवं खर्च का उल्लेख मिलता है। बही से प्राप्त जानकारी के आधार पर जो विभिन्न प्रकार के वस्त्र एवं वेशभूषा को विवरण इस प्रकार है - कांचली, दुपट्टों, मुलमुल, साड़ियाँ, पाघे आदि का वर्णन प्राप्त होता है।

राज्यवर्गीय व उच्चवर्गीय वेशभूषा बहुमूल्य एवं कीमती होने के साथ-साथ कीमती साज-सज्जा कसीदाकारी से अलंकृत होते थे। उसकी वेशभूषा, ऐश्वर्य एवं वैभव को प्रदर्शित करती हैं, जो उन्हें अपनी एक अलग पहचान दिलाती है। मौसक के अनुकूल एवं विविध पर्वों के अनुसार मारवाड़ में विशेष प्रकार की वेशभूषाओं को धारण करने का रिवाज रहा है। सावण में लहरिया, फागण में फागणियां, शादी विवाह में चुंदड़ी पुत्र जन्मोत्सव पर प्रसूता को 'पीला' (पीले रंग की ओढ़नी) ओढ़ाने के साथ रेशमी वस्त्रों का प्रयोग होता था।

तत्कालीन वस्त्रों एवं वेशभूषाओं में कीमशाप (खीनखाप) नामक वस्त्र सबसे बहुमूल्य वस्त्रों में माना जाता था, जिसका प्रयोग राज्यवर्गीय एवं उच्चवर्गीय परिवार में अधिकाधिक प्रयोग होता था। इसके अलावा हमें इसमें जरी की थान, छींट, सादा थान, गिरदी का थान, नौरंग जेबिया थान, सेला का कसूमल थान, मलमल, दरीयाई, बालाबंधी थान इत्यादि विविध प्रकार के वस्त्र एवं वेशभूषा का वर्णन प्राप्त होता है। तत्कालीन मारवाड़ में प्रचलित छींटों का भी विवरण प्राप्त होता है, जो इस प्रकार है, बुरहानपुर की छींटा, मुल्तानी छींट आदि।

निष्कर्ष - इस शोधपत्र में तत्कालीन मारवाड़ राजघरानों में प्रचलित वस्त्र एवं वेशभूषाओं के नामों व उन पर प्राप्त छींटो एवं उन पर किए गए कार्यो का वर्णन ऐतिहासिक बही व रजिस्टरों से प्राप्त जानकारी के आधार पर किया गया है, जो कि अपनी एक अलग विशेषता एवं पहचान को दर्शाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भाटी, डॉ0 विक्रम सिंह - मारवाड़ इतिहास एवं संस्कृति के सोपान, पुस्तक प्रकाश शोध केन्द्र, जोधपुर, 2013.
2. राठौड़, डॉ0 विक्रम सिंह - राजस्थान की संस्कृति में नारी (मारवाड़ के विशेष संदर्भ में), राजस्थानी जोधपुर, 1997.
3. नागर, डॉ0 कुंवर महेन्द्र सिंह - श्री सूरजकंवर बाईसा रै ब्याव री बही, मानसिंह पुस्तक प्रकाश शोध केन्द्र, जोधपुर, 2013.
4. नागर, डॉ0 कुँ0 महेन्द्र सिंह- मारवाड़ राजघराने की पुरालेखीय सामग्री, महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश शोध केन्द्र, जोधपुर, 2010.
5. भाटी, डॉ0 विक्रम सिंह - मारवाड़ के ऐतिहासिक समसामयिक स्त्रोत, राजस्थानी शोध संस्थान, चौपासनी, मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट, जोधपुर, 2016.
6. भाटी, डॉ0 नारायण सिंह - राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-2, राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) July to September 2017, Vol. II

योग का अर्थ, इतिहास एवं परंपरा

डॉ. प्रतिभा नामदेव *

शोध सारांश – भारत के स्वर्णिम अतीत को देखने पर हमे भारतीय संस्कृति की विशाल सिंधु सरिता में जिस विद्या का ज्ञान हुआ 'योग है' जिसका एक विशिष्ट सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक एवं ऐतिहासिक महत्व रहा है, योग प्राचीन काल ही भारत की पूरे विश्व को अनुठी देन रही है। योग विद्या अनादि काल से मनुष्य को आकर्षित कर भिन्न-भिन्न स्वरूपों एवं खोजों को प्रेरित करती आई है। मानव व्यक्तित्व विकास और मन को संयमित करने की योग प्रणाली हजारों वर्ष पुरानी है, जो व्यवहारिक और स्वानुभूत होकर अपने महत्व और गहरे अर्थो को बनाए हुए है। विश्व को सभ्य और उन्नत बनाने के लिए योगमयी चिंतन धारा का विशेष योगदान है। प्रस्तुत शोधपत्र में योग, अर्थ, इतिहास एवं परंपरा का अध्ययन किया गया है।

प्रस्तावना – योग शब्द का अर्थ स्पष्ट किया जाए तो यह शब्द संस्कृत भाषा की युग धातु से बना है। 'यह शब्द अंग्रेजी भाषा के 'योग' ओर जर्मन भाषा के योग जोक तथा लैटिन भाषा के शब्द का अर्थ मिलन नियंत्रण है। योग शब्द मानव और ईश्वर के मिलन की ओर सूचित करता है। यह व्यक्तिगत सत्यता का सर्वोपरि सत्ता से मिलन है, एवं प्रत्येक चर और अचर का सर्व शक्तिमान से मिलन है। यह मृत वस्तु का अन्नत से मिलन है। अत: इसका अर्थ है, व्यक्ति के मन का उसकी आत्मा से मिलन होगा'[1]

सिद्धांत कौमुदी में मुजधातु का अर्थ निम्नांकित आधार से बताया गया है, 'युज समाधि। समाधि चित्तवृत्ति निरोधरु। समाधि के अर्थ में लिया है।'[2] ' युजिर योगे। यहां योग योक्ता जोड़ने के अर्थ में लिया गया है।[3] 'युजृजन समयने। बाँधने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।[4]'

एन्साइक्लोपीडिया इन्डिका में – योग (सं.प.) युज समाधौ भवादौ यथ' धमं ' (1) संयोग (2) उपाय तरकीव (3) कर्म परिधान कवच पहनना (4) ध्यान (5) संगीत (6) मुक्ति (7) प्रेम (8) छल धोखा (9) औषध दवां (10) धन दौलत (11) नैयायिक (12) लाभ कायदा (13) दगाबाज (14) कोई शुभ काल अच्छा समय या अवसर (15) चर दूत (16) छकड़ा बैलगाड़ी (17) नाम (18) कौशल चतुराई (19) नाव आदि सवारी (20) परिणाम नतीजा (21) नियम कायदा (22) उपयुक्तता (23) साम दाम दंड भेद चारों उपाये (24) वशीकरण (25) सूत्र (26) संबंध (27) सद्भाव (28) धन और संपत्ति (29) मेल मिलाप (30) तप ध्यान वैराग्य (31) गति में दो या अधिक राशियों को जोड़ (32) एक प्रकार का छंद (33) सुभीता जुगढ़ (34) वह उपाय जिसके द्वारा जीवात्मा जाकर परमात्मा में मिल जाता है, मुक्ति या मोक्ष उपाय (35) सभी शब्दों आ अवयवार्थ संबंध (36) योग: कर्मसु कौशल एक मात्र कर्म जो कुषलता है अर्थात जिस कर्म से संसार बंधन नहीं होता है वही योग है (37) फलित ज्योतिष में कुछ विशिष्ट स्थानों में आने के कारक होते है जिनकी संख्या 27 है।'[5]

वेदों में योग 'योग' शब्द विभिन्न अर्थो में प्रयुक्त हुआ है। 'योग का अर्थ युग या जुआ में लगाने में आया है अर्थात घोड़ों को रथ में जोड़ना।'[6] योग शब्द क्षेम के साथ आया है, जिसके आचार्यो द्वारा विभिन्न अर्थ लगाए गए है। श्रीधर स्वामी ने योग शब्द से 'धनादि लाभ तथा क्षेम शब्द से उसकी रक्षा या मोक्ष का अर्थ लगाया है। योग क्षेम का अर्थ जीवन निर्वाह, गुजारा, कुशलमंगल, खैरियत, भी होता है।'[7] योग शब्द सामसिक रूप में भी प्रयुक्त हुआ है।'[8] सदसस्पति (अग्नि) देव से यजमनों की प्रार्थनाओं या विचारों में विराजमान रहने को कहा गया है। यहाँ पर 'योग शब्द का अर्थ अग्नि देव को प्रार्थनाओं या विचारों में मिलने से लगाया गया है'[9] ऋग्वेद में योग शब्द का अर्थ 'विज्ञ लोक पुरोहित एवं यजमान अपने मनों का हित करते है और प्रार्थनाओं को विज्ञमहान (सविता) में लगाते है। जो सभी प्रार्थनाओं से जोड़ने के अर्थ में है। यहाँ पर योग शब्द मन के प्रार्थनाओं से जोड़ने के अर्थ में अनिहित किया गया है।'[10] मेरे स्त्रोत को अपने मित्र से अधिक निकटस्थ मानों यहां पर योग ही है जो आपस में मेल करने को कहा गया है।' [11] योग का अर्थ' जो पहले से प्राप्त न हो उसे प्राप्त करने के अर्थ में लिया गया है।' कहने का तात्पर्य है कि अप्राप्त की प्राप्ति करना ही योग है।[12]' कुशल वीरों सहित सेना से युक्त हुए तुम्हारी सहायता से अपने शत्रुओं को वशीभूत होने से लिया गया है, अर्थात योग है।[13]' यजुर्वेद में भी ऋग्वेद के समान ही मिलता-जुलता अर्थ लिया गया है 'जो मनुष्य परस्पर मित्र होकर एक-दूसरे की रक्षा के लिए अत्यंत बलवान धर्मात्मा पुरूष को राजा मानते है। वे सब विध्नों से अलग होकर सुख उन्नति कर सके।[14]' अर्थविद में भी ' मनोयोग के साथ में सरस्वती देवी से वाणी की सिद्धि माँगता हूं यहां भी अप्राप्त की प्राप्ति के लिए मुज अर्थात योग शब्द आया है।[15] अधिकतर योग शब्द अर्थविद में जोड़ने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, विजयी संयोग के लिए ब्रह्मं योगो अर्थात परमात्मा के ध्यानों से तुमको मैं जोड़ता हूं विजयी संयोग के लिए राज्य के ध्यानों से तुमको जोड़ता हूं, ध्यान में लगे हुए सभी विद्वानों का हितकारी समाधी किया गया वह विभेव मुक्त स्वभाव वाला भ्रम है। इससे स्पष्ट होता है कि वेदों में योग शब्द विभिन्न अर्थो में प्रयुक्त किया गया है। बैलों को गाड़ी से जोड़ने से लेकर मनुष्य एवं ईश्वर के मिलन तक की व्याख्या मिलती है। अपितु योग की प्रक्रिया क्या है, इस विषय में वेदों में अधिक विवेचन प्राप्त नहीं होता है। अत: ज्ञात होता है कि वैदिक दृढ़ता योग के अर्थ से तो परिचित है। किंतु उसको जीवन में उतारने की प्रणाली से ज्यादा दिखई नहीं देते, पुराणों में भी योग शब्द का विभिन्न अर्थो में प्रयोग हुआ है। पुराणों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि उस काल में भी योग साधना का चलन जन जीवन

* अध्यापिका, शासकीय मिडिल भिलैया, तहसील – सागर, जिला – सागर (म.प्र.) भारत

में व्याप्त था ब्रह्मा पुराण में योग का अर्थ मन और इंद्रियों का जो संयोग न होना है, वही वास्तव में योग कहा जाता है। अतः यहाँ पर योग शब्द का अर्थ मन की एकाग्रता से किया गया है। लिंग पुराण में योग का अर्थ योग शब्द के द्वारा निर्वाण तुरीय महेष के पद को कहा जाता है इसका हेतु ऋषि भगवान रूद्र का ही ज्ञान होता है और वह ज्ञान भी भगवान शंकर की कृपा से हुआ करता है। जिस ज्ञान से संसार सागर से तरण हो जाता है योग शब्द से जिसका स्पष्ट ज्ञान होता है, वह महेश पद ही है, योग की परिभाषा लिखते हुए कहा गया है कि समस्त अर्थो से संबंध रखने वाले ज्ञान की निष्पत्ति ही आत्मा का योग है। देवी भागवत महापुराण में योग शब्द 'प्रेम' अर्थ का वाचक है, संयोग अथ्र में भी योग शब्द का उपयोग किया गया है। विष्णु पुराण में पवित्र किए हुए मन के ब्रह्मा से संयोग होना ही योग का अर्थ है। आत्मा की असाधारण मनोवृत्ति का भगवान में संयोग होना ही योग है। मार्कण्डीय पुराण में योग को अज्ञान से अलगाव तथा बड़ा से मिलन माना गया है अग्नि पुराण कूर्म पुराण स्कंध पुराण, आदित्य पुराण आदि में योग की परिभाषा में वित्त वृत्ति के निरोध को महत्व दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि विभिन्न पुराणों में पातांजलि की परिभाषा को ही दोहराया गया है।

1.1 योग का इतिहास एवं परम्परा – यदि भारत में योग का इतिहास एवं परम्परा देखी जाए तो योग अति-प्राचीन समय से निरंतर भारत में चला आ रहा है किंतु यह ज्ञान उस समय कंदकराओं, गुफाओं एवं जंगलों की सीमाओं में आश्रम तक सीमित था। वर्तमान समय में यह जन सामान्य के लिए नहीं था। यह केवल गुरू परम्परा के अनुसार शिष्य की योग्यता देखते हुए ही दिया जाता था शिष्य में उस प्रकार की एकाग्रता होनी चाहिए, जैसे ही अर्जुन को केवल मछली की ऑख ही दिख रही थी यदि शिष्य ने जरा सी भी उच्चृखलता, अनियमितता, छल, कपट, बेईमानी देखी तो आश्रम तक आना मुश्किल हो जाता था।

योग का इतिहास तथा परम्परा देखने से ज्ञात होता है कि भारत अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति का देश है। अतः प्रत्येक व्यक्ति में किसी न किसी ईश्वर के प्रति विश्वास, श्रृद्धा भक्ति समाहित रहती है हिंदू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, कोई वर्ण का क्यों ना हो उसके ईश्वर योग शक्ति समाहित रहती है, और रहेगी इससे यह स्पष्ट होता है, कि यह परंपरा सृष्टि के प्रारंभ होते ही चली आ रही है। हिन्दू धर्मावलम्बी के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण आदि महान योगी थे। वेद के ज्ञाता ब्रह्मा से और कोई प्राचीन नहीं है। जिन्होंने मुखार बिन्द से चारों वेदों का वाचन करके वेद व्यास को लिख दिया। इससे स्पष्ट होता है कि भारत में सबसे प्राचीन ग्रन्थ वेद है, और उसमें योग का वर्णन किसी न किसी अर्थ में अवश्य ही आया है, निःसदेह भारत में योग का इतिहास परम्परा अनादिकाल से चली आ रही है।

ऋग्वेद को भारतीय परम्परा के अनुसार विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रन्थ स्वीकृत किय गया है। तथा इसमें योग की प्राचीन परंपरा 'ईश्वर को ही सबसे प्राचीन गुरू माना गया है और वही आचार्यों का गुरू था, उस ईश्वर को ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि हिरण्य गर्भ के नाम से जाना जाता है।[16'] योग का इतिहास एवं परंपरा को भगवान श्री कृष्ण ने भी कल्प के आदि समय से भी अभिहित किया है। उन्होंने भगवत गीता में कहा है कि 'हे अर्जुन मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य के प्रति कहा था और सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु के प्रति कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राजर्षियों ने जाना। परंतु हे अर्जुन वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी में लोकप्रिय हो गया था।[17']

आधुनिक युग में हम जिस युग को दृष्टि गोचर कर रहे है, वह तो बहुत ही विकसित रूप में है। योग का प्राचीन इतिहास एवं परंपरा क्या रही यह देखने के लिए हमे अन्य प्राचीनतम ग्रन्थों से लेकर वर्तमान समय के साहित्य का अध्ययन करना आवश्यक है। ऋग्वेद और गीता में देखा है कि हिरण्य गर्भ एवं ईश्वर ही योग के प्राचीनतम इतिहासकार है, इसी का स्पष्टीकरण महाभारत के निम्न उदाहरण से ज्ञात होता है कि यह धुतिमान हिरण्य गर्भ वही है, जिसकी वेद में स्तुति की गई है। इनकी योगी पूजा करते थे और संसार इन्हें 'विभु' कहते है। हिरण्यगर्भ ही योग के अति प्राचीनतम ज्ञाता है। कहा भी गया कि हिरण्यगर्भ ही योग के प्रथम वक्ता है। इनसे पुराना और कोई नहीं है।

उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट होता है, कि हिरण्यगर्भ ही सृष्टि के सबसे पहले उत्पन्न हुए और वे ही योग के प्रथम वक्ता एवं ज्ञानी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. चौधरी हरिदास, इन्टीग्रल योगा प्र. 21
   जार्ज एलिन एन्ड अनाविन लंदन : 1965
2. दीक्षित भट्टो, सिद्धांत कौमुदी, प्र, 470, खेमराज श्री कृष्णदास जी वेंकेटश्वर स्ईम, प्रैम बम्बई सं. 1966
3. सिद्धांत कौमुदी प्र. 480
4. सिद्धांत कौमुदी प्र. 489
5. एनसाइम्लोपीड़िया इण्डिका खण्ड 18.117 मूण्डा यौत्माकी प्र. 706
6. क्दा योगों वाजिनो ससंमस्य मेन यज्ञ नासव्योदयान्द 1/34/9
7. योगक्षेम व आदायाहं ऋ. ।। 10/166/5
8. शं नः क्षेमे शमु योगे नो अस्तु सूयं पात स्वस्तिभि सदा नः ।। ऋ. 7/86/8
9. यस्माहते नसिध्यति यज्ञो विपष्चितष्चा सधीना योगमिन्वति ।। ऋ. 1/18/7
   ऋग्वेद दामोदर सातवलेकर स्वाध्याय मण्डल, आनंदश्रम, सूरज
10. मुन्जते मन उत मुन्जते छियो विप्रा विप्रस्य वृहतो विपश्यितः ।। ऋत्र 5/51/11
11. इन्दु स्तोममिमं मम कृष्णा युजष्चिदन्तरम् ।। ऋत्र 1/10/9
12. इन्द वयं महाथन इन्द्रमै हवामहे युज वृत्रेषु वज्रिणम ।। ऋ. 1/7/51,1/6/2
13. वयं शुरेभिस्तृभि रिन्द्र त्वया त्वया युजा वयम। सासहयामं पृतन्यतः । ऋ. 1/8/4
14. योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे । सखायडइन्द्रभूतये ।। यतु 11/14
15. युक्तेन मनसा वयं वयं देवस्य सवियुः सवे। एवर्यायशकत्या ।। यजु 10/2
16. सरस्वत्था वाचमुप हवयामहे मनोयुजा ।। अथर्व 5/10/18
17. जिष्णवे योगाय क्षत्रयोगैवाँ युनज्मि ।। अथर्व 10/5/11

****